चतुर्दश माला, खंड 30, अंक 9

बुधवार, 28 नवम्बर, 2007
7 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 30 में अंक 1 से 10 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 64
Dated 6 Oct. 2009

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-।

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-॥

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 30, बारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 9, बुधवार, 28 नवम्बर, 2007/7 अग्रहायण, 1929 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	181 से 186 और 191	1-55
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	187 से 190 और 192 से 200	55-71
अतारांकित प्रश्न संख्या	1616 से 1771	71-340
सभा पटल पर रखे गए पत्र		341-350
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक		350
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
बत्तीसवां प्रतिवेदन		351
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति		
चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन		351
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
इक्कीसवां और बाईसवा प्रतिवेदन		352
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		
(एक) सुश्री तस्लीमा नसरीन का भारत में ठहरना		
श्री प्रणब मुखर्जी		352
(दो) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 169वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति		
श्री मणि शंकर अय्यर		355
(तीन) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 185वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति		
श्री मणि शंकर अय्यर		355

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(चार) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 190वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री मणि शंकर अय्यर 356

(पांच) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 195वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री मणि शंकर अय्यर 357

(छह) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 127वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री मणि शंकर अय्यर 357

सदस्यों द्वारा निवेदन

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में हिन्दी के उपयोग के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में 363-366

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदत्त मोबाइल सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुवीर सिंह कौशल 376

(दो) महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिलों में बीड़ी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री शिशुपाल एन. पटले 376

(तीन) किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें सीधे तौर पर राजसहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सिंह 377

विषय		कॉलम
(चार)	मध्य प्रदेश के सागर जिले में चांदिया बांध परियोजना के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री वीरेन्द्र कुमार	377
(पांच)	उड़ीसा में पनीकोईली से राजामुंडा तक के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-215 के खंड की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अनन्त नायक	378
(छह)	राज्यों में जनजातीय उपयोजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता की निगरानी करने के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किए जाने की आवश्यकता	
	डा. बाबू राव मिडियम	378
(सात)	धान उत्पादक क्षेत्रों में खरीद केंद्र खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. मोहन	379
(आठ)	आगरा हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामजीलाल सुमन	379
(नौ)	उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित परमानन्द के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजनरायन बुधौलिया	380
(दस)	पटना में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना किए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम कृपाल यादव	381
(ग्यारह)	आंध्र प्रदेश में भद्राचलम-कोव्वूर और मानुगुरू-रामागुंडम सम्पर्क रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री बी. विनोद कुमार . . .	381
(बारह)	कन्नड़ को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रशान्त प्रधान	382

विषय कॉलम

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2007-08 और
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2005-06

श्री के.एस. राव 383

श्री पी. करूणाकरन 392

श्री रामजीलाल सुमन 398

श्री एम. शिवन्ना 401

श्री सी.के. चन्द्रप्पन 404

श्री विजय कृष्ण 407

नियम 193 के अधीन चर्चा

भारत-अमरीका परमाणु समझौता

श्री रूपचंद पाल 411

श्री लाल कृष्ण आडवाणी 422

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया 438

प्रो. रामगोपाल यादव 446

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 453

श्री ब्रजेश पाठक 457

श्री के. वेंकटपति 459

श्री मोहन रावले 463

श्री भर्तृहरि महताब 477

श्री सचिन पायलट 483

श्री सी.के. चन्द्रप्पन 491

श्री उदय सिंह 494

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' 499

प्रो. एम. रामदास 501

श्री एल. गणेशन 505

विषय	कॉलम
श्री खारबेल स्वाईं	509
श्री डी.के. आदिकेसवुलु	512
डा. सी. कृष्णन	513
श्री निखिल कुमार	516
श्री एम. शिवन्ना	521
श्री लक्ष्मण सिंह	522
श्री तरित बरण तोपदार	526
श्री नवीन जिन्दल	530
श्री सुब्रत बोस	537
श्री फ्रांसिस फैन्थम	539
श्री सनत कुमार मंडल	543
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	543
डा. अरुण कुमार शर्मा	546
डा. सिबैस्टियन पॉल	548
श्री असादुद्दीन ओवेसी	549
श्री गणेश सिंह	552
श्री पी.सी. थामस	554
श्री एस.के. खारवेनथन	555
श्री रामदास आठवले	557
श्री तथागत सत्पथी	558
श्री राम कृपाल यादव	560
श्री प्रणब मुखर्जी	564
कार्य मंत्रणा समिति	
तैंतालीसवां प्रतिवेदन	508

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 583-584

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 583-594

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 595-596

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 595-598

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 28 नवम्बर, 2007/7 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरुम्बुदूर) : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं; इसे उचित समय पर उठायें। प्रश्न सं. 181।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग कीजिए। आप इसके लिए प्रतीक्षा कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इतना सहयोग करते हैं; आप एक करिश्माई नेता हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रतीक्षा कीजिए। मैं प्रश्न काल के बाद आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप केवल अपनी बात कहना चाहते हैं; अध्यक्ष की बात सुनना नहीं चाहते मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। एक घंटे में यह मुद्दा कम महत्वपूर्ण नहीं हो जाएगा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वाह्न 11.01 **बजे**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 181, श्री एम अंजन कुमार यादव उपस्थित नहीं।

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील।

[हिन्दी]

चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता

+

***181. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्री एम. अंजन कुमार यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी चिकित्सा महाविद्यालयों, विशेषकर इन महाविद्यालयों में कर्मचारियों की संख्या के बारे में मिथ्या सूचनाओं के आधार पर इन महाविद्यालयों को मान्यता दिए जाने के संबंध में भारतीय चिकित्सा परिषद के निर्णयों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में प्रक्रिया को ठीक करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार चिकित्सा कालेजों का निरीक्षण करती है। भारतीय चिकित्सा परिषद के विरुद्ध निरीक्षण और डिग्री की अनुमति/इसको मान्यता प्रदान करने के संबंध में उसकी अनुशंसाओं के मामले में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कुछ मामलों में यह कहा गया है कि संकाय के अभाव के बावजूद अनुमति/मान्यता प्रदान की गई है और अन्य ऐसे मामले हैं जहां यह कहा गया है कि यद्यपि संकाय अपेक्षाओं को पूरा करता है, फिर भी भारतीय चिकित्सा परिषद अनुमति/मान्यता प्रदान करने के लिए उनको स्वीकार नहीं करती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा

परिषद/संस्थानों से आवश्यक स्पष्टीकरण/इनपुट प्राप्त करने और यदि आवश्यक हो तो अपने विशेषज्ञों के दल के माध्यम से इसे सत्यापित करवाए जाने के बाद भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुसंशाओं पर निर्णय लेती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षक अपनी अर्हता और अनुभव के संबंध में सही दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं और वे एक से अधिक संस्था में नियोजित नहीं हैं, भारतीय चिकित्सा परिषद ने संकाय के लिए स्मार्ट आईडी कार्ड की प्रणाली शुरू की है जिसमें शिक्षक के अंगूठे के प्रिंट और हस्ताक्षर सहित शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीकरण संबंधी ब्यौरे और शिक्षण अनुभव जैसे महत्वपूर्ण ब्यौरे कार्ड के चिप में ही अंत:स्थापित किए जाते हैं। इस प्रणाली के शुरू होने से विभिन्न संस्थाओं में संकाय की सही संख्या और उनकी अर्हता से संबंधित सूचना सुनिश्चित होने की संभावना है।

[हिन्दी]

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न संख्या 181 में पूछा था कि मैडीकल कालेजों द्वारा एम.सी.आई. से परमीशन लेने के लिए, वहां पहले रिक्वायर्ड स्टाफ और निर्धारित गाइडलाइंस के तहत पूरा ढांचा रहना चाहिए, उसके बाद ही परमीशन देनी चाहिए। लेकिन देश में बहुत सारे मैडीकल कालेज ऐसे हैं, जहां पर पूरी सुविधा नहीं है, पूरा शिक्षित टीचिंग स्टाफ भी नहीं है, ऐसी संस्थाओं को मान्यता एम.सी.आई. ने प्रदान की है। इस संबंध में कितनी कम्प्लेण्ट्स एम.सी.आई. के पास आई हैं, यह मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, लेकिन इसका जवाब उत्तर में नहीं दिया गया है। इस संबंध में स्पेसिफिकली कितनी कम्प्लेण्ट्स एम.सी.आई. के पास आई हैं, यह मेरा सवाल है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या हम उन्हें गिन सकते हैं?

डा. अंबुमणि रामदास : प्रत्येक वर्ष, हमें कुछ न कुछ 50, 60 या 70 शिकायतें प्राप्त होती हैं। इनके संबंध में विशिष्ट तारीखें नहीं होती हैं। मैं माननीय सदस्य को इनमें से ऐसी कुछ शिकायतों, वस्तुत: सभी शिकायतों को दिखाना चाहूंगा, जिनका हम निपटान करते हैं और जिसमें से कुछ को हम भारतीय चिकित्सा परिषद में भेजते हैं। कुछ शिकायतों के लिए हम अपनी टीम भेजते हैं। इसके बाद हम उन संस्थानों को बुलाते हैं जिन्हें इन मुद्दों पर शिकायतें होती हैं। हम उन सभी शिकायतों पर गौर करते हैं जो हमारे पास आती हैं और हम इन मुद्दों का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं।

[हिन्दी]

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : अध्यक्ष महोदय, कुछ संस्थाओं के कालेज हैं, जिनको रौंग इन्फोर्मेशन के तहत परमीशन दी गई है, वे संस्थाएं कौन सी हैं, उनका नाम लिखित जवाब में नहीं दिया है। उनका नाम भी मैं जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : किनका नाम जानना चाहते हैं?

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : जिन संस्थाओं को परमीशन दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : कितने नाम देंगे।

[अनुवाद]

आप इन्हें सूची भेज दीजिए। वह सभी नाम कैसे दे सकते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास : माननीय सदस्य ने उन महाविद्यालयों के बारे में प्रश्न नहीं पूछा है जिन्होंने झूठी जानकारी दी है; उन्होंने प्राप्त शिकायतों की संख्या के बारे में पूछा है। कोई भी किसी भी महाविद्यालय के बारे मे शिकायत कर सकता है। मैं अवश्य ही, वह सूची माननीय सदस्य को उपलब्ध कराऊंगा। परंतु जब मुद्दा शिकायतों के बारे में हो तब इसका अर्थ यह नहीं होता कि यह केवल संकाय या अवसंरचना के बारे मे हो; इन शिकायतों में अन्य मुद्दे भी शामिल होते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

डा. अंबुमणि रामदास : इनमें से कुछ शिकायतें अवसंरचना या संकाय के गलत विवरणों के बारे में होती हैं। कुछ शिकायतों में होता है कि संकाय सदस्य दो भिन्न महाविद्यालय में कार्य करते हैं। ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हम प्रत्येक शिकायत का निपटान करते हैं। कभी-कभार हम इसे भारतीय चिकित्सा परिषद के पास वापस कार्रवाई के लिए भेजते हैं और यदि फिर भी शिकायतें बनी रहती हैं तब हम वहां भारत सरकार की अपनी टीम भेजते हैं और उसके बारे में सत्यापन करवाते हैं। उस सत्यापन पर ध्यान से गौर करने के बाद हम पुनर्नवीकरण करते हैं या तद्नुसार पुनर्नवीकरण अस्वीकृत कर देते हैं।

डा. बाबू राव मेडियम : महोदय, चिकित्सा सेवा को पुनीत और महान कार्य माना जाता है परंतु इस महान और पुनीत कार्य को आज बेचा जा रहा है।

विशेषकर निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को फैक्ल्टी के माध्यम से मान्यता मिल रही है। वे केवल कुछ रंगीन बोर्ड लगा देते हैं, वहां कॉलेज में कोई आधारभूत ढांचा नही होता है, कोई फैक्ल्टी सदस्य नहीं होता है और न ही वहां कोई वास्तविक अवसंरचना होती है। ऐसी स्थिति में, मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी इन कॉलेजो को दी जानेवाली मान्यता की प्रक्रिया की जांच कराने हेतु राष्ट्रीय स्तर के किसी तीसरे पक्ष की नियुक्त के संबंध में विचार करेंगें।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं माननीय सदस्य को किसी कॉलेज को मान्यता देने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले, वे राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करते हैं, इसके बाद वे स्थानीय विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करते हैं और तत्पश्चात् वे भारत सरकार के पास आवेदन करते हैं। हम भारतीय चिकित्सा परिषद् के पास अनुपालन रिपोर्ट भेजते हैं। वे जाते हैं और निरीक्षण करते हैं इसके बाद वे इसे अनुमोदित या अस्वीकार करने की सिफारिश करते हैं और अंततः हम अनुमति देते हैं।

माननीय सदस्य भी अंशतः सही हैं। कुछ शिकायतें जो हमें प्राप्त हुई हैं वे सही पाई गई हैं। इन शिकायतों में कहा गया है कि वहां फैकल्टी के सदस्य नहीं हैं, पर्याप्त संख्या में बिस्तर नहीं हैं, रोगियों की देखभाल का कोई बोझ आधारभूत संरचना और ऐसी कोई दूसरी चीजे नहीं है। भारतीय चिकित्सा परिषद् के निरीक्षक वहां जाकर निरीक्षण करते हैं और तब वे कहते हैं कि इन सारी समस्याओं को दूर कर दिया गया है परंतु जब हम अपने निरीक्षकों को वहां भेजते हैं तब पता चलता है कि ये विद्यमान हैं। वहां कई मुद्दे विद्यमान हैं।

मैंने इस महान सभा में भारतीय चिकित्सा परिषद् के कार्यकरण के बारे में भी माननीय सदस्यों को जानकारी दी है। मैंने इस बारे में कई बार बताया है। हम पिछले कुछ समय से भारतीय चिकित्सा अधिनियम में संशोधन के बारे में प्रयास कर रहे हैं। यह मामला स्थायी समिति के पास भेजा गया था और अंततः इस बारे में भारत सरकार को सिफारिश की गई। हम इसकी जांच कर रहे हैं। हम इस संशोधन को इसी सत्र में लेकर आते परंतु यह सत्र पहले बुला लिया गया है। इसलिए, संसद के अगले सत्र में, भारतीय चिकित्सा अधिनियम में संशोधन करने के लिए हम एक व्यापक विधेयक लानेवाले हैं। इससे इसमें न केवल सरकार के प्रति बल्कि सामान्य जनता के प्रति पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही होगी।

तदन्तर, हम कई प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार कर रहे हैं। हम विनियमों और नियमों में भी कई परिवर्तन कर रहे हैं ताकि हम इसे अधिक पारदर्शी बनाने के साथ-साथ इसे कुछ क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान तथा जम्मू ओर कश्मीर राज्यों के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्षेत्रों में आसान बना सकें। इन क्षेत्रों में चिकित्सा महाविद्यालयों की कमी है। हम अवश्य ही एक व्यापक नीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसे सुचारू बनाने और इसे अधिक कारगर बनाने हेतु पूरा प्रयास कर रहे हैं।

डा. चिन्ता मोहन : अमेरिका से कई छात्र हमारे चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। यह साबित करता है कि भारत में चिकित्सा शिक्षा का मानक बहुत ऊंचा है। हमें भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करनी चाहिए।

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद और भारतीय चिकित्सा परिषद की तुलना करने और अनिल देव सिंह समिति रिपोर्ट देखने के बाद पता चल जाएगा कि भारतीय दंत चिकित्सा परिषद ठीक से काम नहीं कर रही है।

मैं मणिपाल एकेडेमी ऑफ हाईयर एडुकेशन का उल्लेख चाहता हूं। यहां एक ही कैम्पस में दो मेडिकल कॉलेज हैं। यह संसद के अधिनियम और कानून के विरुद्ध है। भारतीय चिकित्सा परिषद ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और सरकार ने इस पर आगे कार्यवाही करने की अनुमति दे दी है। आप अपने कृत्य को किस प्रकार न्याय संगत ठहराएंगे?

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय मैं भारतीय दंत चिकित्सा परिषद और भारतीय चिकित्सा परिषद के बीच तुलना नही करना चाहता हूं। हमने सभी परिषदों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैसे ही मैंने अपना पदभार संभाला तो प्रधानमंत्री महोदय ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्हें इस संबंध में कई शिकायतें मिल रही है और उन्होंने मुझे इसमें सुधार कर इन्हें पारदर्शी, युक्तिसंगत एवं सक्रिय बनाने के लिए कहा।

महोदय, माननीय सदस्य ने मणिपाल कॉलेज का उल्लेख किया है। यह पुराने कॉलेजों में से एक है। यह एक ख्याति प्राप्त कॉलेज है और इसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है। इन परिषदों की मान्यता प्राप्त

कॉलेजों का कभी भी यहां तक कि मान्यता प्राप्त करने बाद भी निरीक्षण करने का अधिकार हो। मान्यता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया लगभग साढ़े पांच वर्ष तक चलती रहती है। जब एमबीबीएस के पहले बैच के छात्र अंतिम वर्ष पास कर लेते है, तब कॉलेज को मान्यता प्रदान की जाती है। तब तक प्रत्येक वर्ष परिषद पुनः निरीक्षण कर सकती है। मान्यता प्रदान किए जाने के बाद भी परिषद या सरकार को जब कभी ऐसा लगेकि कॉलेज निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कर रहा है, तब वे जाकर इसकी जांच कर सकते हैं। मणिपाल मेडिकल कॉलेज में किए गये। ऐसे ही एक निरीक्षण के दौरान इसमे छोटी-मोटी खामियों का पता चला जिसके बारे में हमने उन्होने लिखा है और कर्नाटक राज्य सरकार भी यह कह चुकी है कि इन खामियों को दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने हमे इसकी अनुमति देने के लिए अनुरोध किया और कर्नाटक राज्य सरकार के मार्गदर्शन में हमने अनुमति प्रदान कर दी। परंतु उसमे अभी भी खामियां है और उन्होने इन खामियों को दूर कर लेने की बात कही।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, भारतीय चिकित्सा परिषद निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का निरीक्षण आदि कार्य करता है, लेकिन देखा जाता हे कि निजी महाविद्यालयों में छात्रों से भारी-भरकम फीस वसूली जाती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या फीस के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, क्षमा कीजिए, मैं उनका प्रश्न समझ नहीं पाया।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप विद्यार्थियों के लिए मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के मापदंडों के बारे में पूछ रहे है?

श्री गणेश सिंह : जी हां,

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न में नहीं आता है।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, वे दानवले के मापदंडों के बारे में पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में जो भारी भरकम फीस ली जाती है, उसके लिए भी कोई मापदंड निर्धारित होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, शुल्क ढांचा एवं दाखिले की प्रक्रिया दोना से जुड़े मुद्दे पहले से ही चल रहे है और उसके बाद इसे माननीय न्यायालय में ले जाया गया। इसमें न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया और अंततोगत्वा संबंधित राज्यों में सेवानिवृत न्यायाधीशों की अध्यक्षता में समितियां गठित करने के लिए कहा। अत: विभिन्न राज्यों में कई समितियां गठित की गई। इन समितियों में इन अलग-अलग संस्थाओं का प्रतिनिधित्व है। अलग-अलग संस्थाओं को उनकी अवसंरचना, क्षमता एक व्यय के अनुसार श्रेणीबद्ध किया गया है। इसी आधार पर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग संस्थाओं के शुल्क निर्धारित किए गए हैं।

महोदय, स्वास्थ्य मंत्रालय में हमलोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर शुल्क ढांचा और दाखिला प्रक्रिया को विनियमित करने वाला एक व्यापक कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इसे लाएंगे। लेकिन तब तक विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गठित की गई ये समितियां इन संस्थाओं के लिए शुल्क ढांचा निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होंगें। यह अलग-अलग राज्यों और अलग-अलग संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है।

सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य

+

*182. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन :**
श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (एम डी जी) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा अब तक निर्धारित लक्ष्यों के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है और अब तक विशेषकर स्वच्छता एवं लोगों को सुरक्षित पेयजल की उपलबधता के संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं; और

(ख) सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सितंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मिलेनियम घोषणा में वर्ष 2015 तक हासिल किए जाने वाले 8 विकास लक्ष्य (गोल) स्वीकार किए गए। ये आठ लक्ष्य निम्नानुसार हैः—

एमडीजी 1 : अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन;

एमडीजी 2 : सार्वजनिक (यूनिवर्सल) प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना;

एमडीजी 3 : लिंग समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना;

एमडीजी 4 : बाल मृत्यु को कम करना;

एमडीजी 5 : मातृ स्वास्थ्य में सुधार;

एमडीजी 6 : एचआईवी/एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से निपटना,

एमडीजी 7 : पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना; और

एमडीजी 8 : विकास के लिए ग्लोबल भागीदारी का विकास करना।

ये वे लक्ष्य हैं जिनका 189 राज्याध्यक्षों द्वारा गरीबी, भुखमरी, निरक्षरता, लिंग असमानता, बीमारी और पर्यावरणीय अवक्रमण का मुकाबला करने के लिए उपायों को अपनाने की प्रतिज्ञा की गई है। आठ गोल 18 लक्ष्यों में विभाजित किए गए हैं, जिनके 48 संकेतक हैं। भारत के लिए विभिन्न लक्ष्यों के बारे में उपलब्धियां निम्न प्रकार दी गई हैः—

लक्ष्य 1 : योजना आयोग के अनुमान के अनुसारी गरीबी अनुपात जो 1993-94 में 36% था, वर्ष 2004-05 में घटकर 27.5 प्रतिशत हो गया। भुखमरी के संदर्भ में, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की रिपोर्ट परसीव्ड एडीक्वेसी ऑफ फूड कंजम्पशन इन इंडियन हाउस-होल्डर्स 2004-05'' के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जिन घरों में पूरे वर्ष के लिए प्रतिदिन काफी खाद्यान्न रहता था वह वर्ष 1993-94 में 94.5% से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 97.4% हो गया। शहरी क्षेत्रों में जिन परिवारों में पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त खाद्यान्न था, वर्ष 1993-94 में यह 98.1% से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 99.4% हो गया।

लक्ष्य 2 : स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या जो 2001-02 में 32 मिलियन थी वर्ष 2005-06 में घटकर 7.1 मिलियन हो गई। साक्षरता दर जो वर्ष 1991 में 52.2% थी, वर्ष 2001 में बढ़कर 64.9% हो गई। प्राथमिक शिक्षा में लड़के और लड़कियों, दोनों के संबंध में सकल पंजीकरण अनुपात 100% के अंक को पार कर गया।

लक्ष्य 3 : प्राथमिक शिक्षा में बालिका-बालक अनुपात में सुधार हुआ और वह 1990-91 में 71 : 100 से बढ़कर 2004-05 में 88 : 100 हो गया। उसी अवधि के दौरान माध्यमिक शिक्षा में समान अनुपात सुधर कर, 50 : 100 से 71 : 100 हो गया। लड़कियों के सकल पंजीकरण अनुपात में वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक की अवधि में लगभग 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

लक्ष्य 4 : पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू 5 एम आर) जो वर्ष 1988-92 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 125 थी, वर्ष 1998-2002 की अवधि के दौरान प्रति हजार घटकर 98 हो गई। शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) जो वर्ष 1990 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 80 थी, वर्ष 2005 में घटकर 58 प्रति हजार हो गई।

लक्ष्य 5 : मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) जो वर्ष 1998 में प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 407 था, वर्ष 2001-03 के दोरान घटकर 301 हो गया। कुशल स्वास्थ्य कार्मिकों की देख-रेख में जन्मों का अनुपात जो वर्ष 1992-93 में 33% था, (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-I) (एनएफएचएस-I) वर्ष 2005-06 में बढ़कर 48.3% हो गया (एनएफएचएस III)

लक्ष्य 6 : वर्ष 2002 में प्रति हजार गर्भवर्ती महिलाओं में एच.आईवी. के प्रकरण 0.74 से घटकर वर्ष 2006 में 0.68 हो गए। तपेदिक से जुड़ी मृत्यु दर जो वर्ष 1990 में प्रति 100,000 व्यक्तियों पर 42 थी, वर्ष 2004 में घट कर 29 हो गई। मलेरिया के प्रकरण घटे हैं। सफलतापूर्वक उपचार किए गए रोगियों का अनुपात, जो वर्ष 1996 में 81 प्रतिशत था, वर्ष 2005 में बढ़कर 86 प्रतिशत हो गया।

लक्ष्य 7 : वर्ष 2003 में किए गए आकलन के अनुसार वनों के अंतर्गत कुल भूमि क्षेत्र 20.64% है। आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र कुल भू-क्षेत्र का 19% हैं। उन परिवारों का प्रतिशत जिनकी पहुंच सुरक्षित पेयजल तक है (नल, हैण्डपम्प टयूबवैल से सप्लाई किए जाने वाले जल) जो 1991 में 62.3% था, वर्ष 2001 में बढ़कर 78% हो गया। उन परिवारों का अनुपात जिनके पास घर के भीतर ही टायलेट/बाथरूम की सुविधा है, वर्ष 1991 में 23.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001 में 36.1 प्रतिशत हो गया।

लक्ष्य 8 : समग्र. दूरसंचार (टेलीडेनसिटी) घनत्व वर्ष 2000 में 2.86% से बढ़कर मार्च 2007 में 18.31% हो गया। पर्सनल कंप्यूटरों का उपयोग जो वर्ष 2001 में 5.4 मिलियन था, वर्ष 2006 में बढ़कर 19.6 मिलियन हो गया और मार्च, 2006 में प्रति 100 व्यक्तियों पर 3.5 इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं।

(ख) सरकार ने मिलेनियम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अलग से कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया है। तथापि, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों के बिल्कुल समान हैं। वास्तव में, गरीबी उपशमन, शिशु-मृत्यु, मातृ-मृत्यु, स्कूल पंजीकरण आदि से संबंधित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में यथा-निर्दिष्ट कुछेक लक्ष्य सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में निर्दिष्ट लक्ष्यों से अधिक महत्वाकांक्षी हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सी.के. चन्द्रप्पन।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : महोदय प्रश्न सं. 182

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर कोई प्रश्न पूछे जाने की बजाय विधिवत चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, बताइए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : महोदय, मंत्री महोदय ने बहुत विस्तृत विवरण दिया है। संभवत: उन्होंने मिलेनियम डिवेलपमेंट गोल्स पूरे किए जाने संबंधी उपलब्धि की सुनहरी तस्वीर प्रस्तुत की है।

लेकिन महोदय, कल ही संयुक्त राष्ट्र, यूएनडीपी द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। और उसमें उल्लिखित जानकारी मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत आशावादी दृष्टिकोण विपरीत है। समयाभाव के कारण मैं उस रिपोर्ट की बारिकियों में नहीं जाना चाहता। लेकिन इसमें कहा गया है कि कई मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के मामले में भारत कई मोर्चों पर विशेष रूप से बच्चों उनके दोषाहार मानक एवं उनकी शैक्षिक उपलब्धि के मामले में काफी पीछे है। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया की आधी गरीबी समाप्त कर दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : महोदय, सरकार उपलब्धियों से जुड़े सुनहरे पक्ष को प्रस्तुत कर रही है जबकि संयुक्त राष्ट्र ने कल जारी हुई अपनी रिपोर्ट में इससे बिल्कुल विरोधाभासी बातें कहीं हैं। अत: मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसा विरोधाभास क्यों है और यह भी बताएं कि सरकार सही है या संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट।

अध्यक्ष महोदय : आप कैसे कह सकते हैं कि वह गलत है?

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : लेकिन यही तो संयुक्त राष्ट्र कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हमने आज के अखबार में एक टिप्पणी पढ़ी है।

श्री एम.वी. राजशेखरन : मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के मापदंड, जो यू एन डी पी द्वारा प्रकाशित किया गया है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से बिल्कुल भिन्न हैं। महोदय, यदि आप इस सरकार की विगत तीन वर्षों की उपलब्धियों पर एक नजर डाले तो इसके आंकड़ों से ही बहुत कुछ पता चल जाएगा। यह मात्र एन डी ए सरकार का मात्र भारत उदय नहीं है। यह यूपीए सरकार का भारत उदय है। यदि आप विभिन्न आंकड़ों पर विचार करें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने लिखित उत्तर में विस्तार से बताया है।

श्री एम.वी. राजशेखरन : मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अधिकांश उद्देश्य और लक्ष्य काफी लंबे समय से हमारी विकास प्रक्रिया में अंतर्निहित हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में उल्लिखित अधिकांश लक्ष्यों एवे उद्देश्यों की झलक योजना आयोग द्वारा बनाई जानेवाली विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में देखी जा सकती हैं। जबकि कुछ लक्ष्यों को मात्रात्मक रूप में विनिर्धारित किए जाने की उम्मीद रहती है, जबकि गुणात्मक रूप का ही उल्लेख किया गया। वस्तुत: ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में उल्लिखित कतिपय लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों से भी अधिक महत्वाकांक्षी हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : महोदय, मुझे खेद है कि मंत्री महोदय अपने उत्तर से कम-से-कम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए। मुझे मालूम नहीं कि आप संतुष्ट है या नहीं। अब, सवाल यह उठता है कि यदि भारत मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है तो हम धीरे-धीरे अवनति की ओर है। हाल ही में अर्जुन सेनगुप्त कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि - मुझे आंकड़े बताने की कोई आवश्यकता नही है। भारत में असंगठित क्षेत्र के 35 करोड़ कामगारों में से 83 प्रतिशत लोग 8 रुपये या 20 रुपये की रोज की अल्प आमदनी से अपना गुजारा कर रहे हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का मुख्य उद्देश्य उन लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है जिनकी रोज की आमदनी एक डॉलर से कम है।

उन्हें उस स्तर तक विकसित किया जाना चाहिए जहां वे उससे बेहतर हो सके। उसमें अर्जुन सेनगुप्त का कहना यह हे कि भारत में असंगठित क्षेत्र के अधिकांश कामगार प्रतिदिन एक डालर से भी कम आमदनी से अपना गुजर-बसर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा बताई जा रही तस्वीर पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं।

मैं एक दूसरी बात पूछना चाहता हूं। 'द फोर्ब्स पालिका ने' वर्ल्डस मिलेनियर रिपोर्ट प्रकाशित की है उसके अनुसार भारत में भी काफी संख्या में करोड़पति उसमें यह भी दावा किया गया है कि हमारे चार अरबपति विश्व के एक साथ मिलाकर 80 अरबपतियों से भी बड़े हैं। लेकिन दुखद स्थिति यह हे कि मंत्री महोदय ने संप्रग की सुखद स्थिति का ही जिक्र किया है। उन्होंने इसकी उत्कृष्ट स्थिति प्रस्तुत की है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह वाद-विवाद नहीं है। यदि आप वाद-विवाद चाहते हैं तो मैं इस पर वाद-विवाद की आपको अनुमति दूंगा। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : अत: मैं उनसे केवल यह पूछ रहा हूं कि क्या वह इसका विस्तार से जिक्र करेंगे और इसकी वास्तविक स्थिति पेश करेंगे। मैं आपसे इस पर बहस करने की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं कह रहा हूं लेकिन आप प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री एम.वी. राजशेखरन : महोदय, आंकड़ों से स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाएगी कि संप्रग सरकार ने गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए हैं। गत तीन वर्षों में शुरू किए गए विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों पर ही गौर कीजिए। भारत निर्माण का लक्ष्य गरीबी दूर करने के लिए गांव के गरीब लोगों को सुविधाएं प्रदान करता है।

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का लक्ष्य गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ पेयजल सुविधाएं, अप्रवास, सड़क और अन्य सुविधाएं देने का अत:, यदि आप ग्यारहवीं योजना के निगरानी योग्य सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों पर ध्यान दें तो इससे आपको ब्यौरे का पता चल जाएगा। मैं ब्यौरा यहां उद्धृत कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यहां नहीं।

श्री एम.वी. राजशेखरन : यदि मैं यहां ब्यौरा दे पाया तो मुझे अपने माननीय सदस्य को इस बात के लिए विश्वास में लेने में अति प्रसन्नता होगी कि कैसे गरीबों को लक्ष्य के अंतागि रखने से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम उनके जीवन स्तर को सुधार करने में कितने सफल हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महसूस कर रहें हैं कि उनके पास पुख्ता आधार है।

श्री गुरुदास दासगुप्त उपस्थित नहीं है। उन्होंने मुझे सूचना दी है कि उन्हें किसी महत्वपूर्ण सम्मेलन में जाना है।

श्री एन.एन. कृष्णादास। संगत प्रश्न पूछिए और इसे केवल केरल तक ही सीमित मत कीजिए।

श्री एन.एन. कृष्णदास : यह पूरे विश्व का मामला है। मंत्री महोदय द्वारा दिए गए विवरण में आठ विकास लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। इन आठ विकास लक्ष्यों में बेरोजगारी पूरे देश में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इन आठ विकास लक्ष्यों में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश में रोजगार सृजन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। आर्थिक मामलों के एक प्रतिष्ठित विद्वान होने के नाते हमारे माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञात होगा कि आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में सामान्यत: रोजगार का सृजन अपने आप होता है। लेकिन अपने देश में हम केवल आर्थिक क्षेत्र में ही वृद्धि दर्शाते हैं। परंतु वृद्धि और विकास एकदम अलग-अलग हैं। हम वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसी वृद्धि हो रही है जिसमें रोजगार नहीं है। अत:, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सहस्त्राब्दि

विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए रोजगार सृजन को क्यों छोड़ा गया है और बेरोजगारी की चुनौती का सामना करने के लिए रोजगार सृजन के लिए क्या ठोस उपाय किए गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये लक्ष्य सरकार ने निर्धारित नहीं किए हैं। ये लक्ष्य महासभा द्वारा निर्धारित गए हैं। सरकार क्या कर सकती है? मंत्री जी या आप इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं?

श्री एम.वी. राजशेखरन : महोदय, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत गरीबी है। इसको लक्ष्य करके हमने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नामक एक विशिष्ट योजना शुरू की है, जो विश्व में कहीं नहीं है। इससे हम 116 करोड़ श्रम दिवस का सृजन करने में सफल रहे हैं, यह एक विशेष कार्यक्रम है जिसके बारे में कभी किसी सरकार ने परिकल्पना भी नहीं की थी। इस तरीके से हम गरीबी की समस्या से निपट रहे हैं और गरीबों के लिए जिनकी स्थिति अत्यंत बुरी है, रोजगार का सृजन कर रहे हैं। उपलब्धि यह एक है।

ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत हमारा लक्ष्य 70 मिलियन रोजगार के अवसर का सृजन करना आगामी वर्षों में है। अपने प्रधानमंत्री के प्रेरणादायक नेतृत्व में संप्रग सरकार ने कुछ निश्चित कदम उठाए हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई शोर करेगा तो उसे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, मैं इसमें सैनिटेशन और वाटर दोनों के बारे में प्रश्न पूछ रहा हूं, यदि आपको लगता है कि यह प्रश्न ठीक नहीं है तो आप उसे अस्वीकार कर दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे किसी तरह सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य में शामिल कीजिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरी प्रार्थना है कि जिन शहरों में गटरलाइन डाली जाती है, वहां उसके साथ-साथ वाटरलाइन भी डाल दी जाती है। इस कारण वहां पानी प्रदूषित हो जाता है। मेरे जयपुर शहर में लक्ष्मीनारायणपुर नामक एक स्थान है, जहां कई बच्चे इस वजह से मर गए और अन्य कई बच्चे बीमार पड़ गए। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जहां-जहां पर गटरलाइन हो, उससे वाटरलाइन थोड़ी दूरी पर डाली जाए और जहां पर फ्लोराइडयुक्त पानी मिलता है, जिसकी वजह से कूबड़ हो जाती है, उस कूबड़ को रोकने के लिए भी सरकार को प्रबंध करना चाहिए, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्री एम.वी. राजशेखरन : महोदय, जहां तक जयपुर का संबंध है, इसके बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य कोई अलग से प्रश्न भेजेंगे तो इसका उत्तर देने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। जहां तक जल आपूर्ति का संबंध है...

अध्यक्ष महोदय : विस्तार में मत जाइए आप इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि यह सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य संख्या 7 के अंतर्गत आता है। आप इस लक्ष्य पर ही ध्यान दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी ने अपने जवाब लक्ष्य-7 में चर्चा की है कि वर्ष 2003 में किए गए आकलन के अनुसार वनों के अंतर्गत कुल भूमि क्षेत्र 20.64 प्रतिशत है। आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र कुल भू-क्षेत्र का 19 प्रतिशत है। उन परिवारों का प्रतिशत जिनकी पहुंच सुरक्षित पेयजल तक है (नल, हैण्डपम्प, टयूबवैल से सप्लाई किए जाने वाले जल) जो 1991 में 62.3 प्रतिशत था, वर्ष 2001 में बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया। उन परिवारों का अनुपात जिनके पास घर के भीतर ही टायलेट/बाथरूम की सुविधा है, वर्ष 1991 में 23.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001 में 36.1 प्रतिशत हो गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया विस्तार में न जाएं, केवल प्रश्न पूछें।

श्री राम कृपाल यादव : यह लिखित उत्तर में वर्णित है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अद्यतन, स्थिति के बारे में नहीं बताया, केवल 2001 तक के बारे में बताया है। हमारे देश में आज भी बहुत से ऐसे गांव और शहर हैं, जहां लोगों को पीने के लिए

शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है और न ही टायलट की समुचित व्यवस्था है। मैं समझता हूं ऐसी एक नहीं, अनेकों जगह हैं। मैं बिहार राज्य से आता हूं, वहां कई जगहों पर अशुद्ध पानी मिल रहा है, आर्सेनिकयुक्त जल मिल रहा है। भारत सरकार ने जो प्रयास किया है, उसका प्रतिफल लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। देश में 60 वर्ष आजादी के बाद भी अगर लोगों को शुद्ध पानी न मिले तो फिर आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाता।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल प्रश्न पूछें।

श्री राम कृपाल यादव : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। कई जगहों पर महिलाएं बाथरूम के लिए सड़कों पर जाने के लिए विवश हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने ऐसे कौन से प्रयास किए हैं, जिससे आम लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिले और बाथरूम की खासकर गांव की महिलाओं के लिए जो यह समस्या है, उसे दूर करने के लिए आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया था, उसे कितना प्राप्त कर पाए हैं तथा उसके लिए कौन सा विशेष अभियान आपने चलाया है?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. राजशेखरन : महोदय, मैं माननीय मंत्री हमको यह बताना चाहता हूं कि जहां तक त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) का संबंध है, सरकार ने इसके लिए पर्याप्त आबंटन किया है।

यह 1999-2000 के 1,715 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2004-2005 में 2900 करोड़ रुपये कर दिया गया है। देश में कुल 14.22 लाख ग्रामीण बसावटों में से 31 दिसंबर 2003 तक अधिकांश बसावटों में जल आपूर्ति की सुविधा दे दी गई है और केवल 8686 बसावटों को ऐसी बसावटों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिनमें अभी यह सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, ये पूरा ब्यौरा माननीय सदस्य को अलग से दीजिए।

श्री एम.वी. राजशेखरन : महोदय, मेरे पास पूरा ब्यौरा है और यदि माननीय सदस्य इसकी जानकारी चाहते हैं तो मुझे उन्हें यह ब्यौरा देने में खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुत्ते के काटने की औषधियों की कमी

\+

*183. **श्री के. विरुपाक्षप्पा :**
श्री पी.सी. गद्दीगौडर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुत्ते के काटाने की औषधियों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

कुत्ते के काटने के उपचार के लिए आवश्यक एंटी रेबीज सेरम (एआरएस) और टिस्सू कल्चर एंटी रेबीज वैक्सीन (टीसीएआरवी) की कोई कमी नहीं है।

भारत में इन वैक्सीनों का विनिर्माण करने वाली संस्थाओं की उत्पादन क्षमता देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। राज्य सरकारें इन वैक्सीनों का विनिर्माण करने वाली संस्थाओं को अग्रिम रूप से आपूर्ति के आर्डर भेजकर वैक्सीनें प्राप्त कर सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी.सी. गद्दीगौडर—उपस्थित नहीं।

श्री के. विरुपाक्षप्पा।

***श्री के. विरुपाक्षप्पा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया कि देश में 'एन्टी-रेबीज सीरम' की कोई कमी नहीं है। लेकिन देश में गरीब लोगों और दलितों को एन्टी रेबीज वैक्सीन नहीं दिए जा रहे हैं। यह वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार गरीबों में भी अति गरीब लोगों को निःशुल्क एन्टी रेबीज वैक्सीन प्रदान करने का है।

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

यदि हां तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कृपया ब्यौरा दीजिए।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, एन्टी रेबीज वैक्सीन नियमित भारत सरकार है, के अंतर्गत नहीं आता है। एन्टी-रेबीज वैकसीन और एन्टी-रेबीज सीरम (एआरएस) को प्राप्त करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। प्रत्येक राज्य सरकार को आपूर्ति करने हेतु पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन और सीरम का उत्पादन देश में किया जा रहा है। वास्तव में समस्या राज्य सरकार के सामने है। वह इस वैक्सीन को ले नहीं जाती है और उनके पास इस तर्क का कोई आधार नहीं होता कि ''ठीक है, इस मौसम में कुत्तों द्वारा या पशुओं द्वारा काटने की अधिक घटनाएं होंगी। ''वस्तुतः समस्या का कारण यही है, लेकिन इस मौजूदा समय में देश में पर्याप्त वैक्सीन हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ग्यारहवीं योजना में एक प्रायोगिक परियोजना पर कार्य कर रही है। यह एक नया प्रयास है जिसके अंतर्गत पहले चरण में यह परियोजना रेबीज वैक्सीन के अध्ययन के तौर पर दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद और बंगलौर में लागू की जा रही है।

इस परियोजना पर लगभग 26 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे और इसे अन्य शहरों में भी लागू किया जायेगा। लेकिन यह मौजूदा समस्या राज्य सरकार की है और हम इस पर ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने राज्य सरकार से बार-बार संभारीय तंत्र के बारे में अग्रिम तौर पर बताने को कहा है, और हमारे यहां सरकारी क्षेत्र में भी इस तरह के वैक्सीन और सीरम का उत्पादन किया जा रहा है।

#श्री के. विरुपाक्षप्पा : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार एन्टी रेबीज वैक्सीन खरीदने के लिए कर्नाटक को और अधिक निधियां प्रदान करने का हैं यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि यह राज्य का विषय है। इस कार्य के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई निधि नहीं है। राज्य सरकारों के पास निधियां हैं, और उन्हें सहायता देने की जिम्मेदारी उनकी है। चूंकि केन्द्र की भी कुछ जिम्मेदारी है इसलिए भविष्य में हम इसे दुरुस्त करने और इसको केन्द्रीकृत करने

#मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

का प्रयास करेंगे। भविष्य में हम राज्य सरकारों के प्रयासों को भी समर्थन देने की कोशिशि करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक अनुपूरक प्रश्न पर्याप्त है और यह प्रश्न श्री रामदास आठवले पूछेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष जी, देश में काटने वाले कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ रही है। उनको दवा देकर खत्म करने की बात आप कर रहे हैं। लेकिन समाज में विषमता पैदा करने वाले और समाज को बांटने वाले जो कुत्ते हैं, ऐसे कुत्तों के लिए क्या आपके पास कोई दवा है? आपके पास दवा होनी चाहिए जिससे समाज में एकता पैदा हो, समाज में समानता पैदा हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किस प्रकार के कुत्ते? मंत्री महोदय, क्या आपके प्रश्न समझे पाये हैं?

डा. अंबुमणि रामदास : मुझे नहीं पता है कि वे किस प्रकार के कुत्तों की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह मनुष्य के रूप में उपस्थित कुत्तों की बात कर रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदास : यदि कुत्ता काट लेता है या और कोई जानवर जैसे बंदर काट लेता है तो ऐहतियात के तौर पर तीन उपाय अनिवार्यतः करने चाहिए। पहला घाव को बहते हुए पानी और साबुन से दस मिनट तक साफ करना चाहिए। दूसरे इस वायरस को एन्टीसेप्टिक या उल्कोहल निष्प्रभावी करते हैं इसलिए इस घाव को इनसे धोना चाहिए। तीसरे काटे हुए स्थान पर एन्टी रेबीज सीरम लगाना चाहिए। इससे वायरस नष्ट हो जाएंगे। संक्रमित ऊतकों के द्वारा टीका भी लगाया जाना चाहिए। ये उपाय पुराने समय से होते आ रहे हैं और देश में डाक्टर तथा प्रशिक्षित पेशेवर लोग इन उपायों से परिचित है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से लुटियन दिल्ली के लिए आपको बंदर द्वारा काट लेने के इलाज के लिए विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष जी, मुझे जवाब नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : बहुत मिल गया है, आप बैठ जाइये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 184, श्री सुखदेव पासवान, उपस्थित नहीं। हम क्या करेंगे? मैं माननीय नेताओं से यह सुझाव देने का अनुरोध करूंगा कि क्या किया जाना चाहिए। श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी।

[अनुवाद]

अपर्याप्त पत्तन सुविधाएं

\+
***184. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :**
श्री सुखदेव पासवान :

क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार की संभलाई हेतु देश में विद्यमान पत्तन सुविधाएं अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो मांग को पूर्णतः पूरा करने के लिए पत्तन सुविधाओं के सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) विवरण, सभा पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) महापत्तनों की क्षमता को बढ़ाए जाने के क्रम में, राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष, 2011-12 तक कार्यान्वयन के लिए 55,804 करोड़ रु. के अनुमानित निवेश से युक्त महापत्तनों में कुल 276 परियोजनाएं चुन ली गई हैं। उपर्युक्त में से, 34,505 करोड़ रु. का निवेश, गैर सरकारी क्षेत्र से और शेष सरकारी निधियों के माध्यम से किए जाने की आशा है। इन परियोजनाओं में, नए घाटों का निर्माण, मौजूदा घाटों का उन्नयन, बड़े आकार के जलयानों के आने के लिए पत्तन जलमार्गों को गहरा किए जाने, उपस्करों का उन्नयन और आधुनिकीकरण, रेल/सड़क से संपर्क तथा अन्य सहायक परियोजनाओं सहित पत्तनों में समग्र कार्य-कलाप शामिल है। यद्यपि सामान्य प्रयोक्ता अवसंरचना तैयार करने के लिए सरकारी निधियों का इस्तेमाल किया जाएगा, गैर सरकारी क्षेत्र से निवेश, विकास और घाटों/टर्मिनलों इत्यादि के विकास और संचालन जैसी वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं में किया जाना परिकल्पित है।

महापत्तनों के माध्यम से यातायात के प्रवाह को सुकर और सुसाध्य बनाने की दृष्टि से, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, महापत्तनों की कुल क्षमता, वर्ष, 2011-12 तक बढ़ रहे यातायात को संभालने के लिए 1001.8 एम टी पी ए तक बढ़ाए जाने की योजना है। गैर महापत्तन, संबंधित राज्य-सरकारों के नियंत्रण के अधीन होते हैं और उन्हें विकसित किए जाने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य-सरकार का होता है। राज्य-सरकारों ने भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाए जाने की योजनाएं बनाई हैं।

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : प्रति बैरल लगभग 100 डालर के हिसाब से तेल के मूल्य में हो रही वृद्धि के मद्देनजर नौवहन का महत्व बढ़ा है और यह देश के विकास में एक प्रमुख भूमिका का निर्वाह करने जा रहा है। माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में यह बताया गया है कि देश में पत्तन सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। अतः यह सही समय है कि माननीय मंत्री को देश में और सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस मुद्दे को युद्ध स्तर पर उठाना चाहिए।

इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सरकारी निजी भागीदारी के अधीन कितने पत्तनों का निर्माण पूरा हो चुका है और कितने निर्माणाधीन हैं विशेषकर नेल्लौर जिले के कृष्णपट्नम पत्तन की स्थिति क्या है और इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है।

श्री टी.आर. बालू : जब मैंने मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया तो मुझे इस पर आश्चर्य हुआ कि 'समुद्रीय कार्यों से संबंधित कोई नीति हमारे पास नहीं थी। पत्तनों की व्यापारिक गतिविधियों के लिए कोई व्यापक विकास योजना नहीं थी। अब, माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन में हमने विकास कार्यक्रम बनाए हैं। हमने ऐसी 276 परियोजनाओं की पहचान की है जो सात वर्षों में पूरी की जाएंगी। हमने उस नीति की भी पहचान की है जो अंतर-सरकारी स्तर पर विचाराधीन है। शीघ्र ही भारत के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी मंजूरी दी जाएगी केवल पत्तन क्षेत्र में ही पहचान की गई 276 परियोजनाओं में 55000 करोड़ रुपये तक का निवेश होने का आकलन है; 26 परियोजनाएं पहले ही पूरी कर ली गई हैं; 63 परियोजनाएं प्रगति पर हैं; 18 परियोजनाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी गई थी; 41 परियोजनाएं अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं, और 19 परियोजनाएं आयोजना के चरण

में हैं। जहां तक कृष्णापटनम पत्तन का संबंध है, मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है, केन्द्र सरकार के नहीं।

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : महोदय, मेरे राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित ऐतिहासिक मछलीपट्टनम पत्तन के बारे में कहा जाता है कि यह हजारो वर्षों से माल के आयात का प्रवेश द्वारा था और अब इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से इस पत्तन की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस पत्तन के नाम की सिफारिश की है। मछलीपट्टनम पत्तन के साथ-साथ कुछ और पत्तनों की भी सिफारिश की गई है। मैं मंत्री महोदय से इन पत्तनों की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री टी.आर. बालू : यदि राज्य सरकार द्वारा छोटे पत्तनों के विकास प्रस्ताव अनिवार्यत: किया जाएगा, तो हम निश्चित रूप से उन छोटे-छोटे पत्तनों के विकास पर विचार करेंगे और उन्हें यथाअपेक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। प्रत्येक तटवर्ती राज्य में हम एक छोटे पत्तन को विकसित करेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब : प्रमुख पत्तनों की क्षमता में वृद्धि किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। चूंकि औद्योगिक और वाणिज्यिक क्रियाकलाप में काफी वृद्धि हुई है, इसलिए देश के प्रमुख पत्तनों को विकसित करना एवं उनकी क्षमता में वृद्धि किया नितांत आवश्यक हो गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम निजी क्षेत्र के माध्यम से 34,505 करोड़ रुपये और सरकारी निधि से 20,299 करोड़ रुपये के निवेश से देश के प्रमुख पत्तनों की कुल क्षमता बढ़ाकर 1001.8 एमटीपीए करने के बाद वर्ष 2011-12 के दौरान अपनी आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में होंगे या उससे काफी पीछे रह जायेंगे? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ओशन लाइनर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए कहा गहरे समुद्र क्षेत्र में पत्तन विकसित करने पर विचार कर रही है।

श्री टी.आर. बालू : जहां तक पत्तनों को सवाल है, हमारे पास पर्याप्त क्षमता नहीं है। हमारे 12 प्रमुख पत्तनों की उपलब्ध क्षमता 505 मिलियन मीट्रिक टन है और 464 मिलियन मीट्रिक क्षमता का है अर्थात हम 92 प्रतिशत क्षमता का उपयोग कर रहे है, फिर भी यह पर्याप्त नही है। जहां तक छोटे पत्तनों का सवाल है, इनकी संख्या 200 और इनकी क्षमता 230 मिलियन मीट्रिक टन है उसमें से 185 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता का ही उपयोग किया जा रहा है जो कि मोटे तौर पर 82 प्रतिशत है। यद्यपि पूर्ण पत्तन क्षमता बनाए रखने के लिए हमारे पास कम से कम 30 प्रतिशत कवर होना चाहिए। यदि कवर होता है, तो हम किसी पत्तन विशेष में मांग के समय इसका उपयोग कर सकते है। जहां तक उनके 2011-12 तक पूरा किए जाने का प्रश्न है, हमने एक ऐसे कार्यक्रम की परिकल्पना की है जिससे हमारे पत्तनों की क्षमता 1500 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगी। इस 1500 मिलियन मीट्रिक टन में से प्रमुख पत्तनों की क्षमता बढ़कर 1000 मिलियन मीट्रिक टन और छोटे पत्तनों की क्षमता बढ़कर 500 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगी।

श्री पी. राजेन्द्रन : महोदय, क्या भारत सरकार समय के तकाजे को देखते हुए सामान्य तौर पर पूरे देश में और विशेष रूप से केरल राज्य में छोटे और मध्यम श्रेणी के पत्तनों को विकसित करने के लिए कोई सहायता प्रदान करेगी? मंत्री महोदय ने केवल प्रमुख पत्तनों की बात की है। छोटे और मध्यम श्रेणी के पत्तनों के बारे में सरकार का क्या विचार है?

अध्यक्ष महोदय : छोटे पत्तन राज्य का मामला है।

श्री पी. राजेन्द्रन : क्या छोटे और मध्यम श्रेणी के पत्तनों के विकास के लिए सहायता प्रदान करने की भारत सरकार की कोई योजना है?

श्री टी.आर. बालू : यदि राज्य सरकार इस संबंध में कोई विशेष प्रस्ताव भेजती है, तो हमारे पास छोटे पत्तनों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम है, जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने सलाह दी है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से हुगली तक जलयान चलाने का कार्य भारत सरकार ने आज से चार-पांच साल पहले शुरू किया था और इस प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा था लेकिन बहुत धीरे काम चल रहा है। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि कब तक इलाहाबाद से हुगली तक जलयान का काम प्रारंभ हो जाएगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पोर्ट के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : यह भी पोर्ट ही है।

अध्यक्ष महोदय : इलाहाबाद नहीं, हुगली है।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : विशेष जलमार्ग की ओर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि, यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। मैं माननीय सदस्य को इस संबंध में सूचना भिजवा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें सूचना भेज दीजिए। बहुत अच्छा धन्यवाद।

नए राष्ट्रीय राजमार्ग

***185. श्री विजय बहुगुणा :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार सड़कों के कुछ नए खंडों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चिन्हित किए गए नए खंडों के उन्नयन हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) इस समय, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 66,590 किमी. है। विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भारी धनराशि की आवश्यकता है। संसाधनों की कमी के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषिणा को निम्न प्राथमिकता दी गई है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (चरण-II) के पूर्व-पश्चिम महामार्ग को पूरा करने के लिए और केरल में वल्लारपदम में नए अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांशिपमेंट टर्मिनल (आईसीटीटी) के लिए सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए संघ सरकार ने निम्नलिखित दो खंडों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है;

(1) पश्चिम बंगाल राज्य में सिलीगुड़ी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से प्रारंभ होकर फुलबारी, मैनागुड़ी, धुपगुड़ी, फलकाता और सोनापुर होते हुए सलसाबाड़ी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 31सी को जोड़ने वाला राजमार्ग जिसकी लंबाई 110.00 किमी. है।

(2) केरल राज्य में कलमासेरी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 47 से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 17 को क्रास करते हुए वल्लारपदम में समाप्त होने वाला राजमार्ग जिसकी लंबाई 17.2 किमी. है।

(ग) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (चरण-II) के पूर्व-पश्चिम महामार्ग में अभिनिर्धारित रूट पुनर्संरेखित रूट है। पुनर्संरेखित रूट को चार लेन का बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य चल रहा है। 8 से 10 करोड़ रु. प्रति किमी. की औसत लागत के आधार पर चार लेन बनाने की लागत 1000 करोड़ रु. होने की संभावना है।

केरल में वल्लारपदम में नए आईसीटी के लिए सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए खंड के निर्माण को परियोजना लागत 557 करोड़ रु. आंकी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाला बनाया जाना

\+

***191. श्री संतोष गंगवार :**
श्री महावीर भगोरा :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाले बनाए गए/बनाए जाने वाले खंडों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित/जारी तथा खर्च की गई?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) 4 लेन में परिवर्तित/परिवर्तित किए जाने के लिए संभावित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के राज्यवार ब्यौरे और इनमें से प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य की वर्तमान स्थिति क्रमशः अनुबंध-I और II में दी गई है।

(ग) धनराशि का आबंटन कार्यवार नहीं बल्कि राज्यवार किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपे गए 4 लेन बनाने के कार्य सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्यवार आबंटन अनुबंध-III में दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए धनराशि का आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता।

अनुबंध-I

31.10.2007 के अनुसार स्थिति

क्र. स.	राज्य का नाम	चार लेन में परिवर्तित (किमी.)	4 लेन में परिवर्तित किए जाने के लिए संभावित (किमी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1209.39	1288.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	22.00
3.	असम	36.50	1328.80
4.	बिहार	240.04	1591.88
5.	छत्तीसगढ़	36.40	178.69
6.	दिल्ली	51.10	20.00
7.	गोवा	20.00	208.00
8.	गुजरात	1391.01	667.10
9.	हरियाणा	298.00	351.85
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	117.69
11.	जम्मू और कश्मीर	17.90	482.57
12.	झारखण्ड	184.69	272.06
13.	कर्नाटक	556.45	801.03
14.	केरल	53.60	789.00
15.	मध्य प्रदेश	182.00	1465.83
16.	महाराष्ट्र	829.60	858.26
17.	मणिपुर	13.00	116.50
18.	मेघालय	0.00	198.00
19.	मिजोरम	0.00	95.00
20.	नागालैण्ड	0.00	28.00
21.	उड़ीसा	383.84	694.41
22.	पांडिचेरी	3.57	0.00
23.	पंजाब	280.76	379.02
24.	राजस्थान	1007.48	1328.15
25.	तमिलनाडु	576.27	2617.16
26.	त्रिपुरा	0.00	195.00
27.	उत्तर प्रदेश	949.21	1773.81
28.	उत्तरांखड	7.24	130.63
29.	पश्चिम बंगाल	443.50	832.25
	जोड़	8699.55	18830.89

अनुबंध-II

31.10.2007 के अनुसार स्थिति

क्र. स.	राज्य का नाम	रारासं.	चार लेन में परिवर्तित (किमी.)	4 लेन में परिवर्तित किए जाने के लिए संभावित (किमी.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश			
		5	1015.76	0.00

1	2	3	4	5
		7	46.63	724.30
		9	117.00	272.00
		18	0.00	198.80
		202	30.0	36.60
		205	0.00	56.50
	उप-जोड़		1209.39	1288.20
2.	अरुणाचल प्रदेश			
		52ए	0.00	22.00
	उप-जोड़		0.00	22.00
3.	असम			
		31	0.00	164.80
		31सी	0.00	93.00
		36	0.00	154.50
		37	36.50	124.00
		44	0.00	116.00
		52	0.00	314.00
		52ए	0.00	9.00
		54	0.00	353.50
	उप-जोड़		36.50	1328.80
4.	बिहार			
		2	198.74	7.26
		19 व 77	13.00	60.00
		28	0.00	184.52

1	2	3	4	5
		28ए	0.00	67.00
		30	0.00	53.00
		31	18.30	279.85
		57	10.00	482.00
		57ए	0.00	13.00
		77	0.00	89.00
		80	0.00	70.00
		84	0.00	130.00
		85,19	0.00	153.00
		98	0.00	3.25
	उप-जोड़		240.04	1591.88
5.	छत्तीसगढ़			
		6	31.40	127.69
		43	3.00	23.00
		200	2.00	28.00
	उप-जोड़		36.40	178.69
6.	दिल्ली			
		2	12.00	0.00
		8	13.00	0.00
		10	17.70	20.00
		24	8.40	0.00
	उप-जोड़		51.10	20.00

1	2	3	4	5
7.	गोवा			
		4ए	0.00	69.00
		17	7.00	139.00
		17बी	13.00	0.00
	उप-जोड़		20.00	208.00
8.	गुजरात			
		6	0.00	113.00
		8	435.20	0.00
		8ए	300.69	91.40
		8बी	180.50	33.50
		8सी	44.42	0.00
		8डी	0.00	127.00
		8ई	0.00	6.80
		14	104.20	47.90
		15	97.00	9.20
		15, 8ए	62.00	28.30
		59	0.00	210.00
		एनई-I	93.40	0.00
		113	1.60	0.00
	उप-जोड़		1319.01	667.10
9.	हरियाणा			
		1	116.00	10.00

1	2	3	4	5
		2	74.00	0.00
		8	78.00	0.00
		10	2.00	143.49
		21, 22	0.00	6.00
		22	2.00	20.00
		64	0.00	0.48
		65	14.00	0.00
		71	3.00	98.88
		71ए	0.00	73.00
		71बी	4.00	0.00
		72	1.00	0.00
		73	4.00	0.00
	उप-जोड़		298.00	351.85
10.	हिमाचल प्रदेश			
		1ए	0.00	11.00
		22	0.00	106.69
	उप-जोड़		0.00	117.69
11.	जम्मू और कश्मीर			
		1I	17.90	482.57
	उप-जोड़		17.90	482.57
12.	झारखंड			
		2	184.69	7.06

1	2	3	4	5
		33	0.00	265.00
उप-जोड़			184.69	272.06
13. कर्नाटक				
		4	519.25	152.87
		4ए	0.00	84.00
		4 (एमकेबी)	2.20	1.60
		7	33.00	71.36
		13	0.00	194.00
		13, 17, 48	0.00	37.00
		17	0.00	89.00
		48	0.00	154.00
		63	2.00	4.40
		206	0.00	11.50
		209	0.00	1.30
उप-जोड़			556.45	801.03
14. केरल				
		17	0.00	451.00
		47	53.60	338.00
उप-जोड़			53.60	789.00
15. मध्य प्रदेश				
		3	109.00	166.80
		7	3.00	105.83

1	2	3	4	5
		12	21.00	297.00
		25	15.00	50.00
		25, 76	25.00	138.00
		26	0.00	275.70
		59	0.00	169.00
		69	0.00	13.00
		75	3.00	168.50
		75.3	0.00	42.00
		86 विस्तार	6.00	40.00
उप-जोड़			182.00	1465.83
16. महाराष्ट्र				
		3	147.80	190.00
		4	427.55	0.00
		4बी, 4	30.00	0.00
		6	32.30	263.06
		7	34.80	235.20
		8	121.40	0.00
		9	26.00	170.00
		50	7.25	0.00
		69	2.50	0.00
उप-जोड़			829.60	858.26
17. मणिपुर				
		39	2.00	116.50

1	2	3	4	5
		150	11.00	0.00
	उप-जोड़	189	13.00	116.50
18.	मेघालय			
		40	0.00	62.00
		44	0.00	136.00
	उप-जोड़		0.00	198.00
19.	मिजोरम			
		54	0.00	95.00
	उप-जोड़		0.00	95.00
20.	नागालैंड			
		39	0.00	28.00
	उप-जोड़		0.00	28.00
21.	उड़ीसा			
		5	277.35	113.05
		5ए	48.64	28.36
		6	0.84	88.00
		60	53.41	0.00
		200	0.00	137.00
		203	3.00	59.00
		215	0.60	269.00
	उप-जोड़		383.84	694.41

1	2	3	4	5
22.	पांडिचेरी			
		66	3.57	0.00
	उप-जोड़		3.57	0.00
23.	पंजाब			
		1	175.10	106.22
		1-ए	21.77	73.00
		10	5.56	0.00
		15	13.08	106.00
		21	0.00	72.90
		21, 22	15.00	15.00
		22	5.77	2.00
		64	14.56	3.90
		64ए	5.37	0.00
		70	1.62	0.00
		95	22.93	0.00
	उप-जोड़		280.76	379.02
24.	राजस्थान			
		3	20.00	9.00
		8	319.10	82.00
		11	78.80	225.25
		11ए	2.50	0.00
		12	26.70	328.00

1	2	3	4	5
		14	0.00	288.00
		15	18.00	0.00
		65	11.10	0.00
		76	225.68	322.90
		76, 14	0.00	43.00
		79	171.87	0.00
		79, 76	0.00	30.00
		79ए	36.23	0.00
		89	4.00	0.00
		112	35.00	0.00
		114	5.00	0.00
		11सी	53.50	0.00
उप-जोड़			1007.48	1328.15
25. तमिलनाडु				
		4	92.60	0.00
		5	41.80	0.00
		7	179.67	447.28
		7 I	0.00	47.20
		45	93.00	292.27
		45, 4 व 45	15.20	16.80
		45 विस्तार	0.00	73.00

1	2	3	4	5
		45बी	9.00	244.00
		46	145.00	0.00
		47	0.00	254.04
		47बी	0.00	0.00
		49	0.00	186.00
		66	0.00	208.61
		67	0.00	369.10
		68	0.00	136.36
		205	0.00	81.50
		205, 4 व 45	0.00	4.00
		207	0.00	0.00
		208	0.00	0.00
		210	0.00	200.00
		219	0.00	0.00
		220	0.00	57.00
उप-जोड़			576.27	2617.16
त्रिपुरा				
		44	0.00	195.00
उप-जोड़			0.00	195.00
26. उत्तर प्रदेश				
		2	701.54	52.95

1	2	3	4	5
		2, 3	0.00	32.80
		2, 25	0.00	92.80
		3	23.00	0.00
		11	0.00	24.75
		24	61.76	412.25
		24-ए	10.79	0.00
		25	53.12	313.60
		25, 26	0.00	49.70
		25, 76	0.00	20.00
		26	0.00	87.30
		27	6.00	0.00
		28	0.40	438.11
		29	0.31	1.00
		56	1.35	0.00
		56 ए व बी	10.00	12.85
		58	34.60	79.0
		58, 72	0.00	21.00
		73	8.40	0.00
		75	0.00	11.50
		75-ई	3.00	0.00
		86	3.05	4.00
		91	29.89	120.20

1	2	3	4	5
		93	1.00	0.00
		119	1.00	0.00
	उप-जोड़		949.21	1773.81
27.	उत्तराखंड			
		58.72	0.00	56.00
		72	3.24	71.33
		72-ए	0.00	3.30
		74	2.00	0.00
		87	2.00	0.00
	उप-जोड़		7.24	130.63
28.	पश्चिम बंगाल			
		2	215.46	0.00
		6	115.33	1.25
		31	46.85	51.00
		31 ब 31सी	0.00	201.00
		31सी	0.00	32.00
		34	0.00	434.00
		35	0.00	60.00
		41	0.00	53.00
		60	65.86	0.00
	उप-जोड़		443.50	832.25
	जोड़		8699.55	18830.89

अनुबंध-III

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि का आबंटन और व्यय

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2004-05		2005-06		2006-07	
		आबंटन (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)	आबंटन (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)	आबंटन (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	90.00	89.86	70.00	69.65	58.41	58.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	5.91	6.00	6.00	8.30	8.00
3.	असम	78.00	78.00	58.00	58.00	77.25	76.94
4.	बिहार	66.07	47.11	65.00	64.92	97.20	97.20
5.	चंडीगढ़	1.00	1.00	1.00	0.89	1.00	0.97
6.	छत्तीसगढ़	35.00	34.89	49.85	49.34	37.00	36.75
7.	दिल्ली	4.00	3.95	1.00	0.51	3.00	1.50
8.	गोवा	5.00	5.00	6.00	6.00	2.95	2.64
9.	गुजरात	60.00	53.64	94.50	94.50	60.00	60.00
10.	हरियाणा	46.00	37.87	57.42	57.42	64.00	64.00
11.	हिमाचल प्रदेश	45.00	40.48	39.00	39.00	39.50	39.44
12.	जम्मू और कश्मीर	0.22	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	झारखंड	35.00	14.04	40.00	39.97	34.86	34.86
14.	कर्नाटक	76.91	76.90	84.00	84.00	85.00	84.90
15.	केरल	60.00	58.38	65.00	65.99	55.00	54.96
16.	मध्य प्रदेश	83.00	82.86	74.07	73.61	84.09	82.93
17.	महाराष्ट्र	70.00	65.64	112.00	111.93	148.75	148.75
18.	मणिपुर	14.00	13.78	20.00	20.00	14.65	14.65

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	मेघालय	28.00	28.26	24.00	24.18	24.50	20.00
20.	मिजोरम	25.00	24.91	15.75	15.75	15.53	13.50
21.	नागालैण्ड	16.00	16.00	11.25	11.25	11.82	9.00
22.	उड़ीसा	72.75	72.33	66.00	65.77	72.00	71.99
23.	पांडिचेरी	2.13	2.13	2.65	2.64	5.00	5.00
24.	पंजाब	53.00	50.72	62.50	62.50	72.00	72.00
25.	राजस्थान	60.00	46.45	83.00	83.00	75.00	74.29
26.	तमिलनाडु	85.00	65.31	86.00	81.80	82.00	80.95
27.	उत्तराखंड	27.00	26.48	40.00	40.00	52.75	52.43
28.	उत्तर प्रदेश	172.00	171.99	186.00	185.97	91.40	91.33
29.	पश्चिम बंगाल	70.00	71.90	56.00	55.75	47.00	46.56
30.	एनएचएआई*	3848.00	6301.00	7019.74	6305.56	8662.15	8917.22
	जोड़	5234.08	7587.00	8495.73	7775.90	10082.11	10321.16

* भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 191 और यह प्रश्न एक ही है। मेरा मानना है कि दोनो प्रश्नों पर एक साथ चर्चा की जा सकती है।

श्री विजय बहुगुणा : अध्यक्ष महोदय, सामान्यत: हिमालय क्षेत्र में स्थित राज्यों, विशेषत: उत्तराखंड राज्य में पर्यटन, पुष्पकृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में विपुल संभावनाएं हैं। मैं इस संबंध में मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को जोड़ने वाले किसी हिमालय राजमार्ग का निर्माण कराए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री के.एच. मुनियप्पा : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के पास 66,590 किलोमीटर लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग है।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले से ही उत्तर में उल्लिखित है।

श्री के.एच. मुनियप्पा : वर्ष 2015 तक 2,40,000 करोड़ रुपये के निवेश से 50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की हमारी योजना है। जब तक घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों पर काम पूरा नही हो जाता है तब तक किसी नई राजमार्ग परियोजना शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल ठीक है।

श्री विजय बहुगुणा : महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि संसाधनों की कमी की वजह से राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में घोषणा को कम प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी स्थिति में, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे मौजूदा राजमार्गों की देख-रेख एवे उनके चौड़ीकरण के लिए पहाड़ी राज्यों को दिए जा रहे आवंटन की राशि में वृद्धि करने पर विचार कर रहे हैं।

श्री के.एच. मुनियप्पा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि जहां भी आवश्यक होगा, पर्वतीय राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारे पास प्राथमिकता के आधार पर पहाड़ी सड़क बनाए जाने की योजना पहले से ही है। हमारे पास पहाड़ी क्षेत्रों मे विद्यमान राजमार्गों को पूरा करने के बाद ही नए राजमार्ग के निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है। हम पहाड़ी सड़कों के लिए सहायता प्रदान करेंगे।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार : जैसा अभी प्रश्न 185 के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भारी धनराशि की आवश्यकता है। इसके साथ ही लिखा है कि चार लेन का मार्ग बनाने के लिए कम से कम आठ से दस करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर औसत लागत खर्च आता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो धन व्यय किया गया है, अगर हम देखें तो सरकार ने 2004-05 में 5234 करोड़ रुपया खर्च किया था।

इसी तरह 2006-2007 में सरकार द्वारा 1082 करोड़ रुपये खर्च किए गए, यानी सरकार ने तीन वर्षों में करीब-करीब दोगुना धन खर्च कर दिया, परंतु दुर्भाग्य यह है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2004 और 2005 में जहां 172 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, वहीं 2006-2007 में आकार वे 91 करोड़ रुपये रह गये। उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है और आपने प्रस्तावित किया है कि 1772 किलोमीटर मार्ग को फोर लेनिंग किया जाना है। मेरा आग्रह है कि अगर इसी रफ्तार से सरकार चलती रही, जैसा माननीय राज्य मंत्री जी ने जवाब दिया था कि इसके लिए एक लाख करोड़ रुपये की और आवश्यकता होगी, उत्तर प्रदेश में कई राष्ट्रीय राजमार्ग और चार लेन मुख्य मार्ग घोषित करने के लिए तथा खास तौर पर दिल्ली और लखनऊ को कम्पलीट चार लेन करने का प्रस्ताव आपके यहां करीब दस वर्षों से लंबित है। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि जो लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन करने का प्रस्ताव 1997-1998 से लम्बित है, इसी मार्ग पर तीन-चार स्थानों पर उपरिगामी सेतु के निर्माण की भी आवश्यकता है, जिनके बारे में पूर्व में कई बार कहा गया है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए कोई समय सीमा तय की जा सकती है और उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश होने के नाते क्या उसके लिए अधिक धनराशि का आबंटन किया जा सकता है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम संक्षेप में और सीधा प्रश्न पूछें।

श्री टी.आर. बालू : जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाए जाने का संबंध है, इसके लिए सात कार्यक्रम शुरू किए गये हैं— स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसके बारे में मेरे साथी पहले से अवगत है; राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम; इस्ट-वेस्ट कॉरीडोर, 12,109 किलोमीटर सड़कों को चार लेनोवाला बनाया जाना; 6500 किलोमीटर सड़कों को छः लेनेवाला बनाया जाना; 1000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे; द ग्रेड सेपरेटर, आर ओ बी एवं ऐसी ही अन्य कई परियोजनाएं शुरू की गई है। जहां तक लखनऊ-दिल्ली सड़क मार्ग का संबंध है, इस पर मंत्रालय द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम इसे समय पर निश्चित रूप से पूरा कर लेंगें।

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो तीन वर्षों के आंकड़े दिये हैं, उनके अनुसार 2004-2005 में कुल आबंटन 5234 करोड़ रुपये का था, लेकिन उन्होंने खर्चा 7587 करोड़ बताया है। मैं जानना चाहता हूं कि वह शेष 2352 करोड़ रुपये कहां से लाये? जब इस राशि का आबंटन ही नहीं था, तो उन्होंने इसे कैसे खर्च कर दिया? यह समझने की बात है, आंकड़े बता रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब आपके पास धन ही नहीं था तो आपने उसे कैसे खर्च कर दिया। वह यही पूछ रहे हैं।

श्री टी.आर. बालू : सरकार कुछ निर्माणाधीन परियोजनाओं को बीच में नहीं रोक सकती हैं, उसे परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन खर्च करना ही पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : यहां से लेकर वहां पर।

श्री कीरेन रिजीजू जी, क्या आप उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं कल जो कुछ हुआ था?

श्री कीरेन रिजीजू : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री कीरेन रिजीजू : महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री महोदय को पूर्वोत्तर के लिए एसएआरडीपी शुरू करने के लिए बधाई देता हूं।

यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है परंतु हमें अपने उत्साह को बनाए रखने की आवश्यकता है। परंतु मेरा प्रश्न यह है कि उन्होंने अपना उत्तर इस नकारात्मक टिप्पण के साथ शुरू किया कि संसाधनों की कमी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को कम प्राथमिकता दी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पहले ही कहा था कि आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए संसाधनों की समस्या नहीं होगी। परंतु माननीय प्रधानमंत्री महोदय की नीति और मंत्री महोदय के वक्तव्य में विरोधाभास है।

आपने श्री बहुगुणा जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री कीरेन रिजीजू : क्या आप किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं करेंगे? हिमालय क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के बारे में आपका क्या विचार है। क्या हिमालय क्षेत्र के लिए आपके पास कोई विशिष्ट कार्यक्रम है या कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार हैं?

श्री टी.आर. बालू : पूर्वोत्तर क्षेत्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय और भारत सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हम पूर्वोत्तर क्षेत्र को निश्चय ही एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तौर पर देख रहे हैं। जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का संबंध है, मैंने कभी नहीं कहा कि उसके लिए धन की कमी है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ऐसा नहीं है। प्राथमिकताएं हैं। उस विशेष प्राथमिकता में, पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्रथम वरीयता दी गई हैं

यूपीए सरकार द्वारा 8,700 कि.मी. से अधिक लंबी सड़कों का उन्नयन हेतु चयन चिन्हित किया गया है। कुछ स्थानों में, दो-लेनवाली सड़कें होंगी; जहां कहीं भी पीसीयू या कुल चलने वाले वाहनों की संख्या कम है, वहां हम निश्चितरूप से दो-लेन वाली सड़के बनाएंगें। जहां वाहनों कार या ट्रक इत्यादि की संख्या 15,000 से अधिक हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र में चल रहे हैं वहां हम निश्चितरूप से चार लेनवाली सड़कें बनाएंगें।

जहां तक यूपीए सरकार का संबंध है, पूर्वोत्तर क्षेत्र पर बहुत ध्यान दिया गया है। चाहे जो कोई भी कार्यक्रम हो, वह यूपीए सरकार और केवल डा. मनमोहन सिंह द्वारा ही शुरू किया जाएगा, किसी और द्वारा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोनोवाल जी, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक युवा सदस्य हैं।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : महोदय, आपके माध्यम से, मैं मंत्री महोदय से डिब्रूगढ़ से जयरामपुर और स्टीलवेल सड़क तक प्रस्तावित चार लेनवाली सड़क के निर्माण के संबंध में जानना चाहता हूं। इस संबंध में, अब तक क्या प्रगति हुई है? मैं उनसे विशेषरूप से इस बारे में जानना चाहता हूं।

श्री टी.आर. बालू : स्टीलवेल सड़क शेष भारत को जोड़ने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क है। इस पर प्रगति हो रही है; इसे निश्चितरूप से समय पर पूरा कर लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री खगेन दास जी, यह भी पूर्वोत्तर से ही सदस्य हैं।

श्री खगेन दास : महोदय, मंत्री महोदय इससे अवगत हैं। त्रिपुरा शेष भारत से केवल एक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44 द्वारा जुड़ा हुआ है। बरसात के मौसम में, यह सड़क पानी से भर जाती हैं; भूस्खलन से यह सड़क बंद हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप यातायात कई महीनों तक ठप रहता है। परिणामस्वरूप, खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पूरी तरह बंद हो जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में किसी भी सड़क के खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। त्रिपुरा के लोग गई वर्षों से असम में कुकीताल से त्रिपुरा में सुबरूम तक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या सरकार सड़क के इस खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बारे में विचार करेगी?

श्री टी.आर. बालू : राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने मात्र से ही किसी सड़क के विशेष खंड का विकास नहीं हो सकता है। जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का संबंध है, एक विशेष कार्यक्रम की शुरूआत पहले ही हो चुकी है और 9,000 कि.मी. से भी अधिक और इस सड़क का यह खंड इस कार्यक्रम का हिस्सा है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री खगेन दास : महोदय, मैंने विशेष रूप से एक प्रश्न पूछा था कि क्या वह इस सड़क के उस खंड को राष्ट्रीग राजमार्ग घोषित करने के बारे में विचार करेंगें। मंत्री महोदय यह अच्छी तरह से जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, उन्होंने त्रिपुरा के बारे में पूछा था।

श्री टी.आर. बालू : राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सड़क के उस विशेष खंड में पहले तटबंध सही ढंग से नहीं बनाया गया था। नए

निर्माण में, हमने उपयुक्त तटबंध बनाए हैं ताकि बरसात के मौसम में यह ढहे नहीं। इसके अतिरिक्त, अब-भूमि की पहचान की जाएगी और इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि अब - भूमि क्षेत्रों में किस प्रकार के आंकड़े हैं तथा बोरहोल और अन्य बातों का ब्यौरा क्या है।

उचित प्रकार की अभियान्त्रिकी द्वारा किसी भी खास सड़क का निर्माण बिना किसी और नुकसान के किया जाएगा। परंतु किसी विशेष खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना ही इस मुद्दे का एकमात्र समाधान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि तमिलनाडु के सदस्यों का भी अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका मिलना चाहिए। श्री कृष्णास्वामी।

श्री ए. कृष्णास्वामी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दिल्ली - हैदराबाद-बैंगलोर-कन्याकुमारी को जोड़नेवाली सड़क के निर्माण के प्रस्ताव के बारे में जानना चाहता हूं। यह बताया गया था कि इन्हें चार लेनवाली सड़क और छह लेनवाली सड़क के रूप में बनाया जाएगा। क्या माननीय मंत्री जी दक्षिण में दो प्रमुख महानगरों को जोड़नेवाली इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा देंगें।

अध्यक्ष महोदय : अभी कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।

श्री टी.आर. बालू : क्या यह दिल्ली-हैदराबाद सड़क के बारे में है?

श्री ए. कृष्णास्वामी : दिल्ली-हैदराबाद-बैंगलोर-कन्याकुमारी।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, यह राष्ट्रीय राजमार्ग सं.7 पर कॉरिडोर सड़क है। यह विशेष सड़क अब लगभग पूरी होने वाली है। इसे एक वर्ष के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य कुछ और प्रतीक्षा करें।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष की सुरक्षा के लिए बिहार पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन मामलों पर पूर्ण चर्चा करायी जा सकती है बशर्तें कि माननीय सदस्य थोड़े से गंभीर हो। सदस्यों की चिंता पर अध्यक्षपीठ द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि पुराने एन.एच. के रख-रखाव और निर्माण के लिए केन्द्र सरकार निधि देने में राज्यों के साथ भेदभाव बरतती है, यह सवाल मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, नये एन. एच. का है, इसलिए हम उसी से संबंधित सवाल पूछना चाहते हैं कि जो नया एन.एच. सरकार निर्माण हेतु लेती है, उसे लेने का क्या मापदंड होता है — क्या राज्य सरकार की अनुशंसा होती है या जो सर्वेक्षण आप कराते हैं या किसी सिफारिश पर करते हैं या सड़कों के महत्व को देखकर करते हैं? अगर आप सड़कों के महत्व को देखकर करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो गुवाहाटी से गोरखपुर एन.एच. वाला गोपालगंज जाता है और जो छपरा से हाजीपुर से गाजीपुर एन.एच. है, उसके बीच जोड़ने वाली जो लिंक सड़क है, जो लिंक एन.एच. के नाम से जानी जाती है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के उत्तर के लिए समय नहीं बचेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, अभी तो उसका नाम रखना बाकी है। लिंक एन.एच., जो मोहम्मदपुर से छपरा बाया मसरख और गौरा, जिसकी लंबाई मात्र 60 कि.मी. होगी और जिससे एन.एच. की दूरी बहुत कम हो जाएगी, यह दो राज्यों को जोड़ती है, क्या इसे आप एन.एच. लिंक में शामिल करना चाहेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न छोटा और विशिष्ट होना चाहिए।

श्री टी.आर. बालू : फरवरी 2004 में करीब 7457 कि.मी. लंबी सड़क की पहचान की गई है और उसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। यूपीए शासन के दौरान 1551 कि.मी. लंबी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। किसी सड़क के सुधार के लिए उसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना ही कोई समाधान हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि धान के खेत को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : या संभवतः अब राष्ट्रीय राजमार्ग धान के खेत बन गए हैं।

(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू : कोसी पुल के समीप उस विशेष सड़क को जोड़ना आसान नहीं था। लेकिन ये कार्य किए जा चुके हैं। जो चीजें सही नहीं थी उन्हें हम ठीक कर रहे हैं। मानदंड से संबंधित इस विशेष प्रश्न, जिसके बारे में मेरे मित्र ने पूछा है, मैं उन्हें इसकी जानकारी दे दूंगा। इस प्रयोजनार्थ लगभग 11 मापदंड निर्धारित किए है।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें दे दें। यह जानकारी दे दें।

[हिन्दी]

तपेदिक नियंत्रण

***186. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तपेदिक से संबंधित 'मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स' क्या है;

(ख) वर्ष 2006 में क्रियान्वित की गई—तपेदिक उन्मूलन संबंधी नई नीति' (न्यू स्टाप टी बी स्ट्रेटेजी) का प्रभाव क्या रहा;

(ग) रोगियों के आपूर्ति की जा रही तपेदिक रोधी औषधियों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए कौन सा तंत्र उपलब्ध है; और

(घ) उन मरीजों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने वर्ष 2006 में अपना पूर्ण उपचार नहीं कराया है तथा इस दिशा में क्या विशेष प्रयास किए गए हैं क्योंकि ये व्यक्ति बीमारी आगे फैला सकते हैं?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

क्षयरोग नियंत्रण संबंधी सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य का उद्देश्य वर्ष 2015 तक क्षयरोग को रोकना तथा इसकी घटना दर को कम करना है। सूचक इस प्रकार हैं—

— सूचक 23: वर्ष 1990 तथा वर्ष 2015 के बीच क्षयरोग की व्याप्तता दर तथा इसके कारण होने वाली मौतों को आधा करना।

— सूचक 24: 70 प्रतिशत नए संक्रमित रोगियों का पता लगाना तथा पता लगाए गए थूक में रोग के लक्षण पाए जाने वाले 85 प्रतिशत रोगियों का सफलतापूर्वक उपचार करना।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत क्षयरोग नियंत्रण कार्यनीति सामान्यतः 'डॉटस' के तौर पर जाना जाता है, सारे देश में कार्यान्वित की जा रही है। गुणवत्ता परक 'डॉटस' पर जोर देने के अलावा, वर्ष 2006 में प्रारम्भ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत 'न्यू स्टाप टी बी स्ट्रेटजी', औषध प्रतिरोधक क्षयरोग के समाधान, क्षयरोग-एचआईवी समन्वयकारी पहलुओं तथा अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर जोर देने पर बल देती है। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम पहले ही इन पहलुओं का समाधान कर रहा है। देश, पिछले कई वर्षों से उपचार प्रदान किए जा रहे थूक में रोग के लक्षण वाले नए रोगियों में से 85 प्रतिशत रोगियों का सफलतापूर्वक उपचार करने का लक्ष्य लगातार प्राप्त कर रहा है। इससे 70 प्रतिशत नए अनुमानित संक्रमित रोगियों का भी पता लगाया जा रहा है। यह अनुमान है कि क्षयरोग के कारण होने वाली मौते 5 प्रतिशत से भी कम हो गई है। मौतों की संख्या जो वर्ष 1990 में 5 लाख वार्षिक थी, वर्तमान में कम होकर 3,70,000 हो गई है। क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि क्षयरोग की व्याप्तता दर में 12 प्रतिशत की वार्षिक कमी आई है। इसलिए, क्षयरोग के कारण होने वाली मौतों तथा क्षयरोग के रोगियों में महत्वपूर्ण कमी आई है। जिससे पता चलता है कि कार्यक्रम के उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना है।

क्षयरोग रोधी औषधें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा निविदा तंत्र के जरिए खरीदी जाती हैं। भेजे जाने से पूर्व औषधियों के सभी बैचों का आपूर्तिकर्ता के परिसरों में निरीक्षण किया जाता है। केन्द्र तथा राज्य स्तरीय औषध निरीक्षकों द्वारा परीक्षण के लिए चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो से औचक नमूने चुने जाते हैं। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम ने नियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एक स्वतंत्र प्रयोगशाला से अनुबंध

किया है जिसके जरिए संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की औषधों की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र तथा राज्य स्तरीय निरीक्षक विशिष्ट शिकायतें मिलने पर भी औषध नमूने लेते हैं।

वर्ष 2006 में उपचार पर रखे गए 14 लाख रोगियों में से लगभग 6.5 प्रतिशत रोगियों ने उपचार बीच में ही छोड़ दिया। यद्यपि, कुछ प्रतिशत क्षयरोगियों के उपचार अधूरा छोड़ देने की सदैव संभावना रहती है तथापि, कार्यक्रम इस चुनौती को जानता है तथा इसे कम करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। सभी क्षयरोगियों का उपचार शुरू करने से पहले उनके पते की पुष्टि करने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। क्षयरोगियों और उनके परिवार के सदस्यों को उपचार तथा अनुवर्ती उपचार के सभी पहलुओं के बारे में परामर्श दिया जाता है। उपचार अधूरा छोड़े जाने में कमी लाने और अधूरा उपचार छोड़ने वालों के लिए पुनः उपचार प्राप्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों, स्व-सहायता समूहों, पंचायतों तथा अन्य सामुदायिक नेताओं को शामिल किया गया है। उपचार अधूरा छोड़ने के प्रमुख कारण- प्रवास के मुद्दे के समाधान के लिए पर्यवेक्षण तथा निगरानी के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ रेफरल तथा फीडबैक जैसी कार्यनीतियां जिला और राज्य स्तर पर कार्यान्वित की जा रही हैं। यह कार्यक्रम फ्लेक्सी टाइम डॉट प्रदान करके रोगी सुलभ डॉट सेवाएं देने तथा बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने बताया हे कि 3,70,000 लोग प्रतिवर्ष तपैदिक के कारण मरते हैं। विश्व भर में जितने लोग तपैदिक से मरते हैं, उसका एक काफी बड़ा भाग भारत में है। क्या यह सही है कि दवाईयों का असर कम हो रहा है जो दवाइयां हम दे रहें हैं, लोग लाइलाज होते जा रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या को कम करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, जैसा कि उत्तर में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न संगठनों द्वारा औषधियों की गुणवत्ता की बहुधा निगरानी की जाती है। इसलिए यह कहने में निश्चित रूप से अल्प मात्र भी सच्चाई नहीं है कि औषधियों की गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं है। संशोधित राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय के बेहतर ढंग से कार्य कर रहे कार्यक्रमों में से एक है। इसके लिए हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर बड़ी प्रशंसा हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत ने इस क्षेत्र में प्रेरणादायक सफलता प्राप्त की है और यह भी कहा है कि यह विश्व के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और इसका तेजी से विस्तार किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमें इस कार्यक्रम के लिए 2007 में 'काशन अवार्ड भी दिया है। वास्तव में इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश को शामिल किया गया है। ऐसे अनेक कार्य किए गये हैं। महोदय मैं कह सकता हूं, कि मृत्यु दर, जो 29 प्रतिशत थी। घटकर चार प्रतिशत हो गई है। वास्तव में, सफलता दर 25 प्रतिशत थी और अब यह बढ़कर 86 प्रतिशत हो गई है। अब 70-71 प्रतिशत बीमारियों का पता भी चलता है। वैश्विक स्तर पर यह 70 प्रतिशत है और हम 71 प्रतिशत तक पहुंचे गए हैं। इस प्रकार हमारी उपलब्धि अधिक है। इस कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है जिसे पूरे देश में चलाया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मैंने यह पूछा था, जिसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है कि क्या यह ठीक है कि बहुत से मरीज जिनका इलाज हो रहा है, वे लाइलाज हो रहे हैं, दवाइयां उन पर असर नहीं कर रही है और उनकी प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो रही है। उसके लिए क्या कोई नयी दवाइयां भारत में इजाजत हुई हैं या इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है और सरकार इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है?

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, माननीय सदस्य कहते हैं कि कुछ रोगियों का इलाज किया गया है लेकिन यह प्रभावी नहीं है। रोगियों में दो प्रकार प्रतिरोधक क्षमता होती है। पहली, प्राथमिक प्रतिरोधक क्षमता होती है, साधारणतः देश में इस औषधि का सेवन करने वाले तीन प्रतिशत लोगों में यह प्रतिरोधक क्षमता पायी जाती है। जिनमें मुख्य रूप से पहली बार शुरूआत में ही जाने वाली दवाई की प्रतिरोधक क्षमता होती है। कुछ रोगी जो औषधि लेना छोड़ देते हैं उनमें दूसरे प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता होती है। लगभग 12 से 16 प्रतिशत रोगियों में दूसरे प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता होती है। दूसरे प्रकार की प्रतिरोधक

क्षमता के मामले में दूसरी प्रकार की औषधियाँ दी जाती है, इसे बहु-औषधीय प्रतिरोधक चिकित्सा कहते हैं जिसके अंतर्गत एक रोगी के लिए हम लगभग 1.20 लाख रुपये व्यय कर रहे हैं, जबकि प्राथमिक मरीज जिसे पहली बार शुरूआत में औषधि की जरूरत होती है, उस मामले में हम प्रति माह 500 रुपये की दर से छह माह तक व्यय करते हैं और हमें उनका 24 माह तक इलाज करना पड़ता है। पहले चरण में हम इसे महाराष्ट्र और गुजरात में समाप्त कर रहे हैं। देश में लगभग 24 केन्द्र होंगें जहां क्षयरोग के लिए डाट्स प्लस जैसे बहु औषधीय प्रतिरोध चिकित्सा की सुविधा होगी। इस प्रकार हम माननीय सदस्यों की चिंताओं पर ध्यान दे रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

सरकारी कोयला कंपनियों का कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

***187. श्री टेक लाल महतो :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनन कार्यों के कारण देश में विभिन्न कोयला खनन क्षेत्रों में जल स्तर नीचे चला गया है जिससे इन क्षेत्रों में लोगों को पेयजल की आपूर्ति प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार की कोयला कंपनियों ने प्रभावित लोगों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए अपने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) खनन कार्य के दौरान कोयला खान के आसपास की वाटर टेबिल प्रभावित होती है किंतु यह मानसून अवधि के दौरान पुन: चार्ज हो जाती है तथा इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में पेय जल के स्त्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। जल स्तरों पर खनन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किए गए विभिन्न अध्ययनों से यह पता चला है कि भूमिगत खनन प्रचालन टॉप वाटर टेबिल को प्रभावित नहीं करते हैं जहां से सामान्यत: स्थानीय लोग पानी लेते हैं। अध्ययनों से यह भी साबित हुआ है कि भूमिगत जल स्तर पर ओपनकास्ट खनन का प्रभाव केवल एक अस्थायी घटना है।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय कोयला कंपनियों के सामुदायिक और परिधीय कार्यकलापों के तहत कोलफील्डों के स्थानीय लोगों के लिए पेयजल का प्रावधान प्रमुख कार्यकलापों में से एक है। यह हैंडपम्पों/टयूबवेलों की व्यवस्था करके तथा पाइपलाइनों/मोबाइल टैंकरों आदि के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, खानों से निकाले गए पानी का जलशोधन संयंत्रों में शोधन किया जा रहा है तथा जहां संभव है, वहां स्थानीय आबादी के उपयोग के लिए इसकी आपूर्ति की जा रही है।

उपर्युक्त के अलावा, ओवरबर्डेन डम्पों, कालोनियों, पुनवार्स के स्थलों तथा समीपवर्ती गांवों में बड़े पैमाने पर पौधरोपण के द्वारा ग्राउंड वाटर टेबिल को पुन: चार्ज करने का कार्य सुसाध्य किया जा रहा है। वर्षा के जल के संचयन के लिए जल धाराओं के किनारे चेकडैमों का निर्माण भी किया जा रहा है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

औद्योगिक अपशिष्टों का नदियों में छोड़ा जाना

***188. श्री के. सुब्बारायण :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा तथा यमुना नदियों में कितनी मात्रा में औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाते हैं; और

(ख) नदियों में अशोधित औद्योगिक अपशिष्टों का छोड़ा जाना रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा गंगा और यमुना नदी में अनुमानत: प्रतिदिन क्रमश: 365

मिलियन लीटर और 149 मिलियन लीटर औद्योगिक अपशिष्ट का निस्तारण किया जाता है।

(ख) नदियों में औद्योगिक प्रदूषण को बहाए जाने पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:—

(i) उद्योग विशिष्ट मानकों को अधिसूचित करना, औद्योगिक यूनिटों द्वारा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देना, स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाकर अपशिष्ट न्यूनीकरण को प्रोत्साहित करना, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के माध्यम से नियमित पर्यावरणीय मानीटरिंग और चौकसी करने के अलावा शोधित बहिस्राव का पुनः चक्रण और पुनः प्रयोग।

(ii) पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता वाली औद्योगिक परियोजनाओं के लिए प्रदूषण नियंत्रण, न्यूनीकरण और मानीटरिंग संबंधी शर्तों का विनिर्धारण।

(iii) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा नदियों में प्रदूषण बहाने वाले अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की पहचान करना और निर्धारित बहिस्राव निस्तारण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना। दोषी यूनिटों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(iv) लघु उद्योगों को अपने अपशिष्टों के शोधन हेतु नए सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने तथा मौजूदा बहिस्राव शोधन संयंत्रों को अपग्रेड करने के लिए वित्तीय सहायता द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें शुरू करना।

(v) प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियों के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक जिम्मेदारियों पर चार्टर को अपनाना और विभिन्न कार्यबलों के माध्यम से उसका कार्यान्वयन करना।

(vi) प्रभावी पर्यावरणीय विनियमन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संस्थानों की क्षमता का सुदृढ़ीकरण, प्रदूषण निवारण और संशोधित औद्योगिक अनुपालन के लिए उन्नत प्रवर्तन।

आयात करने से पूर्व टीकों की जांच

*189. चौ. मुनव्वर हसन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विदेशों से विभिन्न टीकों का आयात करने से पूर्व उनकी कोई जांच निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन का कोई मामला केन्द्र सरकार के ध्यान में आया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) वैक्सीनों के आयात का गुणवत्ता नियंत्रण औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत विनियमित किया जाता है। वैक्सीनों की विदेश में तथा अलग-अलग वैक्सीनों की विनिर्माणकारी सुविधाओं को उनके आयात से पूर्व उक्त नियमों के तहत पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है। विनिर्माता से ड्रग मास्टर फाइल में सूचना देने की अपेक्षा की जाती है जिसमें विनिर्माण का ब्यौरा और उसके द्वारा पालन की जाने वाली जांच प्रक्रियाएं निहित होती हैं जो यह सुनिश्चित करने हेतु पूर्वापेक्षा होती है कि अर्हताप्राप्त विनिर्माता से देश में वैक्सीन का आयात किए जाने की अनुमति है। आयातित वैक्सीन के प्रत्येक बैच के साथ विनिर्माता एवं देश के राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एवं अधिप्रमाणित बैच रिलीज प्रमाण पत्र होना अपेक्षित है। आयातित वैक्सीन को देश में विपणन हेतु जारी किए जाने से पूर्व इसके प्रत्येक बैच की जांच के प्रोटोकाल का राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला अर्थात् केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कसौली द्वारा परीक्षण किया जाता है। तथापि, जांच एवं विश्लेषण के प्रयोजन से कम परिमाण में वैक्सीनों का आयात पंजीकरण प्रणाली से मुक्त है।

इस निर्धारित मानदण्ड का उल्लंघन सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

गरीबी के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

*190. डा. एम. जगन्नाथ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में जुलाई, 2007 में गरीबी के संबंध में एक तीन दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सम्मेलन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस देश में गरीबी की सीमा का निर्धारण करने के लिए योजना आयोग द्वारा अपनाए जा रहे मानदण्ड/पद्धति पूर्णतया दोषपूर्ण हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त सम्मेलन के निर्णयों के मद्देनजर गरीबी की सीमा को निर्धारित करने के लिए मानदण्डों/पद्धति में परिवर्तन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (च) जी, हां। पटना में 20-20 जुलाई के दौरान मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली, ए.एन. सिन्हा, सामाजिक अध्ययन संस्थान और एशियन विकास संस्थान, पटना द्वारा संयुक्त रूप से 'गरीबी की समस्या का पुनरीक्षण: मापन, पहचान और उन्मूलन' के संबंध में तीन दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।

इस सम्मेलन में गरीबी के माप और गरीबों की पहचान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में परिचालित सर्वसम्मत वक्तव्य में योजना आयोग द्वारा अपनाए जा रहे गरीबी अनुमान की पद्धति और गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कराई गई बीपीएल जनगणना पर ध्यान दिया गया, तथा उनकी समीक्षा का सुझाव दिया गया।

योजना आयोग ने प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में गरीबी अनुमान की पद्धति की समीक्षा करने के लिए दिसम्बर 2005 में एक विशेषज्ञ दल गठित किया। दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

वायु तथा ध्वनि प्रदूषण

***192. श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वायु तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई जागरूकता अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा प्रत्येक राज्य में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वर्ष के दौरान विशेषकर दिल्ली में दीपावली के अवसर पर वायु में छोड़े गए सल्फर डाई-आक्साइड के कणों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में वायु तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस पी सी बी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पी सी सी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पी सी सी) वायु और ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में बैनरों, पोस्टरों, मोबाईल प्रदर्शनियों, प्रिंट मीडिया आदि के माध्यम से आवधिक रूप से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। संघ शासित प्रदेशों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड (सी पी सी बी) द्वारा उनके संबंधित क्षेत्रों में दीपावली 2007 के दौरान वायु और ध्वनि को मानीटर करने के लिए निवेदन किया गया था। इसके अतिरिक्त, सी पी सी बी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली, बंगलौर, भोपाल, बड़ोदरा तथा लखनऊ में वायु और ध्वनि प्रदूषण की मानीटरी का कार्य भी किया गया था।

(ग) और (घ) दीपावली 2007 के दौरान सल्फर डाई-ऑक्साइड (SO_2) का स्तर, दीपावली 2006 की तुलना में असमान है। परन्तु इसमें कुछ स्थानों में वृद्धि हुई और कुछ स्थानों में कमी देखी गई तथा दिल्ली में विविक्त कण-पदार्थों (एस पी एम) और श्वसनीय विविक्त कण-पदार्थों (आर एस पी एम) के स्तरों में सामान्य ट्रेन्ड में वृद्धि देखी गई। राष्ट्रीय वायु गुणता मानीटरी कार्यक्रम (एम ए एम पी) के अंतर्गत परिवेशी वायु गुणता के निर्धारण के लिए SO_2 एस पी एम और अन्य प्राचलों के साथ आर एस पी एम के साथ रखा जाता है। इस कार्यक्रम के तहत सल्फर डाई-आक्साइड के विविक्त कणों का प्रबोधन नहीं किया जाता है।

(ङ) वायु और ध्वनि प्रदूषण को उपशमित करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल है:

– विभिन्न स्रोतों से ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मानक अधिसूचित किए गए हैं।

– डीजल जेनरेटर (डी जी) सेटों के लिए ध्वनि और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

– परिवेशी वायु गुणता मानक अधिसूचित किए गए हैं।

– परिवेशी ध्वनि गुणता मानक अधिसूचित किए गए हैं।

– पटाखों के लिए ध्वनि मानक अधिसूचित किए गए हैं।

– पिछले 5 वर्षों से सी पी सी बी द्वारा ध्वनि मानकों के अनुपालन के लिए पटाखों का परीक्षण ध्वनि स्तरों के लिए किया जा रहा है।

– उद्योगों के विभिन्न श्रेणियों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

– वाहनों के लिए विनिर्माण अवस्था के साथ-साथ प्रयोग में लाये जा रहे वाहनों के लिए मास उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

– प्रयोग में लाये जा रहे वाहनों के लिए पाल्यूशन अन्डर कंट्रोल (पी यू सी) सर्टिफिकेट प्रणाली मौजूद है।

– देश भर में सीसारहित पेट्रोल प्रचालित किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम का पुनरूद्धार

***193. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :**
श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम का पुनरूद्धार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) प्रदूषण में वृद्धि होने के कारण लगातार बढ़ रहे प्रदूषण भार की वजह से नदियों का संरक्षण एक सतत् कार्य है। संरक्षण नीति की कार्यनीति की समीक्षा तथा और अधिक शहरों एवं नदियों की पहचान करना एक सतत प्रक्रिया है। जल राज्य का विषय है। अत: नदियों में प्रदूषण के प्रवेश को रोकने के लिए उचित मलजल अवसंरचना सृजित करना राज्य सरकारों का दायित्व है। केन्द्र सरकार पहचाने गए प्रदूषित क्षेत्रों के पूंजीगत कार्यों हेतु एकमुश्त अनुदान प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत देश की प्रमुख नदियों के प्रदूषण उपशमन कार्य किए जाते हैं।

. राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम में सुधार के लिए संबंधित मंत्रालयों, इस क्षेत्र से जुड़े स्वतंत्र विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों के साथ आधारभूत चर्चा के लिए बैठकें आयोजित की गई हैं। इस कार्यनीति में सुधार के लिए चर्चा किए गए प्रस्तावों में अन्य बातों के अलावा नदी की जल मात्रा के साथ-साथ गुणता, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाओं को पुन: डिजाइन करने, जल गुणता को मापने के लिए उपर्युक्त इंडीकेटरों का विकास करना, शहरी विकास योजनाओं के साथ एकीकरण, सामाजिक गतिशीलता और निरीक्षण पर ध्यांन दिया गया है।

राष्ट्रीय वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास बोर्ड

***194. डा. बाबू राव मिडियम :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास बोर्ड वन ग्रामों के विकास में संलग्न है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वन क्षेत्रों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों को न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए विद्यमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) वन ग्रामों के विकास के लिए ''वन ग्रामों का विकास'' नामक एक विशेष स्कीम जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी

उप योजना की विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत निधियां आदिवासी अथवा राज्यों के सामाजिक कल्याण विभाग को प्रदान की जाती है और वह वन विभाग एजेंसियों को धनराशि प्रदान करते हैं। स्कीम का उद्देश्य मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे पहुंच मार्ग, पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, लघु सिंचाई आदि प्रदान करना तथा ग्रामवासियों की आजीविका के लिए सहायता करना है। राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड इस स्कीम को सीधे कार्यान्वित नहीं करता, अपितु यह इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सहायता करता है। एन ए ई बी ने इस स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं को तैयार करने में सहायता के लिए अप्रैल, 2004 में दिशानिर्देश भी जारी किए थे।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, 11 राज्यों में 2388 वन ग्रामों/पर्यावासों को शामिल करते हुए प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं और वन ग्रामों की विकास स्कीम के अंतर्गत 2005-06 से 2007-08 (15.11.2007 तक) की अवधि के दौरान 45924.71 लाख रुपये की कुल राशि जारी की गई है। इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	वन ग्रामों की कुल संख्या	सहायता प्राप्त वन ग्रामों की कुल संख्या	अब तक जारी कुल धनराशि (लाख रुपयें में)
1	2	3	4	5
1.	असम	499	475	5876.42
2.	छत्तीसगढ़	425	422	9554.37
3.	गुजरात	199	199	4007.00
4.	झारखण्ड	24	24	303.58
5.	मेघालय	23	23	390.71
6.	मध्य प्रदेश	893	867	19492.07
7.	मिजोरम	85	85	1710.00
8.	उड़ीसा	20	20	290.60
9.	त्रिपुरा	62	62	930.00
10.	उत्तराखंड*	61	41	566.96
11.	उत्तर प्रदेश	13	0	0.00
12.	पश्चिम बंगाल	170	170	2803.00
	कुल	2474	2388	45924.71

*वन निवास

आयुर्वेदिक औषधियों का मानकीकरण

***195. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या आयुर्वेदिक औषधियों की व्यापक तौर पर स्वीकार्यता में मानकीकरण का न होना तथा मानकों की स्थापना के लिए स्वीकार्य प्रक्रिया की कमी मुख्य बाधा है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयुर्वेदिक औषधियों के लिए मानक स्थापित किए जाने हेतु सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) जी, हां। आयुर्वेदिक एवं अन्य पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित मिश्रित औषधियों के मानकीकरण की प्रक्रिया, एकल अथवा यौगिक भेषजसंहितागत औषधियों के मानकीकरण की अपेक्षा अधिक जटिल होती है। भारत सरकार ने भेषजसंहितागत मानकों को निर्धारित करने के लिए आयुर्वेदिक भेषजसंहिता समिति की स्थापना की है। अब तक 418 सर्वाधिक प्रयुक्त एकल कच्ची आयुर्वेदिक औषधियों के फामास्युटिकल मानक निर्धारित कर लिए गए हैं। 50 सर्वाधिक सामान्यत: प्रयुक्त आयुर्वेदिक मिश्रित औषधियों के भेषजसंहितागत मानकों का प्रथम खंड अक्तूबर, 2007 में प्रकाशित हो चुका है। वानस्पतिक

मानकीकरण विज्ञान निरंतर प्रगति कर रहा है और तदनुसार भेषजसंहितागत मोनोग्राफों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। आयुर्वेदिक भेषजसंहितागत समिति एकल और मिश्रित आयुर्वेदिक औषधियों के भेषजसंहितागत मोनोग्राफों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानदण्डों का अनुसरण कर रही है। आयुष विभाग की प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा अन्य प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं के सहयोग से अन्य 200 सर्वाधिक सामान्यत: प्रयुक्त आयुर्वेदिक औषधियों के भेषजसंहितागत मानकों को निर्धारित करने संबंधी वैज्ञानिक कार्य और आयुर्वेदिक भेषजसंहिता समिति द्वारा आयुर्वेदिक पादप आधारित अर्कों के लिए भेषजसंहितागत मानकों को तैयार करने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है।

[हिन्दी]

समेकित वन संरक्षण योजना

*196. श्री संजय धोत्रे :
श्री बापू हरी चौरे :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित वन संरक्षण योजना (आई एफ पी एस) के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को अनुदान प्रदान करने हेतु मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार आई एफ पी एस के अन्तर्गत राज्य में वनभूमि के अनुपात के आधार पर अनुदान आवंटित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह मानदण्ड कब तक अपना लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) समेकित वन संरक्षण योजना (आई एफ पी एस) दसवीं योजना के दौरान शुरू की गई थी। यह स्कीम मौजूदा वनों की रक्षा के लिए भागीदारी आधार पर राज्य/संघ शासित सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दावानल नियंत्रण और प्रबंध अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने, कार्यकारी योजनाओं को तैयार करने और अन्य संगत रक्षात्मक उपायों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निधियों का आवंटन विभिन्न घटकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है; जैसे निधियों की उपलब्धता, राज्यों द्वारा प्रक्षेपित मांग, निधियों के उपयोग आदि के संबंध में पूर्व निष्पादन।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इको-सिटि प्रोजेक्ट

*197. श्री किन्जरपु येरननायडू : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ चयनित कस्बों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रमाणनीय पर्यावरणीय सुधार प्रदर्शित करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुरू की गई 'इको-सिटि प्रोजेक्ट' की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस परियोजना के अन्तर्गत देश के कुछ और स्थानों को शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) ने 'इको-सिटि प्रोजेक्ट' के लिए छह कस्बों, नामश: कोट्टायम, तिरुपति, उज्जैन, पुरी तंजावुर और वृन्दावन को लिया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनिंदा कस्बों में कोर-क्षेत्र के इर्द-गिर्द पर्यावरण में प्रत्यक्ष परिवर्तन दिखाना है। इन कस्बों में की गई पर्यावरणीय प्रदूषण स्कीमों की स्थिति 50:50 शेयरिंग आधार पर निम्नलिखित प्रकार है:—

(i) तिरुपति : तिरुपति में इको-सिटी परियोजना के लक्ष्य, गोविन्द राज स्वामी मंदिर जो शहर का कोर क्षेत्र है के इर्द-गिर्द पर्यावरणीय सुधार लाना है,। कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत किए गए कार्यकलापों में, स्टोर्म वाटर ड्रेन, कोन्नेरु से नरसिंहा तीर्थ तक पानी की पाईप लाईन जोड़ना; कोर क्षेत्र में नालियों की सफाई/गाद हटाने के कार्य शामिल है। स्वीकृत कार्य समापन की अंतिम अवस्था पर है।

(ii) पुरी : पुरी में पारि-शहर विकास कार्य, जगन्नाथ मंदिर के आस-पास है जिसमें सिंह द्वार पर पेयजल में सुधार करना, 'नरेन्द्र टैंक' के समीप के सार्वजनिक शौचालय में सुधार करना और भगवान जगन्नाथ के मंदिर के आस-पास के मार्गों के साथ-साथ कवर स्लैब सहित सीमेन्ट कंक्रीट की नालियों का निर्माण करना है। इन निर्माण कार्यों को करने के लिए व्यावहारिक अध्ययन कार्य पूरा कर लिया गया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) विचाराधीन है।

(iii) वृन्दावन : पारि-शहर कार्यक्रम, वृन्दावन के कोर जोन के सुधार के लिए लक्षित है जहां 'परिक्रमा पथ' के कालीदाह घाट से केसी घाट तक के 2 कि.मी. के विकास और बांके बिहारी मंदिर के आस-पास के क्षेत्रों में सुधार कार्यों को मंजूर किया गया है। उपरोक्त कार्यकलापों के क्रियान्वयन के लिए वृन्दावन नगर पालिका द्वारा अपने वित्तीय योगदान को पूरा करने के लिए निधिकरणों की पहचान करनी है।

(iv) उज्जैन : यहां के कार्यों में महाकाल मंदिर के आस-पास के क्षेत्र में सुधार करना और रूद्र सागर झील की सफाई शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यातायात और परिवहन, मार्गों में सुधार, मल-जल और ड्रेनेज, रुद्र सागर के लिए जल-आपूर्ति लाईन बिछाना, भूमिगत इलैक्ट्रिक केबलिंग और रोपण कार्य और लैण्डस्कोपिंग किए जाने हैं।

(v) कोट्टायम : कार्यक्रम के अंतर्गत इससे संबंधित कार्यों में मुदार नदी का सुधार और काचेरीकाडाबू बोट जेट्टी नहर का कायाकल्प करना शामिल है और ये दोनों कार्य समापन के अंतिम चरण में है।

(ख) वर्तमान में कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक स्थानों को शामिल किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रक्त भण्डारण केन्द्रों की स्थापना

*198. **श्री अबु अयीश मंडल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में मातृत्व मृत्यु-दर में कमी लाने के लिए ब्लाक स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर रक्त भण्डारण केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार देश में मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए आवश्यक उपकरण और रक्त को लाने ले जाने के लिए मोबाइल वैन, कार्मिकों को प्रशिक्षण और ब्लाक स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तीन रक्त भण्डारण केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों की सहायता कर रही है।

[हिन्दी]

पंचायतों को धनराशि

*199. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम पंचायतों को धनराशि आबंटित किए जाने का आधार क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई बातचीत हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) राज्य सरकारों में पंचायती राज कार्यान्वयन में एकरूपता नहीं है इसलिए ग्राम पंचायतों को निधियों के आबंटन का कोई सार्वदेशिक आधार नहीं है। पंचायती राज राज्य-विषय है।

(ख) और (ग) जी, हां। इन सभी वर्षों में निर्वाचित ग्रामीण निकायों का कार्यनिष्पादन संसाधनों की कमी से बाधित रहा है। पचायतें सभी प्रभावी तौर पर कार्य कर सकती है यदि उन्हें, सौंपे गए सार्वजनिक

उत्तरदायित्वों के निष्पादन में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त अबद्ध निधियों का उपयुक्त अंतरण किया जाए। राज्यों को पंचायतों के लिए ''संपुष्ट वित्त'' का संवैधानिक दायित्व अनुच्छेद 243 झ के तहत आदेशित है। राज्य वित्त आयोगों को इसे सुनिश्चित करने हेतु सिफारिशें तैयार करने के लिए विशेष रूप से प्रभार दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय राज्य सरकारों से विस्तृत गतिविधि मानचित्रण के आधार पर पंचायतों को प्रकार्य, वित्त व कर्मियों के अंतरण को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करने के लिए बारंबार आग्रह करता रहा है जिससे कि प्रकार्यों का अंतरण समान पैटर्न पर वित्त के अंतरण से मेल खाए और क्रम से कार्यकर्ताओं के अंतरण द्वारा समर्थित हो। पंचायती राज मंत्रालय ने संबंधित राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों के साथ अभी तक 22 सहमति ज्ञापनों (निष्कर्षों के संयुक्त वक्तव्यों) को सम्पन्न किया है।

2. प्रारूपिक रूप से, पंचायतों को वित्त का प्रवाह केंद्र सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों (उदाहरणस्वरूप वित्त आयोगों), राज्य सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों (उदाहरणस्वरूप राज्य वित्त आयोगों) तथा स्वयं अपने राजस्व के संग्रहण के माध्यम से होता है। पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों को वित्त के अंतरण पर केन्द्र सरकार के मंत्रियों, राज्य सरकारों एवं एजेंसियों के साथ लगातार बातचीत करता रहा है।

3. कोलकाता में जुलाई 2004 में आहूत राज्यों के पंचायती राज मत्रियों के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में यह मतैक्य हुआ था कि राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य बजटों में पंचायती राज के क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करेंगी क्योंकि यह सहबद्ध व अबद्ध निधियों के अंतरण को स्पष्ट करेगा। राज्य सरकारों को अपने राज्य बजट में पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक घटक सम्मिलित करना था तथा यह प्रत्येक सेक्टर में परिलक्षित होगा। उस बैठक के दौरान इस बात पर भी मतैक्य हुआ कि राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं को अपने संसाधनों को जुटाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि ग्राम पंचायतों के लिए निधियों के आबंटन के आधार को सहायता के उस सिद्धांत द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए जिसके अनुसार निम्न स्तर को सौंपे जा सकने वाले किसी कार्य/गतिविधि को उससे किसी उच्चतर स्तर पर सौंपे जाने की आवश्यकता नहीं है।

4. सन् 2005 में गठित सचिवों की समिति ने अभी तक सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और सभी राज्य सरकारों के पंचायती राज विभागों के सचिवों के साथ नौ बैठकें की हैं जिनमें बार-बार प्रत्येक राज्य से पंचायतों को शीघ्रता के साथ प्रकार्यों, वित्त तथा कार्यकर्ताओं के अंतरण के लिए अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में पंचायती राज मंत्रियों की परिषद, जिसकी तीन बैठकें आयोजित हो चुकी हैं, ने राज्य सरकारों से प्रकार्य, वित्त और कार्यकर्ताओं के अंतरण में गति लाने के लिए निवेदन किया है।

5. पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद की शक्तिसम्पन्न उप समिति ने भी इन मुद्दों पर बार-बार विचार किया है एवं उसके निदेशों को राज्य सरकारों को सम्प्रेषित किया गया है। अनुपालन असमान रहा है।

6. जुलाई, 2007 के दौरान, पंचायती राज मंत्रालय ने ''पंचायत स्तर संसाधन-संग्रहण व कुशल वितीय अंतरण'' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित किया। राज्य सरकारों तथा राज्य वित्त आयोगों ने इस विचार-विमर्श में भाग लिया और यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं को और उपयुक्त कर व गैर कर राजस्व सौंपे जाने की संभावना के नीति कार्य को लेकर राज्य वित्त आयोगों की सहायता करेंगी जिससे कि पंचायत के प्रत्येक स्तर को कम से कम एक अथवा दो महत्वपूर्ण कर-उपादान सौंपे जा सकें।

[अनुवाद]

बच्चों में मोटापा

***200. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :**
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर स्कूली बच्चों में मोटापा चिन्ताजनक रूप से बढ़ रहा है तथा ऐसे अधिकांश बच्चे यकृत संबंधी बीमारियों से भी पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके कारणों का पता लगाने के लिए किसी समिति का गठन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बच्चों में मोटोपे पर नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) के अनुसार समग्र क्रास सेक्शनल स्टडी से मोटापे की व्यापतता में वृद्धि का पता चला है। दिल्ली स्कूल में किए गए क्रास सेक्शनल स्टडी से प्रदर्शित हुआ कि अतिभार तथा मोटे बच्चों की व्यापतता दर 29 प्रतिशत है जो पूर्ववर्ती अध्ययनों से अधिक है जिसमें इसे 16 प्रतिशत (2002-04 किशोर) दर्शाया गया था। अतिभार तथा मोटापा की बढ़ती हुई व्यापतता के लिए उत्तरदायी कारणों में शारीरिक कार्यकलाप का निम्न स्तर/स्थानबद्ध जीवन में वृद्धि तथा साथ ही प्रचुर कैलोरी वाले पोषक तत्व विहीन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन शामिल है। चूंकि इस मामले से निपटने के लिए सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण के जरिए जागरूकता सृजित करना मुख्य कार्यनीति है, इसलिए इस घटक को प्रस्तावित राष्ट्रीय मधुमेह एवं हृदय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो अन्य बातों के साथ-साथ स्वस्थ जीवन शैली के संबंध में होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभिन्न अंग भी है।

[हिन्दी]

पासपोर्ट जारी करने हेतु समय-सीमा

1616. **श्री मो. ताहिर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पासपोर्ट कार्यालय द्वारा सामान्य अथवा तत्काल योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने और नए पासपोर्ट जारी करने अथवा पासपोर्टों को पुन: जारी/नवीनकरण करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) सामान्य श्रेणी के अंतर्गत नए पासपोर्ट जारी करने का समय 30 दिन है बशर्ते ठीक पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो और सभी औपचारिकताएं पूरी हों। पुन: जारी किए जाने के मामलों में पासपोर्ट जारी करने का समय आवेदन की तारीख से 15 दिन है बशर्ते सभी औपचारिकताएं पूरी हों। "तत्काल योजना" के अंतर्गत पासपोर्टों को 7 दिनों अथवा 14 दिनों के भीतर जारी करना होता है जो कि तत्काल योजना के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के भुगतान और दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आधारित है। तत्काल योजना के तहत पासपोर्ट निर्धारित शुल्क के भुगतान और निर्धारित दस्तावेजों को जमा कर दिए जाने पर 3 कार्य दिवसों के भीतर पुन: जारी किए जाते हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण संबंधी प्रश्नावली

1617. **श्री राकेश सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लिए तैयार की गई प्रश्नावली में कुछ आपत्तिजनक प्रश्न मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) वर्ष 2005-06 में संचालित किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III में मृत्यु-दर, विवाह और प्रजननता, परिवार नियोजन, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, बच्चों के रोग प्रतिरक्षण, बच्चों और वयस्कों की पोषणिक स्थिति के उपचार, बच्चों और वयस्कों में रक्ताल्पता की व्यापतता-दर, एचआईवी/एड्स के संबंध में जानकारी, रवैये और आचरण तथा इसकी व्यापतता दर और प्रसवकालीन मृत्यु-दर, मातृ स्वास्थ्य परिचर्या में पुरुष सहभागिता, किशोर प्रजनन स्वास्थ्य, उच्चतर जोखिम वाला यौन आचरण, घरेलू हिंसा तथा क्षयरोग और मलेरिया के बारे में जानकारी और उपचार का पता लगाने वाले आचरण जैसे उभरते हुए अनेक मुद्दों के बारे में सूचना एकत्र की गई है।

इस सर्वेक्षण की प्रश्नावली परामर्श और व्यापक विचार-विमर्श करते हुए बनाई और तैयार की गई। इस कार्य में महिला एवं बाल

विकास मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जैसे केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों, भारत के महापंजीयक, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, राज्य सरकारों, जनांकिकी, स्वास्थ्य इत्यादि के क्षेत्र में दाता भागीदारों और सुविज्ञों के प्रतिनिधि शामिल थे। 18 क्षेत्रीय संगठनों ने इस सर्वेक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्य का संचालन किया।

तीन परियोजना समितियों अर्थात (i) विषय निर्वाचन समिति, (ii) प्रशासनिक और वित्त प्रबंधन समिति तथा (iii) तकनीकी सलाहकार समिति ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के लिए डिजाइन, क्रियाविधि विज्ञान, प्रश्नावली, विषयवस्तु इत्यादि सहित नीतियों और क्रियाविधियों के बारे में निर्णयों की समीक्षा की।

[अनुवाद]

औषधियों को प्रोत्साहन देने हेतु नए निकाय की स्थापना

1618. **श्री एस.के. खारवेनथन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का औषधियों के विनिर्माण, लाइसेंसिंग, आयात, भंडारण, प्रोत्साहन और उपयोग को सुचारू बनाने के लिए किसी नए निकाय की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे निकाय हेतु आंचलिक कार्यालय की स्थापना का भी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस निकाय की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या औषध नियंत्रण प्रभाग में पर्याप्त कर्मचारी नहीं है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषध एवं प्रसाधन सामग्री के लिए राष्ट्रीय विनियामक प्रणाली का उन्नयन करने तथा देश में विपणन की जाने वाली औषधों की गुणवत्ता के लिए तकनीकी दृष्टि और नीति दिशानिर्देशन प्रदान करने हेतु भारतीय केन्द्रीय औषध प्राधिकरण स्थापित करने के लिए राज्य सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया है। इस प्राधिकरण में औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत यथापरिकल्पित कार्यों का निर्वहन करने के लिए मुख्यालय में दस मुख्य प्रभाग होंगे। निर्माण लाइसेंस प्रदान करने का चरणवार ढंग से केन्द्रीकरण किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां।

(घ) संसद द्वारा औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 का संशोधन करने के पश्चात भारतीय केन्द्रीय औषध प्राधिकरण अस्तित्व में आ जाएगा जैसा कि प्रस्तावित है।

(ङ) जी, हां।

(च) देश में विपणन की जाने वाली औषधों की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत नियत किए गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए इस प्राधिकरण के अंतर्गत औषध नियंत्रण को विनियमित करने के लिए बुनियादी ढांचे को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एक्सडीआर और एमडीआर प्रकार का क्षय रोग

1619. **श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सडीआर प्रकार का क्षय रोग घातक और असाध्य है और यह मल्टी ड्रग रैसिसटेन्स टीबी से ज्यादा खतरनाक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संबंध में सचेत रहने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा दोनों प्रकार के क्षय रोग अर्थात एक्सडीआर और एमडीआर टीबी को नियंत्रित और इसके उपचार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) जी, हां।

बहुऔषध प्रतिरोधक क्षयरोग (एमडीआर) एम. क्षयरोग के एक आइसोलेट द्वारा होने वाला रोग है जो कम से कम आइसोनाइजिड तथा रिफेम्पिसिन का प्रतिरोधक है। व्यापक औषध प्रतिरोधक क्षयरोग (एक्सडीआर-टीबी) बहुऔषध प्रतिरोधक क्षय रोग का एक उपवर्ग (सबसेट) है जो आगे कम से कम दो और औषधों, जो दूसरी पंक्ति (सेकेंड लाइन) औषधें हैं, का प्रतिरोधक है और इसलिए वास्तव में लाइलाज है। व्यापक औषध प्रतिरोधक क्षयरोग का उल्लेख पहली बार मार्च, 2006 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, आईयूएटीएलडी तथा सीडीसी, अटलांटा द्वारा प्रयोगशालाओं द्वारा कराए गए संयुक्त सर्वेक्षण के बाद किया गया था।

(ग) और (घ) जी, हां।

एक्सडीआर-क्षयरोग, जन स्वास्थ्य तथा क्षयरोग नियंत्रण के लिए उभरता हुआ गंभीर खतरा है, क्षयरोग महामारी की चिंताओं को बढ़ाने वाला है जिसके उपचार के बहुत ही सीमित विकल्प हैं जो क्षयरोग नियंत्रण में की गई प्रगति को जोखिम में डाल सकता है। इस खतरे का सामना करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमडीआर-टीबी के प्रभावी उपचार और दूसरी पंक्ति की क्षयरोगी रोधी औषधों के अंधाधुंध प्रयोग पर ध्यान देने के माध्यम से एक्स डीआर टीबी होने की रोकथाम, लगातार उच्च गुणवत्ता वाले डॉटस के कार्यान्वयन, एमडीआर और एक्सडीआर टीबी के निदान हेतु प्रयोगशाला क्षमता में सुधार के जरिए एमडीआर टीबी की रोकथाम करने की संस्तुत की है।

(ङ) और (च) विश्व स्वास्थ्य संगठन की संस्तुत कार्यनीति व्यापक तौर पर डॉट्स के नाम से जाना जाने वाला संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य थूक में रोग के लक्षण वाले 85 प्रतिशत नए रोगियों को रोगमुक्त करने ऐसे कम से कम 70 प्रतिशत रोगियों का पता लगाना है।

देश उपचार पर रखे गए थूक में रोग के लक्षण वाले रोगियों में से 85 प्रतिशत रोगियों का निरंतर सफलतापूर्वक उपचार करने का लक्ष्य प्राप्त करता आ रहा है। नए अनुमानित रोगियों में से 70 प्रतिशत संक्रमित रोगियों का भी पता लगाया जा रहा है। यह अनुमान है कि क्षयरोग के कारण होने वाली मौतों की दर 5 प्रतिशत से भी कम हो गई है। मौतों की संख्या जो वर्ष 1990 में 5 लाख प्रतिवर्ष थी, वर्तमान में कम होकर 3,70,000 प्रतिवर्ष हो गई है। क्षयरोग अनुसंधान केन्द, चेन्नई द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि क्षयरोग की व्याप्तता दर में प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की कमी आई है। ताजा अनुमानों के अनुसार नए रोगियों में एमडीआर-टीबी की घटना दर 3 प्रतिशत से कम है।

यह कार्यक्रम एमडीआर-टीबी के निदान और डॉट्स प्लस दिशानिर्देशों के अनुसार उपचार करने के लिए सम्वर्ध तथा औषध संवेदनशीलता परीक्षण करने में सक्षम प्रत्येक बड़े राज्य में कम से कम एक प्रयोगशाला की दर से गुणवत्ता आश्वासित मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं का एक नैटवर्क स्थापित कर रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में एमडीआर टीबी उपचार शुरू कर दिया गया है और वर्ष 2010 तक इसे चरणबद्ध ढंग से सारे देश में बढ़ा दिया जाएगा।

[अनुवाद]

तेंदुओं को बचाने संबंधी उपाय

1620. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य-वार तेंदुओं की संख्या कितनी है;

(ख) इस वर्ष के दौरान आज तक सरकार के ध्यान में तेंदुओं की मौत के राज्यवार कितने मामले आए हैं;

(ग) क्या देश के विभिन्न राज्यों में तेंदुओं की खाल की जब्ती के कुछ मामलों का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा तेंदुओं को बचाने के लिए राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस समय राज्य-वार तेंदुओं की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) इस वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के ध्यान में तेंदुओं की मौत का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2003, 04 और 05 के दौरान जिसमें प्रमुख प्रजातियां, नामत: चीता, तेंदुआ, हाथी, गैंडा, स्टार कछुआ, रीछ, कस्तूरी मृग और ओटर शामिल हैं, के अवैध-शिकार/जब्ती (खाल सहित) के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) तेंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में तेंदुओं को शामिल करके उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।

2. तेंदुओं सहित वन्य जीवसुरक्षा के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

3. वन्यजीव अपराधों को नियंत्रित करने के लिए पांच क्षेत्रीय और तीन उप क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित वन्यजीव अपराधि नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया है।

4. वन्य जीवों और उनके वास स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।

5. भारत, कन्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना (साइटस) का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, जो वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिनियमित करता है।

इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ शावित प्रदेश की सरकारों ने तेंदुओं सहित जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:

1. वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि करने के लिए वन्यजीवों के वास-स्थलों का विकास करना।

2. संवेदनशील क्षेत्रों में गहन रूप से गश्त लगाना।

3. गश्त के लिए सेवा-निवृत्त सैनिकों की तैनाती।

4. अन्य विधि प्रवर्तन अभिकरणों/सरकारी विभागों के साथ समन्वय।

5. हथियार और गोला-बारुद तथा संचार सुविधाओं का प्रावधान करना।

6. फ्रंट लाईन स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करना।

7. प्रकृति के प्रति जागरूकता लाने के लिए जनता के लिए अभियान चलाना।

विवरण-I

तेंदुओं की राज्य वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	तेंदुओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	550
2.	अरुणाचल प्रदेश	98
3.	असम	243
4.	बिहार और झारखण्ड	164
5.	गोवा और दमन और दीव	41
6.	गुजरात	1070
7.	हरियाणा	25
8.	हिमाचल प्रदेश	785
9.	जम्मू और कश्मीर	7
10.	कर्नाटक	620
11.	केरल	16
12.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	2206

1	2	3
13.	महाराष्ट्र	717
14.	मिजोरम	200
15.	नागालैंड	14
16.	उड़ीसा	487
17.	राजस्थान	587
18.	तमिलनाडु	360
19.	त्रिपुरा	18
20.	उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड	2168
21.	पश्चिम बंगाल	331
22.	दादर नगर हवेली	14
23.	छत्तीसगढ़	1293

विवरण-II

इस वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के ध्यान में आया तेंदुओं की मौत का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	मरे हुए तेंदुओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	असम	8
3.	बिहार	2
4.	गुजरात	37
5.	हरियाणा	1
6.	हिमाचल प्रदेश	4
7.	जम्मू और कश्मीर	12
8.	झारखण्ड	1
9.	केरल	4
10.	महाराष्ट्र	23
11.	उड़ीसा	7
12.	राजस्थान	5
13.	सिक्किम	2
14.	तमिलनाडु	3
15.	उत्तरांखण्ड	58
16.	छत्तीसगढ़	2
17.	मध्य प्रदेश	10

विवरण-III

वन्य जीव और उनके उत्पादों के अवैध शिकार/जब्ती के महत्वपूर्ण मामलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष		
		2003	2004	2005
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2	–	11
2.	असम	1	2	4
3.	बिहार	1	1	2
4.	छत्तीसगढ़	–	2	5
5.	गुजरात	2	–	–
6.	हरियाणा	2	4	–

1	2	3	4	5
7.	हिमाचल प्रदेश	1	3	3
8.	जम्मू और कश्मीर	1	–	–
9.	झारखण्ड	6	9	2
10.	कर्नाटक	8	10	3
11.	मध्य प्रदेश*	11	11	11
12.	महाराष्ट्र***	15	14	9
13.	मणिपुर	–	–	1
14.	मेघालय	–	–	1
15.	उड़ीसा	17	19	20
16.	पंजाब	–	–	10
17.	राजस्थान	2	4	–
18.	सिक्किम	–	–	3
19.	तमिलनाडु	24	14	–
20.	त्रिपुरा	–	–	1
21.	उत्तर प्रदेश	13	10	6
22.	उत्तरांखण्ड**	23	14	3
23.	पश्चिम बंगाल	39	11	6
24.	दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	13	8	21

* मध्य प्रदेश में 2007 के दौरान 3 खाल जब्त की गईं।

** उत्तराखंड में 2008 के दौरान 5 खाल जब्त और 2007 में 2 खाल जब्त की गईं।

*** महाराष्ट्र में, 2007 में खाल जब्त के दो मामले रिपोर्ट किए गए थे।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति

1621. **प्रो. प्रेम कुमार धूमल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में खराब स्वास्थ्य सेवाओं के कारण प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को समवर्ती सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) स्वास्थ्य क्षेत्र में दर्ज किए गए सुधारों के बावजूद भी देश के विभिन्न भागों में अभी भी क्षयरोग, मलेरिया और एचआईवी/एड्स कैंसर, ह्रदय वाहिका रोग इत्यादि जैसे रोगों से मौतें होती हैं। सरकार विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों, अर्थात राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम, क्षयरोग, कुष्ठ, एड्स, कैंसर और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है जिन्होंने स्थिति में सुधार करने में योगदान किया है।

वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चलाना विशेषतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में सुधार करने की दशा में उठाया गया एक अन्य प्रमुख कदम है। इस मिशन का उद्देश्य विशेष तौर से जनसंख्या के गरीब और असुरक्षित वर्गों को पहुंच योग्य, वहनीय, जवाबदेह, प्रभावकारी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए धन प्रदान करती है और राज्यों को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, वैक्टरजन्य रोगों, क्षयरोग, दृष्टिहीनता, कुष्ठ और एड्स जैसे केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य राज्य का विषय बने रहने से यह राज्यों को नेतृत्व की भूमिका निभाने की

अनुमति देता है जो अच्छी क्रियात्मक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए अपेक्षित है।

केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुदेशों का पालन न किया जाना

1622. श्री कीरेन रिजीजू :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मंत्रालय/विभाग केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुदेशों का पालन करने में विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे मंत्रालयों/विभागों के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग को और अधिक शक्तियां देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को आयोग से इस संबंध में कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) केन्द्रीय सूचना आयोग ने सूचित किया है कि कुछ मंत्रालय/विभाग उनके अनुदेशों का अनुपालन करने में विफल रहे हैं।

(ख) इस सूचना का रख-रखाव केन्द्रीयकृत रूप से नहीं किया जाता है। तथापि, जब ऐसा कोई दृष्टांत आयोग के समक्ष लाया जाता है तो यह आयोग उसका निपटान करता है।

(ग) से (छ) केन्द्रीय सूचना आयोग ने वर्ष 2005-06 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि आयोग को न्यायालय अवमानना की शक्तियां दी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

फटा होंठ और तालू दोष का उपचार

1623. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2.5 मिलियन बच्चे फटे होंठ से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में इनके लिए कोई चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ङ) भारत में फटे होंठ की व्याप्तता का पता लगाने के लिए कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, मोटे तौर पर फटे होंठों और तालू दोषों की व्याप्तता लगभग 700 से 1000 बच्चों में से एक बच्चे में होता है। देश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान है कि लगभग 1.5 मिलियन बच्चे फटे होठों और तालू दोषों से ग्रस्त हैं।

ऐसी विकृतियों की व्यवस्था के लिए शल्य क्रिया की सुविधाओं की आवश्यकता है और देश में ये सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों दोनों में उपलब्ध हैं। देश में फटे होंठ और तालू दोषों के उपचार के लिए 1500 से अधिक प्लास्टिक सर्जन उपलब्ध हैं। ऐसी सुविधाएं केन्द्रीय सरकार के संस्थानों नामतः डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, कलावती सरन शिशु अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली, एम्स, नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर, चण्डीगढ़ और जिपमेर, पाण्डिचेरी में उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

वायु में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि

1624. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :
श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु में नाइट्रोजन की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है जैसाकि दिनांक 25 अक्तूबर, 2007 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यूरोपियन स्पेस एजेन्सी द्वारा तैयार किए गए अनुमानों को स्वीकृति दी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा वायु में नाइट्रोजन की मात्रा को अनुमत्य सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) दिनांक 25 अक्तूबर, 2007 के दैनिक जागरण, नई दिल्ली में 'द राइजिंग लेवल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइआक्साईड (एन $ओ_2$) इन इंडियन एम्बीयंट एयर' नामक शीर्षक से समाचार छपा है जिसमें एन $ओ_2$ और उसके ट्रेन्ड से संबंधित विभिन्न अनुमानों का उल्लेख है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानीटरी कार्यक्रम (एन ए एम पी) के अन्तर्गत देशभर में 339 स्थानों पर एन $ओ_2$ सहित आस-पास की वायु गुणवत्ता की मानीटरी कर रहा है। विभिन्न शहरों में 1989 से मानीटर किए गए डाटा दर्शाते हैं कि एन $ओ_2$ का वार्षिक औसत सान्द्रण स्वीकार्य मानकों के भीतर है और अनियमित ट्रेन्ड दिखा रहा है।

(ग) नाइट्रोजन डाइआक्साईड की मात्रा को स्वीकार्य सीमाओं के भीतर रखने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं:–

- सामान्य और स्त्रोत विशिष्ट पर्यावरणीय मानदण्डों की अधिसूचना;
- विनिर्माण अवस्था में वाहनों के लिए भारत स्टेज-III उत्सर्ज मानकों को क्रियान्वित करना;
- उपयोग में लाये जा रहे वाहनों के लिए उन्नत प्रदूषण नियंत्रण में (पी यू सी) प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू करना;
- थर्मल पावर संयंत्रों में कम एन ओ एक्स बर्नर के उपयोग को बढ़ावा देना; और
- पर्यावरणीय अनुपालन के लिए नियमित मानीटरी करना।

[अनुवाद]

ओरल सब्स्टीटयूट थेरेपी प्रोग्राम

1625. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इन्ट्रावीनस ड्रग यूजर्स (आईडीयू) हेतु कोई ओरल सब्स्टीटयूट थेरेपी (ओएसटी) तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्यवार अनुमानतः कितने इन्ट्रावीनस ड्रग यूजर्स (आईडीयू) है; और

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों में नशाखोरों को एचआईवी से बचाने के लिए ओएसटी कार्यक्रम के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण के तीसरे चरण के तहत इन्जैक्टिंग ड्रग यूजर्स, जिसमें सेवा पैकेज, एक्सेस, नीडिल/सिरींज परिवर्तन, ओरल सब्यीटयूशन, निरोध प्रावधान इत्यादि शामिल हैं, के लिए व्यापक दिशा-निर्देश बनाए हैं।

(ग) देश में इन्ट्रावीनस ड्रग यूजर्स (आईडीयू) की अनुमानित संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) क्षति कम करने की कार्यानीति के कार्यान्वयन के लिए संस्थानिक क्षमताओं का मूल्यांकन किया गया है।

विवरण

आईडीयू (राज्य-वार) का अनुमान

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमानित संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं
3.	आंध्र प्रदेश	2640
4.	अरुणाचल प्रदेश	864
5.	असम	2000
6.	बिहार	5890

1	2	3
7.	चंडीगढ़	3000
8.	चेन्नई	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं
9.	छत्तीसगढ़	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं
10.	दादरा व नगर हवेली	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं
11.	दमण और दीव	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं
12.	दिल्ली	17000
13.	गोवा	1050
14.	गुजरात	11300
15.	हरियाणा	7300
16.	हिमाचल प्रदेश	1000
17.	जम्मू व कश्मीर	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं
18.	झारखण्ड	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं
19.	कर्नाटक	4819
20.	केरल	12000
21.	लक्षद्वीप	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं
22.	मध्य प्रदेश	3530
23.	महाराष्ट्र	9000
24.	मणिपुर	39334
25.	मेघालय	1500
26.	मिजोरम	12800
27.	मुंबई	622
28.	नागालैण्ड	27774
29.	उड़ीसा	7750
30.	पांडिचेरी	1040
31.	पंजाब	15860
32.	राजस्थान	3780
33.	सिक्किम	1000
34.	तमिलनाडु	12620
35.	त्रिपुरा	7000
36.	उत्तर प्रदेश	17200
37.	उत्तरांचल	2135
38.	पश्चिम बंगाल	17300
	कुल	249108

इसरो द्वारा हिमनदो संबंधी अध्ययन

1626. **श्री के.एस. राव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने हिमालय क्षेत्र के हिमनदों के संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने उपग्रह के बिंबों का उपयोग करते हुए पार्वती बेसिन में कुछ चुने हुए हिमनदों का अन्वेषण किया है। इन अध्ययन के परिणामों से पता चला है कि 1998-2004 की अवधि के दौरान हिमनदों की हवाई सीमा में 5.4% तक कमी आई है। हिमनदों की हवाई सीमा में आई कमी पर किए गए अध्ययन से संबंधित सांख्यिकी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

हिमनद क्षेत्रों में कमी

पार्बती बेसिन में हिमनदों के नाम	पर्यवेक्षण का वर्ष एवं कि.मी. में क्षेत्रफल 1998	2004	क्षेत्रफल में कमी (वर्ग कि.मी. में)
पार्बती	38.21	36.17	2.04
52H08005	1.21	1.20	0.01
52H12001	27.29	27.13	0.16
52H12004	0.63	0.62	0.01
52H12005	2.62	2.54	0.08
52H12006	0.44	0.40	0.04
52H12008	21.80	19.27	2.53
52H12009	9.70	8.93	0.77
52H12010	8.68	8.25	0.43
52H12011	2.81	2.75	0.06
कुल	113.39	107.26	6.13
क्षेत्रफल में % कमी			5.40

[हिन्दी]

विद्युत संयंत्रों को घटिया कोयले की आपूर्ति

1627. **श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कोयला कंपनियां ताप विद्युत संयंत्रों को घटिया कोयले की आपूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा घटिया कोयले की आपूर्ति करने के लिए इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की सहायक कंपनियों द्वारा सप्लाई किए गए कोयले की घटिया कोटि के विरुद्ध विद्युत गृहों से कभी-कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं। सीआईएल द्वारा प्राप्त शिकायतों के कंपनीवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

क्र.सं.	कंपनी का नाम	शिकायतों की संख्या
1.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल)	16
2.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	11
3.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)	73
4.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल)	0
5.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल)	19
6.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल)	20
7.	महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल)	13

उपर्युक्त 152 रेकों की शिकायतें लगभग 110.02 मिलियन टन के प्रेषण के विरुद्ध हैं अर्थात लगभग 0.05% भार की है तथा एक से कुछ ही अधिक शिकायतें प्रेषण के प्रति मिलियन टन की हैं। इस प्रकार शिकायतों की संख्या अत्यधिक कम है।

(घ) सीआईएल को विशिष्ट शिकायतों के संबंध में समय-समय पर उपचारात्मक कार्रवाइयां करने की सलाह दी गई है। सीआईएल ने भी कोयले की कोटि में सुधार के लिए निम्नलिखित पहलकदमियां की हैं:

(i) 1 मीटर से अधिक मोटे बैंडों का चयनित करना।

(ii) मिलावट से बचने के लिए ओबी तथा कोयला बेंचों को उपयुक्त स्थान पर रखना।

(iii) ब्लास्टिंग से पूर्व कोयले की स्क्रेपिंग/क्लिनिंग।

(iv) कोयला लदान से पहले चल रहे कन्वेयरों पर मेटल डिक्टेटरों/मेगनेटिक सेपरेटरों को स्थापित करना।

(v) सभी बड़ी परियोजनाओं में उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुकूल आकारीकृत तथा समान कोटि के कोयले के प्रेषण हेतु उच्च क्षमता के कोयला रखरखाव संयंत्र हैं।

(vi) नियमित गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु सभी परियोजनाओं में सुसज्जित प्रयोगशालाओं की स्थापना।

(vii) संयुक्त नमूना तथा उपभोक्ताओं के साथ तीसरे पक्ष के नमूना की व्यवस्था जिसके आधार पर उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति की जाती है।

(viii) खान मुहाने, स्टाफ साइडिंग तथा वैगनों से स्लेटी पत्थर यदि कोई हो, की छंटनी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में वायु और जल प्रदूषण

1628. **श्री अनन्त नायक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा विशेषकर क्योंझर में वायु और जल प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या प्रदूषण फैलाने वाली ऐसी इकाइयों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (घ) उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न औद्योगिक इकाईयों की पहचान की है जो क्योंझर जिले में जल और वायु प्रदूषण फैला रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गत तीन सालों में, मुख्य रूप से माइनिंग और स्पंज-आइरन प्लांट के क्षेत्र की 78 औद्योगिक इकाईयों को उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुपालन न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस समय दो इकाईयों, टिकारापाड़ा पाईरोफिलाईट माईन, टिकारापाड़ा, क्योंझर और मालती मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, क्योंझर को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं।

हैजा संबंधी अध्ययन

1629. **श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या एक केन्द्रीय सदस्य दल को असम में हाल ही में फैले हैजे का अध्ययन करने हेतु भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय दल ने क्या मुख्य टिप्पणियां की और सुझाव दिए; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) जी, हां। उजनाबाजार, गुवाहाटी के पदुमफुकुरी क्षेत्र में गंभीर आन्त्रशोथ के प्रकोप की जांच करने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान और राष्ट्रीय हैजा एवं आन्त्र रोग संस्थान, कोलकाता के अधिकारियों वाले केन्द्रीय दल ने असम का दौरा किया।

केन्द्रीय दल की प्रमुख टिप्पणी यह थी कि हैजा का प्रकोप संदूषित जल और प्रभावित क्षेत्र में मल को असुरक्षित ढंग से डालने के कारण हुआ था। इस दल ने निगरानी कार्यकलापों और सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था में सुधार करने का सुझाव दिया।

(ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, असम राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई—

— एम्बुलेंस सुविधाओं सहित प्रभावित क्षेत्र में चौबीसों घंटे चिकित्सा शिविर लगाकर सिविल प्राधिकारियों/स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा अनुक्रिया।

— स्थानीय एजेंसियों द्वारा जल और मल नमूनों के लिए जांच जिनसे प्रभावित क्षेत्रों से विब्रियों कोलरे पैदा हुए। जल के सभी 3 नमूने, अनुमानिक कोलीफार्म जांच में सही नहीं पाए गए।

– प्रभावित क्षेत्रों में गुवाहाटी नगर निगम की जलापूर्ति वाली खराब पाइपलाइनों की मरम्मत करना/उनको बदलना।

– पेय जल स्त्रोत का सुपर क्लोरीनेशन।

[हिन्दी]

जलवायु परिवर्तन का वनों में रहने वाले लोगों पर प्रभाव

1630. श्री मोहन रावले : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलवायु परिवर्तन का वनों में रहने वाले लोगों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार का विचार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने हेतु कोई तरकीब अपनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार वनों पर आश्रित लोगों के पुनर्वास के लिए कोई दीर्घकालीन योजना तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ङ) वर्ष 2001-2004 के दौरान 'जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन को भारत के प्रारम्भिक राष्ट्रीय सम्प्रेषण' तैयार करने के क्रम में वन पारिप्रणाली पर प्रोजैक्टेड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में किए गए प्रारंभिक मूल्यांकन से यह पता चलता है कि जलवायु प्रभाव के कारण वनों की सीमा में बदलाव, प्रजातियों की संरचना (वनों की प्रकारों) में परिवर्तन, निवल उत्पादकता में परिवर्तन, जैव-विविधता का ह्रास, ट्रांजिएंट फेज में वनों का सूखना तथा सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभाव हुए हैं। इन प्रारंभिक परिणामों की वैधता के लिए और अधिक व्यापक अनुसंधान और गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। सरकार की अनेक मौजूदा नीतियों और योजनाओं में मौजूदा जलवायविक परिवर्तनशीलता के इस तरह के प्रभावों से निपटने का प्रयास किया जाता है।

मेहर रेलवे क्रासिंग पर उपरि पुल

1631. श्री गणेश सिंह : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर मेहर रेलवे क्रासिंग पर उपरि पुल के निर्माण को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-7 पर 299/6 से 304/6 किमी. तक दो लेन के मेहर बाइपास के भाग के तौर पर मेहर रेलवे क्रॉसिंग पर सड़क उपरिपुल के निर्माण को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

(ग) निविदा दाताओं के पूर्व-अर्हता दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

बनास पुल पर पथकर की वसूली

1632. श्री सुभाष महरिया : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने बनास पुल पर पथकर की वसूली को समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। मई, 2006 में राजस्थान सरकार के लोक निर्माण और संसदीय कार्य विभाग मंत्री ने और मार्च, 2006 में मुख्य इंजीनियर (राष्ट्रीय राजमार्ग), लोक निर्माण विभाग राजस्थान ने बनास पुल पर पथकर वसूली समाप्त करने का अनुरोध किया था।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अनुसरण में बने राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल के प्रयोग के लिए फीस-लोक वित्त पोषित परियोजनाएं) नियमावली, 1997 के अनुसार इस पुल के लिए फीस कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्थायी रूप से वसूल की जा रही है। इसलिए इस पुल पर पथकर की वसूली रोकी नहीं जानी है।

[अनुवाद]

आयुर्वेद के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र

1633. **श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तिरुवनंतपुरम में आयुर्वेद के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केंद्र के लिए प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि अर्जित कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) आयुर्वेद औषध अनुसंधान के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र पहले से ही तिरुवनंतपुरम में कार्य कर रहा है।

(ख) से (घ) राज्य सरकार ने तिरुवनंतपुरम में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र (औषध अनुसंधान) के लिए भवन का निर्माण करने हेतु तिरुमाला गांव में 1.54 एकड़ भूमि आबंटित की है। इस भूमि को केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) द्वारा ले लिया गया है और भवन के निर्माण हेतु डिजाइन एवं खर्च के आकलन को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के परामर्श से अंतिम रूप दे दिया गया है।

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार वीजा शुरू करना

1634. **श्री मिलिन्द देवरा : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने एक नए व्यापाक वीजा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे दोनों देशों के बीच यात्रा करने वाले उद्यमियों के सामने आने वाली कठिनाइयों के दूर होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और समझौते के कब तक लागू होने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) अक्तूबर, 2005 में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के समक्ष मौजूदा वीजा करार को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा था और उन्हें संशोधित वीजा करार का प्रारूप भी सौंपा था।

(ग) प्रारूप करार में व्यापाक वीजा सहित विभिन्न श्रेणी के वीजाओं को जारी करने में उदारता बरतने का प्रस्ताव है। इस मामले पर पाकिस्तान सरकार के साथ चर्चा की जा रही है।

[हिन्दी]

अविवाहित पुत्री के लिए पेंशन

1635. **श्री शंख लाल माझी : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अविवाहित पुत्रियां अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद परिवार पेंशन पाने की हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे कितनी आयु तक परिवार पेंशन का लाभ उठा सकती हैं और उन्हें कितने प्रतिशत पेंशन मिलेगी;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में हाल ही में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अविवाहित पुत्रियों द्वारा पेंशन पाने हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (च) सरकार द्वारा दिनांक 6.9.2007 को जारी अनुदेशों के अनुसार, अविवाहित पुत्रियां अपने माता-पिता की मृत्यु के पश्चात् परिवार पेंशन पाने की हकदार हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित किया गया है कि 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित पुत्री, पूरी की जाने वाली अन्य सर्तों के अध्यधीन, विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को दी जाने वाली परिवार पेंशन के बराबर पेंशन प्राप्त करने की पात्र हैं। अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को परिवार पेंशन का दिया जाना, उनकी जन्म तारीख के अनुसार देय होगा और उनमें से छोटी पुत्री, परिवार पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे

बड़ी पुत्री परिवार पेंशन प्राप्त करने की अपात्र हो जाए। 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को परिवार पेंशन तभी देय होगी जब 25 वर्ष की आयु से कम उम्र के अन्य पात्र बच्चे, परिवार पेंशन प्राप्त करने के पात्र नहीं रहते और परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई निःशक्त बच्चा नहीं हो।

[अनुवाद]

आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेस वे के दोनों ओर पौधरोपण

1636. श्री अशोक अर्गल : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर पेड़ लगाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेड़ लगाने और उनकी देखरेख का काम ठेके के आधार पर किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विशेष रूप से आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ठेकेदार की लापरवाही के कारण काफी पेड़ खत्म हो गए हैं या सूख गए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। मार्गाधिकार क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता के आधार पर दोनों ओर मार्ग वृक्षारोपण किया जाता है। सामान्यतः राज्य वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है। बी ओ टी के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं में रियायतग्राही द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है।

(ग) और (घ) वृक्षारोपण और उनका रख-रखाव सामान्यतः सिविल कार्य निर्माण ठेकों में शामिल नहीं किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए कुछ खंडों में वृक्षों का रख-रखाव मार्ग प्रचालन और अनुरक्षण ठेकों के भाग के रूप में शामिल किया जाता है। ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

(i)	रारा 8 :	जयपुर बाइपास
(ii)	रारा-79ए :	किशनगढ़-कंवालियास-जवारों का खेड़ा खंड (0 से 35 किमी) और रारा 79 (15 से 163.90 किमी.)
(iii)	रारा 76	उदयपुर - चित्तौड़गढ़ (113.825 से 220.00 किमी.)
(iv)	रारा 5	भुवनेश्वर-जगतपुर-चंडीखोल (0 से 61 किमी.)

(ङ) जी नहीं। आगरा-ग्वालियर खंड पर वृक्षों का रख-रखाव राज्य वन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पासपोर्ट कार्यालयों के कार्य को सुचारू बनाना

1637. श्री पन्नियन रवीन्द्रन :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री उदय सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पासपोर्ट कार्यालयों ने नए व्यक्तियों को एक ही नंबर के पासपोर्ट जारी किए हैं जैसा कि दिनांक 12 नवम्बर, 2007 ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में पासपोर्ट जारी करने वाले कर्मचारियों और ट्रैवल एजेंटों के बीच कोई सांठगांठ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश भर में पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण को सुचारू बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या पासपोर्ट आवेदकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक ने वर्ष 2006 में जड 00000

से जेड-056000 नंबर वाली जम्बो पासपोर्ट पुस्तिकाएं मुद्रित की थीं। पुस्तिका की संख्याएं इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक द्वारा वर्ष 1995 में जारी की गई पूर्ववर्ती श्रृंखलाओं की "दोहराई" हुई श्रृंखलाएं थीं। चूंकि इसके परिणामस्वरूप कुछ नागरिकों को उत्प्रवासन काउंटरों पर समस्याएं हुई थीं, इसलिए सरकार ने भारत और विदेशों में सभी पासपोर्ट जारी कर्त्ता प्राधिकारियों को यह अनुदेश दे दिया है कि वर्ष 2006 में मुद्रित "दोहराई हुई" किसी भी श्रृंखला को जारी न करें। पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारियों को यह भी अनुदेश दे दिए गए हैं कि वे पहले से जारी हो चुके सभी पासपोर्ट पुस्तिकाओं को नागरिकों से वापस ले लें और उन्हें नए पासपोर्ट दस्तावेज निःशुल्क जारी करें।

(ग) और (घ) जहां तक पासपोर्ट जारी करने वाले स्टाफ और ट्रैवल एजेंटों के बीच भ्रष्ट तरीकों का संबंध है, जब भी ऐसी घटनाएं सरकार के ध्यान में आती हैं, तत्काल दोषी अधिकारियों के विरुद्ध संबंधित एजेंसियों द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर अथवा अनुशासनिक कार्यवाहियों के माध्यम से, यथा-अपेक्षित कार्रवाई की जाती है। सरकार पासपोर्ट कार्यालयों में गलत कार्यों एवं कमियों को रोकने के लिए कई सुधारात्मक उपाय भी करती रही है जैसे कि पासपोर्ट कार्यालयों की सतर्कता जांच सहित नियमित एवं अकस्मात निरीक्षण करना, केंद्रीय पासपोर्ट संगठन में सतर्कता तंत्र सुदृढ़ करना और पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण में ज्यादा जवाबदेही सुनिश्चित करना।

(ङ) और (च) पासपोर्ट आवेदकों द्वारा सामना किए जा रहे कठिनाइयों के संबंध में जब भी कोई शिकायत सरकार को प्राप्त होती है, उन पर तत्काल उचित उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

सरकार को इस बात की जानकारी है कि आवेदकों को कभी-कभी पासपोर्ट जारी होने में कुछ विलंब का सामना करना पड़ता है। विलंब होने के कारणों में- पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने में विलंब तथा प्रतिकूल अथवा अपूर्ण पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होना, अधूरी सूचना तथा/अथवा दस्तावेज आवेदक द्वारा प्रस्तुत करना शामिल है। पासपोर्ट कार्यालयों में तेजी से बढ़ते कार्यभार से भी विलंब होता है। केंद्रीय पासपोर्ट संगठन द्वारा जारी पासपोर्टों की संख्या वर्ष 2005 की समान आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2006 में 19% बढ़ गयी (वर्ष 2005 के 35.7 लाख से वर्ष 2006 में 44.41 लाख)।

आवेदनों की भीड़भाड़ के परिणामस्वरूप लंबित पड़े आवेदनों को निपटाने के लिए समय-समय पर पासपोर्ट कार्यालयों को अनुदेश दिए गए हैं और सहायता दी गई है। साप्ताहिक आधार पर मंत्रालय द्वारा लंबित आंकड़ों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

उपयोग प्रमाण-पत्र

1638. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की धनराशि के उपयोग की रिपोर्ट देने में विलंब करने पर चिंता प्रकट की है जिसके कारण बड़ी संख्या में उपयोग प्रमाण-पत्र लंबित है;

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 2007 में राज्य स्वास्थ्य सचिवों की दो-दिवसीय बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री जी ने यह महसूस किया कि राज्यों द्वारा धनराशि उपयोग हेतु क्षमता में सुधार करने की तत्काल जरूरत है;

(ग) क्या धनराशि उपयोग की देरी से रिपोर्ट देने के कारण बड़ी संख्या में उपयोग प्रमाण-पत्र लंबित हैं और;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्यों से स्वास्थ्य हेतु प्रयुक्त धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र देने हेतु अनुरोध करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) पूर्वगामी वर्षों के लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों को समाप्त करने के लिए अनुदानग्राहियों के पास बकाया उपयोग पत्रों की स्थिति को मुख्य सचिव/सचिव के ध्यान में लाया गया तथा उनका जल्द निपटान करने के लिए इसकी प्रति सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा राज्यों के रेजिडेंट आयुक्तों को पृष्ठांकित की गई। इसके उपरांत, बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों का जल्द निपटान करने के लिए मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा सभी राज्य रेजिडेंट आयुक्तों को अनुस्मारक जारी किया गया है।

[हिन्दी]

कोयला ठेकेदारों को अधिक भुगतान

1639. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. और उसकी अनुषंगी इकाइयों ने बिना किसी आर. एंड आर. नीति के ठेकेदार को अधिक भुगतान कर दिया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान सी.आई.एल. को परियोजना-वार और कंपनी-वार कितनी धनराशि का अधिक भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकार ने उन अधिकारियों की पहचान की है जिन्होंने योजनाओं के अंतर्गत अधिक भुगतान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) कोल इंडिया लि. की पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) नीति के अनुसार केवल पात्र विस्थापित व्यक्तियों को ही पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ प्रदान किए जाते हैं तथा आर एंड आर नीति से बाहर ऐसे भुगतान की कोई गुंजाइश नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में खेल विज्ञान का अध्ययन

1640. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**
श्री मो. ताहिर :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खिलाड़ियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में खेल विज्ञान के अध्ययन को अनिवार्य बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी हां। खेल विज्ञान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनआईएस) पटियाला और बंगलौर में भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्रों में खेल औषधि, खेल मनोविज्ञान, मानवमिति, जैव/यांत्रिक, शरीर विज्ञान व्यायाम और प्रशिक्षण पद्धति संबंधी सुस्थापित खेल विज्ञान सुविधाएं हैं जिनका प्रबंधन खेल वैज्ञानिकों की उच्च योग्यता प्राप्त और अनुभवी टीमों के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन केंद्रों पर फिटनेस संबंधी नवीनतम उपकरण और स्वास्थ्य पद्धति सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय शिविरवासियों को वैज्ञानिक समर्थन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी की प्रणाली का एक अभिन्न अंग है।

(ग) जी हां। राष्ट्रीय कोचों को खिलाड़ियों के वैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में तथा खेल प्रशिक्षण, विशेषकर खेल औषधि, खेल मनोविज्ञान, खेल जैव/यांत्रिक, खेल शरीर विज्ञान तथा एथलीटों के प्रदर्शन में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण के तरीकों में वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करके वैज्ञानिक समर्थन उपलब्ध कराया जा रहा है। खेल विज्ञान सहित कोचिंग के दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक जानकारी के साथ अनुसंधान परियोजना अनिवार्य है।

दिल्ली में अभिघात केन्द्र

1641. **श्री रामदास आठवले :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार को दिल्ली में अभिघात केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार से दिल्ली में अभिघात केन्द्र की स्थापना के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अभयारण्यों और बाघ रिजर्वों में पकड़े गए नक्सलवादी और माफिया

1642. **श्री वी.के. ठुम्मर :**
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक अभयारण्यों और बाघ रिजर्वों में नक्सलवादी और माफिया पकड़े गए हैं;

(ख) इन क्षेत्रों से उन्हें बाहर निकालने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) इन क्षेत्रों में अंतर्गत आने वाले गांवों का अभयारण्यों और बाघ रिजर्व-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की अब तक की उपलब्धि क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) इस संबंध में राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोयला ब्लाकों की नीलामी

1643. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कोयला ब्लाकों की नीलामी के कदम का पुरजोर विरोध हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (ग) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर प्रतियोगी बोली के माध्यम से कोयला और लिग्नाइट ब्लाकों के आबंटन की प्रस्तावित पद्धति के विरुद्ध कतिपय व्यक्तियों ने आपत्तियां व्यक्त की थी

(i) कोयले की लागत में बढ़ोत्तरी होगी और उसके फलस्वरूप विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी;

(ii) पट्टाधारी के चयन में राज्य सरकार का विशेषाधिकार कम हो जाएगा।

(iii) विद्युत परियोजना विकासकर्ताओं के साथ अन्य शर्तों और निबंधनों पर बातचीत करते समय प्रतियोगी बोली के माध्यम से लिग्नाइट ब्लाकों के आबंटन से लिग्नाइट धारक राज्य को हानि होगी;

(iv) प्रतियोगी बोली के माध्यम से आबंटन की प्रस्तावित प्रणाली में विद्युत क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान नहीं की जाएगी;

सरकार का यह विचार है कि सीआईएल की अधिसूचित कीमत से तुलना किए जाने पर युक्तिमूलक बोली से कोयले की लागत बढ़ना असंभाव्य है। प्रतियोगी बोली के माध्यम से पट्टाधारी के चयन में विशेषाधिकार का प्रयोग अधिक पारदर्शी और उद्देश्यपरक पद्धति में हो पाएगा। लिग्नाइट ब्लाकों का आबंटन विद्युत परियोजनाओं का अवार्ड संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच एक सुनियोजित तथा समन्वित पद्धति से किया जा सकता है। विचाराधीन प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों को कोयला ब्लाकों हेतु एक अलग नीलामी करने पर कोई रोक नहीं होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उपयोगिताओं की प्रतियोगी बोली में आवश्यक रूप से भाग लिए बिना सरकारी कंपनी वितरण के माध्यम से कोयला ब्लाकों तक पहुंच बनी रहेगी।

दिल्ली में प्रदूषण

1644. **श्री बालासौरी वल्लभनेनी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सीएनजी-पूर्व के समय तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जायेंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में रिहायशी इलाकों, औद्योगिक क्षेत्रों और यातायात चौराहों सहित सात जगहों पर आस-पास चारों ओर की वायु गुणवत्ता मानीटर कर रहा है। मानीटर किया हुआ डाटा दर्शाता है कि 1996 और 2001 के आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2006 में आस-पास की हवा में सल्फर डाइक्साइड सांद्रण का स्तर घटता हुआ दिख रहा है और नाइट्रोजन डायक्साइड के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। 2006 में रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्रों में सस्पेंडिड पार्टिकुलेट मैटर (एस.पी.एम.) का सांद्रण दर्शाता है कि

यह 1996 में रिकार्ड किए गए स्तर से कम था। स्तरों में वृद्धि के लिए प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो कि प्रदूषकों को फैलने से रोकता है।

(ग) दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

- वाहनों के निर्माण स्तर पर भारत स्टेज III मानकों की शुरूआत
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्लीनर फ्यूल की शुरूआत
- थर्मल पॉवर संयंत्रों में लाभप्रद कोयले का प्रयोग
- वायु प्रदूषण को बढ़ाने वाले विभिन्न कारणों का पता लगाने के लिए दिल्ली में संसाधन विभाजन अध्ययन शुरू किया गया है।

एस.ई.सी.एल. को विभिन्न ठेकेदारों द्वारा भुगतान न करना

1645. श्री चन्द्र शेखर दुबे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न ठेकेदार पट्टा किराये, विद्युत, रख-रखाव और जलापूर्ति की वजह से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लि. (एसईसीएल) को भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में लेखा-परीक्षा की कोई आपत्ति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर पूर्व हेतु आबंटन

1646. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर के लिए प्रत्येक मंत्रालय के दस प्रतिशत बजटीय आबंटन के अप्रयुक्त शेष से सृजित गैर-व्यपगत संसाधन पूल में कुल प्रोद्भवन और वर्तमान शेष राशि कितनी है और उत्तर-पूर्व विकास मंत्रालय को वर्ष-वार कितना प्रोद्भवन और वास्तविक संवितरण किया गया:

(ख) कौन-कौन से मंत्रालयों को उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए दस प्रतिशत बजटीय आबंटन से मुक्त रखा गया है;

(ग) क्या इस पूल से कुछ वृहत परियोजनाओं का प्रत्यक्ष ही वित्तपोषण किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना-वार कितना आबंटन किया गया और वित्त मंत्रालय के पास कितनी धनराशि शेष है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एन एल सी पी आर) में जमा राशि तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के बजट में एन एल सी पी आर स्कीम की शुरूआत से किए गए आबंटनों की वर्ष वार सूचना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	वर्ष	वर्ष के दौरान अव्यपगत निधियों में जमा खर्च न किया गया शेष (करोड़ रु. में)	डोनर मंत्रालय को एन एल सी पी आर स्कीम के तहत आबंटित बजट (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
1.	1998-1999	1189.85	@106.34
2.	1999-2000	1571.78	@409.96
3.	2000-2001	1440.60	@309.25
4.	2001-2002	1603.84	@491.57
5.	2002-2003	1339.70	550.00
6.	2003-2004	657.24	550.00
7.	2004-2005	663.35	650.00

1	2	3	4
8.	2005-2006	1960.12	679.17
9.	2006-2007	#1329.53	700.00
10	2007-2008		600.00

अनंतिम

@ पूर्वोत्तर परिषद द्वारा प्रारंभिक 4 वर्षों अर्थात्, 1998-99 से 2001-02, तक व्यय की गई राशि को पूल में से घटा दिया गया है। वित्त मंत्रालय को 29.60 करोड़ रुपये की राशि की विसंगति का समाशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

1.4.2007 की स्थिति के अनुसार एनएलसीपीआर में 5074.74 करोड़ रुपये शेष है। (अनंतिम)।

(ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त बजटीय आबंटन करने से छूट प्राप्त मंत्रालय/विभाग (1 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार) इस प्रकार हैं:

(i) परमाणु ऊर्जा, (ii) कंपनी मामले, (iii) आर्थिक कार्य, (iv) व्यय, (v) विदेश मंत्रालय, (vi) विधि मामले, (vii) भू-विज्ञान, (viii) राजभाषा, (ix) कार्मिक और प्रशिक्षण, (x) पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, (xi) योजना, (xii) राजस्व, (xiii) सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता*, (xiv) इस्पात, (xv) अंतरिक्ष, (xvi) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा (xvii) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान।

*सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संबंध में अनुसूचित जाति प्रभाग (एस सी डी) की केवल 2% निधियां ही उत्तर पूर्व के लिए आबंटित की जाती हैं। 10% आबंटन का नियम एस सी डी को छोड़कर बाकी क्षेत्रों पर लागू होता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस पूल से किसी भी बड़ी परियोजना का प्रत्यक्ष रूप से निधियन नहीं किया जाता है। 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार एन एल सी पी आर में 5074.74 करोड़ रु. शेष हैं (अनंतिम)।

राज्यों से अपेक्षित बराबर योगदान

1647. डा. टोकचोम मैन्या : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निर्धन और छोटे राज्य द्वारा बराबर अनुदान प्रदान करने में वित्तीय कठिनाइयां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इस मामले को योजना आयोग के साथ उठाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी राजशेखरन) : (क) से (ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों ने सर्वशिक्षा अभियान के तहत् अपने निर्धारित शेयर (25%) का अंशदान देने में आने वाली वित्तीय कठिनाईयों को प्रस्तुत किया था। उन्होंने केन्द्र प्रायोजित सभी स्कीमों के लिए 90 : 10 के एकल पैटर्न की भी मांग की है। इन राज्यों को दसवीं योजना के अंतिम दो वर्षों (2005-06 तथा 2006-07) के दौरान एक मुश्त विशेष छूट उपलब्ध कराई गई है जिससे उन्होंने केवल 10% का अंशदान दिया तथा शेष 15% अंशदान पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के संसाधनों के गैर व्यपगत केन्द्रीय पूल (एलएलसीपीआर) से उपलब्ध कराया गया।

ग्यारहवीं योजना में एसएसए के अंतर्गत 50 : 50 के निधियन पैटर्न को बदलने में होने वाली कठिनाईयों के बारे में कई राज्यों की मांग के मद्देनजर इस पैटर्न में ग्यारहवीं योजना के पहले दो वर्षों के लिए 65 : 35, तीसरे वर्ष के लिए 60 : 40 चौथी के लिए 55 : 45 तथा उसके बाद 50 : 50 के अनुपात में कम करते हुए संशोधन किया गया है। वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दी गई विशेष छूट ग्यारहवीं योजना में भी जारी रहेगी जिससे प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य, राज्य के हिस्से के रूप में केवल 10% अंशदान देगा तथा शेष भाग भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा।

एस ए आई में कोचों की रिक्तियां

1648. श्रीमती निवेदिता माने : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण (एस ए आई) में कोचों के सिलेक्शन ग्रेड में बहुत से पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये पद कब से रिक्त हैं;

(ग) इन पदों को न भरने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास इन पदों को भरने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) जी हां। विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षकों के लगभग 500 पद रिक्त पड़े हुए हैं। कर्मचारी निरीक्षण एकक (एसआईयू) द्वारा जुलाई, 1998 में भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें प्रशिक्षकों सहित भारतीय खेल प्राधिकरण के स्वीकृत पदों में भारी कटौती की सिफारिश की गई थी, मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक कर दिया है कि वह किसी पद के सृजन से पहले सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करे। तथापि, अंतरिम उपाय के रूप में भारतीय खेल प्राधिकरण को यह अनुमति प्रदान की गई है कि जब भी जरूरत पड़े वह ठेके के आधार पर प्रशिक्षकों को नियुक्त कर सकता है और भारतीय खेल प्राधिकरण ऐसा कर रहा है।

[हिन्दी]

हिपेटाईटिस-ई से प्रभावित व्यक्ति

1649. श्री रशीद मसूद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक हिपेटाईटिस-ई से कितने व्यक्ति प्रभावित हैं; और

(ख) राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) वायरल हैपेटाइटिस जिगर का संक्रमण है। हैपेटाइटिस-ई एक जल जन्य रोग है जो हैपेटाइटिस-ई विषाणु के कारण होता है। यह एक स्वयं सीमित तीव्र रोग है और चिरकारी हैपेटाइटिस ई के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

हैपेटाइटिस-ई के रोगियों की संख्या के संबंध में अलग से डाटा नहीं रखा जाता है, तथापि, वर्ष 2005-2007 की अवधि के लिए हैपेटाइटिस-ई सहित वायरल हैपेटाइटिस के रोगियों और इससे हुई मौतों की संख्या विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

भारत में प्रमुख संचारी रोगों के कारण सूचित रोगियों और मौतों की संख्या वायरल हैपेटाइटिस-2005

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	पुरुष		महिला		कुल		संदर्भावधि
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	15835	30	13447	9	29282	39	दिसंबर, 05
2.	अरुणाचल प्रदेश	235	2	208	2	443	4	दिसंबर, 05
3.	असम	15938	0	991	0	16929	0	दिसंबर, 05
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—	अप्राप्त
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	अप्राप्त

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	गोवा	11	0	8	0	19	0	अप्रैल, 05
7.	गुजरात	5775	5	3875	7	9650	12	दिसंबर, 05
8.	हरियाणा	2437	15	1021	5	3458	20	दिसंबर, 05
9.	हिमाचल प्रदेश	1432	0	1237	0	2669	0	दिसंबर, 05
10.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	7908	1	दिसंबर, 05
11.	झारखंड	17	0	6	0	23	0	दिसंबर, 05 जनवरी से मार्च को छोड़कर
12.	कर्नाटक	10144	20	7769	26	17913	46	दिसंबर, 05
13.	केरल	5539	12	3366	3	8905	15	दिसंबर, 05
14.	मध्य प्रदेश	3792	115	3255	13	7047	128	दिसंबर, 05
15.	महाराष्ट्र	27490	39	11677	43	39167	82	दिसंबर, 05
16.	मणिपुर	106	0	100	0	206	0	दिसंबर, 05
17.	मेघालय	122	0	147	0	269	0	दिसंबर, 05
18.	मिजोरम	343	1	299	1	642	2	दिसंबर, 05
19.	नागालैण्ड	37	0	15	0	1117	0	दिसंबर, 05
20.	उड़ीसा	1543	12	979	9	2522	21	दिसंबर, 05
21.	पंजाब	1086	6	729	1	1815	7	दिसंबर, 05
22.	राजस्थान	1484	43	777	7	2261	50	दिसंबर, 05
23.	सिक्किम	148	2	102	0	250	2	दिसंबर, 05
24.	तमिलनाडु	—	—	—	—	8263	20	दिसंबर, 05
25.	त्रिपुरा	185	2	158	1	343	3	दिसंबर, 05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	उत्तरांचल	616	1	268	0	884	1	नवंबर, 05
27.	उत्तर प्रदेश	1143	5	999	6	2142	11	दिसंबर, 05
28.	पश्चिम बंगाल	3269	89	2357	46	5626	135	अगस्त, 05
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	172	5	95	2	267	7	दिसंबर, 05
30.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	अप्राप्त
31.	दादरा एवं नागर हवेली	97	7	62	2	159	9	दिसंबर, 05
32.	दमण व दीव	6	0	5	0	11	0	नवंबर, 05
33.	दिल्ली	6276	59	4326	44	10602	103	दिसंबर, 05
34.	लक्षद्वीप	22	0	18	0	40	0	दिसंबर, 05
35.	पांडिचेरी	448	0	341	0	789	0	दिसंबर, 05
	कुल	105748	470	58637	227	181621	718	

डाटा अनंतिम है और खराब उल्लेखित कवरेज के कारण तुलना करने योग्य नहीं है।

– असूचित

कुल आंकड़ें के साथ पुरुष एवं महिला की संख्या का मेल नहीं कर सकते क्योंकि कुछ राज्यों/संघ क्षेत्रों ने अलग से लिंगवार सूचना प्रदान नहीं की है।

स्रोत : राज्य/संघ क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट

भारत में वायरल हैपेटाइटिस के कारण राज्य/संघ क्षेत्र वार रोगी एवं मौतें, 2006

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	पुरुष		महिला		कुल		संदर्भावधि
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	9154	18	8692	10	17846	28	दिसम्बर, 06 अगस्त छोड़कर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	272	4	281	2	553	6	दिसंबर, 06
3.	असम	—	—	—	—	—	—	अप्राप्त
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—	अप्राप्त
5.	छत्तीसगढ़	885	2	606	0	1491	2	दिसम्बर, 06 जनवरी व सितम्बर को छोड़कर
6.	गोवा	10	0	5	0	15	0	दिसंबर, 06
7.	गुजरात	5874	10	3522	6	9396	16	दिसंबर, 06
8.	हरियाणा	2303	8	1680	3	3983	11	दिसंबर, 06
9.	हिमाचल प्रदेश	452	6	383	5	835	11	दिसंबर, 06
10.	जम्मू मंडल	1470	0	999	0	4393	0	दिसंबर, 06
	कश्मीर मंडल	819	0	670	0	1489	0	दिसंबर, 06
11.	झारखंड	30	0	21	0	51	0	दिसंबर, 06
12.	कर्नाटक	8674	19	6306	5	14980	24	दिसंबर, 06
13.	केरल	4206	5	2812	1	7018	6	दिसंबर, 06
14.	मध्य प्रदेश	1578	6	921	3	2499	9	जुलाई, 06
15.	महाराष्ट्र	30608	75	12607	56	43215	131	दिसंबर, 06
16.	मणिपुर	192	0	154	0	346	0	दिसंबर, 06
17.	मेघालय	156	2	138	0	294	2	दिसंबर, 06
18.	मिजोरम	314	8	232	3	546	11	दिसंबर, 06
19.	नागालैण्ड	150	0	85	0	235	0	दिसंबर, 06
20.	उड़ीसा	1641	22	1054	16	2687	38	दिसंबर, 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	पंजाब	2385	11	1444	6	3829	17	दिसंबर, 06
22.	राजस्थान	2470	49	1399	29	3869	78	दिसंबर, 06
23.	सिक्किम	157	2	133	0	290	2	दिसंबर, 06
24.	तमिलनाडु	–	–	–	–	10075	15	दिसंबर, 06
25.	त्रिपुरा	1602	10	1166	5	2768	15	दिसंबर, 06
26.	उत्तरांचल	1914	0	1467	0	3381	0	दिसंबर, 06
27.	उत्तर प्रदेश	2451	3	1265	3	3716	6	दिसंबर, 06
28.	पश्चिम बंगाल	4275	131	3158	74	7433	205	दिसंबर, 06
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	176	1	37	3	213	4	दिसंबर, 06
30.	चंडीगढ़							अप्राप्त
31.	दादर व नागर हवेली	86	3	40	0	126	3	दिसंबर, 06
32.	दमन एवं दीव	1	0	2	0	3	0	केवल फरवरी, अप्रैल, नवंबर व दिसम्बर, 2006
33.	दिल्ली	2339	29	1741	13	4080	42	दिसंबर, 06
34.	लक्षद्वीप	53	0	33	0	86	0	दिसंबर, 06
35.	पांडिचेरी	385	5	230	2	615	7	दिसंबर, 06
	कुल	87082	429	53275	245	152356	689	

डाटा अनंतिम है और खराब उल्लेखित कवरेज के कारण तुलना करने योग्य नहीं है।

-- अप्राप्त

कुल आंकड़े के साथ पुरुष एवं महिला की संख्या का मेल नहीं कर सकते क्योंकि कुछ राज्यों/संघ क्षेत्रों ने अलग से लिंगवार सूचना प्रदान नहीं की है।

स्रोत राज्य/संघ क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट

भारत में प्रमुख संचारी रोगों के कारण सूचित रोगियों और मौतों की संख्या

वायरल हैपेटाइटिस - 2007

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	पुरुष		महिला		कुल		संदर्भ अवधि तक
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	3932	19	2947	10	6879	29	अगस्त, 07
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	अप्राप्त
3.	असम	–	–	–	–	–	–	अप्राप्त
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–	अप्राप्त
5.	छत्तीसगढ़	63	0	38	0	101	0	फरवरी, 07
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	अप्राप्त
7.	गुजरात	1638	1	1018	1	2656	2	अगस्त, 07
8.	हरियाणा	832	1	602	0	1434	1	अगस्त, 07
9.	हिमाचल प्रदेश	1601	2	1278	1	2879	3	अगस्त, 07
10.	जम्मू मण्डल	2301	0	1751	0	4052	0	अगस्त, 07
	कश्मीर मण्डल	427	0	270	0	697	0	अगस्त, 07 जनवरी को छोड़कर
11.	झारखंड	85	0	53	0	138	0	जुलाई, 07
12.	कर्नाटक	3524	19	2684	2	6208	21	जुलाई, 07
13.	केरल	2989	9	1972	2	4961	11	अगस्त, 07
14.	मध्य प्रदेश	1496	8	1062	1	2558	9	मई, 07
15.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	अप्राप्त
16.	मणिपुर	106	2	52	0	158	2	जून, 07
17.	मेघालय	7	0	22	0	29	0	जुलाई, 07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	मिजोरम	122	3	109	1	231	4	अगस्त 07
19.	नागालैंड	2	0	0	0	2	0	मई, 07
20.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	अप्राप्त
21.	पंजाब	1732	6	1161	2	2893	8	जून, 07
22.	राजस्थान	482	10	269	2	751	12	जुलाई, 07
23.	सिक्किम	63	1	63	2	126	3	जुलाई, 07
24.	तमिलनाडु	—	—	—	—	200	0	मई, 07
25.	त्रिपुरा	752	3	505	0	1257	3	जुलाई, 07
26.	उत्तरांचल	770	7	517	4	1287	11	जून, 07
27.	उत्तर प्रदेश	1272	10	799	2	2071	12	जून, 07 मई को छोड़कर
28.	पश्चिम बंगाल	1231	34	838	10	2069	44	जून, 07
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	108	2	63	0	171	2	अगस्त, 07
30.	चंडीगढ़	—	—	—	—	320	33	जून, 07
31.	दादरा एवं नागर हवेली	39	0	23	0	62	0	सितम्बर, 07
32.	दमण व दीव	15	0	8	0	23	0	जुलाई, 07
33.	दिल्ली	1613	37	939	18	2552	55	अगस्त, 07
34.	लक्षद्वीप	45	0	41	0	86	0	जून, 07
35.	पांडिचेरी	154	1	78	0	232	1	अगस्त, 07
	कुल	27401	175	19162	58	47083	266	

डाटा अनंतिम है और खराब उल्लेखित कवरेज के कारण तुलना करने योग्य नहीं है।

— असूचित

कुल आंकड़ें के साथ पुरुष एवं महिला की संख्या का मेल नहीं कर सकते क्योंकि कुछ राज्यों/संघ क्षेत्रों ने अलग से लिंगवार सूचना प्रदान नहीं की है।

स्रोत : राज्य/संघ क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट

[अनुवाद]

क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम

1650. **श्री एस. अजय कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व बैंक की सहायता से क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम आरम्भ करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) सरकार पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित डाट्स कार्यनीति के आधार पर देश भर में एक संशोधित क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम (संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम) आरंभ कर चुकी है। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, एक्स-रे के बजाय स्पूटम माइक्रोस्कोपी के द्वारा निदान से संक्रमण ग्रस्त रोगियों का प्राथमिकता के आधार पर पता लगाया जाता है और इलाज किया जाता है। स्पूटम माइक्रोस्कोपी द्वारा निदान की सुविधाओं को विकेन्द्रीकृत और सुदृढ़ किया गया है। निगरानी रखते हुए औषधियों प्रदान की जाती हैं और रोगियों की भी मॉनीटरिंग की जाती है ताकि वे अपना इलाज पूरा करवा सकें। रोगी-वार बक्सों में निशुल्क औषधियां प्रदान की जाती हैं। आज की स्थिति के अनुसार, संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम ने 14.00 लाख से अधिक रोगियों को मौत से बचाते हुए 78.00 लाख से अधिक रोगियों का डॉट्स उपचार किया है। प्रत्येक माह 1.0 लाख से अधिक रोगियों का डॉट्स उपचार आरम्भ किया जाता है। वर्ष 2006 में ही, भारत में 14.00 लाख रोगियों का डॉट्स उपचार आरम्भ किया गया था जोकि एक वर्ष में विश्व के किसी देश से अधिक था। कुल मिलाकर संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन उत्कृष्ट रहा जिसमें निदान/उपचार समाप्ति दर नियमित रूप से 85% से अधिक रही और मृत्यु दर घटकर 5% से कम रही। इस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तक लोगों की पहुंच में वृद्धि करने के लिए संशोधित कार्यनीति में सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलापों, गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र और चिकित्सा महाविद्यालयों को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु धनराशि

1651. **श्री राजनरायन बुधौलिया :**

श्री रायापति सांबासिवा राव :

श्री किन्जरपु येरननायडु :

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया/किया जाएगा और इसके लिए राज्य-वार अनुमोदित/आबंटित धनराशि कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार आरंभ की गई प्रमुख सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और चालू परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान कोई नई राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजना आरंभ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अस्पतालों में दवाइयों का अभाव

1652. **श्री पुष्प जैन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों में घातक रोगों के लिए दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या रोगियों को इन मंहगी दवाइयों को खुले बाजार से खरीदना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो दवाइयों की खरीद और नैदानिक परीक्षणों के लिए इन अस्पतालों को कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(घ) इन दवाइयों को गरीब रोगियों की पहुंच में लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में जीवन रक्षक औषधों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। किसी अनिवार्य औषध की अनुपलब्धता के मामले में स्थानीय खरीद के लिए अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक के पास अग्रिम धन का भी प्रावधान है। शीर्ष 'आपूर्ति की गई एवं सामग्री' जिसमें औषध और प्रयोज्य नैदानिकी परीक्षण पर व्यय शामिल है, के अंतर्गत बजट आबंटन का ब्यौरा इस प्रकार है:–

(हजार रुपए में)

संस्थान का नाम	2004-05 वास्तविक	2005-06 संशोधित प्राक्कलन	2006-07 बजट प्राक्कलन
सफदरजंग अस्पताल	205671	197435	195000
डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	107852	99240	119200
लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय (एलएचएमसी)	9427	71590	71590

[अनुवाद]

वाहन क्षेत्र हेतु ईंधन दक्षता मानदंड

1653. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाहन क्षेत्र के लिए ईंधन दक्षता मानदंडों को तैयार करने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और इसके विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) इस समिति को टाइप अनुमोदन और कार्बनडाई आक्साइड (सी ओ 2) तथा डीजल और गैसोलिन वाहनों के ईंधन खपत संबंधी उत्पादन समनुरूपता डाटा का विश्लेषण करना है। यह समिति डा. जी के शर्मा, निदेशक (तकनीकी), नेशनल आटोमोटिव टैस्टिंग एंड और एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (एनएटीआरआईई) की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। इस समिति में आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया (एआरएआई) पुणे, सोसायटी आफ इंडियन आटोमोबाइल्स मेन्यूफैक्चरर्स (एसआईएएम) तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वन की परिभाषा

1654. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वनों की परिभाषा को अंतिम रूप दे दिया है, जैसा कि दिनांक 10 अक्तूबर, 2007 के द टाइम्स ऑफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वन की नई परिभाषा से जनजातीय अधिकारों के प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो जनजातीय अधिकारों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

वनरोपण कार्यक्रमों हेतु विश्व बैंक सहायता

1655. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
प्रो. एम. रामदास :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने सामाजिक वनरोपण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम हेतु कोई सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी, हां। ''वनीकरण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक सहायता'' परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार को ऋण सहायता प्रदान की है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्नलिखित हैं और संलग्न विवरण में दिए गए है:

क्र. सं.	वर्ष	धनराशि (मिलियन रुपये में)	की गई कार्रवाई
1.	2006-07	1115.445	अनुबंध-क
2.	2005-06	1300.00	-वही-
3.	2004-05	1263.749	-वही-

विवरण

प्रारंभ से 31.3.2006 तक वास्तविक उपलब्धियां

2. 2003-2006 तक वन उपचार घटकों के अंतर्गत निम्नलिखित उपलब्धियां रहीं:—

क्र. सं.	गतिविधि	परियोजना लक्ष्य	31.03.2006 तक उपलब्धियां	उपलब्धियों का %
1	2	3	4	5
क.	**वन उपचार (31.03.2005):**			
1.	सागौन	1,50,000	147910	98.61
2.	गैर सागौन	1,00,000	77586	77.59
3.	बांस	50,000	27230	54.46
4.	रेड सेंडर्स	5,000	1142	22.84
5.	एसआरडब्ल्यूपी/एनटीएफपी (रोपण)			
	(i) ढलानें	5,000	12655	253
	(ii) मैदान	4,000	8708	218
	(iii) एम पी	1,800	504	28
	कुल	10,800	21867	202.47
	सकल योग (31.03.2005 तक)	3,15,800	275735	87.31

1	2	3	4	5
ख.	रोपण (2005-06)			
1.	बांस रोपणाधीन	—	31074	—
2.	बैरन पहाड़ियों का वनीकरण	—	3646	—
3.	अर्धयांत्रिकीय विधि द्वारा वनीकरण	—	9927	—
4.	अंतःरोपण	—	4566	—
	कुल (2005-06)	—	49213	—
	सकल योग (31.03.2006 तक)	3,15,800	324948	102.81

वर्ष 06-07 के लिए अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है।

प्रधानमंत्री की रूस यात्रा

1656. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री मोहन सिंह :
श्री कीरेन रिजीजू :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री हाल ही में रुस की यात्रा पर गए थे;

(ख) यदि हां, तो यात्रा के दौरान चर्चा किए गए विभिन्न मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) इस अवसर पर हस्ताक्षरित समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय समझौतों के कितने लाभकारी होने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां, प्रधानमंत्री 11-12 नवंबर, 2007 को रूस की यात्रा पर गए थे।

(ख) से (घ) यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर वी. पुतिन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने पर विशेष रूप से व्यापार एवं अर्थ-व्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा, उच्च प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति के क्षेत्रों में व्यापक चर्चा हुई। इसके अलावा दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। प्रधान मंत्री ने आर्थिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सहयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए रुस के प्रधान मंत्री श्री विक्टर जुबकोव के साथ मुलाकात भी की। इस यात्रा के दौरान संबंधित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित करार/दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए: (i) बहुमुखी परिवहन वाले विमान के विकास और उत्पादन में सहयोग पर करार; (ii) स्वापक, मनः प्रभावी पदार्थों और उनके पूर्ववर्ती रूपों के अवैध व्यापार का सामना करने के लिए सहयोग पर करार; (iii) संयुक्त चांद अन्वेषण के क्षेत्र में सहयोग पर करार; (iv) भारत में रुसी निवेशों के लिए रुपए ऋण निधियों का उपयोग करने के लिए विनियम पत्र।

[हिन्दी]

पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण

1657. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों की जांच का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) जी हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान निरीक्षण किए गए पासपोर्ट कार्यालयों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। पासपोर्ट कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित प्रकार की मुख्य कमियां पायी गयी है:—

i. आवेदन प्राप्त करते समय उनकी उचित संवीक्षा नहीं किया जाना;

ii. तत्काल मामलों के लिए विशेष व्यवस्था न किया जाना;

iii. व्यक्तिगत विवरणी प्रपत्र पुलिस प्राधिकारियों को भेजने में विलंब;

iv. पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात पासपोर्ट प्रदान करने और जारी करने में विलंब होने की घटनाएं;

v. "उत्प्रवासन निकासी की आवश्यकता (ईसीआर)" का गलत पृष्ठांकन;

vi. पासपोर्टों के प्रेषण में विलंब होना;

vii. पासपोर्ट चाहने वाले लोगों की शिकायतों का त्वरित निपटान न किया जाना;

viii. पासपोर्ट आवेदकों के लिए अपेक्षित सुविधाओं का न होना।

(ग) प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात पायी गयी कमियों की सूची तत्काल उपचारात्मक उपाय करने के अनुदेश के साथ संबंधित पासपोर्ट कार्यालय को भेजी जाती है। समय-समय पर जारी परिपत्रों के माध्यम से भी बड़ी कमियां सभी पासपोर्ट कार्यालयों के ध्यान में लायी जाती हैं ताकि उनसे बचने के लिए समुचित उपाय किये जा सकें।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों के निरीक्षण का विवरण

क्र. सं.	पासपोर्ट कार्यालय	निरीक्षण की तिथि
1	2	3
1.	अहमदाबाद	20-21 फरवरी 2004, 29 मार्च 2006 और 7 नवंबर 2006
2.	बंगलौर	31 अगस्त-2 सितंबर 2004
3.	बरेली	12 मई 2005, 30 जून 06, 20.07.06, 26.10.07
4.	भोपाल	08.12.06
5.	भुवनेश्वर	01.03.2006 और 12-14 अक्तूबर 2006
6.	चंडीगढ़	08-10 फरवरी, 2004, 05-06 दिसंबर 05, 07.06.07
7.	चैन्नई	24-27 अगस्त 2003, 18.10.06, 31.08.07
8.	कोचीन	30 मार्च 06, 26.05.07
9.	दिल्ली	13 जून 2006
10.	गाजियाबाद	20 जनवरी 2005, 20.06.06, 27.09.07
11.	गुवाहाटी	20-21 मार्च 06, 14-15 नवंबर, 07
12.	हैदराबाद	23-24 जनवरी 2006, 05.04.07, 17.05.07
13.	जयपुर	30 जनवरी से 1 फरवरी 2006, 08.12.06, 31.08.07

1	2	3
14.	जालंधर	23-24 फरवरी 2006
15.	जम्मू	1 अप्रैल 04
16.	कोलकाता	24-25.01.07, 23-24 मार्च 07
17.	कोझिकोड	31 मार्च 2005, 29.05.07
18.	लखनऊ	19-20 अप्रैल 2006, 30.10.07
19.	मल्लापुरम	28.05.07
20.	मुंबई	15.02.07, 21.09.07
21.	नागपुर	17 नवंबर 06
22.	पटना	31 अगस्त 04, 09.10.07
23.	पुणे	30 नवंबर 06, 27.09.07
24.	[illegible]ना	19.07.07
25.	श्रीनगर	19-20 जनवरी 2005, 17-18 जुलाई 2006
26.	सूरत	28-29 दिसंबर 2005
27.	तिरुचिरापल्ली	13-15 फरवरी 2006
28.	तिरुवनंतपुरम	10-11 जनवरी 2006, 24-25 मई 07
29.	विशाखापट्टनम	08-09 मई 2006

[अनुवाद]

स्कूलों/संस्थानों में खेलों को अनिवार्य बनाना

1658. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्कूलों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में खेलों को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न खेल बोर्डों हेतु खिलाड़ियों के लिए कतिपय कोटा निर्धारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, 2005 ने स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम एक हिस्सा बताया है। पाठ्यक्रम क्षेत्र में एक संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा अपनाई है जिसमें शारीरिक शिक्षा और योग बच्चे के शारीरिक, सामाजिक, संवेदनापरक और मानसिक विकास में योगदान देते हैं। इस विषय के महत्व को देखते हुए नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे में प्रस्ताव किया गया है कि स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा प्राथमिक से माध्यमिक चरण तक कोर विषय और उच्चतर माध्यमिक चरण में वैकल्पिक विषय के रूप में लागू रहना चाहिए। विस्तृत राष्ट्रीय खेल नीति, 2007 के मसौदे में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा और खेल को औपचारिक शिक्षा के साथ सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता के लिए दिशानिर्देशों में यह दिया गया है कि राष्ट्रीय खेल परिसंघों में मतदान का हक रखने वाले सदस्यों में से कम से कम 25% सदस्य प्रमुख खिलाड़ी श्रेणी के होने चाहिए।

राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदन

1659. श्री ए.वी. बेल्लारमिन : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम के बीच चार लेन के मार्ग के प्रस्तावित संरेखण के संबंध में कृषि भूमि के स्वामियों तथा निवासियों की ओर से अपनी संपत्तियों के क्षति की आशंका के मद्देनजर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। कन्याकुमारी से त्रिवेन्द्रम तक चार लेन की सड़क के प्रस्तावित संरेखण पर कृषि भूमि से संबंधित लगभग 14 व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन्होंने अपनी संपत्तियों के क्षति की आशंका जतायी है।

(ग) प्रभावित व्यक्तियों को वास्तविक भू-अधिग्रहण और मानकों के अनुसार उचित मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

ब्लड बैंकों को वित्तीय सहायता

1660. डा. के.एस. मनोज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाको देश में ब्लड बैंकों को कोई वित्तीय सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उसे आई एम ए ब्लड बैंक, कोल्लम से रक्त संघटक पृथक्करण इकाई के रूप में इसके उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) जी, हां। रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण करने की योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार विभिन्न स्तरों पर किटों, उपभोज्यों, प्रयोगशाला- तकनीशियनों के वेतन और स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों को आयोजित करने के लिए वार्षिक पुनरावृत्ति अनुदान के रूप में वित्तीय सहायाता प्रदान कर रही है। वर्ष 2007-08 में निधियों के राज्य-वार आबंटन का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) नाको ने केरल राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के माध्यम से आईएमए रक्त बैंक, कोल्लम, केरल की तरफ से सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त किया है। वर्ष 2005-06 से इस रक्त बैंक को 2.03 लाख रुपए का वार्षिक पुनरावृत्ति अनुदान प्रदान किया गया है। इस रक्त बैंक को ब्लड कोम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट के रूप में सहायता नहीं दी जाती है क्योंकि इसमें रक्त का वार्षिक एकत्रीकरण 5000 यूनिट से कम है।

विवरण

नाको द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को आबंटित निधियां

क्र. सं..	राज्य का नाम	वर्ष 2007-08 हेतु निधियों का आबंटन (रुपए लाख में)
1.	2	3
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	34.49
2.	आंध्र प्रदेश	459.89
3.	अरुणाचल प्रदेश	24.72
4.	असम	230.57
5.	बिहार	169.05
6.	चंडीगढ़	48.87
7.	छत्तीसगढ़	88.27
8.	दादर एवं नागर हवेली	4.06
9.	दमन एवं दीव	4.06
10.	दिल्ली	196.99
11.	गोवा	38.1
12.	गुजरात	418.74
13.	हरियाणा	115.56
14.	हिमाचल प्रदेश	58.91
15.	जम्मू एवं कश्मीर	118.67
16.	झारखंड	191.9
17.	कर्नाटक	401.17
18.	केरल	358.2

1	2	3
19.	लक्षद्वीप	2.28
20.	मध्य प्रदेश	264.12
21.	महाराष्ट्र	664.7
22.	मणिपुर	54.69
23.	मेघालय	57.4
24.	मिजोरम	40.89
25.	नागालैंड	93.23
26.	उड़ीसा	190.97
27.	पांडिचेरी	65.43
28.	पंजाब	180
29.	राजस्थान	252.24
30.	सिक्किम	9.25
31.	तमिलनाडु	532.82
32.	त्रिपुरा	48.78
33.	उत्तर प्रदेश	517.79
34.	उत्तरांचल	105.58
35.	पश्चिम बंगाल	499.06
	अखिल भारत	6541.45

सफदरजंग अस्पताल में नैदानिक सुविधाएं

1661. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में लगाई गई और कार्य कर रही एम आर आई, सी टी स्कैन मशीनों की संख्या मरीजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी कितनी मशीनें हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल तथा सीजीएचएस द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक केन्द्रों द्वारा अलग-अलग कितने एमआरआई, सीटी स्कैन किए जाते हैं;

(घ) क्या सफदरजंग अस्पताल के प्रत्येक वार्ड में मरीजों के लाभ के लिए एम आर आई, सी टी स्कैन, एक्स-रे आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सफदरजंग अस्पताल में ऐसी और मशीनें लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (च) सफदरजंग अस्पताल में एक एम आर आई, एक स्पायरल सी टी स्कैन मशीन संस्थापित किए गए हैं और अस्पताल में रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान सफदरजंग अस्पताल में किए गए एम आर आई और सी टी स्कैनों की संख्या निम्न प्रकार है:—

सी टी स्कैन:

जनवरी, 2005 से दिसम्बर, 2005	—	11504
जनवरी, 2006 से दिसम्बर, 2006	—	12228
जनवरी, 2007 से अक्तूबर, 2007	—	14457

एम आर आई (वर्ष 2006 में प्रारम्भ)

मार्च, 2006 से दिसम्बर, 2006	—	935
जनवरी, 2007 से अक्तूबर, 2007	—	2263

जहां तक सी जी एच एस अनुमोदित केन्द्रों में एम आर आई/सी टी स्कैनों की संख्या का संबंध है यह सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है क्योंकि सी जी एच एस के सेवारत लाभार्थियों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा इन नैदानिक जांचों के लिए अनुमति प्रदान किए जा रहे हैं। प्रत्येक वार्ड में एम आर आई/सी

टी स्कैन की सुविधाएं प्रदान करना संभव नहीं है। तथापि, विभिन्न वार्डों में भर्ती रोगियों के लिए बेड-साइड पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, एम आर आई, सी टी स्कैन और एक्स-रे मशीनों सहित नई नैदानिक मशीनों की खरीद एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है जो संसाधनों की आवश्यकता और उपलब्धता पर निर्भर करती है।

जंगली जानवरों द्वारा विनाश

1662. श्री सर्वानन्द सोनोवाल :
डा. अरुण कुमार शर्मा :
डा. बाबू राव मिडियम :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असम में हाल ही में मारे गए लोगों और उन पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देती है, जिनकी फसलों, आवासों और संपत्ति को हाथियों सहित वन्य जीव नष्ट कर देते है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक सरकार की जानकारी में राज्यवार तथा स्थानवार ऐसे कितने मामले आए;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसी घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को राज्य-वार कितने मुआवजे का भुगतान किया गया अथवा भुगतान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) ऐसे हमलों से लोगों के जीवन की रक्षा करने तथा पशुओं को उनके अधिवास में ही रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी, हां। जैसाकि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, असम सरकार द्वारा मुआवजे के भुगतान के लिए निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं:—

(i) किसी व्यक्ति की मृत्यु पर 40000 रु.

(ii) स्थायी विकलांगता पर 20000 रु.

(iii) किसी एक अंग की क्षति पर 10000 रु.

(iv) किसी चोट के उपचार के लिए 1000 रु.

(v) प्रत्येक पशुधन की क्षति के लिए 500 रु, जो अधिकतम 2500 रु. है।

(vi) प्रति बीघा फसल की हानि के लिए 1000 रु, जो अधिकतम 2500 रु. है।

(vii) मकानों के आंशिक नुकसान के लिए 1000 रु. और पूरे नुकसान के लिए 2000 रु.

(ग) और (घ) जैसाकि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, पिछले तीन वर्षों के दौरान जंगली हाथियों द्वारा किए गए नुकसान का ब्यौरा तथा राज्य सरकार द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

जंगली हाथियों द्वारा किए गए नुकसान का ब्यौरा

वर्ष	मारे गए व्यक्ति	घरबार की क्षति		फसलों को नुकसान हैक्टेयर क्षेत्र में
		पूर्ण	आंशिक	
2004-05	57	1260	468	417.42
2005-06	67	1347	140	1100.64
2006-07	47	315	90	1107.30

राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुग्रह राशि का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र. सं.	वर्ष	राज्य सरकार दी गई अनुग्रह राशि
1.	2004-05	23.00
2.	2005-06	29.911
3.	2006-07	25.935

(ङ) केन्द्र सरकार, हाथी परियोजना स्कीम के अन्तर्गत लोगों के जीवन की रक्षा के लिए और हाथी प्रवास स्थलों के संरक्षण और

विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना

1663. योगी आदित्यनाथ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में स्थित ऐतिहासिक रामगढ़ ताल झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन एल सी पी) में शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित 'रामगढ़ ताल की प्रदूषण निवारण योजना' से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत विचारार्थ इस मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है। प्रस्ताव की कुल अनुमानित लागत 60.87 करोड़ रु. है। यह प्रस्ताव मुख्यत: रामगढ़ ताल के कैचमैंट क्षेत्र में सीवेज के अवरोधन, दिशापरिवर्तन तथा शोधन करने के प्रयोजन से तैयार किया गया है। प्रस्तावित अन्य कार्यों में खरपतवार हटाना, गाद निकालना, स्व-स्थाने वाटर बॉडी ट्रीटमैंट, झील मुहाना विकास कार्य, पारि-पर्यटन हेतु सुविधाएं, जन जागरूकता तथा सहभागिता आदि शामिल हैं। प्रस्ताव में अनेक अनिवार्य आवश्यकताओं जैसे कि प्रचालन और रखरखाव की प्रतिबद्धता, राजस्व प्राप्ति तंत्र, दरों की सूची आदि तथा प्रस्ताव के विचारार्थ आवश्यक पूर्वअपेक्षाओं के संदर्भ में कमियां पाई गई हैं। राज्य सरकार को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है।

नई झीलों से संबंधित प्रस्तावों पर विचार एन एल सी पी दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी स्वीकार्यता, उनकी प्राथमिकता, प्रदूषण की स्थिति और योजना के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

एच आई वी/एड्स से निपटने के लिए पी एस यू को शामिल किया जाना

1664. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एचआईवी/एड्स से निपटने/उन्मूलन के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल करने की कोई पहल की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने संगठनों में कार्यनीति अपनाने, एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने, कण्डोमों को बढ़ावा देने और वितरण करने, प्रशिक्षित कर्मियों और एचआईवी परामर्श एवं जांच हेतु उपलब्ध स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का प्रयोग करने के द्वारा एचआईवी/एड्स को नियंत्रित करने में सहयोग दे रहे हैं। चुनिन्दा सार्वजनिक क्षेत्र के अपक्रम अपने कर्मचारियों की एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी कर रहे हैं।

(ग) सरकार कुछ उपक्रमों को तकनीकी सहायता, कण्डोमों की आपूर्ति और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन में एक विशेष एकक गठित किया गया है।

पुराने पोतों पर प्रतिबंध

1665. श्री निखिल कुमार :
श्री अधीर चौधरी :

क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों के अंतर-मंत्रालयीय समूह द्वारा तैयार रिपोर्ट में 25 वर्ष से अधिक पुराने पोतों के भारतीय जल सीमा में तैरने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय तटों/सीबैड पर 25 वर्ष से अधिक पुराने कितने पोत हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) समुद्रीय दुर्घटनाओं को रोकने और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अत्यावश्यक उपायों के बारे में नौवहन

महानिदेशक, मुंबई की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि वर्षाकालीन (मानसून के) महीनों के दौरान भारतीय जलक्षेत्र में 25 वर्ष से अधिक की आयु के सभी जलयानों का चलाया जाना हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

(ग) भारतीय तटों/समुद्र-तल में क्षतिग्रस्त पोतों या बचाए नहीं गए पोतों का कोई ऐतिहासिक-सांख्यिकीय रिकार्ड नहीं है। फिर भी, नौवहन महानिदेशालय, मुंबई के पास पिछले तीन वर्षों में पोतों के बारे में उपलब्ध सीमित डेटा के अनुसार, 25 वर्ष की आयु के वे पोत, जो पोत-परिवहन दुर्घटनाओं के शिकार हुए और ऐसी घटनाओं के बाद वे अब भारतीय तट/समुद्र-तल में पड़े हैं, के बारे में सूचना निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	वर्ष	जलयानों की संख्या
1	2005	3
2	2006	4
3	2007	12

तारापुर में परमाणु विद्युत संयंत्र

1666. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीएआरसी के तारापुर स्थित दो और परमाणु विद्युत संयंत्रों-टी ए पी पी-3 तथा टीएपीपी-4 को 31 अगस्त, 2007 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी लागत और उत्पादन क्षमता कितनी है तथा अन्य प्रमुख विशेषताएं क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां। माननीय प्रधानमंत्री ने, तारापुर, महाराष्ट्र स्थित तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्रों (टीएपीपी) यूनिट 3 और 4 को 31 अगस्त, 2007 को राष्ट्र को समर्पित किया था।

(ख) तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र 3 और 4, स्वदेशी तौर पर डिज़ायन किए गए 540 मेगावाट-ई क्षमता वाले दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्यु आर्ज) हैं। इन यूनिटों की कुल उत्पादन क्षमता 1080 मेगावाट है। इन यूनिटों को 5570 करोड़ रुपए की लागत पर पूरा किया गया था। इस परियोजना को, निर्धारित समय से पहले ही अगस्त, 2006 में पूरा कर दिया गया था जबकि अनुमोदित तारीख जनवरी, 2007 थी। यद्यपि, यह अपनी तरह का पहला रिएक्टर है, तथापि, कंकरीट की पहली खेप डालने से लेकर पांच वर्ष से कम समय में टीएपीपी-4 के संबंध में क्रांतिकता प्राप्त कर लेना, इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय बैंचमार्कों के तुलनीय है।

रबड़ की बनी सड़कें

1667. श्री पी.सी. थामस : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक रबड़ का उपयोग करके बनी रबड़ की सड़कों को अन्य पटरियों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ और प्रभावी पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत की प्राकृतिक रबड़ अथवा रबड़ की अन्य पटरियों को प्रोत्साहन देने की योजनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्राकृतिक रबड़ के साथ शोधित बिटुमन का प्रयोग किए जाने की सूचना है। प्राकृतिक रबड़ युक्त शोधित बिटुमन के साथ बिटुमिनस कंक्रीट, सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट और मिक्स्ड सील सर्फेस जैसे बियरिंग कोर्स की स्थिति अच्छी होने की सूचना है। यातायात की अलग-अलग परिस्थितियों और जलवायु में प्राकृतिक रबड़ युक्त शोधित बिटुमन के साथ डाली गई बियरिंग कोर्स का संगत कार्य निष्पादन और लागत अभी प्रमाणित की जानी है।

(ग) और (घ) भारतीय रोड कांग्रेस ने 'सड़क निर्माण में पॉलीमर और रबड़ शोधित बिटुमन के उपयोग से संबंधित दिशानिर्देश' - आईआरसी : एसपी : 53 - 2002 नामक दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं और मंत्रालय द्वारा अनुपालन के लिए स्वीकार कर लिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ साथ अन्य शोधकों के साथ शोधक के रूप में प्राकृतिक रबड़ शामिल है। प्राकृतिक रबड़ अथवा अन्य रबड़ के साथ शोधित बिटुमन का पेवमेंट में उपयोग इसकी उपलब्धता और लागत पर निर्भर करता है।

अनिवार्य ग्रामीण सेवा संबंधी समिति

1668. **श्री पी. मोहन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पीएचसी में एक वर्ष की प्रस्तावित अनिवार्य ग्रामीण सेवा के विरुद्ध मैडिकोस के हाल ही के विरोध की जांच करने के लिए डा. सांबासिवा राव समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या पीएचसी में ऐसी अनिवार्य ग्रामीण सेवा से उन्हें राज्य की चिकित्सा सेवा में रोजगार का अधिकार मिलेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो ग्रामीण सेवा की ऐसी अनिवार्यता के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ङ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, नए चिकित्सा स्नातकों की एक वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण नियुक्ति के संबंध में मंत्रालय के प्रस्ताव पर विद्यार्थी समुदाय, चिकित्सा संकायों और अन्य स्टेकहॉल्डरों के अभिमत का मूल्यांकन करने के लिए इस मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा के अपर महानिदेशक, डा. आर. सांबासिवा राव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे अपने दौरों के पूर्ण होने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अनिवार्य ग्रामीण नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्तों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेने वाला बनाने में देरी

1669. **श्री एम. शिवन्ना : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीसी रोड-सुरतकल को चार लेन वाला बनाए जाने के कार्य में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) जी हां। मंगलौर पत्तन संपर्क परियोजना के अंतर्गत बीसी रोड-सुरतकल सड़क को चार लेन का बनाने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्य को पूरा करने में विलंब मुख्यतः भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा करने में विलंब, भूमि अधिग्रहण संबंधी लंबित कानूनी मामलों और सुविधाओं के स्थानांतरण के कारण हुआ है। इस कार्य को दिसंबर, 2008 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किया जाना

1670. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 2006-07 के अंत तक राज्य-वार कितने गैर-सरकारी संगठनों ने उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं;

(ख) क्या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कार्य में मंत्रालय के कर्मचारियों की कुछ संलिप्तता है अथवा अधिकारियों की ओर से पहल नहीं की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चूककर्ता गैर-सरकारी संगठनों से धनराशि वसूल करने हेतु सरकार द्वारा क्या विशेष पहल की गई है/प्रयास किए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) गैर-सरकारी संगठनों सहित संस्थानों से वित्त वर्ष 2006-07 के अंत तक 7614 उपयोग प्रमाण-पत्र लंबित थे, जिनकी कुल राशि 243.73 करोड़ रु. है।

(ख) से (घ) मंत्रालय के अधिकारियों के सम्मिलित प्रयासों से लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों की संख्या जो मार्च, 2005 में 10,576 थी जिसकी कुल राशि 1233.4 करोड़ रु. थी वह अगस्त, 2007 में घटकर 7235 हो गई जिनकी कुल राशि 143.72 करोड़ रु. है।

लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों की संख्या कम करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने विभिन्न खेल और युवा स्कीमों के अंतर्गत अनुदान मंजूर करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कार्रवाई आरंभ की है। जहां तक विभिन्न युवा स्कीमों का संबंध है, मंत्रालय के विचारार्थ गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों के पूर्व-मूल्यांकन, जांच और वरीयता निर्धारण में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है। मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले अनुदानग्राही संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्रों का निपटारा करने के लिए मंत्रालय ने एक अभियान भी चलाया है।

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 209/211 के उपबंधों के अनुसार सभी चूककर्ता गैर-सरकारी संगठनों को उपयोग प्रमाण-पत्र तथा लेखें प्रस्तुत करे के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वालों को इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काली सूची में डाल दिया जाएगा।

यद्यपि अनुदानग्राही संगठनों से अप्रयुक्त सरकारी अनुदान की दांडिक ब्याज सहित वसूली एक सतत प्रक्रिया है, जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमावली में निर्दिष्ट है, कई चूककर्ता गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ मंत्रालय ने कार्रवाई भी आरंभ की है।

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत संयंत्रों में रेडियोधर्मिता का फैलाव

1671. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन परमाणु विद्युत संयंत्रों ने अपनी मियाद पूरी कर ली है अथवा निकट भविष्य में पूरी करने वाले हैं;

(ख) इन विद्युत संयंत्रों से रेडियोधर्मिता के फैलाव और इनके परिणामी प्रभावों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या परमाणु विद्युत संयंत्रों का नाम सहित ब्यौरा क्या है जहां गत दो वर्षों के दौरान रेडियोधर्मी तत्वों का फैलाव हुआ है;

(घ) क्या निकटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों पर इन संयंत्रों के प्रभाव का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया गया है अथवा कराए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) शून्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, परमाणु बिजलीघरों का आर्थिक जीवन-काल 30-40 वर्ष है। व्यवस्थित जीवन-काल के मूल्यांकन अध्ययनों और जीवन-काल बढ़ाने के उपायों के आधार पर, परमाणु बिजलीघरों को और 20-25 वर्षों तक सुरक्षित रूप से परिचालित किया जा सकता है। भारत में भी हमारा अनुभव ऐसा ही रहा है। सभी संयंत्रों का परिचालन, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा लाइसेंस दिए जाने और समय-समय पर परिचालन की समीक्षा किए जाने पर निर्भर करता है।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) पिछले तीन वर्षों में, किसी परमाणु विद्युत संयंत्र से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक विकिरण सक्रियता के रिसाव या विसर्जन की कोई घटना नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं प्रत्येक परमाणु विद्युत संयंत्र स्थल पर अवस्थित होती है। ये प्रयोगशालाएं, आस-पास के स्थानों पर विकिरण के किसी भी प्रभाव का अध्ययन करने के लिए पानी, मिट्टी, खाद्य-सामग्री, वनस्पति, आदि के नमूनों में विकिरण के स्तरों को नियमित रूप से मानीटर करती हैं। पिछले कई वर्षों में किए गए मानीटरन से पता चला है कि बिजलीघर के आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा ग्रहण की गई विकिरण की मात्रा, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित मात्रा सीमा का बहुत ही छोटा सा अंश है।

[अनुवाद]

आर्द्र भूमि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

1672. श्री फ्रांसिस फैन्थम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर्द्र भूमि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) आर्द्र भूमि क्षेत्रों के लिए कोई विशेष जलवायु परिवर्तन प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमनद कम हो रहे हैं और इसके कारण अधिक ऊंचाई की आर्द्र भूमियों के जल स्तर में परिवर्तन हुआ है जिससे अंततः अधो-प्रवाह क्षेत्र प्रभावित हुए है। यद्यपि नेपाल एवं भूटान में ग्लेशियल लेक आउट वर्स्ट फ्लड्स (जी एल ओ एफ) की सूचना प्राप्त हुई है भारत से ऐसी किसी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं जिसमें सर्वेक्षण एवं सीमांकन के लिए प्रबंधन कार्य योजनाएं तैयार करना, कैचमेंट क्षेत्र उपचार, गाद निकालना, खरपतवार नियंत्रण, मत्स्य विकास, सामुदायिक सहभागिता, जल प्रबंधन, जन जागरूकता और प्रदूषण उपशमन शामिल हैं।

कंजेक्टिवाइटिस के कारण पक्षाघात

1673. श्री मिलिन्द देवरा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब कोई व्यक्ति कंजेक्टिवाइटिस से ग्रस्त होता है तब उसके शरीर का कोई हिस्सा पक्षाघात से प्रभावित हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रोग के प्रभावों तथा इसके होने के कारणों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कोई पहल की है; और

(घ) भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) कंजेक्टिवाइटिस में आंख का केवल कंजक्टिवा भाग प्रभावित होता है। तथापि, तीव्र रोगियों में आंख की कार्निया भी प्रभावित हो सकती है।

वर्ष 1970 में केवल एक बार मुम्बई, महाराष्ट्र से तंत्रिका विज्ञानी जटिलता सहित कंजेक्टिवाइटिस (पोलियो जैसा मोटर पक्षाघात) के कुछ विरले रोगियों की सूचना मिली थी।

कंजेक्टिवाइटिस के कारण पक्षाघात की घटना विरले ही होती है। देश के अन्य भागों से इस रोग की घटना की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबी) के तहत सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आई.ई.सी.) एक सतत क्रियाकलाप है जिसका उद्देश्य अधिक जटिलता से बचने के लिए कंजेक्टिवाइटिस सहित आंख के विभिन्न रोगों के बारे में लोगों को जागरूक बनाना है।

कंजेक्टिवाइटिस और इससे संबंधित जटिलताओं की घटना का प्रारम्भिक मुख्य कारण मानसून अवधि के दौरान घटिया साफ-सफाई है।

(घ) कंजेक्टिवाइटिस सहित आंख की बीमारियों से बचाव और अधिक जटिलताओं से बचने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i. कंजेक्टिवाइटिस सहित आंखों की विभिन्न बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा संप्रेषण क्रियाकलापों को तेज किया गया है। केन्द्रीय स्तर पर लोगों को बार-बार स्वच्छ जल से हाथ और मुंह धोने, परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग तौलिया, रूमाल और बेड लिनेन इत्यादि रखने और उन्हें स्वच्छ जल से प्रतिदिन धोने और कंजेक्टिवाइटिस को फैलने से बचने के लिए आंखों को बार-बार छूने से बचने के लिए पोस्टर, बुकलेट और मास मीडिया के माध्यम से परामर्श दिया गया है।

राज्य सरकारों को कंजेक्टिवाइटिस सहित आंख के विभिन्न रोगों के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम के तहत सूचना, शिक्षा और संप्रेषण क्रियाकलापों के एक भाग के रूप में निम्नलिखित क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने के लिए सलाह दी गई है:-

(क) स्थानीय केवल नेटवर्क, क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों तथा स्थानीय रेडियो स्टेशनों का उपयोग।

(ख) क्षेत्रीय भाषाओं, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन आदि की सामग्री की प्रतिकृति द्वारा प्रिंट मीडिया का उपयोग।

(ग) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की क्षेत्रीय प्रचार इकाई द्वारा दीवारों पर चित्र बनाने, होर्डिंग लगाने, सिनेमा

स्लाइडें और फिल्में दिखाकर बाहरी आऊटडोर प्रचार करना।

(घ) आंखों की बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा आशा, विद्यालय के अध्यापकों जैसे अन्य कार्यकर्ताओं की सहभागिता/प्रशिक्षण।

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों, मेडिकल कालेजों तथा नेत्र विज्ञान की क्षेत्रीय संस्थाओं के माध्यम से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक स्तर के जरूरतमंद लोगों को नेत्र परिचर्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

नवजात और शिशुओं को आहार

1674. श्री प्रतीक पी. पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंटर स्टेजिंग इनफैंट न्यूट्रीशन हेतु 16 संगठनों ने 0 से 2 आयुवर्ग के बच्चों तक पहुंचने हेतु व्यावहारिक तरीके बताने वाले "इनफैंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग" के संबंध में संयुक्त वक्तव्य सहित दस्तावेज प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसमें सुझाए गए प्रस्ताव क्या हैं;

(ग) क्या योजना आयोग ने प्रस्ताव के संबंध में कोई कार्ययोजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) जी, हां।

(ख) 16 संगठनों की सूची और दस्तावेज का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इनफैंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग विधियों और 0-2 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों तक पहुंचने हेतु व्यावहारिक तरीके बताने संबंधी विषयों पर ध्यान संकेन्द्रित करने की आवश्यकता है। ग्यारहवीं योजना को निर्मित किया जा रहा है। उसको सुनिश्चित करते समय, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य से जुडे विभिन्न विषयों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

विवरण

16 संगठनों की सूची

क्र.सं.	संगठन का नाम
1.	ट्रेन्ड नर्स एसोसिएशन आफ इंडिया
2.	इंडियन एकेडमी आफ पैडियैट्रिक्स
3.	ब्रैस्टफीडिंग प्रोमोशन नेटवर्क आफ इंडियन
4.	फेडरेशन आफ आब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलोजिकल सोसाइटीज आफ इंडिया
5.	सेंटर फार वूमन्स डिवेलपमेंट स्टडीज
6.	क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन आफ इंडिया
7.	इंडियन एसोसिएशन आफ प्रीवेन्टिव एंड सोशियल मेडिसिन
8.	जन स्वास्थ्य अभियान
9.	इंडियन पब्लिक हैल्थ एसोसिएशन
10.	राइट टू फूड कैंपेन
11.	आल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क
12.	एसोसिएशन फार कन्ज्यूमर्स एक्शन आन सेफटी एंड हैल्थ
13.	नैशनल नियोनैटोलोजी फोरम
14.	इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
15.	नवदन्य
16.	सम्यक फाउंडेशन

नवजात और शिशुओं का पोषण करने संबंधी संयुक्त विवरण

– नवजात शिशुओं के लिए स्तनपान को खाद्य सुरक्षा के रूप में स्वीकार करना एवं इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

योजनाओं में शामिल करना और इसे भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग बनाना;

– देश के पीआरएसपी में शिशु और छोटे बच्चों के इष्टतम पोषण को दरिद्रता कम करने की कार्यनीति के रूप में पहचान करना;

– शिशु मृत्यु दर को तेजी से नीचे लाने के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में इस कार्यक्रम में 0-6 माह के शिशुओं के अस्तित्व और माता द्वारा शिशु को स्तनपान कराने (जन्म के पहले घंटे से आरम्भ करना और पहले छः महीनों के लिए शिशु को केवल मां का दूध ही पिलाना) की पहचान करना;

– "स्तनपान संबंधी शिक्षा" को स्वास्थ्य एवं पोषण दोनों क्षेत्रों में प्रतिरक्षण के समान सेवा के रूप में घोषित करना; और

– निम्नलिखित 5 कार्यकलापों के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण दोनों क्षेत्रों में स्तनपान को प्रमुख विधि के रूप में स्वीकार करना।

1. स्वास्थ्य एवं पोषण दोनों क्षेत्रों में स्पष्ट लक्ष्यों के साथ ग्यारहवीं और परवर्ती योजनाओं में शिशु और छोटे बच्चों के इष्टतम पोषण और स्तनपान संबंधी विषयों की सुरक्षा करने, बढ़ावा देने और सहायता करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं हेतु पर्याप्त बजट का निर्धारण सुनिश्चित करना।

2. राष्ट्रीय पोषण मिशन के अधीन शिशु पोषण को इष्टतम बनाने अर्थात् नवजात शिशु पोषण संबंधी प्राधिकार के लिए विशिष्ट समन्वयन का सृजन करना। नवीकृत राष्ट्रीय स्तनपान समिति (डब्ल्यूसीडी/एचआरडी के आदेश संख्या 12-6/97-एनटी) राष्ट्रीय पोषण मिशन को रिपोर्ट करें।

3. इष्टतम स्तनपान दरों जिनमें जन्म के पहले घंटे में स्तनपान कराना, शिशु को पहले छः महीने केवल मां का दूध ही पिलाना और इनकी वार्षिक आधार पर पुनरीक्षा करना शामिल है, को बढ़ावा देने के लिए बच्चों पर राष्ट्रीय कार्ययोजना के रूप में एमओएच और एमडब्ल्यूसीडी में शिशु पोषण पर उत्तरदायी और समन्वयक तंत्र स्थापित करना और उन्हें कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देशित करना और ऐसे ही तंत्र जिला और राज्य योजनाओं में परिलक्षित होने चाहिए।

4. विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं द्वारा शिशु को जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने और इसे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अनिवार्य बनाने पर विचार करने हेतु स्वास्थ्य परिचर्या सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी महिलाओं को वैधानिक सहायता प्रदान करना।

5. बच्चों का इष्टतम स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्राप्त करने के उपाय के रूप में स्तनपान सुनिश्चित करने के संदर्भ में सरकारी, निजी और असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाली सभी महिलाओं हेतु छः महीने का मातृत्व अवकाश अनिवार्य बनाना और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कम से कम गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं हेतु मातृत्व पात्रता के रूप में प्रसव के बाद छः महीने तक न्यूनतम 1000/- रुपए प्रतिमाह का नकद लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करना।

गरीब और गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों का रियायती दर पर उपचार

1675. डा. अरविन्द शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबों और गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अस्पतालों सहित सरकारी/अर्ध-सरकारी अस्पतालों, सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों में रियायती दरों पर उपचार की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसद सदस्यों ने भी इस संबंध में कोई सिफारिशें की हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा दिशा-निदेश/अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ङ) क्या गरीब और गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों के उपचार हेतु संसद सदस्यों के पत्रों पर इन अस्पतालों में समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) अर्ध-सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों में गरीब और गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों का उपचार करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, इस मंत्रालय की राष्ट्रीय आरोग्य निधि और स्वास्थ्य मंत्री विवेकानुदान नामक दो योजनाएं हैं जिनके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित केन्द्र/राज्य सरकारी अस्पताल और टाटा कैंसर अनुसंधान अस्पताल, मुम्बई जैसा एक प्राइवेट अस्पताल भी शामिल है, में आपरेशन/इलाज करवाने हेतु गरीब रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) से (छ) गरीब और गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को इलाज हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए माननीय संसद सदस्यों की ओर से प्राप्त पत्रों को जल्द एवं उचित रूप से देखा जा रहा है। निधियों को स्वीकृत करने हेतु निर्धारित दिशानिर्देशों के आलोक में ऐसे मामलों की जांच की जाती है और तदनुसार माननीय संसद सदस्यों को सूचित किया जाता है।

विश्व विरासत स्थलों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

1676. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माउंट एवरेस्ट सहित विश्व विरासत स्थलों पर जलवायु परिवर्तन के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में ऐसे प्रभाव से माउंट एवरेस्ट और अन्य विरासत स्थलों की रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) मीडिया रिपोर्टों, अधिकांशतः अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में विश्व विरासत स्थलों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में खबरें प्रकाशित हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एंव सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की विश्व विरासत समिति की जुलाई, 2005 की बैठक में माउंट एवरेस्ट का कुछ हवाला दिया गया है। माउंट एवेरस्ट भारत में स्थित नहीं है अपितु यह नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है।

(ग) विश्व विरासत केन्द्र और प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ (आई.यू.सी.एन.) ने माउंट एवेरस्ट को संकटग्रस्त विरासत स्थल के रूप में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है।

जल बंटवारे पर भारत-चीन वार्ता

1677. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर कोई वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच विवादों को सौहार्दपूर्ण रूप से हल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नीदरलैंड के साथ समझौता

1678. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैंड की महारानी की हाल की भारत यात्रा

के दौरान नीदरलैंड के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) नीदरलैंड की महारानी बिएट्रिक्स की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान 24 अक्तूबर, 2007 को निम्नलिखित दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए:

1. सांस्कृतिक सहयोग पर भारत के संस्कृति मंत्रालय और नीदरलैंड के विदेश और शिक्षा, संस्कृति एवं विज्ञान मंत्रालयों के बीच समझौता ज्ञापन; और

2. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) और स्टिच्टींग एम्सटर्डम इंडिया फेस्टीवल (एआईएफ) के बीच समझौता ज्ञापन।

[हिन्दी]

पेट्रोल तथा डीजल पर उपकर

1679. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :**
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु प्रति लीटर पेट्रोल तथा हाई स्पीड डीजल पर कोई उपकर लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सड़क निर्माण हेतु राज्य-वार आबंटित किए गए उपकर का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार का विचार इस निधि से कोई राशि सड़क सुरक्षा के लिए रखने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल दोनों पर दो रुपए प्रति लीटर उपकर के रूप में वसूल किए जाते हैं।

(ग) चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण सड़कों से भिन्न राज्यीय सड़कों के विकास के लिए केंद्रीय सड़क निधि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आबंटन के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन संबंधी समिति ने पेट्रोल और डीजल पर कुल उपकर आय का 1% निर्धारित करके सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना की सिफारिश की है।

विवरण

ग्रामीण सड़कों से भिन्न राज्यीय सड़कों के विकास के लिए वर्ष 2007-08 के लिए उपकर से जमा राशि/आबंटन के राज्य ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत किया गया आबंटन	अंतरराज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की की स्कीमों के अंतर्गत किया गया आबंटन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	131.07	5.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.74	6.38
3.	असम	26.13	6.38
4.	बिहार	38.52	3.15
5.	छत्तीसगढ़	40.35	2.00
6.	गोवा	8.18	0.00

1	2	3	4
7.	गुजरात	97.07	6.40
8.	हरियाणा	61.56	6.62
9.	हिमाचल प्रदेश	18.07	2.05
10.	जम्मू और कश्मीर	50.86	1.73
11.	झारखंड	35.37	0.94
12.	कर्नाटक	97.92	23.32
13.	केरल	48.42	2.68
14.	मध्य प्रदेश	93.85	12.81
15.	महाराष्ट्र	161.49	20.71
16.	मणिपुर	5.28	0.08
17.	मेघालय	8.12	0.72
18.	मिजोरम	4.74	2.92
19.	नागालैंड	4.13	5.75
20.	उड़ीसा	52.14	12.08
21.	पंजाब	62.90	2.83
22.	राजस्थान	119.83	5.91
23.	सिक्किम	2.13	12.70
24.	तमिलनाडु	106.78	0.16
25.	त्रिपुरा	3.29	1.97
26.	उत्तराखंड	19.07	6.38
27.	उत्तर प्रदेश	143.11	6.65
28.	पश्चिम बंगाल	53.65	5.70
	संघ राज्य क्षेत्र		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.90	0.00
30.	चंडीगढ़	2.28	1.00
31.	दादरा और नगर हवेली	1.10	2.00
32.	दमन और दीव	0.79	2.00
33.	दिल्ली	44.69	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.12	0.00
35.	पांडिचेरी	3.67	0.00

परमाणु ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन

1680. प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा स्रोतों से बहुत कम मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तीन वर्षों के दौरान संयंत्र-वार तथा वर्ष-वार विद्युत उत्पादन क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन सहित इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में अन्य राष्ट्रों की तुलना में भारत की स्थिति क्या है; और

(घ) देश में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) परमाणु बिजली का उत्पादन, देश में होने वाले कुल बिजली के उत्पादन का लगभग 3% है।

(ख) परमाणु विद्युत की मौजूदा स्थापित क्षमता 4120 मेगावाट-ई है, जोकि कुल स्थापित क्षमता का लगभग 3% है।

इस वर्ष के अंत तक यह क्षमता और पिछले तीन वर्षों के दौरान बिजली का वास्तविक उत्पादन निम्नानुसार है:

बिजलीघर/वर्ष	2004-05		2005-06		2006-07	
	क्षमता (मेगावाट-ई)	उत्पादन (मिलियन यूनिट)	क्षमता (मेगावाट-ई)	उत्पादन (मिलियन यूनिट)	क्षमता (मेगावाट-ई)	उत्पादन (मिलियन यूनिट)
तारापुर परमाणु बिजलीघर (टीएपीएस)	320	2587	860	3667	1400	6501
राजस्थान परमाणु बिजलीघर (आरएपीएस)	740	4743	740	4440	740	3668
मद्रास परमाणु बिजलीघर (एमएपीएस)	440	1482	440	1852	440	2622
नरोरा परमाणु बिजलीघर (एनएपीएस)	440	2760	440	2138	440	1024
ककरापार परमाणु बिजलीघर (केएपीएस)	440	2513	440	2367	440	2446
कैगा उत्पादन केन्द्र (केजीएस)	440	2926	440	2860	440	2541

टिप्पणी :

1. एमएपीएस-1 में 20.08.2003 से 17.01.2006 तक नवीकरण और आधुनिकीकरण का काम किया गया।
2. आरएपीएस-1 को परिचालन की निरन्तरता की समीक्षा के लिए 09.12.2004 से शट-डाउन किया हुआ है।
3. टीएपीएस-4 ने 12.09.2005 को वाणिज्यिक रूप से परिचालन शुरू किया।
4. एनएपीएस-1 में 01.11.2005 से नवीकरण और आधुनिकीकरण का काम किया जा रहा है।
5. टीएपीएस-3 ने 18.09.2006 को वाणिज्यिक रूप से परिचालन शुरू किया।

(ग) विकसित देशों में परमाणु विद्युत का हिस्सा काफी अधिक है जैसेकि, फ्रांस-78%, जर्मनी-32%, जापान-30%, कोरिया-39%, इंग्लैंड-18% तथा अमरीका-19%, जबकि विकासशील देशों में यह अंश भारत के तुलनीय है जैसेकि ब्राजील-3% और चीन-2%।

(घ) निर्माणाधीन परियोजनाओं के वर्ष 2011 तक पूरा हो जाने पर 4120 मेगावाट-ई की मौजूदा स्थापित क्षमता बढ़कर 7280 मेगावाट-ई हो जाएगी। अतिरिक्त परमाणु विद्युत संयंत्रों का निर्माण शुरू करने का कार्य भी हाथ में है।

राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रति व्यक्ति लंबाई

1681. श्री एम. अंजनकुमार यादव : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार आज की स्थिति के अनुसार प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में किमी. के संदर्भ में किए गए सड़क मरम्मत कार्यों का ब्योरा क्या है तथा इस पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों की रख-रखाव तथा मरम्मत हेतु और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) आज की स्थिति के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रति व्यक्ति राज्य वार लंबाई संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत पर खर्च की गई धनराशि और आवधिक नवीकरण के अंतर्गत सुधारी गई किमी. लंबाई के राज्यवार ब्योरे जिसमें आंध्र प्रदेश के ब्योरे भी शामिल हैं, संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। इनमें गत दो वर्षों के दौरान आवधिक नवीकरण के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की सुधारी गई लंबाई के राज्यवार ब्योरे शामिल नहीं हैं जो एकत्र किए जा रहे हैं।

(ग) सरकार निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण तथा अनुरक्षण-प्रचालन-हस्तांतरण आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी माडल के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन दे रही है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	किमी. में राष्ट्रीय राजधानी की लंबाई/लाख आबादी
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	84.3
2.	आंध्र प्रदेश	5.9
3.	अरुणाचल प्रदेश	35.7
4.	असम	10.6
5.	बिहार	4.4
6.	चंडीगढ़	2.7
7.	छत्तीसगढ़	10.5
8.	दिल्ली	0.0
9.	गोवा	20.0
10.	गुजरात	6.4
11.	हरियाणा	7.2
12.	हिमाचल प्रदेश	19.9
13.	जम्मू और कश्मीर	12.3
14.	झारखंड	6.7
15.	कर्नाटक	7.3
16.	केरल	4.5
17.	मध्य प्रदेश	7.7
18.	महाराष्ट्र	4.3
19.	मणिपुर	41.8
20.	मेघालय	34.9
21.	मिजोरम	104.4
22.	नागालैंड	24.8
23.	उड़ीसा	10.1
24.	पांडिचेरी	5.4
25.	पंजाब	6.4
26.	राजस्थान	9.9

1	2	3
27.	सिक्किम	11.5
28.	तमिलनाडु	7.2
29.	त्रिपुरा	12.5
30.	उत्तराखंड	23.5
31.	उत्तर प्रदेश	3.5
32.	पश्चिम बंगाल	3.0

विवरण-II

(धनराशि करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गत दो वर्षों के दौरान आवधिक नवीकरण के अंतर्गत सुधारी गई लंबाई किमी. में	गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण पर व्यय राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	203.00	95.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	335.00	0.19
3.	असम	807.06	48.70
4.	बिहार	169.54	69.04
5.	चंडीगढ़	3.00	0.76
6.	छत्तीसगढ़	439.07	43.64
7.	दिल्ली	0.00	0.07
8.	गोवा	14.00	7.17
9.	गुजरात	256.00	72.03
10.	हरियाणा	119.00	35.46
11.	हिमाचल प्रदेश	259.00	36.47
12.	जम्मू और कश्मीर	1080.00	0.03
13.	झारखंड	99.00	36.47
14.	कर्नाटक	433.00	81.75
15.	केरल	50.20	82.61
16.	मध्य प्रदेश	651.00	104.40
17.	महाराष्ट्र	375.85	111.52
18.	मणिपुर	272.50	11.89
19.	मेघालय	232.04	15.59
20.	मिजोरम	34.00	8.70
21.	नागालैंड	177.00	6.48
22.	उड़ीसा	335.22	85.00
23.	पांडिचेरी	2.60	1.06
24.	पंजाब	202.00	34.50
25.	राजस्थान	736.25	121.45
26.	तमिलनाडु	139.50	73.65
27.	त्रिपुरा	378.53	बीआरओ को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग
28.	उत्तर प्रदेश	518.00	98.55

1	2	3	4
29.	उत्तराखंड	514.00	31.26
30.	पश्चिम बंगाल	206.20	44.43
31.	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)	राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जिन पर बीआरओ द्वारा कार्य किए गए हैं, संबंधित राज्यों में शामिल किए जाते हैं	37.80
32	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)*		479.69

*बीआरओ और एनएचएआई के लिए राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

देश में शिपयार्ड

1682. श्री के.एस. राव : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छोटे-मध्यम तथा बड़े जहाजों के निर्माण तथा मरम्मत हेतु कितने शिपयार्ड हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन शिपयार्डों में कितने जहाज बनाए गए; और

(ग) कितने जहाज शिपयार्ड में निर्माणाधीन हैं तथा कितने जहाजों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) देश में 27 शिपयार्ड हैं जिनमें से 3 शिपयार्ड अर्थात् कोचीन शिपयार्ड लिमिटिड, कोच्ची, हिन्दुस्तान शिपयार्ड शिपयार्ड लिमिटिड, विशाखापटनम और हुगली डाक पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटिड, कोलकाता पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। तीन शिपयार्ड अर्थात् मजगांव डाक लिमिटिड, मुम्बई, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटिड कोलकाता और गोवा शिपयार्ड लिमिटिड, गोवा रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।दो शिपयार्ड राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में अर्थात मैसर्स अलकॉक एशडाउन एण्ड कम्पनी लिमिटिड, भावनगर, गुजरात की राज्य सरकार के अधीन, मैसर्स शालीमार वर्क्स लि. कोलकाता पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के अधीन हैं। शेष शिपयार्ड निजी क्षेत्र में हैं।

(ख) औ (ग) पोत परिवहन विभाग के और कुछ राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन और निजी क्षेत्र के शिपयार्डों, जो शिपयार्ड एसोसिएशन आफ इंडिया के सदस्य हैं, द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बनाए गए/बनाए जा रहे बनाए जाने के लिए प्रस्तावित पोतों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(I) केन्द्रीय सार्वजिक क्षेत्र के उपक्रम शिपयार्ड

क्र.सं.	शिपयार्ड का नाम	2004-2005	2005-2006	2006-2007	निर्माणाधीन/निर्माण किए जाने के लिए प्रस्तावित
1.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटिड	4	3	6	24
2.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटिड	12	2	5	19
3.	हुगली डाक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटिड	2	1	2	15

(ii) राज्य सरकार के और निजी क्षेत्र के शिपयार्ड जो शिपयार्ड एसोसिएशन आफ इंडिया के सदस्य हैं (स्रोत: शिपयार्ड एसोसिएशन आफ इंडिया)

क्र.सं.	शिपयार्ड का नाम	के दौरान बना गए पोतों की संख्या			निर्माणाधीन/निर्माण किए जाने के लिए प्रस्तावित पोतों की संख्या
		2004-05	2005-06	2006-07	
1.	एल एण्ड टी,* हजीरा	शून्य	शून्य	शून्य	वर्तमान में दो। निकट भविष्य में क्षमता बढ़ाकर 8 पोत प्रतिवर्ष किया जाना है।
2.	शॉफ्ट शिपयार्ड, भरुच	2	2	शून्य	7
3.	पीपावव शिपयार्ड	शून्य	शून्य	शून्य	22
4.	डेम्पो शिपबिल्डिंग	7	11	11	17 (2007-08 में)
5.	चोगले एण्ड कम्पनी**	16	3	शून्य	4 (2007-08 में)
6.	टेब्मा शिपायार्डस लिमिटिड	1	3	3	सूचना अपलब्ध नहीं
7.	ए बी जी शिपयार्ड लिमिटिड	5	5	6	-वहीं-
8.	भारतीय शिपयार्ड लिमिटिड	5	5	3	-वहीं-
9.	एलकोक एशडाउन	1	5	5	-वहीं-
10.	मोडेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर	शून्य	शून्य	2	-वहीं-
11.	कोरपोरेट कन्सलटैन्टस	5	5	6	-वहीं-

*एल एण्ड टी का चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किए जाने वाला एक नया शिपयार्ड बनाए जाने का प्रस्ताव है जिसकी क्षमता 5 वी एल सी सी और 20 पैनामैक्स पोत प्रतिवर्ष बनाए जाने की होगी और प्रतिवर्ष 60-80 पोतों की मरम्मत की क्षमता होगी।

**यार्ड का विकास कार्य 2005 के प्रारंभ से प्रगति पर है अत: 2006-07 में कोई पोत नहीं सौंपा गया। इस शिपयार्ड के पास 20 जलयानों का निर्यात आर्डर है जो 2009 के अंत तक सौंपे जाने हैं। इनमें से 4 जलयान इस वर्ष सौंपे जा रहे हैं। अगले 4 जलयानों का कार्य निर्माण के अग्रिम स्तर पर है।

आंध्र प्रदेश को धनराशि जारी किया जाना

1683. श्री एम. राजमोहन रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (एन.आर.सी.पी.) के अंतर्गत धनराशि जारी करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार 'एनवायरमेंटल एक्शन प्लान फार हैदराबाद' कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी धनराशि जारी की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश सरकार की कार्यान्वियन एजेंसियों को उनके अनुरोध पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के कार्यान्वियन में प्राप्त वास्तविक और वित्तीय प्रगति तथा इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की निधियों के आनुपातिक योगदान के आवर्ती आधार पर, निधिया जारी करती है। केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय नदी सरक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक 175.38 रु. की धनराशि जारी की है और आगे केन्द्र सरकार के हिस्से की निधियां जारी करने के लिए कोई अनुरोध मंत्रालय में लंबित नहीं है।

(ग) हैदराबाद के लिए पर्यावरणीय कार्य योजना के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान हैदराबाद में मूसी नदी और बंजारा झील के संरक्षण के पर्यावरणीय उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार जारी की गई अपने हिस्से की निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(लाख में)

क्र.सं.	स्कीम	2004-05	2005-06	2006-07
1.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत मूसी नदी का संरक्षण	1000.00	5200.00	4185.00
2.	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत बंजारा झील का संरक्षण	83.00	0.00	0.00

सार्वजनिक स्वास्थ्य में अनुसंधान तथा विकास कार्यकलाप

1684. **श्री अनन्त नायक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) सार्वजनिक स्वास्थ्य में अनुसंधान और विकास कार्यकलाप लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने में राज्य सरकार की पहलों को सम्पूरित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित एन.आर.एच.एम./रोग नियंत्रण कार्यक्रम जैसी इस मंत्रालय की कई स्कीमों के भाग हैं।

जैव चिकित्सीय अनुसंधान कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए एक पृथक स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग स्थापित किया गया है और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की योजना आवंटन को आठवीं योजना में 167 करोड़ रुपए से बढ़कार 10वीं योजना में 970 करोड़ रुपए कर दिया गया है तथा 11वीं योजना के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद/स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

राज्यों को वैक्सीन की आपूर्ति

1685. **श्री सुभाष महरिया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों विशेषरूप में राजस्थान को हैपेटाइटिस-बी, एन्टी रेबीज तथा एंटीडोट इंजेक्शन इत्यादि की आपूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितने इंजेक्शनों की आपूर्ति की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से नियमित आधार पर उक्त इंजेक्शनों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) जी, हां। भारत सरकार वर्ष 2002 से राजस्थान के जयपुर जिले

सहित 33 जिलों और 15 शहरों को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की आपूर्ति कर रही है जहां प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है।

(ख) और (ग) राज्यों को आपूर्ति की गई हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का ब्यौरा विवरण-I तथा राज्यों को आपूर्ति की गई एंटी-रैबीज वैक्सीन, नार्मल हार्स सीरम, एंटी रैबीज सीरम, एंटी डिफथेरिकसीरम और एंटी स्नेक वेनम सीरम का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन पर उपगत व्यय का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है

(घ) और (ङ) इस वर्ष के दौरान हेपेटाइटिस बी टीकाकरण को 11 राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कनार्टक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) में शुरू किया जा रहा है तथा हेपेटाइटिस बी वैक्सीनों की आपूर्ति राज्यों को की जा चुकी है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को आपूर्ति किए गए हेपेटाइटिस की वैक्सीन

(खुराकें)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	509500	535000	315000
असम	101000	171000	80000
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	23000	21000	12000
दिल्ली	415000	900000	660000
गुजरात	453000	627000	260000
गोवा	66000	57000	50000
हिमाचल प्रदेश	66000	54500	36000
हरियाणा	87000	111000	80000
जम्मू और कश्मीर	112600	79000	70000
कर्नाटक	349500	519500	266000
केरल	237000	336100	170000
लक्षद्वीप	2500	3500	2000
महाराष्ट्र	713500	958500	390000
मध्य प्रदेश	274500	254000	190000
उड़ीसा	90000	52000	10000
पंजाब	119000	160000	100000
पांडिचेरी	33000	40500	30000
राजस्थान	155000	90000	90000
तमिलनाडु	340000	595500	320000
उत्तरांचल	45000	71000	20000
उत्तर प्रदेश	200000	170000	160000
पश्चिम बंगाल	157180	180000	120000
कुल वैक्सीन	4549280	5986100	3431000

विवरण-II

केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए आपूर्ति कि गए शीरारोधी का ब्यौरा

राज्य	नार्मल होर्स सीरम (मि.ली.)	एंटी रैबीज सीरम (मि.ली.)	एंटी डिफथेरिक सीरम (शीशियां)	एंटी स्नेक वेनम सीरम (मि.ली.)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश			1000	100
असम			110	200

1	2	3	4	5
बिहार				15250
चण्डीगढ़	4100	1750	300	
दिल्ली	1000	84100	1000	66100
गुजरात			750	100090
हरियाणा				16280
हिमाचल प्रदेश		100		9240
जम्मू-कश्मीर			30	
कर्नाटक		90		340
केरल		1000		
महाराष्ट्र		1800	800	200
पंजाब		3000		1530
राजस्थान		3500	1100	200
तमिलनाडु	200		63	
त्रिपुरा		250		
उत्तर प्रदेश				250
पश्चिम बंगाल			1800	60
कुल	5300	95590	6953	209840

भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर द्वारा पिछले तीन वर्षों में आपूर्ति किए गए एंटी रेबीज का ब्यौरा

(लाख खुराकें)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08 अब तक
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	0.02	0.06	0.02
गुजरात	0.1	0.03	0.25
महाराष्ट्र	0	0.12	0.16
मेघालय	0.06	0.08	0.02
तमिलनाडु	0.74	1.5	0.4
पश्चिम बंगाल		0.12	
कुल	0.92	1.91	0.85

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार उपगत व्यय का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यय (लाख रुपए)		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	107.9637	111.9443	0
2.	असम	22.52433	32.159	4.558
3.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.31615	3.93295	0.68625
4.	दिल्ली	80.14481	137.58	30.8175
5.	गुजरात	93.02597	117.9412	14.8135
6.	गोवा	14.76426	10.71345	2.84875
7.	हरियाणा	18.27112	20.0709	4.558
8.	हिमाचल प्रदेश	14.70135	10.0124	2.046
9.	जम्मू-कश्मीर	24.54358	14.2605	3.98825
10.	कर्नाटक	74.8751	96.71785	0

1	2	3	4	5
11.	केरल	50.95716	63.21034	0
12.	लक्षद्वीप	0.54066	0.66069	0
13.	महाराष्ट्र	153.36057	180.3107	22.22025
14.	मध्य प्रदेश	61.01563	47.8172	10.8125
15.	उड़ीसा	19.32299	9.7776	0
16.	पंजाब	25.41661	28.7536	5.6975
17.	पांडिचेरी	7.02415	7.61955	0
18.	राजस्थान	10.6243	16.1366	3.4185
19.	तमिलनाडु	74.11368	112.133	0
20.	उत्तर प्रदेश	43.18297	30.30825	6.837
21.	उत्तरांचल	9.26907	9.9817	2.279
22.	पश्चिम बंगाल	32.2339	33.8025	6.837
	कुल	943.19206	1095.84428	122.418

[अनुवाद]

ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध

1686. श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी सरकार ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) जी हां। 25 अक्तूबर, 2007 को अमरीका द्वारा ईरान पर लगाए गए नवीनतम प्रतिबंधों की घोषणा की गयी। अमरीका ने नाभिकीय प्रसार को सुविधाजनक बनाने और आतंकवाद का वित्तपोषण करने वाली इकाइयों के रूप में अनेक ईरानी सैन्य और वित्तीय संस्थाओं एवं व्यक्तियों को नामोदिष्ट किया है। प्रतिबंधों के अनुसार किसी भी अमरीकी नागरिक अथवा संगठन को इन व्यक्तियों और इकाइयों के साथ वित्तीय लेन-देन करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।

भारत सरकार का लगातार यह दृष्टिकोण रहा है कि ईरान के नाभिकीय मुद्दे का समाधान आई.ए.ई.ए. की रूपरेखा के भीतर वार्ता और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अस्पतालों में गरीब रोगियों का अनिवार्य उपचार

1687. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अस्पतालों द्वारा 30 प्रतिशत गरीब मरीजों का उपचार करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजने का है ताकि यह सुनिशित किया जा सके कि निजी अस्पतालों द्वारा इस शर्त/मानदंड का पालन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ङ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य की सूची का विषय है, इसलिए अपने-अपने राज्य में प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करना संबंधित राज्य सरकार का काम है। ऐसा कोई केन्द्रीय अधिनियम/नियम/विनियम/दिशानिर्देश नहीं है जो

देश में अस्पतालों के लिए गरीबों को 30 प्रतिशत की सीमा तक उपचार प्रदान करना अनिवार्य बनाता हो।

तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार ने उन निजी अस्पतालों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणी के रोगियों के लिए 10 प्रतिशत निःशुल्क पलंगों और 25 प्रतिशत निःशुल्क बहिरंग रोगी विभाग के रोगियों की सीमा तक निःशुल्क उपचार सुविधाओं की व्यवस्था/प्रावधान करने के लिए दिशानिर्देश बनाए हैं जिनको रियायती दरों पर भूमि प्रदान की गई है। ये दिशानिर्देश 36 अस्पतालों को अनुपालन हेतु भेजे गए हैं। इनमें से कोई भी निजी अस्पताल इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करता हुआ नहीं पाया जाता है, तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाती है और ऐसे अस्पताल के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना के लिए भी कार्रवाई की जा सकती है।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पताल गरीब रोगियों को ऐसे निजी अस्पतालों में भेज रहे हैं।

[अनुवाद]

युवा महोत्सव/कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव

1688. श्री पी.सी. गद्दीगौडर :
श्री के. विरूपाक्षप्पा :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को युवा महोत्सव/कार्यक्रमों हेतु कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदन दे दिया जाएगा?

पंचायती राज्य मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर)) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मंत्रालय को कर्नाटक में वर्ष 2006-07 के लिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव के आयोजन के लिए 6.03.2007 को कर्नाटक राज्य से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि, इससे पहले 12.02.2007, 13.02.2007 तथा 23.02.2007 को क्रमशः तमिलनाडु, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से भी इसी प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और उनकी मंत्रालय में जांच की गई थी। तमिलनाडु का प्रस्ताव स्वीकार्य पाया गया तथा 12-16 जनवरी, 2008 को चेन्नई में 13वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए उन्हें अनुमोदन भेजा गया था।

इरावडी डाल्फिन

1689. **श्री अबु अयीश मंडल :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिल्का झील घूमने वाले पर्यटक शीघ्र ही दुर्लभ इरावडी डाल्फिन को नहीं देख पाएंगे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार ने कितनी राशि आबंटित की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, चिल्का में पूरे वर्ष इरावडी डाल्फिन देखी जा सकती है तथा हाल के वर्षों में इरावडी डाल्फिनों की अनुमानित संख्या में वृद्धि हुई है।

(ग) दसवी पंचवर्षीय योजना के दौरान चिल्का के समग्र संरक्षण और विकास हेतु राज्य सरकार 589.335 लाख रुपये की राशि जारी की गई, जबकि वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा 111.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय

1690. **श्री राकेश सिंह :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के अनुपात में गरीब व्यक्तियों की संख्या में कोई कमी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार लागत मूल्य पर (1999-2000 के मूल्यों पर) निवल राष्ट्रीय उत्पाद के अर्थों में मापित देश में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2005-06 में 20,734/रुपये तथा वर्ष 2006-07 में 22,483/रुपये (प्रेस नोट दिनांक 31.5.2007) होने का अनुमान है।

(ख) प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2005-06 से वर्ष 2006-07 तक 8.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

(ग) सरकारी एजेंसियों से वर्ष 2005-06 और वर्ष 2006-07 के लिए गरीबों की संख्या का अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में नदियों का सूखना

1691. **श्री संजय धोत्रे :**
श्री बापू हरी चौरे :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में बहने वाली कुछ नदियां सूख रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने किसी सर्वेक्षण के द्वारा कारणों को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन नदियों को बचाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखी जाएगी।

पंचायतों में कम्प्यूटर शिक्षा

1692. **श्री रामदास आठवले :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गांवों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक कम्प्यूटर प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा आज की तिथि तक उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रदान की गई निधियां पर्याप्त हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) 17-19 दिसम्बर, 2004 को जयपुर में आयोजित पंचायती राज मंत्रियों के सातवें गोलमेज सम्मेलन में पारित किए गए संकल्प के अनुसार ग्यारहवीं योजना अवधि (2007-12) के दौरान देश के सभी पंचायतों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत पंचायती राज मंत्रालय ने एक मिशन मोड प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। मिशन मोड प्रोजेक्ट के मुख्य घटकों में ग्राम पंचायत स्तर तक हार्डवेयर उपलब्ध करना; नेटवर्क संलग्नता; ई-गवर्नेंस में पी.आर.आई. के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों का प्रशिक्षण व क्षमता-निर्माण तथा विषय प्रबंधन करना शामिल है।

पंचायती राज संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण उनके अपने कार्य को पारदर्शी बनाएगा एवं पंचायतों द्वारा जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, भूमि संबंधी अभिलेख, वित्तीय लेखाओं के प्रबंधन, शिकायतों के निवारण तथा आवेदन पत्रों व दस्तावेजों को तुरंत जारी करने जैसे नागरिक-केन्द्रित सेवाएं प्रदान किए जाने को बेहतर बनाने

में सहायता करेगा। गांवों में कम्प्यूटर शिक्षा का व्यापन पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण का एक अतिरिक्त लाभ होगा।

(ग) यह मंत्रालय दिनांक 27 मई, 2004 को अस्तित्व में आया और वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु कोई स्कीम नहीं थी। वित्तीय वर्ष 2005-06 की अवधि में सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत पचायतों के कम्प्यूटरीकरण के लिए गोवा एवं उड़ीसा की सरकार में से प्रत्येक को 1.00 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गयी थी। उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास आबंटन के तहत पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण के लिए सिक्किम सरकार को वित्तीय वर्ष 2005-06 की अवधि में 2.00 करोड़ रुपये की सहायता भी उपलब्ध कराई गई।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के सूचना प्रौद्योगिकी घटक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान 8.00 करोड़ रुपये का आबंटन मंत्रालय को उपलब्ध कराया गया था। इसका इस्तेमाल राज्यों को कम्प्यूटर हार्डवेयर के प्रावधान में सहायता पहुंचाने के लिए निम्न ब्यौरे का अनुमान किया गया:-

क्र.सं.	राज्य	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	केरल	2.53
2.	पश्चिम बंगाल	2.60
3.	राजस्थान	2.00
4.	पुदुचेरी	0.87
	कुल	8.00

इसके अतिरिक्त, उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास आबंटन के तहत उनके पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण को पूरा करने के लिए सिक्किम सरकार को वित्तीय वर्ष 2006-07 की अवधि में 3.04 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई।

(घ) जी, नहीं। वर्तमान में समस्त पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण के लिए निधियां पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए देश के सभी पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने ई-पंचायतों के मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत अपनी निधियों को बढ़ाने की योजना बनाई है। मंत्रालय विश्व बैंक के साथ भी परामर्श कर रहा है, जिसने ई-भारत कार्यक्रम के तहत ई-पंचायतों के मिशन मोड प्रोजेक्ट के एक अंश को निधि उपलब्ध कराने में दिलचस्पी दिखाई है।

नीमहकीमों के विरूद्ध शिकायतें

1693. श्री टेक लाल महतो : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली प्रमाण-पत्रों/डिग्रियों के आधार पर चिकित्सा पेशा करने वाले नीमहकीमों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार को राज्य-वार कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने नीमहकीमों/नकली चिकित्सा पेशा करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) चिकित्सकों को पंजीकरण देने वाली राज्य चिकित्सा परिषदें नीम हकीमों के खिलाफ आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई करती हैं। अयोग्य/अपंजीकृत चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करने के उपबंध भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 तथा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 एवं होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में विद्यमान हैं। इन उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को संबंधित अधिनियमों के तहत कैद और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। चूंकि सांविधिक उपबंधों के प्रवर्तन की जिम्मेवारी विभिन्न राज्य सरकारों की है, अत: नीम हकीमों/नकली चिकित्सकों के खिलाफ शिकायतों के आंकड़ों का रखरखाव मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता।

[अनुवाद]

मातृ मृत्यु दर

1694. श्री के. सुब्बारायण :

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

श्री अवतराव पाटील शिवाजीराव :

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री कीरेन रिजीजू :

श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के किसी अन्य देश की तुलना में भारत में प्रसव के दौरान अधिक महिलाओं की मृत्यु होती है जैसा कि दिनांक 16 अक्तूबर, 2007 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारत तथा अन्य विकासशील देशों में वर्तमान मातृ मृत्यु अनुपात कितना है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) वर्ष 2006 में भारत के महापंजीयक की प्रकाशित नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट (आर.जी.आई.एस.आर.एस. 2001-03) के अनुसार, भारत में मातृ मृत्यु दर अनुपात (एम.एम.आर.) प्रति 100,000 जीवित बच्चों के जन्म पर 301 है जिससे 77,000 माताओं की मौतें प्रति वर्ष हो जाती हैं। भारत में माताओं की सबसे अधिक मृत्यु संख्या का कारण जनसंख्या की विशालता और जन्मों की अधिक संख्या है।

'2005 में मातृ मृत्युदर' नामक प्रकाशन में 'विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ और यू.एन.एफ.पी.ए. और विश्व बैंक द्वारा मातृ मृत्युदर के बारे में लगाए गए अनुमान के अनुसार, भारत में मातृ मृत्युदर बहुत-से अन्य विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है। इन देशों और मातृ मृत्यु दर की सूची का विवरण संलग्न है।

रोग प्रतिरक्षण और सुरक्षित मातृत्व सेवाओं सहित स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने के इरादे से वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) में समग्र देश की ग्रामीण जनता को कारगर स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की व्यवस्था है जिसमें निम्न जनस्वास्थ्य संकेतकों और/या कमजोर अवसंरचना वाले 18 राज्यों पर विशेष जोर दिया गया है।

मातृ मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार समग्र देश में निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रमों पर अमल कर रही है जिनमें ये शामिल हैः गरीबी रेखा से नीचे की और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए सांस्थानिक प्रसव को बढ़ावा देने की नगद लाभ स्कीम नामक जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई): स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक गर्भवती महिलाओं सहित लोगों के पहुंचने में मदद करने हेतु प्रत्येक गांव के लिए प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की नियुक्ति करना; प्रथम रेफरल एकक (एफ.आर.यू.) के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्य शुरू करना और 50% सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2010 तक 24 घंटों सातों दिन प्रसव सेवाएं उपलब्ध कराना; कुशल जन्म परिचर जैसी विभिन्न कुशलताओं वाले प्रशिक्षणों, जीवनरक्षक संवेदनाहरक कुशलताओं में एम.बी.बी.एस. डाक्टरों के प्रशिक्षण और सीजेरियन सेक्शन सहित आपाती प्रसूति परिचर्या कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाना; लौह और फालिक एसिड टैबलेटों के संपूरण से रक्ताल्पता का निवारण और उपचार; आंगनवाड़ी केंद्रों में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित करना; आई.सी.डी.एस. योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को संपूरक पोषण देना; प्रसव सेवा सुधारने हेतु 10,000/-रु. की मुक्त निधि देकर प्रत्येक उप केंद्रों को सुदृढ़ करना।

विवरण

भारत से अधिक मातृ मृत्युदर वाले देश

(वर्ष 2005 में 'मातृ मृत्यु दर' नामक प्रकाशन में विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, यू.एन.एफ.पी.ए., विश्व बैंक द्वारा मृत्युदर के बारे में लगाए गए अनुमान)

क्र.सं.	देश	मातृ मृत्यु दर
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	1800
2.	अंगोला	1400
3.	बंगलादेश	570
4.	बेनिन	840
5.	बुरकिना फासो	700

1	2	3
6.	बुरून्दी	1100
7.	कम्बोडिया	540
8.	कैमरून	1000
9.	सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक	980
10.	चाड	1500
11.	कांगो	740
12.	काट डी लवायर	810
13.	डिजीबोउटी	650
14.	डेमोस्टिक रिपब्लिक आफ दा कांगो	1100
15.	एक्वटोरियल गुयना	680
16.	इथोपिया	720
17.	गैबोन	520
18.	गम्बिया	690
19.	घाना	560
20.	गुयाना	910
21.	गुयाना-बिसऊ	1100
22.	गुयाना	470
23.	हैती	670
24.	केन्या	560
25.	लीयो पीपल्स डेमोस्ट्रिक रिपब्लिक	660
26.	लेसोथो	960
27.	लाइबेरिया	1200

1	2	3
28.	मेडागास्कर	510
29.	मलावी	1100
30.	माली	970
31.	मऊरितानिया	820
32.	मोजाम्बिया	520
33.	नेपाल	830
34.	निगर	1800
35.	निगेरिया	1100
36.	पपुआ न्यू गुयाना	470
37.	रवांडा	1300
38.	सेनगाल	980
39.	सियेरा लेयोन	2100
40.	सोमालिया	1400
41.	टागो	510
42.	यूगांडा	550
43.	यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया	950
44.	जाम्बिया	830
45.	जिम्बाब्वे	880

फिक्सड डोज काम्बिनेशन

1695. चौ. मुनव्वर हसन :
डा. एम. जगन्नाथ :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रग्स कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया (डीसीजीआई)

ने फिक्स्ड डोज काम्बिनेशनों के मुद्दे पर चर्चा के लिए मोहाली में बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा इसमें शामिल होने वालों के नाम क्या हैं;

(ग) उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर एफ.डी.सी. को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है;

(घ) एफ.डी.सी. के संघटन तथा इनके नाम क्या हैं और कौन-कौन सी कंपनियां इन दवाओं का विपणन कर रही हैं; और

(ङ) चिकित्सीय प्रभावकारिता की कमी के कारण किन काम्बिनेशन ड्रग्स पर प्रतिबंध लगाने तथा उन्हें बाजार से वापस लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य औषध नियंत्रक, मोहाली में औषध परामर्शी समिति की बैठक में शामिल हुए और प्रमुख फार्मा उद्योग संघों के साथ बातचीत भी की गई।

अनुमोदित नियत खुराक सम्मिश्रण (एफडीसी) के लिए विनिर्माताओं को प्रदत्त विनिर्माणकारी लाइसेंसों को वापिस लेने तथा इन्हें बाजार से हटाने के लिए मोहाली में लिए गए सर्वसम्मत निर्णय सभी राज्य औषध नियंत्रकों को संप्रेषित किया गया।

(घ) और (ङ) अनुमोदित 294 एफडीसी की सूची जिसे सभी राज्य औषध नियंत्रकों को परिचालित कर दिया गया था, के रूप में विवरण संलग्न है। राज्यों को इन 294 एफडीसी को हटाने का निर्देश दिया गया है क्योंकि विनिर्माताओं द्वारा औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार तर्कसंगति, सुरक्षा एवं प्रभावकारिता प्रमाणित नहीं की गई है। ऐसे एफडीसी के लिए आवेदन प्राप्त होने पर उनकी तर्कसंगति, सुरक्षा एवं प्रभावकारिता के लिए उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद ही विपणन प्राधिकरण पर विचार किया जा सकता है।

विवरण

एस.एल.ए. द्वारा लाइसेंस प्रदत्त किंतु डी.सी.जी. (आई) द्वारा गैर अनुमत एफ.डी.सी. की समेकित सूची

	एफ.डी.सी. का नाम	वर्ग
	1	2
1.	5 ब्रोमोसालिकील 4 च्लोराणीलिडे+सालिक्यिलक अम्ल	देर्मटोलोगिकल्स
2.	आसेक्लोफेनेक+पेरसेतमोल+च्लोर्जोक्सजोन	विकलांग विज्ञान
3.	आसेक्लोफेनेक+पेरसेतमोल+स्(रतियोपेप्तिदासे	विकलांग विज्ञान
4.	आसेक्लोफेनेक+पेरसेतमोल+टिजाणीदीन	विकलांग विज्ञान
5.	आसेक्लोफ़ेनेक+पेरसेतमोल+त्रामाडोम	विकलांग विज्ञान
6.	आसेक्लोफेनेक+स्(रतियोपेप्तिदासे	विकलांग विज्ञान
7.	आसेक्लोफेनेक+त्रामाडोल	विकलांग विज्ञान
8.	आसेतमिनोफेन+कोडीन स्फ़ुर अम्ल	कौघ और कोल्ड
9.	आसेटील सालिक्यिलक असिड+एत्रेहेप्टाजिन	आनल्गेसिक्स

1	2
10. आसेट्यल्क्यस्तैन+सेलेनोमेठियोनिन+चोलीन बितर्ट्रेट+पिरिडोक्सिन+फोलिक असिड+वीटामीन इ+स्यानोकोबालामिल+क्रोमीऊम निकोतीनाटे+मैंगनीझ सूलफते-जिन्क सूलफते	नूत्रिशनाल्स
11. एक्रिफ्लविन+गेन्टिआन वायलेट+ब्रिलिआंत हरित	देर्मटोलोगिकल्स
12. सक्रिय चारकोल+फुनगल डिस्टासे+लेक्टिक अम्ल	जी.आई.
13. आदपलेन+मेठील पराबेन	देर्मटोलोगिकल्स
14. आद्नोकील कोबालामिन+कार्बोनील इयोन+फोलिक असिड+जिन्क अस्कोर्बटे	नूत्रिशनाल्स
15. आद्नोकीनोकोबालामिन+कार्बोनील आइरन+फोलिक अम्ल	नूत्रिशनाल्स
16. आलेन्द्रोणाटे सोडियम+कॅल्शिअम कार्बोनाटे+वित डी3	विकलांग विज्ञान
17. एलनड्रोनेट सोडियम+क्ला+कैल्सियम साइट्रेट+मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड	विकलांग विज्ञान
18. अलंटोईन+डिमेठिकोन+मेठ्य्ल्पराबेन+प्रोप्य्ल्पराबेन	देर्मटोलोगिकल्स
19. अलंटोईन+ट्रिक्लोसन+वित इ+जिन्क	देर्मटोलोगिकल्स
20. अलंटोईन+वित इ+केम्मेलीना सीनेन्सिस	देर्मटोलोगिकल्स
21. अलोबार्बिटोन+फोस्फो डिमेठील इसोप्रोपील पिराजोलोण	आनल्गेसिक्स
22. आलोय एक्ट्रेक्ट+अलंटोकिन+अल्फा टोकोफेरल एसताटे+डी पंठेमोल+बीटा	देर्मटोलोगिकल्स
23. आलोय एक्स्ट्रेक्ट+वित इ+डिमेठिकोन+ग्ल्य्केरिन	देर्मटोलोगिकल्स
24. आलोय वेरा+जोजोबा ओईल+वित इ	देर्मटोलोगिकल्स
25. आलोय वेरा+ओरन्गे तेल	देर्मटोलोगिकल्स
26. आलोय वेरा+वित इ शुक्त रस	देर्मटोलोगिकल्स
27. आलोय+टोकोफेरोल	देर्मटोलोगिकल्स
28. आलोयवेरा+ग्ल्य्कोरिन+पेग 100 स्टीरेटे+वित इ	देर्मटोलोगिकल्स
29. आलोयवेरा+जोजोबा ओईल+व्हेट रोगाणु ओईल+टी वृक्ष तेल	देर्मटोलोगिकल्स
30. आलोयवेरा+वित इ+हरबल	देर्मटोलोगिकल्स

1	2
31. आल्प्राजोलेम+मेलातोनिन	वन्स
32. आल्प्राजोलमे+प्रोप्रनोलोल	वन्स
33. आम्लोडिपिन+लोवास्टातीन	वन्स
34. अमोक्सिसिलीन+क्लोक्ससिलीन+लेक्टिक अम्लीय दंडाणु	आंटिमिक्रोबियाल
35. अमोक्सिसिलीन+स्‌रतियोपेप्तिदासे+लेक्टोबेसिलुस स्पोरोजेन्स	आंटिमिक्रोबियाल
36. अमोक्सिस्यकलीन+क्लवलाणीक असिड+लेक्टिक अम्लीय दंडाणु	आंटिमिक्रोबियाल
37. अमोक्सिस्यकलीन+क्लवलाणीक असिड+लेक्टोबेसिलुस	आंटिमिक्रोबियाल
38. अमोक्सिस्यकलीन+क्लोक्ससिलीन+लेक्टिक अम्लीय दंडाणु	आंटिमिक्रोबियाल
39. अमोक्सिस्यकलीन+क्लोक्ससिलीन+लेक्टिक अम्लीय बसिलुस+स्‌रेपेप्टासे	आंटिमिक्रोबियाल
40. अमोक्सिस्यकलीन+क्लोक्ससिलीन+लेक्टो	आंटिमिक्रोबियाल
41. अमोक्सिस्यकलीन+लेक्टिक अम्लीय दंडाणु	आंटिमिक्रोबियाल
42. अमोक्सिस्यकलीन+लेक्टोबेसिलुस	आंटिमिक्रोबियाल
43. अमोक्सिस्यकलीन+लैक्टोबेसिलुस एसिडोफीलुस	आंटिमिक्रोबियाल
44. अमोक्सिस्यकलीन+लेक्टोबेसिलुस एसिडोफीलुस+क्लवनाणीक अम्ल	आंटिमिक्रोबियाल
45. अमोक्सिस्यकलीन+लेक्टोबेसिलुस एसिडोफीलुस+फ्लक्लोक्ससिलीन सोडियम	आंटिमिक्रोबियाल
46. अमोक्सिस्यकलीन+स्‌रतियोपेप्तिदासे	आंटिमिक्रोबियाल
47. अंपिसिलीन+क्लोक्ससिलीन+लेक्टिक अम्लीय दंडाणु	आंटिमिक्रोबियाल
48. अंपिसिलीन+फ्लक्लोक्ससिलीन	आंटिमिक्रोबियाल
49. अंपिसिलीन+फ्लक्लोक्ससिलीन सल्ट+लेक्टोबेसिलुस एसिडोफीलुस	आंटिमिक्रोबियाल
50. अंपिसिलीन+लेक्टिक अम्लीय दंडाणु	आंटिमिक्रोबियाल
51. अनलगिन+देक्स्ट्रोपोपोक्स्यफेन	आनल्गेसिक्स
52. अनलगिन+दिआजेपम	आनल्गेसिक्स
53. अनलगिन+दिआजेपम+दिफेनैह्रमिन	वन्स

	1	2
54.	अनलगिन+दिआजेपम+पेरसेतमोल	आनल्गेसिक्स
55.	अनलगिन+दिआजेपम+प्रोप्लेन ग्ल्कोल	आनल्गेसिक्स
56.	अनलगिन+दिक्यक्लोमिन+दिआजेपम	जी.आई.
57.	अनलगिन+दिहैद्रोयठावेरिन क्लोराइड	जी.आई.
58.	अनलगिन+कैटोप्रोफेन	विकलांग विज्ञान
59.	अनलगिन+केट पी पिपेर। ईटीएच ओ कार्ब एम	आनल्गेसिक्स
60.	आर्तेसुनाटे+आर्तीठेर+आर्तेमेठेर	आंटिमलारिल
61.	अटेनोलोल+हैद्रोच्लोरोठियाजिडे+अमीलोरिड	क्वस
62.	अटेनोलोल+लोसार्तन+हैद्रोच्लोरोठियाजिडे	क्वस
63.	अटर्वास्टातीन+आसेटील सालिक्यिलक अम्ल	क्वस
64.	अटर्वास्टातीन+आसेटील सालिक्यिलक असिड+काफैन	विकलांग विज्ञान
65.	अटर्वास्टातीन+अस्पिरिन	क्वस
66.	अटर्वास्टातीन+अस्पिरिन+रमिप्रिल	क्वस
67.	अटर्वास्टातीन+मैकोबालामिन+फोलिक अम्ल	क्वस
68.	अटर्वास्टातीन+मैकोबालामिन+फोलिक असिड+वित बी6	क्वस
69.	अटर्वास्टातीन+ओमेगा 3 फट्टी असिड	क्वस
70.	अटर्वास्टातीन+रमिप्रिल	क्वस
71.	अटर्वास्टातीन+उबिडेकारेनोने	क्वस
72.	अटर्वास्टातीन+वीटामीन	क्वस
73.	बेन्फोतिमिन+पिरिडोक्सिन+मेकोबालामिन+इनोस्टिल+आल्फालिपोईक अम्ल	नुत्रिशनाल्स
74.	कैलशियम दोबेसिलेट+डेकसटे सोडियम	आंटिहएमोरोईड
75.	कैलशियम दोबेसिलेट+लिग्नोकायन .	आंटिहएमोरोईड
76.	कैल्शियम दोबेसिलेट+लिग्नोकायन+हैद्रोकोर्टिसोने	आंटिहएमोरोईड

1	2
77. दोबेसिलेट+ट्रोक्सेरुतिन	आंटिहएमोरॉइड
78. सेफद्रोक्सील+अम्ब्रोक्सोल	आंटिमिक्रोबियाल
79. सेफद्रोक्सील+लेक्टिक अम्लीय दंडाणु	आंटिमिक्रोबियाल
80. सेफद्रोक्सील+प्रोबेनेकिद	आंटिमिक्रोबियाल
81. सेफडीनिर+लेक्टिक अम्लीय दंडाणु	आंटिमिक्रोबियाल
82. सेफिक्सिमे+अम्ब्रोक्सोल+लेक्टिक अम्ल	आंटिमिक्रोबियाल
83. सेफिक्सिमे+अम्ब्रोक्सोल+लेक्टिक अम्लीय दंडाणु	आंटिमिक्रोबियाल
84. सेफिक्सिमे+लेक्टिक अम्लीय दंडाणु	आंटिमिक्रोबियाल
85. सेफिक्सिमे+लेक्टिक अम्लीय बसिलुस+अम्ब्रोक्सोल	आंटिमिक्रोबियाल
86. सेफिक्सिमे+लेक्टोबेसिलुस एसिडोफीलुस	आंटिमिक्रोबियाल
87. सेफिक्सिमे+लेक्टोबेसिलुस एसिडोफीलुस+अम्ब्रोक्सोल	आंटिमिक्रोबियाल
88. सेफिक्सिमे+लेक्टोबेसिलुस आक्वीडोफीलुस	आंटिमिक्रोबियाल
89. सेफिक्सिमे+लेक्टोबेसिलुस+क्लवलाणीक एसिड	आंटिमिक्रोबियाल
90. सेफिक्सिमे+लेक्टोबेसिलुस+दिक्लोक्ससिलीन	आंटिमिक्रोबियाल
91. सेफिक्सिमे+ओर्निडजोले	जी.आई.
92. सेफ्पोडोक्सिमे प्रोजेटिल+लेक्टिक अम्लीय दंडाणु	आंटिमिक्रोबियाल
93. सेफ्पोडोक्सिमे+क्लोक्ससिलीन+लेक्टोबेसिलुस	आंटिमिक्रोबियाल
94. सेफ्पोडोक्सिमे+लेक्टिक अम्लीय दंडाणु	आंटिमिक्रोबियाल
95. सेफ्पोडोक्सिमे+लेक्टोबेसिलुस	आंटिमिक्रोबियाल
96. सेफ्प्रोजिल+लेक्टोबेसिलुस	आंटिमिक्रोबियाल
97. सेफ्ट्रिक्सोने+वन्कोम्यिकन	आंटिमिक्रोबियाल
98. सेफुरोक्सिमे+ओर्निडजोले	जी.आई.

1	2
99. सेफुरोक्सिमे+स्रतियोपेप्तिदासे	आंटिमिक्रोबियाल
100. सेपोडोक्सिमे+क्लोक्ससिलीन+लेक्टिक अम्लीय दंडाणु	आंटिमिक्रोबियाल
101. च्लोर्मेजानोने+पेरसेतमोल+दिक्लोफेनेक सोडियम	विकलांग विज्ञान
102. च्लोर्मेजानोने+पेरसेतमोल+इबुप्रोफेन	विकलांग विज्ञान
103. च्लोर्जोक्सजोन+इबुप्रोफेन+पेरसेतमोल+दिक्लोफेनेक+ओक्स्यफेन्बुटाजोन+ माग्नेसीऊम हैद्रोक्सिड	विकलांग विज्ञान
104. च्लोर्जोक्सजोने+निमेसूलिडे	विकलांग विज्ञान
105. च्लोर्जोक्सजोने+पेरसेतमोल	विकलांग विज्ञान
106. च्लोर्जोक्सजोने+पेरसेतमोल+दिक्लोफेनेक	विकलांग विज्ञान
107. च्लोर्जोक्सजोने+पेरसेतमोल+इबुप्रोफेन	विकलांग विज्ञान
108. च्लोर्जोक्सजोन+पेरसेतमोल+इबुप्रोफेन+दिक्लोफेनेक सोडियम	विकलांग विज्ञान
109. च्लोर्जोक्सजोने+पेरसेतमोल+निमेसूलिडे	विकलांग विज्ञान
110. सिप्रोफ्लोक्ससिन+टीनिडजोले+दिक्य्क्लोमिन	जी.आई.
111. क्लींडम्यिकन+क्लोट्रिमजोल+मेट्रोनिडजोले	आंटिमिक्रोबियाल
112. क्लोनिदीन+च्लोर्ठलिडोन	क्व्स
113. क्लोनिदीन+हैद्रोच्लोरोठियाजिडे	क्व्स
114. क्लोपिडोग्रेल+अस्पिरिन+अटर्वास्टातीन	क्व्स
115. कोंद्रोईतीन+वीटामीन+सेलेनीऊम जिन्क+सूलफाटे+मोनोहैद्रेटे	नूत्रिशनाल्स
116. दिक्लोफेनेक पोटास्सीऊम+पिटोफेनोने हैद्रोच्लोरिड+फैन्पिविरेनेठम ब्रोमिडे+पेरसेतमोल	विकलांग विज्ञान
117. दिक्लोफेनेक पोटास्सीऊम+स्रतियोपेप्तिदासे	विकलांग विज्ञान
118. दिक्लोफेनेक सोडियम+राबेप्राजोले	विकलांग विज्ञान
119. दिक्लोफेनेक सोडियम+स्रतियोपेप्तिदासे	विकलांग विज्ञान
120. दिक्लोफेनेक+देक्स्ट्रोप्रोपोक्स्यफेन+पेरसेतमोल	विकलांग विज्ञान

1	2
121. दिक्लोफेनेक+फामोतिदीन	विकलांग विज्ञान
122. दिक्लोफेनेक+मेठील सालिक्यलेट+लीनोलीक असिड+मेंठेल	विकलांग विज्ञान
123. दिक्लोफेनेक+पेरसेतमोल+च्लोर्मेजानोने	विकलांग विज्ञान
124. दिक्लोफेनेक+पेरसेतमोल+च्लोर्जोक्सजोन	विकलांग विज्ञान
125. दिक्लोफेनेक+पेरसेतमोल+देक्स्ट्रोप्रोपोक्स्फेन	विकलांग विज्ञान
126. दिक्लोफेनेक+पेरसेतमोल+स्‌रतियोपेप्तिदासे	विकलांग विज्ञान
127. दिक्लोफेनेक+पेरसेतमोल+टिजाणीदीन	विकलांग विज्ञान
128. दिक्लोफेनेक+पर्केतमोल+च्लोर्जोक्सजोन	विकलांग विज्ञान
129. दिक्लोफेनेक+राबेप्राजोले	विकलांग विज्ञान
130. दिक्लोफेनेक+स्‌रतियोपेप्तिदासे	विकलांग विज्ञान
131. दिक्लोफेनेक+स्‌रतियोपेप्तिदासे+पेरसेतमोल	विकलांग विज्ञान
132. दिक्लोफेनेक+टिजाणीदीन	विकलांग विज्ञान
133. दिक्लोफेनेस सोडियम+स्‌रतियोपेप्रिदासे	विकलांग विज्ञान
134. दिक्लोफेनेस+स्‌रतियोपेप्तिदासे	विकलांग विज्ञान
135. दिक्य्क्लोमिन+देक्स्ट्रोमेठोर्फेन+पेरसेतमोल	जी.आई.
136. दिक्य्क्लोमिन+दिक्लोफेनेक सोडियम+पेरसेतमोल	जी.आई.
137. दिक्य्क्लोमिन+मेफेनमिक असिड+पेरसेतमोल	जी.आई.
138. दिक्य्क्लोमिन+पेरसेतमोल+अनलगिन	जी.आई.
139. दिक्य्क्लोमिन+पेरसेतमोल+च्लोर्डिआजेपोक्सिड	जी.आई.
140. दिक्य्क्लोमिन+पेरसेतमोल:क्लिदीनीऊम ब्रोमिडे	जी.आई.
141. दिक्य्क्लोमिन+पेरसेतमोल+क्लिदीनीऊम ब्रोमिडे+च्लोर्डिआजेपोक्सिड	जी.आई.
142. दिक्य्क्लोमिन+पेरसेतमोल+देक्स्ट्रोप्रोपोक्स्फेन	जी.आई.
143. दिक्य्क्लोमिन+पेरसेतमोल+देक्स्ट्रोप्रोपोक्स्फेन+क्लार्डिआजेपोक्सिड	जी.आई.

1	2
144. दिक्यक्लोमिन+पेरसेतमोल+डिमेठ्य्ल्पाल्पिसलोक्साने	जी.आई.
145. दिक्यक्लोमिन+पेरसेतमोल+फैनीलिसोप्रोपील पिराजोलोन	जी.आई.
146. दिक्यक्लोमिन+पेरसेतमोल+सिमेठिकोन	जी.आई.
147. दिक्यक्लोमिन+राणीतिदीन	जी.आई.
148. दिक्यक्लोमिन+स्र्रेर्तियोपेप्तिदासे	विकलांग विज्ञान
149. दिक्यक्लोमिन+पर्कैतमोल+डिमेठ्य्ल्पाल्पिसलोक्साने	जी.आई.
150. दोम्पेरिडोन+पेरसेतमोल	जी.आई.
151. दोम्पेरिडोन+पेरसेतमोल+त्रामाडोल	आनल्गेसिक्स
152. दोम्पेरिडोन+राणीतिदीन	जी.आई.
153. दोकस्यक्लीन+लेक्टोबेसिलुस	आंटिमिक्रोबियाल
154. दोम्पेरिडोन+टीनिडजोले	जी.आई.
155. ड्रोटवेरिन हैद्रोच्लोरिड+मेफेनमिक अम्ल	जी.आई.
156. ड्रोटवेरिन+मेफेनमिक अम्ल	जी.आई.
157. ड्रोटवेरिन+निमेसूलिडे	जी.आई.
158. ड्रोटवेरिन+ओमेप्राजोले	जी.आई.
159. ड्रोटवेरिन+पेरसेतमोल	जी.आई.
160. दूलोक्सेटिन+मेकोबालामिन	कन्स
161. फेन्पिवेरिनीऊम ब्रोमिडे+अनलगिन+पिटोफेनोने हैद्रोच्लोरिड	जी.आई.
162. फेन्पिवेरिनीऊम ब्रोमिडे+दिक्लोफेनेक सोडियम+पिटोफेनोने हैद्रोच्लोरिड	जी.आई.
163. फेन्पिवेरिनीऊम हैद्रोक्सिड ब्रोमिड+दिक्लोफेनेक सोडियम+पिटोफेनोने हैद्रोच्लोरिड	जी.आई.
164. गाबापेनतीन+मेकोबालामिन+थियोक्टिक अम्ल	कन्स
165. गाबापेनतीन+मेकोबालामिन+थियोक्टिक असिड+फौलिक असिड+पिरिडोक्सिन	कन्स
166. गाबापेनतीन+मेकोबालामिन+पिरिडोक्सिन+फोलिक	कन्स

1	2
167. ग्लिक्लाजिडे+क्रोमीऊम पिकोलीनाटे	आंटिदिआबेटिक्स
168. ग्लकोसामिन+अस्कोर्बिक	विकलांग विज्ञान
169. ग्लकोसामिन+बोस्वेलिया सेरात	विकलांग विज्ञान
170. ग्लकोसामिन+कल्शिअम कार्बोनाटे	विकलांग विज्ञान
171. ग्लकोसामिन+सेट्र्यल्म्य्रस्टाट ओलीटे	विकलांग विज्ञान
172. ग्लकोसामिन+चोन्द्रोईतीन सूलफाटे+मेठील सूलफोनील मिथेन गैस	विकलांग विज्ञान
173. ग्लकोसामिन+चोन्द्रोईतीन सूलफाटे+वित+सी+मंगाणीस सल्फेट	विकलांग विज्ञान
174. ग्लकोसामिन+चोन्द्रोईतीन+वित सी+वित इ+मैंगनीझ	विकलांग विज्ञान
175. ग्लकोसामिन+चोन्द्रोईतीन+वित सी	विकलांग विज्ञान
176. ग्लकोसामिन+चोन्द्रोईतीन+वित सी+वित इ+मैंगनीझ	विकलांग विज्ञान
177. ग्लकोसामिन+चोन्द्रोईतीन+वित सी+वित इ+मैंगनीझ सल्फेट	विकलांग विज्ञान
178. ग्लकोसामिन+चोन्द्रोईतीन+वित सी+वित इ+मैंगनीझ सूलफाटे+सोडियम बोरेटे+सेलेनीऊम डाइ आक्साइड	विकलांग विज्ञान
179. ग्लकोसामिन+कोलेकाल्सिफेरोल+मैंगनीझ+अस्कोर्बिक अम्ल	विकलांग विज्ञान
180. ग्लकोसामिन+मैंगनीझ	विकलांग विज्ञान
181. ग्लकोसामिन+मेकोबालामिन+डिमेठील सूलफोने	विकलांग विज्ञान
182. ग्लकोसामिन+मेकोबालामिन	विकलांग विज्ञान
183. ग्लकोसामिन+मेकोबालामिन+मिल्क कैलशियम	विकलांग विज्ञान
184. ग्लकोसामिन+मेठील सूलफोनील मिथेन गैस	विकलांग विज्ञान
185. ग्लकोसामिन+मेट्य्ल्सूलफोनल मेठेनमिन+सेट्र्यल्म्य्रस्टाट	विकलांग विज्ञान
186. ग्लकोसामिन+वित सी+कल्शिअम+मेठील सूलफोनील मेथाने+चोन्द्रोईतीन+मैंगनीझ	विकलांग विज्ञान
187. ग्लकोसामिन+वित सी+वित इ+चोन्द्रोईतीन सूलफाटे+मेठील सूलफोनील मेथाने+मैंगनीझ सल्फेट	विकलांग विज्ञान
188. ग्लुओसामिन सूलफाटे+चोन्द्रोईतीन+सूलफाटे+वित इ+मैंगनीझ	विकलांग विज्ञान

1	2
189. ग्लुओसामिन+कल्शिअम+वित डी3	विकलांग विज्ञान
190. हैद्रोक्लोरोठियाजिडे+रमिप्रिल+लोसार्तन	क्वस
191. इबुप्रोफेन+करिसोप्रोडौल	विकलांग विज्ञान
192. इबुप्रोफेन+कोडैन	विकलांग विज्ञान
193. इबुप्रोफेन+कोल्चिसिन	विकलांग विज्ञान
194. इबुप्रोफेन+देक्स्ट्रोप्रोपोक्स्फेन	विकलांग विज्ञान
195. इबुप्रोफेन+देक्स्ट्रोप्रोपोक्स्फैन+पेरसेतमोल	विकलांग विज्ञान
196. इबुप्रोफेन+पैरसेतमोल+कार्फैन	कौघ और कोल्ड
197. इबुप्रोफेन+पेरसेतमोल+कोल्चिसिन	विकलांग विज्ञान
198. इबुप्रोफेन+पेरसेतमोल+देक्स्ट्रोप्रोपोक्स्फेन	विकलांग विज्ञान
199. इबुप्रोफेन+पेरसेतमोल+माग्नेसीऊम त्रीस्किलिकट	विकलांग विज्ञान
200. इबुप्रोफेन+पेरसेतमोल+माग्नेसीऊम त्रीसिलिकेट	विकलांग विज्ञान
201. इबुप्रोफेन+पेरसेतमोल+ओक्स्फेन्बुटाजोन+फेनीतिसोप्रोपील पिराजोलोन	विकलांग विज्ञान
202. इबुप्रोफेन+पेरसेतमोल+फेनीलेफेरिन+च्लोर्फेनिरामिन मालीटे	कौघ और कोल्ड
203. इबुप्रोफेन+पेरसेतमोल+स्रतियोपेप्तिदासे	विकलांग विज्ञान
204. इबुप्रोफेन+प्सेउडोयफेद्रिन+च्लोर्फेनिरामिन मालीटे	कौघ और कोल्ड
205. इबुप्रोफेन+टिजाणीदीन	विकलांग विज्ञान
206. लान्सोप्राजोले+अमोक्स्किलीन+क्लारिथ्रोम्य्किन	जी.आई.
207. लान्सोप्राजोले+अमोक्स्किलीन+टीनिडजोले	जी.आई.
208. लान्सोप्राजोले+दोम्पेरिडोन	जी.आई.
209. लान्सोप्राजोले+टीनिडजोले+क्लारिथ्रोम्य्किन	जी.आई.
210. लेवोकेट्रिजिन+मोन्टेलुकस्ट	आंटिहीस्टमिन्स
211. लेवोफ्लोक्ससिन+अम्ब्राक्सोल	आंटिमिक्रोबियाल

1	2
212. लेवोफ्लोक्सासिन+ओर्निडजोले	जी.आई.
213. लीन्कोम्यिकन+लेक्टोबेसिलुस	आंटिमिक्रोबियाल
214. लोसार्तन+हैड्रोच्लोरोठियाजिडे+अटेनोलोल	क्व्स
215. लोसार्तन+हैड्रोच्लोरोठियाजिडे+रमिप्रिल	क्व्स
216. लोसार्तन+पेरिंदोप्रिल	क्व्स
217. मेबेवेरिन+आल्प्राजोलेम	जी.आई.
218. मेबेवेरिन+प्लांतगो ओवाता	जी.आई.
219. मेकोबालामिनाल्फालिपोईक असिड+फौलिक असिड+वित बी6+चोलीन	नूत्रिशनाल्स
220. मेकोबालामिन+अल्फा लिपोईक अम्ल	नूत्रिशनाल्स
221. मेकोबालामिन+आल्फालिपोईक असिड+फौलिक अम्ल	नूत्रिशनाल्स
222. मेकोबालामिन+आल्फालिपोईक असित+वित बी1+फौलिक अम्ल	नूत्रिशनाल्स
223. मेकोबालामिन+बायोतीन	नूत्रिशनाल्स
224. मेकोबालामिन+कल्शिअम पंटोथेनाटे	नूत्रिशनाल्स
225. मेकोबालामिन+कारोतिनोईड+अल्फा+लिपोईक असिड+क्रोमिम+वित बी1+वित बी मनोग्रन्थी	नूत्रिशनाल्स
226. मेकोबालामिन+फोलिक अम्ल	नूत्रिशनाल्स
227. मेकोबालामिन+मेठेनमिन मंडेलेट	नूत्रिशनाल्स
228. मकोबालमिन+वित ए+वित इ+वित सी+वित बी1+वित बी6+वित डी3+सेनेनीऊम	नूत्रिशनाल्स
229. मेकोबालामिन+विटमिन्स+मिनरल्स	नूत्रिशनाल्स
230. मेकोबालामिन+वित बी1+वित बी2+वित बी6+फौलिक अम्ल	नूत्रिशनाल्स
231. मेकोबालामिन+वित बी1+वित बी6+फोलिक असिड+अल्फा लिपोईक अम्ल	नूत्रिशनाल्स
232. मेकोबालामिन+वित बी1+वित बी6+निकोतीनमिडे+डी पंठेनोल	नूत्रिशनाल्स
233 मेकोबालामिन+वित बी6+फोलिक अम्ल	नूत्रिशनाल्स
234. मेफेनमिक असिड+दिक्यक्लोमिन	जी.आई.

1	2
235. मेलोक्सिकेम+पेरसेतमोल	विकलांग विज्ञान
236. मेटमार्फिन हैद्रोच्लोरिड+मेकोबालामिन	आंटिदिआबेटिक्स
237. मेठोकार्बामोल+इबुप्रोफैन	विकलांग विज्ञान
238. मेठोकार्बामोल+निमेसूलिडे	विकलांग विज्ञान
239 मेठोकार्बामोल+पेरसेतमोल	विकलांग विज्ञान
240. मटोक्लोप्रतिडे हैद्रोच्लोरिड+पेरसेतमोल	जी.आई.
241. मुपिरोकिन+मट्रोनिडजोले	देर्मटोलोगिकल्स
242. नप्रोक्सेन+दोम्पेरिडोन	विकलांग विज्ञान
243. निमेसूलिडे+पेरसेतमोल+च्लोर्जोक्सजोन	विकलांग विज्ञान
244. निमेसूलिडे+पेरसेतमोल+स्रतियोपेप्तिदासे	विकलांग विज्ञान
245. निमेसूलिडे+फेनील्फैरिन+च्लोर्फेंत्रिमाने मालीटे+काफैन	कौफ और कोल्ड
246. निमेसूलिडे+पी पिपेरिदीनोयठेक्सी ओ कार्बोमेठेक्स्येन्जोफेनोने+दिफेनील पिपेरिनायठील आसेतमिडे ब्रोमोमेठ्यलेट	जी.आई.
247. निसूलिडे+प्सेठडोयफेद्रिन+सेटिराजिन	कौफ और कोल्ड
248. नोफ्लोक्ससिन+ओर्निडजोले	जी.आई.
249. नोफ्लोक्ससिन+टीनिडजोल+दिक्यक्लोमिन	जी.आई.
250. नोफ्लोक्ससिन+टीनिडजोल+लेक्टोबेसिलुस	जी.आई.
251. नोफ्लोक्ससिन+टीनिडजोल+लोपेरामिडे	जी.आई.
252. ओफ्लोक्ससिन+दिक्लोफेनेक+लिग्नोकायन	विकलांग विज्ञान
253. ओफ्लोक्ससिन+लेक्टिक अम्लीय दंडाणु	आंटिक्रोबियाल
254. ओफ्लोक्ससिन+मट्रोनिडजोले	जी.आई.
255. ओफ्लोक्ससिन+ओर्निडजोले+लेक्टोबेसिलुम	जी.आई.
256. ओफ्लोक्ससिन+प्रेद्नीसोलोणे	विकलांग विज्ञान

1	2
257. ओफ्लोक्ससिन+टीनिडजोल	जी.आई.
258. ओन्डन्सेट्रोन+ओमेप्राजोले	जी.आई.
259. ओन्डन्सेट्रोन+पेरसेतमोल	जी.आई.
260. ओन्डन्सेट्रोन+राणीतिदीन	जी.आई.
261. ओर्निडजोले+दोक्स्यक्लीन	जी.आई.
262. ओर्निडजोले+फ्लकानाजोले+अजिथ्रोम्य्किन	आंटिमिक्रोबियाल
263. पेरसेतमोल+आल्प्राजोलेम	आनल्गेसिक्स
264. पेरसेतमोल+अनलगिन	आनल्गेसिक्स
265. पेरसेतमोल+दिक्लोफैनेक सोडियम+अमोक्सिसिलीन+क्लोक्ससिलीन+पंटोप्राजोले+लैक्टिक बसिलुस+स्ट्रेपेप्टासे	आनल्गेसिक्स
266. पेरसेतमोल+दिक्लोफेनेक सोडियम+माग्नेसीऊम त्रिसिलिकेट+च्लोर्फेनमिन मालीटे	विकलांग विज्ञान
267. पेरसेतमोल+दिक्लोफैनेक+च्लोर्जोक्सजोन	विकलागं विज्ञान
268. पेरेसेतमोल+दिक्य्क्लोवेरिन+मेफेनमिक	जी.आई.
269. पेरसेतमोल+केटोप्रोफेन+देक्स्ट्रोप्रोपोक्स्य्फेन	विकलांग विज्ञान
270. पेरसेतमोल+लिग्नोकायन	आनल्गेसिक्स
271. प्रेगबलीन+मेकोबालामिन	क्ष्स
272. प्रेगबलीन+मेकोबालामिन+पिरिडोक्सिन+थियोक्टिक ॲसिड+फोलिक	क्ष्स
273. प्रेगबलीन+थियोक्टिक ॲसिड+फोलिक ॲसिड+पिरिडोक्सिन	क्ष्स
274. प्रोप्रनोलोल+आल्प्राजोलेम	क्ष्स
275. प्रोप्रनोलोल+दिआजेपम	क्ष्स
276. प्रोप्रनोलालेल+हैद्रालाजिन	क्ष्स
277. प्रोप्रनोलोल+हैद्रोच्लोरोठियाजिडे+दिहैद्रालाजिन	क्ष्स
278. राणीतिदीन+सिसप्रिड	जी.आई.

	1	2
279.	राणीतिदीन+दिक्य्क्लोमिन	जी.आई.
280.	राणीतिदीन+दिक्य्क्लोमिन+क्लिदीनीऊ ब्रोमिडे	जी.आई.
281.	राणीतिदीन+दिक्य्क्लोमिन+निमेसूलिडे	जी.आई.
282.	राणीतिदीन+दिक्य्क्लोबेरिन+सिमेठिकोन	जी.आई.
283.	राणीतिदीन+दोम्पेरिडोन	जी.आई.
284.	राणीतिदीन+ड्रोटवेरिन	जी.आई.
285.	राणीतिदीन+ओमेप्राजोले	जी.आई.
286.	राणीतिदीन+ओन्डन्सेत्रोन	जी.आई.
287.	रोक्स्थ्रोम्य्किन+अम्ब्रोक्सोल	आंटिमिक्रोबियाल
288.	रोक्स्थ्रोम्य्किन+कार्बोकिस्तैन	आंटिमिक्रोबियाल
289.	सत्राणीडजोले+ओफ्लोक्ससिन	जी.आई.
290.	टेल्मीसार्तन+रमिप्रिल+हैद्रोच्लोर्ठियाजिडे	क्व्स
291.	टिजाणीदीन+दिक्लोफेनेक सोडियम+पेरसेतमोल	विकलांग विज्ञान
292.	टिजाणीदीन+निमेसूलिडे+पेरसेतमोल	विकलांग विज्ञान
293.	टर्सेमिडे+स्पिरोनोलाक्टोन	क्व्स
294.	त्रामाडोल+पेरसेतमोल+दोम्पेरिडोन	आनल्गेसिक्स

[हिन्दी]

विदेशों में नौकरानियां/नर्सों के लिए न्यूनतम मजदूरी

1696. **श्री संतोष गंगवार :** क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय नौकरानियों तथा घरेलू नर्सों की काफी मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में, देश-वार कितनी नौकरानियों और घरेलू नर्सें काम कर रही हैं;

(ग) क्या सरकार ने नौकरानियों नर्सों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने हेतु दूसरे देशों, विशेषकर खाड़ी देशों के साथ कोई समझौता किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायलार रवि) : (क) जी, हां। खाड़ी देशों में ज्यादातर भारतीय धायों/घरेलू नर्सों की मांग है।

(ख) भारतीय मिशनों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, खाड़ी देशों में, इस समय धायों/घरेलू नर्सों के रूप में कार्यरत भारतीय महिलाओं की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है:

ओमान	सऊदी अरब	बहरीन	कतर	कुवैत
31,000	9,000	15,000	10,000	72,366

संयुक्त अरब अमीरात में बहुत कम संख्या में भारतीय महिलाएं धायों के रूप में कार्यरत हैं।

(ग) से (ङ) खाड़ी सहयोग परिषद देशों में घरेलू नौकरों के लिए मजदूरी विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं है। तथापि, विभिन्न मेजबान देशों के लिए भारतीय मिशनों द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की हुई है और उसे, उत्प्रवास स्वीकृति देते समय उत्प्रवास संरक्षियों द्वारा लागू किया जाता है। मेजबान देशों द्वारा भारतीय श्रमिकों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत के साथ द्विपक्षीय श्रम समझौता ज्ञापन किए हैं। कतर के साथ एक अतिरिक्त नयाचार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ओमान और मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया गया है।

[अनुवाद]

अन्धता निवारण के लिए कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)

1697. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्धता निवारण के उद्देश्य से राज्य-वार कुल कितने गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन गैर-सरकारी संगठनों को राज्य-वार, वर्ष-वार कितनी निधि का आवंटन किया गया;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों को संतोषजनक पाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो चूककर्ता गैर-सरकारी संगठनों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) देश में दृष्टिहीनता के उपचार के लिए कुल 881 गैर-सरकारी संगठन कार्य करते रहे हैं। प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों (राज्यवार) की सूची विवरण-I में दी गई है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इन गैर सरकारी संगठनों को राज्यवार तथा वर्षवार आबंटित निधियों (गैर-आवर्ती अनुदान) का ब्यौरा विवरण-II तथा विवरण-III में दिया गया है।

इसके अलावा राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/जिला दृष्टिहीनता सोसाइटियों के जरिए नेत्र परिचर्या के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को स्वैच्छिक क्षेत्र में 750/- रुपए प्रति इंट्रा-आक्युलर आरोपण, नेत्र बैंकों में 1000/- रुपए प्रति जोड़े आंख तथा स्कूल नेत्र जांच में 125/- रुपए प्रति चश्मा प्रदान किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) लागू नहीं होता।

विवरण-I

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

देश में नेत्र परिचर्या सुविधाओं वाले गैर-सरकारी संगठन के अस्पतालों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नेत्र परिचर्या सुविधाओं वाले गैर-सरकारी संगठन के अस्पतालों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	76
2.	बिहार	15
3.	छत्तीसगढ़	10
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	113
6.	हरियाणा	29

1	2	3
7.	हिमाचल प्रदेश	9
8.	जम्मू एवं कश्मीर	4
9.	झारखंड	4
10.	कर्नाटक	79
11.	केरल	14
12.	मध्य प्रदेश	41
13.	महाराष्ट्र	77
14.	उड़ीसा	20
15.	पंजाब	64
16.	राजस्थान	26
17.	तमिलनाडु	59
18.	उत्तर प्रदेश	139
19.	उत्तराखंड	21
20.	पश्चिम बंगाल	37
21.	अरुणाचल प्रदेश	1
22.	असम	20
23.	मणिपुर	1
24.	मेघालय	1
25.	मिजोरम	3
26.	नागालैंड	1
27.	सिक्किम	0
28.	त्रिपुरा	1
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0
30.	चंडीगढ़	1
31.	दादरा एवं नागर हवेली	0
32.	दमन और दीव	0
33.	दिल्ली	13
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पांडिचेरी	1
	कुल	881

विवरण-II

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

स्वैच्छिक क्षेत्र में नेत्र बैंकों/नेत्र दान केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण/विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों को गैर-आवर्ती सहायता

(रुपए लाख में)

वर्ष	क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	राशि
1	2	3	4
2004-05	1.	सेवा आई बैंक, मथुरा रोड, जंगपुरा, नई दिल्ली	10.00
	2.	जयप्रिया मेडिकल आई फाउंडेशन, हुबली, कर्नाटक	5.00

1	2	3	4
	3.	महात्मा आई बैंक एंड नेत्र अस्पताल, नागपुर, महाराष्ट्र	5.00
	4.	अकोला नेत्रदान एवं नेत्ररोपण संशोधन केन्द्र, अकोला, महाराष्ट्र#	0.50
		कुल	20.50
2005-06	1.	एमजीएम नेत्र संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़	5.00
	2.	नेत्र ज्योति सेवा मंदिरम, वेरायतम, नालंदा, बिहार	5.00
	3.	पूर्व नेत्र बैंक, पश्चिम बंगाल	5.00
	4.	राम राजा नाबिन संघ नेत्र बैंक एवं सेवा केन्द्र, पश्चिम बंगाल#	1.00
	5.	पुनर्दृष्टि, आसनसोल, पश्चिम बंगाल#	1.00
	6.	मुर्शिदाबाद आई केयर एंड डोनेशन सोसायटी, पश्चिम बंगाल#	1.00
		कुल	18.00
2006-07	1.	रोटरी चैरिटेबल मिड-टाउन आई बैंक, शिमोगा, कर्नाटक	10.00
	2.	इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल, अगरतला, त्रिपुरा	10.00
	3.	श्रौफ चैरिटेबल आई बैंक, दिल्ली	10.00
	4.	सर जमशेतजी दुग्गन सरकारी नेत्र बैंक, बाईकुल्ला, मुम्बई, महाराष्ट्र	5.00
		कुल	35.00
		महायोग	73.50

#नेत्रदान केन्द्र

विवरण-III

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

नेत्र परिचर्या एकक के सुदृढ़ीकरण/विस्तार के लिए गैर सरकारी संगठनों को गैर-आवर्ती सहायता

(रुपए लाख में)

वर्ष	क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	राशि
1	2	3	4
2004-05	1.	स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, मैसूर, कर्नाटक	17.75

1	2	3	4
	2.	ग्लोब नेत्र फाउंडेशन, बंगलोर, कर्नाटक	17.75
	3.	श्री विवेकानन्द नर्सिंग होम, श्रीशिवराजनगर, राहुरी, अहमदनगर, महाराष्ट्र	14.85
	4.	स्नेह बाहुदेशिया संस्था, कतोल, नागपुर, महाराष्ट्र	16.73
	5.	काकासाहिब म्हास्के मेमोरियल मेडिकल फाउंडेशन, अहमदनगर, महाराष्ट्र	12.94
	6.	सेवा रूरल, झागादिया जिला भरूच, गुजरात	17.75
	7.	देवदया चैरिटेबल ट्रस्ट, वांकानेर, गुजरात	25.00
	8.	एजी आई अस्पताल, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु	25.00
		कुल	147.77
2005-06	1.	पूज्य तपस्वी जगजीवन जी महाराज चाचू चिकित्सालय, पेटारबार (बोकारो), झारखंड	12.50
	2.	श्री अरविन्दो मेडिकल रिसर्च सैंटर, पछपेडी नाका, छत्तीसगढ़	12.50
	3.	नेत्र ज्योति सेवा मंदिरम, वेरायाताम, राजगिरि, नालंदा, बिहार	12.50
	4.	झारग्राम लायन्ज नेत्र अस्पताल, गांव घईघाटा, पो.ओ. झारग्राम, जिला, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल	12.50
	5.	परमात्मा चांद भण्डारी चैरिटेबल ट्रस्ट, पीपड, जोधपुर, राजस्थान	12.50
		कुल	62.50
2006-07	1.	परमात्मा चांद भण्डारी चैरिटेबल ट्रस्ट, पीपड जोधपुर, राजस्थान	12.50
	2.	जय प्रिया नेत्र अस्पताल, हुबली, कर्नाटक	25.00
	3.	शेयर मेडिकल केयर, घानपुर, मेडचल मंडलत्र मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश	12.50
	4.	मुजफ्फरपुर नेत्र अस्पताल, जुरान चापरा, रोड नं. 2, मुजफ्फपुर, बिहार	25.00
	5.	पी.सी.चटर्जी मेमोरियल आई अस्पताल, धर्म नगर, नार्थ त्रिपुरा	25.00
		कुल	100.00
		महायोग	310.27

युनाइटेड किंग्डम द्वारा पंचायतों को प्रत्यक्ष निधि पोषण

1698. **श्री किन्जरपु येरननायडु :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने तमिलनाडु में एक पंचायत को प्रत्यक्ष अनुदान प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में किसी पंचायत को किसी विदेशी सरकार द्वारा प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रतिकूल प्रभावों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) राज्य सरकार तथा वित्त मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, जहां तक उनकी जानकारी है उसके मुताबिक तमिलनाडु में किसी पंचायत ने यूनाइटेड किंग्डम सरकार से सीधे कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार

1699. **डा. वीरेंद्र अग्रवाल :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्टीटयूट आफ स्मार्ट गवर्नमेंट, हैदराबाद ने देश के पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए अपनी रिपोर्ट (अध्ययन) प्रस्तुत (पूरा) कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इंस्टीटयूट द्वारा किन सुधारों का सुझाव दिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इंस्टीटयूट द्वारा सुझाए गए सुधारों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इंस्टीटयूट द्वारा सुझाए गए सुधारों के क्रियान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने नागरिकों को पासपोर्ट से संबंधित सेवाएं समय से, पारदर्शी और अधिक सुविधाजनक एवं विश्वसनीय ढंग से प्रदान करने के उद्देश्य से पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली, जिसमें इसका सूचना प्रौद्योगिकी पहलू शामिल है, पर एक समयबद्ध अध्ययन करने का कार्य नेशनल इंस्टीटयूट आफ स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) हैदराबाद को सौंपा था। एनआईएसजी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और "पासपोर्ट सेवा परियोजना" शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

इस परियोजना के परिणामस्वरूप आशा है कि पासपोर्ट तीन दिनों के अंदर और जिन मामलों में पुलिस सत्यापन की आवश्यकता होती है, सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद तीन दिनों के अंदर जारी हो सकेगा। तत्काल पासपोर्ट उसी दिन जारी हो जाने की आशा है। इस प्रस्ताव में पूरे देश भर में 68 पासपोर्ट सुविधा केंद्र खोले जाने हैं जहां कि पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में सन्निहित सभी बाह्य-प्रभुसत्ता वाले कार्य जैसे कि आवेदन-पत्रों की प्रारंभिक संवीक्षा, शुल्क की स्वीकृति, दस्तावेजों की स्कैनिंग, फोटो लेने इत्यादि के कार्य खुली बोली लगाने की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा। पासपोर्ट सुविधा केंद्रों में सरकारी कर्मचारी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और पासपोर्ट प्रदान करने का निर्णय लेंगे। मुद्रण और प्रेषण जैसे अन्य कार्य भी सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाएंगे। पासपोर्ट सुविधा केंद्रों का राज्य की राजधानियों में स्थित पुलिस प्राधिकारियों के साथ इलेक्ट्रानिक संपर्क के जरिए पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

(ङ) सरकार ने "पासपोर्ट सेवा परियोजना" के कार्यान्वयन के लिए 19 माह की समय-सीमा निर्धारित की है।

[अनुवाद]

नई कोयला वितरण नीति

1700. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री जे.एम. आरून रशीद :
डा. राजेश मिश्रा :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक नई कोयला वितरण नीति की घोषणा करने का है जैसाकि दिनांक 20 अक्तूबर, 2007 के ''द हिन्दू'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो नई नीति के उद्देश्य तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) विभिन्न अन्य क्षेत्रों की बढ़ रही मांग को पूरा करने में नई नीति किस हद तक सहायक होगी;

(घ) नई कोयला वितरण नीति को कब तक कार्यान्वित बनाए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या नीति का किसी क्षेत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। नई कोयला वितरण नीति सरकार द्वारा 18 अक्तूबर, 2007 को घोषित की गई है। नई नीति की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

(i) कोर तथा नान कोर क्षेत्र में उपभोक्ताओं के मौजूदा वर्गीकरण की समीक्षा की गई है और उक्त को अब समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके बजाय, अन्य बातों के साथ-साथ तत्संबंधी लागू विनियामक प्रावधानों तथा अन्य संगत कारकों के मद्देनजर प्रत्येक क्षेत्र/उपभोक्ता के संबंध में गुणावगुण के आधार पर विचारकिया जाएगा।

(ii) रक्षा क्षेत्र तथा रेलवे की आवश्यकताओं को वर्तमान स्थिति के अनुसार अधिसूचित मूल्य पर पूर्ण रूप से पूरा किया जाएगा।

(iii) स्वंतत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी)/कैप्टिव विद्युत संयंत्रों(सीपीपी) तथा उर्वरक क्षेत्र के उपभोक्ताओं सहित विद्युत उपयोगिताओं की नियामक आवश्यकता के अनुसार कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के माध्यम से कोयले की शत-प्रतिशत मात्रा की आपूर्ति पर विचार किया जाएगा, सीआईएल द्वारा निर्धारित/घोषित किए जाने वाले निर्धारित मूल्यों पर एफएसए के माध्यम से अन्य उपभोक्ताओं/वास्तविक उपयोगकर्ताओं की नियामक आवश्यकता के अनुसार मात्रा के 75% पर कोयले की आपूर्ति के लिए विचार किया जाएगा।

(iv) लघु तथा मध्यम क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए 500 टन प्रति वर्ष के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर 4200 टन प्रति वर्ष कर दिया गया है। निर्दिष्ट मात्रा को राज्य सरकारों द्वारा यथा अधिसूचित राज्य सरकार की एजेंसियों, केंद्र सरकार की एजेंसियों अथवा उद्योग एसोसिएशनों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित मात्रा को भी प्रारंभ में वार्षिक रूप से 8 मि.टन तक बढ़ाया जाएगा।

(v) लिंकेज प्रणाली को प्रवर्तनीय ईंधन आपूर्ति करार की ओर अधिक पारदर्शी द्विपक्षीय वाणिज्यिक व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vi) नई नीति के अनुसरण में अब नए उपभोक्ताओं को जारी किए जाने वाले आश्वासन पत्र (एलओए) पूर्व में 30 महीनों के बजाए विद्युत उपयोगिताओं, सीपीपी तथा आईपीपी के उपभोक्ताओं/आवेदकों के लिए 24 महीने तथा अन्य उपभोक्ताओं के लिए 12 महीने मान्य रहेंगे। आश्वासन पत्र के आबंटी को कतिपय निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा तथा इस अवधि के भीतर लक्ष्यों को पूरा करना होगा और उसके बाद एफएसए करने के लिए कोयला कम्पनियों से सम्पर्क करना होगा।

(vii) उन उपभोक्ताओं को पहुंच प्रदान करने के लिए कोयला वितरण हेतु ई-नीलामी योजना लागू की जाएगी, जो एपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से कोयला प्राप्त करने में असमर्थ है।

(viii) सीआईएल पूर्ववर्ती मान-कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं का समयबद्ध तरीके से या तो सीधे अथवा किसी एजेंसी के माध्यम से जांच करेगी ताकि कोयले के वास्तविक उपभोक्ताओं के दावे की सत्यपरकता की जांच की जा सके और तदनुसार कार्रवाई की जा सके।

(ग) नई वितरण नीति में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच कोयला संसाधनों के कुशल और निष्पक्ष वितरण की परिकल्पना की गई है। इसलिए, उस सीमा तक इससे कोयले की मांग से जुड़े मुद्दे हल होंगे।

(घ) नई कोयला वितरण नीति में नीति के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के दो महीनों से एक वर्ष की समय-सीमा का प्रावधान है।

(ङ) और (च) नई कोयला वितरण नीति लागू करने के बाद किसी क्षेत्र से ऐसी कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। नई नीति का किसी क्षेत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

पंचायतों द्वारा निधियों का उपयोग

1701. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री मुन्शी राम :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुछ पंचायतों ने जिला योजनाओं की अनुपलब्धता के कारण अपने लिए आरक्षित निधियों का उपयोग करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने इस संबंध में पंचायतों को कोई निर्देश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जिला योजनाएं तैयार करने तथा ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित कार्यों की निगरानी करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत क्या तंत्र विकसित किया गया है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के सशक्तिकरण का आधारभूत संवैधानिक उद्देश्य उन्हें स्व-शासन की संस्थाओं के तौर पर कार्य करने के योग्य बनाना है। आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने तथा पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी गई स्कीमों के कार्यान्वयन की बात संविधान में कही गई है। वर्तमान में पंचायतों द्वारा निधियों का उपयोग केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं व राज्य सरकार द्वारा उन्हें अंतरित निधियों के साथ की योजनाओं में उन्हें सौंपी गई भूमिकाओं पर निर्भर करता है। जिला योजना, किसी जिले के स्थानीय सरकार क्षेत्र (लोकल गवर्नमेंट सेक्टर) के लिए वहां उपलब्ध (प्राकृतिक, मानव व वित्तीय) संसाधनों एवं क्षेत्रपरक गतिविधियों व जिला एवं उससे नीचे के स्तर को सौंपी गई स्कीमों तथा वे जो किसी राज्य में स्थानीय शासनों द्वारा कार्यान्वित होती हैं, को ध्यान में रखते हुए एकीकृत योजना तैयार करने की प्रक्रिया है। योजना आयोग ने 25 अगस्त, 2006 को राज्य सरकारों को पंचायतों के तीनों स्तरों द्वारा सहभागितापूर्ण तरीके से जिला योजनाओं के निर्माण तथा संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी के अनुसार स्थापित जिला योजना समितियों द्वारा उनके समेकन पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ऐसी योजना अपने निष्पादन में साकल्यवादी, सहभागितापूर्ण व दक्ष होगी।

(ङ) संविधान का अनुच्छेद 243 जेड डी (3) (डी) जिला योजना समिति के लिए प्रारूप विकास योजना को तैयार करने में ऐसे संस्थानों व संगठनों, जिसे सरकार विनिर्दिष्ट कर सकती है, से परामर्श करने का प्रावधान करता है। पंचायती राज मंत्रालय ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) कार्यक्रम के तहत आवृत्त 250 जिलों को उनकी वार्षिक योजनाओं 2008-09 तथा 11वीं योजनावधि के लिए पंचवर्षीय संदर्श योजनाओं को तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए जिलों को संव्यावसायिक सहायता प्राप्त करने हेतु 10 लाख रुपये प्रति जिले निर्गत किए।

कोयला खानों में सुरक्षा प्रबंध

1702. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
प्रो. एम. रामदास :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कोयला खानों में सुरक्षा प्रबंधों के लिए कंपनी-वार कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में अभी तक कंपनी-वार कितनी निधि का उपयोग किया गया है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों, जहां कोयला कंपनियां प्रचालित की जा रही हैं, सहित कोयला खानों में आबंटित और प्रयुक्त निधियों का कंपनीवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित कार्यक्रम किए गए हैं:-

1. गैस क्रोमैटोग्राफ उपकरण की खरीद।
2. मल्टी गैस डिटेक्टर्स की खरीद।
3. लंबी और दुष्कर आवागमन सड़क वाली खानों के लिए मैन राइडिंग सिस्टम।
4. रूफ बोल्टिंग के लिए यंत्रीकृत रूफ ड्रिलिंग मशीन।
5. पर्यावरणीय टैलीमानीटरिंग सिस्टम (ईटीएमएस)।
6. रासायनिक ओ 2 प्रकार के अन्तर्निहित स्वबचाव (एससीएसआर)।
7. सुरक्षा और बचाव संबंधी उपकरणों की खरीद।
8. खाई बनाने सहित मिट्टी से दरारों को भरकर धंसाव व्यवस्था।
9. डिपिलरिंग पैनलों के ऊपर और उसके आसपास नाला का मार्ग परिवर्तन।
10. नालों/नदियों के तटबंध की व्यवस्था करना जहां एचएफएल खान प्रवेशद्वारों तथा प्रचालन क्षेत्र के समीप है।
11. रूफ बोल्टर्स के प्रावधान सहित रूफ बोल्टिंग के साथ स्ट्राटा प्रबंधन।
12. कुछ मामलों में ख्यातिप्राप्त संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद वातायन का पुनर्गठन।
13. बास्केट लोडिंग मुक्त खान बनाना।
14. रेत भराई के साथ डिपिलरिंग कार्य करना।
15. भूमिगत खानों में आग की रोकथाम के लिए फुटकर कोयले को उठाना।
16. पुराने खदान को विभाजित करना और लगातार मानीटर करना।

विवरण

(लाख रु. में)

कंपनी	राज्य का नाम जहां कंपनी प्रचालित है	वर्ष					
		2004-05		2005-06		2006-07	
		आबंटित निधियां	प्रयुक्त निधियां	आबंटित निधियां	प्रयुक्त निधियां	आबंटित निधियां	प्रयुक्त निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
ईसीएल	पश्चिम बंगाल झारखंड	12974.00	9241.46	12588.00	10001.00	13055.55	10281.96
बीसीसीएल	झारखंड पश्चिम बंगाल	14283.87	13417.69	16017.43	15539.20	22549.17	19685.39

1	2	3	4	5	6	7	8
सीसीएल	झारखंड	2252.21	2161.50	2483.91	2461.00	2407.97	2562.70
एनसीएल	मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश	4960.00	4102.97	4998.00	4113.00	4108.20	3718.13
डब्ल्यूसीएल	महाराष्ट्र मध्य प्रदेश	6950.00	6798.67	7474.80	7197.09	7475.76	7172.16
एसईसीएल	छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश	10025.75	10020.45	10799.45	10799.45	11311.00	9558.00
एमसीएल	उड़ीसा	5054.48	4695.66	5293.00	4200.96	5668.39	4106.25
एनईसी	असम	274.00	244.10	404.00	288.50	653.13	601.93
	सीआईएल (कुल मिलाकर)	56774.31	50682.59	60058.59	54600.20	67211.17	57686.52
एससीसीएल	आंध्र प्रदेश	23760.00	25215.00	27936.00	29042.00	34064.00	30570.00

अवसंरचना परियोजनाओं की धीमी प्रगति

1703. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न क्षेत्रों यथा विद्युत, सड़क, पत्तन, दूरसंचार तथा रेलवे में अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति धीमी रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अवसंरचना संबंधी समिति ने इन परियोजनाओं की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी परियोजना की धीमी प्रगति के लिए जिम्मेदार कारण कौन से हैं; और

(ङ) इन प्रत्येक परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए कार्य में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) विद्युत : दसवीं योजना के दौरान 41109.84 मेगावाट के लक्ष्य के मुकाबले 21080.24 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किया गया। दसवीं योजना के दौरान केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के लिए निर्धारित 117050.64 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले संभावित व्यय 90677.85 करोड़ रुपये है।

रेलवे : दसवीं योजना में रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है। दसवीं योजना के अंतिम वर्ष के दौरान प्रारंभिक माल यातायात 624 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में 728.4 मिलियन टन रहा है। इसी प्रकार, दसवीं योजना के अंतिम वर्ष का प्रारंभिक यात्री यातायात 5686 मिलियन के लक्ष्य के मुकाबले 6352.07 मिलियन रहा है।

सड़कें : 10वीं योजना परिव्यय के 59490.00 करोड़ रुपये के मुकाबले केन्द्रीय क्षेत्रक का व्यय 48593.95 करोड़ रुपये रहा है।

पत्तन : 13 प्रमुख पत्तनों में 415.00 मिलियन टन के 10वीं योजना के अनुमानित यातायात के मुकाबले वर्ष 2006-07 में 463.80 मिलियन टन कार्गो का संचालन किया गया। दसवीं योजना के दौरान केन्द्रीय पत्तन क्षेत्रक का व्यय 5418.29 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले 2891.45 करोड़ रुपये रहा है।

दूरसंचार : 10वीं योजना का दूरघनत्व (टेलीडेनसिटी) लक्ष्य 149% अधिक हो गया।

(ख) से (ङ) अवसंरचना संबंधी समिति महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जाएं। अवसंरचना संबंधी समिति की अधिकार प्राप्त उपसमिति भी विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रकों की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करती है।

तैयार की जा रही ग्यारहवीं योजना में अवसंरचना विकास हेतु व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है परिभाषित अवसंरचना में आवश्यक कुल निवेश में विद्युत, सड़क, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, टेलीकम्यूनिकेशन, सिंचाई, पीने का पानी व स्वच्छता एवं भंडारण का शामिल किया गया है, जिसमें वर्ष 2006-07 में जीडीपी का 5% अनुमानित था, ग्यारहवी योजना के अंतिम वर्ष तक लगभग 9% तक बढ़ाया जाना होगा।

[हिन्दी]

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग

1704. श्री महावीर भगोरा :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/उन्नयन का ब्योरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 11वीं योजना के दौरान चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/उन्नयन हेतु अलग-अलग निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(घ) अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(ङ) आठ लेनों वाला बनाए गए/बनाए जाने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 2007-08 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन से संबंधित लक्ष्य और उपलब्धियां विवरण-I में दी गई है।

(ङ) सरकार द्वारा आठ लेन में परिवर्तित/परिवर्तित किए जाने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

चालू वर्ष 2007-08 के दौरान स्कीम भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र.सं.	स्कीम	2007-08	
		लक्ष्य	उपलब्धियां (30.9.2007) तक
1	2	3	4
(i)	निम्न ग्रेड खंड का सुधार (किमी.)	25.00	13.13
(ii)	चार लेन बनाना (किमी.)	2919.00	702.00
(iii)	विद्यमान कमजोर पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण (किमी.)	577.00	346.10
(iv)	दो लेन बनाना (किमी.)	919.00	406.53

1	2	3	4
(v)	सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम (किमी.)	1602.00	573.96
(vi)	बाइपास का निर्माण (संख्या)	3	2
(vii)	मिसिंग लिंक का निर्माण (किमी.)	22.00	10.00
(viii)	पुलों की मरम्मत/निर्माण (संख्या)	24	21

विवरण-II

सरकार द्वारा 8 लेन में परिवर्तित/परिवर्तित किए जाने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे

क्रम. सं.	राज्य	खंड	रारासं.	8 लेन की लंबाई (किमी.)
1.	दिल्ली/हरियाणा	दिल्ली-गुड़गांव (पहुंच नियंत्रित 8/6 लेन)	8	22.33
2.	दिल्ली	हरियाणा-दिल्ली सीमा से मुकरबा चौक तक 8 लेन बनाना	1	12.9
		मुकरबा चौक से माल रोड तक	1	8.5
		दिल्ली से उत्तर प्रदेश सीमा तक	24	8.4
		दिल्ली से हरियाणा सीमा तक	10	5.2

[अनुवाद]

लद्दाख में प्राप्त यूरेनियम

1705. **श्री सुग्रीव सिंह :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों ने जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में यूरेनियम का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूरेनियम संघटक का पता लगाने के लिए पत्थरों के नमूनों का विश्लेषण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) ऐसे भण्डारों की खोज के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) से (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग के एक संघटक यूनिट, परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) के वैज्ञानिकों ने भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की पुगा-त्सुमथांग बहुउद्देशीय बहु-विषयक परियोजना में 1973 से 1975 के दौरान तीन वर्ष तक काम किया है। त्सुमथांग क्षेत्र के निकट विस्तृत अध्ययन किए गए हैं। परमाणु खनिज निदेशालय ने त्सुमथांग क्षेत्र के अपरूपण जोन में फ्लुओराइट खनिजीकरण के साथ निम्न ग्रेड के यूरेनियम खनिजीकरण

होने का पता लगाया है। ग्राह नमूनों (पूर्ण शैल) का विश्लेषण किया गया है और यह पाया गया है कि उनमें 0.021% U_3O_8 है।

(ङ) यूरेनियम खनिजीकरण की कोई उल्लेखनीय मात्रा न होने के मद्देनजर, आगे और अन्वेषण करने की कोई योजना नहीं है।

वन्य जीव पर जनजातीय अधिनियम का प्रभाव

1706. **श्री बालासौवरी वल्लभनेनी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में जनजातीय अधिनियम के प्रतिकूल प्रभाव की जांच करने के लिए एक उप-समिति का गठन करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उप-समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असम मेडिकल कालेज के विकासार्थ धनराशि

1707. **श्री सर्बानन्द सोनोवाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने असम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़ को एम्स के स्तर तक लाने के लिए एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में इसका विकास किए जाने हेतु विशेष धनराशि का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम.सी.आई. दिशानिर्देशों को पूरा नहीं करने के कारण यह संस्थान अभी भी समस्याओं का सामना कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने दिनांक 25 और 26 सितम्बर, 2006 को असम मेडिकल कालेज में प्रशिक्षण ले रहे छात्रों के संबंध में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली एमबीबीएस डिग्री की मान्यता को जारी रखने के लिए असम मेडिकल कालेज का निरीक्षण किया और कालेज में कई कमियां पाई। आगे की कार्रवाई भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के माध्यम से कालेज द्वारा अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात की जाएगी।

प्रजननात्मक यौन स्वास्थ्य तथा अधिकार संबंधी सम्मेलन

1708. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हैदराबाद में प्रजननात्मक यौन स्वास्थ्य तथा अधिकार संबंधी चौथा एशिया प्रशान्त सम्मेलन आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा की गयी तथा कौन से प्रमुख निर्णय लिए गए;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस सम्मेलन में दिए गए सुझावों को क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन का मुख्य विषय यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार संबंधी नई सीमाओं का पता लगाना था। निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया:

1. यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों के महत्व का पता लगाना एवं उन्हें सशक्त बनाना।

2. सांकेतिक प्रणाली से आगे बढ़ना-यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार करने की युवा लोगों की क्षमता को विकसित करना और उन्हें समर्थ बनाना।

3. यौन संबंध समानता; लिंग, यौन संबंध और यौन संबंध विविधता।

4. यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी उभर रहे मुद्दों पर ध्यान देना।

5. यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की अपूरित आवश्यकता पर ध्यान देना।

6. गर्भधारण को सुरक्षित और मनचाहा बनाना: महिलाओं का अपरक्राम्य अधिकार।

(ग) अभी तक सरकार को सम्मेलन की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एस.ई.जेड. की स्थापना के कारण वन क्षेत्र में कमी

1709. **श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड) की स्थापना के परिणामत: वन क्षेत्र में कोई कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) विशेष आर्थिक जोन स्थापित किए जाने के परिणामस्वरूप वन आवरण को हुई हानि के बारे में इस मंत्रालय द्वारा कोई आकलन नहीं किया गया है। गुजरात सहित किसी राज्य के लिए ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

संस्वीकृत विकास धनराशि का उपयोग नहीं किया जाना

1710. **डा. अरुण कुमार शर्मा :** क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय की विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत संस्वीकृत 356 करोड़ रु. का असम सरकार द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है जैसाकि दिनांक 29 अक्टूबर, 2007 के क्षेत्रीय असमिया दैनिक 'असमिया प्रतिदिन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एन.एल.सी.पी.आर.) योजना के तहत असम राज्य सरकार को 1304.84 करोड़ रु. की राशि जारी की है तथा 31.10.2007 की स्थिति के अनुसार उसे अब तक 948.93 करोड़ रु. की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा राज्य सरकार द्वारा 355.91 करोड़ रु. की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने शेष हैं। उन्होंने सूचित किया है कि इसमें से 225.57 करोड़ रु. की राशि पहले निष्पादित किए जा चुके कार्यों के लिए जारी की जा चुकी है तथा शेष 130.35 करोड़ रु. की राशि अभी राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जानी शेष है।

(ग) भारत सरकार द्वारा एन.एल.सी.पी.आर. के तहत नई परियोजना स्वीकृत करना तथा विभिन्न परियोजनाओं के प्रति निधियां जारी करना तथ असम सहित उत्तर पूर्वी राज्य सरकारों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एक सतत् प्रक्रिया है। डोनर मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर तिमाही प्रगति रिपोर्टों, नियमित रूप से होने वाली पुनरीक्षा बैठकों, वीडियो कान्फ्रेंस, अनुवर्ती कार्रवाई पत्रों के माध्यम से डोनर मंत्री सहित सभी स्तरों पर नियमित रूप से परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करता है जिसमें मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा परियोजना स्थल के दौरे भी शामिल हैं।

जीवन प्रत्याशा

1711. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों की तुलना में भारत में जीवन प्रत्याशा दर कितनी है; और

(ख) देश में जीवन प्रत्याशा में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) भारत तथा चुनिंदा देशों की जीवन प्रत्याशा दर का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को बेहतर करने तथा नागरिकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यापक स्वास्थ्य क्षेत्रीय सुधार शुरू किए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इन सुधारों का मुख्य माध्यम है तथा यह सरकार का अग्रगामी कार्यक्रम है। इसका प्रचालन देश भर में 18 राज्यों पर विशेष बल देते हुए किया जा रहा है जिनमें 8 अधिकार प्राप्त कार्य दल वाले राज्य (बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा तथा राजस्थान), 8 पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू और कश्मीर शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य विशेष तौर पर गरीब लोगों एवं जनसंख्या के संवेदनशील वर्गों को सुगम, वहनीय, उत्तरदायी, प्रभावी तथा विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य सभी स्तरों पर जन स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली को सुदृढ़ करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू किए कार्यकलापों/पहलों का उद्देश्य मृत्यु एवं रूग्णता में कमी लाना है जिससे कि लोगों की जीवन प्रत्याशा बेहतर हो सके।

विवरण

चुनिंदा देशों की जीवन प्रत्याशा

क्र.सं.	देश	जीवन प्रत्याशा	
		पुरुष	महिला
1	2	3	4
1	चीन	70.7	74.4
2	जापान	79.1	86.3
3	कोरिया	74.4	81.8
4.	इंडोनेशिया	66.7	70.2
5.	मलेशिया	71.8	76.4
6.	म्यांमार	58.7	64.6
7.	फिलीपींस	69.3	73.7
8.	सिंगापुर	77.5	81.2
9.	थाईलैंड	68.2	74.8
10.	वियतनाम	69.8	73.7
11.	अफगानिस्तान	47.2	47.7
12.	बंगलादेश	63.7	65.6
13.	भूटान	63.5	66.0
14	भारत	62.1	63.7
15	ईरान	70.0	73.3
16.	नेपाल	62.8	63.9
17.	पाकिस्तान	64.4	64.7
18.	श्रीलंका	72.4	77.7
19.	आस्ट्रेलिया	78.4	83.4
20.	कम विकसित क्षेत्र	72.5	79.8
21.	अधिक विकसित क्षेत्र	62.7	66.2
	विश्व	64.2	68.6

स्रोत : (1) स्टेट ऑफ वर्ल्ड पोपुलेशन 2007 यूएनएफपीए पब्लिकेशन

(2) एसआरएस एब्रिज्ड लाइफ टेबल 2000-2004

पंरपरागत भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रणाली हेतु पेटेंट

1712. **श्री वरकला राधाकृष्णन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अन्य देशों ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं तथा परंपरागत भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रणाली के पेटेंट अधिकार प्राप्त करने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आयुर्वेद उपचार का मानकीकरण के लिए कोई संस्थागत व्यवस्था करने तथा दवाओं की प्रभाविता तथा आयुर्वेद पद्धतियों को वैज्ञानिक रूप से स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को तिरूवनन्तपुरम में अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) विदेशों में कुछ गैर-सरकारी संगठन आयुर्वेद के अध्यापन कार्यों और आयुर्वेद एवं पंचकर्म केंद्रों को संचालित करने संबंधी क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। आयुष विभाग भी विदेशों में आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने हेतु चिकित्सा कालेजों में आयुर्वेद से संबंधित पुनरभिविन्यास पाठ्यक्रमों को संचालित करने और अन्य सूचना, शिक्षा और संचार क्रियाकलापों को चलाने के लिए आयुर्वेदिक विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्त करता है। सितंबर, 2007 में बुडापेस्ट, हंगरी में भारतीय दूतावास और एक स्थानीय गैर-सरकारी संगठन के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आयुष विभाग द्वारा नवंबर, 2006 में दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया गया था और अक्तूबर, 2007 में आरोग्य 2007 की तर्ज पर नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा विनियामक एवं उद्योग मे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया था। उन पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर कानूनी रूप से पेटेन्ट नहीं दिए जा सकते जो ''पूर्ववर्ती कला'' (प्रॉयर आर्ट) होते हैं। आयुष विभाग ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सहयोग से भारतीय पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान के दुर्विनियोजन को रोकने के लिए शास्त्रों के आधार पर पांच अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में पारंपरिक ज्ञान अंकीय पुस्तकालय की स्थापना की है।

(ग) और (घ) आयुर्वेद निवारक, संवर्धनात्मक और उपचारात्मक नयाचारों की समाविष्टी सहित एक ऐसी समग्र स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति है जो व्यक्ति की प्रकृति पर आधारित एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अलग-अलग हो सकती है। तथापि, भारत सरकार ने विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों के मानकीकरण एवं वैज्ञानिक विधिमान्यकरण तथा औषधि विहीन उपचारों यथा पंचकर्म व क्षारसूत्र के मानकीकरण और वैज्ञानिक विधिमान्यकरण के लिए केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् की स्थापना की है। आयुष विभाग द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के सहयोग से शुरू की गई स्वर्णिम त्रिभुज भागीदारी प्रक्रिया के अंतर्गत शास्त्रों पर आधारित आठ सर्वाधिक प्रयुक्त वानस्पतिक-खनिजीय संपाकों और अनुसंधान और विकास आधारित औषधों से संबंधित कार्यों के वैज्ञानिक विधिमान्यकरण का भी कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त पारंपरिक औषधियों और औषधि विहिन उपचारों के मानकीकरण और वैज्ञानिक विधिमान्यकरण के लिए बाह्य स्थाने अनुसंधान परियोजनाएं भी प्रतिष्ठित अनुसंधानकर्ताओं एवं संस्थाओं को दी गई हैं।

(ङ) और (च) तिरुवनंतपुरम, केरल में एक 101.60 करोड़ रुपये की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव केरल सरकार से 2004 में प्राप्त हुआ था। इस संबंध में केरल सरकार को सूचित किया गया था कि आयुष विभाग के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके तहत प्रस्तावित परियोजना का वित्तीय सहायता दी जा सके। तथापि, दसवीं योजना में संस्थान विकास स्कीम के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेद कालेज, तिरुवनंतपुरम को वित्तीय सहायता दी गई है। राज्य सरकार इस कालेज को आयुर्वेद में उत्कृष्टता केंद्र में उन्नयनकृत करने के लिए 11वीं योजना में भी सहायता प्राप्त कर सकती है।

एन.ई.डी.एफ.सी. द्वारा संवितरित धनराशि

1713. **श्री कीरेन रिजीजू :** क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एन.ई.डी.एफ.सी.) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कुल कितनी राशि संवितरित की गई है;

(ख) क्या एन.ई.डी.एफ.सी. पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ ही क्षेत्रों में काम कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) एन.ई.डी.एफ.सी. द्वारा पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य को किए गए वित्तीय संवितरण का ब्यौरा क्या है;

(ङ) एन.ई.डी.एफ.सी. द्वारा किन क्षेत्रों को वरीयता दी गई है, तथा इसके क्या कारण है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक क्षेत्र को एन.ई.डी.एफ.सी. द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (नेडफी) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार संवितरित की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रु. में)

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07
अरुणाचल प्रदेश	778	610	725
असम	2285	5342	6680
मणिपुर	105	50	69
मेघालय	1542	3199	1321
मिजोरम	85	70	115
नागालैंड	152	32	105
सिक्किम	88	128	354
त्रिपुरा	200	1000	55
कुल	5235	10431	9424

(ख) और (ग) नेडफी सिक्किम सहित सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में कार्य करती है। हालांकि नेडफी सभी आठ राज्यों में ऋण के संतुलित संवितरण के प्रयास करती रहती है तथापि कुछ राज्यों में अपर्याप्त उद्यमशीलता तथा क्षेत्र के भीतर अवस्थापना एवं औद्योगिक वृद्धि के विषम विकास तथा सुदूरता के कारण इन राज्यों में ऋण को अवशोषित करने की क्षमता भिन्न-भिन्न है।

(घ) नेडफी द्वारा प्रत्येक उत्तर पूर्वी राज्य को संवितरित निधियों के ब्यौरे उनकी वेबसाइट www.nedfi.com में ''राज्यवार संस्वीकृति तथा संवितरण'' शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध है।

(ङ) नेडफी ने वित्तीय सहायता के लिए किसी भी सैक्टर को प्राथमिकता नहीं दी है इसमें निम्नलिखित सैक्टरों : औद्योगिक परियोजनाएं, अवस्थापना, उपस्कर लीजिंग/वित्तपोषण, पर्यटन चिकित्सा एवं औषधीय पादप, कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप, बांस प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी-इनेबल्ड सेवाएं (आईटीईएस), वाणिज्यिक परिसर, लघु-उद्यम आदि क्षेत्रों की व्यवहार्य परियोजनाओं को शामिल किया जाता है।

(च) नेडफी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान परियोजनाओं की क्षेत्रवार स्वीकृति के ब्यौरे निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं:

गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रवार संस्वीकृतियां

(लाख रु. में)

क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	कुल
1	2	3	4	5
मूल धातु	1429	2608	2368	6405
सीमेंट	0	2309	3000	5309
खाद्य उत्पाद	518	400	202	1120
सेवाएं	612	812	1203	2627
अवस्थापना	3332	2134	1899	7365
रासायनिक उत्पाद	1534	2504	0	4038
वस्त्र	86	32	133	251
सूचना प्रौद्योगिकी	96	2	6	104
पेपर उत्पाद	265	0	234	499
प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पाद	186	421	0	607
कृषि तथा संबद्ध उद्योग	99	51	438	588
माइक्रो फाइनेंस	93	313	303	709
विविध*	682	1546	4085	6313
कुल	8932	13132	13871	35935

*विविध क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल, स्टोन क्रशर, ईंट तथा निर्माण सामग्रियां, व्यापार तथा खुदरा क्रियाकलाप, इलैक्ट्रोनिक उपस्कर, बांस प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, आवश्यक तैल तथा अन्य विविध लघु उद्योग शामिल हैं।

स्वास्थ्य केन्द्रों का कार्यकरण

1714. श्री पी. मोहन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों (आर.एच.सी.) की राज्यवार संख्या कितनी है जिनमें योग्य चिकित्सा अधिकारी तैनात हैं;

(ख) कार्य नहीं कर रहे आर.एच.सी. की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इन कार्य नहीं कर रहे आर.एच.सी. को पुनः संचालित करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) राज्यों द्वारा मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आधार पर देश में 22669 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इनमें से 16113 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कम से कम एक डाक्टर के साथ कार्यरत हैं, जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है। झारखंड, तमिलनाडु तथा उत्तरप्रदेश राज्यों ने डाक्टरों के साथ कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति सूचित नहीं की है। हालांकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत डाक्टरों की संख्या आवश्यकता (22669 की आवश्यकता के मुकाबले 26229) से अधिक है, फिर भी 1314 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कुवितरण, राज्य सरकारों की दोषपूर्ण स्थानान्तरण नीति, ग्रामीण/दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने के लिए मूलभूत सुविधाओं एवं प्रोत्साहन के अभाव के कारण डाक्टर के बगैर (मार्च, 2006 के अनुसार) होने की सूचना मिली है। राज्यवार स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 24x7 आधार पर कार्यात्मक बनाने के लिए आयुष चिकित्सकों तथा 3 स्टाफ नर्स सहित एक डाक्टर की व्यवस्था द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सहायता प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में उन्नयन, औषधो, उपकरणों तथा संविदात्मक आधार पर कार्मिक शक्ति के लिए सहायता की भी परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 25,000 रुपए का अनटाइड फंड, 50,000 रुपए का अनुरक्षण अनुदान तथा रोगी कल्याण समिति को एक लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अपनी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए निधियों की आवश्यकता को शामिल करना होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अक्तूबर, 2007 तक 6807 डाक्टरों/विशेषज्ञों, 36312 सहायक नर्स धात्रियों/स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की है तथा 9395 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 24x7 आधार पर कार्यात्मक बनाया है।

विवरण

डाक्टरों के साथ तथा डाक्टरों के बगैर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

(मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या						
		कुल कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	4+डाक्टरों के साथ	3 डाक्टरों के साथ	2 डाक्टरों के साथ	1 डाक्टरों के साथ	बिना डाक्टर	लेडी डाक्टर के साथ
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1570	0	71	221	983	295	644
2.	अरुणाचल प्रदेश	85	0	0	0	78	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	610	26	80	314	190	0	अनुपलब्ध
4.	बिहार	1641	141	137	317	925	121	74
5.	छत्तीसगढ़	518	0	0	518	0	0	80
6.	गोवा	19	13	0	0	6	0	12
7.	गुजरात	1072	0	0	0	907	165	0
8.	हरियाणा	408	0	100	254	54	0	112
9.	हिमाचल प्रदेश	439	0	4	51	373	11	67
10.	जम्मू और कश्मीर	374	0	26	308	0	0	308
11.	झारखंड	330	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
12.	कर्नाटक	1679	0	34	197	1448	0	360
13.	केरल	909	28	201	70	591	19	392
14.	मध्य प्रदेश	1192	0	0	86	839	253	22
15.	महाराष्ट्र	1800	0	0	1366	392	42	503
16.	मणिपुर	72	3	7	19	33	10	22
17.	मेघालय	101	2	2	15	82	0	48
18.	मिजोरम	57	0	0	0	37	20	11
19.	नागालैंड	84	0	0	0	60	27	0
20.	उड़ीसा	1279	0	0	120	1113	46	62
21.	पंजाब	484	0	117	14	293	60	81
22.	राजस्थान	1713	193	4	148	1238	130	68
23.	सिक्किम	24	0	0	24	0	0	23
24.	तमिलनाडु	1252	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	72
25.	त्रिपुरा	73	10	11	25	25	2	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	अरुणाचल प्रदेश	222	0	42	45	135	0	11
27.	उत्तर प्रदेश	3660	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
28.	पश्चिम बंगाल	922	0	6	47	758	111	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20	0	0	16	4	0	16
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	6	0	0	2	4	0	0
32.	दमन और दीव	3	0	0	2	1	0	2
33.	दिल्ली	8	1	2	4	1	0	6
34.	लक्षद्वीप	4	0	0	2	0	2	0
35.	पांडिचेरी	39	2	4	17	16	0	16
	अखिल भारतीय [2]	22669	419	848	4202	10586	1314	3019

नोट: · आंकड़े अनंतिम हैं।

बहुत से राज्यों में 4+, 3, 2, 1 या डाक्टर के बगैर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या राज्य में प्राथमिक केन्द्रों की कुल संख्या से मेल नहीं खाती है।

[2] समग्र प्रतिशतता का परिकलन करने के लिए उन राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों जिनके लिए कार्मिक शक्ति की स्थिति उपलब्ध नहीं है, को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

सर्वाधिक प्रदूषित नगर

1715. **श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सर्वाधिक प्रदूषित नगरों के क्रमानुसार नाम क्या हैं तथा विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में उनके स्थान क्या हैं;

(ख) प्रत्येक नगर में प्रदूषण का वर्तमान स्तर क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई अध्ययन करवाया गया है/करवाये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय वायु गुणता मानीटरी कार्यक्रम (एन.ए.एम.पी.) के अंतर्गत 339 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणता की मानीटरी कर रहा है। शहरों की रैंकिंग प्रायः प्रदूषण स्तर के आधार पर की जाती है। निर्धारित श्वसनीय विविक्त कण पदार्थ (आर.एस.पी.एम.) स्तरों को पूरा नहीं करने वाले 67 शहरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। 2005 एन्वायरमेंटल सस्टेनेब्लिटी इन्डेक्स (ई.एस.आई.) पर एक अध्ययन किया गया है जिसमें पूर्व के और मौजूदा प्रदूषण स्तरों सहित विभिन्न डाटा एकत्रित किए गए हैं। इसमें भारत का 146 देशों में से 101वां स्थान है।

पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं:-

- सामान्य और स्रोत विशिष्ट पर्यावरणीय मानकों की अधिसूचना;
- स्वच्छतर ईंधन और उन्नत वाहनीय प्रौद्योगिकियां लागू करना;
- प्रदूषक उद्योग की 17 श्रेणियों के लिए चार्टर आन कार्पोरेट रेस्पोंसिब्लिटी फार एन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन (सी.आर.ई.पी.) का कार्यान्वयन; और
- पर्यावरणीय अनुपालन के लिए नियमित मानीटरी।

विवरण

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानीटरी कार्यक्रम (एन.ए.एम.पी.) के अंतर्गत आवासीय क्षेत्रों में देखे गए आरएसपीएम स्तरों के घटते क्रम में शहरों के नाम

क्रम सं.	शहर	वर्ष 2006 के दौरान आरएसपीएम वार्षिक औसत सांद्रण (आवासी क्षेत्र)
1	2	3
1.	लुधियाना	282
2.	गोविन्दगढ़	227
3.	खन्ना	212
4.	पौंटो साहिब	190
5.	लखनऊ	188
6.	कानपुर	180
7.	झरिया	163
8.	जालंधर	160
9.	फरीदाबाद	155
10.	अलवर	149
11.	झांसी	146
12.	सतना	145
13.	हिसार	140
14.	रायपुर	139
15.	ग्वालियर	139
16.	दिल्ली	136
17.	पुणे	133
18.	आगरा	133
19.	जोधपुर	130
20.	सूरत	121
21.	अंकलेश्वर	121
22.	देहरादून	121
23.	जयपुर	118
24.	कोटा	116
25.	वडोदरा	114
26.	पटना	113
27.	शोलापुर	111
28.	हावड़ा	111
29.	वापी	110
30.	धनबाद	109
31.	इंदौरा	109
32.	चंद्रपुर	106

1	2	3
33.	गुवाहाटी	105
34.	भिलाई	104
35.	जामनगर	101
36.	राउरकेला	101
37.	दमताल	100
38.	वाराणसी	100
39.	कोलकाता	100
40.	विशाखापट्टनम	99
41.	कोरबा	98
42.	चंडीगढ़	96
43.	अहमदाबाद	96
44.	नागदा	91
45.	मुंबई	86
46.	जबलपुर	82
47.	हैदराबाद	81
48.	विजयवाड़ा	81
49.	कुरनूल	80
50.	परवानों	76
51.	कटक	75
52.	दुर्गापुर	75
53.	भुवनेश्वर	74
54.	दीमापुर	73
55.	तूतीकोरिन	72
56.	नागपुर	70
57.	औरंगाबाद	70
58.	नासिक	69
59.	अंगुल	69
60.	त्रिवेन्द्रम	68
61.	हुबली-धारवाड़	67
62.	हसन	63
63.	उदयपुर	63
64.	शिमला	62
65.	राजकोट	61
66.	रायगढ़	60
67.	बेहरामपुर	60

नोट: झरिया का आंकड़ा औद्योगिक क्षेत्र का है और ताज (आगरा) का आंकड़ा संवेदनशील क्षेत्र का है।

[अनुवाद]

मेरीन इंजीनियरिंग हेतु निजी संस्थान

1716. **श्री फ्रान्सिस फैन्थम :** क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मेरिटाइम संगठन द्वारा स्वीकृत मेरीन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु निजी एजेंसियों द्वारा कोचिंग कराने के संबंध में कोई नीति अथवा दिशानिर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी एजेंसियों द्वारा कोचिंग चलाए जाने हेतु पोत परिवहन महानिदेशालय से कोई पूर्व अनुमति अथवा स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में किसी एजेंसी के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) नौवहन महानिदेशालय, गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा कोचिंग कक्षाएं आयोजित किए जाने के लिए अनुमोदन नहीं देता है, अत: नौवहन महानिदेशालय द्वारा कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए गए हैं। फिर भी, नौवहन महानिदेशालय विभिन्न समुद्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदन देता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन, विभिन्न समुदायी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदन देता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन, विभिन्न समुद्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए माडल पाठ्यक्रम और मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करता है, जिनका सामान्यत: नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुसरण किया जाता है। 23 गैर-सरकारी प्रशिक्षण संस्थान हैं, जो कि समुद्रीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों को आयोजित करते हैं। विभिन्न प्रकार के समुद्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को आयोजित करने वाले 130 प्रशिक्षण संस्थान हैं।

(घ) और (ङ) गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा कोचिंग कक्षाएं आयोजित किए जाने के मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है।

जीवन रक्षक दवाओं के उपयोग पर रोक

1717. **श्री प्रतीक पी. पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेदिक, योग, नेचुरोपैथी, यूनीनी, सिद्ध और होम्योपैथी द्वारा उत्पादित जीवन रक्षक दवाओं के उपयोग पर रोक लगाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने किसी भी आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी जीवन रक्षक दवा के उपयोग पर रोक नहीं लगाई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 2 (ङङ) (III) और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी उन अधिसूचनाओं, जिनके तहत आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सकों को एलोपैथिक औषधियों को लिखने की अनुमति प्रदान की जाती, की विधिमान्यता को कायम रखा है। तदनुसार, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सक औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 2 (ङङ) (III) के अंतर्गत केवल उन ही राज्यों में एलोपैथिक औषधियां लिख सकते हैं जहां उन्हें इस संबंध में संबंधित राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। समेकित पाठ्यक्रमों में स्नातक की उपाधि धारण किए हुए भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक भी इस शर्त के साथ एलोपैथिक औषधियों के नुस्खे लिख सकते हैं यदि संबंधित राज्य का कोई राज्य अधिनियम, जिसमें वे चिकित्साभ्यास कर रहे हैं, उनकी अर्हता को राज्य चिकित्सा पंजिका में पंजीकरण हेतु पर्याप्त रूप से मान्यता देता हो।

एम.एस.एम.सी. को कोयला ब्लाकों का आबंटन

1718. **श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या प्रधानमंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य खनन निगम (एम.एस.एम.सी.) को 27 कोयला ब्लाक आबंटन करने हेतु सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने एम.एस.एम.सी. को सिद्धांतत: मात्र चार कोयला ब्लाक ही आबंटित करने की स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) शेष कोयला ब्लाकों का एम.एस.एम.सी. को आबंटित किए जाने की स्थिति क्या है;

(च) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एम.एस.एम.सी. को अतिरिक्त कोयला ब्लाक आबंटित करने पर विचार करने के लिए अनुरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो इन कोयला ब्लाकों को एम.एस.एम.सी. को कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) कोयला मंत्रालय ने सरकारी कंपनी वितरण के माध्यम से आबंटन हेतु निर्धारित 27 कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए 7 नवम्बर, 2006 को केंद्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके प्रत्युत्तर में कुल 279 आवेदन प्राप्त

हुए। महाराष्ट्र राज्य खनन निगम (एमएसएमसीएल) ने 12 कोयला ब्लाकों के आवंटन हेतु आवेदन किया था।

(ग) और (घ) 27 ब्लाको में से एमएसएमसीएल को महाराष्ट्र राज्य में स्थित अगरजारी तथा बारोरा कोयला ब्लाकों का आवंटन किया गया है। अन्य कोयला ब्लाक अर्थात मार्की-जारी-जामनी-अदकोली 2006 में किए गए आबंटन के पिछले दौर में एमएसएमसीएल को आबंटित किया गया था।

(ङ) एमएसएमसीएल सहित केंद्र/राज्य सरकार के 44 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए आवेदन किया था। प्रत्येक मामले के सापेक्ष महत्व को ध्यान में रखते हुए शेष कोयला ब्लाक केंद्र/राज्य सरकार के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को आबंटित किए गए हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) उपर्युक्त भाग (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू के कुप्रभाव

1719. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री के.एस. राव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के आयु के छह मिलियन बच्चे बीड़ी उद्योग में पूर्णकालिक रूप से कार्य कर रहे हैं जैसाकि 14 नवम्बर, 2007 को 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में तम्बाकू का सेवन करने वाले आधे से अधिक तम्बाकू के दुष्प्रभाव की वजह से मर जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) श्रम कल्याण संगठन 18 वर्ष से अधिक आयु के बीड़ी कामगारों का पता लगाता है और उन्हें पहचान पत्र जारी करता है। इसलिए 4-14 वर्ष की आयु के बच्चों के आंकड़े नहीं रखे जाते। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 50 वें दौर (1993) के अनुसार 2.25 लाख बच्चों की बीड़ी बनाने के काम में लगे होने का अनुमान है जो कि बीड़ी निर्माण में लगे कुल श्रम बल का लगभग 8.4 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) देश में तम्बाकू के दुष्प्रभाव के कारण मरने वाले तम्बाकू सेवनकर्ताओं की संख्या के बारे में केन्द्रीय स्तर पर कोई आंकड़े नहीं रखे जाते है। तथापि, अध्ययनों से पता चलता है कि तम्बाकू सेवन अधिकांश रोगों के बारे में व्यापक रूग्णता और मृत्यु से जुड़ा हुआ है जैसे कैंसर, हृद् श्वास रोग, फेफड़ा विकार। अनुमान है कि 40 प्रतिशत श्वास से जुड़ी समस्याएं और 50 प्रतिशत कैंसर मृत्यु तम्बाकू सेवन से जुड़ी हुई है।

(ङ) भारत सरकार ने "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति और वितरण अधिनियम, 2003" बनाया है। जिसका उद्देश्य सिग्रेट और बीड़ी सहित तम्बाकू के इस्तेमाल को निरूत्साहित करना है। मुख्य उपबंधों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) किसी सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान का प्रतिषेध।

(ii) सिग्रेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन का प्रतिषेध।

(iii) 18 वर्ष की आयु से कम आयु के व्यक्ति को सिग्रेट और अन्य तम्बाकू के उत्पादों की बिक्री करने का प्रतिषेध।

(iv) शैक्षिक संस्थाओं के नजदीक तम्बाकू उत्पादों की बिक्री का प्रतिषेध।

(v) तम्बाकू पैकों पर सांविधिक चेतावनियां (सचित्र चेतावनियों सहित) अनिवार्य तौर पर अंकित करना।

(vi) तम्बाकू पैकों पर तार और निकोटिन की मात्रा को अधिकतम अनुमत सीमा के साथ अनिवार्य रूप से अंकित करना।

भारत सरकार ने जागरूकता में सुधार करने और तम्बाकू रोधी कानूनों को लागू करने के लिए नया राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। 11 पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 450 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया गया है। कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय तम्बाकू विनियमन प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

मानसिक रोगियों के लिए अस्पतालों का उन्नयन

1720. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकार से अकोला, वाशिम अमरावती, मुम्बई, पुणे, जलगांव, धुले स्थित मानसिक रोगियों के लिए अस्पतालों के उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, यरवदा, पुणे के आधुनिकीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ और उसे अक्तूबर, 2005 में 2,71,00,000/- रुपए तक की सहायता के साथ मंजूर किया गया। इसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन अकोला, वाशिम, अमरावती, मुम्बई, जलगांव और धुले स्थित मानसिक अस्पताल के उन्नयन के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन मौजूदा सरकारी मानसिक अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए प्रति अस्पताल 3 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान करेगी बशर्ते कि संस्था स्कीम के अन्तर्गत अपेक्षा को पूरा करती हो।

[हिन्दी]

रणनीतिक महत्व की सड़कें

1721. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रणनीतिक महत्व की सड़कों की पहचान की गई है और उनका निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके विशेषकर राजस्थान के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पहचान की गई सड़कों की लंबाई का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई है;

(घ) क्या उपर्युक्त कार्य किसी अन्य विभाग/मंत्रालय की सहायता से संपन्न किए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी सड़कों की वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (च) जी हां। रणनीतिक महत्व की सड़कों की पहचान की गई है और इस समय 21 रणनीतिक सड़कें सीमा सड़क संगठन को सौंपी गई हैं। सीमा सड़क संगठन विभागीय रूप से रणनीतिक सड़कों का निर्माण कर रहा है। राजस्थान सहित इन रणनीतिक सड़कों की राज्यवार सूची जिसमें लंबाई, आबंटित धनराशि और वर्तमान स्थिति को दर्शाया गया है, विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	कुल लंबाई किमी. में	1.4.07 की स्थिति के अनुसार पूर्ण हो चुकी लंबाई	2007-08 में धनराशि का आबंटन (लाख रु.)	2007-08 के दौरान वर्तमान स्थिति/ प्रगति (किमी.)
1	2	3	4	5	6
क.	राज्य—जम्मू और कश्मीर				
1.	चोयली चाड्गाग	33.41	15.15	421.03	1.83

1	2	3	4	5	6
2.	सोपोर बाइपास	5.00	4.35	447.65	0.15
3.	बनिहाल पुराना सरेखण	40.20	15.00	284.00	12.5
4.	डोरमेल-जिंदारा-खर्ता	30.50	25.20	592.67	1.78
	जोड़	109.11	59.70	1745.35	5.01
ख.	राज्य—सिक्किम				
5.	सकलांग-टूंग	42.00	30.00	468.26	1.41
ग.	राज्य—राजस्थान				
6.	शिवपुर-सवाई माधोपुर-मकराना-नागौर-नोखामंडी	633.00	0	46.29	0
7.	श्रीडूंगरगढ़-जसरासर-नोखामंडी	250.00	27.78	1529.11	0
8.	कुलजोधा-शेरगढ़-फरसुंद-शिव	150.00	0	0	0
9.	शैत्रावा-भिनियाना-संकरादेवी कोर्ट	140.00	0	0	0
10.	जोधपुर बाइपास	43.60	38.29	1022.65	1.60
11.	गुधा-धारीमाना	33.00	0	0	0
12.	गंधव-बकसर	68.00	0	383.76	1.15
13.	धारीमाना-धनऊ	32.00	0	367.57	0.78
14.	आबू-संचोर	140.00	0	657.65	1.90
15.	तनोट-घोटारू-असुतर	79.00	0	0	0
16.	रामगढ़-लौंगेवाला	43.00	0	0	0
17.	जैसलमेर-रामगढ़	65.00	0	947.62	1.25
	जोड़	1676.60	66.07	4954.65	6.68
घ.	राज्य—हरियाणा				
18.	रोहतक-बाइपास	24.50	—	0	0

1	2	3	4	5	6
19.	सोनीपत-बाइपास	6.70	—	0	0
ङ.	राज्य—असम				
20.	थेलमारा-मीसामारी-फूटहिल्स	36.93	27.50	238.74	2.98
च.	राज्य—त्रिपुरा				
21.	त्रिपुरा में बलोनिया में मुहुरी नदी पर आरसीसी पुल के लिए पहुंच मार्ग	0.30	0	0	0
	कुल जोड़	3685.85	183.27	7400.00	16.08

[अनुवाद]

दवा के प्रतिकूल प्रभाव की निगरानी रखने वाले केन्द्र

1722. **श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ अग्रणी अस्पतालों की पहचान दवा के प्रतिकूल प्रभाव की निगरानी रखने वाले केन्द्र के रूप में की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसके कार्य क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम देश के कुछ प्रमुख अस्पतालों का निर्धारण प्रतिकूल औषध अभिक्रिया (ए.डी.आर.) मानीटरिंग केन्द्रों के रूप में जोनल, क्षेत्रीय एवं पेरिफरल केन्द्रों के तौर पर किया गया है। इन केन्द्रों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

पेरिफेरल केन्द्रों में चिकित्सकों से ए.डी.आर. रिपोर्टें एकत्र की जाती हैं और क्षेत्रीय केन्द्रों में भेजी जाती है। क्षेत्रीय केन्द्रों में रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाता है और उन्हें जोनल केन्द्रों में भेजा जाता है। जोनल केन्द्रों में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और ए.डी.आर. संबंधी व्यापक रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा ऐसे आंकड़ों के संबंध में आवश्यक सिफारिशें देने हेतु इसे राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सलाहकार समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम के तहत सभी केन्द्रों की सूची

जोनल केन्द्र

सेठ जी.एम.मेडिकल कालेज एवं के ई.एम. हास्पिटल एम.एस. बिल्डिंग, पेरल, मुम्बई

भेषज गुण विज्ञान विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

क्षेत्रीय केन्द्र

आई.पी.जी.एम.ई.आर.-एस.एस. के एम. हास्पिटल, 244 ए.जे. सी. बोस रोड, कोलकाता

क्लिनिकल फार्माकोलोजी विभाग टीएन मेडिकल कालेज और बी.वाई.एल. नायर चैरिटेबल हास्पिटल, सेंट्रल मुम्बई, मुम्बई

फार्माकोलोजी विभाग, इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कालेज, नागपुर, महाराष्ट्र

फार्माकोलाजी विभाग जवाहरलाल इंस्टिट्यूट आफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन और रिसर्च (जे.आई.पी.एम.ई.आर.), पाण्डिचेरी-605006

पेरिफेरल केन्द्र

भेषज गुण विज्ञान विभाग एससीबी मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल-कटक उड़ीसा

डा. बी.सी. राय पोस्टग्रेजुएट इंस्टियूट आफ बेसिक मेडिकल सांइसेज आर्स्टवायल यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिसन अंडर आईपीजीएमईआर, आचार्य जे.बी. बोस रोड, कोलकाता

भेषज गुण विज्ञान विभाग आंईपीजीएमईआर (स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान), एजेसी बोस रोड, कोलकाता

गोवाहाटी मेडिकल कालेज भेषज गुण विज्ञान विभाग, गुवाहाटी असम

डा. बीसी राय मेमोरियल हास्पिटल फार चिल्ड्रेन नरकेलडंगा, मुख्य मार्ग, कोलकाता

हिन्दू फार्मेसी कान्ह रिवर रोड, पोस्ट बाक्स नं. 149, पणजी, गोवा

भेषज गुण विज्ञान विभाग, परूकस्वामी मेडिकल कालेज कर्मसद जिला आनन्द (गुजरात)

भेषज गुण विज्ञान विभाग, बी.जे. मेडिकल कालेज अहमदाबाद (गुजरात)

कृष्ण आयुर्विज्ञान संस्थान समीप करद धेभेवाड़ी रोड, पूणे बंगलोर राज मार्ग, करद जिला सतारा, महाराष्ट्र

भेषज गुण विज्ञान विभाग, जवाहरलान नेहरू मेडिकल कालेज एंड एवीबीआर हास्पिटल स्वांगी (मेघे), वर्धा, महाराष्ट्र

फार्मेसी विभाग, आरडी गारडी मेडिकल कालेज सुरसा उज्जैन, मध्यप्रदेश

भेषज गुण विज्ञान विभाग, वीपी वक्ष संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

माडल फार्मेसी, अपोथेकैरिज फाउण्डेशन देवली, नई दिल्ली

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 110002

छत्रपति शिवाजी सुभारति हास्पिटल सुभारति पुरम, दिल्ली-हरिद्वार, मेरठ बाइपास मार्ग, मेरठ

भेषज गुण विज्ञान विभाग इरा लगखनऊ मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल सरफराज गंज मुशाबाद पिकनिक स्थल हरदोई गेड, लखनऊ-226003

भेषज गुण विज्ञान विभाग पीएसजी आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, अविनाश मार्ग, पिलामेडु कोयम्बटूर-641001, तमिलनाडु

फार्मेसी प्रैक्ट्रिस विभाग मनीपाल कालेज आफ फार्माक्लिनिकल सांइस मनीपाल अकादेमी आफ हायर एजुकैशन (एम.ए. एच.ई.), मनीपाल-576104, कर्नाटक

एवन आमीन कालेज आफ फार्मेसी, होसुर रोड, लाल बाग मेन गेट के नजदीक, बंगलौर-560027

भेषज गुण विज्ञान विभाग, अमृत आयुविज्ञाम संस्थान (एआईएमएस), अमृत लैन, एलामकरा (पोस्ट) कोच्चि-682026, केरल

फार्मेसी विभाग अन्नामलाई विश्वविद्यालय पत्रालय अन्नमलाई नगर, तमिलनाडु-608002

भेषज गुण विज्ञान विभाग, श्री देवराज अर्स मेडिकल कालेज, ताम्का कोलार कर्नाटक-563101

नैदानिक फार्मेसी विभाग जेएसएस मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल रामानुज रोड, मैसूर-570004, कर्नाटक

फार्मेसी प्रैक्टिस विभाग जेएसएस फार्मेसी कालेज, राकलैण्ड उटाकेमंड-643001, तमिलनाडु

भूमिगत कोयला खानें

1723. **श्री अनन्त नायक :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी.आई.एल. और उनकी अनुषंगी इकाइयों के अंतर्गत भूमिगत कोयला खानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन खानों से वार्षिक कितनी मात्रा में उच्च ग्रेड के कोयले का निष्कर्षण किया गया;

(ग) क्या सी.आई.एल. का विचार नान-कोर क्षेत्र उपभोक्ताओं को उच्च ग्रेड का कोयला देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों के अंतर्गत भूमिगत खानों का ब्यौरा निम्नवत है:-

कंपनी	भूमिगत (यूजी)	मिश्रित (भूमिगत और ओपनकास्ट)
1	2	3
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल)	88	5
भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल)	50	20
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)	22	4
नार्दन कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल)	0	0
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल)	42	6
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल)	69	1
महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल)	9	0
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी)	3	0
कुल	283	36

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन खानों से निष्कर्षित उच्च ग्रेड के कोयले अर्थात क, ख, ग, घ श्रेणी के कोकिंग और नान-कोकिंग कोयले की मात्रा निम्नवत है :

(आंकड़े) लाख टन में)

कंपनी		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल)	कोकिंग	0.91	0.74	0.47
	नान-कोकिंग	93.65	92.61	82.19
	कुल	94.56	93.35	82.66
भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल)	कोकिंग	41.69	35.10	28.48
	नान-कोकिंग	22.07	19.60	20.53
	कुल	63.76	54.70	49.01
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)	कोकिंग	13.57	11.64	9.30
	नान-कोकिंग	12.99	11.47	10.25
	कुल	26.56	23.11	19.55

1	2	3	4	5
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल)	कोकिंग	7.00	8.60	6.91
	नान-कोकिंग	75.54	77.28	77.06
	कुल	82.54	85.88	83.97
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल)	कोकिंग	1.47	1.50	1.57
	नान-कोकिंग	164.3	163.74	160.43
	कुल	165.77	165.24	162.00
महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल)	कोकिंग	0	0	0
	नान-कोकिंग	21.77	20.16	19.73
	कुल	21.77	20.16	19.73
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी)	कोकिंग	0	0	0
	नान-कोकिंग	1.49	1.22	1.10
	कुल	1.49	1.22	1.10
कुल	कोकिंग	64.64	57.58	46.73
	नान-कोकिंग	391.81	386.08	371.29
	कुल	456.45	443.66	418.02

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि. लम्बे समय से नान-कोर क्षेत्र को उच्च श्रेणियों के नान-कोकिंग कोयले की पहले से ही पेशकश कर रही है। उस अवधि के दौरान जब लिंकेज प्रणाली प्रचलित थी, उष्मा तीव्रताबोधक उद्योगों जैसे कांच, मिट्टी के बर्तन, रिफैक्ट्रीज, मृत्तिका उद्योगों को ऐसी उच्च श्रेणी के कोयले की लिंकेज प्रदान की गई। 1.1.2000 से कोयला वितरण के पूर्ण विनियंत्रण और तत्पश्चात लिंकेज प्रणाली को वापस लेने के बाद, उच्च श्रेणी का कायेला उपलब्धता के आधार पर नान-कोर क्षेत्र को कराया जा रहा है। इसके अलावा, दिनांक 18.10.2007 को अधिसूचित नई कोयला वितरण नीति में कोर/नान-कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है।

बी.पीओ. कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य नीति

1724. श्री के.एस. राव :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बी.पी.ओ. कर्मचारियों हेतु एक समर्पित आई.टी. कार्यस्थल स्वास्थ्य नीति तैयार करने की योजना बना रही है जैसाकि दिनांक 29 सितम्बर, 2007 को द टाइम्स आफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) घोषित की जाने वाली इस स्वास्थ्य नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या नई नीति बी.पी.ओ. कर्मचारियों के तनाव को कम करने की कोशिश करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ङ) सरकार का ग्यारहवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को पुनकार्यनीतिक बनाने का प्रस्ताव है ताकि कार्य स्थलों में आत्महत्या रोकथाम तनाव उपचार तथा स्कूल मानसिक स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों को कवर किया जा सके।

पक्षी अभयारण्य

1725. श्री पी.सी. गद्दीगौडर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पक्षी अभयारण्यों में प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से विश्व के अन्य भागों से इन पक्षी अभयारण्यों में प्रवासी पक्षियों का आना काफी कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पक्षी अभयारण्यों के कार्यकरण की समीक्षा हेतु एक समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) मंत्रालय के पास पिछले कुछ वर्षों के दौरान केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, राजस्थान में केवल साइबेरियाई सारसों के न देखे जाने की रिपोर्टें है। साइबेरियाई सारसों के दिखाई न देने में आई कमी आने के कई कारण हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रवास अवक्रमण, पानी की कमी, आने वाले रास्ते में पड़ने वाले देशों में युद्ध, रास्ते में शिकार किया जाना, आदि शामिल है।

(ग) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा पक्षी अभयारण्यों के कार्यकरण की समीक्षा हेतु ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रवासी पक्षियों सहित वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ उठाए गए कदमों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

1. वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में पक्षियों की महत्वपूर्ण प्रवासी प्रजातियों को शामिल किया गया है जिससे उन्हें कानूनी सुरक्षा मिली है।

2. प्रवासी पक्षियों के आवासों की सुरक्षा और विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम; राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है।

आर.टी.आई. एक्ट के अंतर्गत सूचना देने से इन्कार

1726. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गयी सूचना देने से शासकीय गुप्त बात अधिनियम (ओ.एस.ए.) 1923 के बहाने इन्कार कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आर.टी.आई. एक्ट के अंतर्गत और अधिक शक्ति प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम निरसित करने हेतु सरकार से सिफारिश की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) ऐसा कोई भी दृष्टांत सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 को निरसित कर दिया जाए तथा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में एक अध्याय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए जिसमें शासकीय गुप्त बातों से संबंधित उपबंध हो। शासकीय गुप्त बात अधिनियम निरस्त करने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों को सी.जी.एच.एस. सुविधाएं

1727. **श्री संतोष गंगवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का इरादा अपने कर्मचारियों को सी.जी.एच.एस. औषधालयों से अपने नुस्खे (प्रेसक्रिप्सन) अग्रेषित करवाए बगैर सीधे पैनलबद्ध निजी अस्पतालों से चिकित्सा सुविधाएं हासिल करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) सेवारत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी केवल आपातकालीन स्थितियों में पैनल में शामिल किसी प्राइवेट अस्पताल में सीधे जा सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में, वे पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पताल में तभी जा सकते हैं यदि उन्हें उस मंत्रालय/विभाग द्वारा सरकारी अस्पताल के किसी विशेषज्ञ की सिफारिशों पर रेफर किया गया हो जिसमें वह नियुक्त है।

[अनुवाद]

योजना परिव्यय को बढ़ाना

1728. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने अपने योजना परिव्यय को बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजना परिव्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) वर्ष 2007-08 के लिए कर्नाटक हेतु केन्द्र सरकार के अनुमोदन के अनुसार वार्षिक योजना परिव्यय 17,782.58 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार ने अपने योजना परिव्यय को बढ़ाने की मांग नहीं की है।

(ग) वर्ष 2007-08 के लिए राज्यवार अनुमोदित परिव्यय दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वार्षिक योजना 2007-08—अनुमोदित परिव्यय-व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	वार्षिक योजना 2007-08 अनुमोदित परिव्यय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	30,500.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,320.00
3.	असम	3,800.00
4.	बिहार	10,200.00
5.	छत्तीसगढ़	7,413.72
6.	गोवा	1,430.00
7.	गुजरात	16,000.00
8.	हरियाणा	5,300.00

1	2	3
9.	हिमाचल प्रदेश	2,100.00
10.	जम्मू और कश्मीर	4,850.00
11.	झारखंड	6,676.00
12.	कर्नाटक	17,782.58
13.	केरल	6,950.00
14.	मध्य प्रदेश	12,011.00
15.	महाराष्ट्र	20,200.00
16.	मणिपुर	1,374.31
17.	मेघालय	1,120.00
18.	मिजोरम	850.00
19.	नागालैंड	900.00
20.	उड़ीसा	5,105.00
21.	पंजाब	5,111.00
22.	राजस्थान	11,638.86
23.	सिक्किम	691.14
24.	तमिलनाडु	14,000.00
25.	त्रिपुरा	1,220.00
26.	उत्तर प्रदेश	25,000.00
27.	उत्तराखंड	4,378.63
28.	पश्चिम बंगाल	9,150.00

[हिन्दी]

जल-जनित रोगों से निपटने के लिए कार्य-योजना

1729. **श्री संजय धोत्रे :**
श्री बापू हरी चौरे :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के विशेषकर महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल-जनित और रोगों के संभावित फैलाव से निपटने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। ऐसे में बाढ़ों सहित प्राकृतिक आपदाओं के चलते उत्पन्न जलजनित और अन्य रोगों के प्रकोप से निपटने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है। तथापि, केंद्र सरकार राज्य सरकार को उसके अनुरोध पर या आपदा की सीमा के राज्य के नियंत्रण से परे हो जाने पर मानव संसाधन और सामग्रियों के रूप में सहायता देती है। इसके अलावा, बाढ़ों से निपटने की आकस्मिक कार्यनीति मानसून पूर्व अवधि में सभी राज्यों को परिचत्रित की जाती है। आपाती सहयोग कार्यक्रम (ईएसएफ) भी परिपत्रित किया जाता है जिसमें मुख्यालय और क्षेत्र स्तर पर समन्वय, संकट प्रबंधन समिति तथा द्रुत राहत दल से संबंधित नोडल अधिकारियों का निर्धारण, संसाधन सूची आदि सहित आपात सहायता कार्यों का ब्यौरा रहता है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जलजनित रोगों के प्रकोपों से निपटने के लिए द्रुत राहत दल नामक योजना जिला स्तर पर अमल में लाई गई है। ऐसे दल अंत शिरा तरल पदार्थों, मुख्यसेव्य पुन: जलीकरण लवणों, मल के नमूनो के एकत्रण हेतु बोतलों तथा अनन्य उपयोग के लिए एंटीबायोटिक के भंडारण से प्रकोपों के दौरान सज्जित रहते हैं।

(ग) क्षति निर्धारण दल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं से हुई स्वास्थ्य क्षेत्रक क्षति से उबरने के लिए समुचित वित्तीय सहायता भी आपदा राहत निधि (सीआरएफ)/एनसीसीएफ मानदंडों के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की जाती है। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय अतिसार रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में अब विलयित हो गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का लक्ष्य

भी मुख्य सेव्य पुल: जलीकरण लवण के पैकेटों की आपूर्ति, सफाई और स्वच्छता आदि की सुनिश्चिता के माध्यम से जलजनित रोगों से निपटना है समेकित रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी) निगरानी संबंधी क्रियाकलापों को सुदृढ़ करने और अतिसारी रोगों रहित संचारी रोगों के प्रकोप की शीघ्र पहचान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (एनआईसीडी) पेय जल आपूर्ति विभाग को तकनीकी सहायता भी दे रहा है ताकि जलजनित रोगों की आवृत्ति न होने देने के लिए राज्यों में पाने के पानी की गुणवत्ता का अनुवीक्षण किया जा सके।

[अनुवाद]

गंगा और यमुना कार्य-योजना की समीक्षा

1730. श्री अबु अयीश मंडल :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री मो. ताहिर :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गंगा कार्य योजना और युमना कार्य-योजना की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (ग) प्रदूषण में बढ़ोत्तरी के कारण लगातार बढ़ते प्रदूषण भार की वजह से नदियों का संरक्षण एक गतिशील कार्य है। संरक्षण नीति की कार्यनीति की समीक्षा और अतिरिक्त शहरों और नदियों को पहचान करना एक सतत प्रक्रिया है।

जल गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा नदी के पहचाने गए प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण उपशमन कार्य करने के लिए भारत सरकार ने गंगा कार्य योजना को 1985 में शुरू करके चरणों में इसका कार्यान्वयन किया है। गंगा के अतिरिक्त इसकी सहायक नदियों नामशः यमुना, गोमती, दामोदर और महानंदा को प्रदूषण उपशमन कार्यों हेतु गंगा कार्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारत सरकार ने यमुना नदी में प्रदूषण उपशमन के लिए जापान बैंक आफ इंटरनेशनल को-आपरेशन, जापान सरकार की सहायता से यमुना कार्य योजना को भी चरणबद्ध तरीके से शुरू किया है। गंगा और इसकी उपरोक्त सहायक नदियों के लिए अब तक कुल 1747 मिलियन लीटर प्रतिदिन की मलजल शोधन क्षमता सृजित की जा चुकी है।

प्रदूषण उपशमन कार्यों का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु नामित कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से किया जा रहा हैं। केन्द्र और राज्य स्तर पर एक बहु-स्तरीय मानीटरी तंत्र नीति मुद्दों, निधियन पैटर्न और कार्यों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करता है। राज्यों को प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के माध्यम से नियमित बैठकें आयोजित करके विभिन्न विभागों/अभिकरणों के बीच कार्यान्वयन स्तर पर समन्वय सुनिश्चित करने और इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, विद्युत आपूर्ति, संसाधन जुटाने जैसे इन्टर-सेक्टोरल मुद्दों को हल करने की सलाह दी है।

होम्योपैथी को प्रोत्साहन

1731. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
प्रो. एम. रामदास :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर माता और बच्चे की परिचर्या हेतु होम्योपैथी को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या भारत में सबसे ज्यादा संख्या में होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और होम्यापैथिक दवाईयों का भी सबसे ज्यादा कारोबार है;

(ङ) यदि हां, तो क्या विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में होम्योपैथिक चिकित्सा कालेजों और चिकित्सकों की सेवाओं का समुचित उपयोग किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयुष विभाग ने माता और बच्चे की परिचर्या हेतु होम्योपैथी पर एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का प्रारंभ नई दिल्ली में 5-6 नवंबर, 2007 के दौरान एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करके किया गया। कार्यशाला में स्वास्थ्य प्रशासकों और नीति निर्माताओं, एलोपैथिक चिकित्सकों और होम्योपैथी चिकित्सकों सहित भारत और विदेश से कुल 293 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। कार्यशाला में होम्योपैथिक फार्माद्योग और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हुए। कार्यशाला में हुई परिचर्चाओं के आधार पर, उस ढंग से सिफारिशें की गई हैं जिस पर राष्ट्रीय अभियान को संचालित किया जाएगा। अब इस अभियान को राज्य और जिला स्तर पर भी चलाया जाना है।

(घ) जी, हां। भारत में पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सकों की सबसे अधिक संख्या है। भारत में होम्योपैथिक औषधियों का वार्षिक विक्रय आयातित औषधियों सहित लगभग 500.00 करोड़ रुपये है।

(ङ) और (च) होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनी अलग क्षमताएं हैं और इन क्षमताओं को मलेरिया, माता और बच्चे के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और एचआईवी/एड्स के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उपयोग में लाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के उद्देश्यों में से एक यह है कि आयुष चिकित्सा पद्धतियों को मुख्य धारा में लाया जाए। एनआरएचएम के अंतर्गत होम्योपैथी अवसंरचनाओं का निर्माण और होम्योपैथी चिकित्सकों के पदों का सृजन किया जा रहा है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एम्स में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

1732. **श्री रामदास आठवले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का विस्तार एक सतत कार्य है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली अति विशिष्ट सेवाओं, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन हेतु प्रस्ताव पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। हालांकि प्रस्तावों पर स्वीकृति ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा किए गए मुल्यांकन और योजना आबंटनों पर निर्भर करेंगी।

[अनुवाद]

कोयला ब्लाकों के आबंटन संबंधी ऊर्जा समन्वय समिति की सिफारिश

1733. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा समन्वय समिति ने सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को कोयला ब्लाकों के आबंटन के संबंध में सिफारिशें दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (ग) ऊर्जा समन्वय समिति की दिनांक 10.2.2006 को हुई 5वीं बैठक में यह विचार व्यक्त किया गया था कि कोयला मंत्रालय 20 बिलियन टन भंडारों वाले कोयला ब्लाकों की पर्याप्त संख्या में पहचान करेगा। तदनुसार, विशिष्ट अन्त्य उपयोगों के लिए सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित करने के लिए 20.20 बिलियन भूवैज्ञानिक भंडारों वाले 81 कोयला ब्लाकों की पहचान की गई थी। पहचान किए गए 81 कोयला ब्लाकों में से 8536.38 मि.ट. भंडारों वाले 27 ब्लाक विद्युत उत्पादन तथा अन्य अन्त्य उपयोगों के लिए सरकारी कंपनी वितरण के अंतर्गत केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आवंटित कर दिए गए हैं। इसके अलावा, 3622.45 मि. ट. भंडार वाले 15 कोयला ब्लाक विद्युत उत्पादन के लिए कैप्टिव व्यवस्था के अंतर्गत निजी कंपनियों (राज्य सरकार के उद्यम तथा निजी कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम सहित) को आवंटित कर दिए गए हैं। गैर-विद्युत अन्त्य उपयोगों के लिए पेशकश किए गए 23 कोयला ब्लाकों के बारे में दिसम्बर, 2007 में निर्धारित बैठक में जांच समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

इसके अलावा, टेरिफ आधारित प्रतियोगी बोली के आधार पर विद्युत क्षेत्र को आवंटन के लिए निर्दिष्ट 16 कोयला ब्लाकों में से 1857.24 मि.ट. भंडार वाले 4 ब्लाक अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट को आबंटित किए गए हैं और 2 ब्लाक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. को आवंटित किए गए हैं।

[हिन्दी]

निधियों के आबंटन हेतु नीति

1734. **श्री महावीर भगोरा :**
श्री गणेश सिंह :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए धनराशि आबंटित करने हेतु कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ग) क्या नीति में बैकलाग समाप्त करने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषकर राजस्थान के आबंटित धनराशि बैकलाग का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए धनराशि, सामान्य मरम्मत, आवधिक नवीकरण, विशेष मरम्मत जैसे विभिन्न प्रकार के अनुरक्षण और मरम्मत कार्यों को करने के लिए और बाढ़, बारिश, भूकंप, सुनामी आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण आपातिक मरम्मत के लिए आबंटित की जाती है। धनराशि का आबंटन मंत्रालय के निर्धारित मानदंडों और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अनुरक्षण और मरम्मत कार्यों के लिए धनराशि के आबंटन के मानदंड राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्र, जलवायु की स्थिति, सामग्री की लागत, यातायात घनत्व पर आधारित है तथा आवधिक नवीकरण के लिए नवीकरण चक्र भी निर्धारित करता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के चालू वर्ष के दौरान राज्यों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन को आबंटित धनराशि विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) पिछले वर्ष की आपातिक मरम्मत और विशेष कार्यों के लिए स्वीकृत कार्यों को पूरा करने के लिए धनराशि अलग से आबंटित की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए राजस्थान सहित आबंटित धनराशि के राज्यवार ब्योरे विवरण-II में दिए गए हैं। पिछले वर्ष के आवधिक नवीकरण कार्यों को पूरा करने के लिए धनराशि का प्रावधान आवधिक नवीकरण कार्यों के आबंटन में भी किया जाता है।

विवरण-I

वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आबंटित निधि के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	आबंटन (करोड़ रु.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	68.88
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.87
3.	असम	31.01
4.	बिहार	34.51
5.	चंडीगढ़	0.83
6.	छत्तीसगढ़	25.90
7.	गोवा	4.57
8.	गुजरात	33.01
9.	हरियाणा	14.17
10.	हिमाचल प्रदेश	16.45
11.	झारखंड	22.61
12.	कर्नाटक	39.44
13.	केरल	27.53
14.	मध्य प्रदेश	60.68

1	2	3
15.	महाराष्ट्र	55.30
16.	मणिपुर	12.10
17.	मेघालय	11.59
18.	मिजोरम	5.43
19.	नागालैंड	4.64
20.	उड़ीसा	44.01
21.	पांडिचेरी	1.41
22.	पंजाब	18.42
23.	राजस्थान	61.13
24.	तमिलनाडु	27.75
25.	उत्तर प्रदेश	56.74
26.	उत्तराखंड	19.09
27.	पश्चिम बंगाल	19.51
28.	एनएचएआई	60.00
29.	बीआरओ	20.06

विवरण-II

जारी विशेष मरम्मत और आकस्मिक कार्यों के लिए आबंटित निधि के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आबंटित धनराशि (करोड़ रु.)		
		2004-2005	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.59	0.54	4.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.16	0.02	0.1
3.	असम	3.47	8.15	1.85
4.	बिहार	12.18	9.73	5.19
5.	छत्तीसगढ़	5.81	1.38	0.75
6.	चंडीगढ़	0	0	0
7.	दिल्ली	0.29	0	0
8.	गोवा	0	0	0.69
9.	गुजरात	1.32	3.78	0.69
10.	हरियाणा	0.1	0.17	1.18
11.	हिमाचल प्रदेश	1.6	2.4	4.54
12.	जम्मू और कश्मीर	0.01	0	0
13.	झारखंड	2.77	0.5	1.5
14.	कर्नाटक	0.94	1.2	1.5
15.	केरल	0.6	0.85	1.8
16.	मध्य प्रदेश	7.1	1.95	1
17.	महाराष्ट्र	1.41	0.42	7.68
18.	मणिपुर	5.31	4.52	0.1
19.	मेघालय	1.96	1.05	1.04
20.	मिजोरम	1.1	0.25	0.38
21.	नागालैंड	0.3	0.25	0.41
22.	उड़ीसा	3.59	2.05	1.4
23.	पंजाब	0	0.15	0

1	2	3	4	5
24.	पांडिचेरी	0	0	0
25.	राजस्थान	4.28	0.99	0
26.	तमिलनाडु	0.59	0.63	0.71
27.	उत्तराखंड	1.09	1.07	1
28.	उत्तर प्रदेश	3.83	0.95	3.28
29.	पश्चिम बंगाल	2.08	5.6	2.39

[अनुवाद]

पत्तनों और शिपयार्डों की स्थापना

1735. **श्री सुग्रीव सिंह** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर उड़ीसा के तट पर शिपयार्ड तथा और अधिक पत्तनों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव, भारत-सरकार के विचाराधीन नहीं है।

फिर भी, उड़ीसा की सरकार ने यह सूचित किया है कि संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में उड़ीसा में भद्रक जिले में धमरा नदी के मुहाने पर पोत-निर्माण-यार्ड और पोत-मरम्मत-सुविधाएं स्थापित किए जाने के लिए उसे एक प्रस्ताव मिला है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग, 2200 करोड़ रु. है। उड़ीसा की सरकार द्वारा इस मामले में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।

सरकारी, गैर-सरकारी भागीदारी के अंतर्गत गैर-सरकारी विकासकों द्वारा उड़ीसा के तट पर और पत्तनों को स्थापित किए जाने के लिए उड़ीसा की सरकार के पास कुछ प्रस्ताव हैं। प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) धमरा पत्तन, एक हरित-क्षेत्र (ग्रीन फील्ड) परियोजना, अंतर राष्ट्रीय स्तर का एक बृहत पत्तन स्थापित किए जाने के लिए धमरा पत्तन कंपनी लिमिटेड के रूप में पुनः नामित गैर सरकारी विकासक को पहले ही सौंप दी गई है। परियोजना की अनुमानित लागत 2469 करोड़ रु. है।

(ii) इसी प्रकार, गोपाल पुर पत्तन को भी, एक गैर सरकारी विकासक अर्थात् गोपाल पुर पत्तन लिमिटेड को, सभी मौसम के अनुकूल पत्तन के रूप में इसे विकसित किए जाने के लिए सौंप दिया गया है। गोपाल पुर पत्तन लिमिटेड इस परियोजना में 1700 करोड़ रु. का निवेश करेगा।

(iii) जटाधार मुहान, जो कि लघु पत्तन को विकसित किए जाने के लिए एक और महत्वपूर्ण प्वाइंट है, इसे एक कैप्टिव लघु पत्तन के रूप में पी.ओ.एस.सी.ओ. (पास्को) इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया है। पहले चरण की अनुमानित लागत 1432 करोड़ रु. है।

(iv) बालासोर जिले में सुबरणरेखा मुहाने पर पत्तन को विकसित किए जाने के लिए उड़ीसा की सरकार ने 18 दिसम्बर, 2006 को क्रिएटिव पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से समझौता ज्ञापन किया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2000 करोड़ रु. है।

एन.ई.सी.एफ. में कोयला उत्पादन

1736. **श्री सर्बानन्द सोनोवाल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के कोयला क्षेत्रों से कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसीएफ) अथवा निजी प्रचालकों द्वारा सीधे तौर पर कोयले का खनन किया जाता है;

(ग) क्या असम में स्थानीय उद्योग एनईसीएफ से कोयला प्राप्त करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान एनईसीएफ का वर्ष-वार वार्षिक राजस्व कितना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी) में उत्पादित कोयले का मात्रा निम्नवत है:-

(मात्रा मिलियन टन में)

2004-05	2005-06	2006-07
0.63	1.10	1.05

(ख) एन.ई.सी. में, भूमिगत कोयला खनन विभागीय रूप से किया जाता है तथा उपकरण किराए पर लेकर ओपनकास्ट खनन किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 2006-07 में, एन.ई.सी. से असम को कोयले का कुल प्रेषण 3.07 लाख टन था जिसमें सीमेंट, कागज और अन्य स्थानीय उद्योग/खरीददार शामिल थे।

(ङ) पिछले तीन वर्षों का एन.ई.सी. का वार्षिक राजस्व निम्नवत है:-

(लाख रु. में)

2004-05	2005-06	2006-07
8889.22	22579.67	23769.22

ग्यारहवीं योजना के दौरान शिक्षा क्षेत्र का विस्तार

1737. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा क्षेत्र के विस्तार पर चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या योजना आयोग के सुझावों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (ङ) शिक्षा क्षेत्र के संबंध में पूर्ण योजना आयोग की दिनांक 13.9.2007 को बुलाई गई बैठक में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा क्षेत्र के विस्तार के बारे में चर्चा की गई। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से उच्चतर शिक्षा तक पूरी शिक्षा प्रणाली में विस्तार, समावेशन और गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया गया है। यह वर्धित आबंटन और संस्थागत एवं नीतिगत सुधारों के माध्यम से किया जाना है।

[हिन्दी]

बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के कारण

1738. **श्री सुभाष महरिया :**
श्री कुलदीप बिश्नोई :
श्री ब्रजेश पाठक :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर राजमार्ग पर बढ़ती सड़क दुर्घनाओं के कारण जानने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। इस मंत्रालय द्वारा सन 1995 में 'स्टेबलिशमेंट आफ सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन आफ एक्सिडेंट ब्लैक स्पाट्स' नामक शीर्षक अनुसंधान परियोजना आर-64 शुरू की थी। इस अध्ययन में 15 राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक 100 मीटर के 18 चुनिंदा खंडों पर विचार किया गया था।

दुर्घटना विश्लेषण के आधार पर सड़क दुर्घटनाओं, उनके कारणों, घटनाक्रमों, मौतों और वाहन सुधार के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं :-

(i) अधिकतम दुर्घटनाएं विशेषकर घातक दुर्घटनाएं सीधे खंडों पर तेज गति के कारण होती हैं।

(ii) चार सड़कों वाले चौराहे मुख्य रूप से अपर्याप्त दूरी, यातायात दिशा-निर्देशों के अभाव, सड़क चिह्नांकन की कमी और घटिया सड़क ज्यामिती के कारण सर्वाधिक असुरक्षित पाए गए।

(iii) आमने-सामने से अधिकतम टक्कर तेज गति और ओवरटेक करने की बुरी आदत के कारण होती हैं।

(iv) पैदल यात्रियों के लिए अपर्याप्त सुविधाओं और यातायात के नियमों के बारे में कम जानकारी के कारण पैदल यात्री दुर्घटनाओं के सर्वाधिक असुरक्षित शिकार होते हैं। पैदल यात्री गलतियां करने में दूसरे नंबर पर हैं जो दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण है।

(v) अनेक दुर्घटनाओं में मुख्यतः ड्राइवर की गलती पाई जाती है।

(vi) कार द्वारा मृतकों की संख्या अधिकतम होती है और उसके पश्चात् पैदल यात्रियों और उसके बाद भारी माल वाहनों का नंबर आता है।

(vii) रात्रि के समय अधिकतम दुर्घटनाएं ट्रकों के कारण होती है।

(viii) 90% दुर्घटनाएं लापरवाही और तेज गति के कारण होती हैं।

सड़क खंडों के संबंध में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का विवरण इस प्रकार है:-

(i)	सड़क प्रयोक्ताओं का व्यवहार	--	78%
(ii)	वाहन की खराबी	—	11%
(iii)	खराब सड़क ज्यामिती	—	7%
(iv)	अल्प दृश्यता	—	4%

चौराहों पर दुर्घटनाओं के निम्नलिखित कारण हैं:-

(i)	चौराहे की खराब रूपरेखा	—	20%
(ii)	सड़क प्रयोक्ता का व्यवहार	—	31%
(iii)	उन्नत यातायात दिशा-निर्देश व्यवस्था की कमी/अपर्याप्तता	—	35%
(iv)	अपर्याप्त दृश्यता	—	11%
(v)	स्ट्रीट लाइट का अभाव	—	3%

(ग) सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार की होती है। तथापि, इस विभाग ने सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं:-

(i) यह सुनिश्चित किया जाता है कि सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस मार्गों की योजना के स्तर पर सड़क डिजाइन का अभिन्न अंग है।

(ii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क फर्नीचर, सड़क चिह्नांकन/सड़क संकेत, कुशल परिवहन व्यवस्था का प्रयोग करके राजमार्ग यातायात प्रबंधन व्यवस्था को लागू करना, निर्माण के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन बढ़ाना, चुनिंदा खंडों पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षा जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

(iii) असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

(iv) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा क्रियाकलापों में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना।

(v) देश में आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना।

(vi) दृश्य-श्रव्य प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता संबंधी प्रचार अभियान।

(vii) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना।

(viii) वाहनों के सुरक्षा मानक कठोर बनाना।

(ix) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों के लिए क्रेनों और एंबुलेंसों की व्यवस्था करना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी, पूरे हो चुके अपने प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग जो इसके प्रचालन और अनुरक्षण करार के अंतर्गत आते हैं, पर 50 किमी. की दूरी पर एंबुलेंस प्रदान करता है।

(x) दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का और चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को छः लेन आदि का बनाना और इनमें सुधार कार्य करना।

[अनुवाद]

एन.ई.सी. का ग्यारहवीं योजना प्रस्ताव

1739. **डा. अरूण कुमार शर्मा :** क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद ने अपने ग्यारहवें योजना प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं और इन्हें अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर परिषद की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। एन.ई.सी. की ग्यारहवीं योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप योजना आयोग से बजटीय आबंटन प्राप्त होने के पश्चात् ही दिया जाएगा।

नोरक्या वनस्पति की तस्करी

1740. **श्री प्रतीक पी. पाटील :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सांगली जिले में शिराला के समीपवर्ती वनों से नोरक्या वनस्पति की तस्करी सरकार की जानकारी में आई है;

(ख) यदि हां, तो दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाई की गई है; और

(ग) तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) महाराष्ट्र राज्य वन विभाग से मिली सूचना के आधार पर, महाराष्ट्र के सांगली जिले में शिराला के समीपवर्ती वनों से नोरक्या वनस्पति की तस्करी होने की सूचना मिली है।

(ख) अप्रैल, 2005 के दौरान, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा मुंबई वन नियमावली, 1942 की विभिन्न धाराओं के तहत पन्द्रह प्रारम्भिक अपराध रिपोर्टें दर्ज की गई थीं। इन प्रन्द्रह प्रारम्भिक रिपोर्टों में से सात मामलों में कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त छः ट्रक, छः ट्रेक्टर ट्राली सहित, दो जीप, तीन मोटरसाईकिल और दस गधे भी जब्त किये गये हैं।

(ग) तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) इस क्षेत्र में चौबीसों घंटे निगरानी रखने के लिए पांच निगरानी यूनिटें बनाई गई हैं। इन प्रत्येक निगरानी यूनिटों में दो गार्ड और तीन मजदूर रखे गए थे।

(2) इस क्षेत्र में वाहनों की आवा-जाही को रोकने के लिए तालाबंद पांच गेट गनाए गए थे।

(3) नियमित बीट निरीक्षण करना।

(4) संचार-प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।

चिकित्सकों, नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी

1741. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री अनवर हुसैन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकित्सकों, नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चिकित्सा पेशवरों और परिचर्या कामगारों की कमी का आकलन करने के लिए एक कृतिक बल की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कृतिक बल की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी सरकारी भागीदारी की आवश्यकता पर भी विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में चिकित्सकों, नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) देश में कुल मिला कर डाक्टरों और नर्सों की संख्या में कोई कमी नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इस समय देश में 6,83,682 एलोपैथिक पंजीकृत डाक्टर हैं। इसके अलावा, 31,172 की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले 271 मेडिकल कालेज हैं और इन मेडिकल कालेजों से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले छात्र भी देश में डाक्टरों की संख्या में जुड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त, देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के 6 लाख से अधिक चिकित्सक हैं। तथापि, देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डाक्टरों की उपलब्धता में असंतुलन है। जहां तक नर्सों का संबंध है, वर्तमान में देश में प्रति वर्ष 8000 छात्रों (लगभग) की प्रवेश क्षमता वाले 1597 ग्रेजुएट नर्सिंग मिडवाइफरी स्कूल चल रहे हैं।

(ग) और (घ) इस समय चिकित्सा व्यवसायिकों और स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं की कमी का आकलन करने के लिए बल गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) आयुर्विज्ञान शिक्षा की सुविधाओं और स्वास्थ्य से संबद्ध सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अधीन सरकार ने अल्पसेवित राज्यों में एआईओईएमएस जैसी छह संस्थाएं स्थापित करने और 10 राज्यों में 13 मौजूदा सरकारी मेडिकल कालेजों/संस्थाओं का उन्नयन करने का भी निर्णय किया है। इसके अलावा, सरकार सरकारी तथा निजी क्षेत्र में नए कालेज स्थापित करने और चिकित्सीय छात्रों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने को प्रोत्साहित करती है।

(छ) सरकार देश के अल्पसेवित क्षेत्रों में तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने बल दिए जाने वाले राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी माडल के अंतर्गत प्राइवेट मेडिकल कालेजों के प्रमोटर द्वारा शिक्षण अस्पताल के रूप में जिला अस्पताल का उपयोग किए जाने की संभावनाओं का भी पता लगा रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आयुष चिकित्सकों तथा दक्ष नर्सों की तैनाती द्वारा एक डाक्टर वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन 2 डाक्टरों वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कर सुदृढ़ किए जाने की परिकल्पना की गई है। राज्यों को डाक्टरों, विशेषज्ञों तथा पराचिकित्सकों को संविदात्मक आधार पर नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। डाक्टरों को बहु-कौशल प्रशिक्षण तथा सहायक नर्सधात्रियों/नर्सों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्यों से अपने नर्सिंग संवर्ग को सुदृढ़ करने का अनुरोध किया गया है। नर्सिंग एवं एएनएम स्कूलों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, जैसा कि कुछ राज्यों के एनआरएचएम के अंतर्गत (2006-07) पीआईपी में शामिल किया गया है, के लिए निधियों की आवश्यकता को अनुमोदित् किया गया है।

भविष्य में नर्सों की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित ढंग से कार्यनीतिक ढांचा तैयार किया गया है:-

1 ऐसे जिलों (230) में सहायक नर्सधात्री एवं सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी स्कूलों की स्थापना करना जहां ये दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं हैं।

2 स्नातकोत्तर नर्सिंग (एम.एससी) (नर्सिंग) संस्थाओं की स्थापना करना।

3 नर्स मिडवाइफरी प्रैक्टिसनर का संवर्ग विकसित करना तथा प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करना।

डाक्टरों के पलायन को रोकने तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा ज्वाइन करने हेतु डाक्टरों को आकृष्ट करने हेतु सरकार केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को बेहतर सेवा शर्तें अर्थात् उच्चतर वेतन एवं भत्ता, पदोन्नति के बेहतर अवसर, सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना इत्यादि प्रदान कर रही है। ग्रामीण तैनाती को अनिवार्य बनाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विभिन्न खेलों के लिए सिंथेटिक सतह

1742. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में हाकी, टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स और अन्य खेलों के लिए सिंथेटिक सतहों/ट्रैकों का विनिर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिंथेटिक पदार्थों का वर्तमान उत्पादन स्तर देश में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार भारत में आगामी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी और निजी उद्यमों को गुणवत्ता वाले सिंथेटिक सतहों के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क)जी, नहीं। हाकी, टेनिस, एथलेटिक्स और अन्य खेलों के लिए भारत में सिंथेटिक सतहें नहीं बनाई जा रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

क्रूज शिपिंग नीति

1743. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्रूज शिपिंग की लोकप्रियता के मद्देनजर क्रूज शिपिंग नीति/परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष विश्व की तुलना में इस समय भारत में क्रूज शिपिंग संबंधी विस्तृत रिपोर्ट क्या है; और

(घ) देश में क्रूज शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समुद्री परिभ्रमण के बारे में नीति तैयार की जा रही है।

(ख) प्रस्तावित समुद्रीय परिभ्रमण-नीति के उद्देश्य में समुद्रीय परिभ्रमण को लोकप्रिय बनाते हुए, अपेक्षित अवसंरचना तैयार किए जाने को सुकर बनाने और प्रेरक वातावरण तैयार करने के द्वारा भारत को एक प्रमुख समुद्रीय परिभ्रमण गंतव्य स्थल बनाना शामिल है।

(ग) यह उद्योग विश्व में वर्षभर में लगभग 14 बिलियन अमेरिकी डालर की आय अर्जित करता है और इससे लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या 10 मिलियन है, जिसके वर्ष, 2009 तक बढ़कर दुगना हो जाने की आशा है। भारत की हिस्सेदारी केवल लगभग 2% है। इस समय, किसी भी भारतीय पोत-परिवहन लाइन का अपना सुख-साधन से युक्त समुद्रीय परिभ्रमण पोत नहीं है।

(घ) देश में समुद्रीय परिभ्रमण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) दिसम्बर, 2003 से 05 की अवधि हेतु समुद्री परिभ्रमण के प्रयोजन से चलाए जाने वाले पोतों को अनुतट-यात्रा में छूट दे दी गई है।

(ii) घाट-किराया, पायलटेज इत्यादि सहित, जलयान से संबंधित प्रभारों में 50 प्रतिशत तक की छूट दे दी गई है।

(iii) समुद्री परिभ्रमण-संचालक, मैसर्स ओशन क्रूजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कोचीन के रास्ते गोवा से लक्षद्वीप तक समुद्री परिभ्रमण संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। इसी तरह, समुद्री परिभ्रमण-संचालक, मैसर्स स्टार क्रूजेज (लिब्रा) को मुंबई से लक्षद्वीप (कदमत द्वीप) तक और मुंबई से गोवा तक समुद्री परिभ्रमण संचालित करने की अनुमति दे दी गई है।

(iv) समुद्रीय परिभ्रमण सहित पोत-परिवहन-क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत है।

[अनुवाद]

सीफेयरर्स को पेंशन

1744. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन कामगारों तथा सीफेयरर्स के लिए कोई पेंशन नीति विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेवानिवृत्त सीफेयरर्स के लिए पेंशन बढ़ाने की मांग काफी समय से लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) इस समय, नाविकों के लिए कोई सरकारी पेंशन योजना नहीं है। पत्तन-कामगारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पेंशन-योजनाओं का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत, एक सोसायटी, नाविक कल्याण निधि सोसायटी, मुंबई, सेवानिवृत्त नाविकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं अर्थात् मासिक अनुग्रहपूर्वक आर्थिक सहायता, दिवंगत नाविकों की विधवाओं के लिए तदर्थ अनुग्रहपूर्वक वित्तीय सहायता, मृत्यु पर मुआवजा, कार्य कर रहे नाविक के दो बच्चों/भाइयों/बहनों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्ति इत्यादि कार्यान्वित करती है।

सेवानिवृत्त नाविकों को मासिक अनुग्रहपूर्वक आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत धनराशि बढ़ाए जाने के लिए अभ्यावेदन करते आ रहे हैं। फिर भी, क्योंकि सोसायटी के पास उपलब्ध निधि, इस योजना को 3-4 वर्षों से अधिक समय तक जारी रखे जाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, मासिक अनुग्रहपूर्वक आर्थिक सहायता योजना की धनराशि को बढ़ाए जाने पर विचार नहीं किया जा सका।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंतर-राज्य जांच चौकी

1745. श्री के.एस. राव : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजमार्गों तथा अंतर-राज्य जांच चौकियों पर ग्रीन चैनल शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विस्तृत अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रणाली से क्या लाभ मिलने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों और अंतर-राज्य जांच चौकियों पर ग्रीन चैनल शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल और यात्री वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राज्यीय सीमा पर प्रवेश द्वार पर एक समेकित जांच चौकी स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कहा गया है। माल तथा यात्री वाहनों के निर्बाध आवागमन के लिए पथकर प्लाजाओं पर इलेक्ट्रानिक पथकर संग्रहण प्रणाली स्थापित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण योजना बना रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खेल सुविधाओं हेतु अतिरिक्त स्टेडियमों का निर्माण

1746. श्री संतोष गंगवार : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अतिरिक्त स्टेडियमों का निर्माण करने तथा अतिरिक्त खेल प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से बरेली, उत्तर प्रदेश में स्थित एसएआई केन्द्र संबंधी तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) अब ग्रामीण खेल अवसंरचना के विकास की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं को बंद कर दिया गया है। किंतु ग्यारहवीं योजना और बृहत राष्ट्रीय खेल नीति के मसौदे के संदर्भ में इस मामले की समीक्षा की जा रही है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नैदानिक परीक्षण

1747. श्री संजय धोत्रे :
श्री बापू हरी चौरे :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां रोगियों की सहमति के बिना तथा सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना भारतीयों रोगियों पर कतिपय दवाइयों के नैदानिक परीक्षण कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय रोगियों पर कुल कितनी नई दवाओं तथा नुस्खों का परीक्षण किया गया तथा ऐसे रोगियों के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) अब तक ऐसे मामले सूचित नहीं हुए हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय रोगियों की इच्छा के बगैर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बगैर कतिपय दवाओं का नैदानिक परीक्षण उन पर कर रही हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नई औषधों और औषध मिश्रणों का भारतीय रोगियों पर नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति के बारे में कुल संख्या पिछले तीन वर्षों में निम्नवत है:-

वर्ष 2005	—	180
वर्ष 2006	—	259
वर्ष 2007 (अक्तूबर तक)	—	190

ऐसे कोई मामले अब तक सूचित नहीं किए गए हैं कि इन नैदानिक परीक्षणों से मरीजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नैदानिक परीक्षण बेहतर नैदानिक क्रियाविधियों, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली की अनुसूची-श के अनुसार किए जाने होते हैं। आचार समिति की स्वीकृति भी ऐसे परीक्षण करने से पूर्व लेनी पड़ती है ताकि परीक्षण किए जाने वाले व्यक्तियों के अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण पर आंच न आए।

[अनुवाद]

अंतरिक्ष अनुसंधान में उपलब्धियां

1748. श्री अबु अयीश मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अंतरिक्ष अनुसंधान में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने "वर्ल्ड स्पेस विज़न-2050" को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान अंतरिक्ष अनुसंधान में प्राप्त प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(क) स्पेस कैप्स्यूल पुनर्प्राप्ति परीक्षण (एस.आर.ई-1) का सफल प्रमोचन और वापसी।

(ख) स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिन और चरण का परीक्षण।

(ग) श्रीहरिकोटा में अत्याधुनिक द्वितीय प्रमोचन पैड सुविधाओं की स्थापना।

(घ) एडुसैट के प्रमोचन द्वारा जी.एस.एल.वी. का प्रचालनीकरण।

(ङ) चार उपग्रहों (एडुसैट, इन्सैट-4ए, 4बी और 4 सी.

आर.) के प्रमोचन के माध्यम से 72 प्रेषानुकरों के साथ इन्सैट प्रणाली का संवर्धन।

(च) मानचित्रण उपयोगों के लिए कार्टोसैट-1 और कार्टोसैट-2 जैसे उन्नत उच्च विभेदन मानचित्रण वाले उपग्रहों का प्रमोचन और प्रचालनीकरण।

(छ) दूर-शिक्षा और दूर-चिकित्सा का विस्तार, ग्रामीण संसाधन केंद्रों की शुरूआत, अंतरिक्ष आधारित आपदा प्रबंध सहायता और प्राकृतिक संसाधन प्रबंध संबंधी उपयोग की स्थापना।

(ज) अंतरिक्ष संबंधी वाणिज्य के क्षेत्र में उपलब्धियां:

– पी.एस.एल.वी. द्वारा इतालवी उपग्रह का प्रथम समर्पित वाणिज्यिक प्रमोचन और।

– डब्ल्यू टू एम और एचवाईएलएएस जैसे आधुनिक संचार उपग्रहों की आपूर्ति हेतु दो ठेके प्राप्त करना।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास की आवश्यकताओं और विश्वव्यापी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए लक्ष्यों, कार्यक्रम की दिशाओं तथा 2020 तक की प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं की पहचान करके अंतरिक्ष विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रय के लिए एक दीर्घकालीन रूपरेखा तैयार की है।

कुष्ठ रोग का उन्मूलन

1749. श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री दलपतसिंह परस्ते :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुष्ठ रोग के उन्मूलन के क्षेत्र में की गई प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या देश से कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा कोई भावी रणनीति बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम का स्वतंत्र मूल्यांकन भारतीय स्वास्थ्य प्रबन्ध अनुसंधान संस्थान, जयपुर द्वारा 2005 के दौरान किया गया था। अध्ययन के परिणाम विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग के उन्मूलन का लक्ष्य और प्राप्त करने के उपरान्त कुष्ठ रोग भार को और कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यनीतियां तैयार की गई हैं :-

(1) उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले पर ध्यान देना।

(2) सामान्य स्वास्थ्यपरिचर्या प्रणाली के माध्यम से विकेन्द्रीकृत एकीकृत कुष्ठ सेवाएं।

(3) केन्द्र सरकार कर्मियों को कुष्ठ रोग में प्रशिक्षण।

(4) अशक्तता और चिकित्सा पुनर्वास परिचर्या पर नए सिरे से बल।

(5) तीव्रीकृत अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन।

विवरण

भारतीय स्वास्थ्य प्रबन्ध अनुसंधान संस्थान, जयपुर (आईआईएचएमआर) द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम का स्वतंत्र मूल्यांकन

अध्ययन के निम्नलिखित मुख्य परिणाम प्राप्त हुए है:-

पी.आर. मार्च, 2001 में 3.74 से कम होकर दिसम्बर, 2004 में 1.99 हो गई और इस प्रकार 47% की कमी हुई और एएनसीडीआर 5.6 से 3.1 हुआ (45%) एम.बी. अनुपात लगभग सभी राज्यों में बढ़ा और नये रोगियों में महिला प्रतिशत में 35.5 से बढ़कर 36.2% की वृद्धि हुई। संचरण नियंत्रण में बहुत से राज्यों में बाल अनुपात में कमी दर्शाई गई। नये रोगियों में ग्रेड-2 अशक्तता के प्रतिशत में मार्च, 2001 में 2.24% से दिसम्बर, 2004 में 1.5% की काफी कमी हुई हैं।

रोग निदान में साधारण विलंब में 8 माह से 5 माह की कमी आई है। 80% से अधिक सुविधाओं ने एकीकरण पूरा कर लिया था किन्तु शहरी क्षेत्रों में एकीकरण प्रक्रिया धीमी थी। एसआईएस दिशा-निर्देश के अलावा अन्य सभी एसआईएस प्रारूप अधिकांश स्वास्थ्य सुविधाओं में उपलब्ध एमडीटी सेवाओं की गुणता अति संतोषजनक पाई गई थी। एम.बी. परिचर्या की समूची दर 88% और पी.बी. परिचर्या दर 94% थी। लगभग 80% सामान्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कुष्ठ रोग प्रशिक्षण लिया।

जागरूकता का स्तर ऊंचा था किन्तु कमावेश स्थिर था। आईईसी अधिक उच्च जोखिम केन्द्रित थी औरं समुदाय केन्द्रित कम। भारत सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के बीच भागीदारी एकीकरण में आने वाली अड़चनों से निपटने में बहुत अधिक उपयोगी हुई।

सुझाई गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं-

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आंतरिक अनुवीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(ख) आरएफटी मामलों, रोगियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए परामर्श सेवा पर बल दिया जाना चाहिए।

(ग) सामुदायिक जागरूकता के प्रसार के लिए, उच्च स्थानिक क्षेत्रों में लक्षित समूहों का पता लगाया जाना चाहिए और अन्तर वैयक्तिक संचार किया जाना चाहिए।

(घ) सूचना शिक्षा सम्प्रेषक संदेशों को भी निम्न स्थानिक क्षेत्रों में समुदाय लक्षित किया जाना चाहिए।

(ङ) जिला तकनीकी सहायता दलों (डीटीएसटी) को जिला केन्द्रक दल की क्षमता निर्माण पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

अवसंरचना हेतु विदेशी ऋण

1750. श्री सुग्रीव सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ग्यारहवीं योजना अवधि में अवसंरचना परियोजना के वित्तपोषण हेतु विदेशी वाणिज्यिक ऋणों (ईसीबी) के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में ही अवसंरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए कोई व्यवस्था की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकारी द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजशेखरन) : (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है। इस संबंध में अनुमानों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने दो स्कीमें शुरू की हैं, अर्थात् व्यवहार्यता अन्तराल निधियन (वीजीएफ) और इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)।

वीजीएफ का लक्ष्य उन अवसंरचना परियोजनाओं को सहायता देना है जिन्हें आर्थिक रूप से उचित ठहराया गया है लेकिन उनमें वित्तीय व्यवहार्यता का अभाव है। 20% अनुदान सहायता के प्रावधान के माध्यम से अनेक परियोजनाएं अधिकोषणीय (बैंकेबल) और अत्यावश्यक निजी पूंजी और कुशलता जुटाने में मददगार हो सकती हैं।

आईआईएफसीएल विशेष रूप से लम्बी अवधि में पूरी होने वाली अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घ अवधि ऋण मुहैया कराने की आवश्यकता का समाधान करती है। आईआईएफसीएल पर्याप्त अवधि की ऐसी परियोजनाओं के लिए ऋण वित्त मुहैया कराती है जो परियोजना की पूरी अवधि में लागत वसूली को सुलभ बनाता है।

चरक संहिता के अंतर्गत मधुमेह की औषधियां

1751. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइ.सी.एम.आर.) ने चरक संहिता के अनुसार मधुमेह के लिए कुछ औषधियों का निर्माण किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी औषधियों के कब तक बाजार में उपलब्ध होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने चरक संहिता के अनुसार मधुमेह के लिए किसी भी औषधि का निर्माण नहीं किया है। तथापि, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मधुमेह के उपचार हेतु शास्त्रों में उल्लिखित ''विजय सार'' पौधे की प्रभावकारिता पर अध्ययन करके उसे इस प्रयोजनार्थ सुरक्षित और

प्रभावी पाया है। बाजार में विजय सार संबंधी कुछ आयुर्वेदिक औषधियां उपलब्ध हैं।

भारतीय जंगली बाघों के संरक्षण हेतु अमरीकी सहायता

1752. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों से भारतीय जंगली बाघों के संरक्षण हेतु सहायता की पेशकश की है जैसाकि दिनांक 7 नवम्बर, 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और अमरीका वन्य जीव तस्करी को रोकने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) भारत ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा इंग्लैंड सहित वन्यजीवों और वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए एक दूसरे के प्रयासों में मदद करने के लिए मिलकर काम करने वाली सरकारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संरक्षण संगठनों के एक ग्लोबल कोलीशन, ''कोलीशन अगेंस्ट वाइल्डलाइफ ट्रैफिकिंग'' ज्वायन किया है। इसकी प्रारंभिक बैठक लंदन में 20 और 21 नवम्बर, 2006 को हुई थी और इसके बाद 10 फ़रवरी, 2007 को कोलीशन के मिनिस्ट्रियल पार्टनर्स की बैठक हुई थी।

[हिन्दी]

पत्तनों को रेल-सड़क के माध्यम से जोड़ना

1753. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख पत्तनों को रेल तथा सड़क से जोड़ने की समीक्षा करने संबंधी सचिवों की समिति ने प्रमुख/छोटे पत्तनों की भावी मांग को देखते हुए एक निर्धारित समयावधि में उच्च क्षमता वाले रेल तथा सड़क मार्गों का विकास करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शुरू किए गए/शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्य का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है तथा इस क्षेत्र में कितनी धनराशि संस्वीकृत, खर्च की गई है;

(घ) अब तक शुरू किए गए कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। समिति ने नोट किया है कि अधिमानतः प्रत्येक महापत्तन का कम से कम चार लेनों की सड़क से संपर्क और दोहरी रेल लाइन से संपर्क होना चाहिए। इस समिति ने पत्तन संपर्क परियोजनाओं के लिए कार्रवाई किए गए जाने योग्य योजनाओं, उनको पूरा किए जाने की अवधियों तथा वित्त-पोषण व्यवस्थाओं का पता लगाया है।

(ग) से (ङ) विवरण, संलग्न है।

विवरण

चल रहीं/संस्वीकृत रेल परियोजनाएं

क्र. सं.	पत्तन का नाम	कार्य का क्षेत्र	लम्बाई (कि.मी.)	प्रस्तावित परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	हल्दिया	पंसकुरा-हल्दिया खण्ड (चरण-I) को दोहरा बनाया जाना	14	26	पूरा कर लिया गया है और आरंभ कर दिया गया है।

1	2	3	4	5	6
2.	नवमंगलूर	अरेसीकेरे-हसन-मंगलौर रेल संपर्क।	236	357	पूरा खण्ड सामान के यातायात के लिए चालू कर दिया गया है।
3.	कांडला	गांधीधाम-पालमपुर गेज बदलना।	313	550	पूरा कर लिया गया है और आरंभ कर दिया गया है।
4.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन	पनवेल-जसाई खण्ड को दोहरा बनाया जाना।	28.5	69	परियोजना पूरी कर ली गई है और आरंभ कर दी गई है।
5.	पारादीप	खानों और इस्पात संयंत्रों से हरिदास पुर-पारादीप का संपर्क।	82	456	निश्चित लाइन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। विशेष प्रयोजनीय वाहन बना दिया गया है। लूना पुल और महानदी पुल पर कार्य आरंभ हो गया है। कार्य पूरा करने की नियत तिथि दिसम्बर, 2008 है।
6.	तूतीकोरिन	मदुरै-डिन्डीगुल खंड को दोहरा बनाया जाना।	62.06	126	अम्बातुरई-कोडाईकनाल में सड़क को दोहरा बनाया जाना, इस कार्य के साथ मिला दिया गया है। विस्तृत अनुमान संस्वीकृत कर दिया गया है। अर्थवर्क, 85 लघु पुलों, 7 मुख्य पुलों के कार्य का ठेका दे दिया गया है। एक विस्तृत पुल (वगाई पुल) और कोडाईकनाल-डिन्डीगुल के बीच अर्थवर्क का ठेका भी सौंप दिया गया है। कार्य पूरा करने की नियत तिथि दिसम्बर, 2008 है।
7.	कांडला	भिल्डी-सन्धारी गेज को बदलना।	223	290	सन्धारी-भिम्मल (122 कि.मी. का खंड) पर अर्थवर्क और पुल से संबंधित कार्य निष्पादित किया जा रहा है। कार्य पूरा करने की नियत तिथि जून, 2008 है।
8.	पारादीप	महानदी पर दूसरा पुल	3	1430	कार्य चल रहा है। कार्य पूरा करने की नियत तिथि जून, 2008 है।
		कुल	961.56	2014	

आरंभ की जाने वाली प्रस्तावित रेल परियोजनाएं

1.	कोलकाता	डायमंड हार्बर में प्रस्तावित जेटियों से रेल संपर्क।	2	22	सर्वेक्षण, जनवरी, 2007 में पूरा कर लिया गया है।
2.	मुरगांव	लोन्डा-धारवाड खंड को दोहरा बनाना।	70	175	रेल विकास निगम लि. से मिली रिपोर्ट की जांच पड़ताल की जा रही है।

1	2	3	4	5	6
3.	हल्दिया	पंसकुरा-हल्दिया खंड (चरण-1) को दोहरा बनाया जाना।	44	230	प्रस्ताव, रेल विकास निगम लि. के निदेशकों के मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और सरकार के विचार और अनुमोदन लिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
4.	मुंबई	वडाला और कुर्ला के बीच समर्पित फ्रेट लाइन।	5.06	104 (झुग्गियों को हटाने हेतु 55 करोड़ रु. सहित)	परियोजना, सरकारका अनुमोदन लिए जाने के लिए विचाराधीन है।
5.	इन्नौर	नई कोर्ड लाइन (पुट्टुर-अट्टीपट्टू)	144	435	नई कोर्ड लाइन के लिए परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
		कुल	263.66	944	

चल रहीं/संस्वीकृत पत्तन-सड़क संपर्क परियोजनाओं की स्थिति

1.	हल्दिया	कोलाघाट-हल्दिया खंड को 4 लेनों का बनाना	52.2	273	ठेके की समाप्ति तक 42% कार्य पूरा कर लिया गया है। अगस्त, 2007 तक संचयी व्यय, 130.28 करोड़ रु. है।
2.	पारादीप	राष्ट्रीय राजमार्ग-5क को 4 लेनों का बनाना	77	427	अगस्त, 2007 तक संचयी व्यय, 301.05 करोड़ रु. है।
3.	विशाखापट्टनम	पत्तन से संपर्क	12.47	94	30.11.2006 को परियोजना पूरी कर ली गई है।
4.	चेन्नई और इन्नौर	चेन्नई-इन्नौर पत्तन से संपर्क	30 चरण-I: 9 कि.मी. चरण-II: 15 कि.मी. चरण-III: 6 कि.मी.	309 सौंपी गई लागत चरण-I: 39.2 चरण-II: 76.76	नवम्बर, 2007 तक, चरण-I के मामले में प्रगति-9.7%। चरण-II के मामले में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन से उपर्युक्त कार्य एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लि. को सौंप दिया गया है। चरण-III के कार्य के लिए परियोजना से प्रभावित परिवारों को फिर से बसाए जाने और उनके पुनरुद्धार के लिए कार्य किया गया है।
5.	तूतीकोरिन	राष्ट्रीय राजमार्ग-7क को 4 लेनों कर बनाना	47.2	231	कार्य का संचयी %, 22.4% है। अगस्त, 2007 तक संचयी व्यय, 71.02 करोड़ रु. है।

1	2	3	4	5	6
6.	कोचीन	राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को 4 लेनों का बनाना	10.40	106	कार्य का संचयी %, 43% है। ठेका पूरा हो गया है।
7.	नवमंगलूर	राष्ट्रीय राजमार्ग-17, राष्ट्रीय राजमार्ग-48 और बाइपास को 4 लेनों का बनाना	37.5	196	नवम्बर, 2007 तक संचयी % प्रगति, 11.34% है। अगस्त, 2007 तक व्यय, 28.24 करोड़ रु. है।
8.	मुरगांव	राष्ट्रीय राजमार्ग-17ख को 4 लेनों का बनाना	18.3	80	मई, 2004 में 13.1 कि.मी. पूरा कर लिया गया है। राज्य-सरकार, बाकी 5.2 कि.मी. के कार्य को बाधा डालने वालों से भूमि को मुक्त नहीं करा सकी।
9.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन	पनवेल संकरी खाड़ी पर 6 लेनों के पुल सहित राज्य-राजमार्ग-54 को 4 लेनों का बनाना (पैकेज-II)	14.35	143	नवम्बर, 2007 तक संचयी % प्रगति, 87.26% है।
10.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन	पैकेज-I	30	177	पूरा कर लिया गया है।
11.	तूतीकोरिन (बी.ओ.टी.)	तूतीकोरिन-मदुरै सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-45 ख) को चार लेनों का बनाना	144	629	फरवरी, 2006 में कार्य सौंपा गया, जुलाई, 2006 में करार पर हस्ताक्षर किए गए। नवम्बर, 2007 तक संचयी % प्रगति, 23.5% है।
12.	कोचीन	अंतर राष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल, वल्लारपदम से संपर्क	17.2	330 (557 करोड़ रु. संशोधित)	फरवरी, 2010 में कार्य पूरा करने की नियत अवधि सहित अगस्त, 2007 में कार्य आरंभ कर दिया गया है।

संस्वीकृत की जाने वाली पत्तन-संपर्क परियोजनाओं की स्थिति

1.	कोलकाता	नेताजी सुभाष गोदी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर कोना जंक्शन	14	-	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
2.	पारादीप (बीओ.टी.)	पनीकोईली-बरबिल राष्ट्रीय राजमार्ग-215 को चार लेनों का बनाना	189	1050	परियोजना, बोली आमंत्रित किए जाने के स्तर पर है।

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय का क्षेत्रीय शाखा सचिवालय

1754. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के क्षेत्रीय शाखा सचिवालय कार्यालय देश के विभिन्न शहरों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को चेन्नई तथा देश के अन्य भागों में ऐसे कार्यालय की स्थापना करने के लिए कोई मांग प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) ऐसे कार्यालय कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (ङ) मंत्रालय का शाखा सचिवालय कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नै में कार्य कर रहा है। गुवाहाटी में एक कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। देश के अन्य भागों में ऐसे कार्यालय खोलने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

समेकित परिवहन नीति

1755. श्री एम. अप्पादुरई :
श्री मोहन रावले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परिवहन के चार प्रमुख माध्यमों पर ध्यान देने के लिए एक समेकित परिवहन नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) बदलती हुई आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकी में उन्नति तथा बढ़ते हुए अवसरों एवं चुनौतियों के साथ चलते हुए परिवहन नीति का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। किसी पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से पहले, परिवहन संबंधी विभिन्न क्षेत्रकीय कार्यदल गठित किए जाते हैं, जो परिवहन के विभिन्न माध्यमों से संबंधित योजना/नीतियां प्रतिपादित करने हेतु महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करते हैं। तदनुसार, विभिन्न योजना दस्तावेजों में परिवहन नीतिया वर्णित की जाती हैं।

(ग) और (घ) परिवहन के क्षेत्र में समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रकीय/उप-क्षेत्रकीय अध्ययन किए गए हैं। योजनाएं, नीतियां, प्रक्रियाएं एवं प्रणालियां प्रतिपादित करने के लिए ये महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट में भारत का अंशदान

1756. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006-2007 तथा 2007-08 के दौरान संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट में भारत द्वारा कितना अंशदान दिया गया है;

(ख) ऐसे अंशदान का आधार क्या है;

(ग) पिछली बार अंशदान समिति ने किस वर्ष मूल्यांकनों के पैमाने की समीक्षा की है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश की वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय अंशदान को कम करने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस मुद्दे पर अंशदान समिति के साथ बातचीत की गयी है; और

(च) यदि हां, तो इस पर अंशदान समिति की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट में भारत द्वारा दिया गया अंशदान 40.3 करोड़ रुपए था। वर्ष की समाप्ति पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा

अपेक्षित अंशदान की सूचना दी जाती है और पैमाने वर्ष 2007-08 के लिए अभी तक यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) अंशदान के आकलित पैमाने पर ही अंशदान आधारित होता है। यह आकलित पैमाना निम्न प्रति व्यक्ति आय और देश के विदेशी ऋण के लिए छूट के साथ समायोजित कर वैश्विक सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के अंश को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है।

(ग) अंशदान समिति ने जून, 2007 में संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट के लिए आकलन के पैमाने की प्रक्रिया की समीक्षा की है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पथकर संबंधी समिति

1757. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों पर लगाए जाने वाले पथकर की दर सुझाने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति द्वारा वाहन-वार कितना दर सुझायी गई है;

(ग) क्या उक्त दरें वर्तमान में लगाई गई दरों से अधिक हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मामले पर चर्चा हेतु कुछ निजी पार्टियों के साथ किसी बैठक का भी आयोजन किया गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(छ) चालू वर्ष सहित गत दो वर्षों के दौरान पथकर शुल्क से कितने राजस्व की वसूली की गई तथा ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी नहीं। सरकार द्वारा किसी बाह्य समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ग) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टीकाकरण के लिए विशेष अभियान

1758. श्री विजय कृष्ण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन राज्यों में टीकाकरण हेतु विशेष अभियान चलाया है जहां टीकाकरण की प्रक्रिया काफी धीमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ आवश्यक वस्तुएं (इन्पुट्स) तथा धनराशि प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) जी, हां।

(ख) जिन राज्यों में रोगप्रतिरक्षण कार्य बहुत कम हुआ है वहां भारत सरकार द्वारा रोगप्रतिरक्षण सप्ताहों के रूप में विशेष अभियान चलाए गए हैं। विशेष अभियान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम-बंगाल राज्यों में 2005-2006 और 2006-2007 में चलाया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) (1) भारत सरकार ने वैक्सिनों, ए.डी. सिरिंजों और अन्य संभारतंत्रों को राज्यों की जरूरत के अनुरूप उपलब्ध कराया है।

(2) अतिरिक्त निधियां जारी नहीं की गई, हालांकि विशेष अभियानों के लिए निधियों की जरूरत को राज्यकार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के नियमित रोगप्रतिरक्षण के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों में से पूरा किया गया।

(3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधियों की निकासी का विवरण संलग्न है।

विवरण

रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान निर्गत निधियों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	2005-06 में निर्गत निधि	2006-07 में निर्गत निधि	2007-08 में निर्गत निधि
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6,52,176	7,15,448	0
2.	आंध्र प्रदेश	4,14,91,785	3,13,76,361	4,26,31,639
3.	अरुणाचल प्रदेश	40,26,626	94,89,948	81,99,373
4.	असम	6,00,19,847	80,09,473	10,64,79,490
5.	बिहार	13,64,55,415	9,79,64,351	20,84,65,974
6.	चण्डीगढ़	6,89,400	1,25,765	8,25,516
7.	छत्तीसगढ़	4,23,51,675	4,20,90,512	25,67,760
8.	दादरा और नगर हवेली	1,91,125	3,05,725	5,401
9.	दमन और दीव	2,06,965	2,24,217	1,38,521
10.	दिल्ली	18,65,130	29,26,109	27,89,568
11.	गोवा	6,90,395	6,83,849	0
12.	गुजरात	2,72,63,618	0	0
13.	हरियाणा	1,08,29,700	113,17,462	1,06,62,031
14.	हिमाचल प्रदेश	2,02,26,727	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर	1,10,28,736	60,74,739	72,77,602
16.	झारखंड	10,00,64,800	84,87,140	2,12,84,889

1	2	3	4	5
17.	केरल	2,34,39,640	23,19,401	1,30,53,143
18.	लक्षद्वीप	1,14,357	5,86,377	28,418
19.	मध्य प्रदेश	8,56,49,007	5,38,20,985	7,40,23,379
20.	मणिपुर	53,98,000	12,06,105	57,09,070
21.	मेघालय	85,03,220	95,39,480	13,48,451
22.	मिजोरम	47,95,030	65,34,728	0
23.	नागालैंड	36,27,085	35,,74,795	45,39,833
24.	उड़ीसा	6,97,38,119	6,32,26,945	4,75,00,594
25.	पांडिचेरी	8,09,533	90,205	0
26.	पंजाब	1,56,33,150	1,36,33,382	83,85,621
27.	राजस्थान	11,40,90,661	74,87,357	2,15,24,475
28.	सिक्किम	10,55,025	22,61,849	18,10,763
29.	त्रिपुरा	36,15,720	24,63,905	14,77,175
30.	उत्तर प्रदेश	29,85,92,906	20,49,20,151	20,54,98,469
31.	उत्तरांचल	3,39,83,055	43,75,380	1,25,86,537
32.	पश्चिम बंगाल	8,60,80,022	6,31,18,005	1,18,28,505
33.	महाराष्ट्र	10,28,45,570	0	2,27,08,032
34.	तमिलनाडु	5,95,40,000	2,82,89,250	4,59,64,513
35.	कर्नाटक	7,94,47,192	94,56,202	41,64,575
	कुल	1,45,50,11,412	69,66,95,601	89,34,79,317

ब्राजील, रूस, भारत और चीन के बीच सहयोग

1759. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्राजील, रूस, भारत और चीन (ब्री.आर.आई.सी.) ने अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) ब्राजील, रूस, भारत और चीन (बी.आर.आई.सी.) के विदेश मंत्रियों ने 24 सितंबर, 2007 को न्यूयार्क में एक बैठक में हिस्सा लिया। यह निर्णय लिया गया कि न्यूयार्क, जिनीवा, विएना, नैरोबी, पेरिस और वाशिंगटन में चारों देशों के मिशनों के अध्यक्ष बी.आर.आई.सी. देशों के बीच चर्चा हेतु विषयों के निर्धारण के लिए परामर्श करेंगे। तद्पश्चात ब्राजील में उपमंत्रियों के स्तर पर एक बैठक आयोजित की जाएगी।

[हिन्दी]

हार्ड कोक को साफ्ट कोक में बदला जाना

1760. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने हार्ड कोक को साफ्ट कोक में बदले जाने हेतु सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कोयला कंपनियों को ठेके दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के परिवर्तन के लिए कोयला कंपनियों द्वारा किए गए भुगतान का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हार्ड कोक को साफ्ट कोक में बदलने की प्रक्रिया में कोई अनियमितता पाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, नहीं। ऐसी कोई प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विदेश में भारतीय चिकित्सा छात्र

1761. श्री पी.सी. थामस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश में अध्ययनरत भारतीय चिकित्सा छात्र भारत में अपनी हाउस सर्जनशिप कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेश में अपने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत भारतीय छात्रों से इस प्रकार के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) जी, हां। भारत से बाहर की किसी चिकित्सा संस्था द्वारा प्रदत्त प्राथमिक चिकित्सा अर्हता धारण करने वाला कोई भारतीय नागरिक जो 15.3.2002 को अथवा इसके बाद भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या किसी राज्य आयुर्विज्ञान परिषद में अनंतिम या स्थायी पंजीकरण प्राप्त करने का इच्छुक है, भारत में इंटर्नशिप करने का पात्र है बशर्ते कि उसने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के स्क्रीनिंग जांच विनियम, 2002 के उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा की गई स्क्रीनिंग जांच में अर्हता प्राप्त करने के बाद भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से अनंतिम/पंजीकरण प्राप्त कर लिया हो। तथापि, प्राथमिक चिकित्सा अर्हता उस देश में जिसमें उक्त अर्हता प्रदान करने वाली संस्था स्थित है, चिकित्सक के रूप में नामांकन हेतु एक मान्यताप्राप्त अर्हता अवश्य ही होनी चाहिए।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सूचना आयोग की सिफारिश

1762. श्री विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री संतोष गंगवार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि सरकारी विभागों में तैनात जनसूचना अधिकारियों को आयोग के अधिकारी का दर्जा दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सूचना आयोग ने वर्ष 2005-2006 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सिफारिश की है कि जनसूचना अधिकारियों को केन्द्रीय सूचना आयोग के अधिकारियों के समान समझा जाना चाहिए।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में जनसूचना अधिकारियों को निष्पक्षतापूर्वक एवं निर्भय होकर कार्य करने में समर्थ बनाने वाले प्रावधान निहित हैं।

[अनुवाद]

भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण

1763. डा. बाबू राव मिडियम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवक्रमित वन भूमि और गैर-वन भूमि के कितने क्षेत्र को राज्य-वार प्रतिपूरक वनरोपण के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) सरकार द्वारा किए गए वनरोपण और पुनः वनस्पतिकरण के विभिन्न रूपों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वनरोपण के प्रयोजनार्थ कितने वनग्रामों को अन्य स्थानों पर ले जाया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) 19-11-2007 तक 5,28,801 हैक्टयर अवक्रमित वन भूमि और गैर-वन भूमि को प्रतिपूरक वनरोपण के अंतर्गत लाया गया है। राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अवक्रमित वनों और उसके आस-पास के क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। यह स्कीम वनीकरण और पुनरुद्धारण के विभिन्न माडलों पर बल देती है जिसमें इमदादी प्राकृतिक-पुनरुद्धारक, कृत्रिम पुनरुद्धारक, चारागाह, वन-चारागाह विकास, बांस रोपण, केन रोपण, एम.एफ.पी. और औषधीय मूल्य वाले पेड़ों का मिश्रित पौधरोपण, और औषधीय मूल्य वाली बारहमासी औषधियों और झाड़ियों का पुनरुद्धार शामिल है।

(ग) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, वनरोपण के प्रयोजनार्थ कोई वनग्राम अन्य स्थान पर नहीं ले जाया गया है।

विवरण

19.11.2007 की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्रतिपूरक वनरोपण के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)		
		वन भूमि	गैर-वन भूमि	कुल
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	225.29	1,701.49	1,926.78
2.	आंध्र प्रदेश	4,587.77	15,805.96	20,393.73
3.	अरुणाचल प्रदेश	5,388.21	86.00	5,474.21
4.	असम	1,163.06	536.96	1,700.03
5	बिहार	846.56	0.00	846.56
6.	चंडीगढ़	0.00	0.12	0.12

1	2	3	4	5
7.	छत्तीसगढ़	27,284.00	3,331.00	30,615.00
8.	दादरा व नागर हवेली	269.15	210.15	479.30
9.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
10.	गोवा	1,131.44	18.00	1,149.44
11.	गुजरात	17,233.29	27,141.00	44,374.29
12.	हरियाणा	2,251.83	1,091.69	3,343.51
13.	हिमाचल प्रदेश	5,769.70	137.00	5,906.70
14.	जम्मू एवं कश्मीर	288.00	0.00	288.00
15.	झारखंड	36.00	0.00	36.00
16.	कर्नाटक	9,212.92	28,841.12	38,054.04
17.	केरल	49,448.53	776.00	50,224.53
18.	मध्य प्रदेश	129,559.84	38,134.11	167,693.95
19.	महाराष्ट्र	44,082.00	27,722.00	71,804.00
20.	मणिपुर	181.16	0.00	181.16
21.	मेघालय	258.45	4.80	263.25
22.	मिजोरम	38.15	5,520.65	5,558.81
23.	उड़ीसा	9,777.94	20,649.33	30,427.26
24.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
25.	पंजाब	3,917.78	929.28	4,847.06
26.	राजस्थान	3,066.01	7,267.00	10,333.01
27.	सिक्किम	2,012.97	18.00	2,030.97
28.	तमिलनाडु	1,252.63	1,009.35	2,261.97

1	2	3	4	5
29.	मिजोरम	2,591.54	58.21	2,649.75
30.	उत्तर प्रदेश	2,457.57	4,687.50	7,145.07
31.	उत्तरांचल	8,333.53	6,558.00	14,891.53
32.	पश्चिम बंगाल	1,237.35	2,663.89	3,901.24
	कुल	333,902.67	194,898.60	528,801.27

[हिन्दी]

राजदूतावासों को भूमि का आवंटन

1764. श्री रशीद मसूद : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक देशों ने अपने राजदूतावासों को खोलने हेतु दिल्ली में भूमि के आवंटन के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। मंत्रालय के रिकार्ड के अनुसार 58 देशों (उनको शामिल करते हुए जिनके पास राजधानी में पहले से ही भूमि है और अन्य जो किराए के परिसर से कार्य संचालित कर रहे हैं) ने दिल्ली में भूमि के आवंटन के लिए आवेदन किया है जिसकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। पूर्व में किए गए आवंटन प्रस्तावों की समयावधि समाप्त हो गई है और शहरी विकास मंत्रालय से संशोधित दरें प्राप्त होने पर नए प्रस्ताव किए जाएंगे।

विवरण

नई दिल्ली में भूमि की मांग करने वाले देशों की सूची

1. अल्जीरिया
2. अंगोला
3. अर्जेंटीना
4. आर्मीनिया
5. अजरबैजान
6. बहरीन
7. बेलारूस
8. ब्राजील
9. ब्रुनेई
10. बुरकीना फासो
11. कम्बोडिया
12. चिली
13. क्रोएशिया
14. कोलम्बिया
15. क्यूबा
16. डेनमार्क
17. डीपीआर कोरिया
18. एस्टोनिया
19. यूरोपियन आयोग

20. फिजी
21. गिनी
22. आइसलैंड
23. ईरान
24. आयरलैंड
25. जार्डन
26. कजाखिस्तान
27. कीनिया
28. किरगिस्तान
29. लाओस
30. लीबिया
31. लेबनान
32. अरब राज्य लीग
33. लक्जमबर्ग
34. मारीशस
35. मालदीव
36. मैक्सिको
37. मोरक्को
38. मोजाम्बिक
39. नामीबिया
40. पुर्तगाल
41. रोमानिया
42. रवाण्डा
43. सेशेल्स
44. सोमालिया
45. दक्षिण अफ्रीका
46. सूरीनाम
47. सीरिया
48. त्रिनिदाद एवं टोबैगो
49. तजाकिस्तान
50. तुर्कमेनिस्तान
51. ट्यूनीशिया
52. यूगाण्डा
53. संयुक्त राज्य अमरीका
54. वेनेजुएला
55. वियतनाम
56. यमन
57. जाम्बिया
58. जिम्बाब्वे

गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

1765. डा. धीरेंद्र अग्रवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु झारखंड में गैर-सरकारी संगठनों को कोई वित्तीय अथवा अन्य सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इस समीक्षा के दौरान सरकार के ध्यान में कौन सी खामियां आई तथा उक्त खामियों के लिए जिम्मेदार गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक 112.5 लाख रुपये जारी किए गए।

(ग) संबंधित राज्य की राज्य स्वास्थ्य सोसायटी गैर सरकारी संगठनों के कार्य की समीक्षा करती है।

(घ) राज्य से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रदूषित नदियों की सफाई करना

1766. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री उदय सिंह :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसी कुछ नदियों की पहचान की है जो सबसे अधिक प्रदूषित हैं तथा जिनकी तत्काल सफाई किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदूषित नदियों की सफाई हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या मंत्रालयों तथा संबद्ध राज्यों के साथ परामर्श से एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2001 में एक अध्ययन किया गया था। जिसमें सारे देश में नदियों के 71 प्रदूषित स्थलों की पहचान की गई थी जिनकी कार्बनिक प्रदूषण सूचक पैरामीटर की प्रमुख बायोकेमीकल आक्सीजन मांग (बी.ओ.डी.) 6 मि.ग्रा./1 से अधिक पाई गई।

(ग) से (ङ) चालू पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत परिव्यय के आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रदूषण निवारण कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए बजट में 254 करोड़ रु. धनराशि का प्रावधान है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में 20 राज्यों में फैली 35 अभिनिर्धारित नदियों के प्रदूषित किनारों पर स्थित देश के 164 शहर शामिल है। इसकी स्वीकृत लागत 4793 करोड़ रुपये है इसमें संबंधित राज्यों के हिस्सों के व्यय सहित जून, 2007 तक 2617 करोड़ रु. व्यय किए जा चुके हैं। इसके लिए प्रदूषण उपशमन कार्यों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा नामांकित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। केन्द्र और राज्य स्तर पर एक बहुस्तरीय मानीटरिंग तंत्र समय-समय पर नए कार्य शुरू करने, निधिकरण पैटर्न और प्रगति के नीतिगत मुद्दों की समीक्षा करता है।

[हिन्दी]

कैट के विरुद्ध दर्ज अपील

1767. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के निर्णयों के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा दर्ज अपीलों की संख्या कितनी है और उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों में उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार के विरुद्ध निर्णय दिए हैं;

(ख) उच्च पदाधिकारियों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई की गयी है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने केन्द्र सरकार के कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के निर्णयों के विरुद्ध दर्ज अपीलों तथा जिन मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा केन्द्र सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया गया है, की संख्या का ब्यौरा

केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता। फिर भी, 2003 से जून, 2006 की अवधि के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ द्वारा रखी गई जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार ने 2362 अपीलें दायर की जिनमें केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) प्रोफार्मा पार्टी था जिनमें से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के 1167 निर्णयों को उच्च न्यायालय द्वारा सही ठहराया गया।

(ख) कार्रवाई, अनुशासनिक नियमावली के अनुसार की जाती है।

(ग) इस तरह के आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते।

[अनुवाद]

ऑर्गेन रिट्रिवल बैंक आर्गेनाइजेशन

1768. **श्री पी. मोहन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दरों में आर्गेन रिट्रिवल बैंक आर्गेनाइजेशन (ओआरबीओ) शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ओआरबीओ खोले जाने की संभावना है;

(घ) इसके लिए बजट अनुमान कितना है;

(ङ) ऐसे ओआरबीओ के लिए मानव अंग प्राप्त करने के तौर तरीके क्या होंगे;

(च) क्या विद्यमान कानून इस प्रकार के मानव अंग प्रत्यपर्ण की अनुमति देते हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) ऑर्गेन रिट्रिवल बैंकिंग आर्गेनाइजेशन देश का एक राष्ट्रीय सुविधा एवं नोडल केन्द्र है जो पहले से ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस), नई दिल्ली में कार्य कर रहा है। ऑर्गेन रिट्रिवल आर्गेनाइजेशन के साथ 15 अस्पतालों (सरकारी, सार्वजनिक एवं धर्मार्थ) का एक नेटवर्क दिल्ली में अंग दान एवं प्रत्यारोपण की प्रक्रिया के सुचारू कार्यकरण और समन्वयन के लिए सृजित किया गया है।

(ग) से (छ) भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

जन विकास योजनाओं के लिए वन भूमि का उपयोग

1769. **श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने उनके द्वारा प्रयोग में ली जा रही वन भूमि के बदले में उसके बराबर माप की भूमि प्रदान करने की अनुमति देने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इसके आलोक में केन्द्र सरकार का विचार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) जी नहीं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में किसी भी राज्य/संघ शासित क्षेत्र से अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

इको-क्लबों की स्थापना किया जाना

1770. **श्री रामदास आठवले : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय हरित सेना खड़ी करने तथा पर्यावरण के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए देश के सभी जिलों के विद्यालयों में 'इको-क्लब' स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक जिले में चिन्हित किए गए विद्यालयों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस पर राज्य-वार कितना व्यय होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) सरकार द्वारा स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नेशनल ग्रीन कोपर्स (एन.जी.सी.) के अंतर्गत वर्ष 2000-01 से स्कूलों में पारि-क्लबों की स्थापना की गई है। इन क्लबों की स्थापना देश के प्रत्येक जिले में की जाती है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी द्वारा कार्योन्मुख पर्यावरण कार्यक्रम पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। यद्यपि राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें किसी जिले में चाहे जितनी संख्या में पारिक्लब स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रति जिला 250 पारिक्लबों तक तथा प्रति-पारिक्लब 2500/- रु. प्रति वर्ष तक सीमित है।

(ग) प्रत्येक जिले में चिन्हित किए गए स्कूलों के नामों का रखरखाव राज्य की नोडल एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की नोडल एजेंसियों को राज्यवार जारी किए गए अनुदानों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(23.11.2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	राशि (लाख रु.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	156.97
2.	बिहार	195.98
3.	छत्तीसगढ़	107.41
4.	चंडीगढ़	3.23
5.	गुजरात	177.12
6.	कर्नाटक	231.9
7.	मध्य प्रदेश	321.6
8.	मणिपुर	36.63
9.	मिजोरम	34.47
10.	नागालैंड	52.47
11.	पांडिचेरी	14.77
12.	पंजाब	135.52
13.	राजस्थान	214.4
14.	तमिलनाडु	201.08
15.	त्रिपुरा	16.8
16.	पश्चिम बंगाल	123.5

भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना

1771. **श्री असादूद्दीन ओवैसी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने भारत को ईरान से प्राकृतिक-गैस भारत लाने वाले निर्धारित पाइपलाइन परियोजना पर आगे नहीं बढ़ने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ईरान और पाकिस्तान के साथ पाइपलाइन परियोजना पर बातचीत करता रहा है। त्रिपक्षीय संयुक्त कार्यदल की छठी बैठक दिल्ली में 28-29 जून, 2007 को आयोजित की गई। अब तक भारत पाकिस्तान संयुक्त कार्यदल की तीन बैठकें और भारत-ईरान विशेष संयुक्त कार्यदल की पांच बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। मूल्य निर्धारण फार्मूले, पारगमन शुल्क और परिवहन टैरिफ सहित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, गांधीधाम के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, गांधीधाम के वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 7405/2007]

(2) (एक) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 7406/2007]

(3) (एक) जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 7407/2007]

(4) (एक) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 7408/2007]

(5) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 7409/2007]

(6) (एक) मुर्मुगाव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुर्मुगाव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 7410/2007]

(7) (एक) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2006-07 के कार्याकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 7411/2007]

(9) (एक) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 7408/2007]

(10) (एक) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलौर के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलौर के वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 7412/2007]

(11) (एक) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई के वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 7407/2007]

(12) (एक) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 7413/2007]

(13) (एक) टैरिफ अथारिटी फॉर मेजर पोर्टस, मुंबई के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टैरिफ अथारिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 7414/2007]

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-08 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 7415/2007]

(दो) नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-08 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 7416/2007]

(2) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 7417/2007]

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पंचायती राज अभियान में युवा-एक प्रतिवेदन

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 7418/2007]

(दो) दक्षिण क्रांति (दक्षिण भारत में स्वतंत्रता संग्राम)

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 7419/2007]

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं-

(1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ़) नियम, 2007, जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 22 के अंतर्गत 8 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 698(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिये* संख्या एल.टी. 7420/2007]

(2) संविधान के अनुच्छेद 323(11) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का 57वां वार्षिक प्रतिवेदन

(दो) प्रतिवेदन के अध्याय 10 में उल्लिखित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को स्वीकार न किए जाने के कारण बताने वाला ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 7421/2007]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1383(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13,17 और 48 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 1583(अ) जो 10 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (हवेरी-हुबली खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1452(अ) जो 23 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलबगल-कोलार-बंगलौर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 1590(अ) जो 25 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (कोटा बाईपास खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1817(अ) से का.आ. 1820(अ) जो 25 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (महुआ-जयपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छह) का.आ. 1828(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या का. आ. 602(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का.आ. 1464(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जीरकपुर-परवानू खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1465(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 जनवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 86(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ. 1429(अ) जो 20 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (संबलपुर-रायपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(दस) का.आ. 1427(अ) जो 17 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधम तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1733(अ) जो 11 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1819(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का.आ. 1766(अ) जो 17 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के विभिन्न खण्डों (खालघाट-मध्यप्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खंड) के निमार्ण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1315(अ) से का.आ. 1318(अ) जो 1 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के विभिन्न खण्डों (खालघाट-मध्यप्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1567(अ) जो 18 सितम्बर,, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 और 22 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 1209(अ) जो 25 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में बाइपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दुर्ग-नागपुर खंड) के निमार्ण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1829(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (नालबाड़ी-बिजनी खंड) के निर्माण (चौड़ा

करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1830(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (जागीरोड- ठेकेरागुरी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 1535(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।

(उन्नीस) का.आ. 1578(अ) जो 20 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (नेलामंगला-हसन खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 1835(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (नेलामंगला-हसन खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक से तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिये संख्या एल.टी. 7422/2007]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1735(अ) जो 11 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(दो) का.आ. 1737(अ) जो 11 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 1736(अ) जो 11 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दमण, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के लिए संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण का गठन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिये संख्या एल.टी. 7423/2007]

अपराह्न 12.01½ बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 7 नवम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय

बॉयलर (संशोधन) विधेयक 2007 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 27 नवम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 10 सितम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए वायुयान (संशोधन) विधेयक 2007 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।''

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 27 नवम्बर 2007 को यथापारित भारतीय बॉयलर (संशोधन) विधेयक 2007 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 32वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2007-08) के 14वें और 15वें (की गई कार्यवाही) प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा उनसे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

इक्कीसवां और बाईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) भाइतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का इक्कीसवां प्रतिवेदन अवसंरचना और प्रचालनात्मक सुविधाओं की समीक्षा, और

(2) कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (14वीं लोक सभा) के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) सुश्री तस्लीमा नसरीन का भारत में ठहरना

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं सदन को एक ऐसे मसले पर भारत सरकार के दृष्टिकोण से अवगत करना चाहता हूं जिसने हाल के दिनों में लोगों का पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया है। जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं, बांग्लादेश की प्रख्यात लेखिका सुश्री तसलीमा नसरीन कुछ समय से भारत में हैं। भारत ने अपने पूरे इतिहास काल में ऐसे किसी को कभी भी आश्रय देने से इंकार नहीं किया है जो यहां आए हैं और हमारी सुरक्षा चाही है। यह सभ्यतामूलक विरासत, जो कि अब सरकार की नीति है, जारी रहेगी और भारत सुश्री नसरीन को आश्रय देगा। जिन्हें यहां पर आश्रय दिया गया है उन लोगों ने सदैव ही भारत में राजनीतिक क्रियाकलापों अथवा ऐसे किसी कार्य से दूर रहने का वचन दिया है जिससे कि मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को क्षति पहुंचती हो। यह भी आशा की जाती है कि अतिथिगण ऐसे क्रियाकलापों एवं बातों से दूर रहेंगे जिससे कि हमारे देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे।

जब तक ये अतिथिगण भारत में होते हैं, संघ और राज्य सरकारें उन्हें संरक्षण प्रदान करती हैं। यह नीति सुश्री तसलीमा नसरीन के मामले में भी लागू होगी।...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : इस समय वह कहां हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, बांग्लादेश की लेखिका सुश्री तसलीमा नसरीन को बंगाल से निकाल राजस्थान भेज दिया लेकिन वहां से दिल्ली लाया गया। अब दिल्ली से कहां ले जाया गया है और उसे कहां रखा है? वे सेफ हैं, नहीं हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोका जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (त्रिपाठी) : इस समय वे कहां ठहरी हुई हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : बंगाल से राजस्थान लाया गया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सब चाहते है कि इस पर चर्चा की जाए तो यह चर्चा उचित ढंग से की जानी चाहिए। सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि इसकी एक प्रक्रिया है। यह चर्चा अभी नहीं की जा सकती है। आपकी टिप्पणियां कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित कर ली गई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं महत्वपूर्ण मामलों पर आता हूं।

श्री कीरेन रिजीजू, इसके अलावा और कुछ कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : एक उपयुक्त प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है। मैंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है।

(व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 7424/2007]

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। उड़ीसा में एक गंभीर घटना हुई है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रिजीजू, माननीय मंत्री जी असम पर पहले ही एक वक्तव्य दे चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बगैर बोला गया कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यदि आप इस प्रकार व्यवहार करेंगे तो मैं सभा को स्थगित कर दूंगा और चला जाऊंगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बहुत दुखद बात है। यह अत्यंत दुखद बात है। मैं अपनी क्षमता और उपलब्ध समयानुसार सबको बोलने का समय देने का पूरा-पूरा प्रयास कर रहा हूं लेकिन यदि आप सब इस प्रकार खड़े हो जायेंगे तो कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.03 बजे

(इस समय श्री अर्जुन सेठी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : एक और मद ली जानी है। श्री अय्यर, मुझे खेद है कि आप को कुछ वक्तव्य सभा पटल पर रखने थे। अब आप उन वक्तव्यों को सभा पटल पर रख सकते हैं।

(दो) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 169वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : महोदय, मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश पर 73 ए के लोक सभा बुलेटिन-भाग-2 दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के अनुपालन में, मानव संसाधन विकास (14वीं लोक सभा) पर स्थायी समिति की 169वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

मानव संसाधन विकास पर स्थायी समिति की 169वीं रिपोर्ट लोक सभा में दिनांक 13.12.2005 को रखी गई थी। यह रिपोर्ट समिति की सिफारिशों/निष्कर्षों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शाई गई है, जिसे सभा पटल पर रखा गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.08½ बजे

(तीन) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 185वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

[अनुवाद]

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : महोदय, मैं लोक सभा बुलेटिन भाग-2 दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के द्वारा दिए गए माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73 ए के अनुसरण में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति (14 वीं लोक सभा) की 185 वीं रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं।

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति की 185 वीं रिपोर्ट 30.11.2006 को लोक सभा के पटल पर रखी गयी थी। रिपोर्ट समिति की टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न टिप्पणियों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शायी गयी है, जो सभा पटल पर रखा गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा मान लिया जाए।

अपराह्न 12.08¾ बजे

(चार) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 190वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : महोदय, मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश पर 73 ए के लोक सभा बुलेटिन-भाग-2 दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के अनुपालन में, मानव संसाधन विकास (14वीं लोक सभा) पर स्थायी समिति की 190वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

मानव संसाधन विकास पर स्थायी समिति की 190वीं रिपोर्ट लोक सभा में दिनांक 1.3.2007 को रखी गई थी। यह रिपोर्ट समिति की सिफारिशों/निष्कर्षों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शाई गई है, जिसे सभा पटल पर रखा गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7425/2007

**सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7426/2007

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7427/2007

अपराह्न 12.09 बजे

(पांच) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 195वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : महोदय, मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश पर 73 ए के लोक सभा बुलेटिन-भाग-2 दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के अनुपालन में, मानव संसाधन विकास (14वीं लोक सभा) पर स्थायी समिति की 195वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

मानव संसाधन विकास पर स्थायी समिति की 195वीं रिपोर्ट लोक सभा में दिनांक 4.5.2007 को रखी गई थी। यह रिपोर्ट समिति की सिफारिशों/निष्कर्षों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शाई गई है, जिसे सभा पटल पर रखा गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.09½ बजे

(छह) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 127वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

[अनुवाद]

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष लोक-सभा के दिशा-निर्देश 73 'क' के अनुसरण में गृह मंत्रालय की विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 127वीं रिपोर्ट में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों (2007-08) के संबंध में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति संबंधी विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

2. गृह मंत्रालय की स्थायी समिति (उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की वर्ष 2007-08 के लिए अनुदान मांगों की जांच की और इस संबंध में अपनी 127वीं रिपोर्ट 8/5/07 को प्रस्तुत की।

3. समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों/अवलोकनों के संबंध में की गई कार्रवाई के ब्यौरे गृह मंत्रालय की स्थायी समिति को 07/08/07 को भेज दिए गए थे।

4. समिति द्वारा उक्त रिपोर्ट में ऐसी 21 सिफारिशें की गई हैं जिनमें सरकार की तरफ से कार्रवाई अपेक्षित है। ये सिफारिशें मुख्य रूप से विकासात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अव्ययगत केंद्रीय संसाधन पूल (एन.एल.सी.पी.आर.) के अंतर्गत उपलब्ध निधियों के उपयोग, कुछ मंत्रालयों को एन.एल.सी.पी.आर. समग्र निधि में योगदान के लिए दी गई छूट की समीक्षा करने, एन.ई.सी. को अतिरिक्त निधियां आबंटित करने तथा एडवोकेसी एवं प्रचार तथा क्षमता निर्माण स्कीम के तहत इसकी चल रही परियोजनाओं की पुनरीक्षा, नवनीत परियोजनाओं के आरंभ तथा पायलटों और विमान परिचारिकाओं के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शीघ्र आरंभ करने के लिए तथा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय के बजट से 10 प्रतिशत ऋण भाग को जारी करने की पुनर्बहाली के लिए, नेरामेक के सुदृढ़ीकरण, पहाड़ी क्षेत्र विकास तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को संबद्ध मंत्रालयों को अंतरित करने के लिए, एन.ई.आर. को सुरक्षित गंतव्य के रूप में प्रक्षेपित करते हुए पर्यटन के उन्नयन, एन.ई.आर. में नागरिक विमानन कार्यकलापों को प्राथमिकता तथा विशेष प्रोत्साहन के अनुसार एन.ई.आर. में मौजूदा विमान पत्तनों का उन्नयन करने, तेजू में विमान पत्तन स्थापित करने की परियोजना, लीलाबाड़ी में पायलट संस्थान स्थापित करने, त्वांग में रोपवे स्थापित करने की औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र के उन्नयन की परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने ''विजन दस्तावेज-2020'' में राष्ट्रीय स्तर के क्रीड़ा विद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे संस्थान शामिल करके तथा क्षेत्र में उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य अवस्थापना के विस्तार हेतु क्षेत्र में और मेडिकल कॉलेज स्थापित करने तथा व्यापार आदि के उन्नयन से संबंधित हैं।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7428/2007

**सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7429/2007

[श्री मणि शंकर अय्यर]

5. समिति की विभिन्न सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति को मेरे द्वारा सदन के पटल पर रखे गए ब्यौरे के अनुबंध में दर्शाया गया है। मैं इस अनुबंध के सारे विषयवस्तु को पढ़कर सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा गया माना जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे से संबंधित नोटिस मेरे पास आने दीजिए, मैं इस पर विचार करूंगा। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं उड़ीसा-विरोधी हूं? कृपया इसे उचित ढंग से कीजिए।

[हिन्दी]

यहां से बोलकर क्या होगा? प्लीज इनको समझिए।

[अनुवाद]

मैं आपको बुलाऊंगा। मुझे इसके बारे में वास्तव में खेद है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए***]**

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैंने कल गृह मंत्री जी का बयान ध्यान से सुना और जो देखा, उससे मुझे दुख इस बात का हुआ कि मूल घटना जिस कारण से हुई और उसका जो नतीजा हुआ, वह स्टेटमेंट के जरिए से प्रकट नहीं हुआ। पिछले दो-तीन दिनों में पूर्वोत्तर की, खासकर असम की जो छवि प्रैस के माध्यम से आई है, वह भी बहुत गलत तरीके से पेश की गई है। उससे ऐसा लगता है कि पूर्वोत्तर में औरतों की इज्जत कम हो गई है। जो तस्वीर दिखाई गई है, उससे भी पोजीशन बहुत डिस्टर्ब हुई है। मैं तो यह सोच रहा था कि इस घटना के बाद, केन्द्र से कोई बड़ा दल इमीडिएटली भेजने के लिए सरकार सोचेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

सर, हैदराबाद, मुम्बई या उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना घटती है, तो प्रधान मंत्री से लेकर, श्रीमती सोनिया गांधी तक सब बड़े-बड़े नेता वहां पहुंचते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर में इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी कोई नहीं पहुंचता। इसका मतलब यह है कि उसका कोई महत्व नहीं है। पिछले सात साल से आज तक, जो मैं लगातार देखता आ रहा हूं, उससे मुझे लगता है कि कहने को तो कह दिया जाता है कि पूर्वोत्तर हमारे दिल में बसता है और हम उसके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जब वहां कोई ऐसी घटना घटती है, तब उस पर जितना ध्यान आपको देना चाहिए, उतना नहीं दिया जाता है।

महोदय, प्रधान मंत्री जी की वह अपनी कांस्टीट्यूएंसी है। माननीय प्रधान मंत्री असम से एम.पी. हैं। असम की कैपीटल गुवाहाटी में और दिसपुर में जो नंगा नाच हुआ, उसके दृश्य किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किए जा सकते। हकीकत तो यह है कि आदिवासियों की जो डिमांड है, मैं उस डिमांड की डिटेल्स में इस समय नहीं जाना चाहता हूं। वह डिमांड एक अलग विषय है। उस डिमांड को लेकर वहां हजारों की तादाद में लोग डिमांस्ट्रेशन कर रहे थे और वहां केवल एक असिस्टेंट इंस्पैक्टर और चार कांस्टेबल थे। आप सोचिए, जब गुवाहाटी में सिक्योरिटी का यह हाल है, तो पूर्वोत्तर के असम के गांवों की क्या हालत होगी। पिछली बार आपने कार्बियांगलौंग वगैरह में देखा होगा कि क्या स्थिति हुई। चार पुलिस स्टेशन और पूरे जिले को देखना है। यह सब सरकार की नाकामयाबी की एक बहुत बड़ी झलक है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आज सदन में अपनी भावनाएं

प्रकट करना चाहता हूं कि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होने पर भी आप पूर्वोत्तर के लिए कहते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वहां शांति लाइए। जब तक शांति नहीं लाएंगे, तब तक विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मैं दो-तीन मांगें करना चाहूंगा। राज्य सरकार ने जुडीशियल प्रोब के लिए आर्डर दिए हैं। मैं पहली मांग यह करना चाहता हूं कि घटना की डिटेल्स को देखते हुए वहां सी.बी.आई. इन्क्वायरी होनी चाहिए। मैं सी.बी.आई. की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। जो आदिवासियों की टोली जा रही थी, उसे कैसे प्रवोक किया गया और उसके बाद क्या घटना हुई, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब तक आप इस विषय की तह में नहीं जाएंगे, तब तक असलियत का पता नहीं चलेगा। कल सरकार ने अपनी तरफ से तो कह ही दिया कि *[अनुवाद]* हिंसा आदिवासियों द्वारा फैलायी जाती है।

[हिन्दी]

चर्चा से पहले ही आपने इनडाइटमेंट कर दिया यह गलत है।

महोदय, उस प्रासेशन में आदिवासियों ने किसी की गाड़ी तोड़ी, किसी का घर तोड़ा है, तो मैं उसे भी कंडैम करता हूं, लेकिन उन्हें प्रोवोक क्यों किया गया और जो रिपोर्ट आई है, मैं एलीगेशन नहीं लगाना चाहता हूं, उस रिपोर्ट के अनुसार कुछ एन.एस.यू.आई. के लड़के ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसद सदस्य, क्या मैं आपको यह सुझाव दे सकता हूं कि मैं इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने की अनुमति दूंगा? अतः इसके लिए यदि आप नोटिस देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने भी एक नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने इस विषय पर आज तक नोटिस दे दिया है ऐसे प्रत्येक सदस्य को मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दूंगा। मैं आप सब को बोलने का मौका दूंगा लेकिन इस समय नहीं क्योंकि संबंधित मंत्री इसका उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं। अतः मैं आपके इस मुद्दे पर आगामी सोमवार को बोलने की अनुमति दूंगा।

यदि आप चाहते हैं, तो मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत चर्चा करने की अनुमति दे सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक विशेष मामले के तौर पर, मैं इस विषय पर आज तक नोटिस देने वाले प्रत्येक सदस्य को बोलने की अनुमति दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सर, मैं कालिंग अटेंशन की डिबेट में हिस्सा लूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मुद्दे पर आपको सोमवार को बोलने की अनुमति दूंगा। मुझे लगता है कि आपको बोलने के लिए बेहतर अवसर मिलेगा। उसकी सूचना मेरे पास है। मुझे छः और माननीय सदस्यों के नोटिस मिले हैं। एक विशेष मामले के तौर मैं उन्हें बुलाऊंगा क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू : ठीक है, अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि इस घटना की सी.बी.आई. इन्क्वायरी करवाई जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको मौका दूंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया इस मामले पर नोटिस देने वाले सदस्यों के नाम पढ़ दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि इस महत्वपूर्ण मामले पर नोटिस देने वाले सदस्यों को सोमवार को मौका दिया जाएगा। मैं और क्या कर सकता हूं। मैं आपको शून्यकाल के बजाय बोलने के लिए बेहतर अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा। मुझे सभी का सम्मान करना है। मैं आपको भी बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री सर्बानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़) : महोदय, कृपया मुझे एक मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया है। उसमें किसी बात का हवाला दिया गया है। आज बुधवार है। एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। मैं आपको इस मसले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बुलाऊंगा। यही सर्वोत्तम तरीका है। मैं श्री सोनोवाल को भी बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, उन लोगों का नाम पढ़ दीजिए, जिन्होंने नाम दिए हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.36 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में हिन्दी के उपयोग के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने नोटिस दिया है, उन्हें बुलाया जाएगा।* अब मैं श्री कृष्णास्वामी को मौका दे रहा हूं। मैं समझता हूं कि अब आप खेद व्यक्त करेंगे। कृपया, देश को कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आपने जो कुछ किया उसके लिए आपको खेद है।

(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर) : महोदय, मुझे खेद है। महोदय, मुझे यह जानकार आश्चर्य हुआ कि संसद की राजभाषा समिति ने विधि विभाग से सिफारिश की है कि हिन्दी को राजभाषा के रूप में और सशक्त बनाया जाए ताकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में डिग्री के मामले में न्याय-निर्णयन की भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जा सके।...*(व्यवधान)*

महोदय, मुझे यह जानकर भी दुःख हुआ कि विधि-कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों की गंभीरता की सदन में जांच किए बगैर तथा उन पर देश के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों की राय जाने बगैर उन्हें संयुक्त सचिव और विधि परामर्शदाता, विधायी विभाग से 29 मार्च, 2006 के एक नोट के साथ* भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष को विधि आयोग की राय जानने के लिए भेज दिया है. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नाम को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। इसे हटा दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी : केन्द्र सरकार के इस कदम से ऐसे समय पर धक्का लगा है जबकि तमिलनाडु के डी.पी.ए. के माननीय नेता और डी.एम. के अध्यक्ष, डा. कलइगनर एम. करूणानिधि संबंधित माननीय उच्च न्यायालयों में तमिल सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करने के लिए प्रधान मंत्री महोदय से आग्रह कर चुके हैं।...*(व्यवधान)*

इसलिए भारत सरकार द्वारा उठाए गये इस कदम को रोक दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे सवालों को यहां उठाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि हिन्दी राष्ट्रीय भाषा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ जी, आप छोड़िए, उनको बोलने के लिए टाइम दिया हुआ है, आप क्यों नहीं मानते हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इतना ही पर्याप्त है।

श्री एस.के. खारवेंथन, श्री के. सुब्बारायण, डा. सेंथिल, श्री बेल्लारमिन, श्री रविचन्द्रन इस मामले पर उनके विचारों से अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन। मैंने आपको एक मौका दिया है। आप सभी के नाम कार्यवाही वृत्तांत में शामिल कर लिए गए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. कृष्णन और श्री पी. मोहन भी इस मसले पर उनके विचारों से अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना-अपना नाम दें उनके नाम कार्यवाही वृत्तांत में शामिल कर दिए जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : हम इन टिप्पणियों से सहमत नहीं है...*(व्यवधान)* हिन्दी इस देश की राजभाषा है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : मैं भी अपने को इससे डिस-एसोसिएट करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोई भी सदस्य किसी दूसरे सदस्य के विचार मानने के लिए बाध्य नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा की कार्यवाही चलने दीजिए। श्री प्रभुनाथ सिंह, इसे छोड़िए। हिन्दी को कौन प्रभावित कर सकता है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति दी है, और उसके बावजूद भी आप व्यवधान डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. कृष्णन, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। केवल श्री रामजीलाल सुमन द्वारा कही गई बातों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री पोन्नुस्वामी, कृपया अपने स्थान पर जाइए। मंत्री महोदय की बात सुनिए।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, प्रत्येक संसदीय समिति और भारत के प्रत्येक आयोग को संसद या सरकार द्वारा नियुक्त की गई किसी भी समिति की सिफारिशों की जांच करने का अधिकार है। लेकिन अंतिम निर्णय सरकार, जो कार्यकारी तंत्र है और सभा के प्रति जवाबदेह हैं, द्वारा ही लिया जाता है। मैं ऐसी सिफारिशें अखबारों में भी पढ़ता हूं। हम राष्ट्र की एकता के प्रति काफी गंभीर हैं। हम हिन्दी और तमिल सहित संविधान में वर्णित सभी भाषाओं का सम्मान करते है...*(व्यवधान)* सरकार ने अपने पूर्व निर्णय को बदलने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सुप्रीम कोर्ट में हिन्दी में काम नहीं हो रहा है। वहां भी हिन्दी में काम करने को एलाऊ किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह आपका विचार है। उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। आपको अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें कुछ काम चाहिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सन् 2002 से वैट कर लगाये जाने की प्रक्रिया शुरू हुई और इस सम्मानित सदन में भी इस पर चर्चा हुई थी। यह बिक्री कर और सरचार्ज आदि के स्थान पर लगाये जाने वाला कर है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया केन्द्रीय कानून देखें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे देश में कर का ढांचा एक जैसा हो, यही इस वैट को लगाये जाने का मकसद था। श्री असीम दास, जो पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और कमेटी उसका एक मॉडल तैयार किया गया, जो विभिन्न राज्यों को भेजा गया और उनसे यह अपेक्षा की गई कि इस मॉडल के इर्द-गिर्द ही राज्य सरकारें वैट लगाने का काम करेंगी।

उत्तर प्रदेश में आज और कल वैट के खिलाफ बन्द रहा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि एक दिसम्बर से उत्तर प्रदेश में वैट प्रस्तावित है, उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और राजस्थान, का वैट अलग है। उ.प्र. में सबसे पहले सर्वे होगा। उत्तर प्रदेश में जो वैट लगाया जा रहा है, उसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है और सबसे अधिक अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो वैट का प्रारूप भेजा था, उसको भारत सरकार ने बिना देखे अनुमोदित कर दिया है। जब वैट लगाने की बात शुरु हुई तब कुछ चीजों को चिन्हित किया गया था कि ये वैट के दायरे में रहेंगी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, वह वैट के दायरे से अलग रहेगी। मैं यह निवेदन कर रहा था कि कुछ चीजों को चिन्हित किया गया था, जो वैट के दायरे में रहेंगी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं, वे वैट के दायरे से मुक्त रहेंगी। कपड़े पर वैट, रोटी पर वैट, गेहूं पर वैट, कफन पर वैट, यह आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है।

मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत गम्भीर मामला है। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों में आक्रोश है। 90 फीसदी छोटे और लघु व्यापारी इसके खिलाफ हैं और उत्तर प्रदेश में इससे तनाव पैदा हो रहा है। वहां कल भी बन्द था और आज भी बन्द है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इतना ही पर्याप्त है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : उत्तर प्रदेश में बहुत तनाव है। हम भारत सरकार से अपेक्षा करेंगे कि भारत सरकार इसका संज्ञान ले और जो वैट लगाये जाने जो प्रारूप निश्चित हुआ है, जो मॉडल तैयार किया गया है, उसी के इर्द-गिर्द वैट लगाया जाये और भारत सरकार ने जो वैट लगाने के लिए अनुमोदित किया है, उसे वापस लेना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चौधरी बिजेन्द्र सिंह; उपस्थित नहीं; श्री गणेश सिंह; उपस्थित नहीं। श्री सैयद शाहनवाज हुसैन। आप विद्युत की कमी से संबंधित दूसरे मामले का जिक्र करना है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो पावर ग्रिड है, उसके जरिये बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड को भूटान के ताला से विद्युत दी जाती है और जब वहां पानी घट जाता है तो उसकी वजह से बिजली घट जाती है और उसका नुकसान सबसे ज्यादा बिहार को हो रहा है। बिहार को जहां ताला से 260 मैगावाट बिजली मिलती है, जाड़े में वह 51 मैगावाट हो जाती है और बिहार को ट्रांसमिशन चार्ज भी सात करोड़ रुपये देना पड़ता है। बिजली भी नहीं मिलती है और सात करोड़ रुपया भी देना पड़ता है। उसी तरह का लास बंगाल और उड़ीसा को भी होता है।

मैं आपके जरिये यह अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार में कहलगांव है, जो भागलपुर में है, जहां से मैं सांसद हूं, वहां एन.टी.पी.सी. का प्रोजैक्ट है। कहलगांव से बिजली दिल्ली को 12 परसेंट मिल रही है, उत्तर प्रदेश को 19 परसेंट, पंजाब को 12 परसेंट और बिहार, बंगाल और उड़ीसा को जो वहां से बिजली मिलनी चाहिए, मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार को जो 1170 मैगावाट बिजली केन्द्र से मिलनी चाहिए, उसकी जगह 700 मैगावाट मिल रही है। उस 700 मैगावाट में से भी 85 मैगावाट रेलवे को देनी पड़ती है, 60 मेगावाट नेपाल को देनी पड़ती है और 100 मैगावाट डिफेंस को देनी पड़ती है तो बिहार को 1700 मैगावाट की जो जरूरत है, उसकी जगह 450 मैगावाट बिजली मिल रही है। खासकर जहां पर एन.टी.पी.सी. का प्रोजैक्ट है, मेरे क्षेत्र भागलपुर में, वहां भी अंधेरा

है। उसमें वहीं का पानी है, वहीं के लोग हैं, वहां पोल्यूशन फैल रहा है और हमारे क्षेत्र में अंधेरा है, पूरे बिहार में अंधेरा है। लोगों ने उम्मीद की थी, जब हमारी सरकार थी तो केन्द्र से कहलगांव से बिजली बिहार को दी जाती थी और जब आज यू.पी.ए. की सरकार केन्द्र में है तो...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपने संसदीय क्षेत्र के लिए सबसे बेहतर रोशनी हैं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : महोदय, मैं आपके जरिए यह कहना करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री उदय सिंह (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको उनके द्वारा उठाए गए मामले से संबंद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार ने 15 साल के बाद उजाले की कदम बढ़ाया है। बिहार में अंधेरा खत्म हो। बिहार में लोग लालटेन युग में मर रहे हैं, वहां बिजली का बल्ब दिखे, इसके लिए प्रयास होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रामकृपाल यादव जी, आप कृपया बैठ जाइए।

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़) : महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालें। वह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह : महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। 80 प्रतिशत लोग यहां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं। उत्तर प्रदेश इस देश का एक प्रमुख राज्य है। यहां किसानों का प्रमुख कार्य खेती है। अभी रबी की फसल की बुआई का वक्त चल रहा है। पूरे प्रदेश में खाद की समस्या विकराल रूप लेकर खड़ी हो गयी है। पूरे प्रदेश में कोआपरेटिव सैक्टर में एक बोरी खाद नहीं भेजी गयी। किसानों ने जो लोन कोआपरेटिव सोसाइटीज से लिया था, एनएसएसओ से लिया था, उन्होंने समय से उसका भुगतान भी कर दिया, लेकिन भुगतान करने के बावजूद भी किसान वहां पर खाद से वंचित हैं। यही नहीं पूरी-पूरी रात वहां सोसाइटियों पर किसान हजारों की संख्या में पड़े हैं। जनपद मुख्यालयों पर धरने-प्रदर्शन, रेल रोको अभियान भी चल रहे हैं...*(व्यवधान)** मैं कहना चाहता हूं कि खाद की समस्या पूरे देश की समस्या है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार के बारे में उल्लेख न करें। कृपया इसे मेरे पास लाएं।

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह : खाद्यान्न की कमी होगी और जो उत्पादन कम होगा, उससे राष्ट्र के सामने एक बड़ा भारी संकट पैदा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात किसानों की आर्थिक स्थिति दुर्दशा के पैमाने पर पहुंच जाएगी। किसान आर्थिक रूप से बर्बाद होगा और उससे खाद्यान्न में कमी आएगी। आने वाले भविष्य में देश के सामने खाद्यान्न का संकट पैदा हो सकता है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने वैजनाथ की रिपोर्ट पर कई हजार करोड़ रुपए प्रदेश सरकार को दिए हैं,...*(व्यवधान)**

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के हितों का ख्याल रखते हुए आप सरकार को...*(व्यवधान)** रबी की फसल की बुआई समय से हो सके और राष्ट्र में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप किसी राज्य सरकार के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आप कृपया इसे मेरे पास लाएं।

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह : और किसानों को आर्थिक रूप से परेशानी का सामना न करना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : भोजपुरी के बारे में कई बार हो चुका है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : 46 माननीय सदस्यों ने सूचना दी है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम यह बात पहली बार सदन में नहीं उठा रहे हैं, बल्कि कई माननीय सदस्यों ने इस बात को उठाया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : और एक बार बोलेंगे तो होल सैशन आपको नहीं बुलायेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : कई बार रघुनाथ झा जी और विजय कुमार मल्होत्रा जी ने इन सवालों पर चर्चा की है और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि न तो अभी संसदीय कार्य मंत्री इस सदन में मौजूद हैं और न ही इस समय गृह मंत्री है।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : एक न एक कैबिनेट मंत्री सदन में होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई रूल नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस समय अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, भोजपुरी के सवाल पर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कम से कम एक कैबिनेट मंत्री को सभा में उपस्थित रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जितना जल्द इस काल को हम समाप्त कर दें, उतना ही बेहतर होगा। यदि मैं कुछ दिन और रह गया तो मैं देखूंगा कि यह समाप्त हो जाए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, इस सवाल पर माननीय गृह मंत्री जी ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि अगले सत्र में भोजपुरी और राजस्थानी भाषा को अष्टम सूची में शामिल करने का बिल लाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : ओके।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अगर ऐसा ओके कर देंगे, तो इधर से होकर निकल जाएगा, इसलिए पहले आप हमारी बात आप सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी पूरी बात सुन लिया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अगर आप ऐसे कहेंगे, तो यह मामला ही हल्का पड़ जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : हल्का नहीं पड़ेगा। हमने हर वक्त मदद की है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, हम चाहते हैं कि आपका इस पर निर्देश हो, ताकि इस मामले में वजन आ जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्रीगण, कृपया भोजपुरी भाषा के बारे में ध्यान दीजिए और देखिए कि क्या स्थिति है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हो गया, अब और क्या करेंगे।

(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, राजस्थानी को भी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया राजस्थान में भी स्थिति का पता लगाएं। मैं स्थिति का पता लगाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, आप सरकार को यह कह दीजिए कि इस सत्र में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने बोला है कि राजस्थानी को भी देखें। आप लोगों को क्या हो गया है?

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा और केन्द्र सरकार के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विटंल के समकक्ष बढ़ाने के लिए एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। पहले इन दो फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में समानता हुआ करती थी।

मैं गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विटंल देने के लिए भारत सरकार की सराहना करता हूं। यह पूरी तरह से न्यायोचित है। धान के आदानों की लागत में किसी अन्य फसल के समान बेतहाशा वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश में प्रति एकड़ धान उत्पादन का व्यय देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। धान का वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की लागत से कम है।

हालांकि सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रु. के बोनस की घोषणा कर दो बार बढ़ोत्तरी की है, फिर भी यह लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस संबंध में सकारात्मक निर्णय ले। मैं सरकार से यह भी आग्रह करूंगा कि वह सूत और अन्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी करें क्योंकि आदानों और कृषि पर अन्य व्यय बढ़ते ही जा रहे हैं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं अपने आपको उनके साथ संबद्ध करना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप नाम का उल्लेख करते हुए पर्ची भेज सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग कीजिए। श्री थामस, आपने सूचना देने की भी जहमत नहीं उठाई और अन्य सदस्यों की सूचनाओं से लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री धर्मेन्द्र प्रधान और श्री बिक्रम केशरी देव अपने आपको इनके साथ संबद्ध करना चाहेंगे।

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नागर विमानन मंत्री का ध्यान यात्रियों की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जो नियमित क्रिया हो गई है। 27 तारीख को प्रकाशित दि टाइम्स आफ इंडिया में भी यह **'डैल्ही टू दुबई इन ओवर टू डेज'** शीर्षक के अंतर्गत छपा है।

महोदय, यह भी छपा है कि शनिवार को दिल्ली-दुबई उड़ान में कई यात्रियों जिनका टिकट था उन्हें अपनी उड़ान के उड़ने के लिए 49 घंटे इंतजार करना पड़ा। ओवर बुकिंग के कारण उन्हें विमान से उतार दिया गया और उन्हें अगले दिन की उड़ान में डाल दिया गया जो पक्षी से टकराने के कारण रद्द हो गई। उन्हें असमंजस की स्थिति में रखा गया और उन्हें अंत में 2 बजे सुबह होटल ले जाया गया। वे 11 बजे पूर्वाह्न हवाई-अड्डे पर वापस आ गए और सोमवार को रात्रि में अंततः उड़ान भरने से पहले उन्हें यहां अगले 10 घंटे इंतजार करना पड़ा। स्थिति आपके सामने है।

अध्यक्ष महोदय : आप सभा में समाचार पत्र नहीं पढ़ सकते हैं।

श्री सांताश्री चटर्जी : महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप कृपया माननीय नागर विमानन मंत्री महोदय से यहां वक्तव्य देने के लिए कहें या ऐसी स्थिति को बने रहने दें। महोदय, मैं इस मामले में आपका हस्तक्षेप चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव, मैं सबसे बेहतर संसद सदस्य का नाम ले रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

जिन व्यक्तियों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, ऐसे व्यक्ति बहुत कम रह गए हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि उस परिवार को राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए। उन परिवारों को ताम्र पत्र मिला है, पैंशन भी मिली है। समाज के वे परिवार, जिन्हें पैंशन मिली, जिन व्यक्तियों को पैंशन मिली वे अब समाप्त हो गए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन परिवारों को गुजारा भत्ता देना चाहिए। चूंकि हमने उन्हें राष्ट्रीय परिवार घोषित किया है, इसलिए उन परिवारों को अपना गुजारा करने के लिए पैंशन राशि का मिलना बहुत जरूरी है। यदि राष्ट्रीय परिवार भूखा मरेगा, दर-दर की ठोकरें खाएगा और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं करेगा तो हम यह नहीं कह सकते कि वह राष्ट्रीय परिवार है। इसलिए मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि जिन्हें राष्ट्रीय परिवार घोषित किया गया है, जिन्हें ताम्र पत्र मिला है और पैंशन दी जा रही थी, जिस व्यक्ति को पैंशन दी गई थी, यदि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो उस परिवार को जीवन पर्यन्त पैंशन राशि दी जानी चाहिए और उनके परिवार के बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों में वरीयता मिलनी चाहिए और सभी प्रदेशों में एक समान पैंशन होनी चाहिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार इसपर निश्चित रूप से विचार करेगी, क्योंकि यह बहुत गंभीर प्रश्न है। जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, अब ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं। इसलिए भारत सरकार इस बारे में जरूर ध्यान दे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अन्य मामलों पर अनुसूचित कार्य की समाप्ति पर विचार किया जाएगा।

अपराह्न 12.53 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(एक) देश में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदत्त मोबाइल सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रघुवीर सिंह कौशल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड सार्वजनिक उपक्रम है। इनकी मोबाइल सेवा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, ब्राड बैंड कनैक्शन मांग के अनुरूप नहीं दिए जा रहे हैं, लाखों गांव डब्ल्यूएलएल टेलीफोन के दायरे से बाहर हैं। इनके कर्मचारी कई बार हड़ताल कर व्यवस्था सुधार और आवश्यक उपकरणों की खरीद की मांग कर चुके हैं। इनकी कमी के कारण मोबाइल मिलता नहीं है, मिल जाए तो आवाज सुनाई नहीं देती, बात होते होते कट जाती है, दुबारा मिलाओ तो मिलता नहीं है।

मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि इसकी गुणवत्ता सुधार के लिए सभी आवश्यक प्रयत्न होने चाहिए। जरूरी उपकरण खरीदे जाने चाहिए, रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए, आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाकर गुणवत्ता सुधार द्वारा उपभोक्ताओं को असुविधा से बचाया जाना चाहिए। इस हेतु प्रभावी कार्रवाई करवाए जाने का श्रम करें।

(दो) महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिलों में बीड़ी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री शिशुपाल एन. पटले (भन्डारा) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में पिछले 50 वर्षो से बीड़ी बनाने का काम चल रहा है। करीबन 2 लाख बीड़ी मजदूर इस उद्योग से जुड़े हैं। बीड़ी कंपनियों द्वारा 14 घंटे काम कराने के बाद भी मजदूरों को प्रति हजार 20 रुपये दिए जाते हैं जबकि न्यायालय के निर्देशानुसार उन्हें 69 रुपये प्रति हजार मिलना चाहिए। बहुत से कामगारों को कम्पनी द्वारा कार्ड नहीं दिए जाते जिसके कारण उन्हें पी.एफ., स्वास्थ्य सुविधा, छात्रों को स्कालरशिप एवं पेंशन से वंचित रहना पड़ता है।

पेंशन देने का कानून काफी पुराना है, जो अभी मंहगाई के हिसाब से अनुकूल नहीं है। वर्तमान में उन्हें 200 रुपये से 300 रुपये तक पेंशन दी जाती है। वह कानून बदलकर सरकार उनकी पेंशन में वृद्धि कर 1500/- रुपये करे तथा उनकी मजदूरी बढ़ाए एवं बीड़ी कार्ड में बढ़ोत्तरी करे।

(तीन) किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें सीधे तौर पर राजसहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश में कृषि पर लगभग 45 हजार करोड़ रुपयों की सबसिडी दी जाती है और यह सब्सिडी खाद कंपनियों को प्राप्त होती है। इस सब्सिडी में इस वर्ष लगभग 60-70 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है। महोदय, देश में लगभग 35 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है, उसके अनुपात में यदि किसानों को प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी प्रदान की जाये तो प्रति एकड़ लगभग 2000 रुपये की सब्सिडी वितरित की जा सकती है। इससे किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार महोदय कृषि के लिए दिये जाने वाले कर्ज की राशि को बढ़ाये जाने का विचार है जबकि पूर्व में ही किसानों को दिया जाने वाला कर्ज किसानों की असमर्थता के कारण लौटाया नहीं जा सका है। अत: महोदय किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार कर्ज तो मिले लेकिन किसान मात्र कर्जदार बनकर न रह जाये बल्कि उसकी कर्ज वापस करने की क्षमता को विकसित किया जाना आवश्यक है। इसलिये आपके माध्यम से मेरी मांग है कि किसानों को दिये जाने वाले कर्ज की प्रस्तावित राशि भी सब्सिडी के तौर पर प्रति एकड़ की दर से यदि दी जाये इससे किसानों को लगभग 7000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी प्राप्त हो सकेगी, परिणामस्वरूप देश के किसानों की माली हालत में सुधार हो सकेगा तथा इसका लाभ देश के लगभग 75 करोड़ ग्रामीणों तक पहुंचेगा।

(चार) मध्य प्रदेश के सागर जिले में चांदिया बांध परियोजना के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर (मध्य प्रदेश) के शाहगढ़ के समीप अपर चंदिया बांध की डूब भूमि में कुछ भूमि वन विभाग की आ रही है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग को एन.ओ.सी. का प्रस्ताव भेजा गया है। इस बांध से न केवल किसान लाभान्वित होंगे बल्कि बहुत बड़े भूभाग में पानी का भराव होने से जहां सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा वहीं पेयजल समस्या का भी निराकरण होगा तथा वहां के जंगली जानवरों को भी एक रमणीक स्थान उपलब्ध होने से उनकी संख्या का भी विस्तार होगा।

अत: केन्द्र सरकार से अपर चंदिया बांध के लिये केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग से एन.ओ.सी. दिलाने का सहयोग करें।

(पांच) उड़ीसा में पनीकोईली से राजामुंडा तक के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 के खंड की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : पनीकोईली से राजामुंडा तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 215 की स्थिति मरम्मत, नवीकरण और उन्नयन पर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने के कारण खराब होती जा रही हैं।

रायसुन से राजामुंडा तक सड़क को चौड़ा किए जाने की तत्काल आवश्यकता की ओर सरकार का बार-बार ध्यान दिलाए जाने के बाद भी उन्नयन नहीं किया गया है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर खनिजों से भरे 1500 से अधिक ट्रक प्रतिदिन आते जाते है। ट्रक मालिक लौह अयस्क की पारादीप तक ढुलाई करने के लिए इसी मार्ग पर निर्भर करते है। इस सड़क पर यातायात प्रतिदिन जाम रहता है जिससे सार्वजनिक परिवहन को बहुत कठिनाई होती है। कई बार यात्री जिला मुख्यालय या जोड़ा और बारबिल खनिज बहुल क्षेत्र तक जाते समय 5 से 10 कि.मी. की दूरी तय करने के लिए घंटो फंसे रहते है। वाणिज्यिक शहर, कटक या राज्य की राजधानी भुवनेश्वर तक जाने वाले लोग समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं।

जब तक इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर नहीं किया जाएगा तब तक इस पारम्परिक रूप से पिछड़े और मुख्यत आदिवासी क्षेत्र के लोग कष्ट झेलते रहेंगे।

चूंकि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए यह राष्ट्रीय राजमार्ग जीवन रेखा है इसलिए मैं मांग करता हूं कि राजामुंडा तर्क इस राजमार्ग के पूरे खंड को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता देकर पूर्ण किया जाए। यातायात की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रस्तावित चारलेन का कार्य भी साथ साथ आरंभ किया जाए।

(छह) राज्यों में जनजातीय उपयोजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता की निगरानी करने के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किए जाने की आवश्यकता

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम) : जनजातीय उप योजना (टीएसपी) को विशेष केन्द्रीय सहायता अनुच्छेद 275(1) के तहत एक संवैधानिक प्रतिबद्धता है। योजना आयोग इसके कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। भारत सरकार राज्यों बजट आवंटित करती है और उनसे किसी शीर्षस्थ अभिकरण के माध्यम से इस योजना

[डा. बाबू राव मीडियम]

के कार्यान्वयन के लिए कहती है। 22 राज्यों में से मात्र 2 राज्य ही ऐसे हैं जहां इस शीर्षस्थ अभिकरण का गठन किया गया है।

अब तक आंध्र प्रदेश में टीएसपी का कार्यान्वयन बिना किसी शीर्षस्थ अभिकरण के किया गया है। काफी समय तक आन्दोलन के पश्चात् सरकार ने पिछले माह नाम मात्र को एक अभिकरण का गठन किया है। यदि मैं राज्य के आवंटन की स्थिति पर ध्यान दूं तो 10वीं योजना के दौरान जारी राशि दिशानिदेशों के अनुरूप नहीं है। 6.6% जनजातीय जनसंख्या के लिए 1.2% आवंटन किया गया है। टीएसपी के तहत शुरू की गई योजनाएं न तो क्षेत्र विशिष्ट के लिए हैं और न ही किसी क्षेत्र के जनजातियों के अनुकूल हैं। उदाहरण के लिए आरंभ की गई छोटी सिंचाई परियोजनाएं अधिकांशत: गैर जनजातीय जनसंख्या के लिए लाभप्रद हैं क्योंकि जनजातीय लोग भूमिहीन हैं। इस योजना के लिए आवंटित निधियो का अक्सर अन्यत्र उपयोग किया जाता है अतएव मैं जनजातीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि टीएसपी निधियों की उपयुक्त शीर्षस्थ अभिकरण के माध्यम से निगरानी की जाए और राज्यों को अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात में निधियां आवंटित की जायें।

(सात) धान उत्पादन क्षेत्रों में खरीद केंद्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन (मदुरै) : पूरे देश में कृषक धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में तुरंत वृद्धि की मांग कर रहे हैं। आदानों जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बिजली, सिंचाई आदि के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई हैं धान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात सामान्य क़िस्म के लिए 645 रुपए प्रति क्विटंल और क ग्रेड के धान के लिए 675/- रुपये प्रति क्विटंल में कृषि की वर्तमान लागत परिलक्षित नहीं होती है। अतएव कृषक मांग कर रहे है कि इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रु. प्रति क्विटंल से अधिक होना चाहिए।

पूरे देश में विशेषत: सभी धान उत्पादक क्षेत्रों में पृथक खरीद केन्द्र तत्काल खोले जाएं।

(आठ) आगरा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय,आगरा विश्व का सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में ताजमहल एवं अन्य मुगलकालीन इमारतों को देखने आते हैं, लेकिन आगरा के खेरिया हवाई अड्डे से कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं है। लगभग 12 हजार पर्यटक प्रतिदिन आगरा आते हैं जिन्हें उड़ान न होने के कारण अत्यधिक असुविधा होती है। भारत सरकार ने विगत दिनों ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर (बुलंदशहर) में स्थापित करने की अनुमति दे दी है जो ग्रेटर नोएडा एवं आगरा के मध्य में स्थित है। यह विशुद्ध रूप से राजनैतिक निर्णय है, विशेषज्ञों का कहना है कि एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट की दूरी कम से कम 200 कि.मी. होनी चाहिए, आगरा में पहले से एनफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और इसकी दिल्ली से दूरी 200 कि.मी. के ही लगभग है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि आगरा के खेरिया हवाई अड्डे को ही विस्तार करके उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्वरूप प्रदान किया जाये।

(नौ) उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित परमानन्द के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदर, उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र के ग्राम-सिकरौध, तहसील-राठ,जनपद-हमीरपुर में प्रांत स्मरणीय महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय प. परमानन्द जी का जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था। इन्होंने देश की आजादी में अपना जीवन समर्पित किया था। स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की। अनेक भाषाओं का ज्ञान होने के कारण इन्हें पंडित की उपाधि से नवाजा गया तथा लगभग 40 वर्ष तक यह देश के विभिन्न जेलों में बंद रहे। 22 वर्ष तक इन्होंने काला पानी (सेल्यूलर जेल, पोर्टब्लेयर) की सजा काटी। आज भी सेल्यूलर जेल में इनके नाम की पट्टिका लगी हुई है। दैनिक लाइट एवं साउंड प्रोग्राम में इन्हें प्रतिदिन याद किया जाता है। देश के प्रति इनके योगदान को देखते हुए जो स्थान एवं सम्मान इन्हें मिलना चाहिए था, वह वहां पर दिखाई नहीं देता जिससे देश की जनता में आक्रोश व्याप्त है। इनको परमानन्द झासी वाले के नाम से जाना जाता था।

अत: सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि पं. परमानन्द जी द्वारा देश के लिए किये गये योगदान की याद को ताजा रखने के लिए एवं इनकी स्मृति को देशवासियों में बनाये रखने हेतु इनके नाम से डाक टिकट जारी किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें।

(दस) पटना में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना किए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न राज्यों में स्थापना हेतु प्रस्तावित छ: एम्स समकक्ष संस्थानों में से एक पटना (बिहार) में स्थापित हो रहा है। एम्स का कार्यक्रम 2002-03 के बजट में बना था। अब करीब पिछले छ: वर्षों में अभी तक जो प्रगति हुई है इससे मालूम होता है कि पटना एम्स अगले 10 वर्षों में भी बन जाये तो अतिश्योक्ति होगी। बिहार देश का अति पिछड़ा प्रदेश है। वहां के लोगों को ईलाज के लिए दिल्ली या अन्य जगहों पर जाना पड़ता है। ज्यादातर मरीज गरीबी के कारण अपना इलाज भी नहीं करा पाते हैं और उनकी जान चली जाती है। एक एम्स पटना में बन जाने से बिहार के लोगों को काफी राहत मिलेगी, खासकर दूर दराज के मरीज जो अपना ईलाज कराने में सक्षम नहीं हैं।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि पटना में स्थापित हो रहे एम्स का कार्य तेजी से करवाने और शीघ्र पूरा कराने के लिए समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें।

(ग्यारह) आंध्र प्रदेश में भद्राचलम-कोव्वूर और मानुगुरू-रामगुंडम सम्पर्क रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बी. विनोदकुमार (हनमकोंडा) : भद्राचलम से कोव्वूर और मानुगुरू से रामगुंडम तक नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है। यह रेल लाइन तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करेगी।

आंध्र प्रदेश सरकार मानुगुरू और रामगुंडम के मध्य इस नई रेल लाइन के लिए 50% अंशदान देने के लिए सहमत हो गई है।

भद्राचलम और मानुगुरू के बीच लाइन विद्यमान है। अतएव यदि उपरोक्त दोनों लाइनों का निर्माण कार्य तत्काल शुरू कर दिया जाएगा, तो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और उत्तरी-भारत के बीच की दूरी कम हो जाएगी और सर्वेक्षण के अनुसार लाभ की दर भी 26% होने का अनुमान है।

इसलिए इस नई लाइन का निर्माण कार्य शीघ्रतापूर्वक शुरू किया जाए।

(बारह) कन्नड़ का क्लासिकल भाषा का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर) : भारत सरकार ने तमिल भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान कर दिया है साथ ही सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि अन्य भारतीय भाषाओं को, जो कतिपय मानदण्डों को पूरा करती हैं, भी इसी प्रकार की मान्यता दी जाएगी। हम इस अभूतपूर्व कदम का स्वागत करते हैं इससे उन भाषाओं के योजनाबद्ध विकास की गति त्वरित होगी जिनकी सदियों पुरानी समृद्ध विरासत है और इससे भारतीय साहित्य का वैभव भी बढ़ेगा।

बाद में, भारत सरकार ने किसी भाषा को प्राचीन भाषा की मान्यता देने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए हैं।

1. इसके आरंभिक ग्रन्थ/अभिलिखित, इतिहास 1000 वर्षों से अधिक पुराना हो।

2. इसमें प्राचीन साहित्य और ग्रन्थ हो जिन्हें वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता है।

3. इसकी शैक्षिक परम्परा मौलिक हो, किसी अन्य भाषा समुदाय से न ली गई हो।

4. प्राचीन भाषा अपने बाद के वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकती है या जारी न रही हो।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कन्नड़ इन मानदंड को पूरा करती है। सबसे आरंभिक अभिलिखित शब्द इसिसला' है जो सम्राट अशोक (तीसरी सदी) के ब्रह्मगिरि शिला लेख में है कन्नड़ द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है और इसका इतिहास दो हजार वर्षों से भी अधिक पुराना है। ग्रीक का टॉल्मी भारत आया। उसके यात्रा वृतांतों में अभिलिखित शहरों के नाम स्पष्टत: कन्नड़ मूल के हैं। कन्नड़ में 25000 से भी अधिक शिलालेख पाए गए हैं जो न केवल कर्नाटक में हैं अपितु ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश में भी है।

कन्नड़ लिपि का उद्गम ब्राम्ही से हुआ है। यूनेस्को के सरकारी दस्तावेज ''द कोरियर'' ने एशिया स्क्रिप्टस के संबंध में लिखते हुए (1964का पृष्ठ 16) कन्नड़ लिपि को विश्व की प्रमुख लिपियों में

[श्री एम. शिवन्ना]

मान्यता दी है। अतएव मैं सरकार से कन्नड़ को प्राथमिकता आधार पर प्राचीन भाषा दर्जा दिए जाने का आग्रह करता हूं।

अपराह्न 12.54 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2007-08 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2005-06—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 14, अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) पर आते हैं, श्री के.एस.राव अपने विचार रखें।

श्री के.एस. राव (एलूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा भारत को निवेश हेतु लक्ष्य में परिवर्तित करने के लिए बधाई देता हूं। हम यह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि विश्व में अधिकतर बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत को पहली प्राथमिकता दे रही हैं, उन्होंने यह महसूस किया है कि यह सबसे उपयुक्त स्थान हैं जहां वे अपने धन को उद्योग, व्यापार और अन्य प्रत्येक क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं।

महोदय, एक अन्य पहलू भी है। मैं उनको कर राजस्व में बढ़ोत्तरी करने के लिये भी बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आज भोजनावकाश नहीं होगा; यह वाद-विवाद अपराह्न 2 बजे तक जारी रहेगा।

श्री के.एस. राव : कर राजस्व में बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। कर अनुपालन अत्यंत बेहतर है। 85 प्रतिशत निर्धारिती कर विवरणी भर रहे हैं। संभवतः, इन दिनों निर्धारिती की सोच में बदलाव आया है कि उन्हें कर अवश्य देना चाहिए और अपने पैसे को वैध बना लेना चाहिए। विशेषकर, प्रत्यक्ष कर राजस्व 43 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है जो एक अच्छा संकेत है जिससे अर्थव्यवस्था में बहुत जबरदस्त वृद्धि हुई है।

अपराह्न 12.56 बजे

[**श्री मोहन सिंह** *पीठासीन* हुए]

जब विद्युत खरीदने की बात आती है, तो हम विश्व के राष्ट्रों में हमारी मांग बहुत अधिक होती हैं। हमारी अर्थव्यवस्था संभवतः विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि 2006-07 में जीडीपी वृद्धि दर 9.4 प्रतिशत थी। मैं हमेशा आशावादी रहता हूं कि थोड़े से और प्रयास से यह दो अंकों को पार कर सकता है।

कल, बीजेपी के मेरे मित्र ने बोलते हुए यह स्वीकार किया कि हमारी यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान जीडीपी विकास दर 9 प्रतिशत है। परन्तु वह कह रहे थे कि यह बहुत स्वाभाविक हैं। यदि यह स्वाभाविक होती तो मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि ऐसा राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान क्यों नहीं था। एक बार यह 4 प्रतिशत तक नीचे चला गया था।

इसी प्रकार, बीजेपी के मेरे मित्र पेंशन निधियों के बारे में कह रहे थे। उन्होंने कहा कि वे अपने कार्यकाल के दौरान 10 प्रतिशत का भुगतान किया करते थे और अब इसे कम किया जा रहा है। हममें से सभी यह जानते हैं कि लोगों के औसत जीवनकाल में वृद्धि के कारण अधिकतर कर्मचारियों की आयु पूर्व की तुलना में बढ़ गई है। स्वाभाविक तौर, पर, सरकार पर बोझ बढ़ता जा रहा है। वर्ष दर वर्ष राजकोष पर बोझ बढ़ता जा रहा है। इसलिए, कर्मचारियों के हितों को प्रभावित किए बिना हमें एक वैकल्पिक रास्ते की तलाश करनी है। इसके लिए, भारत सरकार एक विधेयक लायी है और इसे स्थायी समिति के पास भेजा गया जहां हमने इस पर चर्चा की है। हमने महसूस किया कि इसे निधि प्रबंधकों को देकर और निधियों के लिए पर्याप्त प्रतिभूतियों की व्यवस्था करने से कर्मचारी को 10 प्रतिशत की गारन्टी लेकर प्राप्त होने वाले लाभ की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त होगा। परन्तु तब, जैसा कि मेरे साथी ने कहा, इस संबंध में मत भिन्नता थी, विशेषकर हमारे वामपंथी मित्रों की ओर से जिसके कारण इसके बारे में निर्णय नहीं लिया जा सका। परन्तु यह सरकार पर बिना कोई बोझ डाले कर्मचारियों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए, इस परिप्रेक्ष्य में हमारे वामपंथी साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे इस विधेयक को स्वीकार कर लें और इसे तत्काल लेकर आएं ताकि हम इसे पारित करा सकें। यह कर्मचारियों के भी हित में है।

पेट्रोल की कीमतों के संबंध में, मेरे बी.जे.पी. के साथी कह रहे थे कि उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने निर्देशित मूल्य निर्धारण तंत्र को खत्म कर दिया था। अब, इस तथ्य के बावजूद कि तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 35 से 100 डालर प्रति बैरल हो तक बढ़

गई हैं, भारत सरकार मूल्यों में वृद्धि नहीं कर रही है। उन्होंने इसमें दोष निकाला। वास्तव में, कल तक, वे यह नारा लगा रहे थे कि सरकार को तेल की कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए। परन्तु अब वह तेल की कीमतें नहीं बढ़ाने के कारण दोष निकाल रहे हैं। संभवत:, वह गुजरात में होनेवाले चुनावों में भारत सरकार पर आरोप लगाने के लिए कोई जरिया नहीं ढूंढ़ सके हैं। उन्हें लगा कि आरोप लगाने का दूसरा तरीका उनके द्वारा तेल की कीमतों में वृद्धि नहीं करने के बारे में बोलना है। यह बहुत आश्चर्य जनक है। मैं इसके पीछे के औचित्य को समझ नहीं सका। उन्होंने यह भी कहा कि यह आम आदमी के साथ धोखा है। विशेषकर केरोसिन और खाना पकाने के गैस की कीमतें आम आदमी के लिए नहीं बढ़ाना, क्या यह आम आदमी के साथ धोखा है? क्या इसका अर्थ यह होता है कि मूल्यों में वृद्धि करना धोखा नहीं है?

अपराह्न 1.00 बजे

मैं अपने मित्र से यह समझना चाहता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि राजग सरकार का शासन प्रचुरता का युग था और अब अभाव का युग है। मैं नहीं जानता कि देश में अब किस चीज की कमी है। हमारे पास सभी चीजें उपलब्ध हैं। यदि वह यह कहना चाहते थे कि हमने धान या गेहूं का आयात किया है तो यह राजग सरकार के शासन के दौरान किया गया था। इसलिए, ऐसा अवसर किसी भी सरकार के शासन काल में प्रकृति के कारण एक आधार बार आता है। हो सकता है कि कभी बारिश हो या कभी न हो और इसके कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में उतार-चढ़ाव हो सकता है जिसके बारे में हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। देश खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर होने के चरण में पहुंच चुका है। इस बारे में वह कोई दोष नहीं निकाल सकते।

अब, मैं विदेशी मुद्रा भंडार पर आता हूं। विदेशी मुद्रा भंडार 260 बिलियन डॉलर से अधिक ऊपर जा चुका है जो संभवत: विश्व में सातवां सबसे बड़ा भंडार है। वस्तुत: यह एक अच्छी बात है परन्तु मेरे मित्र उसमें भी दोष निकाल रहे थे।

महोदय, संभवत क्योंकि वह विपक्ष में बैठते हैं, तो उन्हें यह लगा कि सरकार की आलोचना करना उनका कर्त्तव्य है। यदि उनका इरादा ऐसा है तो मैं इसे समझ सकता हूं परन्तु इस संबंध में सरकार की आलोचना करने में मुझे कोई तथ्य नजर नहीं आता। यदि उन्होंने गरीब या गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों या कृषक समुदाय से संबंधित कुछ अन्य मुद्दों को उठाया होता तो मुझे खुशी होती और मैं उनका समर्थन भी करता परन्तु उनकी आलोचनाओं में मुझे कोई तथ्य नजर नहीं आता।

यह सूचना, जो अप्रैल में 7.4 प्रतिशत थी, उसे कम करके नवंबर में 3.01 पर लाया गया है। उद्योग में इन सक्रिय गतिविधियों और देश में विदेशी निधियों के आने के बावजूद वास्तव में इसका श्रेय माननीय वित्त मंत्री महोदय को जाता है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय मुद्रास्फीति को विनियमित और नियंत्रित कर इसे 3.01 प्रतिशत पर लाने में सफल हुए।

इसी प्रकार, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने राष्ट्र से वादा किया था कि वह राजस्व घाटे को कुछ समय में शून्य पर ले आएंगे। यह उस मुकाम पर जल्द पहुंचने वाला है। राजस्व घाटे के संबंध में उन्होंने वादा किया था कि वह 2008-09 तक इसे कम करके तीन प्रतिशत तक ले आएंगें और मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा अवश्य करेंगें। यह भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में बेहतर संकेत हैं।

अब, मैं पूंजी प्रवाह पर आता हूं जो 62 बिलियन डॉलर है। यह पूरे वर्ष में नहीं हुआ है बल्कि इस वर्ष के अप्रैल और अक्तूबर के बीच पूंजी प्रवाह 62 बिलियन डॉलर और एफ.एफ.आई. 17 बिलियन डॉलर हुआ है। अर्थव्यवस्था में प्रगति हो रही है इस बारे में बताने के लिए और क्या बताए जाने आवश्यकता है?

महोदय, इस परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय के ध्यान में कुछ बिन्दुओं को लाना चाहूंगा जो मेरे दिमाग में है और जिसे मैंने कई अवसरों पर अपने भाषण के दौरान व्यक्त किया है।

महोदय, इस देश में कृषि विकास दर 2 से 2.5 प्रतिशत है। इसे आवश्यक तौर पर चार प्रतिशत पर लाया जाना है। अभी, कृषि क्षेत्र जीडीपी का लगभग 17 प्रतिशत अंशदान कर रहा है और इसे चार प्रतिशत विकास दर पर लाने के बाद कृषि क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर 35 प्रतिशत तक जा सकता है। यह आवश्यक है क्योंकि 65 प्रतिशत से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं और उनमें से अधिकतर कृषि पर निर्भर हैं। उनकी आय बढ़नी चाहिए। उनकी क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि हमने कितना विकास किया है और इसका भी कोई मतलब नहीं है कि हमने इस देश में कितनी विकास दर प्राप्त किया है, इसका तब तक वास्तव में कोई महत्व नहीं होगा जब तक इसका लाभ उन 60 प्रतिशत लोगों तक नहीं पहुंच जाता जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। ग्रामीण आय में बढ़ोतरी कैसे होगी? क्या खेतीहर किसानों की आय में वृद्धि होगी।? सर्वप्रथम, प्रति एकड़ उत्पादन में अवश्य वृद्धि होनी चाहिए। यह तभी संभव है जब माननीय वित्त मंत्री महोदय अनुसंधान और विकास के

[श्री के.एस. राव]

लिए अधिक आवंटन करने पर ध्यान दें। चीन में खाद्यान्नों का उत्पादन जहां भारत की तुलना में कम खेतीयोग्य भूमि है, 400 मिलियन टन है और भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन मात्र 209 मिलियन टन हैं। लेकिन इसमें वृद्धि होनी है। अत: माननीय वित्त मंत्री से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे कृपया इस पर विचार करें, उन्हें शेयर मूल्य में बेतहाशा वृद्धि अर्थात सूचकांक के 19000 या 20,000 के आंकड़े तक पहुंच जाने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। धन प्रचुर मात्रा में आ रहा है, और भारत निवेश का एक केन्द्र बन गया है। सब कुछ सकारात्मक है। लेकिन जब तक यह वृद्धि, यह आय और सृजित धन किसानों और खेतिहर मजदूरों सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक नहीं पहुंचेगा तब तक इसका कोई महत्व नहीं होगा।

अत: मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय आगामी वर्षों में कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों पर ध्यान केन्द्रित करें। मैं यह नहीं कहता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। मेरा कहना है और मैं उन्हें इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने कृषक समुदायों, किसानों के लिए ऋण की धनराशि 75,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.3 लाख करोड़ रुपये कर दी है। इसी प्रकार ब्याज दर 12 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दी है। मैं यह सब कुछ करने का श्रेय उन्हें देता हूं। लेकिन खेत में काम करने वाले किसानों की दुर्दशा एवं उनकी समस्याओं को देखने के बाद - मैंने उनसे पहले भी अनुरोध किया था और अब उनसे पुन: अनुरोध करता हूं कि किसानों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर घटाकर तीन प्रतिशत की जानी चाहिए, और कुछ समय बाद इसे शून्य प्रतिशत कर दिया जाए। इसमें कुछ गलत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तीन दिनों में जब शेयर के मूल्य का सूचकांक ऊपर चला गया था तो समाचारपत्रों में यह कहा गया कि उन उद्योगों की पूंजी के बाजार मूल्य में 5.4 लाख करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मिल मालिकों को मिला है।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : यह केवल कागजों पर है।

श्री के.एस. राव : ठीक है, यह कागजों पर है। कागज पर ही सही उनके धन में वृद्धि हुई है। जब उद्योगपतियों का तीन दिन में ही धन बढ़कर 5.4 लाख करोड़ रुपये तक हो गया तो क्या किसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था?

सभापति महोदय : चीनी मिल मालिकों के लिए, यह शून्य प्रतिशत है।

श्री के.एस. राव : जी हां, महोदय, मैं अपनी बात केवल किसानों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों तक सीमित रखता हूं। स्व-सहायता समूहों के मामले में भी ऐसा किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वे यह महसूस करेंगे और आगामी वर्षों में किसानों, खेतिहर मजदूरों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों और स्वयं सहायता समूहों को लिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को कम करने का निर्णय लेंगे।

महोदय, मैंने अनुपूरक अनुदानों में किए गए आबंटनों पर ध्यान दिया है। मैं 1985 से इस सभा में कह रहा हूं कि मुझे इस बात को कोई तर्क नहीं समझ में आता है कि धन कमाने वाले मंत्रालयों को बजट आवंटन क्यों किया जाए, चाहे वह नागर विमानन मंत्रालय हो, रेल मंत्रालय हो या पेट्रोलियम मंत्रालय हो। इन सभी मंत्रालयों को बजट में कोई आवंटन नहीं दिया जाना चाहिए। संपूर्ण एकत्रित राजस्व शिक्षा, कल्याण या गरीब लोगों के लाभ या ग्रामीण विकास से जुड़े क्रियाकलापों पर खर्च किया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय को किए जा रहे आबंटन की बात तो मेरी समझ में आती है लेकिन नागर विमानन मंत्रालय के आबंटन की बात मेरी समझ से बाहर है। नागर विमानन मंत्रालय को आबंटन क्यों किया जाना चाहिए? कोई निजी कारपोरेट क्षेत्र वायुयान खरीद रहा है और इस पर ब्याज दे रहा है तथा सरकार को कर भी दे रहा है उसके बाद भी कार्यशील रहता है तो नागर विमानन मंत्रालय अपने बल पर क्यों नहीं चल सकता है? यदि उन्हें धन की जरूरत है तो उन्हें बाजार से धन जुटाना चाहिए और इस पर ब्याज देना चाहिए; लेकिन यह धन बजट संसाधन से नहीं दिया जाना चाहिए।

मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सरकारी सहायता देने के खिलाफ नहीं हूं लेकिन पैकेज के बाद पैकेज देते रहने के बाद भी घाटे में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस प्रकार की सहायता देने पर नियमित रूप से विचार नहीं किया जाना चाहिए। मान लीजिए भारत सरकार का इस्पात उद्योग को उसकी अकुशलता के कारण घाटा होता है और यदि वह पैकेज की मांग करता है अथवा इस्पात के मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति चाहता है तो इसका वास्तविक लाभ

उसकी कार्य कुशलता के लाभ की वजह से निजी क्षेत्र को ही होगा। इसीलिए, मैं कहता हूं कि सरकार के अधीन चलने वाले ऐसे किसी उद्योग को किसी कीमत पर प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। आप उनको कुछ शक्तियां दे दीजिए। यदि उन्हें कोई धनराशि दी जाती है तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका उद्योग लाभ में चले तभी वे अपने कर्मचारियों को कुछ लाभ दे सकते हैं या अपने कर्मचारियों को और लाभ दे सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन उन्हें लगातार बजटीय सहायता देने का मतलब आम आदमी पर कर लगाना है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : रामकृपाल जी, सदन में अखबार पढ़ना उचित नहीं है। इसके लिए पुस्तकालय में जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव : महोदय, मैंने आबंटन पर गौर किया है। नागर विमानन मंत्रालय को 548 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है; कोयला मंत्रालय को 127 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है, वाणिज्य मंत्रालय को 900 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। मेरे विचार से पेट्रोलियम मंत्रालय भी कुछ समय तक आबंटन किया गया है उसके बावजूद भी 11,256 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इसके बाद वस्त्र मंत्रालय का आबंटन देखिए? क्या ऐसा कई दशकों तक लगातार जारी रहना चाहिए? दशकों तक इतनी भारी धनराशि के आबंटन के बावजूद यदि यह घाटे में चलता है तो क्या सरकार को इस प्रकार हर वर्ष आबंटन करते रहना चाहिए? क्या यह कभी बन्द नहीं होगा? क्या हम इसे कभी रोक नहीं सकते हैं? महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस मामले पर विचार करे और उद्योगों पर जनता का धन बर्बाद न करें और ऐसे गरीब लोगों को इससे होने वाले लाभ से वंचित न करें जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। मैं माननीय मंत्री से यह कहता हूं कि देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। मैंने आंकड़े बता दिए हैं। इस पर 6000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत नहीं आएगी। सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाए और इस भार को राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा मिलकर वहन करना चाहिए। आज कोई गरीब आदमी देश के किसी भी सरकारी अस्पताल में जाता है तो उसे उचित इलाज नहीं मिलता है। वास्तव में उसकी उपेक्षा की गई है। चाहे वह थोड़ी बहुत देर में मरने वाला हो लेकिन फिर भी कोई डॉक्टर आकर उसका इलाज नहीं करता है। यदि वह कारपोरेट अस्पताल जाना चाहता है तो उसका भुगतान नहीं कर पाता है। उसकी ऐसी स्थिति है? हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वह 10-12 साल की उम्र से लेकर 65 साल की उम्र तक कार्य करता है। इतना कार्य करने के बाद भी उसके पास मकान की जगह खरीदने या मकान बनाने के लिए एक रुपया भी नहीं बच पाता है जबकि अम्बानी जैसे उद्योगपतियों का धन एक वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये से बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये हो जाता है। यह कब तक चलता रहेगा? महोदय, 60 प्रतिशत गरीब लोग हमेशा ऋण में रहते हैं, वे हर वर्ष अपनी एक एकड़ जमीन बेच देते हैं जबकि ये लोग लाखों करोड़ रुपये कमा रहे हैं।

गरीब और अमीर के बीच कितनी असमानता पैदा की जा रही है? यह कब तक चलता रहेगा? इस देश में शांति कैसे रहेगी? काफी समय से हम नक्सलियों को दोष दे रहे हैं, आतंकवादियों को दोष देते हैं, हम इन लोगों को दोष देते हैं। हमें इसके मूल में जाना चाहिए कि ये आन्दोलन क्यों हो रहे हैं। अत्यधिक असमानता इसका मूल कारण है। इसी वजह से यह सारी स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए धन के सृजन की जो बुनियादी तौर पर होना चाहिए, प्रशंसा करते समय हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित हद तक यह आम आदमी तक भी पहुंचे। ऐसा नहीं है कि सभी बराबर होने चाहिए।

इस संदर्भ में मैं कृषि उत्पादों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण का तरीका क्या है? यदि आपने किन्हीं संस्थानों से 80 प्रतिशत ऋण ले रखा है, तो औद्योगिक उत्पादों का मूल्य निर्धारण करते समय उत्पादों की लागत पर उस 80 प्रतिशत राशि पर लगने वाला ब्याज भी सम्मिलित किया जाएगा लेकिन 20 प्रतिशत निवेश को किस वर्ष में शामिल किए जाएगा जिस पर वह लाभ ले रहा है और अपनी सेवाओं का प्रभार भी ले रहा है। उसकी पत्नी, वह स्वयं, उसकी पुत्री और परिवार का प्रत्येक सदस्य निदेशक के रूप में कार्य करता है। इसमें यह सभी कुछ सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, शेयर का मूल्य बढ़ता है और ये सारे उसमें जोड़ दिए जाते हैं।

किसान के मामले में, धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करते समय जुताई, बुआई, पौधारोपण, कटाई, फसल के घर पहुंचने पर आने वाले खर्च की लागत तथा 3000 रुपये प्रति एकड़ की मामूली राशि जोड़ी जाती है। कतिपय क्षेत्रों में एक एकड़ में 3 लाख रुपये या 4 लाख रुपये या 10 लाख रुपये की लागत आती है। यदि आपको

[श्री के.एस. राव]

प्रति एकड़ छह प्रतिशत का भी भुगतान करना पड़ता है तो केवल ब्याज पर ही 20000 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। किसानों के मामले में ही मूल्य निर्धारण की यह अलग पद्धति क्यों अपनाई जाती है?

हाल ही में जब धान का मूल्य निर्धारित किया गया था तो हमने यह पूछा था। इस संदर्भ में भी मैं केन्द्र सरकार की प्रशंसना करता हूं क्योंकि राजग सरकार के कार्यकाल में धान के मूल्य में केवल 180 रुपये की वृद्धि की गई थी। संप्रग सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में ही धान के मूल्य में 185 रुपये की वृद्धि की गई है। इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से हमने बेहतर कार्य किया है। लेकिन हमें इसके मूल कारण पर ध्यान देना चाहिए देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या अभी यह तर्कसंगत है।

अतएव मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि न केवल धान के लिए अपितु कपास, मक्का, मूंगफली, और लगभग सभी कृषि उत्पादों के लिए मूल्य निर्धारित करते समय इसे उसी पद्धति पर किया जाए जैसा सरकार औद्योगिक वस्तुओं के संबंध में कर रही हैं।

महोदय मैं दो या तीन मिनट और लूंगा।

इसी प्रकार आज गांव में गरीब आदमी कैसे ऊपर उठ सकता है? मैं इससे सहमत हूं कि पुन: उन्होंने सर्वशिक्षा अभियान के लिए काफी धन आबंटित किया है ताकि विद्यालय बीच में छोड़ देने वालों की संख्या में कमी आ सके। हमने देखा है कि यदि 100 बच्चे प्राथमिक विद्यालय जाना आरम्भ करते है तो कालेज स्तर तक पहुंचने वालों की संख्या मात्र छ: प्रतिशत ही रह जाती है। इसका अर्थ है कि विद्यालय छोड़ने वालों की दर 94% है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक गरीब व्यक्ति कहता है कि यदि वह अपने बच्चे को विद्यालय भेजने की बजाये उसे खेत में भेजता है तो उसे 50 या 60 रुपए मजदूरी मिल सकती है जिससे उसकी आय बढ़ती है। परिणामत: बच्चा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिये वे निधियां प्रदान कर रहे हैं। हम उन्हे किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं? हम उन्हें 10वीं, 12वीं और इंटरमीडिएट स्तर तक शिक्षा दे रहे हैं और जब वह बी.ए. या एम.ए. स्तर तक की शिक्षा पूरी करता है, तो उसके पास नौकरी नहीं होती। अतएव एक बार फिर स्थिति यथावत रहती है। अतएव माननीय मंत्री से मेरा विनम्र अनुरोध है कि युद्ध स्तर पर यह कार्य किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाये कि 8वीं कक्षा से ही व्यवसायिक शिक्षा आरंभ हो जाए। यदि किसी गरीब या मध्यवर्ग के लड़के को उसकी रूचि के व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाए और यदि उसे उसी व्यवसाय में शिक्षा और दक्षता प्राप्त हो, तो 12वीं कक्षा पास करते समय तक वह आत्मविश्वास और दक्षता प्राप्त कर चुका होगा जिस पर वह स्व रोजगार या रोजगार प्राप्त करने के लिए वह निर्भर कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रो में सभी लोगों को किसी न किसी क्षेत्र में दक्षता प्रदान करने के लिए तुरंत निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता है जिसके द्वारा उनके रहन सहन में सुधार लाया जा सके।

इस देश के गरीब वर्ग में काफी अधिक सहन शक्ति है। वे केवल रियायती मूल्य पर अनाज, आवास, एक स्थायी घर, और स्वास्थ्य सेवाओं और अन्तत: अच्छी शिक्षा की मांग कर रहे हैं। हम उनकी इच्छा के अस्पताल से इलाज कराने की कुछ सीमा लागू कर सकते हैं। क्या हम ये सब उपलब्ध नहीं करा सकते? क्या यह सरकार का दायित्व नहीं है?

इसी प्रकार मुझे खुशी है कि उन्होंने वृद्ध लोगों के लिए इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना आरंभ की है और इसमें कोई सीमा नहीं लगाई है। उन्होंने कहा कि पैसे की कोई सीमा नहीं है और कितने भी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। मैं इस बात को लेकर अत्यन्त प्रसन्न हूं। मैं काफी लम्बे समय से इसके लिए कह रहा था। वे संख्या को सीमित न करें और गरीबी रेखा से नीचे का कोई भी परिवार इसका लाभ ले सके। यदि कोई व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो जाए, तो उसे यह पेंशन मिलनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आर्थिक मंत्रालयों की तुलना में ऐसी योजनाओं के लिये अधिक निधियां आबंटित करें।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इसका समर्थन करते हुए मेरा यह विनम्र अनुरोध हैं कि इन बातों को ध्यान में रखा जाए।

श्री पी. करूणाकरण (कासरगोड) : महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2007-08 के लिए प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) का समर्थन करता हूं। यह सच है कि किसी भी वित्त मंत्री को अनुपूरक मांगे प्रस्तुत करनी पड़ती हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि कोई भी वित्त मंत्री यह नहीं समझ सकता है। कि निकट भविष्य या आगामी वर्ष में हम क्या व्यय कर सकते हैं।

कल जब एन.डी.ए. के मेरे सहयोगी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो किया था यू.पी.ए. सरकार उसका अनुसरण नहीं

कर रही है। यू.पी.ए. सरकार को लोकप्रिय आदेश मिला है और यह एन.डी.ए. सरकार की नीतियों के विरूद्ध है। इसलिए एन.डी.ए. सरकार के मानदण्डों या उनके द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए यू.पी.ए. सरकार शुरू में इसके द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार कार्य करेगी।

यह सच है कि उच्च विकास दर 9% से अधिक हैं और यह भी सच है कि हम मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित कर सके हैं, परन्तु मैं एक बात नहीं समझ पाया हूं कि जबकि हमारी इतनी अच्छी विकास दर हैं और हम मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित कर पाए हैं तो आम आदमी को इसका अनुभव क्यों नहीं हुआ है। लोगों के सामने यही मुख्य मुद्दा है।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मुद्दा शासन से संबंधित है।

श्री पी. करूणाकरण : अतएव हमें इस पर विचार करना है क्योंके मेरे विचार से चर्चा हमें अनुपूरक मांगों को भी स्वीकृति देनी है- से हमें विशेषतः इन तथ्यों और आंकड़ों के अतिरिक्त आर्थिक परिदृश्य में कुछ और तथ्यों का पता चल सकता है।

अनेक सरकारी और अन्तर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराए गये हैं। विश्व में लगभग 146 मिलियन लोग कुपोषण के शिकार हैं यह कहते हुए दुःख होता है कि भारत में से 57 मिलियन लोग है। हमारा देश इस दृष्टि से 47 वें स्थान पर हैं। कुपोषण के शिकार हैं अफ्रीका में 33 मिलियन और चीन में 9 मिलियन लोग हमारी विकास दर अच्छी है लेकिन यह आम आदमी की जिंदगी में परिलक्षित नहीं होती है। एक अन्य सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 72% लोगों को बेहतर पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। इस सर्वेक्षण में आगे कहा गया है कि 75% लोग ऐसी झोपड़ियों में रह रहे हैं जहां कोई सुविधा नहीं है; 55% भारतीयों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है और 33% लोग अशिक्षित है। मैं इन आंकडों का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि हम हमेशा अपनी विकास दर और कम मुद्रास्फीति दर का जिक्र करते रहते हैं और यह सही भी हैं परन्तु यह आम लोगों के जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। छः करोड़ लोगों की मासिक आय केवल 322 रुपए है और उन्हें ही गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। इसलिए, हम अपने देश के ग्रामीण लोगों की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं।

एन.डी.ए. सरकार और एन.डी.ए. के लोग भारत उदय के बारे में बोल रहे थे। मैं यह नहीं कहता कि यू.पी.ए. सरकार देश की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं लाई है। बेशक कुछ परिवर्तन हैं जो नजर आ रहे है और मैं इसका कुछ और विवरण देना चाहता हूं। फार्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्डस बिलयनार रिपोर्ट में 946, अरबपतियों का उल्लेख है। हम इस बात पर गर्व कर सकते है कि उनमें से 36 लोग भारत के है और उनमें से 14 पिछले वर्ष ही सूची में शामिल किए गये हैं। अतएव एक ओर हम देख सकते हैं कि भारी प्रगति हुई है, परन्तु जब हम गांवों में जाते हैं तो हमें वास्तविकता और वहां के लोगों के असली जीवन का पता चलता है।

अब मैं आम लोगों के जीवन के बारे में बात करूंगा। मुख्य मुद्दा जिस पर आज कल बात की जा रही है वह मूल्य वृद्धि का मुद्दा है। हम अभी भी चावल, गेहूं, चीनी, दालों, सब्जियों, सीमेंट अथवा धातुओं के बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं हैं। मैं इसका कारण नहीं जानता कि हम मूल्य वृद्धि को क्यों नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हमें इस मुद्दे पर कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं और सरकार को इस पर विचार करना है। हमने पिछली बार भी चर्चा के दौरान इन बातों को उठाया था।

पहली बात खाद्य नीति असफल हुई है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार को बाजार से खाद्यान्नों की खरीद करती है, चाहे वह गेहूं हो या चावल। परन्तु हम देखते है कि रिलायंस जैसी बड़ी कंमनियां अनाज ले लेती हैं और अपने गोदाम भर लेती हैं। इसलिए हमें अनाज की कमी झेलनी पड़ती है।

दूसरी बात, सार्वजनिक वितरण प्रणाली असफल हो गई है। केरल में हमारा अनुभव दर्शाता है कि पी.डी.एस. के प्रभावी कार्यान्वयन से कुछ हद तक मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। परन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली समुचित ढंग से तभी कार्य कर सकती हैं जब उन्हें अनाज की पर्याप्त मात्रा मिल सके। राज्यों में ए.पी.एल./बी.पी.एल. कार्डधारकों के वर्गीकरण के संबंध में राज्यों को खाद्यान्नों का बहुत ही कम कोटा मिल रहा है। जहां तक केरल राज्य का संबंध है इसे इस वर्गीकरण मुद्दे के कारण अपने कोटे का केवल एक तिहाई हिस्सा ही मिल रहा है। इसलिये, मैं यह अनुरोध करता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) को मजबूत किया जाना चाहिये। यदि लोगों को मबेली स्टोरों अथवा नीथी स्टोरों अथवा उचित मूल्य की दुकानों (एफ.पी.एस.) के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं मिल सकती है तो कुछ हद तक उन्हें उचित कीमत पर आवश्यक वस्तुयें मिल सकती है। एन.डी.ए. शासन के दौरान अनेक मुख्य मदों को बाहर

[श्री पी. करूणाकरण]

कर दिया गया था। मैं सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का अनुरोध करता हूं। ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब हम जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकें। मैं यह महसूस करता हूं कि जब हम बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण करने के बारे में बात करते है तो हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा।

मैं कृषि संबंध मुद्दे के बारे में श्री राय के विचारों से पूरी तरह से सहमत हूं तथा उसका समर्थन करता हूं। हमारे पास किसानों के अलावा प्रत्येक क्षेत्र में पेंशन योजना है। किसानों में अपने खेतों में जाने हेतु विश्वास नहीं हैं क्योंकि उन्हें अपने उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट, निम्न उत्पादकता और उनके उत्पादों को प्रभावित करने वाले विभिन्न रोगों का सामना करना होगा। हम किसानों में भरोसा बढ़े इस बात को प्रोत्साहित करना चाहते है। अत:, मैं यह सुझाव दूंगा कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जैसा कि अन्य क्षेत्रों में है, किसानों हेतु पेंशन योजना होनी चाहिए। केरल में हमने लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत वाली इस प्रकार की योजना तैयार की है और केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से इसमें 100 करोड़ रुपये की सहायता देने का अनुरोध किया है। इसलिये, किसानों संबंधी मुद्दे को गंभीरता से लिया जाना चाहिये।

मैं भी यहां पर कहे गये मुद्दे से पूरी तरह से सहमत हूं कि अधिप्राप्ति कीमत पर भी अवश्य ही विचार किया जाना चाहिये। गेहूं में 150 रुपये की वृद्धि हुई है। हम वास्तव में सरकार को यह कदम उठाने के लिये बधाई देते है। साथ ही धान को इस प्रकार का महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

समितियों में, जहां तक खराब होने वाली वस्तुओं का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में संरक्षण (परिरक्षण) सुविधायें प्रदान करने के बारे में चर्चा हुई थी। आलू, सब्जी और फल जैसी खराब होने वाली वस्तुओं का 30% से 35% के आस-पास भण्डारण सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण खत्म हो जाता है। भण्डारण प्रणाली में सुधार करने हेतु सरकार को कुछ और धन का आबंटन करना है क्योंकि हमें गांवों में भण्डारण सुविधाओं की आवश्यकता है और किसानों के लिये भण्डारण सुविधाओं का सृजन करना संभव नहीं है क्योंकि उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता मिल रही है।

स्वामीनाथन समिति ने केरल विशेषकर ऐल्लपी तथा कुट्टानंद हेतु कुछ स्पष्ट योजनाओं को सुझाव दिया है। उन्होंने सरकार को इस उद्देश्य हेतु 1824 करोड़ रुपये आबंटित करने का सुझाव दिया है परन्तु कोई कार्रवाही नहीं की गई है। मैं सरकार से तुरंत आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुराध करूंगा।

जहां तक हमारे देश का संबंध है कृषि पक्ष की ओर नकदी फसलों से संबंधित समस्यायें है। मेरे राज्य में यह सत्य है कि प्रमुख आय इन नकदी फसलों से होती है। ऐसा केवल केरल के लिये ही नहीं है अपितु सारे भारत के लिये है क्योंकि सरकारी काफी विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। यदि आप आंकड़ों की तरफ देखते है तो काली मिर्च से 90%; रबड़ से 83%; इलायची से 56%; नारियल से 46%; काफी से 26%; काजू से 12%, चाय से 7.5% और सुपारी से 2% आय होती है। इसका अभिप्राय यह है कि राज्यों के लिये नकदी फसलें आय का बड़ा स्रोत बन गई है और ये कुछ हद तक केन्द्रीय राजस्व में भी योगदान देती है। साथ ही समय, हम रबड़ के अलावा काली मिर्च, चाय, काफी, सुपारी आदि जैसी नकदी फसलों की कीमतों में भारी गिरावट देखते है। यह कुछ हद तक सरकार की आयात नीति के कारण है। पहले, केरल में एक क्विंटल कालीमिर्च की कीमत 21,000 रुपये थी और अब यह घट कर 7,000 रुपये अथवा 8,000 रुपये तक हो गयी है। उसी तरह, प्रति किलोग्राम सुपारी की कीमत 160 रुपये थी और अब इसमें यह घट कर 50 रुपये अथवा 60 रुपये तक हो गई है। माननीय कृषि मंत्री ने नारियल के संबंध में कुछ कदम उठाये थे। उस संबंध में कुछ नीतिगत निर्णय लिये गये थे। तथापि, अपनाई जा रही नीतियों के कारण कीमतों में गिरावट आई है। ये सभी ऐसे मुद्दे है जिनके बारे में केन्द्र सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी है।

निस्संदेह, हम आयातों को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं कर सकते है। लेकिन साथ ही यहां पर प्रतिबंध तथा गुणात्मक नियंत्रण होना चाहिये। सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

सारे देश में खुदरा व्यापारियों द्वारा काफी तगड़ा विरोध हुआ है। यहां पर 5.5 करोड़ के आस-पास लोग है जो खुदरा व्यापार कर रहे है और उन पर आश्रितों की संख्या काफी अधिक हो। उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिये और सरकार को उनकी निगरानी अथवा निरीक्षण हेतु कुछ विधान बनाना चाहिये। हम कोई कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है क्योंकि कोई विधि (कानून) नहीं है। सरकार द्वारा उस कदम को उठाया जाना चाहिये।

नागर विमानन मंत्रालय के साथ चर्चा हुई थी। केरल में और अन्य क्षेत्रों में भी इंडियन एअरलाइन्स तथा एअर इंडिया की सेवाये कुछ अतिरिक्त मार्गों पर शुरू हुई है परन्तु ईंधन पर इंडियन एअरलाइन्स तथा एअर इंडिया द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुल्क काफी अधिक

है। मैं नहीं जानता हूं कि एअर इंडिया अथवा इंडियन एअरलाइन्स को कठिनाई क्यों आ रही है। इस शुल्क को घटाना चाहिये अथवा शुल्कों को कम किया जाना चाहिये। हम इसकी लंबे समय से मांग कर रहे थे।

मैं इस तथ्य की प्रशंसा करता हूं कि जहां तक मेरे राज्य का संबंध है विगत दो अथवा तीन वर्षों में सरकार द्वारा कुछ सकारात्मक उपाय किये गये थे। तथापि, मुझे ऐसा कहते हुए खेद है कि केरल में सरकारी क्षेत्र में निवेश धीरे-धीरे कम हो रहा है। पहले यह 2.9 अथवा 2.8 था; तत्पश्चात् इसे घटाकर 2.2 और 1.9 कर दिया गया।

योजना आयोग का कहना है कि केरल में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासीय और अन्य क्षेत्र अच्छी स्थिति में है और इसलिये उन क्षेत्रों में सरकारी निवेश कम हो सकता है। यह सत्य है कि इन क्षेत्रों में केरल ने काफी प्रगति की है। तथापि, केरल को उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और न्यायिक क्षेत्रों में सहायता की आवश्यकता है। चिकुनगुनिया जैसे नये रोग हो रहे है और कैंसर के मामलों में बढ़ोत्तरी हो रही है। केरल में लंबा तट है और इसे अपने तट की सुरक्षा हेतु विशेष वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। न्यायिक प्रणाली का आधुनिकीकरण समय की मांग है। इसलिये, मैं सरकार से केरल को और अधिक सहायता प्रदान करने हेतु अनुरोध करता हूं।

कुछ केन्द्रीय योजनाओं के मानदण्डों में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। एन.आर.ई.जी.ए. का कार्यान्वियन एक मुद्दा है जिसे हमें देखना है। यह बहुत ही अच्छी योजना है। तथापि, इस योजना के मानदण्ड सभी राज्यों में समान रूप से लागू होते है। भारत में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के विकास हो रहे है जिनकी अलग-अलग विशेषतायें है। इसलिये, इस योजना के कार्यान्वियन हेतु मानदण्डों में कुछ लचीलापन होना चाहिये। केरल सरकार ने यह सुझाव दिया है कि इस योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों द्वारा मकानों के निर्माण की भी अनुमति दी जानी चाहिये। अब इस योजना के अंतर्गत इसकी अनुमति नहीं है। यदि इसकी भी अनुमति दी जाती है तो यह लोगों की सहायता होगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु कार्यान्वियन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सड़क की चौड़ाई हेतु मानदंड सभी जगह लगभग आठ मीटर है। केरल में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। इसलिये, इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को शुरू करना राज्य के लिये अत्यंत कठिन है। अत:, इस योजना के मानदंडों में भी परिवर्तन किये जाने है ताकि लोगों की वास्तव में सहायता हो सके।

अंतत: मैं स्वतंत्रता सेनानियों हेतु पेंशन के मुद्दे को उठाना चाहता हूं। मैंने इस सभा में कुछ समय पहले भी इस मुद्दे को उठाया था। हम अपनी स्वतंत्रता के 61वें वर्ष में प्रवेश कर रहे है। तथापि, हम यह देखते है कि हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्रीय पेंशन नहीं मिल रही है। केन्द्रीय सरकार ने इस बात की पहचान की है कि कौन से संघर्ष है जिन्हें इस उद्देश्य हेतु संघर्ष माना जाये। मेरे अपने राज्य में पुन्नाप्रावायालर, कायउर, करिवालुर आदि जैसे कई संघर्ष हुए थे। देश के अन्य हिस्सों में तेलांगाना, थिबागा, गोआ जैसे कई अनेक संघर्ष है। केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने राज्य और जिला स्तरों पर समिति का गठन किया था जो निगरानी, जांच तथा पेंशन हेतु पात्र लोगों के संबंध में निर्णय लेती है। राज्य सरकार उस आधार पर निर्णय लेती है और उन्हें पेंशन जारी करती है। हम इस बात की मांग करते है कि केन्द्रीय सरकार को उस निर्णय का भी अनुसरण करना चाहिये। यदि वे लोग उच्च न्यायलय जाते है तो उन्हें उनकी पेंशन मिल सकती है। परन्तु उनके लिये यह करना संभव नहीं है क्योंकि अधिकांश लोग अब बूढ़े और बीमार है और उनमें से कुछ लोग अब जिंदा भी नहीं है और उनमें रिश्तेदारों द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। जब हम यहां पर आते है तो माननीय मंत्री नहीं अपितु अधिकारी हमें प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिये कहते है। वर्ष 1943 में जो घटित हुआ उसके बारे में प्रमाणपत्र प्राप्त करना कैसे संभव है? यदि सरकार इस आधार पर निर्णय ले सकती है और उन लोगों, जो राज्य सरकार से पेंशन ले रहे है, को पेंशन जारी करती है तो यह उन लोगों को बहुत बड़ी मदद होगी। यह लंबे समय से लंबित मामला है जिसका समाधान किये जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार ने व्यय के लिए अंशदानों की पूरक मांग की है और यह 33,290.87 करोड़ रुपया है। हर सरकार सदन में आती है और पैसे की मांग करती है। यह कोई नयी परम्परा नहीं है। इसका समर्थन करना एक बाध्यता है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बजट के दूसरी बार सरकार सदन में पैसा मांगने आयी है। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे जो बजट अनुमान थे, वे पूर्णतया गलत साबित हुए और जो बजट बनाने वाले लोग थे, उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक नहीं था। उन्होंने सूझबूझ से काम नहीं लिया, इसलिए सरकार को

[श्री रामजीलाल सुमन]

दो बार इस सदन में आना पड़ा। इस वजह से 30420.12 करोड़ रुपया विभिन्न मंत्रालयों से और शेष 11,879 करोड़ नगद रुपया सरकार ने मांगा है।

सभापति महोदय, सरकार 7051 करोड़ रुपया योजना व्यय और गैर-योजना व्यय के लिये भारी भरकम मोटी रकम मांग रही है। इसके अलावा सरकार ने 4300 करोड़ रुपया मार्किट स्टेब्लिटी के लिये मांगा है। बाजार अनियंत्रित हुआ, उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की गैर-जिम्मेदाराना नीतियों के कारण है। सरकार की इस गलत नीति के कारण बाजार अनियंत्रित हुआ। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि पैसा मांगने के साथ-साथ वे उन सभी चीजों की समीक्षा करें जिसके कारण अनियंत्रित हुआ। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं, उनके चलते इस तरह के हालात पैदा हुये हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वह 3000 करोड़ रुपया विभिन्न राज्यों में चल रही परियोजनाओं के लिये देगा। ये परियोजनायें काफी समय से चल रही हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और जिनका कारण सरकार की अकर्मण्यता है। मैं इस बात को सदन में कई बार पहले भी उठा चुका हूं।

सभापति जी, भारत सरकार राज्यों के विकास के लिये पैसा देती है लेकिन उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं, इस संबंध में भारत सरकार का कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो देखे कि इस पैसे का सही समय पर और सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा हैं या नहीं? मेरा वित्त मंत्री जी निवेदन है कि इसे देखने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को परियोजनाओं पर खर्च के लिए 1500 करोड़ रुपये देगी लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल राज्य सरकारें नहीं कर रही है बल्कि दूसरी मदों में खर्च कर रही हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल होता है या नहीं, इसकी समीक्षा की जानी चाहिये।

सभापति महोदय, सरकार द्वारा तेल कम्पनियों को 11,257 करोड़ रुपया दिया जायेगा। जो तेल कम्पनियां बाण्ड्ज जारी करेंगी, उसके बाद घाटा होने की सम्भावना है, यह बात मेरी समझ से परे है। सरकार से 15 नवम्बर को एक सवाल पूछा गया था कि हमारे देश में तेल कम्पनियों घाटे में हैं या फायदे में हैं? प्रश्न के जवाब में बताया गया कि आईओसी का कर-पूर्व लाभ 7400 करोड़ रुपये है, बीपीसी का शुद्ध लाभ 1864 करोड़ रुपया और एचपीसी का शुद्ध लाभ 1150 करोड़ रुपये है। डालर की तुलना में रुपये की तेजी के कारण अप्रैल-सितम्बर, 2007 के बीच में विनियम वृद्धि का अनुमान है। उसके अनुसार आईओसी का लाभ 966 करोड़ रुपये, बीपीसी का 304 करोड़ रुपये और एचपीसी का 264 करोड़ रुपये का लाभ है। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि इन तेल कम्पनियों को फायदा हो रहा है और दूसरी तरफ उन तेल कम्पनियों को पैसा दिया जा रहा है, यह बात मेरी समझ से परे है, जब जवाब दें तो इस बात का खुलासा करें कि इन तेल कम्पनियों को ज्यादा पैसा देने की जरूरत क्यों पड़ी?

सभापति महोदय, राज्यों में कृषि को समर्थन और बढ़ावा देने के लिये सरकार ने 565. करोड़ रुपया का प्राविधान किया है। कृषि ऐसा क्षेत्र है, जहां रोजगार की ज्यादा सम्भावना है। अधिकांश कृषि इन्द्र देवता पर निर्भर है। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 1000 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किया है लेकिन सरकार यह भी मानती है,—जैसा समाचार-पत्रों में आया है—कि गेहूं की फसल ज्यादा पैदा होने की सम्भावना नहीं है। इसका मूल कारण किसानों के पास सिंचाई और अन्य साधनों की सुविधायें नहीं होना है। जब किसानों के पास ये सुविधायें नहीं हैं, भले ही सरकार गेहूं का दाम 1000 रुपये प्रति क्विंटल तय करे, उससे किसानों को लाभ नहीं पहुंच सकता है। कृषि के लिये पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है।

पंडित नेहरू के जमाने से, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय से लेकर जो सिंचाई की परियोजनाएं हमारे देश में शुरू हुई, वे आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। परिणामस्वरूप उनकी निर्माण लागत बढ़ती रहती है और किसान उससे लाभान्वित नहीं होता है। मेरा विचार है कि इस क्षेत्र पर और ज्यादा दौलत देने की आवश्यकता थी जिससे किसान फसल पैदा कर सकता था। खेती को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को प्राथमिकता सुनिश्चित करनी चाहिए कि किन क्षेत्रों को उसने ज्यादा दौलत देनी है और किनको संरक्षण देना है।

सभापति महोदय, अंत में, मैं आपकी मार्फत वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि खर्च करने की प्राथमिकताएं सुनिश्चित कीजिए। आदमी की जिन्दगी से जुड़े हुए जो जो सवाल हैं उन पर अधिक खर्च होना चाहिए। मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि को ज्यादा संरक्षण देने की आवश्यकता है जिससे किसान खुशहाल हो। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, मुझे यही निवेदन करना था।

[अनुवाद]

*श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर) : धन्यवाद सभापति महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) 2007-2008 के संबंध में चर्चा में भाग लेने हेतु मुझे अवसर दिए जाने के लिये आपका अभारी हूं।

महोदय, किसान हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। सरकार द्वारा विगत 60 वर्षों से यही कहा जा रहा है। परन्तु, दुर्भाग्य से भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। हमारे माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा "जय किसान जय जवान" दिया है, परन्तु, भारत में किसान ऋण में पैदा होते हैं, ऋण में जीवन व्यतीत करते हैं तथा ऋण ग्रस्त ही मर जाते हैं। महोदय, 16वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में एक बहुत ही महान कवि सरवजना हुए थे जिन्होंने कहा था कि "कृषि अन्य सभी शिक्षा प्रणालियों की तुलना में सबसे अच्छी शिक्षा है"। परन्तु, आज किसानों की उपेक्षा की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप, किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहे हैं। एक किसान का बेटा होने के नाते मैं किसानों की दयनीय दशा के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं उनकी समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं। इसलिये, मैं कुछ महत्वपूर्ण कदमों का सुझाव दूंगा और मैं माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम जी से अगले बजट में इन पर विचार करने हेतु भी अनुरोध करता हूं।

(एक) किसानों को समय-समय पर आसान ऋण प्रदान किया जाना चाहिये।

(दो) किसानों के लिये गुणवत्ता वाले बीज आसानी से उपलब्ध कराये जाने चाहिये।

(तीन) किसानों को वैकल्पिक फसलों के बारे में समुचित सूचना प्रदान की जानी चाहिये।

(चार) सभी कृषि उत्पादों हेतु लाभकर कीमतें दी जानी चाहिये।

यदि सरकार इन कदमों को उठाती है तो यह संपूर्ण राष्ट्र को भोजन देने वाले किसानों के लिए बहुत अधिक मदद होगी। किसानों को आत्महत्या करने से बचाया जा सकता है।

महोदय, 1993-2003 तक की अवधि के दौरान लगभग 1,00,248 किसानों ने आत्महत्या की है। यह संसार में आत्महत्या संबंधी सर्वाधिक संख्या है। केन्द्र को इस भयावह स्थिति से निपटने हेतु आगे आना चाहिये।

महोदय, गन्ना उत्पादकों को केवल 800/- रुपये प्रति टन गन्ना मिलता है। यह बहुत ही कम राशि है। इसलिये, मैं सरकार से गन्ना का प्रति टन न्यूनतम समर्थन मूल्य 1600/- रुपये निर्धारित करने का अनुरोध करता हूं। दूध, सिल्क, गेहूं और अन्य कृषि उत्पादों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित किया जाना चाहिये।

महोदय, दूध को 13/- रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है जबकि एक लीटर बिसलेरी जल 16/- रुपये की दर से बेचा जा रहा है। उसी तरह आलू को 10/- रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा है जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित आलू के चिप्स की कीमत 200/- रुपये है। गेहूं को 15/- रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, परन्तु एक किलो बिस्कुट की कीमत 80/- रुपये है जो कि गेहूं का उप-उत्पाद है।

महोदय, यह कितनी बड़ी विडम्बना है? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इन अनियमितताओं को नहीं देख रही है। किसानों को विनाश से बचाने के लिये सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिये। सरकार को यह समझना चाहिये कि राष्ट्र की प्रगति किसानों की प्रगति पर निर्भर है।

महोदय, जहां तक सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है, प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। परन्तु, सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य समुदायों के बीच साक्षरता दर संबंधी अंतर को भरने में विफल रही है। जहां तक महिला शिक्षा का संबंध है स्थिति बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है। देश में महिला साक्षरता दर बहुत ही कम है। केवल ईश्वर जानता है कि कब इस अंतर को कम किया जा सकता है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री अपने उत्तर में इस समस्या का संतोषजनक उत्तर देंगे। मैं एक उदाहरण दूंगा। महोदय, श्री डी.एम. नानजुनडप्पा आयोग ने कर्नाटक में 32 तालुकों की पिछड़े रूप में पहचान की है। 32 तालुकों में से 10 तालुकों की सबसे अधिक पिछड़े तालुकों के रूप में पहचान की गई है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा कर्नाटक में इन पिछड़े तालुकों के विकास हेतु कौन से कदम उठाये जा रहे हैं।

महोदय, जहां तक बंगलौर में साफ्टवेयर उद्योग का संबंध है, देश के कुल साफ्टवेयर उत्पादन का 35% अकेले बंगलौर से ही निर्यात किया जा रहा है। यह बहुत ही चिंता का विषय है कि ये साफ्टवेयर

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एम. शिवन्ना]

कंपनियां अवसंरचना के अभाव के कारण बंगलौर से बाहर जा रही हैं।

केमपामबुडी झील, जिसका निर्माण श्री केमपीगौडा के शासन के दौरान किया गया था; अलसुर, झील और बंगलौर में अन्य सैकड़ों झीलों के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया है (या छोड़ दिया गया है)। इसके परिणामस्वरूप, इन नहरों की क्षमता में कमी आई है। इन नहरों का क्या भविष्य है?

बंगलौर में सड़के बहुत ही खराब स्थिति में हैं। सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। बंगलौर शहर में प्रत्येक दिन सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम पांच व्यक्ति मारे जा रहे हैं। बंगलौर में पेयजल की भारी कमी है। पूरे कर्नाटक में विद्युत की कटौती हर रोज की समस्या बन गई है। इस प्रकार की दयनीय स्थिति में सॉफ्टवेयर कंपनियां बंगलौर से बाहर जा रही है। उदाहरण के लिये ''एप्पल'' नामक साफ्टवेयर कंपनी पहले ही संयुक्त राज्य अमरीका में चली गई है। इस संकट की घड़ी में यदि सरकार बंगलौर में अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय समर्थन देने में आगे नहीं आती है तो यह अपनी महत्ता खो देगा। इसलिये, मैं माननीय वित्त मंत्री से सरकार द्वारा बंगलौर में अवसंरचना के सुधार हेतु किये गये उपायों के बारे में जानना चाहता हूं। यह बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय : ठीक है, आप अपना भाषण सभापटल पर रख सकते हैं।

श्री एम. शिवन्ना : ठीक है, महोदय।

*महोदय, मेरा निर्वाचन-क्षेत्र चामराजनगर देश में सबसे अधिक पिछड़े जिलों में से एक है। जहां तक विकास का संबंध है मेरा निर्वाचन-क्षेत्र सभी पक्षों में पीछे है।

इसलिये, मेरा माननीय वित्त मंत्री से यह विनम्र निवेदन है कि वे मेरे निर्वाचन-क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित वास्तविक मांगों पर विचार करे। ये इस प्रकार है:-

(एक) चामराजनगर में इन्डोर स्टेडियम स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।

(दो) चामराजनगर में अस्पताल में डाक्टरों तथा नर्सों की कमी है। इस पहलू पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिये।

(तीन) मेरे निर्वाचन-क्षेत्र चामराजनगर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिये।

(चार) श्री माले महादेश्वर पहाड़ी कर्नाटक में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। हर रोज हजारों श्रद्धालु इस प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। परन्तु यहां पर कोई विकास नहीं हो रहा है। इसलिये, मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर के विकास हेतु और अधिक निधियां प्रदान करने के लिये कदम उठायेंगे। महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः भाषण देने और समाप्त करने का मुझे अवसर देने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं।*

सभापति महोदय : अब, माननीय मंत्री।

श्री पी. चिदम्बरम : क्या बोलने के लिए कोई अन्य माननीय सदस्य नहीं हैं? क्या कोई और वक्ता नहीं हैं?

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मुझे इसे 2.00 बजे तक खत्म करना है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : परन्तु, हमें यह कहा गया था कि यह कल पूरा होगा।

सभापति महोदय : नहीं, 2.00 बजे ही हमें कुछ अन्य कार्य आरम्भ करना हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, यदि वे बोलना चाहते है तो कृपया उन्हें कुछ मिनट दीजिये।

सभापति महोदय : ठीक है, श्री चन्द्रप्पन, अब आप कुछ मिनटों के लिये बोलिये।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : जब राजग के श्री स्वाईं ने चर्चा आरंभ की तो उन्होंने कहा कि उनके शासन काल में जो नीति अपनाई गई वह बाहुल्य की नीति थी। संभवतः, उनका विचार पुनः भारत उदय का नारा प्रस्तुत करने का था। सरकार की

*...*भाषण का यह अंश सभा पटल पर रखा गया।

ओर से श्री के.एस. राव बोले। उन्होंने सकल घरेलू उत्पाद विकास, कुशल कर संग्रहण, अर्थव्यवस्था में भारी विकास वगैरह की बातें कहीं। किंतु जब आप कतिपय वास्तविकताओं को देखें, तो पता चलेगा कि सरकार जिस तरह से उनका उत्तर देगी वह महत्वपूर्ण होगा।

जब हम संप्रग सरकार की आलोचना करते हैं तो वह इस बाबत होती है कि उसने न्यूनतम सांझा कार्यक्रम का वफादारी से कार्यान्वयन नहीं किया है। उदाहरणार्थ, कांग्रेस के नवनिर्वाचित महासचिव ने प्रधान मंत्री को ज्ञापन सौंपा जिसमें यह मांग की गई कि रोजगार गारंटी योजना को पूरे देश में कार्यान्वित किया जाये। हम सब भी इसकी मांग पिछले बजट सत्र से कर रहे थे। वित्त मंत्री ने कहा कि यह शनैः शनैः किया जायेगा। क्यों कि वित्तीय बाधायें हैं। कांग्रेस महासचिव द्वारा प्रधान मंत्री को एक बार अभ्यावेदन सौंपे जाने पर एक घोषणा हुई कि यह योजना पूरे देश में लागू की जायेगी। यदि सरकार इसके प्रति गंभीर है, तो मैं इसका स्वागत करता हूं किंतु मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगों में इसकी कोई झटक नहीं दिखी।

श्री पी. चिदंबरम : घोषणा यह थी कि शेष जिलों को 1 अप्रैल, 2008 से शामिल किया जायेगा।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : यह अच्छी बात है कि आप 1 अप्रैल, 2008 से ऐसा करेंगे।

श्री पी. चिदंबरम : जब हमने फरवरी, 2006 में इसे आरंभ किया था, तो इसका कार्यान्वयन 200 जिलों में करना था। तत्पश्चात्, हमने इसका विस्तार 130 जिलों में किया। शेष जिलों को 1 अप्रैल, 2008 से शामिल किया जायेगा। हमने जो कहा है उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ऐसा चरणबद्ध ढंग से किया जायेगा।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : अतः, अगले बजट में इसका उल्लेख होगा। अतः, उस हद तक तो ठीक है।

आखिरकार विकास क्या है? क्या यह केवल सकल घरेलू उत्पाद अथवा स्टॉक बाजार में वृद्धि से ही दिखता है? इसका मूल्यांकन दूसरे कई तरीकों से भी किया जा सकता है। सुबह सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के बारे में एक प्रश्न का उत्तर दिया गया था। भारत एक देश है और हम सबको इस बात पर गर्व है कि इसमें 9.2% सकल घरेलू उत्पाद विकास हासिल कर लिया है। मैं भी चाहता हूं कि यह विकास दो अंकों की संख्या में हो जैसा कि श्रीराव ने भी इच्छा जताई थी। प्रधानमंत्री ने बार-बार इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि जब तक कृषि क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत योगदान हमें नहीं मिलता तो यह चमचमाता विकास समाप्त हो जाएगा। यदि आप बजट और अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर दृष्टि डालें तो आपको कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कोई गंभीर प्रयास दिखाई नहीं देगा। कल, मैं कृषि मंत्री द्वारा प्रकाशित की गई कृषि संबंधी नीति को पढ़ रहा था। हमारे लगभग 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं। स्वामीनाथन समिति ने कई चीजों की सिफारिश की। उन्होंने कृषि सम्बंधी एक प्रारूप नीति की सिफारिश की जिसके आधार पर मंत्रिमंडल ने कृषि संबंधी नीति के बारे में श्री शरद पवार द्वारा दिए गए वक्तव्य का अनुमोदन किया है। अब स्वामीनाथन समिति द्वारा की गई एक मुख्य सिफारिश यह थी कि किसानों को चार प्रतिशत की दर से कृषि ऋण प्रदान किया जाए। सरकार ने इसे हासिल करने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया है।

मैं एक आर्थिक लेख पढ़ रहा था जिसमें लेखक ने संश्यात्मक रूप से यह लिखा कि 1.1 बिलियन गरीब भारतीयों का यह सपना है कि वे अगले जन्म में अमरीका में गाय के रूप में जन्म लें क्योंकि वे एक गाय पर प्रतिदिन दो डालर खर्च करते हैं। हमारे देश में आय एक डालर प्रतिदिन है। लगभग 1.1 बिलियन लोगों की आय उस आय से भी कम है। अतः हमें ये देखना है कि सकल घरेलू उत्पाद विकास के चमचमाते आंकड़ों और विकास कर रहे करोड़पतियों की ओर देखने की अपेक्षा उन लोगों को बेहतर जीवन कैसे दिया जा सकता है।

पिछले सत्र में बेकाबू होती मुद्रास्फीति की बहुत आलोचना की गई। अब मुद्रास्फीति नियन्त्रण में है। किन्तु इसे नियन्त्रित कैसे किया गया है? इसको हर चीज का आयात करके नियन्त्रित किया गया है। आयात का एक उदाहरण लीजिए पाम ऑयल का मुक्त आयात करने की अनुमति दी गई हैं। पाम ऑयल का मतलब क्या है? दक्षिण भारत के सभी राज्य नारियल का उत्पादन करते हैं और खासतौर से केरल देश में लगभग 60 प्रतिशत नारियल का उत्पादन करता है। क्योंकि पाम ऑयल का आयात बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसलिए एक नारियल की कीमत 3 रुपये से भी कम हो गई है। इस प्रकार अगर आप मुद्रास्फीति को नियन्त्रित करें, तो लोगों को किस प्रकार फायदा होगा। उपाय करके मुद्रास्फीति को नियन्त्रित किया जाना चाहिए ताकि लोगों को लाभ हो सके। यहां जो होता है वह यह है कि मुद्रास्फीति घटा दी गई है और बड़े पैमाने पर पाम ऑयल का आयात करके खाद्य तेल की कमी को नियन्त्रित किया गया है। आप लाखों किसानों को गरीबी की स्थिति में ला रहे हो।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपने पहले ही दस मिनट का समय ले लिया है और आपने मुझे आश्वासन दिया था कि आप पांच मिनट तक बोलेंगे।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : महोदय, मैं और अधिक बोलना चाहता था लेकिन कोई बात नहीं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

अत: कुछ चीजें हैं जिन पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कल हम नागर विमानन मंत्री से मिले और वहां इस बात का जिक्र हुआ। मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि विमानन के लिए ईंधन पर एयर इंडिया को कर का भुगतान करना पड़ता है। किन्तु उसका भुगतान विदेशी एयर लाइन्स नहीं करती जो कि उसी मार्ग पर अपने जहाज उड़ाती हैं। एयर इंडिया ने बताया कि इस कर का भुगतान करने के कारण उसे 200 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

श्री पी. चिदंबरम : आप कौन से कर की बात कर रहे हो?

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : आपको इसके बारे में जानकारी होगी हैं। हमारे सरकारी उपक्रमों और विदेशी कम्पनियों के बीच ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका भार भी उन गरीब लोगों पर ही पड़ता है जो विदेशों में काम कर रहे हैं। वे विदेशी मुद्रा भेज रहे हैं जिसका प्रयोग वित्तमंत्री जी सदा अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक-ठाक रखने के लिए करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो लोग वहां काम कर रहे हैं उन्हें दण्ड भुगतना पड़ता है क्योंकि एयर इण्डिया अधिक शुल्क वसूलता है, वहां आपके भी कुछ लोग हैं। यदि आपको कर वसूलना है तो दूसरी कम्पनियों पर भी कर लगाना चाहिए। ऐसे कार्य करते समय समानता होनी चाहिए।

महोदय, समय की कमी को देखते हुए, मैं यह कहकर अपना भाषण यहीं समाप्त करना चाहता हूं कि हम बजट का समर्थन करते हैं किन्तु साथ ही वित्तमंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस देश के आम लोगों की समस्याओं का ज्यादा ख्याल रखें।

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण (बाढ़) : महोदय, अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) वर्ष 2007-08 के बारे में बात हो रही है। कई विद्वान सदस्यों ने अपनी बात सदन के सामने रखी हैं। बहुत ही सार्थक बहस हुई है। मैं कतिपय अपनी बात रखना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र में कितना निवेश आपने बढ़ाया है। भारत गांवों में बसता है, कृषि प्रधान देश है। सदन में समय-समय पर अतिरिक्त अनुदानों की मांगे प्रस्तुत की जाती हैं। आप अनुमोदन भी मांगते हैं और अनुमोदन मिलता भी है। कृषि क्षेत्र में कितना निवेश बढ़ाया और उससे रोजगार का कितना सृजन हुआ, आपकी कौन-कौन सी योजनाएं हैं, जो पैसा आप मांग रहे हैं, उसे किस रूप में खर्च करना चाहते हैं। उसकी आप क्या विधिवत व्यवस्था करने जा रहे हैं। मंत्री जी जब अपना जवाब देगें, तो मैं चाहूंगा कि इन मुद्दों का जरूर ध्यान रखें।

भारत का आधार स्तंभ कृषि है और कृषि पर बराबर चर्चा होती है और बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाने की बात कही जाती है, लेकिन रोजगार ओरिएंटिड जो काम होना चाहिए था, वह अब तक नहीं हुआ है। जब सप्लीमेंटरी डिमांड्स आप ले कर आए हैं, तो अब तक जो काम नहीं हुए हैं, उन्हें करने के लिए या नया काम करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं?

हमारे देश की सिंचाई क्षमता क्या है, यह सारे लोग जानते हैं। देश की राष्ट्रीय औसत 40 प्रतिशत सिंचाई क्षमता बताई जाती है और बिहार जैसे राज्यों में तो यह क्षमता 20 प्रतिशत ही है। देश की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी या कितनी बढ़ेगी, क्योंकि यह देश बाढ़ और सूखाड़ का देश है। एक तरफ देश की नदियों में बाढ़ आती है और दूसरी तरफ देश का एक बड़ा हिस्सा सूखाड़ से ग्रसित होता है। मध्य बिहार सूखाड़ का इलाका माना जाता है और उत्तर बिहार से जूझता रहता है। बहुत दिनों से बात चल रही है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल से वार्ता की जा रही है और बाढ़ का वाटर मैनेजमेंट इतना ठीक ढंग से किया जा सकेगा कि उत्तर बिहार का इलाका बाढ़ से बच सकेगा। बाढ़ और सूखाड़ सिर्फ बिहार की ही समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश की समस्या है। हर साल जब बाढ़ आती है, लाखों लोगों को उजाड़ जाती है, जन-जीवन की क्षति होती है। आपने अतिरिक्त अनुदानों की जो मांगे रखी हैं, उससे आप इस विषय पर कौन सा काम करने जा रहे हैं। यह हम आपसे जानना चाहते हैं?

अपराह्न 1.58 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

बंजर भूमि की चर्चा बहुत होती है, इस देश में लाखों एकड़ जमीन बंजर है। हम आपसे स्पेसिफिक जानना चाहते हैं कि कितनी बंजर जमीन को कृषि योग्य बनाया गया? आजादी के बाद से अब तक जो पैसा खर्च किया गया है, उससे कितनी बंजर

ज़मीन को कृषि योग्य बनाया गया? क्योंकि हम समझते हैं कि आज भी कोई डाटा और खाका आपके पास नहीं है। यूपीए सरकार विश्वसनीयता पर टिकी हुई है और हम चाहेंगे की आपकी विश्वसनीयता कायम रहे, मजबूत हो, आप आगे बढ़ें। इसलिए जब आप जवाब देने के लिए आएं क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि देश का बड़ा पथरीला, रेगिस्तानी और बंजर इलाका, जो कृषि योग्य बनाया जा सकता था लेकिन आज भी आजादी के बाद नहीं बना है जबकि हम पैसा आपको दे रहे हैं, अब आपने कितना काम किया है और कौन सा काम बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कर रहे हैं, मैं आपसे इन सब बातों के बारे में जानना चाहूंगा? यहां विशेष चर्चा हुई, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

अपराह्न 2.00 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

भारत-अमरीका परमाणु समझौता

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : निस्संदेह, हम कल अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा जारी रखेंगे।

अब हम नियम 193 के अंतर्गत भारत-अमेरिका परमाणु करार के बारे में चर्चा करेंगे। माननीय सदस्यों, यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है और मुझे विश्वास है कि इस पर कुछ स्तरीय बहस होगी। मैं सभी माननीय सदस्यों और नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात का ख्याल रखें कि इस विषय को उचित महत्त्व और गरिमा प्रदान करते हुए इस पर चर्चा की जाए। मेरा यह भी अनुरोध है कि इस चर्चा में विदेशी मित्र सरकारों के प्रमुखों का उल्लेख न किया जाए।

माननीय सदस्यों, भारत-अमेरिकी परमाणु करार के बारे में चर्चा कराने को श्री पी. करूणाकरण और श्री रूपचंद पाल के नाम पर स्वीकृति मिली है। श्री पी. करूणाकरण ने मुझसे अनुरोध किया है कि वे श्री रूपचंदपाल को उनकी ओर से चर्चा कराने की अनुमति दें। मैंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया।

अब श्री रूपचंद पाल जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : आपने जो कहा, वह बिल्कुल ठीक है, पर आपने कहा कि एग्रीमेंट हुआ था कि चर्चा नियम 193 के अंतर्गत की जाये। हमारा इन्सिस्टेंस था कि रूल 184 में चर्चा होनी चाहिए, जिसमें वोटिंग हो...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप ही इस मुद्दे पर निर्णय लें। मेरे विचार से मैं मात्र इस बात का उल्लेख कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही विनिर्णय दे दिया है और विपक्षी दल के नेता ने इसे स्वीकार कर लिया था।

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : महोदय, मेरे पास भी एक पाइंट ऑफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : आपका पाइंट ऑफ ऑर्डर क्या है?

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : आपने रूल 253 के मुताबिक मैं पाइंट आफ ऑर्डर लाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

महोदय, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बोलिये, आपका क्या पाइंट ऑफ ऑर्डर है?

श्री मोहन रावले : अभी इसके ऊपर जो लीगल कंट्रोवर्सी ट्रीटी में हुई है, अभी तक तो कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, हमने कई देशों के साथ कीं। अभी ये सपोर्ट विथड्रा करने जा रहे थे, सरकार गिराने के लिए जा रहे थे, मेरी आपसे विनती है, महोदय, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

"जब तक संसद किसी द्विपक्षीय संधि की पुष्टि नहीं करती, तब तक संघ कार्यपालिका कोई द्विपक्षीय संधि नहीं कर सकती।"

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। यह किसी पाइंट ऑफ ऑर्डर का मामला नहीं है। जब आप बोलें आप वक्तव्य दे सकते हैं और इस पर बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको पता है कि यह कोई पाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, बहुत समय के बाद अन्त में इस सम्मानित सभा को बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते- भारत अमेरिका असैनिक परमाणु सहयोग समझौते पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ हैं। इसका इस देश के भविष्य, इसकी अर्थव्यवस्था, अन्य देशों के साथ इसके सम्बन्धों, इसके परमाणु कार्यक्रम और इसकी उर्जा सुरक्षा पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है। यह अच्छी बात है कि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। महोदय, हम आपको, सरकार के नेताओं और सभी संबंधितों को धन्यवाद देते हैं कि अन्ततः हमें यह अवसर दिया गया है।

पिछले सत्र से हम इस महत्वपूर्ण समझौते पर चर्चा करने का आग्रह कर रहे हैं लेकिन मुख्य विपक्षी दल के व्यवधानों के कारण हमने इससे इन्कार कर दिया गया था। हम इसका कारण अच्छी तरह समझ सकते हैं क्योंकि वे परमाणु समझौते पर अपनी स्थिति के बारे में भ्रम की स्थिति में थे। पहली बात यह है कि इन्होंने ही इसे शुरू किया था और जब भाजपा का शिष्टमण्डल माननीय प्रधानमंत्री से मिला तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे ठीक ही कहा था कि यह तो आपका ही किया है। लेकिन अब वे एक भिन्न भाषा का प्रयोग करके इस जिम्मेदारी को दूसरों पर डालना चाहते हैं। यह भाषा क्या होगी? हम इस के बारे में जानेगें क्योंकि इस संबंध में भिन्न-भिन्न स्वर सुनाई पड़ रहे है। श्री लालकृष्ण आडवाणी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक बार कहा था, ''नहीं, नहीं। हम समझौते से पूरी तरह सहमत हैं।''

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप अपना स्टैंड क्लियर करो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : अब विपक्षी दल के कुछ नेता लेख लिख रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। वे अलग अलग सुरों में बोल रहे हैं। भाजपा के अनुसार अमेरिका के साथ सामरिक महत्व का गठबन्धन करने में उनको कोई आपत्ति नहीं है तथा गुप्त वार्ताओं के 14 दौर हो चुके हैं।

श्री जसवन्त सिंह और स्ट्रोब टॉलबॉट के बीच वार्ताओं के चौदह दौर हो चुके है। निःसन्देह वार्ता अलग अलग स्थान पर हुई थी और उनमें से अधिकांश वार्ताएं गुप्त थी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मिस्टर स्ट्रोब टॉलबॉट द्वारा लिखी गई नवीनतम पुस्तक 'इन्गेजिंग इंडिया' में कौन-से मुद्दे उठाये गये हैं। जो हमें बहुत सी बातें बताते हैं कि सरकार की सहमति, बिना हमारी विदेश नीति के विषय में राष्ट्रीय सर्वसम्मति और अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखे बिना ही कतिपय वायदे किए गए हैं। जैसा कि उनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण ऐसा हुआ, उन्होंने उस समय इंडिया शाइनिंग का नारा बुलन्द किया जब भारत पीड़ा से कराह रहा था। लोगों ने उनको सही जगह पर बिठा दिया है। इसलिए जब भी लोगों को उनकी स्थिति और अमेरिकी दबावों के आगे उनके झुकने के बारे में पता चलेगा तो लोग उसी प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। लेकिन हम संप्रग से कुछ अलग उम्मीद रखते हैं। जब साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जा रहा था तो उस समय शायद अमेरिका के साथ सामरिक महत्व का गठबन्धन करने का भी सुझाव आया था लेकिन वामदलों ने साफ मना कर दिया था। वामदल इसमें पक्षकार नहीं बन सकते। इसलिए संप्रग की स्वतन्त्र विदेश नीति और पूर्ववर्ती राजग सरकार जिसका अमेरिका के साथ सामरिक महत्व का गठबन्धन करने के प्रति निश्चित रूप से झुकाव था जो अब तक कई दस्तावेजों के माध्यम से प्रकट हो चुका है, की नीति के बीच स्पष्ट लक्ष्मण रेखा खींच दी गई थी।

अब जब 18 जुलाई 2005 को सरकार माननीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। तो वामदलों ने शुरू में ही कतिपय आशंकाए व्यक्त कर दी थी। ऐसा नहीं है कि वामपंथी अचानक जागे हों और कहा हो ''नहीं'' हम इससे सहमत नहीं हो सकते। यदि आप बिना हमारा परामर्श लिए आगे बढ़ेंगे और जैसा कि हम आपका समर्थन करने वाले दल हैं हम इसमें पक्षकार नहीं बन सकते। हमारा यह कहना है कि हम इसमें पक्षकार नहीं बन सकते। हमें समझौते 123 के विभिन्न उपबन्धों पर ही गंभीर आपत्तियां हैं। तत्पश्चात उसके आधार पर कतिपय चर्चाएं हुई हैं। हमने समझौते में सम्मिलित नौ मुद्दे उठाए हैं जिन पर हमारे मतभेद हैं और हमें इस प्रारूप पर गम्भीर आपत्तियां हैं। अगस्त में माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ आश्वासन दिए थे। इसके बाद दिसम्बर 2006 में हेनरी हाइड एक्ट आया जो पहले वाले दो प्रारूपों के बीच का मिला जुला रूप है। इससे क्या निकला। कैसे

छूट दें, यू.एस. एटमिक एनर्जी एक्ट, 1954 इत्यादि में किस प्रकार की छूट दी जाए।

महोदय, हेनरी हाइड के नेतृत्व में एक प्रारूप तैयार किया गया था और प्रारूप के उपबन्धों के बारे में जानने के बाद वामदलों ने सरकार को स्पष्ट कर दिया था कि नौ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर वामदलों को आपत्ति है और सरकार को चाहिए कि वह इनके संबंध में राष्ट्र को पुन: आश्वस्त करे। अगस्त में माननीय प्रधानमंत्री ने उन सभी मुद्दों के संबंध में आश्वासन दिए। लेकिन हमें इस बात से निराशा हुई कि दिसम्बर, 2006 के हाइड एक्ट में हमने पाया कि सभा पटल पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए अधिकांश महत्वपूर्ण आश्वासनों को ठुकराकर उनको नजरअदांज कर दिया गया। ये प्रौद्योगिकी अंतरण, ईंधन आपूर्ति, अमेरिकी विदेश नीति के साथ विशेष रूप से ईरान के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति की अनुरूपता, ईंधन की निर्बाध आपूर्ति और बहुत से अन्य मुद्दों से संबंधित थे। हम एक-एक करके इस पर आएंगे।

माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से एक बात कही थी सम्पूर्ण परमाणु चक्र यह बहुत महत्वपूर्ण है।

"लेकिन हमने यह पाया कि यह चयनात्मक था। यह प्रतिबंधों को हटाने के मामले में भी चयनात्मक था। संवेदनशील प्रौद्योगिकी तथा दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकी के अंतरण से मना कर दिया गया। सरकार का यह दावा है कि प्रौद्योगिकी अंतरण से इनकार किये जाने पर हम वैश्विक परमाणु अखाड़े की मुख्यधारा में प्रवेश कर रहे हैं। हम मान्यता प्राप्त परमाणु शक्ति भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है केवल प्रौद्योगिकी अंतरण के मामले में ही नहीं अपितु ईंधन आपूर्ति के मामले में भी दिया गया आश्वासन बहुत अस्पष्ट था। तारापुर का अनुभव हमारे सामने है। हमने यह पाया कि ईंधन की निर्बाध आपूर्ति के संबंध में भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। इसे बार बार उठाया गया। सरकार यह कहने की कोशिश कर रही है कि "नहीं। आश्वासन मिला हैं।" करार सम्प्रप्ति के मामले में भी क्या होगा? करार समाप्ति का खण्ड है। समाप्ति खंड क्या है? भारत सरकार द्वारा परमाणु विस्फोट किए जाने की स्थिति में करार समाप्त हो जाएगा। विभिन्न अन्य कारणों और बाहरी कारणों जिनका सिविलियन परमाणु उर्जा से कोई प्रत्यक्ष संबंध भी नहीं है, से भी करार समाप्त हो सकता है। करार की समाप्ति के मामले में ईंधन आपूर्ति, रिएक्टर, उपस्कर और हर चीज लौटानी होगी। यद्यपि एक खंड ऐसा है जिस पर सरकार यह कह कर तर्क करने की कोशिश कर रही है कि "नहीं। उस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका कह रहा है कि वह सुधारात्मक उपाय करने में हमारी सहायता करेगा।" यदि फिर भी आप करार 123 को हाइड एक्ट से जोड़ते हैं तो यह दूसरी बात है।

इन दोनों के बीच का संबंध महत्वपूर्ण हैं। क्या हम जान पाएंगे कि केवल अमेरीकी कांग्रेस ही स्थायी छूट दे सकती है अथवा आप को बख्श सकती है। हाइड एक्ट में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि करार समाप्त होने पर संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी अन्य देश को ईंधन की आपूर्ति करने से रोक सकेगा। इसका अर्थ यह है कि आप कहीं भी नहीं हैं। हम यही मुद्दा उठा रहे हैं। मिथ्या प्रचार किया जा रहा है कि हम ऐसा चीन के कहने पर कर रहे हैं। हम इस कारण अथवा उस कारण से ऐसा कर रहे हैं। इस लिए झूठी कहानियां प्रचारित की गई हैं। क्या यह पूछना बुद्धिमानी नहीं है कि हमारे परमाणु रिएक्टरों को ईंधन की आपूर्ति निर्बाध रूप से मिलेगी या नहीं? इसकी क्या गारन्टी है? आप लगातार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के साथ करार कर रहे हैं। लेकिन परमाणु ईंधन आपूर्ति लगातार नहीं मिलेगी। यह सशर्त है। क्या ऐसा प्रश्न पूछना बुद्धिमानी नहीं है? ईंधन मुद्दे के पूरे मामले सहित ये बाहरी मुद्दे हैं। हमारी देशभक्ति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे पास अतीत का अनुभव भी हैं।

कई बार कम्युनिस्टों पर आरोप लगाए गये हैं कि वे देशभक्त नहीं हैं। लेकिन इतिहास कुछ और कहता हैं। पार्टी में ऐसे ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुरूष और महिलाएं हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए बलिदान दिये हैं, जिन्होंने 30-40 वर्ष जेल में बिताए जिनमें से कुछ इस सभा के सदस्य रहे है? हमने भारत-चीन सीमा विवाद को सुलझाने के सुझाव दिए हैं। हमने यह कहा था कि इसे सशस्त्र संघर्ष से नहीं बल्कि वार्ता से सुलझाया जाए। अब सरकार यही काम कर रही है। बहुत से अन्य लोगों का मानना है कि यह सही रास्ता है। हम अपने सुझाव देते हैं तो हम पर आरोप लगाए जाते हैं। जब हम सही बात कहते हैं तो हमें गालियां दी जाती हैं। लेकिन हम इसे यूं ही नहीं मान लेंगे।हम पूछ रहे हैं; "ईंधन की निर्बाध आपूर्ति के बारे में क्या स्थिति है?

अब मैं माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिए गए सभी नौ बिन्दुओं पर आ रहा हूं। हमारी सामरिक स्वायतता का क्या होगा?

यदि हम इस करार से पहले के भाषणों को देखतें हैं तो पाते हैं कि यह सब बहुत पहले श्री जसवन्तसिंह और मिस्टर स्ट्रोब टॉलबॉट के बीच हुई वार्ताओं के दौरान ही शुरू हो गया था। उन्होंने सैन्य आदान प्रदान, सामरिक गठबन्धन और चीन को रोकने के लिए एशिया में एक नए क्षेत्रीय संगठन बनाने के बारे में बातचीत की थी और हाल ही में प्रकाशित एक लेख में मुख्य वार्ताकार श्री निकोलस बर्न्स ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि यह युग अमेरिका विरोधी है। हां,

[श्री रूपचन्द पाल]

पूरे लातीनी अमेरीका में ब्राजील, अर्जेन्टीना, मैक्सिको, इक्वाडोर और बोलीवीया, वेनेजुएला जैसे देश संयुक्त राज्य अमेरीका का विरोध कर रहे हैं। विश्व की स्थिति पर दृष्टि डाल कर देख लीजिए रूस किसी भी ऐसे खतरे का सामना करने के लिए खड़ा है जो वह कुछ वर्ष पहले नहीं कर सकता था। विश्व की स्थिति बदली हुई है। अमेरिका के अन्दर भी- मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं—अमरीकीयों में वर्तमान राष्ट्रपति सबसे घृणित व्यक्ति हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कहने की जरूरत नहीं है।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, लेकिन चर्चा के दौरान गरिमा बनाएं रखें।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासनकाल में भारत ने इराक में उनके साथ सहयोग किया। कुछ अन्य देशों ने विश्व के दूसरे भागों में भी उनका सहयोग किया है। ब्रिटेन में जिन्होंने अमरीका का समर्थन किया उनको सत्ता से बाहर कर दिया गया। ऐसा ही आस्ट्रेलिया और जापान में हुआ है। इसलिए, यह अमेरिका विरोधी युग है। यह स्वीकारोक्ति मिस्टर निकोलस बर्न्स द्वारा की गई है और इस युग में किस बात की आवश्यकता है? निकोलस बर्न्स के लेख के अनुसार जिस बात की आवश्यकता है वह यह है कि एशिया में संयुक्त राज्य अमेरीका एक नया क्षेत्रीय संगठन बनाए, नया सैन्य दर्जा हासिल करे, नौसैनिक अभ्यास करे, नए मित्र बनाए और उसी लेख में यह कहा गया है कि "संयुक्त राज्य अमेरीका ने दक्षिण और पूर्वी एशिया में अपने हितों के लिए इस संबंध के लाभों को प्राप्त करना शुरू कर दिया हैं।" इस प्रकार, आप स्थिति को भली भांति समझ सकते हैं।

महोदय, अमेरीका के हेनरियों की नींद क्यों उड़ रही है? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। हेनरी हाइड ने यह कार्य किसी और जगह किया है और कुछ अन्य हेनरी यहां आ रहे हैं और सरकार में बैठे हुए लोगों से मिल रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। एक सहस्त्राब्दि में एक बार एक हितैषी आया है जिसकी नींद उड़ी हुई है। हम करार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। उनका कहना है, "नहीं, इससे आप को लाभ होगा", यद्यपि हम यह जानते हैं कि यह उनके हित में है। बार-बार यह कहा जा रहा है कि एशिया में एक नया क्षेत्रीय संगठन खड़ा करने के लिए यह उनके हित में है। एशिया महाद्वीप में एक नया नाटो बनाने के लिए उनको भारत की जरूरत है। एक बार वे पाकिस्तान और भारत को सन्तुलित करना चाहते थे। सयुंक्त वार्ता कराने जैसी बातें हुई। मैं यहां उस सब पर नहीं जाऊंगा। लेकिन अब वे भारत को चाहते हैं। वे क्या कहते हैं? जुलाई में दिये गये वक्तव्य में यह कहा गया है कि भारत-अमेरीका परमाणु करार उसका एक हिस्सा है। उनका कहना है कि कृषि शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सैन्य क्षेत्रों में सहयोग होगा तथा यह पूरा पैकेज है और पूरे पैकेज के मध्य एक करार है। श्री निकोलस बर्न्स की भाषा में यह केन्द्र बिन्दु है। वह सब कुछ नहीं है। इसलिए, वे चाहते हैं कि हम अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति की उपेक्षा कर दें। वे खुलेआम कह रहे हैं कि गुट निरपेक्षता पुरानी बात हो गई है और हमसे इसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं। वे बार बार हम से ईरान का समर्थन न करने के लिए कह रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम ईरान की अनदेखी कर दें और दुर्भाग्यवश, हम ऐसा करते आये हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेन्सी में दो बार ईरान के विरूद्ध मतदान किया।

हमारा भारतीय शिष्टमंडल शीर्ष स्तर से आए निदेश से हैरान थे। यह कैसे हुआ? ईरान हमारा मित्र है। हमारे उनके साथ सभ्यतागत सम्पर्क रहे हैं। हाल ही में कुछ समय पहले हमने ईरान से आए अतिथि का गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान किया था। हमारा उनसे संबंध है। हम ईरान से तेल की आपूर्ति पर बहुत अधिक निर्भर हैं। हम क्यों उसकी अनदेखी करें? लेकिन हमने की। हाइड एक्ट के अन्दर नौ सन्दर्भों में यह कहा गया है कि "भारत। हम आपको पुरस्कृत कर रहे हैं और ईरान उचित व्यवहार नहीं कर रहा है। उसको दंडित किया जाएगा। ईरान को दंडित करने में हमारी सहायता कीजिए। क्या इस तरह भारत को अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति का अनुसरण करना चाहिए?

क्या यह हमारे स्वतंत्रता संघर्ष से मिली विरासत - राष्ट्रीय सर्वानुमति के आधार पर समय की कसौटी पर खरी उतरी गुट-निरपेक्ष नीति थी? यह एक नया बहु ध्रुवीय विश्व है। अब एकाधिकारवादी व्यवस्था नहीं चलेगी। निकोलस बर्न्स ने यह स्वीकार किया है कि वे दिन ब दिन अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में भारत को अमेरीका का साथ देना चाहिये और उसके आदेश पर अपने आपको अलग थलग कर ले। हमें उनके निर्देश पर ईरान-पाकिस्तान भारत गैस परियोजना शुरू करने से परहेज करना चाहिये। हमारे कहने पर भारत ने ईरान के विरुद्ध मतदान किया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

यह केवल हमारी स्वतन्त्र विदेश नीति ही दृष्टिकोण नहीं है बल्कि इससे हमारे सामरिक कार्यक्रम भी प्रभावित होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह तर्क है कि भारतीय अर्थव्यवस्था नौ प्रतिशत अथवा साढ़े नौ प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी हो रही है। वे कितने ही आंकड़े देते रहें इसका आम आदमी की रोजी-रोटी से कोई संबंध नहीं है। उनके केबिनेट मंत्री की भी यह स्वीकारोक्ति है कि वृद्धि का यह प्रतिशत लोगों की स्थिति से परिलक्षित नहीं होता हैं। उनकी स्वयं की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 70% से भी अधिक लोग 20 रुपये प्रतिदिन की आय पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं।

विकास के लिए हमें और अधिक ऊर्जा चाहिये। इससे कौन इंकार कर सकता है? वामदल इससे इंकार नहीं कर रहे हैं। क्या उनकी कोई नीति है? एकमात्र नीतिगत दस्तावेज जो उन्हें मिला है वह है एकीकृत ऊर्जा नीति संबंधी श्री पारीख का ग्यारहवीं योजना दस्तावेज। उसमें उन्होंने क्या कहा है। क्या उनका कोई दृष्टिकोण है? उन्होंने वर्ष 2020, 2030 तक के परमाणु ऊर्जा अनुमान और बहुत सी बातें कही हैं। क्या उनको मिली जुली ऊर्जा के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति प्राप्त हुई है। आप इसकी गणना किस प्रकार करेंगे? क्या अध्ययन किया गया है? क्या विश्लेषण किया गया है? आयातित रिएक्टर की लागत क्या है? कुछ नहीं किया गया और अचानक परमाणु पुनर्जागरण आ गया। हम बस को नहीं छोड़ सकते। बस का क्या उद्देश्य है, इसकी कौन सी मंजिल है? किसकी मंजिल है?

परमाणु पुनर्जागरण एक प्रचार है। स्वयं अमेरीका में ही थ्री माइल आइलैंड डिजास्टर के बाद 30 वर्षों से कोई परमाणु संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है। वे वेस्टिंगहाउस जी.ई, इत्यादि और अन्य परमाणु कंपनियों के लिए केवल बाहरी बिक्री पर निर्भर रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज में भी कहा गया है कि अब परमाणु ऊर्जा वैश्विक विद्युत ख़पत का 16 प्रतिशत बैठती है। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यदि आप चाहें तो इसे मैं पढ़ सकता हूं। इस में हमारे *[हिन्दी]* सम्मानित पचौरी साहब, जो नोबेल लॉरिएट हैं, उनकी रिपोर्ट है, स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट है *[अनुवाद]* कि यह केवल 16 प्रतिशत है और बहुत प्रयास करने पर भी आप 18 प्रतिशत तक पहुंच सकते हैं। *[हिन्दी]* क्लाइमेट चेन्ज के आधार पर, एनर्जी सिक्योरिटी के आधार पर हमारे पास क्या नहीं है।

[अनुवाद]

लोग बता रहे हैं—अरुणाचल प्रदेश के संसद सदस्य यहां बैठे हैं। उन्होंने मुझे लिखा है और मुझ से बात की है कि अकेले पूर्वोत्तर में 60,000 मेगावाट जल विद्युत की क्षमता है। कठिनाई क्या है? धन नहीं है। अकेले पूर्वोत्तर में यह क्षमता है। अध्ययन में यह कहा गया है और हमने इसका दोहन नहीं किया है। क्या आपके पास कोयले के भण्डार नहीं हैं? क्या यह समाप्त हो गया है? क्या आज भारत में स्वच्छ प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है? क्या कोल बेड मिथेन (सी.बी.एम.) या द्रवीकृत कोयला प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई राष्ट्रीय कोयला उपयोग अथवा राष्ट्रीय कोयला नीति है या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में, आप परमाणु ऊर्जा का विकल्प चुन रहे हैं जोकि महंगा है। कुदनकुलम में की गई प्रारूप गणना के अनुसार, यह गणना की गई थी कि रूस की रियायती सहायता के बावजूद भी परमाणु लागत लगभग 4 से 5.50 रुपये तक होगी। यह सस्ती नहीं है। अब सवाल यह है कि यदि सस्ती नहीं है, तो आप इसे क्यों अपनाना चाहते हैं? यदि इसके लिए आप को इतना सब चुकाना पड़ रहा है जैसे हमारी स्वतन्त्र विदेश नीति, हमारा सामरिक कार्यक्रम, हमारा अपना घरेलू परमाणु कार्यक्रम, हमें उनके इशारे पर चलना होगा। वे विभिन्न स्थितियों में परमाणु ब्लैकमेल कर सकते हैं और ऐसा उन्होंने किया भी है। आप इसे क्यों लागू करना चाहते हैं? क्या आप उसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं? उनका रूग्ण परमाणु उद्योग पुनर्जीवित हो उठेगा तथा वहां पर और अधिक रोजगार उत्पन्न होंगे। यह कोंडालिजा राइस की स्वीकारोक्ति है। लेकिन यह भारत की कीमत पर होगा। हमारे यहां बहुत अधिक बेरोजगारी है। हमें कोई रोजगार नहीं मिलेगा। वहां पर हमें रोजगार मिलेगा क्योंकि उनके परमाणु रिएक्टर भारत में आएंगे।

हमारा घरेलू परमाणु कार्यक्रम आत्मनिर्भर है। हम परमाणु ऊर्जा के विरुद्ध नहीं हैं। हम एक उपयुक्त, न्यायोचित परमाणु ऊर्जा का मिश्रण चाहते हैं। हमें यह बताया जा रहा है कि धन नहीं है। संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। अचानक हम उनके इशारे पर महंगी परमाणु ऊर्जा के विकल्प को अपना रहे हैं। क्या इससे हमें सहायता मिलेगी? नहीं, मैं कहना चाहता हूं है कि यदि आप लागत संबंधी लाभ को देखें तो भारत को लाभ नहीं होगा। यह कहा जा रहा है कि करार 123 हाइड एक्ट से भिन्न है। हम हाइड एक्ट के बारे में चिन्ता क्यों कर रहे हैं। जहां कहीं विवाद नहीं है तो ठीक है। यदि कहीं विवाद है तो उनका राष्ट्रीय कानून चलेगा। यह बहुत स्पष्ट है। वाम दलों ने करार 123 और हाइड एक्ट के बीच के संबंध पर अपना दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के विषय में वियाना कन्वेंशन इत्यादि क्या हैं। वे कह रहे हैं कि चीन ने ऐसा कर दिया है। *[हिन्दी]* अरे बाबा, चाइना

[श्री रूपचन्द पाल]

एक न्यूक्लियर वैपन स्टेट है। *[अनुवाद]* चीन ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आप भारत की तुलना चीन से क्यों कर रहे हैं? चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का करार अंतर्राष्ट्रीय कानून से शासित है। हमारे वाला करार अमेरिका के राष्ट्रीय कानून से शासित है। इस प्रकार के मामलों में यही हुआ है। उदाहरण के लिए जापान में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और इन सब बातों और इन सब क्षेत्रों में यही हुआ है। जापान के मामले में क्या हुआ? मध्यस्थता के द्वारा भारत-अमेरीकी परमाणु करार को ऐसे स्तर पर रखा गया है जो भारत के लिए हानिकारक है। उनका कहना है, नहीं, वर्तमान राष्ट्रपति ने हमें लिखित आश्वासन दिया है। इस लिखित आश्वासन क्या लाभ है? भावी राष्ट्रपति केवल अमेरिकी कानून के अनुरूप ही चलेंगे। ऐसी स्थिति में, हम यह कह रहे हैं कि आप इतने उत्सुक क्यों हैं कि हमें अवसर नहीं गंवाना चाहिये। मुझे पता नहीं आप कौन से अवसर की बात कर रहे हैं, कौन से लक्ष्य की बात कर रहे हैं। एनरॉन का अनुभव हमारे सामने है। क्या आप उसको भूल गए हैं? यह केवल कीमत के बारे में नहीं है। हमने इसके बारे में बहुत सी बाते कही हैं। हमने कहा है "यह मत करो"। उनका कहना है; "नहीं, यह भिन्न प्रकार की दुनिया है"। इस भिन्न दुनिया में आपने एनरॉन को बुलाया और महाराष्ट्र के लोग हमें बेहतर तरीके से बताएंगे कि क्या स्थिति है।

मैं सरकार को यह बताने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता हूं कि अंततोगत्वा वामदलों ने आपको यह कहा है कि आप अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के पास जा सकते हैं। लेकिन, किस बात के लिए? हम निर्बाध आपूर्ति के बारे में ठोस आश्वासन चाहते हैं। आपने रूस के कार्यक्रम के लिए वह नहीं किया। आपने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह अलग मुद्दा है। मैं कुदनकुलम मुद्दे पर नहीं जा रहा हूं।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी की तरफ से दोबारा आश्वासन भारत की विशेष आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिये क्योंकि यह सुरक्षोपाय विशेष रूप से भारत के लिए ही होगा। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत के लिए विशेष रूप से बनाए गए सुरक्षोपाय क्या हैं? क्या गारन्टी है?

आप कह रहे हैं कि हमारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी निरन्तर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी की निगरानी में रहेंगे। हमारे परमाणु वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कतिपय क्षेत्रों में अन्य रिएक्टरों से श्रेष्ठ हैं। हम एक विशेष परमाणु चक्र पर काम करते हैं जिसके द्वारा आप इस्तेमाल हो चुके ईंधन का उपयोग कर सकते हैं, इसको संवर्धित करते हैं और अपना काम जारी रखते हैं।

परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन पश्चिमी विश्व के लिए बड़ी समस्या बन गया है। ऐसी स्थिति में हमें कुछ लाभ मिले हुए हैं। लेकिन फास्ट ब्रीडर रियेक्टरों को निगरानी और सुरक्षोपाय के अधीन रखने से क्या हमें कोई फायदा होगा।?

अब मैं पुनर्प्रसंस्करण के मुद्दे पर आता हूं। यह बहुत अस्पष्ट है। यह केवल सैद्धान्तिक है। जो भी आश्वासन दिया गया है वह केवल सैद्धांतिक है। उनका कहना है कि एक पुख्ता व्यवस्था के अधीन हमें इस्तेमाल किए गए ईंधन इत्यादि का उपयोग करने की अनुमति मिले। इसकी क्या कीमत है? इसलिए यह सामरिक गठबन्धन का साधारण प्रश्न नहीं है। यह तो उनके दबाव के आगे झुकना हुआ। चूंकि वे अलग-थलग होते जा रह हैं, वे भारत को भी अलग-थलग करवाना चाहते हैं। इसके कारण हमें विश्व व्यापार संगठन स्तर की वार्ताओं में बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। समूह 70, समूह 77 और समूह 90 के देशों में हमारे मित्र देश हैं। हम किस के विरुद्ध लड़ रहे हैं? चीन, भारत और ब्राजील अमेरीका कृषि सब्सिडी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। वे हमारे मित्र हैं। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और उदीयमान संस्थाओं में हम सभी मित्र हैं। इससे क्या संदेश जाएगा? भारत की स्वाधीनता के साठ वर्षों के बाद भी भारत ने वह काम किया जो इसने कभी नहीं किया। उन्होंने अपने भाषणों में इस बात का उल्लेख किया है।

कांग्रेस पार्टी के लोग इन आक्षेपों को कि पंडित नेहरू के समय के दौरान वे सोवियत रूस और अन्य देशों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे, के बारे में पढ़ सकते हैं। उन्होंने यह कहने का साहस किया था कि भारतीय सेना में सोवियत रूस के हथियारों की भरमार है। हमारे पास 126 बहु भूमिका वाले लड़ाकू विमान हैं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रूपचन्द पाल : कृपया मुझे एक मिनट का समय और दीजिए।

इसके अलावा, वे कह रहे हैं कि इसके साथ-साथ भारत बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र को खोले और अपने बाजार में विदेशी रिटेल को

प्रवेश की अनुमति दें। ऐसी स्थिति में, हम समझते हैं कि सरकार करार में निहित खतरों के बारे में विचार नहीं कर रही है।

यह कहा गया है कि भारत के 90% नागरिक परमाणु रियेक्टर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी की निगरानी में होंगे। वे किस प्रकार इसकी गणना करते हैं? मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। निकोलस बर्न्स जो मुख्य वार्ताकार हैं, स्वयं लिखते हैं कि भारत के 90% नागरिक परमाणु रियेक्टर लगातार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी की निगरानी में रहेंगे। वह भी लगातार तब जाकर हमें लोकतंत्र के बारे में उनकी अवधारणा का ज्ञान होता है कि वे कह रहे हैं वे भारत के साथ मिलकर बहुत से देशों में लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान करेंगे। इतने सारे देशों के साथ हमारे संबंधों का क्या होगा? हम जानते हैं कि उनके वहां किस प्रकार का लोकतंत्र है। हम जानते हैं कि इराक और अफगानिस्तान में क्या हुआ। अब यह देखकर बहुत अजीब लग रहा है कि फिलिस्तीन का समर्थन करने और विभिन्न अन्य मध्य-पूर्व के मुद्दों के संबंध में सरकार का सुर बदल गया है। यह बहुत ही दबा हुआ स्वर है। हमें आशंका है कि उन पर दबाव ने काम करना शुरू कर दिया है।

महोदय, अब मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

उन्होंने यह भी कहा है कि "सैन्य सहयोग में इस बात से भी बाधा पहुंचती है कि अभी भी अधिकांश भारतीय सेना सोवियत यूनियन के उपकरणों का भारी मात्रा में उपयोग करती है। उदाहरण के लिये, संयुक्त राज्य अमरीका से नये आधुनिक बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमानों की भारतीय रक्षा सेवाओं से संबधित महत्पूर्ण खरीद, जो भारतीय वायु सेना करती है इस दिशा में उठाया जाने वाला बड़ा कदम है। अतः, 123 मात्र 123 ही नहीं है; 123 तो 126 भी है अर्थात् उनका विमान।

उन्होंने भारतीय शस्त्र बाजार, भारतीय बीमा बाजार, भारतीय बैंकिंग, भारतीय खुदरा बाजार और समुद्रों और नौसेना की रक्षा करने हेतु एक सहयोगी के रूप में भारत के बारे में भी कहा है। और, वे पीएसआई, प्रसार सुरक्षा पहलों पर अड़े हुये हैं। वे कई अन्य ऐसें करारों पर जोर दे रहे हैं जिन पर हम पहले सहमत नहीं हुये थे।

हम जानते हैं कि हाल ही में, परमाणु सामग्री से लैस जहाज आये थे। आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमरीका, और जापान और भारत ने संयुक्त अभ्यास किये हैं। इससे क्या संदेश गया? हमारे पड़ोसियों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या होता है? यह बहुत शानदार करार है कि ईंधन सेवाओं की अनुमति दी जायेगी और वे ईंधन यहां लेंगे तथा वे मात्र भारतीय महासागर अथवा बंगाल की खाड़ी में इतजार करेंगे। वे इन्तजार कर रहे हैं। क्या हमारे पड़ोसियों को हम पर संदेह नहीं होगा? अमरीका की गलती से हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, हमें दण्ड मिलेगा। ऐसा बहुत पहले हुआ था। जब ये लोग भारतीय सेना को ईराक भेजने पर सहमत हो रहे थे, तब सारा सम्माननीय सदन खड़ा हुआ और उसने कहा: "नहीं।" किंतु फिर भी, उन्हें झिझक हो रही थी। कोई भर्त्सना नहीं की गई। उन्होंने केवल एक ही शब्द 'निंदनीय' का प्रयोग किया।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में ही बात समाप्त होनी चाहिये।

श्री रूपचन्द्र पाल : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

समय-सारणी के बारे में, वे जल्दी कर रहे हैं और कह रहे हैं: "जनवरी तक, आपको इसे अवश्य करना होगा; इसे अमरीकी कांग्रेस के पास जाना होगा" जैसे कि उनकी संसद, उनकी अमरीकी कांग्रेस भारतीय संसद से श्रेष्ठ है। भारत की संसद में इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिये। इस सदन की भावना के बारे में जान लिया जाये। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में, किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि की सम्पुष्टि कराने का कोई प्रावधान नहीं है। समय आने पर हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

किंतु यह हमारी हार्दिक अपील है। हमने अपने विचार प्रस्तुत कर दिये हैं। प्रारूप विधेयक के बारे में हमारे द्वारा जताई गई आपत्तियों से संबंधित प्रधान मंत्री के अधिकांश आश्वासनों को हाईड एक्ट में ठुकरा दिया गया है। हमारी आशंकायें बार-बार सच साबित हुई है। कृपया सदन की भावना को जानें। आगे मत बढ़ें क्योंकि इस संप्रभु सदन के अधिकांश सदस्य इस बहुत-बहुत महत्वपूर्ण करार के खिलाफ हैं, जिसका इस देश के भविष्य, इस देश की भावी अर्थव्यवस्था, हमारे परमाणु कार्यक्रम, हमारी आत्म-निर्भरता और उभरते हुये बहु-ध्रुवीय विश्व में अन्य देशों के साथ हमारे रिश्तों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, हालांकि हम इस विशेष मामले पर पहली बार सही चर्चा कर रहे

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

हैं, मुझे अभी भी विश्वास है कि यह चर्चा इस समय संसद के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण हो गयी हैं।

अभी श्री रूपचंद पाल ने अपना भाषण समाप्त करते हुये कहा कि जहां तक इस मुद्दे की बात है, वे चाहते हैं कि सदन की भावना जान लेनी चाहिये। मुझे इस संबंध में ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता है कि सरकार प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के नियम 184 के अंतर्गत इसके बारे में चर्चा करने पर सहमत क्यों नहीं होती।

मैं इस बात को समझ सकता हूं कि इस संबंध में चाहे जो भी राय हो सरकार तो यही कहेगी कि संविधान हमें किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि की अभिपुष्टि करने के लिए बाध्य नहीं करता है। अतः, आपने एक विचार व्यक्त किया है। ऐसे अवसर भी आये हैं जब सदन ने अपना विचार व्यक्त किया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं एक सेकेंड के लिये बोल सकता हूं। जब मैंने पिछले सत्र में नियम 184 के अंतर्गत नोटिस के बारे में अपना विनिर्णय किया था, तो मैंने सरकार से परामर्श नहीं किया था। अतः, सरकार की इच्छा मेरे लिये कोई मायने नहीं रखती है। ऐसा इस कारण है कि आपने कहा कि सरकार क्यों शामिल हुई।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इसे स्वीकार करता हूं। किंतु मेरे विचार से, जहां तक सदन की भावना का संबंध है, कई मौकों पर यह भावना व्यक्त की गई है। सरकार की ओर से इस विशेष मुद्दे पर कुछ कहे जाने के विरोध में जब हमने एक बार वाक-आउट किया था, तब सदन के लगभग सभी वर्गों ने वाक-आउट किया था। वास्तव में, संप्रग, वाम दलों ने भी हमारे साथ वाक-आउट किया था। अन्य अवसरों पर भी ऐसा हुआ है। मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा।

आज, प्रधान मंत्री जी यहां हैं और मैं यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब वे वर्ष 2005 में प्रथम बार राष्ट्रपति बुश से मिले थे, तो देश में राजनीतिक दलों, विचारकों में यह चर्चा आरंभ हुई थी, तब परमाणु सहयोग के बारे में राष्ट्रपति बुश के साथ उनका संयुक्त वक्तव्य जारी होने के दो दिन बाद उनसे एक प्रश्न किया गया था। वाशिंगटन में 20 जुलाई, 2005 को हुये प्रेस सम्मेलन में उनसे जो प्रश्न किया गया था वह यह था कि: प्रधान मंत्री जी, क्या आपको लगता है कि आपके सहयोगियों और विपक्ष की ओर से इसका किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध किया जायेगा? स्पष्टतः, उन्हें आभास था कि ऐसा कुछ होने की संभावना है। अतः, मेरे मित्र श्री रूपचंद पाल स्ट्रोब तालबोट और उन सब के बारे में जो भी, कहें, उसके बावजूद, उन्हें पता था कि इस विशेष मुद्दे पर हमारी कतिपय कड़ी आपत्तियां हैं। इसलिए, यह प्रश्न किया गया था: "क्या आपको लगता है कि भारत-अमरीका की नई नीति को कार्यान्वित करने में आपके सहयोगियों और विपक्ष की ओर से किसी प्रकार का प्रतिरोध किया जायेगा? और क्या आप विदेश नीति में इस नई दिशा के लिये संसद की सहमति अथवा अनुमोदन प्राप्त करेंगे? अतः वे इस बात को मान कर चल रहे हैं कि यह सरकार विदेश नीति को एक नई दिशा दे रही है।

प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने उत्तर दिया: "ठीक है, हमारे देश में संसद संप्रभु है। मेरी इच्छा है कि मैं स्वदेश लौटकर संसद में वक्तव्य दूं, और यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति के आधार पर ही आगे बढ़ सकते हैं।" अब, प्रधान मंत्री से मेरा पहला सवाल यह है कि: क्या आपको इस मुद्दे पर व्यापक राष्ट्रीय सहमति नजर आती है जिससे पूर्व आपने "यदि व्यापक राष्ट्रीय सहमति" शब्द इस्तेमाल किये थे। इस देश में संविधान में जनमत-संग्रह का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जैसा कि कुछ अन्य देशों में है।

किंतु जहां तक संसद की बात है, मुझे विश्वास है कि आपको और सबको ज्ञात है कि इस विशेष करार के बारे में कोई आम-सहमति नहीं है। अतः, जब यह स्पष्ट है कि इस करार पर कोई व्यापक आम-सहमति नहीं है, तो आप इस करार पर इतनी जल्द बाजी क्यों दिखा रहे हैं? क्यों? मुझे यह बात समझ नहीं आती है। आप इस पर हमारे द्वारा दिये गये सुझाव के परिप्रेक्ष्य में विचार क्यों नहीं करते हैं? इस करार पर दोबारा से वार्ता करने के तरीकों के बारे में सोचिए।

उनकी आपत्ति इस समझौते पर इतनी नहीं है। आप इसे प्रथम वाक्य में ही देख सकते हैं। यह या तो अमेरीका वाद-विरोधी है अथवा भाजपा वाद-विरोधी है और यही उन सब के लिये एक मार्ग निर्देश बन गया है। अतः, उनका पहला ही वाक्य यह है कि वे संयुक्त राज्य अमरीका के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की सामरिक भागीदारी के खिलाफ हैं। हम नहीं हैं। हम नहीं हैं। अतः, जब लोग मेरे बारे में, स्ट्रोब तालबोट अथवा जसवंत सिंह की पुस्तक अथवा मेरे द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में बोलते हैं, तो मैंने सिर्फ इसी पर बल दिया था। दूसरे सदन में चर्चा के दौरान, कई बार देखा

जा सकता है कि सीपीआई (एम) और बीजेपी का विरोध एक जैसा ही है। नहीं, यह एक जैसा नहीं है।

इस वक्तव्य विशेष में जो मैं मतभेद व्यक्त करना चाहता हूं, उसे मेरे रुख में परिवर्तन माना जा सकता है। किंतु मेरे रुख में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यह सच है कि पिछले सत्र में इस मुद्दे पर जिस तरह से चर्चा होनी चाहिये थी, उस तरह से नहीं हुई। क्यों? इसलिए क्योंकि, हमने कहा था कि आखिर इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति क्यों नहीं बन सकती है। सरकार सहमत नहीं हुई और इसके बजाय उसने यह कहा कि जो किया गया है उस पर हस्ताक्षर हो गये हैं और इस पर सील लग चुकी है और इस पर वार्ता नहीं हो सकती है और इसलिये, हम इसकी संयुक्त संसदीय समिति से जांच नहीं करा सकते हैं। किंतु यह जानकर देश को हैरानी हुई कि एक संयुक्त समिति, जिसमें, वामपंथी दलों समेत सभी भाग ले सकते थे, की बजाय आपने संप्रग और वामपंथी दलों की एक समिति बना दी। आप इसे कैसे स्पष्ट करेंगे?

आज, प्रधान मंत्री और सरकार से मेरा दूसरा प्रश्न यह है: संप्रग और वाम पंथी दलों की इस संयुक्त समिति ने अब तक क्या किया है? प्रेस से जो हमें पता लगता हैं वह यह है कि समिति की बैठक हुई और पुन: अमुक दिन बैठक करने का निर्णय लिया गया। अक्सर, इन दिनों ऐसा प्रतीत होता है कि एक ओर जहां कांग्रेस के लिये यह समझौता खास है और वह कहती है कि 'समझौते को बचाओं', तो वाम पंथी खासकर सीपीआई (एम) अकस्मात यह कहने लगते हैं कि 'बचाओं बंगाल'। इतना ही नहीं, बल्कि जिस प्रकार की गड़बड़ी आप कर रहे है उससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि करार से आपका कोई लेना-देना नहीं है बल्कि चुनावों के समय के बारे में आप ज्यादा चिंतित हैं। आप अभी चुनाव नहीं चाहते हैं और इसलिये, आप कहते हैं कि, ''ठीक है, आप आईएईए के साथ कार्यवाही को आगे बढ़ायें, उनसे बात करें और हम बाद में देखेंगे।' हमारे पास 'वीटो' का अधिकार है। स्वयं को और देश को धोखा मत दो... *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : हम धोखा नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए, किंतु गठबंधन और गठजोड़ वाली सरकार से यह आशा अवश्य की जाती है कि वह इस तरीके से व्यवहार न करे। मैं उनका दृष्टिकोण बाद में जानूंगा। मैं समझौते की ही बात करूंगा।

मुझे यह जानकर हैरानी हुई है कि प्रधान मंत्री ने अपने पिछले एक वक्तव्य में 13.8.07 को यह कहा था कि:

''जैसा कि मैंने कहा है, यह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के संबंधमें भारत और अमरीका के बीच सहयोग का एक समझौता है। मूलत: भारत और अमरीका दोनों का इस संबंध में एक ही दृष्टिकोण है कि दोनों देशों को अपनी-अपनी ऊर्जा संबंधी चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता है''।

मैं इस बात को समझ सकता हूं कि हम इसे ऊर्जा की दृष्टि से देख रहे हैं किंतु मुझे यह पता नहीं चल रहा है कि अमरीका भी इसे ऊर्जा की दृष्टि से कैसे देख रहा है। इस वक्तव्य में जिस बात का उल्लेख किया गया है; वह यह है कि ''इसके मूल में यह समान अवधारणा है''। अपनी ऊर्जा संबंधी चुनौतियों से निपटने के अत्यधिक महत्वपूर्ण विकल्प की बात तो दूर, अमरीका निश्चित रूप से परमाणु ऊर्जा को एक बड़े विकल्प के रूप में भी नहीं देख रहा है, लेकिन हमें देखना है, मैं कह सकता हूं कि ऊर्जा के बारे में हम चिन्तित हैं, इसी बात से मैं भी चिन्तित हूं यद्यपि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उसका यह हल होगा, किंतु अमरीका इसे सामरिक दृष्टि से देख रहा है। यही फर्क है। वे इस पर ऊर्जा की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं।

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : क्या आप एक सेकेंड के लिये अनुमति देंगे?

यदि आप 123 समझौते के दूसरे वाक्य को देखें, जो कि भारत और अमरीका के बीच एक करार है, इसमें कहा गया है:-

''बढ़ती वैश्विक ऊर्जा मांगों को स्वच्छ और अधिक कुशल ढंग से पूरा करने के लिये सिविलियन (असैनिक) परमाणु ऊर्जा के महत्व को पहचानना...''

समझौते के इसी भाग पर सहमति हुई है। इस समझौते को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। अत:, अमरीका और भारत दोनों को ऊर्जा की आपसी एक-सी जरूरतों के बारे में पता है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : धन्यवाद, श्री प्रणब मुखर्जी। मैं केवल उसी बात का समर्थन कर सकता हूं जो मेरे मित्र श्री रूपचन्द पाल ने अभी कही है—नामत: अमरीका में कई साल से कोई परमाणु रिएक्टर नहीं बना है। अत:...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी : आपने जो कुछ सेकेण्ड पूर्व कहा था और जो मेरा विचार था उस पर ध्यान दें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : नहीं, मैं समझ सकता हूं कि आप इसका जो प्रारूप दे रहे हैं, लेकिन जहां तक वास्तविकता का संबंध है, यह उनके द्वारा दिए गए अन्य वक्तव्यों में बहुत स्पष्ट रूप से झलकती है। मैं उनको बाद में उद्धृत करूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी : आप अपना तर्क दे सकते हैं और मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह मेरा विश्वास है कि हमारा सरोकार ऊर्जा है तो उनका सरोकार हमेशा से ही सामरिक रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने वर्ष 1974 में जो सामरिक नीति अपनाई थी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1998 में जिसका अनुसरण किया था, उस में इस बात का ध्यान रखा गया था कि यह नियंत्रित ही रहे। यह उनका प्रमुख उद्देश्य है जिसको मैं अब सिद्ध करूंगा।

वे इससे बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हैं क्योंकि उन की ओर से तो केवल रूस और चीन के पास ही परमाणु शस्त्र बनाने का अधिकार है। जहां तक भारत का संबंध है, वे इसके विरुद्ध हैं चाहे सरकार कांग्रेस की हो या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : हम सार्वभौमिक नि:शस्त्रीकरण के पक्ष में हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं हाल ही के एक वक्तव्य को उद्धृत कर सकता हूं: ''परमाणु शस्त्रों के संबंध में हमारा दृष्टिकोण शुरू से ही स्पष्ट है। भारत को परमाणु क्षेत्र में सशस्त्रीकरण की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए''। यह आपका वक्तव्य है, और मैं इसे अच्छी तरह समझ सकता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : हम सार्वभौमिक नि:सशस्त्रीकरण का समर्थन करते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, डा. मनमोहन सिंह ने दिनांक 31 अगस्त को तारापुर आणविक ऊर्जा संयंत्र में दिए गए अपने बहु चर्चित वक्तव्य में कहा कि ''भारत परमाणु करार की बस को नहीं छोड़ सकता''। उन्होंने कहा कि: ''आज विश्वभर में परमाणु पुनर्जागरण की बात हो रही है और हम बस को नहीं छोड़ सकते या यूं कहें कि इस विश्वव्यापी दौड़ में पीछे नहीं रह सकते''।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी तो एक कदम और आगे निकल गई जब उन्होंने हरियाणा के झज्जर में आयोजित एक रैली में बोलते हुए कहा कि: ''जो करार का विरोध कर रहे है वे न केवल कांग्रेस के दुश्मन है अपितु भारत के विकास के भी दुश्मन हैं''। मैं नहीं जानता कि क्यों कुछ लोग दुश्मन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस संदर्भ में इसका आशय वाम दलों जो सरकार के सहयोगी हैं और रा.ज.ग., जो निश्चय ही सरकार का विरोधी है, से है। हम राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी हैं और हम में से कोई भी किसी दल का दुश्मन नहीं है। लेकिन ''विकास का दुश्मन'' वाले वक्तव्य पर विश्वास करना कठिन है।

मेरे पास योजना आयोग द्वारा गठित की गई विशेषज्ञ समिति की एकीकृत ऊर्जा नीति रिपोर्ट है। यह अगस्त 2006 में जारी की गई थी। इसमें परमाणु करार में ऊर्जा के संबंध में किए गए सभी वायदों पर विचार किया गया है। डा. किरीट एस. पारिख समिति के अध्यक्ष थे और परमाणु ऊर्जा आयोग (ए.ई.सी.) के अध्यक्ष डा. अनिल काकोडकर भी इसके सदस्य थे। मैं केवल इसके एक अंश को उद्धृत करना चाहूंगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ''यदि वर्ष 2031-2032 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता में 20 गुणा वृद्धि भी हो जाए तब भी भारत में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के समुच्चय में परमाणु ऊर्जा का अवदान अधिक से अधिक 4 प्रतिशत से 6.4 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। यह कुल योग है। यह भी कहा गया है कि यह तो आशावादी स्थिति है और परमाणु ईंधन के आयात की संभावनाएं तभी पूरी होंगी जब कि भारत-अमेरिका करार में कोई रूकावट न आए। तभी जाकर 4 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत तक का लक्ष्य पूरा करने की स्थिति उत्पन्न होगी। अब इस करार को देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला करार कैसे कहा जा सकता है? निश्चित रूप से नहीं। यह तो बहुत स्पष्ट है। हमें धोखे में नहीं रहना चाहिये।

यह सच है कि मेरा दल भारतीय जनता पार्टी, जो पहले जनसंघ था, जिसने सन् 1964 में चीन द्वारा लोपनोर नामक स्थान पर परमाणु विस्फोट किए जाने के बाद वर्ष 1964 में ही लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया लेकिन 1966 में हमने वाराणसी में हुई हमारी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में औपचारिक रूप से प्रस्ताव स्वीकार किया था कि भारत अपनी स्वयं की परमाणु निवारक क्षमता का निर्माण करे। मैं आपको बता सकता हूं कि उन दिनों अन्य सभी राजनीतिक दल हमारी आलोचना करते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे और तर्क यह था कि हम इसका खर्च वहन नहीं कर सकते। भारत इसका खर्च वहन नहीं कर सकता था क्योंकि हमारे संसाधन बहुत सीमित थे। लेकिन हमने

भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डा. होमी भाभा से प्रेरणा प्राप्त की। वह उन व्यक्तियों में से एक थे जो भारत को परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र बनाने के पक्ष में थे और उन्होंने यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा। इतना ही नहीं जिस वर्ष चीन ने लोपनोर में परमाणु विस्फोट किया था उसी वर्ष दिनांक 24 अक्तूबर, 1964 को आकाशवाणी पर प्रसारित एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण में उन्होंने कहा:- ''पर्याप्त संख्या में परमाणु शस्त्र रखने वाले देश को ये अस्त्र अपने से अधिक शक्ति शाली देश के आक्रमण के विरुद्ध निवारक शक्ति प्रदान करते हैं''। यह वक्तव्य उन्होंने लोपनोर विस्फोट के कुछ दिनों बाद सन् 1964 में दिया था। यद्यपि पंडित नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार की उस समय यह नीति थी कि हम अपने परमाणु कार्यक्रम का विकास करेंगे; हमारी परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों में किया जाएगा और इसका उपयोग देश का सशस्त्रीकरण करने में नहीं किया जाएगा।

हमारी पार्टी पहली ऐसी पार्टी थी जिसने इसकी पैरवी की और तब से लेकर अब तक यह उसी नीति पर चल रही है। इसलिए सन् 1998 में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो वे गठबंधन में शामिल सभी दलों को इस बात पर राजी करने में सफल रहे कि हमें अपना स्वयं का परमाणु निवारक विकसित करना ही चाहिये। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन सरकार ने 19 मार्च को अपना कार्यकाल शुरू किया और 11 मई को हमने ये पोखरण-2 विस्फोट किए। मैं कह सकता हूं कि उस समय देश के अन्दर न केवल वाम दलों अपितु कांग्रेस ने भी हमारी आलोचना की थी। वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय दूसरे सदन में विपक्ष के नेता थे और उन्होंने हमारी आलोचना की थी। उनकी आलोचना का निष्कर्ष यह था कि हमारी अर्थव्यवास्था के लिए इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इससे हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। हमारे विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे और परिणाम ये होंगे।

महोदय, मेरे विचार से श्रीमती गांधी ने पंडित नेहरू द्वारा बनाई गई नीति से हटकर अच्छा काम किया और 1974 में भारत पाक युद्ध के थोड़े समय बाद ही उस युद्ध के थोड़े समय बाद ही उस युद्ध में अमेरीका ने बंगाल की खाड़ी में अपना परमाणु शस्त्र संपन्न सातवां बेड़ा भेजा था।

श्री एन.एन. कृष्ण दास (पालघाट) : उस समय सोवियत संघ ने हमें बचाया था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस लिए ही यदि सोवियत संघ हमें बचाता है या हमारी सहायता करता है तभी हमारी पार्टी इसकी सदा आभारी रही है। हम भारत-सोवियत रक्षा समझौते के पक्ष में थे जिस पर हमने युद्ध के थोड़े दिन बाद ही हस्ताक्षर कर दिए थे। हम आपकी तरह नहीं हैं। अमेरिका के मामले में आप बन्द दिमाग से सोचते हैं। आप अमेरीका के बारे में बात नहीं करते। जहां तक हमारी बात है, हमने उस समय भी उसका समर्थन किया था ...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास : हम अमेरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी इसका उत्तर मत दीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वे उत्तर देने के योग्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आपने तो उसका उत्तर दे दिया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं अध्यक्ष महोदय की सलाह मान लेता हूं। उनका यह विचार है कि आपकी बात का जवाब न दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा इस लिए कहा ताकि आपका ध्यान न बंटे क्योंकि यह भाषण बहुत महत्वपूर्ण भाषण है।

श्री एन.एन. कृष्ण दास : आप हमेशा माननीय सदस्य से सलाह लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक सभा का संचालन करने का संबंध है और किसी से सलाह लेने की अपेक्षा मुझ से सलाह लेना कहीं बेहतर है।

श्री एन.एन. कृष्ण दास : हमेशा ऐसा ही होना चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस लिए मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह बताकर कि यह केवल ऊर्जा प्रयोजन हेतु ही है और जो कोई भी इसका विरोध करता है वह भारत के विकास में रोड़ा अटका रहा है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता है।

मैं कुछ ऐसी बात का उल्लेख भी कर सकता हूं जिसका संबंध हमारे शासनकाल से है हाल ही में बहुत से वार्ताकार हमें इस करार

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

का समर्थन करने को मनाने के लिए अमेरिका से भारत आए। इस बात से मुझे ऐसा लगा कि इस करार विशेष में भारत सरकार से भी अधिक रूचि अमेरीका ले रहा है। उनमें से एक व्यक्ति जो मुझ से मिला और जो अमेरीका के इस परमाणु कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं, वे मूलत: भारतीय हैं जो मुम्बई में रहते थे, मूलत: गोवा से हैं और उन्होंने भारत की परमाणु नीति और परमाणु सिद्धांत पर एक बहुत ही उत्कृष्ट और विशद पुस्तक लिखी है। उनका नाम एशले टैलीस है। मैं किसी ऐसी बात का उल्लेख नहीं करूंगा जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे बताई थी। मैं इसका उल्लेख नहीं करूंगा। ऐसा करना उचित नहीं होगा। लेकिन मैंने रेडिफ-कॉम पर उनका एक साक्षात्कार देखा है जिसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि वाजपेयी सरकार के साथ इस तरह का करार क्यों नहीं किया गया। उनका उत्तर यह था कि करार इस लिए नहीं हो सका क्योंकि वाजपेयी सरकार ने करार के बदले में अमेरीका को बहुत अधिक रियायत देने की पेशकश नहीं की थी। हमें डा. मनमोहन सिंह की सरकार से ज्यादा रियायतें मिली। अगला प्रश्न था: "वाजपेयी सरकार से आप क्या चाहते थे जो आपको नहीं मिल सका?" उत्तर था "नहीं, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।" अब इस वजह से मैंने उस समय इस मामले को देख रहे लोगों से कुछ पुछताछ की। मुझे बताया गया है कि जहां तक हमारी सरकार के साथ की गई वार्ताओं का संबंध है, उसमें परीक्षण करने के हमारे अधिकार पर कोई प्रतिबंध अथवा अंकुश लगाने की कोई बात नहीं थी। दूसरी बात यह है कि हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए कुल सोलह रिएक्टरों में से केवल दो ही खोलने को तैयार थे और इससे ज्यादा नहीं। कुछ अन्य मामले भी थे जिन पर हम सहमत नहीं हो सके लेकिन मेरे कहने का सार यह है कि इस विशेष वक्तव्य, "कि हम राजग सरकार वह सब प्राप्त नहीं कर सके जो डा. मनमोहन सिंह की सरकार से हमें मिल गया"। मुझे नहीं पता कि इसकी किस प्रकार व्याख्या करें।

लेकिन मैं जो देखता हूं वह यह है कि श्रीमती गांधी ने पोखरण-एक परमाणु विस्फोट करवाया। किसी दिन जिस नाम का उल्लेख किया गया था, मिस्टर पाल, हेनरी-एक। हेनरी (हेनरी कि सिन्जर) मुझ से भी मिलने आए—और मैंने अनायास ही उनको बता दिया था कि हमेशा से मेरी पार्टी भारत को परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र बनाने के पक्ष में रही है जब कि पंडित नेहरू और श्रीमती गांधी की सरकार तक की सभी बाद में आने वाली सरकारें इसके पक्ष में नहीं थी। मैंने यह भी बताया कि श्री मोरारजी देसाई भी इसके पक्ष में नहीं थे और हम उनकी सरकार में शामिल थे। लेकिन अमेरीका द्वारा उस परमाणु शस्त्र संपन्न सातवें बेड़े को भेजे जाने के बाद श्रीमती गांधी इस दिशा में कदम बढ़ाने को प्रेरित हुई। जब मैंने उनसे कहा, "आपकी सरकार, मेरा आशय उस समय की सरकार से था, वे मुस्कराए और उनकी प्रतिक्रिया थी, "ठीक है, मुझे उस के लिए व्यक्तिगत रूप से दोष दिया गया था"।

वह जो कुछ भी था मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि श्रीमती गांधी ने सही दिशा में कदम उठाया जब उन्होंने भारत को परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र बनाने के बारे में सोचा। इस बीच कई सरकारें आई और गई जिनमें से एक सरकार में श्री वेंकटरमण रक्षा मंत्री थे। वाजपेयी जी की एक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर उन्होंने वाजपेयी जी की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करते हुए कहा था "जब मैं रक्षा मंत्री था तो पोखरण में सब तैयारियां हो चुकी थी। हर चीज तैयार थी। मैं भी वहां गया और इसका अंतिम समय पर निरीक्षण किया और मैंने पाया कि सब व्यवस्था हो चुकी थी। वैज्ञानिक वहां पर थे और हर चीज वहां थी। लेकिन किसी कारण हम विस्फोट करने में असफल रहे क्योंकि हम दबाव में आ गए थे। सभी दबावों को दरकिनार करते हुए पोखरण-2 विस्फोट करने पर मैं आपको बधाई देता हूं।" श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन् 1974 में पोखरण—एक विस्फोट करके भारत का गौरव बढ़ाया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रक्रिया जो वास्तव में पहला कदम थी—को पूरा करके और पोखरण-दो विस्फोट करके देश को और अधिक गौरवान्वित किया।

प्रधानमंत्री महोदय, क्या आप इस करार के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प हैं कि अब कोई पोखरण-3 नहीं होगा? क्या यह आपकी इच्छा है? इस करार विशेष पर हमें जो आपत्ति है वह मुख्य रूप से इस कारण है कि यह भारत को एक और परीक्षण करने से रोकता है। हमारी भावना यह है कि आज भारत ऐसी स्थिति में है कि यह धीरे-धीरे हमारे सभी शत्रुभाव रखने वाले पड़ोसियों के विरुद्ध कारगर परमाणु निवारक क्षमता निर्मित कर सकता है।

मुझे बताया गया है कि हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह भी सच है कि करार 123 में यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून ही लागू होंगे। इस संबंध में जहां तक हमारे सामरिक सहयोग का संबंध है अमेरीका का राष्ट्रीय कानून ही लागू होगा। हाईड एक्ट की धारा 106 भारत को परीक्षण करने से रोकती है। इसमें भारत को बेची गई परमाणु रिएक्टरों और अन्य सामग्रियों को वापस लेने के अमेरीका के अधिकार सहित परिणामी

दण्डात्मक कार्यवाहियों का भी उल्लेख किया गया है। करार 123 के कार्यान्वयन को शासित करने के लिए राष्ट्रीय कानूनों की प्रयोज्यता भी बरकार रखती है। इस प्रकार करार 123 हाईड एक्ट से ऊपर नहीं हो सकता। इस को समझने की जरूरत है।

स्वयं निकोलस बर्न्स ने इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या की थी जब एक संवाददाता ने उनसे एक संवाददाता सम्मेलन में प्रश्न पूछा था, ''अमेरीकी कांग्रेस ने हाईड एक्ट में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि यदि भारत परमाणु शस्त्र का परीक्षण करेगा तो भारत के साथ अमेरीकी सहयोग समाप्त हो जाएगा। यदि आप भारत को यह आश्वासन देते हैं कि चाहे कुछ भी हो पाए इसको की जाने वाली इंधन की आपूर्ति बाधित नहीं होगी तो इसकी अनुपालना उस कानून के अनुरूप किस प्रकार होगी? यह बहुत ही समीचीन प्रश्न है जो एक पत्रकार ने पूछा था। मिस्टर बर्न्स ने जो उत्तर दिया उसको देखिए। वे कहते हैं, ''सबसे पहले जब हमने वार्ताओं के इस नवीनतम दौर को शुरू किया था तो हमने बिल्कुल सावधानी बरती थी और भारत सरकार को इस बात का स्मरण करा दिया था कि अमेरीकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच हुए उनके जुलाई 2005 और मार्च, 2006 के समझौतों के बाद से स्थिति बदल गई है। अमेरीकी कांग्रेस ने उन समझौतों पर छः, सात महीने से ज्यादा समय तक वाद-विवाद किया और कांग्रेस ने अब हाईड अधिनियम पारित कर दिया है। इसलिये, हमें यह सुनिश्चित करना पड़ा कि यह भारत-अमरीका नागरिक परमाणु समझौता, 123 करार पूर्णतः हाईड अधिनियम के अनुरूप था और पूरी तरह से अपने आप में हाईड अधिनियम की सीमाओं में था।

हमें यह बताने का प्रयास करना कि 123 समझौते में हाईड अधिनियम का वर्णन नहीं है तथा 123 समझौते में इन सभी प्रतिबंधों का वर्णन नहीं है, यह हमें गुमराह करने वाली बात है। नहीं, यह सत्य नहीं है। बर्न्स द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दो आवश्यक भाग हैं- पहला, उन्होंने घटनाओं के क्रम के संदर्भ में भारतीय समझौते संबंधी दल को आंमत्रित किया हाईड अधिनियम डा. मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति बुश के बीच हुए दो समझौतों के पश्चात् आता है; और दूसरा, हमें यह सुनिश्चित करना पड़ा कि यह भारत-अमरीकी नागरिक परमाणु समझौता, 123 करार पूर्णतः हाईड अधिनियम के अनुरूप था और पूरी तरह से अपने आप में हाईड अधिनियम की सीमाओं में था।

महोदय, अपने वर्तमान रूप में तथा अंतिम रूप में अमरीकी विधान ने एन.एस.जी. दिशानिर्देशों को स्वीकार किया तथा भारत पर असंगत शर्तें लगायीं, यही सब डा. मनमोहन सिंह जी ने दिनांक 17 अगस्त को राज्य सभा में कहा—यदि अंतिम रूप में अमरीकी विधान ने एन.एस.जी. दिशानिर्देशों को स्वीकार किया तथा भारत पर असंगत शर्तों को लगाया तो भारत सरकार आवश्यक निष्कर्ष निकालेगी जो मेरे द्वारा संसद में किये गये वायदों के अनुरूप होंगे।'' यह आपका अपना वक्तव्य है। क्या ये दोनों सभाओं में दिये गये आश्वासनों के अनुरूप है कि किसी भी परिस्थिति में क्या हम, जैसा कि आपने इस सभा में भी कहा है, परीक्षण करने के अपने अधिकार पर प्रतिबंध स्वीकार करेंगे? यद्यपि यह कहा गया है कि ऐसे उपबंध किये गये है जिनकी चर्चा की आवश्यकता है और हमें अमरीकी पक्ष को विश्वस्त करना होगा.

अध्यक्ष महोदय : यदि आप माने तो हाँ?

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : चूंकि आपने मेरा वर्णन भारत के परीक्षण करने के अधिकार के संबंध में किया है तथा हमारी सरकार ने परीक्षण के इस मुद्दे के संबंध में जो वायदा किया है वह आपकी सरकार ने जो किया था उससे ज्यादा नहीं है तथा हम केवल एकपक्षीय स्थगन पर ही वचनबद्ध है और हमारी बुद्धि से यदि आवश्यकता होती है कि इस देश में परीक्षण होना है तो इस समझौते में ऐसा कुछ नहीं है जो उस संप्रभुता की कवायद को रोके।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सही है। मैंने आपकी इस टिप्पणी की आशा की थी तथा हमनें एकतरफा कुछ समय के लिये रोक लगाने का निर्णय लिया परन्तु एक देश जो एक बिन्दु जिस पर पहुंचे है, के संबंध में कुछ समय के लिये रोक लगाने का एकतरफा निर्णय लेता है, उसकी अवज्ञा करने का एकतरफा निर्णय ले सकता है। दोनों अवसरों पर — चाहे वह वर्ष 1974 में श्रीमती गांधी के मामले में था अथवा वर्ष 1998 में श्री वाजपेयी के मामले में अमरीका ने हम पर जुर्माना करने का प्रयास किया। यद्यपि वर्ष 1974 में हमारे ऊपर लगाये गये प्रतिबंध बहुत सख्त थे; और दूसरे वर्ष 1998 तक भारत उस स्तर पर पहुंच गया था जहां बहुत बड़ी बाधायें भी हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी ताकि व्यवहार्यतः उन्हें वापिस लेना पड़े। परन्तु दोनों अवसरों पर परिणामों का अनुसरण किया गया।

इस करार पर हस्ताक्षर करके हम उन परिणामों को आमंत्रित कर रहे है जिनका यदि हम परीक्षण करेंगे तो अमरीका को वापसी का अधिकार इसमें परिणामस्वरूप मिल जायेगा। यह इस प्रकार होगा जिस पर हम कभी भी सहमत नहीं होंगे। आप कल्पना कीजिये उस

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

प्रकार का कुछ होगा और कुछ समय बाद होगा तथा किसी अन्य माननीय प्रधानमंत्री को इस सभा में उत्तर देना होगा क्या होगा? उसे वह किस प्रकार से बचा सकते है जिस पर हम सहमत हुए है, कि हम इस पर सहमत हुए है कि यदि हम परीक्षण करते है तो आपको हमारे न्यूक्लियर रियक्टरों को वापिस लेने का अधिकार है और आपको अन्य संबंधित आवश्यक सामग्रियों को वापिस लेने का अधिकार है। हमनें इसे कभी नहीं किया होगा। एकपक्षीय रूप से वे इसे कर रहे है और हम पर जुर्माना करने का प्रयास कर रहे है जो एक बात है और इस संधि के आधार पर हम इसे करते है और हम इस पर सहमत हुए हैं। हम इस प्रकार के उल्लंघन के विरुद्ध है। मैं इसे भारत की संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में मानता हूं। हम उस बात का वर्णन करेंगे कि एक परीक्षण क्यों आवश्यक बन गया था? चीन ने इसे किया; पाकिस्तान ने इसे किया; अन्य देशों ने इसे किया। वे कहते है, नहीं, हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट होना उन पर है कि परीक्षण हेतु हमारे पास औचित्यपूर्ण तर्क हो। यह एक संधि है और हम इस पर सहमत है। हमने यह कहा था कि यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आप इन सभी को वापिस ले सकते हैं।

माननीय प्रधानमंत्री, पूरी बात इतनी स्पष्ट है कि किसी भी स्वाभिमानी देश को इस पर सहमत होना चाहिये। मुझे विश्वास है कि यदि श्रीमती गांधी वहां पर होती; यदि श्री वाजपेयी वहां पर होते तो वे हमारी संप्रभुता के इस प्रकार के कब्जे पर सहमत नहीं हुए होते।

महोदय, मैंने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने की वकालत करने वाले डा. भाभा के बारे में जिक्र किया था आजकल सारी बात का अध्ययन करते समय मुझे आश्चर्य हुआ तथा कम से कम मैंने उसे उस तरीके से याद नहीं किया परन्तु एक छोटी सी बात जिसे मैंने सोचा इस समय उसका उल्लेख करना फायदेमंद होगा।

दिनांक 11 जनवरी, 1966 को उनके द्वारा ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटों के पश्चात् पाकिस्तान के साथ युद्ध में प्रतिकूलता की समाप्ति को निश्चित रूप देते हुए माननीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई। यह इस तथ्य का अनौपचारिक वर्णन है।

केवल दो सप्ताह पश्चात् दिनांक 24 जनवरी को उसी दिन शास्त्री जी की उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तथा डा. होमी भाभा की यूरोप की यात्रा के समय मृत्यु हो गई जब वह हवाई जहाज जिसमें वह यात्रा कर रहे थे फ्रांस में मांट ब्लांक से टकरा गया और भारत के प्रभावशाली बड़े न्यूक्लियर प्रतिष्ठान को अचानक ही किसी अधिकारिक योजना अथवा निदेश देने की नीति के बिना बंद कर दिया गया।

अब, मुझे आश्चर्य होता है—कि क्या वह केवल एक दुर्घटना थी? मैं नहीं जानता। मेरे पास आगे और कोई सूचना नहीं है और केवल यही सूचना है। मुझे यह वैमनस्य (धोखा) जैसा प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति जो हमारे न्यूक्लियर प्रतिष्ठान के प्रमुख थे और जिन्होंने इसे गोपनीय नहीं रखा और जिन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि भारत के पास न्यूक्लियर हथियार होने चाहिये, उनकी मृत्यु इस तरह हुई। और एक प्रेस सम्मेलन, जिसमें मैंने उन दिनों एक पत्रकार के रूप में भाग लिया था, के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि यदि भारत सरकार मुझे क्लियरंस (स्पष्टीकरण) देती तो हमारा अपना परमाणु बम 18 माह से दो वर्षों के बीच तैयार होता। इस बात से मुझे आश्चर्य होता है कि इस प्रकार के व्यक्ति की अचानक ही इस तरह की दुर्घटना में मृत्यु हुई। शायद, आपके पास उन दिनों के बारे में और अधिक तथ्य है परन्तु मेरे पास तथ्य नहीं है। मैंने सोचा कि मैं इसे रिकार्ड में डालूंगा क्योंकि यह मेरे लिये रहस्य भरी और सालने वाली बात है।

उसी संदर्भ में मैं यह कहूंगा कि आज हम परमाणु हथियार के क्लब से बाहर है। क्यों? यह केवल परमाणु-अप्रसार संधि के कारण है। एन.पी.टी. अधिनियम वर्ष 1967 में पारित हुआ और वर्ष 1970 में कार्यान्वित हुआ। यह कहा गया कि केवल उन देशों जिन्होंने वर्ष 1970 से पहले अपने परमाणु हथियार विकसित कर लिये है को परमाणु हथियार संपन्न राज्य माना जायेगा। मुझे आज आश्चर्य होता है कि यदि हमने वर्ष 1960 में उन दिनों उस गलती को नहीं किया होता और डा. होमी भाभा की सलाह मानी होती तो हम उस क्लब के एक हिस्से हुए होते।

उन्होंने पंडित नेहरू से भी अनुरोध किया था कि हमारे पास यह होना चाहिये। परंतु पंडित नेहरू ने कहा, नहीं। नहीं जब तक मैं वहां पर हूं मैं इसका पक्ष नहीं लूंगा। यदि हमने उस समय इसे किया होता तो हम वर्ष 1970 से पहले इस परमाणु हथियार क्लब के हिस्से होते और अब हो रही सभी चर्चाओं की आवश्यकता नहीं होती। हम इस स्थिति में नहीं होते। हमें अब इस तरीके से परमाणु-अप्रसार संधि के दायरे में धकेला जा रहा है क्योंकि हमें परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता है; और इसलिये वे हमें परमाणु-अप्रसार संधि में धकेल कर इसका फायदा उठा रहे हैं।

मुझे अमरीका के राजनैतिक मामलों संबंधी सचिव श्री निकोलस बर्न्स, जो एक मुख्य मध्यस्थ थे तथा जो कुछ भी हुआ उसके मुख्य

प्रवक्ता थे कि अवश्य ही प्रशंसा करनी चाहिये। उन्होंने यह कहा था कि यह करार जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ इस तरीके से भारत को परमाणु-अप्रसार की मुख्य धारा में वापिस लाता है। यह सत्य है। इससे पहले किसी भी माननीय प्रधानमंत्री ने इस पर सहमति नहीं दी थी। परन्तु हम इस पर सहमत हुए थे।

उन्होंने यह कहा कि—उन्होंने 'ऊर्जा' के बारे बात नहीं की—तथा यह डील भारत-अमरीका रणनीतिक संबंध का मुख्य हिस्सा है। मैं रणनीतिक संबंध के विरुद्ध नहीं हूं; तथा मैं रणनीतिक हिस्सेदारी के विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु यह रणनीतिक संबंध तथा हिस्सेदारी कनिष्ठ अथवा असमान हिस्सेदार की प्रकृति के है; और भारत अमरीका अथवा रूस अथवा कोई अन्य देश असमान और कनिष्ठ हिस्सेदार नहीं हो सकता है। भारत एक बिलियन शक्तिशाली भारतीयों सहित एक शक्तिशाली (गर्वपूर्ण) राष्ट्र है जो किसी अन्य देश के अधीन अथवा कनिष्ठ नहीं हो सकता है।

इस विशिष्ट करार के प्रति मेरी मुख्य रूप से आपत्ति है क्योंकि सबसे पहले यह हमारे परीक्षण करने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाता है।

दूसरे, यह हमें अमरीका के साथ इस हिस्सेदारी में कनिष्ठ हिस्सेदार बनाता है।

तीसरे, हम जो कुछ भी कहते है तथा उन्होंने भी यह कहा है कि यह न केवल आई.ए.ई.ए. है परन्तु अमरीका के निरीक्षक भी आ सकते है तथा परमाणु रियक्टरों को देख सकते है जोकि खुले हुए है। आपने दूसरे दिन हमें आश्वासन दिया था कि किसी भी परिस्थिति में आप अमरीका के लोगों को यहां पर आने तथा देखने की अनुमति नहीं देंगे जबकि यह वहां पर है।

मैं यह कहूंगा कि यदि साठ के दशक में हमने वह किया होता जो डा. होमी भाभा ने हमें करने की सलाह दी थी तो हमने परमाणु हथियार क्लब अथवा परमाणु हथियार बस की सदस्यता नहीं खोई होती। हमने यह अवसर खो दिया। अब, हमें उस स्थिति को स्थायी रूप में नहीं लेना है। इस विशेष 123 करार में यह कहा गया है कि यह 40 वर्षों के लिये रहेगा।

दिल्ली का एक प्रमुख समाचार पत्र तथा एक प्रमुख संपादक जोकि एक समय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे एम.जे. अकबर ने उस दिन यह लिखा कि वह निर्भरता का दिन है। स्वतंत्रता के 60 वर्षों के पश्चात् क्या हम ऐसे करार पर हस्ताक्षर करने जा रहे है जो हमें 40 वर्षों के लिये निर्भर बनायेगा? 123 करार में यह कहा गया है कि यह 40 वर्षों तक रहेगा।

केवल हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मास्को, रूस गये थे। उनके साथ गये पत्रकारों में "दा हिन्दु" समाचार पत्र के एक प्रसिद्ध संपादक श्री एन. राम थे। मैंने "दा हिन्दु" समाचार पत्र में माननीय प्रधानमंत्री की वापिसी के पश्चात् एक संपादकीय देखा था। इस संपादकीय में यह कहा गया है कि: "रूस अधिकारिक स्रोतों के अनुसार आतंरिक-सरकारी समझौते जो संभवतः संयुक्त राज्य अमरीका के साथ भारत के 123 समझौते के समान दर्जे वाला है को सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरों हेतु पूरी तरह से तैयार किया गया था परन्तु भारतीय लोग आखिरी क्षण पीछे हट गये।" मैं नहीं जानता कि वे क्यों पीछे हट गये। मैं नहीं जानता कि प्रस्तावित समझौता क्या था। भारतीय लोग क्यों पीछे हट गये? समाचार पत्र "दा हिन्दु" में यह कहा गया कि यह रूस अधिकारिक स्रोतों के अनुसार था। उन्हें यही बात पता चली थी। श्री एन. राम बहुत ही जिम्मेदार संपादक है।

मैं सरकार से संसद में इस मामले पर स्पष्टीकरण देने हेतु अनुरोध करूंगा। वास्तव में क्या हुआ था? प्रस्ताव क्या था? क्या घटित हुआ था? यदि आप उस पर पहले सहमत थे तो आप पीछे क्यों हट गये? इन सब बातों का खुलासा किया जाना चाहिये अन्यथा हमारी विदेश नीति की दिशा जिसकी स्वतंत्रता के बारे में लोगों को कुछ शिकायतें है पर निश्चित रूप से प्रश्नचिन्ह लग जायेगा।

मैं अपनी बात इस टिप्पणी के साथ समाप्त करता हूं कि 123 करार यथावत् स्थिति में राष्ट्र को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह भारत के जरूरी और दीर्घावधिक हितों में बाधक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके पश्चात् यदि एन.डी.ए. को अधिदेश मिलता है तो हम फिर से इस करार, यह देखने के लिये कि इसमें सभी प्रतिकूल उपबंधों को या तो हटा दिया जाये अथवा इस संधि को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाये, पर बातचीत करेंगे।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत-अमरीकी परमाणु करार, जिस पर इस सरकार ने हस्ताक्षर किये हैं, का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह सुनिश्चित करने के लिये कि विश्व में भारत का उचित स्थान बरकरार रहे, हमारी सरकार द्वारा की गई कई पहलों में से, कोई भी पहल संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा हस्ताक्षरित 123 करार के तुल्य नहीं है। यह एक पथ-परिवर्तनकारी करार है। यह विश्व समुदाय को इस बात के लिये प्रेरित करता है। कि वह भारत के परमाणु हथियारों तथा सामरिक निवारक को स्वीकार करें। 123 करार पर हस्ताक्षर करने के साथ

[श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया]

ही संप्रग सरकार ने परमाणु असमानताओं, जो भारत के विरुद्ध पैदा की गई थीं, को हमेशा के लिये समाप्त कर दिया है।

123 करार एकदम स्पष्ट है। यह करार हमारे सैन्य रिएक्टरों को आईएईए द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने वाले सुरक्षोपायों के दायरे से बाहर रखता है। अब हम इस बात के लिये स्वतंत्र हैं कि हम प्रतिबंध लगने और एनपीटी की बाध्यताओं को मानने के भय से मुक्त होकर अपने परमाणु निवारक का निर्माण करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसे यह छूट दी गई है इसके अलावा वैश्विक राजनय के इतिहास में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलता।

यहां उपस्थित सदस्यों को याद ही होगा कि हमारे असैन्य परमाणु कार्यक्रमों में ईंधन की कमी के कारण कई बाधायें आई हैं। वर्तमान में हमारे रिएक्टर मौटे तौर पर 70 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर के हिसाब से चल रहे हैं जिससे हमें मात्र 4000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा मिल रही है और इससे हमारे देश की ऊर्जा निर्माण क्षमता का मात्र साढ़े तीन से चार प्रतिशत ही हासिल हो रहा है। यदि भारत को 9 से 10 प्रतिशत की दर से विकास करना है तो मैं समझता हूं कि इस पर एकमत है और यदि इस विकास को निचले स्तर तक पहुंचाना है तो हम असैन्य परमाणु विकल्प की अनदेखी नहीं कर सकते। यह करार इसके लिये द्वार खोल रहा है। 2020 तक हमारे पास 30,000 से 40,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा होनी चाहिये। किंतु इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस करार से भारत का गौरव बढ़ा है। संयुक्त राज्य अमरीका सरकार के राजनीतिक मामलों के उप-सचिव श्री निकोलस बर्न्स ने अपने 25 जुलाई, 2007 को अपने सरकारी वक्तव्य में कहा था:-

"मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका इस प्रकार के करार का सुझाव विश्व के किसी अन्य देश को नहीं देगा। हमने भारत को हमेशा अपवाद के रूप में देखा है।"

हमें एक ऐसे जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई है जिस पर यह विश्वास किया जा सकता है कि वह हथियार प्रौद्योगिकी का प्रसार नहीं करेगा और न ही मिसाइल मैटिरियल का गैर-कानूनी तरीके से निर्यात करेगा। हमारे रिकार्ड और व्यवहार की प्रशंसा की गई है तथा हमारे कुछ पड़ोसियों से अभिन्न, हमारे बारे में ऐसा पाया गया है कि हम एक जिम्मेदार और विश्वास पात्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा हैं। तार्किक दृष्टि से देखा जाये तो इससे वैश्विक मामलों में भारत की अधिकाअधिक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः आब हम सबको एकजुट होकर अपने प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी और उनकी टीम को बधाई देनी चाहिये कि उन्होंने विदेश नीति में एक उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है।

मेरे हिसाब से यह एक एकतरफा तुलन पत्र है। इसमें केवल लाभ ही लाभ हैं, किसी प्रकार के कोई घाटे नहीं है। फिर भी हमें आलोचना झेलनी पड़ रही है। हमारी सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह हमारी संप्रभुता दांव पर लगा रही है, हमारे सामरिक कार्यक्रमों तथा परीक्षण के अधिकार को दूसरे के हवाले कर रही है। हम पर दोष लगाया जा रहा है कि हम अमरीका का आंखें मूंद कर समर्थन कर रहे है। कहा जा रहा है कि अब हमारी विदेश नीति वाशिंगटन से निर्देशित होगी। मैं अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं का बहुत सम्मान करता हूं किंतु हमें ऐसी असहमति का आदर नहीं करना चाहिये जिसका उद्देश्य झूठ का प्रचार करना हो। हमें ऐसी असहमति का आदर नहीं करना चाहिये जिसका उद्देश्य भय पैदा करके माहौल को खराब करना हो। किंतु हमारे विपक्ष के मित्रों ने जो बात कही है, उस पर आने से पहले मै हमारे कुछ प्रतिद्वंद्वी जो कुछ एशियाई परमाणु प्रतिस्पर्धा के बारे में कर रहे है को भी इस सदन को बताना चाहता हूं। नेशनल कमांड अथारिटी आफ पाकिस्तान द्वारा भारत-अमरीका करार का मूल्यांकन करने के पश्चात् जारी किये गये सरकारी वक्तव्य में कहा गया था:-

"इस करार से भारत सुरक्षोपायों के अंतर्गत न आने वाले परमाणु रिएक्टरों से भारी मात्रा में मिसाइल मैटीरियल और परमाणु हथियार निर्मित कर सकेगा"।

पाकिस्तान ने आग्रह किया है कि उसके साथ भी ऐसा करार किया जाये। पाकिस्तान ऐसा करार क्यों चाहेगा जिससे उसकी संप्रभुता: दांव पर लगे; जिससे उसके हथियार संबंधी कार्यक्रम चौपट हों, और उनके पास परीक्षण का अधिकार भी न रहे? सच्चाई यह है कि इससे वैसा कुछ नहीं होता है। इससे जो होता है वह यह है कि इससे उसे वही अधिकार मिलता है जो इसने भारत को दिया है अर्थात् अपने सामरिक कार्यक्रम को जारी रखना।

पाकिस्तान के एनसीए ने मात्र चीन के साथ इसी चिंता को दोहराया है।चीन की सीसीपी के शासकीय दस्तावेज में कहा गया है कि:-

"बुश प्रशासन ने उदारतापूर्ण उपहार दिया है और भारत को वस्तुत: एक परमाणु शक्ति का दर्जा दिया है।"

अध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि पाकिस्तान यह करार करना चाहता है।

मैं पहले प्रथम आरोप के बारे में बात करता हूं। मैं प्रत्येक आरोप की बात करूंगा। पहला आरोप यह है कि हमारी विदेश नीति अब वाशिंगटन से निर्देशित होगी। मैं यहां मा. प्रधानमंत्री जी द्वारा कहे शब्दों का वर्णन करूंगा।

भारत इतना विशाल और महत्वपूर्ण देश है कि उसकी विदेश नीति की स्वतंत्रता को कोई भी शक्ति समाप्त नहीं कर सकती। हमारे विचारों और हमारे कार्यों में स्वतंत्रता है।"

ऐसे कई बेतुकी बातें हैं जिन पर हम अमरीका से सहमत नहीं हैं। उदाहरण के लिये विश्व व्यापार संगठन। श्री रूपचन्द पाल ने इसके बारे में बात की थी। हमने उनके रूख का पूरी तरह से विरोध किया है। हमने अपने किसानों के हितों को कभी भी किसी और के हवाले नहीं किया है अथवा *[हिन्दी]* किसानों के हक के साथ हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे। हमें अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का पता है। हमें अपने लोगों को जवाब देना होता है। हमने संयुक्त राष्ट्र सुधारों; सुरक्षा परिषद् की संरचना के बारे में अमरीका का विरोध किया है। अपनी तेल की सुरक्षा को बढ़ाने के हमारे हित के आधार पर, हम अमरीका की इच्छाओं के विपरीत हमारी भारत-ईरान गैस पाइप लाइन पर बातचीत जारी है। अपने जोखिम का विविधिकरण करने हेतु हम परमाणु शक्ति बारे चीन के साथ बातचीत कर रहे हैं; हम फ्रांस और रूस के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। वास्तव में, चीन के प्रधान मंत्री के पिछले भारत दौरे के दौरान, हमने वास्तव में परमाणु सहयोग के बारे में बात की थी और उन्होंने आस्ट्रेलिया की भांति हमारे बाजार में रूचि दिखाई है। मा. प्रधान मंत्री ने कहा था:-

"मैं उन लोगों, जो हमारी स्वतंत्र विदेश नीति की हमारी प्रतिबद्धता पर प्रश्न करते हैं से यह आग्रह करता हूं कि वे भी भारत में उतना ही विश्वास जता कर दिखायें जितना बाहर वाले जताते हैं। इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि हम कभी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ किसी भी प्रकार समझौता करें।"

दूसरा आरोप यह है कि हम अपनी संप्रभुता, परीक्षण करने के अपने अधिकार का सौदा कर रहे हैं और जब अमरीका इन्हें समाप्त करने का निर्णय ले लेगा तब क्या होगा। जो श्री प्रणव मुखर्जी ने कहा मैं भी उसके बारे में कहना चाहता हूं। इस करार की प्रस्तावना इस प्रकार है:-

"इस करार का आधार एक दूसरे की संप्रभुता के प्रति आपसी सम्मान व्यक्त करना, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाज न करना, समानता, आपसी लाभ तथा एक-दूसरे के परमाणु कार्यक्रमों के प्रति उचित सम्मान व्यक्त करना है।"

यह स्पष्ट है कि भारत संप्रभु राष्ट्र के रूप में यह करार कर रहा है। वह बराबर का हिस्सेदार है और वह किसी के अधीन काम करने वालों में से नहीं हैं। इस करार में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। मैं श्री आडवाणी जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि इससे हमारा परीक्षण करने का अधिकार सीमित हो जायेगा। मा. प्रधान मंत्री ने कहा था:-

"भविष्य में परमाणु परीक्षण करने का हमारा अपना संप्रभु निर्णय होगा। तथा यह निर्णय केवल सरकार का होगा।"

गैर-परमाणु हथियार राज्यों के संबंध में स्टैण्डर्ड 123 में यह उपबंध तो है ही कि परमाणु परीक्षण करने पर यदि करार के किसी खंड का उल्लंघन होता है तो वह स्वतः स्मारत हो जायेगा। किंतु वैश्विक राजनय के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत के संबंध में 123 करार में अमरीका को उस संदर्भ को समझना होगा जिसमें भारत ने बदले सुरक्षा माहौल के कारण परीक्षण किया है। पूर्व के प्रस्ताव, जिसके कारण परीक्षण रोकने का एकपक्षीय निर्णय लेने संबंधी अधिकार एक कानूनी बाध्यता बन जाता, 123 करार से दोनों पत्र इस बात की प्रतिबद्धता के दायरे में आते हैं कि भारत की सामरिक मजबूरियों को समझने के लिए परामर्श की प्रक्रिया चलाई जाये।

मुझे यह देखकर और भी हैरानी होती है कि हमारी प्रधान विपक्षी दल, बीजेपी इस पर हमारी आलोचना कर रहा है। जब वह सत्ता में था वह आये बढ़ा और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर इसने यह किये। और मैं अपने पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का तब का उदाहरण देना चाहता हूं जब उन्होंने 24 सितंबर, 1998 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था उन्होंने कहा था:-

"भारत ने और भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करने के संबंध में एक स्वैच्छिक अस्थाई निलंबन आदेश की घोषणा की थी। इस बंधन को विधिवत् रूप से पूरा करने के लिये हमने अपनी इच्छा जताई थी। अस्थाई निलंबन आदेश की घोषणा करने में भारत ने सीटीबीटी की आधारभूत बाध्यताओं को पहले ही स्वीकार कर लिया है।"

[श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया]

''अब भारत मुख्य वार्तालापियों के साथ सीटीबीटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। हम इस बात के लिये तैयार हैं कि इन चर्चाओं का सफलतापूर्वक निष्कर्ष निकले ताकि सीटीबीटी के प्रवेश में देरी न हो।''

पूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 दिसंबर, 1998 को संसद को संबोधित करते हुये उसी भावना को दिखाया और पूर्व विदेश मंत्री, श्री जसवंत सिंह ने विदेशी मामलों संबंधी अपने लेख में उन्हीं भावनाओं को व्यक्त किया और दिखाया। तब हमने सीटीबीटी का विरोध किया था। हमने 123 करार में इसकी अनुमति नहीं दी है। हम अड़िग हैं। तब बीजेपी सीटीबीटी चाहती थी। अब चिंता इस बात की है कि हमें परीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। बीजेपी राष्ट्रीय हितों की बजाय अपने क्षणिक फायदे के चलते हमेशा अस्थिर, आबंडरपूर्ण रही है।

जो तीसरा आरोप हम पर हर समय लगा है, वह है- हाईड एक्ट का सबसे बड़ा संशय: विपक्ष द्वारा बताया जाने वाला धोखा। वाम दल द्वारा बताया जाने वाला धोखा। हाईड एक्ट का मुद्दा हर बार उठाया जाता है। महोदय, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि भारत संप्रभु राष्ट्र के रूप में 123 करार के प्रति प्रतिबद्ध है जिस पर इसने हस्ताक्षर किये हैं। इस बात का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि हम किसी विदेशी विधामंडल द्वारा पारित किये गये किसी कानून से बंधे होंगे। 123 करार में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि भारत और अमरीका के बीच होने वाले सहयोग को वार्षिक प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरना होगा।

राष्ट्रपति बुश ने हाईड एक्ट पर हस्ताक्षर करते हुये तथा कथित विवादित खंडों के बारे में व्यवस्था देते हुये, जो कहा, मैं उसका उद्धरण देना चाहता हूं:-

अधिनियम की धारा 103 का आशय है— विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में अमरीका की नीति को अपनाया जाये। अधिनियम का अनुमोदन करने का अर्थ यह नहीं है कि मैंने इस नीति के कथनों को अमरीकी विदेश नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। राष्ट्र के विदेशी मामलों को देखने के लिये राष्ट्रपति का प्राधिकार संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऐसे वक्तव्यों का अर्थ यह लगायेगा कि वे प्रतिकूल हैं। और तो और यदि अभिनियम की धारा 104 (घ)(2) का अर्थ यह लगाया गया कि यह धारा एग्जीक्यूटिव ब्रांच को भारत को कोई मुद्दा हस्तांतरण करने अथवा अनुमोदन करने के लिए एंगजीक्यूटिव ब्रांच को प्रतिबंधित करेगा। इस बात के विपरीत कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह उन दिशानिर्देशों का हस्तांतरण करे जो ऐसे भावी हस्तांतरण के समय प्रभावी हों ऐसी स्थिति में गंभीर प्रश्न 38 खड़ा होगा कि इस उपबन्ध ने एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय को असंवैधानिक विहित विधायी शक्तियां कैसे देगा। इस संवैधानिक प्रश्न से बचने के लिये एग्जीक्यूटिव ब्रांच धारा 104(घ)(2) का अर्थ यह लगायेगा कि यह प्रतिकूल टिप्पणी है।''

अत:, अध्यक्ष महोदय, हाईड अधिनियम के गालिब पाठकों ने दुर्भाग्य-वश इन अति महत्वपूर्ण स्पष्टीकरणों को नहीं समझा है।

अत: स्पष्ट है कि ये खंड बाध्यकारी नहीं हैं हाईड अधिनियम की धारायें 102, 103 और 104 लागू नहीं होगी और उन पर अमल नहीं किया जा सकता। हाईड अधिनियम में इतनी शक्ति नहीं है वह अमरीकी विदेश नीति को निर्धारित करे।

लगातार लगाया जाने वाला चौथा आरोप है अमरीकी हस्तक्षेप और अपने सामरिक कार्यक्रम पर से अपना नियंत्रण खो देना। महोदय, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है और मैं पुन: श्री आडवाणीजी से असहमत हूं कि हम अपनी असैन्य परमाणु सुविधाओं के संबंध में मात्र आईएईए के सुरक्षोपायों को स्वीकार करेंगे। और इससे हमारे अलग प्लान के सही स्थान पर होने की जानकारी मिली और यह आणविक व्यापार के संबंध में सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को पहले हटायेगा। यहां मैं परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन श्री अनिल काकोड़कर के शब्दों को बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा :-

''यदि ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब आईएईए यह निर्धारण करे कि सुरक्षोपाओं को लागू करना संभव नहीं है, जो लगभग असंभव है, तो जांच उपायों के संबंध में आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच परामर्श होगा। जांच उपाय सुरक्षोपायों जैसे नहीं हैं। जांच का अर्थ है कि आप मूलत: इस बातकी जांच करते हैं कि जो सामग्री वहां होनी चाहिये, वह वहां हो।''

महोदय, इस समझौते से सुरक्षोपायों के दायरे में न लाई गई हमारी सामरिक परमाणु सुविधाएं और घरेलू तकनीकी कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगें। निकोलस बर्न्स ने 27 जुलाई, 2007 को इस बावत यह जानकारी दी:

''हम भारत के साथ असैनिक क्षेत्र मे समझौता कर रहे हैं; यह सुरक्षोपायों के दायरे में हैं। भारत सामरिक क्षेत्र में क्या

करता है वह भारत का काम हैं, इस समझौते से इस कार्यक्रम को सहायता नहीं मिलेगी और इस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा।"

अध्यक्ष महोदय, कई बार 1985 में हस्ताक्षरित अमेरिकी-चीनी द्विपक्षीय समझौते के साथ इसकी तुलना की जाती है तथा 123 समझौते से इसकी लगातार तुलना की जा रही है।

मैं यहां पांच महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं।

पहला यह कि चीन को प्रयुक्त ईंधन के अवशेष को पुन:प्रसंस्कृत करने का सीधा अधिकार दिया गया है। उन्हें इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है और जब अनुमति देने की प्रक्रिया जारी हो तो वे इस बीच कुछ नहीं कर सकते हैं। सभी 123 समझौतों में मानक भाषा यह है कि जब तक अमेरिका सहमत न हो तब तक इस सामग्री को पुन: प्रसंस्कृत नहीं किया जा सकता है। भारत को पुन:प्रसंस्कृत करने का यह अधिकार दिया गया है।

दूसरी बात है, पाकिस्तान से चीन के संबंध, चीन का परमाणु अप्रसार का रिकार्ड और तिब्बत पर चीन की प्रगति सभी का संबंध 1985 के चीन-अमेरिकी द्विपक्षीय समझौते से है। भारत के मामले में ऐसा नहीं हैं।

चीन के अपनी 'सेपरेशन योजना' में आस्ट्रेलिया को अलग से भूमिका दी है। भारत को अपने 'सेपरेशन योजना' के संबंध में निर्णय लेने का एक मात्र प्राधिकार प्राप्त है।

चीन ने अमेरिका और आस्ट्रेलिया के निरीक्षकों द्वारा द्विपक्षीय निरीक्षण को स्वीकार किया है। महोदय, यहां पर फिर से मेरी राय श्री एल.के. आडवाणी से अलग है कि भारत ने अमेरिकी निरीक्षकों को इस समझौते में शामिल किया जाना स्वीकार नहीं किया है।

समझौते में भारत को अबाधित ईंधन आपूर्ति का आश्वासन दिया गया है और चीन को नहीं।

अत:, महोदय, यद्यपि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं फिर भी उसने चीनी-अमेरिकी द्विपक्षीय समझौते से अलग बड़ा नाम प्राप्त कर लिया है।

महोदय, हर देश ऐसा समझौता चाहता है। अमेरिका में प्रभावशाली आवाज उठ रही है कि यह समझौता पूर्णत: भारत के पक्ष में है। 'द न्यूमार्क टाइम्स' के दिनांक 5 अगस्त, 2007 के संपादकीय में कहा गया है:

"भारत को संकट से बाहर लाना बुरा विचार नहीं है। समस्या यह है कि अमेरिका को बदले में बहुत कम हासिल हुआ है, बम बनाने वाली सामग्री के उत्पादन पर रोक लगाने का वायदा नहीं है, अपने शस्त्र भंडारों को बढ़ाने से रोकने का वायदा नहीं है। और परमाणु परीक्षण को शुरू न करने का वायदा भी नहीं है"।

हां, महोदय, हमें घोर निराशा है कि इस सभा में हम में से कुछ सदस्य इस समझौते के विरूद्ध शोरगुल मचा रहे हैं। जो ऐसा कर रहे है वे राष्ट्र का ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी अहित कर रहे हैं।

माननीय प्रधान मंत्री ने अपने पिछले भाषण में संसद में दिए गये अपने वचन को पूरा किया है। आने वाली पीढ़ी इस कृतज्ञता के लिए उनकी ऋणी रहेगी और उन्हें समृद्धि के दृष्टा और विश्व शक्ति के रूप में भारत को उचित स्थान दिलाने वाले महापुरूष के रूप में याद किया जाएगा। हमें प्रगति के लिए अपने कार्यों और अपने संव्यवहार में साहस और दृढ़विश्वास दिखाना चाहिये तथा विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में हमारी गिनती होनी चाहिये और इस समझौते से ऐसा ही होगा।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : श्रीमन्, जिस मुद्दे पर यह सम्मानित सदन आज बहस कर रहा है, उस पर पिछले कुछ महीनों से देश के अंदर जबर्दस्त चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं इस एग्रीमेंट पर जितनी बहस हुई है, समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में जितना लिखा गया है, उतनी दूसरे किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत तर्कसंगत तरीके से देश के जाने-माने डिफेंस के विशेषज्ञों और अन्य लोगों ने बाते कही हैं। मैं अपनी बात दो हिस्सों में आपके सामने रखूंगा। पहले देश के सामने जो परिस्थिति है, फिर यह एग्रीमेंट है, उससे संबंधित कुछ शंकाओं के बारे में भी कहना चाहूंगा।

महोदय, जहां तक हमारे देश का प्रश्न है, इस वक्त हमारे चारों तरफ जो भी पड़ोसी देश हैं, उनसे हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं। अगर हम यह कहें कि ज्यादातर पड़ोसी देश हमसे होस्टाइल हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारा जो सबसे

[प्रो. राम गोपाल यादव]

विश्वसनीय राष्ट्र सोवियत यूनियन था, वह डिसइंटिग्रेशन के बाद स्वयं संकट में फंस गया, वह किसी का संकट मोचन नहीं हो सकता है। वर्ष 1971 में पहली बार डिफेंस के मामले में बहुत महत्वपूर्ण संधि इंडो-सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, जो श्रीमति इंदिरा जी ने की थी, उसके बाद बांग्लादेश का उदय हुआ था। अब जो दो बड़ी शक्तियां दुनिया में बची हैं वह हैं—अमरीका और हमारे पड़ोस में चाइना।

अपराह्न 3.46 बजे

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए*]

इन देशों के हमारे साथ कैसे रिश्ते रहे हैं, हमें इस बारे में भी जानना पड़ेगा। जब हमारी चीन के साथ बहुत अच्छी मित्रता थी, जब पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, जब हम ''हिंदी-चीनी भाई-भाई'' के नारे लगा रहे थे, तब हिंदुस्तान पर हमारे मित्र राष्ट्र ने हमला किया और लाखों वर्ग मील जमीन अब भी उसके कब्जे में है। अभी थोड़े दिनों पहले ही चीन ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश भी चीन का ही हिस्सा है। यह सही है कि अमरीका के रिश्ते पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। हम पंडित नेहरू के जमाने से गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के लीडर रहे। अमरीका पाकिस्तान से सैंट्रल ट्रीटी आर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी आर्गेनाइजेशन के जरिए मिलिट्री के मामले में जुड़ा हुआ है और जब संकट में कभी वह देश आया, खासतौर से बांग्लादेश से लड़ाई के दौरान चीन और अमरीका दोनों का लगभग एक जैसा रवैया हमारी तरफ था। सैवेंथ फलीट विद इट्स न्यूक्लियर वैपंस कैरियर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की तरफ चल रहा था, तब चीन ने काल्पनिक आरोप हिन्दुस्तान पर लगाया था कि हिन्दुस्तान ने चीन के अंदर कुछ चौकियां बना ली हैं, उन्हें 24 घंटे में डिस्मेंटल करे अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। दोनों का एक जैसा रवैया हिन्दुस्तान के प्रति था। हालांकि स्थिति ऐसी बनी कि देश इस समस्या से उभरकर सामने आया और हमारा कुछ न बिगड़ सका। अब प्रश्न यह है कि क्या हम आइसोलेशन की स्थिति में रहें और अगर हम किसी से रिश्ते बनाएं तो किससे बनाएं? अतीत इस बात का गवाह है कि चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और चीन का इतिहास है कि जो उसका सबसे बड़ा मित्र था; उसी के ऊपर उसने आक्रमण किया। हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया और वियतनाम पर उस दिन आक्रमण किया जब हमारे विदेश मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी चाइना, बीजिंग में थे। इन परिस्थितियों में अमरीका से एक एग्रीमेंट की बात सामने आई। हमारे प्रधान मंत्री ने यहां बयान भी दिया। जो टैक्स्ट सीनेट का है, इंटरनेट के जरिए हमें उपलब्ध हुआ है, उसमें कई ऐसे बिंदु हैं, जिन पर तमाम तरह की शंकाएं हैं और आलोचनाएं हो रही हैं।

हमने पिछली बातें इसलिए कहीं कि अब सोवियत यूनियन जैसा मित्र देश हमारा कोई नहीं है। पड़ोस में सारे होस्टाइल कंट्रीज हैं। हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते और जब नहीं रह सकते तो किसी से संबंध बनाने होंगे लेकिन जो अमेरिका से सिविल न्यूक्लियर कोआपरेशन का एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें कई ऐसी बातें हैं जिन पर शंकाएं हैं और उससे ऐसा लगता है कि हमारी कहीं संप्रभु विदेश नीति और अन्य मसलों पर भी असर पड़ सकता है। मैं उन कुछ बिन्दुओं को रखूंगा और चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी जब जवाब दें, तो शंका का निराकरण जरूर करें क्योंकि जो शंकाएं लोगों के मन में हैं, अगर उनका निराकरण हो जाएगा तो यह देश के इंटरेस्ट में भी होगा और बहुत जबर्दस्त विवाद पर विराम लग सकता है।

जो हेनरी हाइड एक्ट है, मैं इसके सैक्शन 102, सब सैक्शन 6 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें लिखा है कि—

[अनुवाद]

> ''1954 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम की धारा 123 के अनुसरण में, परमाणु सहयोग के लिए किसी ऐसे देश के साथ समझौता करना अमेरिका के हित में है जो कभी भी अप्रसार संधि के मामले में एक पक्षकार न रहा है...''
>
> इसके आगे लिखा है कि-
>
> ''देश की ऐसी कार्यप्रणाली हो और उसमें सरकार की अबाधित लोकतंत्र प्रणाली हो, उसकी विदेश नीति अमेरिका के अनुकूल हों और वह अप्रसार के संबंध में महत्वपूर्ण विदेश नीति पहल में अमेरिका के साथ कार्य कर रहा हो...''

[हिन्दी]

अमेरिका की विदेश नीति के पैरेलल या उसके समकक्ष कान्ग्रूऐंट हमारी विदेश नीति हो, यह एक बिन्दु इस एग्रीमेंट में है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम अमेरिका की विदेश नीति के साथ नहीं चल सकते हैं, तो इस एग्रीमेंट से दिक्कत पैदा हो सकती है।

इसी के अगले सैक्शन में है कि-

[अनुवाद]

''दक्षिण एशिया के संबंध में, ईरान को परमाणु हथियार क्षमता सहित जन संहार के हथियारों को प्राप्त करने के प्रयास में रोकने, अलग-थलग करने और यदि आवश्यक हुआ, तो उस पर प्रतिबंध तथा नियंत्रण लगाने के अमेरिका के प्रयास में भारत की पूर्ण और सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना...''

[हिन्दी]

क्या इस एग्रीमेंट के बाद या इस एग्रीमेंट से हम इस बात के लिए बाध्य हैं कि जिस तरह से अमेरिका ईरान को ट्रीट कर रहा है, उस तरह से हम भी अमेरिका के साथ हां में हां मिला कर कहेंगे कि ईरान यह नहीं कर सकता, ईरान एटम बम नहीं बना सकता, वह वैपन्स आफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बना सकता। अगर हम ऐसा करेंगे, तो क्या यह हमारी इंडिपेंडेंट विदेश नीति होगी? दूसरी यह आशंका थी।

तीसरा, सैक्शन 104 में इस बात का उल्लेख है कि-

[अनुवाद]

''राष्ट्रपति भारत में परमाणु कार्यकलापों, विगत वर्ष के दौरान भारत में त्वरित और संबंधीत यूरेनियम की मात्रा के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी के साथ एक रिपोर्ट कांग्रेस की उपयुक्त समितियों को प्रस्तुत करेगा।''

[हिन्दी]

उस यूरेनियम में से कितना यूरेनियम एटामिक वैपन्स के प्रयोग में यूज हुआ, यह हर साल अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका की संबंधित कांग्रेशनल कमेटी को इसकी सूचना देगा। एक तरफ हम कहते हैं यह केवल सिविल न्यूक्लियर कोआपरेशन है, क्या इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, एटामिक वेपनस को बनाने के लिए जो रिएक्टर्स हैं या न्यूक्लियर एक्टिविटीज हैं, जिनमें मिलिट्री या सैन्य न्यूक्लियर गतिविधियां हैं, अगर उन पर कोई कार्यवाही हो रही है उसकी सूचना अमेरिका को देनी होगी और अमेरिका का राष्ट्रपति सारी जानकारी अमेरिकन कांग्रेस को देगा? अगर यह चीज है तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है। एक स्टेज ऐसी आने वाली है क्योंकि बीएआरसी में साईटिस्ट्स काम कर रहे हैं, जो तीसरी स्टेज या थर्ड साइकल है, जिसमें थोरियम और प्लूटोनियम का यूरेनियम-233 के रूप में फिजिबल तत्व के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा, अगर ये सारी सूचनाएं अमेरिका को देनी पड़ेंगी और अमेरिका इस बात का अहसास करेगा कि हिन्दुस्तान में इस लैवल की एक्टिविटीज चल रही हैं, तो इस हाइड एक्ट या एग्रीमेंट के तहत अमेरिका कांग्रेस या अमेरिका के राष्ट्रपति अदरवाइज व्यू अख्तियार करके एग्रीमेंट को खत्म भी कर सकते हैं। सब जानते हैं कि जिस दिन हिन्दुस्तान इस स्थिति में हो जाएगा कि थोरियम का एज यूरेनियम-233 का प्रयोग करने लगेगा तो हमें दूसरों से इम्पोर्टिड यूरेनियम-235 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। असली संकट यूरेनियम-235 है, जिसकी जरूरत एटम बम और न्यूक्लियर वैपन्स बनाने के लिए पड़ती है, जितनी न्यूक्लियर सप्लाई कन्ट्रीज हैं उनके माध्यम से इसकी आपूर्ति होनी है। इस देश में यूरेनियम और थोरियम का इतना भंडार है, अगर थर्ड साइकल की मास्टरी हमारे साइंटिस्ट कर लेंगे और जिस दिन हिन्दुस्तान आत्मनिर्भर हो जाएगा तब ये नौबत नहीं आ सकती कि हमें इस तरह से जरूरत पड़े। यहां कुछ शंकाएं हैं कि इसका असर हमारी फारेन इनडिपेंडेट पालिसी पर भी पड़ सकता है, हमारे साइंटिस्ट भी डिस्क्रेज हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगेगा है कि हम जो अगली रिसर्चिज कर रहे हैं उनका क्या होगा, कहीं उन पर पाबंदी न लग जाए।

महोदय, तीसरी चीज जो बहुत खास है और जिसे लेकर चर्चा चल रही है कि हम एनर्जी में आत्मनिर्भर होने के लिए ये सब कर रहे हैं। अभी जो देश की स्थिति है उसमें अगले पांच सालों में 2012 तक स्थापित थर्मल और हाइडल क्षमता 2,10,000 मेगावाट होगी। अब तब तक केवल एटामिक एनर्जी क्षमता, जो 4200 मेगावाट के आसपास है, यह अगले पांच साल में 3300 मेगावाट और बढ़ जाएगी। इस तरह से कुल एनर्जी, जो हमारे यहां अवेलेबल है, वह तीन परसेंट है, जो हम प्रोड्यूज करते हैं, उसकी एटामिक एनर्जी तीन या चार परसेंट है। अगर हम 2020 तक 40,000 मेगावाट भी बिजली पैदा करेंगे तो उस वक्त हाइडल या थर्मल से पैदा होने वाली बिजली बहुत ज्यादा होगी और उसका पांच, छः या सात परसेंट से ज्यादा एटामिक एनर्जी नहीं हो सकती। इस स्थिति में क्या सरकार ने सर्वे कराया है कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लाकर कितनी एनर्जी बना सकें। और हमारी थर्मल और हाइडल की कैपेसिटी तब तक क्या होगी?

अपराह्न 4.00 बजे

दूसरी तरफ इस बात की बहुत चर्चा है और तमाम तरह के विद्वानों ने लिखा-पढ़ी भी की है, पता नहीं वे अंदाज से लिख रहे

[प्रो. राम गोपाल यादव]

है या इस बात का कहीं रिकार्ड है कि जो एटोमिक एनर्जी बनेगी, उसकी कीमत थर्मल से लगभग दोगुनी होगी और जो न्यूक्लियर रिएक्टर आयेगा, वह न्यूक्लियर रिएक्टर जितनी बिजली पैदा करेगा, उस कैपेसिटी का हमारे यहां जो थर्मल पावर प्लान्ट होगा, उससे रिएक्टर की कीमत तीन गुना ज्यादा होगी। इस तरह से कुल मिलाकर कीमत में इनक्लूडिंग रिएक्टर एंड इनर्जी बोर्ड लगभग छः गुने का फर्क है। अगर यह बिजली छः गुनी महंगी होगी तो इस देश की गरीब जनता को हम इसे कैसे दे सकेंगे। यह बात पूरे देश में फैलाई गई है, बताई गई है, इसमें कितनी सत्यता है, यह मैं भी जानना चाहूंगा।...*(व्यवधान)* यदि प्रधान मंत्री जी बतायेंगे, तो मैं मान लूंगा- यह मैं इसलिए कह रहा हूं। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, मैंने तभी कहा की जितना विवाद, जितनी लिखा-पढ़ी और जितने आर्टिकल्स इस एग्रीमैन्ट के पक्ष और विपक्ष में आये, इतने ज्यादा पिछले बीसों सालों में मैंने कभी किसी और दूसरे मुद्दे पर नहीं देखे।

अभी हाल ही में हिन्दुस्तान की रक्षा से जुड़े हुए, एटौमिक इनर्जी से जुड़े हुए, फारेन सर्विस से जुड़े हुए लोगों का एक संयुक्त बयान आया था, जिसमें हिन्दुस्तान के भूतपूर्व एयर चीफ मार्शल, फारेन सैक्रेटरीज, साइंटिस्ट्स, एटोमिक इनर्जी कमीशन के चेयरमैन आदि सारे लोग शामिल थे। इन सब लोगों ने कहा कि यह बहुत अच्छा एग्रीमैन्ट है। कल ही हिन्दुस्तान टाइम्स में रॉ के एक रिटायर्ड सैक्रेटरी, सीनियर अफसर ने लिखा कि यह हिन्दुस्तान के लिए बहुत खराब है। जब इस तरह की बयानबाजी होती है तो हमारे जैसे लोग तो लेमैन हैं, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, कोई सैन्य विशेषज्ञ नहीं हूं। लेकिन जब इस तरह की बातें होती हैं तो लोगों के मन में एक कंफ्यूजन पैदा होता है और उस कंफ्यूजन को दूर करना, लोगों के मन से आशंका को दूर करना, यह जिम्मेदारी माननीय प्रधान मंत्री उनकी सरकार से जुड़े हुए लोगों की है। कोई प्रधान मंत्री जी की देशभक्ति पर, उनकी विद्वता पर, उनकी निष्ठा पर संदेह नहीं कर सकता। उन्होंने संसद में जो बयान दिया था, वह बहुत ही विश्वास के साथ दिया था कि हम ऐसा कोई एग्रीमैन्ट नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, जो देश के इंटरैस्ट के खिलाफ हो। हम लोगों को या अन्य किसी को भी यह अंदाज नहीं था कि इस एग्रीमैन्ट पर आगे चलकर इतना विवाद होगा कि सरकार के जाने-आने और चुनाव के होने तक की नौबत आ जायेगी। प्रारम्भ में ही अगर इस तरह की चेतावनी दे दी गई होती तो हो सकता है कि आगे न बढ़ा जाता है। मैं यहां बिल्कुल ह्युमेनिटेरियन प्वाइंट आफ व्यू से कह रहा हूं, कोई पार्टी और पोलिटिक्स को बीच में नहीं ला रहा हूं। चूंकि यदि कहीं हम एक एग्रीमैन्ट करके आ जाएं और उसके बाद यह कहा जाए कि अब आप यह समझौता नहीं कर सकते, तो जो समझौता करने वाला व्यक्ति है, उसके सामने बहुत बड़ा धर्म संकट होता है। इसमें क्रेडिबिलिटी का सवाल पैदा होता है और अगर किसी प्रधान मंत्री की क्रेडिबिलिटी को ठेस लगती है तो वह केवल प्रधान मंत्री की क्रेडिबिलिटी का मामला नहीं होता, वह पूरे देश का मामला होता है। आज यदि यह बात होती है तो कल को कोई दूसरा देश यह कह सकता है कि हिन्दुस्तान का क्या ठिकाना है, आज ये लोग यहां कह जाएं और कल वहां लोग इन पर दबाव डालें, फिर यही लोग कह दें कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे- इस तरह से आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारी कोई बात भी नहीं सुनेगा। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी लोगों के मन में जो शंकाएं हैं, आप उन्हें दूर करें और मैं श्योर हूं कि प्रधान मंत्री जी उन शंकाओं का निवारण करेंगे और यदि वह उन शंकाओं का निवारण करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग जो विरोध कर रहे हैं, देश के हित में अगर यह काम होगा, आप सारी शंकाओं का निवारण करेंगे और हमारी स्वतंत्र और सम्प्रभु विदेश नीति पर कोई खतरा नहीं होगा।

जहां तक न्यूक्लियर टैस्ट का सवाल है, न्यूक्लिअर टैस्ट को रोकने में, क्योंकि जो करना चाहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। आपको याद होगा कि जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने डिस-आर्ममेंट कमीशन बनाया, उसके तुरंत बाद सोवियत संघ ने पहला विस्फोट किया। उसके बाद जब नान प्रालिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए, तो हस्ताक्षर की स्याही सूख भी नहीं पाई थी कि चीन ने अपना एटोमिक एक्सप्लोजन कर दिया। इसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वह सीटीबीटी की बात हो, कभी कोई की बात आई, कोई न कोई देश इसके बाद विस्फोट करता रहा है- जो विस्फोट करना चाहे। आगे अगर देश के हित में होगा तो हिन्दुस्तान भी ऐसा करेगा और यह जो डील है या एग्रीमेंट है, यह इसे नहीं रोक सकता है। यह बात दूसरी है कि अगर उस डील में कोई ऐसी पाबन्दी है कि न्यूक्लियर रिएक्टर ही अमरिका वाले उखाड़कर ले जाएंगे, अगर आपने ऐसा कर दिया, इसलिए ऐसे ही कोई दस्तखत मत कर दीजिए जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर उखाड़ने की बात आए। मैं यही चाहूंगा कि आप सारी आशकांओं को दूर करें, जिससे संसद और लोगों का समर्थन आपको हासिल रहे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, आज भारत-अमरीका परमाणु समझौते पर चर्चा हो रही है जो न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय है। यह विषय कोई पक्ष या विपक्ष का विषय नहीं है, यह देश के व्यापक हित से जुड़ा हुआ मामला है। जो भारत-अमरीका परमाणु समझौता है, जैसा अभी राम गोपाल जी ने भी ठीक ही कहा था कि इसमें किसी भी तरह से चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री जी की नीयत पर शंका करना उचित नहीं है। इसीलिए देश के व्यापक हित में जिस संधि पर आज चर्चा हो रही है, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी की देश के प्रति पूरी प्रतिबद्धता है, इसीलिए प्रधान मंत्री जी की नीयत पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। सवाल विचार का हो सकता है या मतैक्य का हो सकता है, हमारा दृष्टिकोण सोचने का अलग हो सकता है लेकिन परमाणु करार करने की जो नीयत है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। देश के व्यापक हित को किसी भी तरह से गिरवी नहीं रखा जा सकता क्योंकि देश के सामने यह पहली संधि है। यह बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि, यह पहली संधि है जिस पर इतनी व्यापक चर्चा हो रही है। आज तक किसी भी संधि पर इतनी व्यापक चर्चा नहीं हुई है। इसी संधि पर इतना संसद का विश्वास लेने और पूरे देश का विश्वास लेने की कोशिश की गई है। जुलाई में इस पर संयुक्त वक्तव्य हुआ ही था। इसके बाद अगस्त में दोनों सदनों में बार-बार इस बात को यानी माननीय वामपंथी मित्रों तथा अन्य दलों द्वारा जो शंकाएं उठाई गई थी, उन शंकाओं को निर्मूल करने का भरस्क प्रयास किया गया। ऐसा प्रयास इस संधि पर जिसमें लोकतांत्रिक तरीके को ''एडाप्ट'' किया गया है, इसके लिंए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने एक अच्छा काम किया है क्योंकि आपने पारदर्शिता को स्पष्ट किया है, आपने इस देश में व्यापक रूप से चर्चा चलाई है और इसके बाद यदि कोई शंका है क्योंकि बिजली आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है क्योंकि सारा बुनियादी आधारभूत ढांचा बिजली पर ही निर्भर करता है।

ऊर्जा हमारी बुनियादी आधारभूत संरचना और देश के विकास के लिए जरूरी है और देश की सामयिक आवश्यकता आज बिजली है। इस बिजली की सामयिक आवश्यकता को देखते हुए जो करार हो रहा है, इस करार में यद्यपि बहुत सारे मसौदों की चर्चा हो रही थी. इस देश को समृद्ध बनाने में यह नाभिकीय ऊर्जा पाजीटिव साबित हो सकती है लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि इस देश में जो सवाल उठा है कि जो करार है, या 123 समझौते का मसौदा है या जो हाइड एक्ट है, कई शंकाओं में मूल शंका उठ रही है कि क्या इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था है या नहीं है? जो हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पैदा करने की बात है, हाइड्रो पावर पैदा करने की बात है, वैकल्पिक व्यवस्था कोयले से भी हो सकती है। जो एनर्जी पैदा करने की बात है कि क्या पवन से ऊर्जा पैदा करने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है?

वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में प्रो. राम गोपाल जी ने चर्चा की है। इन सब सम्भावनाओं के लिये सरकार प्रयास करे। वैकल्पिक विकास हो या न हो लेकिन यह करार आगे की दिशा में बढ़ रहा है। हमारे वामपंथी मित्रों ने सरकार को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी से वार्ता करने की इजाजत दी है कि सरकार वार्ता कर सकती है, लेकिन उसके परिणामों पर शंका हो रही है। बिजली व्यवस्था से रोजी-रोटी का मामला और रोजगार का मामला जुड़ा हुआ है। इस परिणाम से, यदि बिजली की हमारे देश को आवश्यकता है, उसे पाने के लिये कोई विकल्प है, तो उस पर ध्यान देना चाहिये। बिजली को पाने के लिए देश में कई शंकाये कई तरफ से उठायी जा रही हैं। कोई कहता है कि गुट निरपेक्ष नीतियों का बलिदान हो जायेगा, कोई कहता है कि स्वतंत्र विदेश नीति पर कुप्रभाव पड़ेगा, यहां तक कहा जा रहा है कि देश की सार्वभौमिकता पर कुप्रभाव पड़ेगा और परमाणु परीक्षण का अधिकार छीन लिया गया है। हाईड एक्ट में जो 123 का करार है, उसका कहीं न कहीं कुप्रभाव पड़ेगा। जहां तक हाईड एक्ट का प्रश्न है, यह अमरीका का नेशनल लॉ है। उसका प्रभाव हमारे यहां कैसे होगा? अमरीका का कानून है, इसलिये एक तकनीकी सवाल है। इसके मसौदे की विस्तृत जानकारी श्री रूप चंद पाल ने दी है और कहा है कि 123 करार पर हाईड एक्ट का कैसा प्रभाव होगा? मैं फिर इस बात को कहता हूं कि हाईड एक्ट अमरीका का कानून है, उससे हम कभी प्रभावित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह कानून उनके लिये है, हमारे लिये नहीं है। लोग शंकाये करते करते हाईड एक्ट से 123 करार पर चले गये। प्रो. राम गोपाल जी ने ठीक कहा है कि नीयत कर लो तो रिएक्टर उखाड़कर ले जाएगा अमेरिका, रायल्टी ठोक देगा, उनका उपकरण है, काफी दाम होगा। क्या हम उससे कम सजग हैं? यदि साम्राज्यवादी देश हमारे व्यापार की अनदेखी करेगा तो इस मसौदे में यह क्लाज है कि हम एक वर्ष के नोटिस के आधार पर डील को खत्म कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, इसमें क्या बात है? हमें इस डील से अलग होने के लिये कौन रोक सकता है? अगर हमारी स्वतंत्र विदेश नीति पर आघात होगा या सार्वभौमिकता पर आघात होगा, परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगेगा तो हमारे प्रधान मंत्री जी संसद में इस संबंध में कई बार स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि परमाणु परीक्षण का हमारा अधिकार महफूज रहेगा। इसलिये चर्चा

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

होने के बाद एनर्जी सिक्यूरिटी के व्यापक हित में करार होगा। विकसित देशों की श्रेणी में चीन जैसा देश इन-प्रिंसीपल इस करार के खिलाफ नहीं है।

सभापति महोदय, देश को 2012 तक एक लाख मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता होगी, जैसा सोलर विद्युत सर्वे ने बताया है। हमारे देश में विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को देखते हुये हमें इस पर विचार करना चाहिये। आज हमारे देश में एक लाख 34 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसमें परमाणु ऊर्जा का हिस्सा केवल 3.1 प्रतिशत है। हमारी आवश्यकता 8.0 प्रतिशत है, और हमें 5.6 प्रतिशत अतिरिक्त ऊर्जा चाहिये। हमारे देश के कृषि और औद्योगिक क्षेत्र ने इनफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिये ऊर्जा की आवश्यकता है। आने वाला समय परमाणु ऊर्जा का युग होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। अपने देश के हित को तिलांजलि देकर हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं ले सकते। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जब बार-बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत-अमेरीका परमाणु करार भारत के परमाणु परीक्षण के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा, राष्ट्रहित में परमाणु परीक्षण करने का हमारा संप्रभुतापूर्ण निर्णय रहेगा और हमारी स्वतंत्र विदेश नीति पर भी कोई आंच नहीं आएगी। आज मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी या विदेश मंत्री इस बात को स्पष्ट कर दें कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था है या नहीं- जैसे हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर है। हाइडल पावर की बात शुरू होगी तो बहुगुणा जी द्वारा तुरंत प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। इसमें कई तरह की अड़चनें और कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मैं समझता हूं कि जो परमाणु ईंधन के रीप्रोसैसिंग का अधिकार है, वह भी स्थायी रूप से बना रहे, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। परमाणु करार में हमारे परमाणु संयंत्रों को अमेरिका द्वारा सतत् परमाणु ईंधन की आपूर्ति जारी रखने की गारंटी हो, इस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी जब वक्तव्य दें तो स्थिति स्पष्ट करें। इससे हम सब लोगों की शंका का समाधान हो जाएगा। हम अमेरीका जैसे साम्राज्यवादी देश के सामने उनके व्यापक हित के लिए नहीं झुकेंगे। हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन किसी भी हालत में दासता स्वीकार नहीं कर सकते, यह हमारा संकल्प है। लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस पर बार-बार चर्चा कराने की कोशिश की है, संसदीय लोकतांत्रिक इतिहास में कभी इस तरह से किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय संधि पर चर्चा नहीं हुई थी। यह एक अच्छा प्रयास है, अच्छा तरीका है जो यूपीए सरकार ने अडाप्ट किया है। इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई दी जानी चाहिए।

मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमारे समक्ष जो ऊर्जा का बेहतर विकल्प हो, उनकी संभावनाओं को भी खोजने का भरसक प्रयास करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि इसके बाद भी हमारे वामपंथी मित्रों की शंका का समाधान नहीं होता और क्लीन बिजली, स्वच्छ विद्युत उत्पादन करने का और कोई रास्ता है, तो मैं समझता हूं कि यूपीए और वाम दलों की बैठक की जा सकती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी भी उसमें सदस्य हैं। जब यूपीए और वामदलों की सहमति की बैठक होती, है उसमें आम सहमति बनेगी। सहमति बनाकर ही इस करार पर मुहर लगेगी। बैठक निरंतर चल रही है, सिलसिलेवार बैठकें हो रही है। उसमें सारे बिन्दुओं पर, तकनीकी विषयों पर और देश के व्यापक हितों पर विस्तृत चर्चा हो रही है। उस समिति द्वारा सहमति के बाद ही यह करार होगा, इसलिए, शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। पर्यावरण का मामला भी बहुत चलता है। इसलिए क्लीन बिजली की भी जरूरत है। इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए सुलह समिति जो यूपीए और वाम दलों की है, उसमें सहमति के बाद ही इस पर विचार होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एनर्जी सिक्यूरिटी के हित में यह करार जरूरी है। मैं अंत में एक मिनट का और समय लूंगा कि आज जो परिस्थिति देश में बनी है, उसके संबंध में मै कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* साम्राज्यवादी देशों से हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता। हम लोगों ने तो लाठी लेकर प्रदर्शन करने का काम किया था जब इराक का सवाल उठा था। हम अपनी संप्रभुता को किसी भी तरह से नहीं खो सकते। हम साम्राज्यवादी देश के खिलाफ हैं, लेकिन यहां संधि का सवाल है और एनर्जी सिक्यूरिटी का मामला है। सिर्फ एक मसले की बात है। आज जो वर्तमान स्थिति है, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* आडवाणी साहब की शंका है कि 90 प्रतिशत परीक्षण रियैक्टर की जांच उनके हाथ में जाएगी...*(व्यवधान)* यह सब भ्रम है। देश के व्यापक हित के साथ किसी भी तरह से समझौता नहीं हो सकता है। देश के किसान और गरीबों को आज इसकी जरूरत है। इसमें देश के व्यापक हित का ध्यान रखा जाएगा, इससे कोई समझौता, साम्राज्यवादी देश नहीं हो सकता। आज जो स्थिति है, उसके संबंध में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। आज सुबह जब परमाणु पर चर्चा हो रही थी, तो मैंने एक छोटी सी कविता बनाई, उसे मैं पढ़ना चाहता हूं-

"आज हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच परमाणु करार,
इस परमाणु करार ने देश को कर दिया है बेकरार,
यूपीए तथा प्रतिपक्ष में भी पड़ रहा है छोटा-सा दरार,
यदि केन्द्र सरकार रखे अगस्त, 2007 वाला संकल्प बरकरार,
और स्वतंत्र विदेश नीति, सार्वभौमिकता व परमाणु परीक्षण का महफूज रहे हमारा अधिकार,
तो हो जाएगा परमाणु करार, तब नहीं रहेगा किसी दल को शंका और कोई मलाल,
देश के व्यापक हित में हो जाए यह करार, तब पट जाएगी यूपीए और प्रतिपक्ष की भी दरार,
सम्पूर्ण देश को हो जाएगा इस परमाणु करार से पूरा सरोकार,
दोस्ती बढ़ेगी अमेरिका से, नहीं होगा कोई दास्ता और वास्ता से सरोकार,
बिजली महंगी नहीं हो, इस पर भी करना है विचार,
किसी हालत में देश का व्यापक हित रहे बरकरार,
तब हो पाएगा मजबूती से यह परमाणु करार, यही है हमारा विचार।"

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : माननीय सभापति महोदय, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर बहुजन पार्टी का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत-अमेरिका परमाणु समझौता, जिसे 123 के नाम से भी जाना जाता है, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि यह समझौता एक प्रकार से भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, इस संबंध में बहुजन समाज पार्टी का मानना है कि इतने महत्वपूर्ण व दूरगामी प्रभाव वाले समझौते को अंजाम देने से पहले जनता के दिमाग में उभर रही भ्रांतियों को केन्द्र सरकार द्वारा अवश्य दूर किया जाना चाहिए। यह ठीक है कि ऊर्जा हमारी परम आवश्यकताओं में है ताकि विकास की प्रक्रिया को तीव्र बनाया जा सके, लेकिन भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के संबंध में सभी पार्टियों के नेताओं को विश्वास में लेकर या आमराय बना कर काम करना क्या गलत होगा? इसके अलावा भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के प्रति जनता में ये भ्रांतियां फैल रही हैं कि भारत अपनी अस्मिता, स्वतंत्र विदेश नीति तथा भविष्य में परमाणु स्वतंत्रता के अपने अधिकार को अमेरिका के हाथों बंधक बना कर रख देगा। जनता में फैली इन भ्रांतियों को अवश्य दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी का मानना है कि ऐसे महत्वपूर्ण व संवेदनशील मामलों पर देश को एकमत रहना चाहिए। राष्ट्र की अस्मिता व सुरक्षा से संबंधित मामलों पर देश को एकजुट रखने की आवश्यकता है और यह जिम्मेदारी मुख्यतः केन्द्र सरकार की बनती है। इसके साथ-साथ हमारे परमाणु विशेषज्ञों की राय भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के प्रति स्पष्ट तौर पर क्या है, इसका भी सही-सही खुलासा किया जाना चाहिए। साथ ही अमेरिका मंत्रियों व अधिकारियों का यह कहना कि भारत के साथ अमेरिका का परमाणु समझौता स्वयं अमेरिका के बड़े हित में है, परन्तु भारत-अमेरिका परमाणु समझौते को अमेरिकी अधिकारी लगातार ईरान के साथ गैस पाइपलाइन से भी जोड़ रहे हैं, जिसकी तरफ केन्द्र सरकार को भी अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह अमेरिका को एहसास दिलाएं कि उसे भारत के साथ दोस्ती का और मजबूती से हाथ मिलाना है तथा उसे और मजबूत करना है। उसके अंदर इतनी इच्छाशक्ति है कि वह भारत को वास्तव में अपना सही दोस्त साबित करना चाहता है, तो वह भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहले वीटोयुक्त स्थायी सदस्य का दर्जा दिला कर अपनी नेकनीयती का सबूत दे और इस प्रकार भारत की जनता को भी भरोसे में ले।

सभापति महोदय, अंत में बहुजन समाज पार्टी केन्द्र सरकार को यह सुझाव देती है कि भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर कोई भी कदम बढ़ाने से पहले सभी पार्टियों के नेताओं को विश्वास में लेने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए ताकि सभी दलों को यह मालूम हो सके कि इस न्यूक्लियर डील के पीछे केन्द्र सरकार की असल में नीयत क्या है और इस समझौते के नफा-नुकसान के कितने दूरगामी परिणाम हो सकते हैं तथा इस समझौते के आधार पर भारत का परमाणु भविष्य क्या है? क्योंकि अपने देश के लोग किसी भी कीमत पर परमाणु स्वतंत्रता खोना नहीं चाहते हैं। साथ ही किसी सामरिक गठबंधन का हिस्सा बनने के बजाए स्वतंत्र प्रतिरक्षा व विदेश नीति पर चलना पसन्द करते हैं, अर्थात् भारत को दुनिया के सामने अपने आप में एक मिसाल की तरह कायम करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट मत है कि यदि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. की सरकार बी.एस.पी. के इन सुझावों को नहीं मानती है तो हमारी पार्टी अपना रास्ता खुद चुनने का अधिकार सुरक्षित रखती है। महोदय, परिस्थितियों के अनुसार कोई भी निर्णय लेने का अधिकार, हमारी बहुजन समाज पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा व उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री, बहन कुमारी मायावती जी को दे रखा है। अगर देशहित के खिलाफ, परमाणु नीति के संबंध में कोई निर्णय

[श्री ब्रजेश पाठक]

लिया जाता है, तो बहन कुमारी मायावती जी, इस संबंध में, कभी भी कोई निर्णय ले सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, सदन और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : सभापति महोदय, मुझे द्रविड़ मुनेत्र कषगाम (डीएमके) और मेरे माननीय नेता डा. कलईगनार की ओर से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुए परमाणु समझौते के मुद्दे पर बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

भारत में पिछले कुछ वर्षों से अभूतपूर्व चहुंमुखी प्रगति हो रही है। हमारी अर्थव्यवस्था 8 से 9 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रही है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है; हमारे शेयर बाजार में उछाल आ रहा है और हमारा निर्यात प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। इसलिए, विश्व अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में भारत की ओर देख रहा है।

लाखों लोगों में, जो काफी कष्ट उठा रहे थे, अब नई आशा जागी हैं। मैं समझता हूं कि इसका प्रमुख कारण संप्रग सरकार का सूक्ष्म आर्थिक प्रबंधन है। तथापि, अबतक हमने जो उससे सभी खुश नहीं मुझे इस बात को साबित करने के लिए आकड़े, प्रमाण या अन्य सामग्री देने की आवश्यकता नहीं है कि अभी भी हमारे लाखों भाई-बहन भूखे मर रहे है; लाखों लोग बिना आश्रम के फुटपाथों पर सो रहे हैं, लाखों बच्चे बुरी तरह कुपोषित हैं और अशिक्षित है, और लाखों लोगों को अभी तक पेयजल सुविधाएं या बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। इसलिए, इस पीढ़ी को किसी भी कीमत पर ऊर्जा मिलनी चाहिए।

हमें लोगों को विशेष राहत देने के लिए विकास की गति को बनाए रखना चाहिए और हमें इसके लिए अन्य बातों के साथ अनुकूल नीति परिवेश अवसंरचनात्मक सुविधाएं और गुणवत्ता वाले आदान चाहिए। हमारे सभी आर्थिक कार्यों के लिए अबाधित ऊर्जा आपूर्ति महत्वपूर्ण है और यही देश के विमान के लिए अधिक सहायक होगी।

प्रतिव्यक्ति ऊर्जा की खपत बहुत आवश्यक है क्योंकि यह किसी देश के आर्थिक विकास के स्तर का संकेतक है। औसतन हमारी ऊर्जा खपत विकसित राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा का मात्र 1/20वां भाग है। ऊर्जा और विकास के बीच महत्वपूर्ण लिंकेज होने के बावजूद गरीब लोगों तक ऊर्जा पहुंचाने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। हमारा आर्थिक विकास ऊर्जा पर निर्भर है क्योंकि आर्थिक विकास ऊर्जा पर केन्द्रित है।

जीवाश्म ईंधनों संबंधी हमारे घरेलू भंडार बिलकुल समिति है। इसलिये हमें अत्यधिक मात्रा में गैस, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करना होगा। इस आयात पर भारी व्यय आ रहा है और वह लागत हमारी अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा दबाव डाल रही है। इसलिये ऊर्जा संसाधनों को बढ़ाना तथा उनका विविधिकरण करना हमारे राष्ट्र के लिये आवश्यक है। यह न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है अपितु कार्यनीति के विचारार्थ भी महत्वपूर्ण है।

हमें अवश्य ही ऊर्जा के सभी स्रोतों का पता लगाना चाहिये- चाहे वह पनविद्युत हो, ताप विद्युत हो, अपारम्परिक अथवा परमाणु ऊर्जा हो। परमाणु ऊर्जा बनाने की क्षमता बढ़नी चाहिये क्योंकि अब केवल यही रास्ता है। बढ़ती अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने हेतु यह करार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह करार वर्ष 1974 में माननीय इंदिरा गांधी द्वारा कराये गये शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण के बाद हमारे ऊपर 33 वर्षों से लगे अनुचित प्रतिबन्धों से हमारे देश को मुक्त करता है।

मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री तथा समझौता दल को यह करार करने हेतु बधाई देता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक ईमानदार, सत्यनिष्ठ और सीधे सादे व्यक्ति हैं और कोई भी व्यक्ति उनकी नेकनीयती पर प्रश्न नहीं उठा सकता है। भारत की महत्वपूर्ण स्थितियों पर समझौता किये बिना उन्होंने यह करार किया है। इससे भारत सिविल परमाणु प्रौद्योगिकी प्राप्त कर सकेगा। साथ ही हम प्रौद्योगिकियों का दोहरा उपयोग कर सकेगें।

इस तथ्य के मद्देनजर इसलिए भारत के साथ हुआ यह करार बड़ा विलक्षण, अपने आप में अकेला तथा अपवाद स्वरूप है। कि हमारा देश ही वह देश है जो परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य नहीं है इसलिए इसने एक गैर-एन.पी.टी. सदस्य के साथ करार किया है। इससे भारत को एक प्रगतिशील (अग्रिम) परमाणु प्रौद्योगिकी सहित एक जिम्मेदार देश के रूप में मान्यता मिल गई है। इसलिये यह करार भारत के पक्ष में है जिसके संबंध में कोई भी व्यक्ति

प्रश्न नहीं उठा सकता है। अन्य देश जो हमारे पड़ोसी है। उन्हीं सेवा शर्तों सहित जो भारत पर लगाई गई है, अमरीका के साथ इसी प्रकार का करार करने हेतु बहुत ध्यान लगाये हुए हैं। यह अपने आप में ही इस बात का प्रमाण है कि हमारा करार हमारे पक्ष में ही है।

आगे और परमाणु परीक्षण करने के अधिकार के बारे में चिंतायें व्यक्त की गई हैं और क्या हमें भविष्य में परमाणु परीक्षण करने से रोका गया है। जहां तक इस मुद्दे का संबंध है, हमारी चिंताओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। केवल पुस्तक के अध्ययन से ही स्पष्ट रूप से यह पता चलेगा कि यदि परीक्षण होता है तो हमें उन परिस्थितियों का वर्णन करना होगा जिनके अंतर्गत हमने परीक्षण किये हैं। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, इसे समाप्त करने से पहले इसमें विचार विमर्श संबंधी प्रक्रिया का भी उपबंध है।

हमारे पास क्षतिपूर्ति का भी उपबंध है। मान लीजिये, अमरीका दिये गये सारे सामान को वापिस लेने का निर्णय लेता है तो हमारे पास क्षतिपूर्ति का भी उपबंध है। करार में इन बातों का उपबंध है। जहां तक परमाणु संग्रह का संबंध है। यह भारत के लिये अच्छा नहीं है। हम कोई युद्ध नहीं छेड़ रहे है। भारत वह देश है जो युद्ध में विश्वास नहीं रखता है। शस्त्र संग्रह हेतु सैनिक रणनीतिक तर्क किसी राष्ट्र के हित के लिये हानिकारक होता है। हम शांति का समर्थन करते है। हम उसके लिये लड़ाई लड़ रहे है। हमारा जिद्दी अथवा समझौता न करने वाला रवैया नहीं है। हम पंचशील नीति का उपदेश दे रहे है और इसलिये, भारत को अवश्य ही तेज आर्थिक विकास तथा प्रत्येक नागरिक को अवसरों, संपत्ति और संसाधनों के समान वितरण पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये।

हमारे वामपंथी साथियों द्वारा कुछ हकीकत से संबंध करने वाली चिंतायें व्यक्त की गई है। वे हमें न केवल करार करने से रोकते है अपितु हमारी विदेश नीति पहले के संबंध में सामान्य दिशानिर्देशों को लेकर भी रोड़ा अटकाते हैं। इसलिये, न केवल पुस्तक से अपितु संदर्भ से भी वे कुछ प्रश्न उठा रहे है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उनके संबंध में दो बार वक्तव्य जारी करके प्रभावशाली कदम उठाये हैं। उन्होंने उनके डर को कम किया है और उन्होंने शंकाओं का भी समाधान किया है। उन दो वक्तव्यों के अध्ययन मात्र से स्पष्टत: यह पता चलता है कि ये शंकाएँ करने का कोई आधार नहीं है और हम करार पर धन दे सकते हैं।

कुछ अन्य दल इसका विरोध कर रहे है और मैं नहीं जानता हूं कि वे इसका विरोध क्यों कर रहे है। बिना किसी कारण के अथवा कोई कारण जाने बिना वे इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। यदि वे सत्ता में बनें रहते तो उन्होंने यह करार कर लिया होता और उन्होंने इस बात का दावा किया होता कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। परन्तु इसे दुर्भाग्य कहिये या सौभाग्य वे सत्ता से बाहर हो गये और अब वे इस करार का विरोध कर रहे हैं। गिरगिट की तरह वे अपना रंग बदल रहे है। बाड़ (घेरे) को पार करने के पश्चात् उन्होंने अपना रंग बदल लिया है। जब वे सत्ता में थे तो उनका एक मत था और जब वे विरोधी पार्टी में है तो अब वे विभिन्न मत (विचार) दे रहे है। अब वे विभिन्न रूख अपना रहे हैं। वे अपनी दोमानी बात हेतु प्रसिद्ध है। वे जो कुछ भी सरकार करती है उसका विरोध करने के लिय दृढ़मत है। वे या तो राम के नाम अथवा बम के नाम पर सरकार के विचार का विरोध करने के लिये तैयार है। वे जानकार लोग है परंतु वे झूठ बोलते है। हम लोगों के हित हेतु सत्ता के लिये लड़ाई लड़ रहे है। वे सत्ता, राजनैतिक सत्ता हेतु लड़ाई लड़ रहे है। उन्हें जानकारी है परंतु अब वे सत्ता के आदी हो गये हैं। प्रसिद्ध तमिल कवि थिरू वल्लुवर ने यह कहा था,

''गुनाम नाडी कुट्टरामम नाडी एवत्तरूल
मिगाय नाडी मिक्का कोल्लाल''

इसका अभिप्राय है, ''अच्छाई और बुराई पर अच्छी तरह से विचार करो। गुण और अवगुण पर विचार करो। गुणों के आधार पर निर्णय लें जब कभी भी हम इस करार पर गौर करते हैं तो यहां पर कुछ अच्छी बातें है और यह अच्छा है। इसलिये, यह सदस्यता ही है। इसलिये, हमें इस करार का समर्थन करना होगा। मैं इस करार का स्वागत करता हूं क्योंकि इसे हमारे देश की उन तीन महत्वपूर्ण आंकाक्षाओं की बदौलत शामिल नहीं किया गया है– (एक) हमारे रणनीतिक परमाणु कार्यक्रम संबंधी स्वायत्ता, (दो) स्वदेशी तीन-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम, (तीन) भारत के अनुसंधान और विकासात्मक कार्यकलाप।

मैं इस करार को उद्‌भुत तथा ऐतिहासिक करार मानता हूं जिसके द्वारा भारत एन.टी.पी. पर हस्ताक्षर किये बिना परमाणु विकास कार्यक्रम का अनुसरण करने वाला विश्व का एकमात्र देश बन जायेगा और इसे अभी भी एन.एस.जी. सदस्य-देशों के साथ परमाणु व्यापार करने की अनुमति दी जा रही है। हमें और क्या चाहिये? हमारे तो फिर बले-बले हो जायेंगे। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि वे इस करार के संबंध में अपना एक ही विचार रखें तथा स्पष्ट विचार रखें और फिर उचित तालमेल बिठाकर इसका समर्थन करें। मुझे आशा

[श्री के. वेंकटपति]

है कि हम सभी इस करार का समर्थन करेंगे। मैं अपनी डी.एम.के. पार्टी और अपने प्रिय नेता कलाईगनर की ओर से इस करार का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : महोदय, जो अभी एग्रीमेंट हुआ या ट्रीटी हुयी, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं। आज सुबह मैं जब टीवी देख रहा था, अभी प्रियरंजन दासमुंशी जी यहां नहीं हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य में उन्होंने कहा कि ट्रीटी डिस्कस होगी उसको मान्यता नहीं है, अगर वोटेड होती, तो मान्यता होती। आपको मान्यता लेने में क्या ऐतराज है? पहली बार हिन्दुस्तान में ऐसी ट्रीटी हुयी, जिस केस में कंट्रावर्सी हुयी है। इसके बारे में मैं आपको कोट करके बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने कहा,

[अनुवाद]

> ''परमाणु करार के कानूनी जानकारों (निपुण व्यक्तियों) ने इस दावे पर प्रश्नचिन्ह लगाया कि 123 करार में भारतीय संसद द्वारा पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं है। संघ कार्यकारी को, जब तक संसद द्वारा सहमति नहीं होती, कोई आवश्यक संधि करने का कोई अधिकार नहीं है। इस दावे के समर्थन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53, 73 और 253 बताये गये।'' उन्होंने आगे यह कहा, ''संसद द्वारा पुष्टि किये बिना परमाणु करार न केवल अलोक तांत्रिक है अपितु असंवैधानिक भी है। अमरीका के राष्ट्रीय कानून पहले ही 123 करार में शामिल कर लिये गये है। सरकार उस हाईड अधिनियम से इनकार नहीं कर सकती है जो करार पर लागू होगा।''

[हिन्दी]

यूएस के साथ जो वर्ष 2005 से प्रधानमंत्री ने प्रक्रिया शुरू की। प्रधानमंत्री और बुश के बीच करार के बारे में बातचीत हुयी। बाद में अमेरिका की सीनेट में करार के पक्ष में 85/12 वोटिंग हुयी। वहां वोटिंग हो सकती है, तो हमारे यहां वोटिंग क्यों नहीं हो सकती है? यह यूनीलेटरल है। यह द्विपक्षीय नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अनुच्छेद 253 में यह कहा गया है, ''इस अध्याय के उपर्युक्त उपबंधों में किसी भी बात के होते हुए संसद को किसी अन्य देश अथवा देशों के साथ की गई किसी संधि, करार अथवा इकरारनामे अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघ अथवा अन्य निकाय में किये गये किसी निर्णय को लागू करने के लिए पूरे भारत अथवा किसी भाग हेतु कोई भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।''

[हिन्दी]

हमारे यहां यह पास क्यों नहीं हो सकता? पहली बार अतनी कंट्रवर्सी हुयी है। हमारे दोस्त लोग तो सपोर्ट विदड्रा करने वाले थे। यह ट्रीटी ऐसी है, जो हिन्दुस्तान को पंगु बना देगी। यह ऐसी ट्रीटी है। मैं बताना चाहता हूं कि चीन ने 1985 में यूएस के साथ एग्रीमेंट किया था।

[अनुवाद]

वर्ष 1985 के चीन-अमरीका करार में यह बताया गया है कि दोनो देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेगे जिसके अंतर्गत कोई भी पार्टी (देश) संधिं के अनुपालन में विफलता को उचित ठहराकर घरेलू कानून को लागू करने का अनुरोध नहीं कर सकती है।

[हिन्दी]

चीन कर सकता है, लेकिन चीन ने स्वीकार नहीं किया। उसने डायरैक्ट साइन नहीं किया, वह उनके सामने नहीं झुका, उसने अपना स्वाभिमान बचाया। हमारी सरकार अपना स्वाभिमान क्यों नहीं बचा रही है? हमारी सरकार अमरीका के सामने क्यों झुक जाती है?

उन्होंने अभी चीन के साथ इंटरनेशनल एग्रीमैंट किया। यह एग्रीमैंट अमरीका और इंडिया के तहत हुआ है। मान लें हमने कल 123 एग्रीमैंट तोड़ दिया, तो हम इंटरनेशन कोर्ट में नहीं जा सकते लेकिन चीन जा सकता है चूंकि चीन का इंटरनेशनल एग्रीमैंट के तहत समझौता हुआ है। मुझे नहीं पता कि उन्हें क्यों इतनी जल्दी थी। चीन ने काफी साल लिए और जापान ने छः साल लिए थे, जापान और अमरीका के एग्रीमैंट में छः साल लगे। मुझे लगता है कि यह यूनीलेटरल एग्रीमैंट है बायलेटरल एग्रीमैंट नहीं है।

मैं न्यूक्लियर कोआपरेशन के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, चीन, मालदीव, श्रीलंका है और यह सारे हमारे ओशन में घिरे हुए हैं। इन सब जगहों पर चीन के मौनीटरिंग सैंटर्स

हैं। श्री बुश ने कहा कि आप न्यूक्लियर टैस्ट नहीं कर सकते। यदि अमरीका हमें अपना पार्टनर बता रहा है, तो पार्टनर का स्टेटस क्यों नहीं दे रहा है। हमें पार्टनर का स्टेटस मिलना चाहिए। हमें भी न्यूक्लियर टैस्ट करने का मौका मिलना चाहिए।

अभी हमारे विद्वान नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सभी तरीकों से बताया। उन्होंने डा. भाभा के बारे में बताया। हम न्यूक्लियर वैपन के बारे में सक्षम हो सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से वे मारे गए या उन्हें मार दिया गया। यदि उनका कहना मानते तो अलग बात थी।

भारत सीटीबीटी और एनटीपी में टैस्ट बैन ट्रीटी न्यूक्लियर नान प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिगनेटरी नहीं है। भारत सरकार ने यही स्टैंड लिया था कि न दोनों में मसौदे का सिगनेटरी नहीं बनेगा। पोखरण-2 के बाद एनडीए सरकार ने पांच न्यूक्लियर टैस्ट किए। उसके बाद इन्होंने सैल्फ इम्पोज मोरेटोरियम एनाउंस किया था और कहा था कि फिलहाल भारत कोई न्यूक्लियर टैस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भारत कोई टैस्ट नहीं करेगा। उन्होंने पाकिस्तान को सहूलियत दी हुई है, चीन को सहूलियत दी हुई है। यदि वे कभी न्यूक्लियर टैस्ट करेंगे तो क्या हम उनका मुंह देखते रहेंगे? वे हमारे यहां बम फोड़ते रहेंगे तो क्या हम मरते रहेंगे? सरकार का क्या इरादा है? सरकार का इरादा स्पष्ट होना चाहिए।

पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। कुछ दिन पहले अमरिकन सरकार ने डिक्लेयर किया था कि पाकिस्तान में विकास निधि के लिए जो पैसा दिया जाता है, वह सारा हिन्दुस्तान के खिलाफ आतंकवादी एक्टीविटीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अमरीका ने उसे छ: हजार बिलियन डालर की मदद दी है। आज पूरे हिन्दुस्तान में बम फट रहे हैं, चाहे मुम्बई हो, रेल हो, बाजार हो या कोई भी जगह हो, आज जगह-जगह पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के द्वारा बम फोड़े जा रहे हैं और पाकिस्तान उसे सपोर्ट कर रहा है।

मैं बताना चाहता हूं कि ईरान को न्यूक्लियर वैपन्स टेक्नोलॉजी ब्लैक मार्किट में मिली है। पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर टैस्ट टेक्नोलॉजी दी गई, पाकिस्तान ने उसे लीबिया को दी है, ईरान को दी है, नार्थ कोरिया को दी है और चीन ने उनके लिए चोरी-छुपे नान-प्रालीफरेशन कनाइवेंस से किया है।

सभापति महोदय, मैं थोरियम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी को मैंने इस संबंध में एक लैटर लिखा था। हमारे स्वर्गीय होमी भाभा, जो ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि थोरियम का इस्तेमाल होना चाहिए। भाभा जी ने जो कहा था, उस पर हमारी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर सरकार उस पर ध्यान देती, तो आज हमें थोरियम के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम की आवश्यकता नहीं होती है। मैं बहुत से साइंटिस्ट्स से मिल चुका हूं। थोरियम के लिए प्लूटोनियम की आवश्यकता होती है। आज हमारे पास प्लूटोनियम काफी कम है। हम उसका केवल दो साल ही इस्तेमाल कर सकते हैं।

अपराह्न 4.46 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

महोदय, अगर हम प्लूटोनियम रशिया से मंगाते, तो आज हम प्लूटोनियम, थोरियम के जरिये यूरोनियम जैसा मैटीरियल बना सकते हैं। इसी सदन में दो दिन पहले जब रंजन साहब ने थोरियम के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो माननीय पृथ्वीराज चौहान ने जवाब दिया कि हमारे पास थोरियम सफीशेंट है। हमारे यहां थोरियम का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन इसका इस्तेमाल होना चाहिए। आज हमारे पास 2 लाख, 90 हजार टन थोरियम है। हम पूरे वर्ल्ड को थोरियम दे सकते थे। श्री होमी भाभा ने इस बारे में कहा था लेकिन 1966 में श्री होमी भाभा की मृत्यु हो गयी। उसके बाद 41 साल गुजर गये हैं। हमने इसका टाइम बाउंड प्रोग्राम क्यों नहीं किया? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास इस बारे में क्या टाइम बाउंड प्रोग्राम है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, आप कृपया मुझे बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

भारत ने परमाणु हथियार बनाये हैं किंतु पांच अधिकारिक परमाणु संपन राष्ट्रों-संयुक्त राज्य अमरीका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने भारत को एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रनहीं माना है, इन सभी ने अपने परमाणु हथियारों का एनपीटी के अस्तित्व में आने से पूर्व ही परीक्षण कर लिया था। लेकिन वे हमें करने नहीं देते है। हाइड एक्ट में यह कहा गया है कि भारत, पाकिस्तान और पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाईना विस्फोट संबंधी प्रयोजनों के लिये नाभिकीय विखंडन संबंधी सामग्री का उत्पादन नहीं करेंगे। यह स्मरणीय है कि चीन काफी लम्बे समय से हथियारों के प्रयोजन के लिये विखंडन-सामग्री का उत्पादन कर रहा है, जबकि एनडब्ल्यूएस ने भारत को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। राष्ट्रपति बुश द्वारा हस्ताक्षरित हाईड एक्ट में स्पष्ट रूप से यह मांग की गई है कि भारत सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाये।

[श्री मोहन रावले]

[हिन्दी]

हम प्रधानमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि वह हमारी प्रगति को रोकना चाहते हैं? मैं बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी बार-बार यह बोल रहे हैं कि इससे हमें ऊर्जा मिले जायेगी, यानी हमें 20 हजार मेगावाट इलैक्ट्रीसिटी मिल जायेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें 20 हजार मेगावाट बिजली कब मिलेगी, यह वर्ष 2020 में 20 हजार मेगावाट बिजली हमें मिलेगी। इसी सदन में हमारे पावर मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे जी ने कहा था कि हमें दो लाख मेगावाट पावर की जरूरत है यानी 86 हजार मेगावाट बिजली की हमारे यहां कमी है। इस 86 हजार मेगावाट बिजली की हमें वर्ष 2013 तक आवश्यकता है अभी हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ 11.5 परसेंट के करीब जाने वाला है। ऐसा सरकार का कहना है। इस हिसाब से हमें वर्ष 2020 तक 4 लाख मेगावाट ऊर्जा की जरूरत है। अब आप बताइये कि 20 हजार मेगावाट ऊर्जा कहां पूरी होगी? ये लोग सिर्फ 20 हजार मेगावाट के बारे में बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जो सही नहीं है। यह ऊर्जा एक स्टेट के लिए भी पूरी नहीं होगी। हमें केवल 20 हजार मेगावाट ऊर्जा मिलेगी, जिसके लिए हम इतनी कोशिश कर रहे हैं। हम अपने स्वाभिमान को गिरवी रख रहे हैं। मेरे पास बोलने के लिए बहुत प्वाइंट हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, आप हमें बोलने के लिए इजाजत दें।

अध्यक्ष महोदय : हम क्या करें। आपका पांच मिनट टाइम था लेकिन बारह मिनट हो गये हैं।

श्री मोहन रावले : इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी की।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, हम शिवसेना पार्टी की तरफ से कहना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान को पंगु बनाने वाला आपने जो एग्रीमैंट किया है, वह अनकांस्टीट्यूशनल है। आप पार्लियामैंट की मान्यता लेते नहीं हैं। इस बारे में कम्युनिस्ट लोगों ने पहले ही विरोध किया था। उन्होंने बंगाल में जाकर प्रधानमंत्री जी को ललकारा था। वे गुस्सा हो गये थे। उन्होंने वहां कहा था कि आपको जो करना है, वह कर लीजिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस डिबेट के साथ इसकी निंदा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप एक लाइन में बोल दीजिए।

[अनुवाद]

आप कह सकते हैं कि आपको यह अस्वीकार है।

श्री मोहन रावले : सरकार को आगे आने दीजिये।

[हिन्दी]

जैसा कि सुबह दासमुंशी जी ने कहा कि चर्चा हो रही है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसे सभी की मान्यता मिल गयी है।

महोदय, मेरे पास कहने के लिए बहुत से प्वाइंट्स हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी स्पीच सदन के पटल पर ले करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां, आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं। मुझे आशा है यह परमाणु करार के बारे में होगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : जी हां, न्यूक्लियर डील से ही संबंधित है।

*अमरीका के साथ होने वाले परमाणु करार को लेकर काफी जदो जहद चल रही है लेकिन अध्यक्ष महाराज, इसके पीछे छिपे तथ्य को ध्यान में लेने के लिए कोई तैयार नहीं। बिजली की दिन दुनि और रात चौगुनी बढ़नेवाली मांग, इस सभी फसाद कि जड़ है। भारत अब आधुनिक जीवन के नये मार्ग पर अग्रसर हो गया है। बिजली उसके जीवन का एक अविभाज्य अंग बन चुका है। इसी कारण बिजली के मांग की आपुर्ति यह सरकार की प्रथम समस्या बन गयी है। वाष्प द्वारा निर्मित बिजली, जलस्त्रोतों से निर्मित बिजली और अन्य किसी भी स्त्रोतों से प्राप्त बिजली हमारे नैसर्गीक धरोहर को समाप्त करने में लग जाती है। केवल एक ही स्त्रोत ऐसा बचा है जो हमें लंबे

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

अरसे तक बिजी मुहैया करा सकता है और वह है परमाणु शक्ति से निर्मित बिजली। इस समस्या को सुलझाने के लिए परमाणु शक्ति और परमाणु शक्ति के लिये पर्याप्त यूरोनियम 233 की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की परिपूर्ति के लिए करार करने की नौबत हमारे देश पर आई है क्योंकि यूरोनियम पर्याप्त मात्रा में आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमें तो इसी सभागृह में बताया जाता है कि हमारे देश में थोरियम का भंडार भरा है। उपलब्ध थोरियम के खजाने को बिजली के उत्पादन के वास्ते अनुकूल बनाने के कदम क्यों नहीं उठाए गए? इस अहम समस्या पर मंत्रालय क्यों सोता रहा?

अध्यक्ष महोदय सभी समस्यों की जड़ यह है। क्योंकि इन लोगों ने सामान्य जनता के हित की बात कभी सोची ही नहीं। कुछ बेपरवाह राजनीतिक दल तो समस्या हल करने के बजाय सरकार गिराने की कोशिश में जुट गये। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सरकार गिराने से बिजली की आपूर्ति कैसे हो जाएगी? यहां मुझे सरकार की वकालात नहीं करनी है, बल्कि जिन गरीब मजदूरों का मजदूरी सक्षम बिजली की आपूर्ति पर निर्भर है उनका भविष्य अंधेरे में क्यों धकेला जाए? समस्या को क्यों जटिल किया जाए? क्योंकि इन्हें तो समस्या का हल नहीं, इस महान सभागृह को राजनीति का अखाड़ा बनाना है। आओ यहां पर कुछ बुनियादी बातें सोचें अगर आपको अमरीका सहित किसी बाहरी देश के कारनामें नहीं चाहिए तो आत्मनिर्भरता के कुछ सुझाव दो। देश की बिजली समस्या को कठीन मत बनाओ। हमें सपने में भी नहीं भुलना चाहिए कि हमारी मातृभूमि भारत एक सार्वभौम (सोव्हरिन) देश है। हम नहीं चाहेंगे की लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के खून के बदले में हमें आजादी मिली, वह किसी अजनबी देश के ओट भेट चढ़ा दी जाए। हम अपने असुलोपर चल रहे है और भविष्य में एक सुपर पॉवर महान देश बनने वाला है।

अध्यक्ष महोदय बड़ा बनने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत है। किसी की ईर्ष्या करने से, किसी की बुराई करने से और देशों में नफरत की खाई बढ़ाने से कोई देश बड़ा नहीं हो सकता, इसका इतिहास साक्षी है। तथाकथित मित्र कहलाने वाला देश अमरीका बड़ा उदार देश है। वह जिस प्रकार हमें मदद देता है, उसी प्रकार पाकिस्तान को भी भरसक मदद पहुंचाता है। फर्क केवल इतना है, हमें मिलने वाली मदद सही मानों में विकास कार्यों पर खर्च होती है तो हमारे प्यारे पाकिस्तान को मिलनेवाली मदद भारत के खिलाफ नफरत के दायरे बढ़ाने के वास्ते उपयोग में लाई जाती है। नहीं, नहीं एक विरोधक के नाते मैं यह बात इस महान सभागृह में प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं बल्कि हमारे देश के महान नेताओं ने खुलेआम कबूल किया है कि पाकिस्तान को अमरीका द्वारा की गई मदद भारत के खिलाफ नफरत के दायरे बढ़ाने के लिए, आतंकवाद बढ़ाकर, निर्दोष नागरिकों के कत्लेआम के लिए, निजी एवं सार्वजनिक सम्पदा बॉम्ब धमाके से उड़ा देने के लिए और जिनकी वित्त और जीवित हानी हुई है उनका दिल दहलाने वाला विलाप देखने के लिए खर्च हो रही है। अब आप ही सोचिए बहस इस पर होनी चाहिए या अमरीका से मिलने वाली धनराशि पर होना चाहिए?

अध्यक्ष महोदय ऊर्जा की बढ़ती मांग हमारे देश की एक अहम समस्या है क्योंकि भारत एक महान देश के रूप में उभर रहा है, बिजली की आपूर्ति सरकार को नये-नये रास्ते खोजने पर मजबूर कर रही है ऐसे में उसे हम करना सरकार का काम है। यह काम किस प्रकार पूरा किया जाए, इस पर सारा लक्ष्य आन पड़ा है। अब आप ही मार्ग दर्शन करें की हमें राजनीति वाली कशमकश चाहिए, याविकास का राजमार्ग चाहिए?

अध्यक्ष महोदय भारत में इस विधेयक का विरोध बिल्कुल अलग मायने में किया जा रहा हैं जहां तक न्यूक्लियर नॉन प्रॉलिफेरेशन करार का सवाल है। शुरू से ही यानी जब 1970 में यह करार सामने आया था, इस पर दस्तखत नहीं करने वाले देशों के श्रृंखला में भारत जुड़ गया था यह भी सभी जानते हैं की, इस करार के दायरे बाहर रहकर भी, 1974 से लेकर 1988 तक भारत ने पांच बार अणुशक्ति परीक्षण कर लिया है इसी का दूसरा अर्थ यह है कि भारत ने अपने परमाणु सामर्थ्य का प्रयोग अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने के वास्ते नहीं बल्कि परमाणु शक्ति का उपयोग जन सामान्य की भलाई के लिए किया है। जिस प्रकार सफल तरीके से भारत ने परमाणु परीक्षण किये है, वह देखते हुए उसे संसार के पांच अणुशक्तिशाली देशों के समान मान्यता मिलनी चाहिए थी लेकिन मामला आपके सामने है।

भारत में परमाणु शक्ति की एकमियत इस लिए है, के सारे संसार में जिस तेजी से परमाणु हथियारों को कारगर बनाने के लिये विकसित राष्ट्र प्रयास कर रहे है, उन प्रयासों को देखते हुए अगर हमने अपने देश के सुरक्षा के वास्ते, अपने प्रयास तेज कर दिये तो उसमें क्या हर्ज है? जिस हायठ अॅक्ट पर राष्ट्रपति बुश ने दस्तखत किये है, उसमें स्पष्ट रूप से यह मांग की गई है कि भारत अपने भविष्य में कोई भी अणुशक्ति परीक्षण ना करें। अब हालात ऐसे है की खुद अमरीका ही अपने रीलायबल रीप्लेसमेंट वेपन्स के विकास में जुटी है। और भविष्य में वह अणुशक्ति परीक्षण नहीं करेगी, इसकी संभावना कम ही दिखाई पड़ती है।

[श्री मोहन रावले]

अध्यक्ष महोदय इस विषय पर राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं, किसी राजकीय दल का स्वार्थ नहीं, किसी व्यक्तिगत समूह का मुनाफा नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के नवनिर्माण में हमारी कदम अपने देश को एक कदम अग्रसर करने में कितना कारगर साबित होगा इस पर सोचने का है।

यह सभी जानते है कि पाकिस्तान की निर्मिती धर्म के आधार पर हुई है। पाकिस्तान हमेशा से अपने विकास को नहीं बल्कि अपने ही देश में धर्मान्धता को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील रहा है। लेकिन इसी नीति के चलते उसने पाकिस्तान में 52 आतंकवादी ट्रेनिंग कॅम्प्स चलाए रखे है जिसका प्रमुख रूख हिन्दुस्तान रहा है। रेलवे, बाजार, बस, मंदिर, मस्जिद ऐसे स्थानों पर जहां की भी भिड़ लगती हो उसमें यह आतंकवादी बम धमाके करके लोगों के जानोमाल को बर्बादी में धकेल रहे है आज तो दहशतवाद वह इस्लाम के नाम पर चल रहा है उसका फायदा पाकिस्तान के तानाशाह भरसक उठा रहा है। लेकिन भारत तो नॉन इस्लामिक राष्ट्र है। अपने विकास निति के कारण भारत ने एक शान्तिपूर्ण राष्ट्र के नाते अपनी प्रतिमा तैयार की है। इसी कारण से अमरीका भारत से करार करना चाहता है। इस करार को अमरीका के इशारे पर नाचने के लिए नहीं अपितु अपने देश को एक सार्वभौम (सोव्हरिन) राष्ट्र बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। विदेशों से करार करने का अधिकार भारत सरकार को अवश्य है लेकिन इस अधिकार का प्रयोग देश की स्वतंत्रता को गिरवी रखने के लिए नहीं अपितु अपने राष्ट्र को बलवान बनाने के लिए होना चाहिए यही मेरी अपेक्षा है।

[अनुवाद]

भारत में विधेयक का विरोध एक पूर्णत: अलग नजरिये से किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा इसकी सम्पुष्टि किए जाने के पश्चात् 1970 में परमाणु अप्रसार संधि लागू होने के समय से ही भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। अत:, एनपीटी के दायरे से बाहर रहकर भारत में अपने परमाणु हथियारों का तीन बार परीक्षण किया है—एक बार 1974 में और दो बार 1998 में। अन्य शब्दों में भारत ने परमाणु हथियार बनाये हैं, किंतु पांच अधिकाधिक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों संयुक्त राज्य अमरीका, रुस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने भारत को एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र नहीं माना है। जबकि इन सभी राष्ट्रों ने अपने सभी परमाणु हथियारों का परीक्षण एनपीटी के अस्तित्व में आने से पूर्व ही कर लिया था।

भावी परमाणु परीक्षणों का मुद्दा भारत में इस विधेयक के विरोधियों के लिये महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका मानना है कि ये परीक्षा भारत के परमाणु हथियारों का अन्यत्र कहीं भी परमाणु हथियारों के समान उन्नयन करने के लिए आवश्यक हैं ताकि राष्ट्र की सुरक्षा की जा सके। राष्ट्रपति बुश द्वारा हस्ताक्षरित हाईड एक्ट में स्पष्ट रूप से यह मांग की गई है कि भारत भविष्य में सभी परमाणु परिक्षणों पर प्रतिबंध लगाये। किंतु इसमें इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमरीका स्वयं एक ''भरोसेमंद प्रतिस्थारम हथियार (रिलायेबल रिप्लेसमेंटवेपन (आरआरडब्ल्यू)'' के डिजाईन पर काम कर रहा है ताकि वह अपने परमाणु भंडार का आधुनिकीकरण कर सके और भविष्य में परीक्षण भी कर सके।

इसके अलावा, परिभाषा संबंधी धारा 11 में यह स्पष्ट कहा गया है कि ''एडिशनल प्रोटोकॉल'' गैर परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों पर लागू होने वाले आईएईए के मॉडल एडिशनल प्रोटोकॉल पर आधारित होगा जो कि बहुत ही अंतर्वेधी है। यह ध्यान देने योग्य है कि हाईड एक्ट में यह बात स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति स्वयं को इस बाबत संतुष्ट करेंगे कि भारत विखंडन सामग्री नियंत्रण व्यवस्था (एफएमसीटी) के लिए शीघ्र निर्णय लेने पर सक्रियता से कार्य कर रहा है, कि भारत प्रौद्योगिकियों के संवर्धन और उनके पुनर्प्रसंस्करण के प्रसार को रोकने में संयुक्त राज्य अमरीका का समर्थन कर रहा है; और यह कि भारत मिसाइल परीक्षण नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) और एनएसजी के दिशानिर्देशों (वास्तव में इन निकायों का सदस्य बनने के निमंत्रण के बगैर) का पालन करें। भारत जो कार्य करने को बाध्य है। वे ''एक सामरिक भागीदार'' (जो वाशिंगटन भारत को बनते देखना चाहता है) द्वारा किये जाने वाले कार्यों के अनुरूप नहीं हैं और न ही ये कार्य ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने का आदेश भारत को दिया जाये, खासकर उस स्थिति में जब भारत का वर्णन ''उन्नत प्रौद्योगिकी वाला जिम्मेदार राष्ट्र'' के रूप में किया गया हो।

भरत के नियोजकों को विधेयक के बारे में चिंतित करने वाली एक और बात इस विधेयक को बनाने का तरीका है। हाईड एक्ट में यह कहा गया है कि भारत, पाकिस्तान और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाईना विस्फोट संबंधी प्रयोजनों के लिये नाभिकीय विखंडन संबंधी सामग्री का उत्पादन नहीं करेंगे। यह स्मरणीय हैकि चीन काफी लम्बे समय से हथियारों के प्रयोजन के लिये विखंडन सामग्री का उत्पादन कर रहा है, जबकि एनडब्ल्यूएस ने भारत को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। अत:, उसी समय विखंडन सामग्री का उत्पादन बन्द होने से एक गंभीर असंतुलन पैदा हो जाएगा। नीति के संबंधी

विवरण में यह कहा गया है कि "संयुक्त राज्य अमरीका चाहता है कि दक्षिण एशिया में परमाणु हथियार भंडारों में वृद्धि न हो और उनमें कमी आये तथा वे धीरे-धीरे समाप्त किये जायें।"

भारतीय वैज्ञानिकों ने दो विशिष्ट क्षेत्रों का उदाहरण देते हुये हाईड एक्ट की अपूर्णता के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। पहला—विधेयक में स्पष्ट कहा गया है कि भारत अपने रिएक्टरों से प्रयुक्त हो चुके ईंधन का पुनर्प्रसंस्करण नहीं कर सकता। इसमें यह मांग इस कारण से की गई है कि संयुक्त राज्य अमरीका का दावा है कि "नोरिप्रोसेसिंग" संबंधी खंड प्लूटोनियम हासिल करने पर रोक लगायेगा क्योंकि इसका बाद में परमाणु हथियार निर्मित करने में प्रयोग किया जा सकता है। तथापि, भारत के परमाणु वैज्ञानिकों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि जो कुछ नजर आता है इस खंड में उससे अधिक शामिल है।

भारत ने 1950 के दशक में एक तीन स्तरीय परमाणु कार्यक्रम पर निर्णय लिया था जब भारत का विद्युत निर्माण कार्यक्रम आरंभ किया गया था। पहले चरण में, प्राकृतिक यूरेनियम (यू-238) का प्रयोग दाब युक्त भारी जल रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआरज) में किया गया था। दूसरे चरण में, पीएचडब्ल्यूआरज के प्रयुक्त ईंधन से पुनर्प्रसंस्करण के माध्यम से निकाले गये प्लूटोनियम का प्रयोग फास्ट-ब्रीडर (एफबीआरज) को चलाने के लिये किया जाना था। प्लूटोनियम का प्रयोग 70% मिश्रित ऑक्साइड (एमओएक्स)—ईंधन में एफबीआरज में किया गया ताकि केन्द्रक के चारों ओर एक थोरियम-232 बलैंकेट में यूरेनियम-233 का निर्माण किया जा सके। अंतिम चरण में, एफबीआरज थोरियम-232 का इस्तेमाल करते हैं और तीसरे चरण के रिएक्टरों में प्रयोग हेतु यूरेनियम-233 का उत्पादन करते हैं।

कुछ हद तक भारत ने पहल चरण पूरा कर लिया है यद्यपि भरत ने अब तक एक दर्जन परमाणु शक्ति संयंत्रों को ही स्थापित किया है। दूसरा चरण कलपक्कम स्थित एक लघु प्रयोगात्मक तीव्र ब्रीडर रिएक्टर (13 एम डब्ल्यू) से आरंभ किया गया है। इसी दौरान भारतीय प्राधिकारियों ने परमाणु ऊर्जा विभाग के कलपक्कम स्थित भावी पीढ़ी फास्ट ब्रीडर परमाणु शक्ति के 500 मेगावाट प्रोटोटाइप स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिससे थोरियम का एक ईंधन स्रोत के रूप में वाणिज्यिक दोहन किया जायेगा।

थोरियम का इस्तेमाल करने की भारत की प्रतिबद्धता का एक कारण यह है कि इसकी बड़े पैमाने पर स्वदेश में ही आपूर्ति हो जाती है भारत में लगभग अनुमानित 290,000 टन थोरियम भंडार होने के कारण भारत का आस्ट्रेलिया के बाद दूसरा स्थान है। इसके अलावा, थोरियम के भंडार से राष्ट्र की विदेशी यूरेनियम स्रोतों पर निर्भरता कम होती है। चूंकि भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, अतः भारत के नेताओं को इस बात का पूर्व में ही आभास हो गया था कि इसके असैन्य परमाणु ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम में यूरेनियम के वाणिज्यिक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्धारित उपबंधों से दीर्घकाल में बाधा उत्पन्न होगी। 45 सदस्यीय परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह ने मांग की है कि खरीददार एनपीटी पर हस्ताक्षर करें और इससे यह सुनिश्चित हो कि ईंधन (अन्यथा इससे निकले प्लूटोनियम) का प्रयोग परमाणु हथियार बनाने में न किया जाये। एनपीटी पर हस्ताक्षर न करने वाले राष्ट्र को परमाणु से संबंधित कोई भी प्रौद्योगिकी और परमाणु ईंधन प्राप्त करने से राका गया है।

भारत ने उन्नत भारी जल रिएक्टर का निर्माण 2005 में पहले ही आरंभ कर दिया था। एएचडब्ल्यूआर में "भावी ईंधन" थोरियम का इस्तेमाल होगा ताकि 235 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के मूल डिजाईन से अधिक 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के मूल डिजाईन से अधिक 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सके। एएचडब्ल्यूआर का ईंधन हाइब्रिड कोर होगा और वह आंशिक रूप से थोरियम-यूरेनियम 233 और आंशिक रूप से थोरियम-प्लूटोनियम युक्त होगा।

अन्य शब्दों में, यदि भारत थोरियम को ईंधन में बदलने के लिये प्लूटोनियम प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त ईंधन का पुनर्प्रसंस्करण नहीं कर सकता तो थोरियम रिएक्टर कभी नहीं चलेंगे। थोरियम का परमाणु ईंधन के रूप में अंततः प्रयोग करने के लिये प्लूटोनियम का पृथक्करण आवश्यक है। अतः भारत को आशा है कि पुनर्प्रसंस्करण इसके परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप होगा। इसी कारण से भारतीय परमाणु वैज्ञानिक इस विधेयक को स्वीकार किये जाने की मनमोहन सिंह सरकार की इच्छा के खिलाफ हो गये हैं।

प्राकृतिक यूरेनियम में लगभग 99.3% आइसोटोज यूरेनियम 238 तथा 0.7% विखंडनीय आइसोटोप यूरनियम 235 होता है। यद्यपि यूरेनियम 235 यूरेनियम आइसोटोप है इसमें शीघ्र नाभिकीय विखंडन होता है तथा इसी कारण से नाभिकीय क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। अतः यूरेनियम प्रयोग के लिए यूरेनियम 235 आइसोटोप जो कि प्राकृतिक यूरेनियम में पाया जाता है की मात्रा को बढ़ाया जाना चाहिए। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 के अंश बढ़ाए जाने को संवर्धन कहा जाता है। साथ ही हमें यह याद रखना चाहिए कि यूरेनियम 235 प्राकृतिक

[श्री मोहन रावले]

यूरेनियम में काफी कम मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम 233 प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाया जाता है। अत: नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम-233 को थोरियम-232में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

"पूर्ण असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग" (स.रा.अ. नाभिकीय ऊर्जा अधिनियम की धारा 123) भारतीय वैज्ञानिकों की चिंताओं का दूसरा कारण है, जिसका आश्वासन जुलाई, 2005 में भारत को दिया गया था। भारत का मानना है कि इस शर्त में ऊर्जा श्रंखला नामत: यूरेनियम संवर्धन तथा प्रयोग किए गए ईंधन को पुन: संशोधित करना समाविष्ट किया गया है। हाईड अधिनियम को पारित किए जाने की चर्चा में अमरीकी सांसदो ने दलील दी कि संयुक्त राज्य अमरीका परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 में इन प्रौद्योगिकियों तथा गुरू जल उत्पादित प्रौद्योगिकी के किसी देश को निर्यात की मनाही है। भारत ने इन तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी प्रौद्योगिकी विकसित की है।

भारत के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों ने कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को उजागर किया है जिन्हें 123 समझौते में शामिल किया जाना चाहिए।

- भारत को ऐसे अंतरराष्ट्रीय अप्रसार प्रयासों में भागीदारी के लिए नहीं कहा जाना चाहिए जिनकी नितियां अमरीकी अनुकूल हो।
- पूर्ण असैनिक नाभिकीय सहयोग जिसमें निरंतर ऊर्जा आपूर्ति का आश्वासन हो।
- भारत को और परमाणु परीक्षण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

भारत के साथ नाभिकीय सहयोग समझौते से अमरीका को मुख्य रूप से चार क्षेत्रों में लाभ होगा। पहला, इससे नाभिकीय रिएक्टर उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए 150 बिलियम डालर के कारोबार की संभावनाओं के अवसरों का सृजन होगा जिनका अमरीका स्थित बहुराष्ट्रीय बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा। दूसरा, रक्षा सहयोग समझौता—जिसने नाभिकीय सहयोग समझौते को आगे बढ़ाया जिससे भारत को अत्याधुनिक हथियारों की बिक्री का मार्ग प्रशस्त होगा और अमरीक के सैनिक उद्योग के लिए भारत एक बड़ा बाजार बनेगा। तीसरा, इससे अमरीका भारत को राष्ट्रीय मिसाइल रक्षा प्रणाली में शामिल कर सकेगा जो कि समूचे विश्व में अमरीकी प्रभुत्व का प्रतीक है। चौथी बात अमरीका चाहता है कि ऐसे परिस्थितियों में विशेषकर ज आसियान द्वारा इराक युद्ध के विरुद्ध रूख अपनाया जाये तो रूस, चीन तथा अन्य एशियाई गणराज्यों के शंघाई सहयोग के सुदृढ़ होने की पृष्ठभूमि में भारत एशिया में सामरिक दृष्टि से उसका महत्वपूर्ण सहयोग राष्ट्र बने। हाईड अधिनियम उपबंध अमरीकी नाभिकीय सहयोग के सामरिक उद्देश्यों की ओर इंगित करता है जो भारत को ऐसा करने के लिए अमरीकी दबाव डालेगा।

नाभिकीय ऊर्जा के संबंध में यूरेनियम की सीमित आपूर्ति हमारी मुख्य कमजोरी है जिसका खनन अथवा थोरियम चरण के माध्यम से विस्तार किया जा सकता है। सरकार इन सब पर कार्य किए बिना अमरीका के साथ जल्दबाजी में 123 करार पर आगे बढ़ी है जबकि भारत आज थोरियम चरण को पूरा करने की दहलीज पर है। प्रधानमंत्री के आश्वासन के विपरीत नाभिकीय समझौते में पूर्ण नाभिकीय सहयोग का आश्वासन नहीं दिया गया है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत को प्रौद्योगिकी नहीं दी जाएगी।

नाभिकीय समझौते का कानूनी पहलू इस दावे पर प्रश्नचिह्न लगाता है कि 123 समझौते को भारतीय संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। केन्द्र सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह संसद के अनुमोदन के बिना इस प्रकार के समझौतों पर हस्ताक्षर को अपने अभिकथन के समर्थन में मैं भारतीय संविधान के तीन अनुच्छेदों 53, 73 तथा 253 के साथ-साथ संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 6 से 30 तक का उल्लेख करना चाहूंगा। इसके आधार पर संसद के अनुमोदन के बिना कोई भी नाभिकीय समझौता अलोकतांत्रिक ही नहीं बल्कि असंवैधानिक भी है। अमरीका के राष्ट्रीय कानूनों को पहले ही 123 समझौते में महत्व दिया जा चुका है तथा सरकार इस बात से इंकार नहीं कर सकती कि समझौते में हाईड अधिनियम लागू किया जाएगा।

भारत की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो इस समझौते की आवश्यकता पर बल देती है?

पहला अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। हम मध्य पूर्व राष्ट्रों के जीवाश्म ईंधन पर दो कारणों से निर्भर नहीं रह सकते:

(1) वे महंगे होते जा रहे हैं।

(2) क्षेत्र में लगातार तनाव बढ़ रहा है। भारत को आसानी से अच्छे किस्म के कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है।

कुछ वर्षावन के तले में कोयले के भंडार है उन्हें निकालने से हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र को नष्ट कर सकता है।

हमारे पास बहुत कम यूरेनियम है। हमें नाभिकीय ऊर्जा की आवश्यकता है।

पिछले 40 वर्षों से हम संघर्ष पूर्वक इस प्रौद्योगिकी को स्वयं विकसित कर रहे हैं तथापि इस समझौते से प्राप्त उन्नत प्रौद्योगिकी से सहायता मिलेगी।

इस समझौते से हम क्या खोने जा रहे हैं?

हमें इस बात से सहमत होना होगा कि अमरीका द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले ईंधन तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग परमाणु हथियारों को विकसित करने में नहीं किया जाएगा। ऐसा करने के लिए हमें वहां से आने वाले तकनीकी उपकरण तथा ईंधन का प्रयोग करने वाले रिएक्टरों के सेटों को चिन्हित करना होगा और जहां तक मैं समझता हूं किसी भी उपकरण का रिएक्टरों के अतिरिक्त सैनिक प्रयोजन रोकना सुनिश्चित करने के लिए इसका निरीक्षण किया जाएगा। ये निरीक्षण अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा किए जाएंगे। भारत ने 22 में से 14 रिएक्टरों को असैनिक रिएक्टरों के रूप में चिन्हित किया है और ये आई.ए.ई.ए. की निगरानी में आएंगे।

हमें अमरीका के साथ मिलकर ईरान जैसे देशों का मुकाबला करना है जो परमाणु हथियार बनाने की इच्छा रखते हैं।

तीसरा महत्वपूर्ण पहलू हमारे द्वारा और परमाणु विस्फोट परिक्षण किए जाने के अधिकार के बारे में है। दिलचस्प बात है कि भारत ने स्वयं ही और परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगा रखी है परंतु परिस्थितियों की मांग के अनुसार हमें अभी भी एक अथवा दो परमाणु परीक्षण करने का अधिकार है। यदि हम कुछ दशक पीछे जाएं तो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने वाले सभी राष्ट्रों ने बाद में परमाणु परिक्षण किये है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत तब तक परमाणु परीक्षण करना नहीं चाहेगा जब तक कि उस पर कोई संकट न आए।*

अध्यक्ष महोदय : श्री भर्तृहरि महताब अगले वक्ता होंगे। आपको बोलने के 5 मिनट का समय दिया जाता है। मैं जानता हूं कि आप एक अच्छे वक्ता है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सभा में चर्चा हो रही है जबकि सरकार को घेरा जा रहा है। यह न केवल बहुत ही विचित्र बल्कि बहुत ही दिलचस्प भी है। समझौते के बारे में दो मुख्य आपत्तियां हैं। पहला, 123 समझौते से भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम तथा भविष्य में परमाणु परीक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरी, आपत्ति इस बात को लेकर है कि समझौते संयुक्त राज्य अमरीका के साथ किया जा रहा है।

देश में परमाणु समझौते पर वाद-विवाद ने इस बात को उजागर किया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय संप्रभुसत्ता के संबंध में समाज के कुछ वर्गों की सोच कितनी कमजोर है। जब भारत राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बना तो जवाहर लाल नेहरू की कड़ी आलोचना की गयी थी। उनके निर्णय को निरस्त करने के लिए सभा में नोटिस दिया गया। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के समय जब उन्होंने सहायता की मांग की तो उनका उपहास किया गया। 1971 में भारत-रूस शान्ति तथा मैत्री संधि की कड़ी आलोचना की गयी और यह भविष्यवाणी की गई कि भारत रूस का पिछलग्गू राष्ट्र बन जाएगा। भारत द्वारा कम्बोडिया के हेन समरिन शासन को मान्यता दिए जाने को गलत कहा गया। सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में प्रवेश के संबंध में भारतीय रुख को भी स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि भारत ने सोवियत संघ का पक्ष लिया था। समय-समय पर ऐसी आलोचनाएं होती रहीं हैं यद्यपि आलोचक पिछले 60 वर्षों से चली आ रही परंपरागत स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर नौंक भौंहे चढ़ाते हैं और उन्हे आशंका है कि यदि प्रस्तावित भारत-अमरीका समझौता होता है तो हमें अपनी विदेश नीति से समझौता करना पड़ेगा।

उन्हें किस बात की चिंता है? उन्हें इस बात की चिंता है कि भविष्य में आने वाली सरकारें भारतीय संप्रभुता के संबंध में उतनी सुदृढ़ नहीं होगी जितनी की पिछली सरकारें थीं। परंतु हर कोई जानता है कि जब किसी संप्रभुत्व राष्ट्र के राष्ट्र हितों तथा समझौतों अथवा आश्वासनों के पालन में टकराव होता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के दिनों में वह अपनी संप्रभुता का प्रयोग करतौ है और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में इसके परिणामों को स्वीकार करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 110 देशों द्वारा पारित संकल्प को नजरअंदाज किया गया तो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के अधिकांश मित्र राष्ट्रों ने भारत से युद्ध समाप्त करने को कहा। भारत ने समूचे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की अवहेलना की जबकि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में अकेला राष्ट्र का और यह घोषणा की वह व्यापक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।

*श्री आई.के. गुजराल के नेतृत्व में संघ मोर्चा गठबंधन सरकार के समय यह हुआ था।

[श्री भर्तृहरि महताब]

दिनांक 11 मई, 1998 के परमाणु परीक्षण हमारी संप्रभुता के अनुसमर्थन में उस समय किये गये थे जब भारत ने लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विरोध किया था और परमाणु परीक्षण किये थे। उस समय अपने राष्ट्रीय हितों, की सुरक्षा करने का हमारा रिकार्ड रहा है जब अमरीका पश्चिमी यूरोप, जापान और चीन का नेतृत्व करते हुए प्रमुख सुपर पॉवर था। उस समय भारत आर्थिक राजनीतिक तथा सैनिक रूप से कमजोर था।

आज न केवल अमरीका अपितु यूरोपियन संघ, जापान और चीन भी भारत के साथ रणनीतिक भागीदारी चाहते हैं। आज भारत जो कि एक परमाणु शक्ति वाला राज्य है मिसाइल और अंतरिक्ष शक्ति और सूचना प्रौद्योगिकी शक्ति वाला देश है सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की 9% की दर से वृद्धि कर रहा है। इसलिए मैं उलझन में हूं कि भारत-अमरीका परमाणु करार द्वारा समझौता की जा रही भारत की संप्रभुता से कुछ लोग क्यों भयभीत है। इससे वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकताओं की सही (पर्याप्त) समझ का अभाव तथा वास्तविकता से नहीं अपितु कल्पनाओं से ग्रस्त होने का पता चलता है। यह आत्मविश्वास के संपूर्ण अभाव को इंगित करता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : मेरे पास इससे संबंधित कतिपय संशोधन भी हैं। मेरा तो यह कहना है कि भारत-अमरीका परमाणु करार हवा में नहीं किया जा सकता है। नागरिक परमाणु सहयोग संबंधी यह भारत-अमरीका करार एक जटिल संधि है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा करारों में कुछ सामानान्तर बातें भी हैं। इसके द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आयाम हैं। यह करार नागरिक परमाणु सहयोग के संबंध में है परंतु इसका सैनिक पक्ष और अधिक महत्वपूर्ण है। मेरा विश्वास है कि यह करार सीधे तौर पर एन.पी.टी. को नजरअंदाज करके भारत को वस्तुतः परमाणु अस्त्र शक्ति का स्तर प्रदान करता है। करार 123 में शामिल इस स्टेट्स पर आई.ए.ई.ए. जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक संस्था है द्वारा भारत की शर्तों के अंदर रहते हुए उन विशेष ''सुरक्षापायों'' संबंधी समझौतों पर मुहर लगानी होगी जो आई.ए.ई.ए. को भारतीय परमाणु प्रतिष्ठानों के साथ करनी होगी। चिंता की मुख्य बात क्या है। किसी को कम से कम विश्वास के तौर पर कब तक रोके रखा जा सकता है? क्या हम संभावित परिणामों हेतु तैयार है तथा क्या भारत को पुनः परीक्षण करना आवश्यक मानना चाहिये.? मेरा विचार है कि हाईड अधिनियम अमरीकी प्रशासन को भारत के साथ नागरिक परमाणु सहयोग करारों में प्रवेश करने हेतु सक्षम बनाता है। इस पर पहले अमरीकी कानून द्वारा रोक लगाई गई थी। यह कानून न तो हमारे रणनीतिक कार्यक्रम पर और न ही हमारे अनिवार्य (महत्वपूर्ण) हितों अथवा हमारे निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव डालता है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि आपका समय बहुत पहले खत्म हो गया है।

श्री भर्तृहरि महताब : 123 करार के अनुच्छेद 2 पैरा 4 में यह बताया गया है कि करार के कार्यान्वियन से किसी भी देश के सैनिक कार्यक्रम में न तो कोई बाधा आयेगी और न ही इससे कोई उनके कार्यक्रम में कोई खलल पड़ेगा यह तो सभी जानते हैं कि अमरीका हमारे शस्त्र कार्यक्रम का अनुमोदन नहीं करता है और हम उनके शस्त्र कार्यक्रम का अनुमोदन नहीं करते हैं। भारत का परमाणु शस्त्र कार्यक्रम भारत में आने वाले दोहरे उपयोग वाली उच्च्च प्रौद्योगिकी पर 30 वर्षों की मनाहो के कारण था। अब अमरीका भारत के साथ नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ावा देते समय हमारे शस्त्र कार्यक्रम की राह में बाधा अथवा दखल नहीं दे सकता है और यदि यह करार हो जाता है तो यह वचनबद्धता अमरीकी कानून का एक हिस्सा बन जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपके वक्तव्य में खलल डालते हुए खेद होता है परंतु वैसे मैं इसे समाप्त भी तो नहीं कर सकता हूं। कृपया सहयोग कीजिये। मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, इसे सभा पटल पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं? यह पूरी तरह से रिकार्ड किया जाएगा। यह करना मेरे लिये बहुत ही कष्टदायक है। आप हमेशा ही अच्छी बात कहते हैं। परंतु आप इसे संक्षिप्त करते हुए एक मिनट में ही कह डालिये। अध्यक्षपीठ को सदस्यों की बातों में खलल डालने पर कतई प्रसन्नता नहीं होती है।

श्री भर्तृहरि महताब : कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके संबंध में मैं पहले दो अन्य अवसरों पर नहीं बोला।

अपराह्न 5.00 बजे

परीक्षण का मुद्दा और अधिक जटिल है। वर्ष 1998 के पश्चात् तत्कालीन सरकार ने यह घोषणा की थी कि हमें कोई और विस्फोटक

परीक्षणों की आवश्यकता नहीं है। परीक्षण पर स्वेच्छा से रोक लगाने की घोषणा की गई थी। करार के अनुच्छेद पांच भाग (छ:) और अनुच्छेद 14 भाग (2) और (5) में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है। जब हम इसे एक साथ पढ़ते है तो इन खंडों को इस प्रकार से बनाया गया है कि परीक्षण करने के मुद्दे का उल्लेख किये बिना ही किसी भी कारण से इस करार के हो जाने की स्थिति में भारत के हितों की रक्षा हेतु इसमें पर्याप्त उपाय किये गये है। इसमें क्या कहा गया है? ''भारत के लिए आवश्यक शर्तें लगाना ताकि इसकी अंतर्राष्ट्रीय ईंधन बाजार तक ईंधन प्राप्त करने की पहुंच हो सके तथा कतिपय देशों की फर्मों से यह विश्वसनीय तौर पर अबाधित तथा सतत् ईंधन आपूर्ति हासिल कर सके और भाग (ग) के अंत में उपर्युक्त और शेष के आलोक में बात कही गई है।'' अधिक शब्दों में कहे बिना ही अमरीका अतिरिक्त छूटों के साथ परीक्षण करते हुए भारत को एक परमाणु अस्त्र सम्पन्न राज्य मानने के लिए सहमत हो गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मुझे विखंडनीय सामग्री पर पूछना है। विषय विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर कुछ समय के लिये रोक लगाने के संबंध में है। माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 17 अगस्त, 2006 को संसद में अपने वक्तव्य में यह कहा था कि हम विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर रोक को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है। हम केवल समझौता करने के लिये वचनबद्ध है। दिनांक 17 अगस्त, 2006 को उन्होंने यह वक्तव्य दिया था। हाईड अधिनियम में, जो बाद में आया, धारा 104 (ग) (2) (घ) में यह उल्लेख किया गया है कि माननीय राष्ट्रपति को भारत द्वारा उठाये जा रहे कदमों का विवरण कांग्रेस को अवश्य ही सौंपना चाहिये।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको हमारी संख्या तथा आबंटित समय के बारे में जानकारी होनी चाहिये। हम क्या कर सकते है? मैंने आपको पहले ही आपके आबंटित समय से लगभग 150% ज्यादा की अनुमति दे दी है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, इसके हेतु कोई समय-सीमा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर समय-सीमा है और समय-सीमा होनी चाहिये। सत्तारूढ़ दल और विरोधी पक्ष के सदस्यों के लिये भी समय-सीमा है। फिर भी मैंने आपको आबंटित समय से दुगने से ज्यादा समय की अनुमति दी है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : महोदय, मैं आपके निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री महताब की योग्यता को जानता हूं। वह इस विषय पर दो घंटें बोल सकते है। परन्तु इससे कोई मदद नहीं हो सकती है। जब श्री गुरूदास दासगुप्त आयें तब आप सोच सकते है। तब आप क्या करेगें? इसलिये, कृपया अध्यक्ष के साथ सहयोग करे। मुझे इसके बारे में खेद है परन्तु कृपया अध्यक्ष के साथ सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मुझे तीन से चार मिनट का और समय दीजिये, मैं फिर अपनी बात समाप्त करूं लूगां।

स्वीकृत मूल पाठ में ''विशेष पुष्टियुक्त सामग्री के संबंध में जो मात्रा स्वीकृत हुई है उसे अलग किया जाये और उस आई.ए.ई.ए. के अंतर्गत राष्ट्रीय सुविधा में ही उपयोग किया जाये।'' दिनांक 13 अगस्त, 2007 को माननीय प्रधानमंत्री ने यह बताया था कि ''कोई विशेष संगत सामग्री जिसे अलग किया जाये, को आई.ए.ई.ए. सुरक्षोपायों के अंतर्गत राष्ट्रीय सुविधाओं में ही उपयोग किया जाये। इस प्रकार हमारे तीन-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम की हितों की रक्षा की गई है।'' हम चाहते है कि माननीय प्रधानमंत्री उस वक्तव्य को समझे जिसे उन्होंने 17 अगस्त, 2006 और 13 अगस्त, 2007 को दिया था। थोड़ा सा ही अन्तर है और इसमें थोड़ी सी ही गड़बड़ है। काफी हद तक परमाणु करार अनेक लोगों के लिये बहुत ही अस्पष्ट हो रहा है। यहां पर अन्य मुद्दे हैं और कुछ संशोधन है जिसके बारे में बाहर चर्चा की जा रही है। एक सुझाव यह दिया गया है कि यह अमरीका का घरेलू कानून है जिसके कारण सभी समस्यायें हो रही है और हमें यह जांच करनी चाहिये कि क्या हम अपने कानून अर्थात् परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में इस तरीके से परिवर्तन कर सकते है ताकि हितों की रक्षा की जा सकें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास 21 और सदस्यों की सूची है। यदि मुझे प्रत्येक सदस्य को 15 मिनट देने है तो चर्चा कल तक चलेगी। मुझे खेद है कि इसे नहीं किया जा सकता है। हम इस बात पर सहमत है कि हम इसे आज ही पूरा करेंगे। मैंने आपको आबंटित समय से तीन गुणा ज्यादा समय दिया है।

श्री भर्तृहरि महताब : हमें इस बात की जांच करनी चाहिये कि क्या हम अपने कानून अर्थात् परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में इस तरीके से परिवर्तन कर सकते है ताकि हम अपने रणनीतिक सदस्यों की रक्षा कर सकें। यदि यह हो जाता है तो हम अपने कानून को मजबूत कर सकेगें और उन परिवर्तित कानूनों के आधार पर हम 123 करार पर पुनः बातचीत कर सकेगें। यद्यपि 123 करार के अनुच्छेद 14 में भारत के लिए प्रभावशाली संरक्षण का उपबंध है सरकार को घरेलू विधान के अंतर्गत बीमा को शामिल करके उससे संबंधित मैरिट पर विचार करना चाहिये। तो आइये इसके बारे में हम और आश्वस्त हो जाये। संसद 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन कर सकती है तथा देश से बाहर स्थानान्तरित किये जाने वाले विशेष रसायनों, संघटनों सामग्रियों, उपस्करों तथा प्रौद्योगिकी दिशा-निर्देशों में परिवर्तन भी कर सकती है।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं मुझे जो वैल्स द्वारा कही गई बात का स्मरण हो रहा है। उन्होंने कहा था:

''अक्ल से समझौता करना सीखिये चूंकि टूट जाने से बेहतर है झुक जाना।''

शायद माननीय प्रधानमंत्री को इस शरत् ऋतु में इसके बारे में स्मरण हो आया था परन्तु वह भी इस मंत्रिमंडल की प्रतिष्ठा की बदौलत अब हमारे विधान के प्रति और न ही राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है। यह बहुत ही व्याकुल करने वाला दृष्टान्त है। इसका उपयोग शायद भविष्य की सरकारों तथा भविष्य के गठबंधनों द्वारा किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी।

श्री भर्तृहरि महताब : इससे कोई संधि, कोई समझौता तथा किसी नीतिगत मामलों लगभग समाप्त सा हो जाता है। और कुछ कार्यपालिका तथा विधायिका को नीति निर्माण के हाशिये पर लाकर छोड़ देता है। करार के अध्ययन हेतु संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना करना एक बहुत अच्छा विकल्प होगा। इससे कम से कम मंत्रिमंडल की प्रतिष्ठा को बनाये रखा जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री सचिन पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले डेढ़-पौने दो साल से देश में परमाणु करार के माध्यम से जो परिस्थिति पैदा की गई, आज उसका खुलासा अंततः होने जा रहा है। आज पूरा देश, पूरा सदन, देश के मतदाता जान लेंगे कि सच्चाई क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में मेरे पास बहुत तथ्य हैं। मुझ से पहले वक्ताओं ने आपको बहुत विस्तृत जानकारी दी है। न्यूक्लियर एनर्जी जेनरेशन के बारे में और बहुत से आंकड़े पेश किए हैं। मैं बहुत मोटे तौर पर जो सिद्धांत और प्रिंसिपल हैं, जिन मुद्दों को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से पैदा किया गया है, मैं उन पर चर्चा करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

महोदय, परमाणु ऊर्जा का पुनसत्थान अब विश्व-व्यापी परिघटना है। उदाहरण के लिये वर्ष 1970 और 1980 शुरूआत में जापान को आयात की गई ऊर्जा 90% थी और आज भारत अपनी सारी ऊर्जा का 76% आयात करता है और वर्ष 2015 तक यह प्रतिशत 90% तक होगा। इसलिये, हमारी ऊर्जा के विविधकरण की आवश्यकता सभी को ज्ञात है। अमरीका के साथ परमाणु करार हमारी ऊर्जा में एक संसाधन जोड़ने हेतु एक कदम है। मेरे विचार से सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम अमरीका से क्यों दब रहे है।

[हिन्दी]

मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज इस विषय पर चर्चा हो रही है और जिन लोगों ने, जिन दलों ने दोहरापन अपनाया, डबल स्पीक किया, आज वह स्पष्ट हो जाएगा। इज्जत करता हूं। हो सकता है कि मैं इनकी आइडिऑलॉजी से पूरी तरह से सहमत न हूं लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वामपंथी भाइयों और मित्रों का एक कान्विक्शन है, एक प्रिंसिपल है। *[अनुवाद]* वामपंथी दल नाभिकीय हथियार विकसित करने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसी उनकी विचारधारा है। ऐसी उनकी सोच है। मैं उसका सम्मान करता हूं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। *[हिन्दी]* चार-पांच साल पहले भाजपा में विवाद हुआ था कि भाजपा का एक चेहरा मुखौटा है और दूसरा चेहरा असली चेहरा है, वह विवाद आज मुझे समझ में आया है कि इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए जिन मुद्दों के बारे में बात करती थी, वे बिल्कुल अलग है और जब विपक्ष में होती है तब बिल्कुल बात अलग करती है।

[अनुवाद]

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सामरिक साझेदारी का अगला कदम एन.डी.ए. सरकार द्वारा उठाया गया था। हमने क्या किया है

हमने वैश्विक परमाणु व्यापार में भागीदारी का अधिकार प्राप्त किया है। इस समझौते की महत्वपूर्ण बात यह है कि अमरीका एन.एस.जी. में वार्ता को सुकर बनाने में केवल हमारा सहायता कर रहे है क्योंकि यह 45 सदस्यों का समूह है।

महोदय, मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि नाभिकीय आपूर्ति समूह (एनएसजी) का गठन भारत द्वारा 1974 में किए गए परमाणु परीक्षण के पश्चात् भारत को नाभिकीय व्यापार से बाहर रखने के लिए किया गया था।

[हिन्दी]

आदरणीय आडवाणी जी, जो इस वक्त सदन में मौजूद नहीं है, मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की बहुत बड़ाई की।

महोदय, हमने ये परमाणु परीक्षण किए इसलिए हमें परमाणु प्रौद्योगिकियों के वैश्विक व्यापार, परमाणु ज्ञान तथा परमाणु कौशल से वंचित रखा गया। परन्तु अब समय आ गया है कि यूरोप, संयुक्त राज्य अमरीका तथा एशिया ने विश्व में भारत के महत्व और विश्व राजनीति में भारत द्वारा निभाई जा रही भू-राजनैतिक की भूमिका को समझा है।

[हिन्दी]

अगर कोई देश हमसे समझौता करता है तो वह हम पर कोई अहसान नहीं कर रहा है। सिद्धांत की बात है कि हमारे वामपंथी मित्र *[अनुवाद]* साम्यवाद एक विचारधारा हैं। यह अब सीमित होती जा रही है। मैं स्वीकार करता हूं। *[हिन्दी]* अब सिर्फ चीन और क्यूबा में रह रहा है। *[अनुवाद]* साम्यवाद एक विचारधारा हैं। यह एक विचार धारा है। परन्तु हमारे देश में हम इतने लोकतांत्रिक हैं कि साम्यवादी विचारधारा के पांच विभिन्न वर्ग हैं। अमरीका ने हमारे पक्ष को ध्यान में नहीं रखा हैं। यह समानता पर आधारित समझौता है और यह सुनिश्चित करता है कि भारत परमाणु हथियार विकसित भारत द्वारा करने में सक्षम है। परमाणु ऊर्जा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम इसे विकसित करें तथा यह हमारा अधिकार है।

महोदय, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि यह दोषपूर्ण संधि है। शुरू से ही इस पर सरकार का यही रूख है। विश्व के चार अथवा पांच देशों ने 1 जनवरी, 1967 को यह निर्णय कैसे ले लिया कि किसी निश्चित तिथि के पश्चात किसी भी देश को परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं होगा। इसी मुख्य कारण से परमाणु अप्रसार संधि पर हमने हस्ताक्षर नहीं किए और अभी तक हमने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके विपरीत 1998 में परमाणु परीक्षणों के समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे सरकार इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गयी और इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया कि हमनें स्वयं अधिस्थगन लागू कर दिया है और इसे वैधनिक रूप दिया गया। इससे भारत के सामरिक परमाणु कार्यक्रम पर विराम लग सकता था। मुझे आज यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संयुक्त राज्य अमरीका के साथ केवल असैनिक तथा परमाणु ऊर्जा के संबंध में समझौता किया है। हमने प्रतिष्ठानों में से जिन्हें आई.ए.ई.ए. के भारतीय सुरक्षा नियमों के अनुसार खोला है, वे उठते ही रहेंगे।

महोदय, मुझ से पूर्व श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि यह सरकार केवल दो पक्षों का उल्लेख कर रही है। पहला आई.ए.ई.ए. के सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए तथा भारतीय प्रतिष्ठानों को निरीक्षण के लिए खोला जाएगा। वे इस बात का उल्लेख करना भूल गए कि उनकी सरकार परमाणु कार्यक्रमों को रोकने पर सहमत थी तथा सामरिक उद्देश्यों के किसी भी परमाणु रिएक्टर का निर्माण नहीं किया गया।

महोदय, कांग्रेस पार्टी की ओर से मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सामरिक कार्यक्रम में हमारे पास जो भी परमाणु प्रतिष्ठान हैं, कार्यक्रम हैं, यह हमारा निर्णय है—हमारे पास आज कितने परमाणु प्रतिष्ठान हैं और कल कितने प्रतिष्ठान होगें। आज हमारे पास 6 हैं कल हमें 60 की आवश्यकता होगी। हमें अपने देश में 60 परमाणु सामरिक प्रतिष्ठान स्थापित करने का हक है।

महोदय, यह हमारा संप्रभु अधिकार हैं और मेरा मानना है कि हमने कोई समझौता नहीं किया है। समस्या यह है कि परमाणु समझौते को लेकर इतनी भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गयी है कि आज यह लोगों की आंखों में खटक रहा है। *[हिन्दी]* बहुत आर्टिकल लिखे गए, यादव जी ने कहा इतने आर्टिकल छपे हैं, बीस-बीस कालम छपे हैं, अखबारों, टेलीविजन और मैगजीनों में चर्चा हो रही है, टेलीविजन में डिबेट हो रही है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है उस पर आज हमें बोलने का मौका मिला है।

[अनुवाद]

अर्जेंटीना के राष्ट्रीय ने परमाणु अप्रसार संधि को शस्त्रविहीनों को शस्त्रों से रहित करने की संधि के रूप में परिभाषित किया था। हमने इस संधि का विरोध किया है। इस संबंध में आज तक हमारा वहीं विश्वास तथा सैद्धांतिक रूख है जो पहले था।

भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे जिस बात पर गर्व है वह यह है कि कोई व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनता है वह मेरे

[श्री सचिन पायलट]

दल से भी हो सकता है अथवा किसी और दल से भी हो सकता है। मुझे उस प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है। कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री जो 100 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले सकता जो वर्तमान में अथवा भविष्य में भारतीय हितों को क्षति पहुंचाए। मुझे इस बात पर गर्व है कि कोई भी प्रधानमंत्री चाहे वे श्री अटल बिहारी वाजपेयी हों, अथवा श्री देवेगोड़ा जी हों अथवा श्री गुजराल जी हों अथवा डा. मनमोहन सिंह हों, वे जब कभी जो भी निर्णय लेंगे, भारत के हितों को ध्यान में रख कर लेंगे। *[हिन्दी]* फारेन पालिसी पर बहुत लोग रहे थे, हमारे वामपंथी मित्र बोल रहे थे *[अनुवाद]* आपने देश अमरीका के हाथों बेच दिया। *[हिन्दी]* यह डबल स्पीक कब तक चलेगा। बुद्धदेव बाबू वहां पर एफ.डी.आई. इनवैस्टमैन्ट कराते हैं, अमरीकी पैसा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। केरल में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर अमरीकियों का पैसा बुरा नहीं है और लोगों ने किसी को कुछ नहीं बेचा है। अमरीका आज हमसे बात कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हम आपस के पार्टनर बनने जा रहे हैं। हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए। *[अनुवाद]* हम उस वैश्विक मंच पर हैं जहां हमें अपने हितों के संबंध में स्वयं निर्णय लेना है।

अब मैं अमरीका की साम्राज्यवादी नीति पर आता हूं। *[हिन्दी]* बार-बार इस फ्रेज को यूज किया गया है *[अनुवाद]* मैं इस से सहमत नहीं हूं और इस सम्माननीय सभा में स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत की विदेश नीति इसी में अधिदेशित है कि भारत का हित किस में हैं। विदेश नीति पर किसी भी छोटे-बड़े राष्ट्र का कोई प्रभाव नहीं है। *[हिन्दी]* यह हिन्दुस्तान देश हैं, इसकी सौ करोड़ की आबादी है, यह कोई छोटा-मोटा टापू नहीं हैं, जिस पर कोई कंट्री अपना प्रभाव डालकर हमें किसी डायरेक्शन में भेज सकता है *[अनुवाद]* इसलिए किसी दल अथवा सरकार को इस संबंध में सीख देना विडम्बना है। इस सरकार को इस संबंध में आदेश देना विडम्बना हैं।

1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने न केवल इतिहास बल्कि भूगोल को बदल दिया, उस समय भारत कमजोर राष्ट्र था, उस समय हमारा देश आर्थिक रूप से इतना शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था। जितना शक्तिशाली आज है, हमने बंगलादेश बनाया। *[हिन्दी]* अमरीका का सातवां बेड़ा बे आफ बंगाल में आ गया था लेकिन हमने किसी की परवाह नहीं की यह कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि 1998 में न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन किया गया था, उसमें पूरा देश साथ था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाजपा के लोगों को गलतफहमी न हो कि न्यूक्लियर बम बी.जे.पी. के कार्यालय की रसोई में बनाया गया था। चार डिकेड तक इसे पूरी सपोर्ट कांग्रेस की सरकारों ने दी थी। यह बोलना कि हमने सत्ता में आकर न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन किया। मैं कहना चाहता हूं कि यह देश का एक्सप्लोजन है, बम किसी पार्टी का नहीं होता किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं होता है। होमी भाभा किसी पार्टी के आदमी नहीं थे। यह देश की एक धरोहर है, एक असैट है। *[अनुवाद]* हमें इसे इसी दृष्टि से देखना चाहिए। इसका श्रेय भारतीय वैज्ञानिकों, अनुसंधान कत्ताओं तथा परमाणु वैज्ञानिकों को जाता है जिन्होंने यह कार्यक्रम हमारे लिए विकसित किया। सत्ता में कौन सा दल है यह कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

जहां तक भारत की बात है।

[अनुवाद]

हमने इराक पर हमले का कड़ा विरोध किया। भारत तीसरी दुनिया के देशों का ही नहीं बल्कि विकासशील देशों का भी नेतृत्व करता है चाहे वह रंग भेद के विरूद्ध लड़ाई हो अथवा कुछ देशों की तुलना में हमारे द्वारा अपनाया गया रूख जो अमरीकी हितों के विपरीत और हमारे हितों के अनुसार हो। मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विदेश नीति के संबंध में कुछ भी हो इससे सभा को आश्वास्त किया जाना चाहिए कि इस संधि पर आगे तभी बढ़ा जाएगा जब कि यह भारतीय हितों के विल्कुल अनुकूल होगा।

[हिन्दी]

भाभा साहब को बहुत बार कोट किया गया और मैं किसी मैगजीन, किसी नेता और किसी साइंटिस्ट को कोट नहीं कर रहा हूं। लेकिन डा. भाभा ने एक बात बहुत जरूरी बोली थी। *[अनुवाद]* उन्होंने कहा ''कोई भी ऊर्जा न होने की तुलना में कोई भी ऊर्जा महंगी नही है''। अत: महोदय, भारत-अमरीका परमाणु असैनिक समझौता भारत के लिए चीन तथा रूस सहित प्रत्येक 45 देशों के साथ परमाणु प्रौद्योगिकी के व्यापार के द्वार खोलेगा *[हिन्दी]* जहां तक एन.पी.टी. की बात है *[अनुवाद]* कुछ देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं तथा वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। *[हिन्दी]* चाहे वह चीन हो। जब चीन ने पाकिस्तान को टैक्नोलोजी ट्रांसफर की तो किसी ने खड़े होकर नहीं बोला कि यह गलत हो रहा है *[अनुवाद]* जब ईरान जैसा देश जिसने कि परमाणु अप्रसार

संधि पर हस्ताक्षर किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते के विनियमों तथा नियमों का पालन नहीं कर रहे है, जब भारत ने सैद्धान्तिक रूख अपनाया और कहा नहीं ईरान की सरकार ने तथा ईरान के प्रतिष्ठान ने गलत कार्य किया है।'' भारतीय लोगों के हजारों वर्षों से ईरान के लोगों के साथ संबंध रहे हैं।

भारत के लोगों ने अच्छे तथा बुरे समय में ईरान के लोगों का साथ दिया है, परन्तु यदि वहां की सरकार कुछ गलत कार्य करती हैं तो हमारे पास इतना साहस होना चाहिए कि हम कह सके कि "यह गलत हैं और इसे सही किया जाना चाहिए।'' हमारा देश विशाल देश है। हमें अपने-आप को कम आंक कर नहीं देखना चाहिए कि कोई एक राष्ट्र अथवा कोई दूसरा राष्ट्र हम पर हावी हो जायेगा। यदि यूरोपीय संघ, रूस; चीन तथा जापान के साथ हमारी सामरिक साझेदारी हो सकती हैं तो अमरीका के साथ हमारी सामरिक साझेदारी क्यों नहीं हो सकती जबकि वाणिज्यक तथा सामाीक हित हमारे अनुकूल हैं।

इसलिए मुझे प्रसन्नता है और मैं माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने यह कदम उठाया और उस विषय पर बात-चीत की जिस विषय पर पिछली सरकारें असमर्थ रही। जल विद्युत तथा अन्य स्रोतों से हम कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे यह बहस का मुद्दा नहीं है। जल विद्युत ताप विद्युत सौर ऊर्जा तथा पनबिजली के विकास के संबंध में भारत के सहान कार्यक्रम हैं परन्तु परमाणु ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र है जहां निवेश करने की आवश्यकता है। कुछ प्रौद्योगिकियों का दो क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है जो कि एन.एस.जी. की पाबंदी सूची में है तथा जब तक एन.एस.जी. समूह के सभी 45 देश भारत के साथ व्यापार के लिए सहमत न हों तक तक हम दोहरी प्रयोग वाली प्रौद्योगिकियों तथा परमाणु ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, दूसरे अन्य प्रयोगों जैसे सुपर कम्प्यूटर का निर्माण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का विकास जो कि हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं जिनसे हम वंचित है, हमें सुलभ नहीं ही सकती। इसलिए परमाणु ऊर्जा संबंधी भेद-भाव को समाप्त किया जाना चाहिए। हमारे पड़ोसी राष्ट्र चिंतित है कि भारत अमरीका के साथ परमाणु ऊर्जा के संबंध में कोई समझौता करने जा रहा है। मेरे विचार से समय बताएगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां पीछे मुड़ कर देखेंगी और इतिहास यह तय करेगा कि अमरीका के साथ यह समझौता हमारी वाली पीढ़ियों और उनकी पीढ़ियों के लिए लाभ प्रद होगा कि नहीं।

महोदय, श्री मोहन रावले सभा से चले गए हैं। उन्होंने भी बड़ा भावपूर्ण भाषण दिया और अपने भाषण में स्पष्ट किया कि वे इस समझौते का विरोध क्यों कहे हैं। उनके दल ने राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटील का महाराष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए समर्थन किया। ठीक उसी प्रकार भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए वे इस विषय पर बाला साहेब से बात कर सकते हैं तथा आज हम जो कुछ कह रहे है उनकी पार्टी इसका समर्थन कर सकती है मैं नहीं जानता कि ऐसा होगा अथवा नहीं।

महोदय, सन् वर्ष 1954 में जब हमारा देश बहुत ही कमजोर, दुर्बल तथा अरक्षित था, उस समय नेहरू जी ने सम्पूर्ण विश्व की अगुवाई की। वे सम्पूर्ण एशिया और तीसरी दुनिया के राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने जो कुछ कहा, उसके लिए उनका सम्मान किया गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी विदेश नीति में प्रवीण थी और मुझे यह बताते हुए यह गर्व है कि वहीं विदेश नीति आज भी जारी है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ में परमाणु निरस्त्रीकरण पर बोलते समय श्री राजीव गांधी ने कहा था कि यदि सभी पांचों परमाणु शक्तियां निशस्त्र हो जाएं और अपने सभी परमाणु हथियारों को नष्ट कर दें, तो भारत शीघ्र ही सी.टी.बी.टी. तथा एफ.एस.सी.टी. पर हस्ताक्षर कर देख। यही कांग्रेस पार्टी की विचार धारा तथा दृष्टिकोण रहा है। मेरे विचार से सरकार ने अमरीका के साथ संधि करके एक बहुत बड़ा कार्य किया है जिसकी हमें परमाणु ऊर्जा के विकास सामरिक उद्देश्यों के लिए आवश्यकता है।

मैं परीक्षण के एक अति महत्वपूर्ण पहलू के संबंध में कुछ बाते कहना चाहता हूं। जहां तक परीक्षण का संबंध है, कोई भी देश किसी भी समय जब परमाणु परीक्षण करेगा, तो उसकी प्रतिक्रिया होगी ही। 1974 में जब भारत ने पहली बार परमाणु विस्फोट किया तो श्रीमती इंदिरा गांधी जानती थी कि क्या होने जा रहा है। उनमें इस बात का साहस भरा था कि हमारे किसान, हमारे वैज्ञानिक तथा युवा लोग उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए कठोर मेहनत कर रहे थे। 1998 में, जब हमने पुनः परीक्षण किया, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए गए लेकिन हमारा देश इतना शक्तिशाली था कि हमने उस कठिन समय का सामना किया और हमारे ऊपर से प्रतिबंध हटाए गए।

आज, भारत विश्व में सर्वाधिक बिजली उत्पादन करने वाले राष्ट्रों में पांचवें स्थान पर है, हम विश्व में सबसे बड़े दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादन देश हैं फल तथा सब्जियों के उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है तथा खाद्यान्न उत्पादन में विश्व में हमारा तीसरा स्थान है। हम प्रगति की ओर अग्रसर हैं। मैं समझता हूं कि आज कोई भी राष्ट्र चाहे कितनी

[श्री सचिन पायलट]

ही शत्रुता क्यों न रखता हो, वह हमारी उन्नति तथा हमारी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में बाधा नहीं बन सकता।

महोदय, हमारे सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में कुछ टिप्पणिया की गई है कि यह 6 प्रतिशत है अथवा 8 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत है। ये केवल आंकड़े नहीं हैं ये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह विकास उन 640,000 गावों तक पहुंचेगी जहां भारत बसता है। उन्हें पुन: रोजगार कैसे प्राप्त होगा? वे कृषि व्यवसाय को छोड़ कर अन्य सेवाओं का रूख कैसे करेगें? इस विकास दर से उनका भाग्य सुधरेगा तथा उन लोगों को पीछे नहीं छोड़ेगा।

महोदय, अंत में, मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्षी दलों को सदबुद्धि आएगी और वे भारत के राष्ट्रीय हितों पर अधिक उदारतापूर्णक विचार करेंगे और अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों का त्याग करेंगे, परमाणु परीक्षण के मुद्दे पर तथा अमरीका के साथ परमाणु बात-चीत को लेकर सरकार पर प्रहार करना बंद करेंगे और अंत में अपनी छल-कपट वाली विदेश नीति से बाहर आएंगे तथा सरकार जब अच्छा कार्य करे, तो उसका समर्थन करेंगे क्योंकि मेरे विचार से सरकार ने एक महत्वपूर्ण संधि की है और मैं समझता हूं कि इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को बधाई दी जानी चाहिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, वामपंथी दलों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वे इस भारत-अमरीकी असैनिक परमाणु संधि का विरोध करते हैं, क्योंकि यह संधि समानता परक नहीं हैं। दूसरी बात, यह बताया गया है कि इससे पुनरुत्थान होगा। और यह हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

सभा में बहुत सी बाते कही गयी हैं परन्तु उनमें कितना तथ्य है। मेरे विचार से माननीय प्रधानमंत्री ने अपने पूर्व वक्तव्य में कहा है कि इस समय भारत के ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा उत्पादन की हिस्सेदारी तीन प्रतिशत है। भारत-अमरीका परमाणु समझौते के पश्चात् सन् 2020 में यह सात प्रतिशत हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन का तीन प्रतिशत से बढ़कर सात प्रतिशत होने से कोई भारी अंतर आएगा। उस समय हमारी आवश्यकता बहुत अधिक होगी।

महोदय, फिर मूल्य का प्रश्न आता है कि हमें किस मूल्य पर यह ऊर्जा उपलब्ध होगी। इस संबंध में सरकारी तौर पर कोई गणना नहीं की गयी है। यह नहीं बताया गया है कि गणना किस संबंध में की गयी है। परन्तु इसकी गणना अनेक विशेषज्ञों द्वारा की गयी है और किसी भी परिस्थिति में हमें इन परमाणु संयत्रों की स्थापना और परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में दस खरब रुपयों से अधिक रूपये खर्च करने होगें।

यह भी कहा गया है कि जब हम ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, तो यह इतनी मंहगी होगी कि इससे आम आदमी को कोई लाभ नहीं होगा अथवा यहां तक कि उद्योगों में भी इसका प्रयोग सस्ती ऊर्जा के रूप में नहीं किया जा सकेगा। जब हम पुनरूत्थान की बात करते हैं, तो हम सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि बहुत थोड़े से लाभ के लिए हम यह कर रहे हैं, हम धन के रूप में राजनीतिक रियायत के रूप में इसकी भारी कीमत अदा कर रहे हैं। ये वे कुछ मुद्दे हैं जिन पर हमारे मतभेद हैं।

माननीय प्रधानमंत्री ने दूसरी बात जो कही है कि हम परमाणु परीक्षण करेंगे अथवा नहीं, इस संबंध में हम स्वयं निर्णय लेंगे। यह अच्छी बात है। परन्तु संसद में यह वक्तव्य देने के पश्चात् भारत में अमरीका के राजदूत ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि यदि आप परमाणु परीक्षण करते हैं, तो इससे संधि समाप्त हो जाएगी। इस संबंध में, उनका दृष्टिकोण भिन्न है। हमने कहा है कि हम अपने अनुकूल समय पर अपना निर्णय ले सकते हैं।

अब, केवल थोड़ी सी मात्रा में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए हम भारी मात्रा में संसाधन खर्च करने जा रहें हैं, तो क्या हम अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को बंद करने जा रहे हैं? जब आप संसद ते सरकार के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की बात करतें हैं, चाहे वह रोजगार गारंटी योजना का प्रश्न हो अथवा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए विधेयक लाने की बात हों, यही बात कही जाती है कि सरकार के समक्ष गम्भीर आर्थिक बाधा है। जब किसी कार्यक्रम को लागू करने से इतना आर्थिक संकट आएगा जो कि काफी संख्या में भारतीय लोगों जो कि सामान्य लोग हैं को प्रभावित करेगा, तो वही दूसरी ओर काफी कम मात्रा में ऊर्जा उत्पादन के लिए हम भारी मात्रा में पैसा खर्च करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट और बोल सकते हैं। प्रत्येक दल को 15-20 मिनट का समय नहीं दिया जा सकता। यह सम्भव नहीं है। फिर आपको दो दिन की चर्चा के लिए सहमत होना पड़ेगा। कोई सदस्य नहीं चाहता कि यह चर्चा दो दिन तक चले।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारे दल

के साथ वैसा ही रवैया रखें जैसा कि आप अन्य दलों के साथ रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई अध्यक्षपीठ की बात को अनसुना कर रहा है, यदि हर कोई अध्यक्षपीठ की अवहेलना करता है तो इसे एक आदर्श स्थिति नहीं कहा जा सकता। अब आप कृपया बोल सकते हैं। मैंने आपको एक मिनट का समय दिया है। एक मिनट का और समय अंतिम होगा। एक अनुशासित दल होने के नाते मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : मुझे नहीं मालूम कि मैं एक मिनट में क्या कहूंगा। अपने दल का अनुशासित सिपाही होने के कारण मैं छोड़ दूंग

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप अधिक समय नहीं लेंगे। आप एक बहुत ही स्पष्ट वक्ता हैं मैं यह जानता हूं। कृपया समझने की कोशिश करें कि अध्यक्ष-पीठ घंटी बजाने से प्रसन्न नहीं है, परन्तु जो कोई भी अध्यक्षपीठ पर बैठता है उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : महोदय, मुझे भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि काश मेरे पास भी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आपके जैसी क्षमता होती।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मैं अध्यक्ष पीठ के आदेशों का पालन करूंगा। मैं केवल दो अथवा तीन मुद्दों पर बोलूंगा और फिर अपनी बात समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : मेरा मानना है कि ऐसा करने से हम अपने आत्म निर्भरता की नीति का त्याग कर देंगे। हमारे पास ऊर्जा के अन्य अनेक स्रोत उपलब्ध हैं। मैं उन पर विस्तार से चर्चा करना नहीं चाहता। ऐसा बताया गया है कि हमारे यहां अपार क्षमता है हमारे पास जल विद्युत उत्पादन की सम्भावना है। हमारे पास जल विद्युत पवन ऊर्जा तथा सभी प्रकार के अन्य स्रोत हैं। हमारे पास थोरियम का अपार और शायद विश्व में सबसे बड़ा भंडार है। हम उन सभी का उपयोग करने का प्रयास कर रहे थे। भारत-अमरीका परमाणु ऊर्जा संधि के नाम पर मेरी अपनी आशंकाए है कि क्या हम इन सभी स्रोतों का त्याग करने जा रहे हैं अथवा क्या हम इन सभी क्षेत्रों को कम प्राथमिकता दे रहे हैं।

महोदय, समय के अभाव के कारण मैं और कुछ नहीं कह पाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ और बिन्दुओं पर बोलना चाहते हैं, तो आप उन्हें सभा-पटल पर रख सकते हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : मैं कुछ और सभा-पटल पर नहीं रखना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, मुझे बहुत खेद है।

श्री उदय सिंह, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। आपके दल को आवंटित किए गए समय में 12 मिनट का समय शेष है। मैं प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट का समय दूंगा, मेरे पास तीन सदस्यों के नाम हैं।

श्री उदय सिंह (पूर्णिया) : मैं आवंटित समय में इसे समाप्त करने का प्रयास करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, मैं आपके सहयोग की सराहना करता हूं।

श्री उदय सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

वास्तव में यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने महत्वपूर्ण करार जिसका प्रभाव कई दशकों तक देश पर पड़ेगा, दुर्भाग्यपूर्ण विवादों में उलझकर रह गया है। जहां तक याद आता है हाल ही के वर्षों में किसी भी करार के संबंध में इतना अधिक नहीं सुना और पढ़ा गया है जितना कि इस करार के संबंध में सुना और पढ़ा गया है।

मैं इससे पहले कि करार की बात करूं मैं करार जितने ही महत्वपूर्ण या शायद इससे भी अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विगत सत्र के दौरान इस बात पर बहुत गरमा गरमी हुई थी कि क्या यह चर्चा नियम 184 जिसके अंतर्गत मतदान कराया जाना आवश्यक होता है, के अधीन

[श्री उदय सिंह]

हो या फिर नियम 193 जिसके अंतर्गत मतदान की आवश्यकता नहीं होती। मेरे विचार से आपने बिल्कुल सही व्यवस्था दी कि वर्तमान कानूनों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के करार करना उस समय की सरकार का अनन्य विशेषाधिकार होता है। इसलिए मतदान कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं जिस पर में बल देना चाहता हूं। देखिए कितनी बेतुकी स्थिति है। किसी चिकित्सा संस्थान के निदेशक की सेवा निवृत्ति की आयु में परिवर्तन करने के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, टायर कार्पोरेशन के विनिवेश के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसके द्वारा देश का भुभाग किसी अन्य देश को दिया जा सकता है, में संसद की भागीदारी आवश्यक नहीं होती। मुझे लगता है कि हम संसद को अप्रासंगिक बनाते जा रहे हैं।

अत: मैं सभी सदस्यों विशेषकर सरकार से हार्दिक अनुरोध करता हूं कि इन कानूनों में बदलाव लाएं। अब हमारे संविधान की रचना की जा रही थी सम्भवतः इस तरह के राजनीतिक बातावरण के बारे में नहीं सोचा गया था। भारत बदल गया है। भारतीय राजनीति बदल चुकी है। वास्तव में दुनिया बदल गई है। इसलिए इस बात की तत्काल जरूरत है कि सरकार इस पहलु पर गंभीरतापूर्वक विचार करे कि कानूनों में संशोधन हो। वास्तव में समझौते हेतु करार जिसके संबंध में हमारी पार्टी भाजपा भी इस बात से सहमत हैं कि इसकी आवश्यकता है, हो सकता है कि ऐसा समझौता निर्विवाद सत्य न हो। इसके बारे में हमारा यह मानना है कि यह गैर बराबरी पर आधारित करार है जिससे भारत को हानि हो रही है लेकिन हम इस सच्चाई को अवश्य स्वीकार करते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका के साथ समझौता करने की आवश्यकता है लेकिन जो समझौता हुआ है वैसा नहीं जिसे हम गैर बराबरी पर आधारित करार मानते हैं जिससे भारत को नुकसान है लेकिन हम इस तथ्य को भी स्वीकार करते हैं संयुक्त राज्य अमरीका के साथ समझौता करने की आवश्यकता है। यह करार सब तरह के विवादों में उलझ कर रह गया है। इसका सीधा सा कारण यह है कि सरकार को संसदीय स्वीकृति, संसद के अनुमोदन, संसदीय भागीदारी की आवश्यकता नहीं थी, और वह करार के रास्ते पर आगे बढ़ गई और ऐसे ऐसे कार्य किए जहां विभिन्न बातों पर हमें गंभीर आपत्तियां हैं। इसलिए, महोकदय मेरा आपसे यह अनुरोध है कि उन कानूनों जिनमें परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है, में परिवर्तन करवाने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करें।

महोदय, चर्चा पर वापिस आते हुए, जैसे कि मैंने कहा, वास्तव में भाजपा यह महसूस करती है कि समझौता आवश्यक है लेकिन समझौता दूसरे ढंग से किया गया है। यहां उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलों की भावनाओं का उचित सम्मान करते हुए और उन को ध्यान में रखते हुए हम इस बात से इंकार नहीं करते कि इसकी जरूरत है। इसलिए प्रधान मंत्री महोदय। चूंकि आप यहां उपस्थित हैं, आप को जिस बात की आज आवश्यकता थी और शायद जिस बात को आप चूक गए वह है राजनीतिक सर्वानुमति। इसी का अभाव है।

मैं करार की बारीकियों में जाने से बचना चाहूंगा क्योंकि पहले तो समय का अभाव है और दूसरा कारण यह है कि अन्य प्रख्यात सदस्य ऐसा कर चुके हैं और मुझे विश्वास है कि बाद में जो अन्य सदस्य बोलेंगे वे भी करार के गुण दोषों पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आपने राजनीतिक सर्वानुमति बनाने का अवसर खो दिया और उस राजनीतिक सर्वानुमति को बनाने का उत्तरदायित्व आप पर ही थी। यह उत्तरदायित्व भाजपा का नहीं था। मान लिया कि आप के पास इस करार पर खुद आगे बढ़ने की कानूनी स्वीकृति है लेकिन नैतिक और राजनीतिक स्वीकृति का भी तो सवाल है। आपने ऐसा नहीं किया। आप की सरकार को उस राजनीतिक सर्वानुमति को बनाने का प्रयास करना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय, यदि भारतीय संदर्भ में कभी द्विदलीय समर्थन की आवश्यकता पड़ती भी तो वह इस प्रकार के करार के लिए आवश्यक थी क्योंकि इस पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि यह समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है। हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि समझौते की जरूरत है। इसलिए उस राजनीतिक सर्वानुमति को बनाने में सरकार की ओर से गंभीर प्रयास होने चाहिए थे लेकिन दुर्भाग्य वश सरकार ऐसा नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री महोदय, आपके मंत्रियों और कभी-कभी आपने...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री उदय सिंह : महोदय। मैं दो-तीन मिनट और लूंगा।

भाजपा के प्रति आपके कृपालु रवैये से राजनीतिक सर्वानुमति बनाने में सहायता नहीं मिली है। आपकी पार्टी के प्रवक्ता, जो मुझे पूरा विश्वास है कि नाश्ते में लाल मिर्च खा कर आए थे, द्वारा प्रयोग की गई भाषा से किसी भी सार्थक राजनीतिक संवाद शुरू करने का रास्ता नहीं खुलता।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मांग की जा रही है और मुझे विश्वास है कि इसी प्रकार की मांग अन्य स्थानों से भी हो रही होगी कि राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए। लेकिन आपको स्पष्ट रूप से यह समझ लेना चाहिए। कि भाजपा सदस्य यहां उपस्थित हैं क्योंकि वे उन्हीं लोगों द्वारा चुनकर भेजे गए हैं जिन्होंने आप को चुना है। हमने लोकसभा कक्ष के दरवाजों से जबरदस्ती घुस कर यहां की कुर्सियों पर कब्जा नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि मुझे यह सब यहां पर कहना चाहिये कि नहीं। पिछले सत्र में मैंने गतिरोध को दूर करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा लगभग दांव पर लगा दी थी और मैं ऐसा कोई रास्ता निकालने के लिए आपके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों के संपर्क में रहा था जिससे कि दोनों दल संवाद के माध्यम से एक दूसरे के नजदीक आ सकें। मुझे बताया गया था कि यह आपको स्वीकार था और तब अचानक मुझे बताया गया कि यह आपको स्वीकार्य नहीं था। जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो इससे जीवन बहुत कठिन हो जाता है।

अब मैं परमाणु करार पर भाजपा के रूख को स्पष्ट करना चाहता हूं। हमें बताया गया है कि हम 'दो मुंही', 'तीन मुंही', और न जाने क्या क्या बातें करते हैं। हमने वामदलों की तरह संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सहयोग न करने का प्रण नहीं किया हुआ। हमारे लिए अमरीका के साथ समझौते का उतना ही स्वागत है जितना कि अन्य देशों के साथ बशर्ते कि वे समझौते भारत के हित में हों। मेरे युवा मित्र श्री सचिन पायलट एन.एस.एस.पी. का उल्लेख कर रहे थे और मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि इसकी उत्पत्ति...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपने दल के किसी अन्य साथी के हिस्से का भी समय ले रहे हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप पांच मिनट और बोल सकते हैं जो आपके दल के हिस्से के बचे हुए हैं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय यदि आपको यह लगता है कि किसी को भी हमारे विचारों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, तो ठीक हैं, फिर हमें बोलने की क्या जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय : आप ये सब बाते क्यों कर रहे हैं? स्वाईं जी, अध्यक्ष-पीठ पर किसी प्रकार का दोषारोपण न करें, समय उपलब्ध होने की स्थिति में मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : कल सायं 6.30 बजे सरकार वाद-विवाद जारी रखना चाहती थी...*(व्यवधान)* आप संसदीय मंत्री पूछ सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री उदय सिंह जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे जो भी दिए गए हैं, मैं उन्हें बोलने का मौका दूंगा। मैं आपके कहने के अनुसार नहीं चलूंगा।

श्री खारबेल स्वाईं : यदि आप इस वाद-विवाद को जारी रखना नहीं चाहते, तो इस पर हम सब सहमत हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा ही अध्यक्ष-पीठ को भाषण देते रहते हैं।

श्री उदय सिंह जी, कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री उदय सिंह : महोदय, इसे समाप्त करने का प्रयास करूंगा। मैं एक मिनट के भीतर अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं।

पोखरण-2 जो कि अपने-आप में बड़े राजनीतिक साहस का प्रदर्शन था, के पश्चात प्रतिबंध लगाए गए थे। एन.डी.ए. सरकार ने राजनयिक राजनीतिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। उसने न केवल प्रतिबंधों से छुटकारा पाया, बल्कि दुनिया भर अपने संबंधों को सुदृढ़ किया तथा हमने राज्य अमरीका तथा अन्य देशों के साथ उच्च स्तर पर अपने संबंध बढ़ाए जिसकी परिणति शायद एन.एस.एसी.पी. में हुई, जिसका अभी उल्लेख किया जा रहा था। एन.एस.एस.पी. ने इस महान समझौते की भूमिका रखी, लेकिन इस समझौते को इतनी जल्दी में नहीं किया जा सकता था और ऐसी स्थिति में इसे इतना सहारा नहीं मिलता।

अत: प्रधानमंत्री जी हम किस ओर जाए? हम 'अभी नहीं तो कभी नहीं' कथन की हम प्रशंसा नहीं कर सकते। यह भारत तथा अमरीका के बीच समझौता है। हम इस समझौते में आपके प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। परन्तु हम इस तथ्य की सराहना नहीं कर सकते कि यह समझौता केवल डा. मनमोहन सिंह और श्री जार्ज बुश के बीच है। यह केवल दो व्यक्तियों के बीच समझौता नहीं है। यदि ऐसा है तो मुझे खेद है कि आप दूसरों की आखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं और भारत समझौतों पर हस्ताक्षर करके दूसरे देशों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। यदि यह समझौता दो

[श्री उदय सिंह]

देशों भारत और अमरीका के बीच है और चाहे हम इस समझौते पर जल्द बाजी में हस्ताक्षर करे अथवा सभी राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करके, एक आम सहमति के माध्यम से इस पर हस्ताक्षर करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

अत: माननीय प्रधानमंत्री जी मेरा आपसे आग्रह है कि आप संसद की स्वीकृति लें, अमरीकी प्रशासन के साथ अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें, वे इस मुद्दे को अमरीका कांग्रेस में उठाए और कहें कि एक लोकतांत्रिक देश को दूसरे लोकतांत्रिक देश से यह आग्रह आया है, कि यदि आवश्यकता हो तो आवश्यक परिवर्तन किए जाए और फिर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हम आपकी प्रशंसा करेगे हम भारत की प्रशंसा करेंगे। जब तक भारत के सामरिक हितों, भारत की विदेश नीति के हित में सुरक्षित रहे हमें आपका किसी प्रकार से समर्थन करने में कोई संकोच नहीं है।

अध्यक्ष महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री राजीव रंजन सिंह। आपके दल को तीन मिनट का समय आबंटित किया गया है। तथापि मैं आपको पांच मिनट का समय दूंगा। यदि आप लिखित में कुछ कहना चाहते है तो आप उसे सभा-पटल पर भी रख सकते हैं।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेंगूसराय) : जी नही महोदय, मुझे लिखित रूप में सभापटल पर कुछ भी नहीं रखना है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, अमरीका के साथ हमारे देश का जो परमाणु समझौता हुआ, उसने लोक सभा के पिछले सत्र यानी मानसून सैशन से पूर देश को आन्दोलित करने का काम किया है। हर गांव और हर घर में यह चर्चा पहुंची है कि आखिर इस समझौते से कहीं देश की सम्प्रभुता पर तो खतरा नहीं है? इस देश की पं. जवाहर लाल नेहरू के समय से आज तक जो तटस्थ विदेश नीति चली आ रही है, वह विदेश नीति तो कहीं प्रभावित नहीं हो रही है, कहीं हम इस समझौते के माध्यम से अमरीका के पिछलग्गू तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसका इतिहास है? अफगानिस्तान और ईराक का नाश हुआ। वह सब अमरीका की कृपा से हुआ और अब कहीं हिन्दुस्तान भी, उसी रास्ते पर आगे तो नहीं बढ़ रहा है? यह सारे देश के मन में शंका हुई।

महोदय, पिछले सत्र के दौरान जब यह चर्चा सदन में आई, तो यह सवाल आया कि जो विदेश के साथ समझौता होता है, पर संसदीय सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। यह ठीक बात है कि विदेशों के साथ हुए समझौतों पर संसदीय सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब इतना बड़ा समझौता आप करने जा रहे हैं, जिससे पूरा देश आन्दोलित है, पूरे देश के सामने एक प्रश्न चिह्न खड़ा हुआ है। तो आप कानून को रास्ते में लाकर उस समझौते पर चर्चा करने से भी उस समय घबरा रहे थे और संसद की सहमति लेने से आप घबरा रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र लोक-लाज से चलता है, सिर्फ कायदे-कानून और नीति से लोकतंत्र नहीं चलता है, लोकतंत्र लोक-लाज से भी चलता है। लोक-लाज यही कहती थी कि इस समझौते पर संसद की भी सहमति लें, क्योंकि संसद का और इस सदन का बहुमत इस समझौते के खिलाफ था, यानि देश का बहुमत इस समझौते के खिलाफ था, इसलिए इसकी आवश्यकता थी। हम इस पर ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहते, क्योंकि समझौते में कई ऐसी शर्तें हैं और समझौते में यह बात साफ है, प्रधान मंत्री कह रहे हैं या सरकार के कई मंत्रीगण कह रहे हैं कि इस समझौते से हमारी सम्प्रभुता या हमारी विदेश नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसके विपरीत अमेरिका के विदेश विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, अमेरिका के एम्बेसडर कह रहे हैं, ये सारे लोग जो कह रहे हैं तो इसमें विरोधाभास है, इसलिए यह बात तो साफ है और कई माननीय सदस्यों ने भी इस बात की चर्चा की है कि इस शर्त के साथ इस समझौते के तहत अगर हमने भविष्य में कोई परीक्षण किया तो हमें जो भी सहयोग अमेरिका से प्राप्त हुआ है, वह वापस ले लिया जायेगा। इसमें इस देश को भी कहीं कोई संदेह नहीं है और इस सदन को भी संदेह नहीं है, सरकार चाहे जितनी बात कहे। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो तर्क रखा है कि इस समझौते में हम 2020 तक 20 हजार मैगावाट परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन कर लेंगे। हम अपने देश की तकनीक को छोड़कर विदेशी अमेरिकन तकनीक पर क्यों जाना चाहते हैं?

ये इस समझौते के तहत दो लाख करोड़ रुपये परमाणु ऊर्जा के संयंत्रों को लगाने के लिए, बिजली के उत्पादन के लिए खर्च करेंगे। आज हमारा देश की जो हाइडिल की, पनबिजली की जो योजना है, हम अगर उतना पैसा उस पर खर्च करें तो आज नेपाल से जो नदियां निकल रही हैं, नोर्थ ईस्ट से जो नदियां निकल रही हैं, उन पर अगर हम पनबिजली की योजनाएं लगायें तो एक लाख मैगावाट बिजली का उत्पादन हम कर सकते हैं। हम उस पर क्यों नहीं केन्द्रित हो रहे हैं, हम उसकी ओर क्या ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो हम अमेरिका

के पिछलग्गू बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह बताना चाहता हूं कि आज आप अमेरिका से परमाणु ऊर्जा समझौते के बाद जो बिजली का उत्पादन आप करने जा रहे हैं, उस बिजली के उत्पादन की कीमत कितनी पड़ेगी, प्रोडक्शन कास्ट कितनी पड़ेगी। उसकी कास्ट नौ रुपये से दस रुपये प्रति यूनिट पड़ेगी। आज जो हम थर्मल से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, उसकी कीमत ढाई रुपये प्रति यूनिट पड़ रही है। आज जो हम हाइडिल से उत्पादन कर रहे हैं, उसकी कीमत डेढ़ से पौने दो रुपये प्रति यूनिट पड़ रही है तो हम क्यों 10 रुपये खर्च करके उस पर जाना चाहते हैं? हम क्यों इस तकनीकी की ओर जाना चाहते हैं? हम क्यों देश के सामने यह प्रश्न खड़ा करना चाहते हैं। सबसे बड़े आश्चर्य की बात जो यह है कि जिस परमाणु ऊर्जा की तकनीक हम अमेरिका से ले रहे हैं, जिसके लिए हम देश को अमेरिका के हवाले कर रहे हैं, हम अमेरिका के पिछलग्गू हो रहे हैं, वही अमेरिका अपने देश में परमाणु से मात्र 19.4 परसेंट बिजली का प्रोडक्शन कर रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका खुद अपने संयंत्रों के माध्यम से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश पर यह थोप रहा है।

आप अटल जी की बात करते हैं, पुरानी सरकारों की बात करते हैं, अभी कांग्रेस के साथ बोल रहे थे, 1974 की कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का अन्तर है। उस समय अगर स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थीं, उन्होंने अमेरिका के सैंक्शंस को स्वीकार किया, उस चुनौती को स्वीकार किया। एन.डी.ए. की सरकार थी, अटल जी ने अमेरिका के सैंक्शंस को स्वीकार किया, उनकी चुनौतियों को स्वीकार किया, इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उस परमाणु समझौते पर जाने से पहले पूरे सदन को कान्फीडेंस में लें। आप एक जोइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाइये, जोइंट पार्लियामेंटरी कमेटी में आपकी एक-एक शर्त, जिन शर्तों पर आपने समझौता किया है और हाइड एक्ट, उसमें हर शर्त की समीक्षा हो और समीक्षा के बाद सदन के सामने सारे तथ्य आयें, तब सरकार इस पर आगे बढ़ने का काम करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. एम. रामदास आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दल को तीन मिनट का समय मिला है परन्तु आप पांच मिनट तक बोल सकते हैं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : महोदय, मैं अपने दल से अकेला वक्ता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसलिये, आपको तीन मिनट की बजाए पांच मिनट का समय मिलेगा।

प्रो. एम. रामदास : मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आज भारतीय संसद में अत्यधिक महत्वपूर्ण करार पर चर्चा हो रही है जिसमे भारत देश तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव होंगे। हम इस सभा में चर्चा कराने हेतु माननीय प्रधानमंत्री के आभारी है। महोदय, मैं सभा के माननीय सदस्यों को इस बात का स्मरण करना चाहता हूं कि यह पहली बार नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री इस करार की जटिलताओं का विवरण देने के लिये इस सभा में आये है; यह तीसरी बार है। हमने कभी भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा है जो संसद के प्रति अपने दृष्टिकोण में इतना पारदर्शी हो। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि जहां तक इस करार का संबंध है संसद असंगत हो गई है। हम तीसरी बार इस करार पर चर्चा कर रहे है। वह इस करार के तर्क को स्पष्ट करने में संसद से संकोच नहीं कर रहे है। इसलिये, प्रारम्भ में, मुझे माननीय प्रधानमंत्री की इस करार को करने के लिये प्रशंसा करनी चाहिये तथा बधाई देनी चाहिये।

अपने दल पी.एम.के. की ओर से हमें इस करार, जिसमें नागरिक उद्देश्यों अथवा सिविल उद्देश्यों हेतु परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर भारत और अमरीका के बीच सौहार्दपूर्ण सहयोग की परिकल्पना की गयी है, का सच्चे दिल से पूर्ण समर्थन देने में हमें प्रसन्नता होती है। हम इस करार को इस देश की शीघ्र, तीव्र से और स्थायी आर्थिक वृद्धि के प्रति यू.पी.ए. सरकार की एक और नवीन पहल के रूप में मानते है।

हम जानते है कि विगत साढ़े तीन वर्षों में माननीय डा. मनमोहन सिंह और माननीय सोनिया गांधी के नेतृत्व के तहत यू.पी.ए. सरकार ने इस देश में वृद्धि और सामाजिक न्याय के संवर्धन हेतु बनाये गये अनेक कार्यक्रमों के कार्यान्वित किया है। एन.आर.ई.जी.पी. और भारत निर्माण का उल्लेख किया जा सकता है। जबकि कई अन्य बड़ी योजनाओं को भी कार्यान्वित किया गया है। हमारे विचार से यह भारत-अमरीका परमाणु करार भारत की प्रगति का विकास करने हेतु भारत सरकार के व्यापक (बड़े) कार्यक्रम का भी हिस्सा है।

मैंने सोचा कि इस करार पर चर्चा करने वाले सदयों ने अवश्य ही इस करार की प्रत्येक लाइन और लेख को पढ़ा है परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश लोगों ने, जिन्होने आरोप लगाये है, इस करार को पूरा नहीं पढ़ा है और इसलिये उन्होंने यह कहा है कि भारत असमान हिस्सेदार बन गया है, भारत ने अपनी संप्रभुता

[प्रो. एम. रामदास]

छोड़ दी है, भारत की परमाणु ऊर्जा के उपयोग के संबंध में भिन्न अवधारणा है और हाईड अधिनियम 123 करार की अपेक्षा अधिक महत्व का होगा। ये सभी विवरण काल्पनिक विवरण है अथवा ऐसे विवरण है जो अनुमान और विचार के रूप में है जिन्हें करार के पाठ से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। कम से कम मैंने इस करार को पढ़ा है। इस पाठ की एक प्रस्तावना है और यह 22 पृष्ठों तथा 17 लेखों में है।

इस दस्तावेज के सावधानी पूर्वक अवलोकन से किसी भी निष्पक्ष पढ़ने वाले को यह महसूस होगा कि यह करार ऊर्जा आवश्यकता की हमारी समकालीन आवश्यकताओं के अनुसार है जो भारत के विकास हेतु अनिवार्य शर्त है। इसलिये, आज विपक्ष के नेता ने भी यह कहा कि ऊर्जा महत्वपूर्ण है और ऊर्जा के बिना 8% अथवा 9% वृद्धि दर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति संभव नहीं है। भारतीय विश्वविद्यालयों में तैयार किए गये सभी मैक्रो आर्थिक माडलों से यह पता चला है कि सभी घटकों में ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण घटक है जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान कर रहा है। इसलिये, इस करार से ऊर्जा की आपूर्ति में योगदान करके इस अर्थव्यवस्था की वृद्धि होगी। एक वक्ता ने यह कहा कि इस करार से हमें भारत की केवल चार प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता को प्राप्त करने में मदद मिलेगी परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है।

केवल इतना ही नहीं इस करार के पश्चात् हम 45 देशों से परमाणु ईंधन आपूर्ति का आयात कर सकेंगे। और सभी प्रतिबंधों को हटा लिया जायेगा। इसलिये, हम परमाणु ईंधन की अत्याधिक आपूर्ति की आशा कर सकते है। अमरीका ने भारत का पक्ष लेने के लिये परमाणु आपूर्ति दल (एन.एस.जी.) के नियमों का संशोधन करने के मामले में भारत का समर्थन और मदद करने का वायदा किया है। एक बार एन.एस.जी. अपने दिशानिर्देशों में संशोधन कर देता है तो भारत के दरवाजे शेष विश्व के लिये परमाणु वाणिज्य हेतु खुल जायेंगे। उस समय जो कुछ वाशिंगटन में होता है उसका वास्तव में कोई महत्व नहीं होना चाहिये क्योंकि हम अन्य देशों से अपना ईंधन लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि अमरीका की कांग्रेस 123 करार को खत्म कर देती है तो अमरीका की कंपनियों को सबसे ज्यादा हानि होगी। उपर्युक्त संदर्भ में विशेषकर रूस के साथ व्यापार महत्वपूर्ण होगा। रूस ने पहले ही इस संबंध में रूचि दिखाई है। महत्वपूर्ण यह है कि उनके पास अमरीका की तरह को कानून नहीं हैं जो उनके लिये परमाणु परीक्षण के मामले में देश को परमाणु ईंधन की आपूर्ति बंद करना अनिवार्य बनाता है। इसके विपरीत वे भारत को अप्रसार के संदर्भ में जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार के इतिहास वाले देश के रूप में देखते है।

आस्ट्रेलिया ने अपने अत्याधिक यूरेनियम भंडार के साथ पहले ही एन.एस.जी. में भारतीय आवश्यकताओं के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है ताकि इसके दिशानिर्देशों में सिविल परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत को व्यावहारिक ज्ञान और उपस्कर आपूर्ति हेतु संशोधन किया जा सके।

यह करार किसी भी तरीके से भारत के परमाणु-अस्त्रों के कार्यक्रम में बाधा नहीं पहुंचाता है और यदि ऐसा होता है तो भारत विद्युत रियक्टरों हेतु यूरेनियम का आयात करते केवल अस्त्रों के लिये अपने बहुत ही कम स्वदेशी यूरेनियम का उपयोग कर सकता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि कांग्रेस पार्टी चाहती है तो मैं कांग्रेस पार्टी के समय से उन्हें समय दे सकता हूं। कांग्रेस पार्टी का कुछ समय बचा हुआ है।

(व्यवधान)

प्रो. एम. रामदास : इसमें नियंत्रित थर्मोन्यूक्लियर विस्फोटकों और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रियेक्टर परियोजना में अनुसंधान पर सूचना के आदान-प्रदान का प्रावधान है जिसमें हाल ही में भारत भागीदार बना।

भारत परमाणु ईंधन के रूप में थोरियम का उपयोग करने के लिये नये तरीकों पर कार्य कर रहा है। इसलिये, आयातित यूरेनियम पर भारत की निर्भरता तुलनात्मक रूप से लघु अवधि हेतु है और यह करार इस आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर भी रख सकते है।

प्रो. एम. रामदास : जी नहीं, महोदय। सकारात्मक पक्ष की ओर करार से भारत के विकास में अत्यधिक लाभ होगा न केवल ऊर्जा की दृष्टि से अपितु अन्य आदानों, जिनकी हमें आवश्यकता है, की दृष्टि से भी ऐसी है। इसलिये, हम इस करार का पूरे दिल से समर्थन करते है।

अपने दल की ओर से हम एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री,

जो भारत को वृद्धि के ऊंचे गतिमार्ग की ओर ले जा रहे है, की प्रशंसा करते है और उन्हें बधाई देते है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री एल. गणेशन, मैं आपको इस मुद्दे पर बोलने के लिये पांच मिनट का समय दे रहा हूं। आपके पास दो मिनट का समय था और मैं आपको इस मुद्दे पर बोलने के लिए दोगुना समय दे रहा हूं।

श्री एल. गणेशन (तिरुचिरापल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत-अमरीका करार पर इस चर्चा में भाग लेने हेतु मुझे यह अवसर देने के लिये आपका धन्यवाद करता हूं।

सर्वप्रथम तो मैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को सच्चे दिल से बधाई देना चाहता हूं और यह करार करने हेतु उनकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा भी करता हूं। इसमें अनेक बाधयें, अड़चने और रूकावटें थीं परन्तु हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी कुशलता और निपुणता से अपने अन्दाज मे उन बाधाओं को पार किया है और यह करार किया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके द्वारा हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रतिष्ठित राष्ट्र के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री गणेशन जी, आप इसे सभापटल पर क्यों नहीं रख देते और प्रत्येक वाक्य कार्यवाही-वृतांत में शामिल हो जायेगा।

श्री एल. गणेशन : महोदय, मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, तब आप अपना पूर्ण वक्तव्य कार्यवाही-वृतांत में शामिल करवा सकते हैं।

श्री एल. गणेशन : मैं इस करार का इसलिए पुरजोर समर्थन करता हूं क्योंकि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है; मैं इस करार का इसलिए पुरजोर समर्थन करता हूं क्योंकि भारत को परमाणु कल्ब के सदस्य के रूप में यथेष्ठ मान्यता मिली है; मैं इस करार का इसलिए भी पुरजोर समर्थन करता हूं क्योंकि यह करार विश्व शक्ति बनाने के हमारे प्रयासों में हमारे राष्ट्र को एक कदम आगे ले जाता है; मैं इस करार का पुरजोर समर्थन करता हूं क्योंकि हम परमाणु परीक्षण करने के अपने संप्रभु अधिकार को नहीं छोड़ते और मैं इस करार का इसलिये भी पुरजोर समर्थन करता हूं क्योंकि हमने अपनी विदेश नीति में अपनी संप्रभुता को नहीं छोड़ा है।

मैं इस बात का दावा नहीं करता हूं कि मैं इस करार की सभी जटिलताओं और निश्चितताओं को जानता हूं। इसलिये यदि मैं इस करार के गुण-अवगुणों का उल्लेख करने के बजाए विख्यात व्यक्तियों तथा वैज्ञानिकों के विचार उद्धृत करूं तो बेहतर होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह इस अवसर पर और अधिक उपयुक्त होगा। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और वर्ष 1993 से 2000 तक परमाणु के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री आर. चिदम्बरम ने यह कहा है कि: "परमाणु पुनर्जागरण के लिए विश्व को भारत की आवश्यकता है।" उन्होंने यह भी कहा है कि: "प्रारम्भ से ही ... सीमा संबंधी तीन शर्तें हैं। सामरिक कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

कई अन्य विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, परन्तु क्योंकि समय बहुत ही कम है, इसलिये मैं विरोधी दलों द्वारा उठाई गई आपत्ति को लेना चाहता हूं। सबसे पहले मैं एक ऐसे व्यक्ति, जिनके दल का लोक सभा में एक भी सदस्य नहीं है, तथा जिन्होंने इस करार को मालिक-गुलाम घोषणा पत्र के रूप में वार्णित किया है की बात पर ध्यान नहीं देना चाहता हूं। मैंने उनकी बात की अनदेखी इसलिए की, क्योंकि मैंने सोचा कि सम्मति इससे किसी व्यक्ति के पहले के जीवन प्रारम्भिक स्थितियों का स्मरण हो जाए। इसलिये, मैं इसका उत्तर देना नहीं चाहता।

सायं 6.00 बजे

जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, मेरे मन में भूतपूर्व माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के प्रति बहुत आदर है। उन्होंने पहले ही यह कहा है कि एक संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये, जो अपना प्रतिवेदन दे तथा जिसके संबंध में संसदीय अनुमोदन दिया जाना चाहिये। संविधान हमारे राजनैतिक ढांचे का मूलाधार है और केवल मंत्रिमंडल का अनुमोदन अपेक्षित है। जब वे सत्ता में थे, तो वे क्या कर रहे थे?

अंत में, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि संपूर्ण राष्ट्र आपके साथ है; संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) आपके साथ है; संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) की अध्यक्षा आपके साथ हैं; सबसे बड़ी बात यह है कि लोक तांत्रिक प्रगतिशील गठबंधन भी आपके साथ है और प्रथम दर्जे के रणनीतिकार, राजनयिक और राजनीतिज्ञ, डा. कलाईनर आपके साथ हैं। सभी आपके साथ हैं। इसलिये, कृपया निर्भीक होकर आगे बढ़े और इस प्रतिष्ठित राष्ट्रकी कीर्ति और अधिक बढ़ायें।

[श्री एल. गणेशन]

इन्हीं शब्दों के साथ तथा अध्यक्ष महोदय के हस्तक्षेप के कारण, मैं अपने शेष भाषण को सभा पटल पर रखता हूं।

*महोदय, मैं वाम दलों की आलोचना को इतना हल्के से नजर अदांज नहीं कर सकता। मैं उनकी चिंताओं और आशंकाओं को समझता हूं। हमें संयुक्त राज्य अमरीका की बात को यू ही नहीं ले सकते। हम अतंर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राज्य अमरीका के कुटिल चाल को नजर अंदाज नहीं कर सकते और न हमें करना चाहिये। हम इसके द्वारा वियतनाम, क्यूबा, ईरान और इराक में में खेली गई कुटिल चाल को आसानी से नहीं भूल सकते। निस्संदेह, जहां तक संयुक्त राज्य अमरीका का संबंध हैं, हमें सतर्क और चौकन्ना हो जाना चाहिये।

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार तथा 1993 से 2000 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके श्री आर. चिदंबरम ने कहा है:

> ''हमारा तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम मंद नहीं पड़ेगा, जो कि वह आधार हूं जिस पर हमने अपना संपूर्ण कार्यक्रम (करार) बनाया है तब हमारे उन्नत अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम पर कोई असर नहीं होगा। जब भी हमने इस पर गौर किया है, ये सीमा-शर्तें हमेशा रहीं हैं।

''किन्तु जहां तक 123 करार की बात है, यदि सरकार किसी कारणवश परीक्षण करने का निर्णय ले, तो इस करार में ऐसा कुछ भी नहीं हैं जो हमें परीक्षण करने से रोके यह बात उनके 10 अगस्त, 2007 'द हिन्दू' को दिये गये खास साक्षात्कार से उदृत की गई है।

मैं दिनांक 25-7-07 के 'इन्डियन एक्सप्रेस' से उद्धत करता हूं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन का कहना हैं, '' यदि किन्हीं सरल और भावुक कारणों से भारतीय निर्णायक करार को 'नकार' दें, तो उन्हें यह भी निर्णय करना ही चाहिये कि वे परमाणु ऊर्जा विभाग को वर्तमान योजनाओं में यथा परिकल्पित वर्ष 2020 तक 20,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कैसे करेंगे। तथापि, 123 करार के चलते यह संभव है कि सभी प्रकार की ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का भाग 2020 तक 20,000 मेगावाट हो सकता है। बुद्धिमत्तापूर्ण योजना बनाने और प्रभावी विधान से इस लक्ष्य को भी आसानी से पार किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि करार के लिये 'हां, कहना भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के भविष्य के लिये महत्वपूर्ण है।'' निस्संदेह, इस करार में कमियां और खामियां हैं। किंतु अगर हम इस पर काम करें और इसे कार्यान्वित करें। तो उन्हें ठीक किया जा सकता है।

''यह एक अच्छा और सम्मानजनक करार है तथा प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा 2006 में संसद में दिये गये आश्वासन समग्र रूप से पूरे किये गये हैं।*

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष को हमेशा ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। *[हिन्दी]* हमारे पास तो केवल यही बोलने का मौका है कि *[अनुवाद]* कृपया बैठ जाइये। *[हिन्दी]* हमें तो कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिलता।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा का समय सायं 7 बजे तक बढ़ा दिया जाये। अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों के बारे में आज दी गई पूर्व सूचनायें कल के लिये मान्य होंगी। जबकि ध्यानाकर्षण के रूप में आने वाले विषयों को सोमवार को चर्चा हेतु लिया जाएगा।

सायं 6.01 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

तैंतालीसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं कार्य-मंत्रणा समिति का तैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सायं 6.03 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

भारत-अमरीका परमाणु समझौता—जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाई आपके दल को 2 मिनट मिले हैं, लेकिन मैं आपको बोलने के लिए 5 मिनट दूंगा।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, ये 5 मिनट किसी अन्य वक्ता को दे दीजिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आपको छह मिनट का समय दूंगा। कृपया अब अपना भाषण आरम्भ कीजिए। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपना भाषण शुरू कीजिए और वे अति महत्त्वपूर्ण मुद्दों को नोट करेंगे। मैं क्या कर सकता हूं? आपके माननीय नेता 46 मिनट तक बोले हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आप 5 मिनट में अपनी बात कहने की कोशिश कीजिए।

[अनुवाद]

संसद को अपने ज्ञान से वंचित मत कीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, मैं उतना ज्ञानवान नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात शुरू कीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, मैं उसी बात को दोहराता हूं जो विपक्ष के माननीय नेता कर चुके हैं कि वामपंथियों की भांति हम किसी विभ्रम के शिकार नहीं हैं और हम किसी अमरीकी भय के शिकार भी नहीं हैं। इस परमाणु संधि को लेकर हमारी एकमात्र आपत्ति केवल यह है कि इस संधि से भविष्य में हमारे किसी प्रकार के परमाणु परीक्षण को रोकने पर रोक लगेगी और यह हमें हमारे शत्रुतापूर्ण रवैया रखने वाले पड़ोसियों के विरूद्ध कोई निवारक परमाणु क्षमता विकसित करने से भी रोकेगी। हमें केवल इसी बिंदु पर आपत्ति है।

महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था। विपक्ष के माननीय नेता ने एक मुद्दा उठाया था और वह मुद्दा यह था कि यदि हम 123 संधि का उल्लंघन करके परमाणु परीक्षण करते हैं तो हम प्रतिबंधों को आमंत्रित करेंगे। ठीक है, हम पश्चिम-अमरीका और उसके सहयोगी देशों के प्रतिबंधों को आमंत्रित करेंगे। अब, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह कहना है कि इस संधि में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें कोई भी परीक्षण करने से रोके। मैं भी उनसे सहमत हूं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि विपक्ष के माननीय नेता ने कहा है कि वे स्वयं अपनी ओर से हम पर प्रतिबंध लगाएं और हम एक संधि के माध्यम से उनके प्रतिबंधों को आमंत्रित करे, तो क्या इन दोनों बातों में कोई अंतर है। कांग्रेस के दो माननीय सदस्य तैयारी करके आए थे लेकिन उन्होंने विपक्ष के माननीय नेता की बात नहीं सुनी और उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। मैं माननीय विदेश मंत्री या माननीय प्रधानमंत्री जी से यह पूछूंगा यदि वे कभी इसका उत्तर देंगे तो उन्हें इस प्रश्न का भी उत्तर देना होगा कि क्या अमरीका द्वारा स्वयं हमपर प्रतिबंध लगाने और हमारे द्वारा इन प्रतिबंधों को स्वयं आमंत्रित करने में कोई अंतर है? इन दोनों बातों में कोई अंतर है या नहीं।

दूसरी बात यह है कि जब विपक्ष के माननीय नेता ने यह कहा था कि हम अमरीकी निरीक्षण को (अपने) परमाणु प्रतिष्ठानों का दौरा करने की अनुमति देंगें तो सत्तापक्ष, कांग्रेस ने यह कहा था कि इस समझौते में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैं 123 समझौते के उस प्रावधान पर आ रहा हूं। यदि सरकार ने अमरीकी समझौते को स्वीकार कर दिया है और 123 समझौते में निगरानी के प्रावधान को भी लागू किया तो इसके अनुच्छेद 12(3) में लिखा है, ''जब भारत और अमरीका के बीच इस समझौते के अनुसरण में कोई समझौते या संविदा पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और उसके अनुसार इससे जुड़े संगठनों को अपने विशेषज्ञों को एक-दूसरे के यहां भेजने की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो दोनों पक्ष उन विशेषज्ञों को अपने क्षेत्र में संबंधित देश के कानून, विनियमों और परंपराओं के अनुसार प्रवेश करने की अनुमति देंगे और वहां ठहरने का प्रबन्ध करेंगे।'' यह क्या है। यदि इसका अर्थ अमरीकी विशेषज्ञों को हमारे परमाणु प्रतिष्ठानों में प्रवेश करने की अनुमति देना नहीं है तो और क्या है? माननीय प्रधानमंत्री या माननीय विदेश मंत्री उत्तर देते समय यह कह दें कि यह गलत है और हमने जो कहा वह गलत है।

एन.एस.जी. से स्वीकृति मिलने के संबंध में भारत के पक्ष में जो माहौल बनने लगा था वह बहुत हल्का पड़ गया है। अब यूरोपीय संघ भारत को छूट प्रदान करने के मामले पर बंट गया है। आस्ट्रेलिया भारत का अच्छा मित्र था। उनके प्रधानमंत्री के बदलने के पश्चात अब संभवतः आस्ट्रेलिया भी इसपर पुनः विचार कर रहा है। आयरलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड ने पहले इसकी आलोचना की थी। बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड और आस्ट्रिया जैसे देश अप्रसार संधि के प्रबल पक्षधर हैं। चीन समर्थन में थोड़ा शोर-शराबा कर रहा है। केवल छोटे देश ही इसका विरोध करने जा रहे हैं।

[श्री खारबेल स्वाईं]

इन सब में सबसे संदेहास्पद बात यह है कि क्या नई दिल्ली इस संधि के संबंध में अगला कदम उठा पाएगी। अब वे हम पर विश्वास नहीं करते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो कि यहां उपस्थित हैं, यह पूछता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय, आपने एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षरर करने से पूर्व अपने सहयोगी दलों के बीच सहमति बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्या आप यह महसूस करते हैं कि आपके सहयोगी और आपके समर्थक दल आपको समर्थन दे रहे हैं? क्या आपने यह देखा है कि जब आपके सदस्य बोल रहे थे तो केवल कांग्रेस के लोग मेजें थपथपा रहे थे और अन्य खामोश बैठ थे? अब आप यह भी देखिए कि इस संधि के प्रति उनका क्या रवैया है। अत:, केवल कांग्रेस इस संधि का समर्थन कर रही है और लगभग अन्य सभी दल इसका विरोध कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सं.प्र.ग. गठबंधन के सभी दल इसका समर्थन कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[अनुवाद]

कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, देश को बिजली चाहिए या नहीं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : प्रधानमंत्री महोदय, यदि आप अंतत: इस संधि को कार्यान्वित करने में असफल रहते हैं तो क्या आप इस देश को हंसी का पात्र नहीं बना देंगे? क्या भारत विश्व समुदाय में अपनी साख नहीं खोने जा रहे है? आपने ऐसा क्यों किया? यदि आप में क्षमता नहीं थी तो आपने ऐसा समझौता करने का प्रयास क्यों किया? प्रधानमंत्री महोदय, इस तरह से कार्य करके आपने देश के चरित्र का चित्रण एक भ्रमित, गैर-जिम्मेदार और सशंकित व्यक्ति जैसा को दिया है।

अंत में, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री महोदय, यदि हम भविष्य में सत्ता में आए...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : कोई मौका नहीं है। आप केवल उसका स्वप्न देख सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं? वे अपनी आशा को अभिव्यक्त करने के अधिकारी हैं।

श्री खारबेल स्वाईं : जब हम भविष्य में सत्ता आएँगे तो हम हर संभव तरीके से इस संधि पर पुन: बातचीत कर, जो शर्तें इस देश के हितों के विरूद्ध हैं उन्हें हटाकर इसे कार्यान्वित करेंगे जिससे कि देश की खोई हुई साख वापस आ सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं, आपने थोड़े से समय में कितने अच्छे मुद्दे उठाए हैं। आपका धन्यवाद।

(व्यवधान)

***श्री डी.के. आदिकेसवुलु** (चित्तूर) : महोदय, मैं सभा का ध्यान 18 जुलाई, 2005 को भारत-अमरीका के बीच किए गए परमाणु समझौते से संबंधित मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी बार-बार देश के साथ किए गए वायदे से पीछे हटते रहे हैं। जब भी ये अपने वायदे को नहीं निबाह पाए तो इन्होंने उसके लिए हमेशा एक नया बहाना बनाया है। इस 123 समझौते में आपस में विवाद होने की स्थिति में किसी माध्यस्थम का कोई प्रावधान नहीं किया गया है जबकि संयुक्त राज्य अमरीका के पास वर्ष 1963 में हस्ताक्षरित 123 समझौते में भारत को बहुत कटु अनुभव हुआ था। वर्ष 1963 का समझौता न केवल भारत के पक्ष में था अपितु वह हाइड-अधिनियम जैसे कानूनी दावपेंचों से भी मुक्त था। फिर भी, 15 वर्षों के बाद अमरीका ने एक नए घरेलु कानून के माध्यम से उस संधि की शर्तों को पुर्नपरिभाषित कर उसे प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया।

वर्तमान, 123 समझौते में भारत ने केवल परामर्श करने का अधिकार करने का अधिकार तो पाया परन्तु संयुक्त राज्य को सभी अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दे दिया। इसके विपरीत जापान-अमरीका के बीच

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हुए 123 समझौते में अनुच्छेद 14 के माध्यम से टोकियो के हितों की रक्षा की गई है।

दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद इस समझौते के पांच में से दो बाध्यकारी चरणों को पूरा कर दिया गया है। लेकिन, अब 123 समझौते के माध्यम से एक छठा चरण जोड़ा गया है- पुन: प्रसंस्करण से संबंधित एक पृथक खण्ड 131 समझौता इसके अतिरिक्त, अगले चरणों का अनुक्रम भारत के हितों के विरूद्ध जाकर परिवर्तित किया गया है। 27 जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार, भारत और संयुक्त राज्य के अलग-अलग तथ्य-पत्रों को उजागर किया गया है, भारत को पहले परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के समक्ष आई.ए.ई.ए. सुरक्षापायों पर सहमति देनी पड़ेगी और यहां तक कि इसके 1992 के निर्यात दिशानिर्देशों में से भारत के लिए विशेषरूप से छूट देने हेतु एक प्रारूप बनाने का प्रयास भी किया गया है।

हमारे दल ने यह निर्णय लिया है कि वह भारत-अमरीका के बीच 123 समझौते के द्विपक्षीय कार्यान्वियन के संबंध में नियम 184 के अंतर्गत संसद में वाद-विवाद व मत-विभाजन कराने पर जोर देगा। इसके पीछे यह विचार है कि देश को यह पता लगना चाहिए कि कौन किस पक्ष में है। यह 123 समझौता एक अकेला ऐसा सर्वाधिक खतरनाक मुद्दा है जो राष्ट्र की सम्प्रभुता पर खतरे के रूप में मंडरा रहा है। यू.एन.पी.ए., जिसे आमतौर पर तीसरे मोर्चे के रूप में जाना जाता है, ने भारत-अमरीकी परमाणु समझौते पर अपना विरोध जाहिर कर दिया है और यह आरोप लगाया है कि सरकार ने देश की सम्प्रभुता गिरवी रख दी है।

टी.डी.पी. के प्रमुख श्री एन. चन्द्रबाबू नायडु ने कहा, ''यह संयुक्त राज्य के समक्ष पूर्ण समर्पण है। इसके बाद देश की कोई विदेश नीति नहीं रह जाएगी क्योंकि एक विदेशी शक्ति सरकार को यह निदेश देगी कि उसे किसका समर्थन करना है और किसका विरोध करना है।''

***डा. सी कृष्णन** (पोल्लाची) : मैं तमिल लोगों के नेता श्री वैको के नेतृत्व वाली पार्टी मुर्मालार्ची द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम की ओरसे बोल रहा हूं। हम यह कहना चाहता हैं कि वर्तमान स्वरूप में भारत-अमरीका परमाणु समझौता देश की प्रगति तथा बेहतरी के लिए नहीं है।

अनुच्छेद 5.2 में यूरेनियम के पुन: संसाधन, संवर्धन और गुरू जल के उत्पादन संबंधी प्रौद्योगिकी और उपकरण के हस्तांतरण से संबंधित प्रतिबंधों का स्पष्ट उल्लेख हैं जिनका सामान्यतया अमरीकी विनियमन में संवेदनशील परमाणु प्रौद्योगिकियों (एस.एन.टीज.) के रूप में उल्लेख किया गया है। तथापि, वर्तमान 123 समझौते में गुरू जल प्रौद्योगिकी और उपकरणों को पृथक किया गया है और केवल पुन: संसाधन और संवर्धन प्रौद्योगिकियों को ही एस.एन.टी. के रूप में रखा गया है। जानकार सूत्रों के अनुसार इसका उद्देश्य पुन: संसाधन के लिए न सही बल्कि गुरू जल उत्पादन में भारत की विशेष क्षमता के मद्देनजर यह उससे संबंधित उपकरणों और महत्त्वपूर्ण घटकों की अभिगन्यता की संभावना को सुगम बनाना था। परन्तु किसी भी मामले में गुरू जल प्रौद्योगिकी और उपकरण संबंधी संवेदनशील परमाणु प्रौद्योगिकियों का परिकल्पित हस्तांतरण स्वचालित नहीं है और अनुच्छेद 5.2 के अनुसार ''इस समझौते में किसी संशोधन के उपरांत इसे हस्तांतरित किया जा सकता है'' इसमें कांग्रेस की स्वीकृति आवश्यक है अत: यह एक बाधा है।

आयातित रिएक्टर आधारित परमाणु संयत्रों की पूंजी-लागत कितनी है?

जब हम कोई संयंत्र स्थापित करते हैं तो उसमें कुछ धन लगाया जाता है, जिसे इक्विटी कहा जाता है और शेष ऋण लिया जाता है। केन्द्रीय विद्युत विनियमन आयोग (सी.ई.आर..सी.) के मानकों के अनुसार इसे ऋण-इक्विटी अनुपात कहा जाता है। ताप विद्युत संयंत्रों के लिए ऋण-इक्विटी अनुपात 70 : 30 है। हमें कुल पूंजीगत लागत का 30 प्रतिशत इक्विटी के रूप में लगाने की आवश्यकता है और शेष ऋण लेने की अनुमति है। सी.ई.आर.सी. दिशानिदेशों के अनुसार इक्विटी पर लाभ अनुमत्य है जो कि उपभोक्ता द्वारा शुल्क भुगतान से प्राप्त होता है और जो 14 प्रतिशत है। ऋण पर ब्याज लगता है और ब्याज भी शुल्क में से प्राप्त होता है। अंत में, संयंत्रों का अवमूल्ययन भी होता है जो कि संयंत्र लागत का लगभग 3.6 प्रतिशत बनता है। शुल्क परिकलन करते समय ये सब चीजें इसमें शामिल की जाती है, यदि इन सब घटकों को ध्यान में रखा जाए और संयंत्र की लागत प्रति मेगावाट (प्रति किलोवाट लगभग 20,000 डालर) 9 करोड़ रुपए तथा निर्माण की अवधि के दौरान एकत्रित ब्याज, जैसाकि इस अवधि के दौरान स्पष्ट विद्युत की कोई बिक्री नहीं होती, इस ब्याज सहित कुल पूंजीगत लागत 11.2 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट होगी। आयातित रिएक्टरों के संयंत्रों की पूंजीगत लागत से ही विद्युत के उपयोग की लागत 365 रुपए प्रति यूनिट होगी जबकि ईंधन और अन्य संचालन लागतो सहित कोयले से उत्पादित विद्युत की लागत प्रति यूनिट 2.20 रुपये

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. सी कृष्णन]

से 2.60 रुपए के बीच होगी, यह अन्तर कोयला खान से संयंत्र की दूरी निर्भर है।

कैग की मामले में, परमाणु विद्युत निगम द्वारा ईंधन गुरू जल सहित परिचालन, लागत तथा अन्य परिचालन लागत 1.48 होगी, यदि इसमें पूंजी की लागत भी जोड़ दी जाए तो विद्युत की लागत 5.13 रुपए होगी। यह कोयला आधारित संयंत्रों से दुगनी है।

वेस्टिंगहाउस से मंहगा रिएक्टर खरीदने की तुलना में कोयला भंडारो का पता लगने और उसके कुशलता पूर्वक उत्खनन में कम निधि की आवश्यकता होगी।

अनुच्छेद 5.6 (ख) (ii-v) अमरीका से प्राप्त रिएक्टरों के संचालन हेतु ईंधन आपूर्ति संबंधी आश्वासन के बारे में है। चूंकि ईंधन का उपयोग अमरीकी उपकरणों में किया जा रहा है तो अमरीका हेतु यह बाध्यकारी होगा और उपयोग किए गए ईंधन के संसाधन के लिए कोई सहमति नहीं है इस प्रकार यह एक बाध्यता है। समझौता समाप्त किए जाने की स्थिति में अर्थात् गैर-अमरीकी स्रोत से प्राप्त ईंधन का अमरीकी रिएक्टरों में उपयोग के उपरान्त संसाधन नहीं किया जा सकेगा। अमरीका के साथ इस मुद्दे को भी सुलझाये जाने की आवश्यकता है।

यदि हम स्वदेशी रिएक्टरों की बात करें तो उनकी पूंजीगत लागत आयतित रिएक्टर आधारित संयंत्र की लागत का लगभग दो-तिहाई होगी। आयतित रिएक्टरों की तुलना में, भारतीय रिएक्टरों से उत्पादित परमाणु विद्युत की लागत काफी कम होगी। फिर भी, कोयला आधारित संयंत्र की तुलना में यह काफी मंहगी होगी।

अत: तमिल लोगों के नेता श्री वैको के नेतृत्व वाली मुर्मालार्ची द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम पार्टी की तरफ से मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान स्वरूप में भारतीय-अमरीका परमाणु समझौता हमारे देश की प्रगति और बेहतरी के लिए ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह बहस तो दो दिन चलनी थी।

अध्यक्ष महोदय : आप माने नहीं, एक दिन माने थे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जवाब कब होगा?

अध्यक्ष महोदय : आधे घंटे के बाद होगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : लेकिन हमें साढ़े आठ बजे बताया गया था।

सायं 6.11 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री निखिल कुमार – केवल पांच मिनट। मैं आपको आबंटित समय के अनुसार बता रहा हूं।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : मैं दो बातों के साथ अपना भाषण शुरू कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : लोक सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय की बहरीन के विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल के साथ सायं 7 बजे से रात्रि 8.15 बजे के बीच बैठक पहले से ही नियत थी। अतएव हमने अध्यक्ष महोदय से रात्रि 8.30 बजे तक सभा में वापस आने का अनुरोध किया है और इसका उत्तर उसी समय दिया जाएगा। इस बीच सूचीबद्ध वक्ता अपने आबंटित समय में भाषण दे सकते हैं। आबंटित समय में हम इस पर चर्चा कर सकते है हमें कोई आपत्ति नहीं है। इन विचारों को सुनकर प्रत्युत्तर देगी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह बात आप पहले बताते।

श्री खारबेल स्वाईं : आप पहले बताते, हम लोग तो बार-बार कोआपरेट कर रहे हैं। हम जब बोलने के लिए खड़े हुए तो कहा गया कि सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : बड़ी पार्टियों का समय समाप्त हो रहा है। बहुत से निर्दलीय सदस्य हैं, उन्हें भी बोलना है।...*(व्यवधान)* आप पूरी बात नहीं सुनते, यही एक प्राब्लम है। पहले मेरी बात सुन लें। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : मुझे कहा गया कि जल्दी समाप्त करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं, हम कल इस पर चर्चा जारी नहीं रखेंगे।...*(व्यवधान)* कार्यमंत्रणा समिति में हम इस बात पर सहमत हुए हैं...*(व्यवधान)* इस चर्चा को रात्रि 8.30 बजे तक समाप्त करने की कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* आपको गलतफहमी हुई है, मैं इसे दोहराता हूं। कृपया समझिए कि सरकार ने इस पर जोर नहीं दिया है। हमें माननीय अध्यक्ष महोदय का संदेश मिला था कि उनका सायं 7.00 बजे बहरीन के प्रतिनिधि-मंडल से मिलना नियत है। उस समय माननीय उपाध्यक्ष महोदय या कोई अन्य पीठासीन हो सकता है दूसरे, प्रत्येक दल के लिए समय आबंटित है। पार्टियों के लिए आबंटित समय समाप्त हो जाने पर यदि कोई निर्दलीय सदस्य या अन्य माननीय सदस्य बोलना चाहेगा तो उन्हें दो या तीन मिनट बोलने का समय दिया जाएगा। जब भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय निर्देश देंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि माननीय अध्यक्ष महोदय रात्रि 8.30 बजे विनिर्णय दे देंगे और उन्हें उत्तर देना होगा...*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य : यह गम्भीर चर्चा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : गम्भीर चर्चा को गम्भीरता से लिया जाना चाहिये, हल्के ढंग से नहीं...*(व्यवधान)*

हमने कार्यमंत्रणा समिति में निर्णय लिया था कि आज 'परमाणु करार' के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाएगा। अतः हम कल इस पर चर्चा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हमारे सदस्य कम बोले हैं। उन्हें पांच मिनट भी नहीं दिए गए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री निखिल कुमार, कृपया केवल पांच मिनट ही बोलिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपके सदस्य अब बोल चुके हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : फिर साढ़े आठ बजे तक क्या करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : जरूरी नहीं है कि साढ़े आठ बजे तक ही यह विषय चलेगा।

श्री निखिल कुमार, आप केवल पांच मिनट में अपनी बात कहें।

श्री निखिल कुमार : पांच मिनट तो बहुत कम हैं।

[अनुवाद]

मैं कहना चाहता था कि मैं केवल दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो यह कि विपक्ष के नेता का भाषण बहुत ही निराशाजनक था ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप समय बर्बाद कर रहे है।

[हिन्दी]

आपने पांच मिनट में समाप्त करना है और आप ऐसे ही समय व्यतीत कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार : महोदय, मैंने अपनी बात शुरू कर दी है। मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि माननीय विपक्ष के नेता। का भाषण बहुत निराशाजनक था। दूसरी बात यह है कि अमरीका के साथ एक बढ़िया परमाणु असैनिक सहयोग करार करने के लिए संप्रग सरकार के दृढ़ निश्चय और साहस के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी धन्यवाद और प्रशंसा के पात्र है।

माननीय विपक्ष के नेता ने बताया था कि डा. भाभा चाहते थे कि भारत परमाणु बम का परीक्षण करे तो वह एन.डब्ल्यू.एस. बन सकता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इसका कारण यही है। यदि आप याद करें माननीय विपक्ष के नेता के लिए मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जब भारत सरकार निःशस्त्रीकरण की नीति

[श्री निखिल कुमार]

जारी रखने की इच्छुक थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने गुटनिरपेक्ष देशों से आग्रह किया था कि निशस्त्रीकरण के लिए जो कुछ किया जा सकता है वह किया जाएं और उस समय भारत परमाणु परीक्षण करना नहीं चाहता था।

ऐसी बात तो तभी सामने आयी जब यह स्पष्ट हो गया कि निशस्त्रीकरण का कोई भविष्य नहीं है और हमारे देश में तथा आस पास की सुरक्षा व्यवस्था के वातावरण के कारण परमाणु हथियारों के परीक्षण की आवश्यकता पड़ी। इसी कारण से वर्ष 1974 में पोखरण-1 परीक्षण किया गया। माननीय विपक्ष के नेता के ध्यान में यह बात लाये जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने दूसरी बात यह कही कि यू.पी.ए. सरकार द्वारा समझौते के बारे में भ्रामक घोषणा की गयी है कि यह मात्र असैनिक परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। मेरा कहना है कि ऐसी कोई भ्रामक घोषणा नहीं की गई है। यह परमाणु समझौता जितना हमारे सामरिक उपयोग के लिए है उतना ही असैनिक प्रयोजना हेतु है। यह इस बात से स्पष्ट है कि समझौते में सैनिक और असैनिक अलग-अलग पहलू हैं। ऐसा अमेरिका के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात किया गया। यह भी स्पष्ट है कि कतिपय रिएक्टर सामरिक प्रयोजन हेतु उपयोग किए जाएंगे तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार का कोई भी रिएक्टर आई.ए.ई.ए. द्वारा निरीक्षण किए जाने वाले की परिधि से बाहर रहेगा। यह हमारे लिए, वार्ता दल के सदस्यों तथा इस बात-चीत में भारत की प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। ऐसा हमारे प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री द्वारा इस दिशा में किए गए नेतृत्व के कारण ही हुआ है। इस बात को रिकार्ड किया जाए कि ऐसी कोई भ्रामक घोषणा नहीं की गई थी जैसा कि प्रतिपक्ष के माननीय नेता द्वारा आरोप लगाया गया था। इस संबंध में समझौते के सैनिक और असैनिक अलग-अलग पहलू एकदम स्पष्ट हैं और इस बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए। अत: यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और इसके लिए भू.पी.ए. सरकार बधाई की पात्र है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके द्वारा हमें उच्च प्रौद्योगिकी हासिल होगी। परमाणु समझौता मात्र परमाणु हथियारों से संबंधित नहीं है। परमाणु समझौते का हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में मैं कृत्योजेनिक इंजन का उदाहरण दूंगा। हमें इसे पूर्णत: विकसित करने में 13 वर्ष लग गए। यदि हमें उच्च प्रौद्योगिकी प्राप्त होती तो हम कृत्योजेनिक इंजन बहुत पहले ही बना लेते।

हमें आशा है कि एन.एस.जी. से हमारी बात चीत सफल होगी। हम उन्हें समझाने में सफल होगें तथा वे अपनी शर्तों में ढील देंगे, ऐसे करने के पश्चात हम उच्च प्रौद्योगिकी प्राप्त कर सकेंगे।

पिछले दिनों मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि हमारे वामपंथी मित्रों ने माननीय प्रधान मंत्री से यह प्रश्न किया कि रूस के साथ रिएक्टर के बारे में ऐसा समझौता क्यों नहीं किया गया। ऐसा तब तक संभव नहीं हो पायेगा जब तक एन.एस.जी. अपने दिशा निर्देशों में संशोधन न करे क्योंकि रूस भी एन.एस.जी. के 44-45 सदस्य देशों की तरह ही इसका एक सदस्य है। एन.एस.जी. के साथ इस सफल वार्ता का यह भी एक कारण है। यह सब तभी संभव होगा जब भारत-अमेरिका समझौता हो जाता है। यह हमारे भावी विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक है।

सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में उल्लेख किया जा चुका है तथा मैं समय के अभाव में इसे शीघ्र समाप्त करूंगा। देश में विद्युत की आवश्यकता है। देश को 'बिजली' चाहिए। यहां बैठे सदस्यों को जानकारी नहीं है, निस्संदेह दूसरी तरफ के हमारे कतिपय मित्रों को भी यह पता नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका का अनुसरण कर रहें है। उन्हें यह बात अवश्य ही समझनी चाहिए कि देश को विद्युत की आवश्यकता है। परमाणु ऊर्जा से प्राप्त इस विद्युत से हम बहुत विकास कर सकेंगे। कृषि को इससे बहुत लाभ होगा। इस समय सरकारी सिंचाई योजनाओं और नहरों के अभाव में किसान सिंचाई को लेकर चिंतित है। किसान अपने ट्यूब्वेल पर निर्भर है परन्तु विद्युत के अभाव में ट्यूब्वेल भी नहीं चलाया जा सकता है। सभी किसान डीजल से ट्यूब्वेल चलाने की स्थिति में नहीं हैं। यदि किसानों के पास विद्युत होगी तो उन्हें लाभ होगा।

उद्योग की भी यही स्थिति है चाहे वे मध्यम, बड़े या लघु उद्योग हों। बिना विद्युत के कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता है। मैं अपने राज्य के दो उदाहरण देता हूं। अस्तित्व में आने के समय से ही झारखंड एक पिछड़ा राज्य था और यह ज्यादा कृषि पर आधारित है क्योंकि यहां कोई उद्योग नहीं है। बिना बिजली के उद्योग स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। इसी तरह बिहार में विद्युत का अत्यधिक अभाव है। बिहार को परमाणु ऊर्जा से यदि विद्युत आपूर्ति संभव हुई तो स्थिति एकदम बदल जाएगी। इसके साथ ही सोचिए यह स्थिति कितनी सुखद होगी जब गांवों में लोगों के घर विद्युत

से जगमगा जायेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि भोजन पकाने हेतु उन्हें उपलों या एल.पी.जी. सिलंडर जो अधिकतर लोग खरीद भी नहीं सकते हैं, पर निर्भर नहीं रहना होगा।

यहां मुद्दा देश के सभी गांवों में विद्युत उपलब्ध कराना है। सभी घटों को विद्युत आपूर्ति करनी है चाहे वह दलित हो या कोई अन्य लोग इसी बिजली की मांग कर रहें हैं तथा यू.पी.ए. सरकार देश के सभी घरों में चाहे वह शहर में हो या अर्ध-शहरी या दूरस्थ इलाके में स्थित गांव हो वहां बिजली की आपूर्ति करने हेतु कटिबद्ध है।

अत: महोदय, इस विधेयक का केवल सामरिक महत्व ही नहीं है बल्कि यह इस देश के विकास के लिए है। यदि हम अमेरिका के साथ यह समझौता नहीं करते हैं तो हमारी प्रगति में यह बहुत बड़ी बाधा रहेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से सिफारिश करूंगा कि सभा इसे स्वीकार करे। छोटी-छोटी बातों के अलावा हमें परमाणु परीक्षण करने से रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हमें अमेरिका का पिछलग्गू होने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर यू.पी.ए. सरकार को इस परमाणु समझौते के लिए बधाई देता हूं तथा मैं सिफारिश करता हूं कि सभा इसका समर्थन करे।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर) : महोदय, धन्यवाद, भारत-अमेरिका असैनिक परमाणु सहयोग समझौता देश तथा विदेश में व्यापक चर्चा का विषय बन गया है।

महोदय, हम हर वर्ष करोड़ों रुपये व्यय कर घरेलू यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। यदि भारत-अमेरिका समझौता हो जाता है तो हमें बहुत सस्ती दर पर यूरेनियम प्राप्त होगा। इसलिए हमें समझौता करना चाहिए बशर्ते कि इससे हमारी संप्रभूता पर आंच न आए।

महोदय, भारत की स्वतंत्रता के पिछले 60 वर्षों के दौरान देश ने अपनी विदेश नीति के साथ कभी भी समझौता नहीं किया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि असैनिक परमाणु सहयोग समझौते से देश के आत्म सम्मान पर आंच नहीं आनी चाहिए। हमें यूरेनियम सस्ती दर पर मिल सकता है। परन्तु हमें किसी अन्य देश के आगे नहीं झुकना चाहिए। हमारा महान देश यूरेनियम के लिए किसी के आगे नहीं झुकेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि देश हित और गौरव के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि सभी दलों को विश्वास में ले कर स्वतंत्र विदेश नीति को जारी रखें तथा देश की एकता और अखंडता को कायम रखें। अमेरिका के साथ परमाणु समझौते की बात-चीत में इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के लाभ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनक्लीयर न्यूक्लियर डील का समर्थन भी करता हूं और विरोध भी करता हूं। अनक्लियर इसलिए कि हमें प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा नहीं थी कि वह सदन को गुमराह करेंगे, अमेरिका में जाकर वक्तव्य दें कि हमें न्यूक्लियर समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आदर करता हूं लेकिन उनके इस वक्तव्य से देश में और सारी दुनिया में बहुत अनिश्चितता का वातावरण बना, फिर मीडिया के माध्यम से नई तरह की खबरें छपीं, कभी इसे न्यूक्लियर एग्रीमेंट कहा गया, कभी इसे न्यूक्लियर डील कहा गया और कभी इसे न्यूक्लियर कामर्स कहा गया। डील का अर्थ कुछ और होता है, मैं कांग्रेस में रहा हूं मुझे मालूम है। अनिश्चितता का वातारण न रहे और स्पष्ट वातावरण बने, मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में इसका उद्बोधन करेंगे। आज न्यूक्लियर पावर का जनरेशन तीन प्रतिशत होता है, 2020 तक आप सात प्रतिशत करने वाले हैं यानी 13 साल में चार प्रतिशत न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया। यह क्यों किया- इसे आप जानें और इसका उत्तर दें। डा. ए.एन. प्रसाद, जो भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर के भूतपूर्व डायरेक्टर रहे हैं, उनका वक्तव्य है-

[अनुवाद]

> ''भारत को धीरे-धीरे आयात पर निर्भर होने के लिए मजबूर किया जाएगा तथा लगभग सभी गतिविधियां सुरक्षा उपायों तथा निरीक्षण के तहत आ जाएंगी और बहुत कम गतिविधियां सामरिक श्रेणी में रह जाएंगी।''

यह उन्होंने कहा था। एक अन्य विशेष बृह्म चेलानी की इस विषय पर निम्नवत राय है:

[श्री लक्ष्मण सिंह]

''विधिनिर्माण का संबंध ऊर्जा से कम था और सारा जोर एन.पी.टी. पर था। सरकार को रेडियोधर्मी दुर्घटनाओं, को रोकने परमाणु अपशिष्ट के निपटान तथा परमाणु संयंत्रों पर आतंकवादियों के संभावित हमले से उत्पन्न खतरों के बारे में लोगों को अधिक स्पष्ट रूप से जानकारी देनी चाहिए। दुर्भाग्यवश: ऐसा नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन मुद्दों पर ध्यान दे तथा इन अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श करें।''

[हिन्दी]

कांग्रेस की तरफ से जो वक्ता बोले, मैंने उन्हें बहुत ध्यान से सुना. लेकिन न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बहुत से सदस्य नहीं बोले। उधर से ज्योतिरादित्य जी ने अच्छी शुरूआत की, अच्छा बोले, बच्चा अच्छा बोला, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विश्व में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं, जैसे 1986 में रूस के चेरनोबिल में रेडियों एक्टिव मैटिरियल लीक हुआ और उसका परिणाम यह निकला कि वहां तरह-तरह के कैंसर फैले और लगभग ढाई लाख गर्भवती महिलाएं प्रभावित हुई। यूएस में 1989 में क्या हुआ, थ्री माइल आइलैंड में रेडियो एक्टिव मैटिरियल लीक हुआ, वहां ईश्वर की बहुत कृपा रही कि बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ। रूस में 1957 में यूराल माउंटेन में न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल किया गया, पहाड़ के ऊपर गड्ढा खोदा और न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल किया जिससे वहां बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट क्यों हुआ, कोई असावधानी बरती गई होगी तभी वहां इतना बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें हजारों लोग हताहत हुए, प्रभावित हुए। मैं मानता हूं और मुझे अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया पर गर्व है कि उनके पास न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल की तकनीक है।

गारबेज वेस्ट डिस्पोजल की तकनीकी हमारे पास है, लेकिन क्या लालफीताशाही के कारण गारबेज डिस्पोजल हो रहा है - नहीं हो रहा है। इलैक्ट्रोनिक वेस्ट डिस्पोजल की तकनीकी हमारे पास है, लेकिन क्या इलैक्ट्रोनिक वेस्ट का डिस्पोजल उस तरह से हो रहा है, जिस तरह से होना चाहिए- नहीं हो रहा है। फिर से लालफीताशाही इसमें आड़े आ गई। हमें यह आशंका है कि न्यूक्लियर वेस्ट के डिस्पोजल पर भी अगर लालफीताशाही लगाई गई, तो कहीं कोई दुर्घटना न घट जाए।

इसलिए उपाध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वर्तमान में जो हमारे न्यूक्लियर संस्थान हैं और जो लगने वाले हैं तथा जो लोग इन्हें चला रहे हैं, आप उन्हे स्वायत्ततादीजिए, उन्हें आटोनोमी दीजिए और उन पर छोड़िये - तभी हम न्यूक्लियर वेस्ट के डिस्पोजल...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको पांच मिनट हो गये हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : पांच मिनट कहां हो गये हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत लोग बोलने वाले हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : यूनाइटेड स्टेट्स में 1974 से कोई न्यूक्लियर पावर प्लान्ट नहीं लगाया गया है। यह सोचने वाली बात है कि जो देश 1974 से आज तक न्यूक्लियर पावर प्लान्ट नहीं लगा रहा है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी बोलने वाले हैं, आपकी बारी भी आने वाली है। अगर आप इन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो वह भी आपको डिस्टर्ब करेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : वह हमें न्यूक्लियर पावर प्लान्ट लगाने के लिए क्यों उत्साहित कर रहा है। इसका क्या कारण है? जो देश अपने यहां न्यूक्लियर पावर प्लान्ट नहीं लगा रहा है, वह हमसे कह रहा है कि आप लगाइये। 15 वर्ष के अंदर उन्होंने कई न्यूक्लियर पावर प्लान्ट्स और रिएक्टर्स बंद कर दिये हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि वहां के मीडिया और जनता का उन पर दबाव है। अब अपनी जनता और मीडिया के दबाव से अमरीका अपने यहां न्यूक्लियर पावर प्लान्टस नहीं लगाता है, लेकिन हमारे ऊपर भले ही मीडिया और जनता का दबाव हो, लेकिन हमसे कहता है कि हम लगाएं। यह दोहरी नीति समझ में नहीं आई। इसका एक कारण और है कि 1990 के दशक से लेकर आज तक एशियाई देशों में लगभग 64 प्रतिशत न्यूक्लियर पावर जनरेशन बढ़ी है। यह उनके लिए चिंता का विषय है कि कहीं एशिया के देश सुपर पावर न बन जाएं। क्योंकि सुपर पावर केवल अमरीका या रूस हो सकता है, जिनके पास पचास हजार न्यूक्लियर हथियार हैं। लेकिन हमारे पास अभी वर्तमान में 18-20 न्यूक्लियर हथियार हैं और आगे हम इन्हें बनाने की बात करते हैं, तो हम पर बंदिश लगाई जाती है - यह दोहरी नीति है।

उपाध्यक्ष महोदय, 123 एग्रीमैंट की बहुत सारी बातें हैं। अब इस 123 एग्रीमैंट में जो आर्टिकल 14.2 है, वह क्या कहता है-

[अनुवाद]

"भारत द्वारा परीक्षण की स्थिति में समझौते के तहत तत्काल द्विपक्षीय परामर्श का प्रावधान है जिसके अनुसार इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि बदले हुए सुरक्षा वातावरण या अन्य राष्ट्रों द्वारा इसी प्रकार की कार्यवाही जिसके कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने के बारे में पार्टी की गहरी चिंता के फलस्वरूप क्या इन परिस्थितियों के चलते इसे समाप्त किया जा सकता है।"

[हिन्दी]

चलिये हम इस बात को मानते हैं, लेकिन क्या हम अपने परमाणु हथियार इसलिए नहीं बनायें क्योंकि यू.एस. ऐसा चाहता है। लेकिन अगर हम पर हमला हो जायेगा तो क्या तब नेशनल सिक्युरिटी की बात उठेगी। जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने सुरक्षा के मामले में पत्रकारों के सामने जाकर जिस तरह की सफाई, जिस तरह का स्पष्टीकरण देना चाहिए था, वह नहीं दिया और उसकी वजह से बहुत सारे सवाल खड़े हो गये।

महोदय, अगर हम इसे गहराई से देखें तो परमाणु परीक्षण की राजनीति भी हुई है और अभी भी हो रही है। सबसे पहले परमाणु परीक्षण किसने किया? सबसे पहले परमाणु हथियार किसने बनाया? परमाणु हथियार यदि सबसे पहले किसी ने बनाया तो वह यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका ने बनाया। परमाणु हथियार का परीक्षण यदि किसी ने किया तो यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में किया और उसके बाद रूस ने किया। रूस जबकि वारसा पैक्ट का अध्यक्ष था, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो वारसा पैक्ट हुआ था, रूस उसका अध्यक्ष था। उसके बाद भी उन्होंने परीक्षण किया और न्यूक्लियर हथियार बनाए। इसलिए हम अगर न्यूक्लियर हथियार बनाते हैं और सुपर पावर कहलाने के लिए प्रयास करते हैं, तो किस तरह से हमें दोष दिया जा सकता है?

एनर्जी के लिए आप कह रहे हैं कि सरकार न्यूक्लियर एग्रीमेंट करने जा रही है। बहुत अच्छी बात है - करिए, लेकिन क्या हम एनर्जी के जो अन्य सोर्सेज हैं, क्या उनको नहीं ले सकते? सौर ऊर्जा की हमारे पास अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास टैक्नालाजी मौजूद है। हम टैक्नोलाजी और विकसित कर सकते हैं? हम टैक्नालाजी दूसरे देशों को दे सकते हैं? क्यों न हम प्रयास करें कि हम सोलर सुपर पावर बनकर दिखाएं- इसमें क्या बुराई है?

आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण यू.एस., यूरोप और यू.के. में गर्मी बढ़ रही है। हम अपनी सोलर पावर टैक्नालाजी विकसित करें, अपनी सोलर पावर की टैक्नालाजी इन देशों को बेचें, यह एक बहुत बड़ा मार्केट है, सारी दुनिया हमारे लिए एक मार्केट है। वहां अगर हम बेचें तो बहुत अच्छी बात होगी।

विंड पावर, यानी पवन ऊर्जा की आज 13 राज्यों में 45.000 मेगावाट के उत्पादन की क्षमता है।...*(व्यवधान)* हमने कितना उत्पादन किया है? उसकी तुलना में बहुत कम है। बायोमास का उत्पादन भी हम कर सकते हैं। यह कृषि प्रदान देश है। बायोमास का उत्पादन भी यहां जितना होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है।

अंत में मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी, आप इस डील में जितनी पारदर्शिता ला सकते हैं, लाएं। जो हमारे परमाणु के संस्थान हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएं और जो संस्थान चला रहे हैं, उनको स्वायत्तता दी जाए और भविष्य में यह देखा जाए कि हमारा परमाणु उत्पादन बढ़े, हम एक सुपर पावर बनकर उभरें, लेकिन हमारे देश में परमाणु संस्थानों के कारण कोई ऐसी दुर्घटना न हो, जो और देशों में हुई है।

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, बोलने का अवसर देने हेतु बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, श्री रूपचंद पाल की बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए तथा प्रो. राम गोपाल यादव की बातों का समर्थन करते हुए मैं इस सम्मानीय सभा में कुछ बातें कहूंगा।

[हिन्दी]

यहां बहुत सी बातें कही गई हैं। उनका निचोड़ यह है कि डिसकशन से पहले बाहर जो पोलिटिकल बहस हुई, उसमें लोगों को गुमराह करने की चेष्टा हुई थी, दोनों तरफ से हुई थी। चाइना की बात कही गई। आज जब चाइना की बात ठोस करके रखने का मौका आया, तो सही बात बतायी गई।

[अनुवाद]

चीन परमाणु क्लब का सदस्य है लेकिन भारत नहीं है। उस तरफ से कोई कह रहा था कि हमें भी क्लब की सदस्यता दी जाएगी। हमें सदस्य बनाने दीजिए। उस समय हम यहां समझौते की शर्तों पर

[श्री तरित बरण तोपदार]

चर्चा करेंगे। इसलिए हमें किसी भी बात की कल्पना कि ऐसा किया जायेगा क्यों करनी चाहिए?

[हिन्दी]

ये सारी बातें गुमराह करने वाली हैं। दूसरी बात आई कि इसे अभी करना होगा, जल्दी करना होगा, अभी नहीं करने से बुश साहब चले जाएंगे, तो कल क्या होगा?

[अनुवाद]

यह श्री बुश और हमारे माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के बीच समझौता नहीं है। यह दो देशों का समझौता है।

[हिन्दी]

जल्दबाजी की क्या बात थी? कोई बात नहीं थी। फिर भी जल्दबाजी की गई और आईएलए का अधिकारी इंडिया विजिट करने आया तो बता दिया कि जल्दबाजी की कोई बात नहीं है, आप बाद में कभी आइए - यानी भंडाफोड़ हो गया। अमेरिका अधिकारी ने भी भंडाफोड कर दिया कि टाइम की कोई बात नहीं है। So, these are the things. गुमराह करने का और दूसरा तरीका लिया गया। वह अपना कानून चलाएंगे, हम अपना कानून चलाएंगे। सही बात है। हम क्यों अमेरिकन कानून को मान्यता देंगे और अमरीका क्यों हमारे कानून को मान्यता देगा, लेकिन अमरीका तो अमेरिकन कानून मानेगा।

[अनुवाद]

अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी विधि का पालन करेंगे। उन्हें हमारी परमाणु सामग्री संबंधी वार्षिक रिपोर्ट देनी होगा।

संक्षेप में, मैं समझौते में शामिल परमाणु सामग्री का ब्यौरा देकर समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

इसके लिये अकाऊंट देना पड़ेगा। वह कुछ भी कहेगा और इसके लिये बैड सर्टिफिकेट दे देंगे। एग्रीमेंट यहां नहीं, उधर है। अगर बैड सर्टिफिकेट दे दिया, तो क्या होगा? इससे तलाक होगा। तलाक में भी एग्रीमेंट होता है, एक तरफ से तलाक चल सकता है। इधर से किसी मैम्बर ने बताया है कि हम भी तलाक दे सकते हैं। एक एग्रीमेंट हो रहा है हाथी और चूहे में।

[अनुवाद]

हमें बराबर कर दर्जा नहीं दिया गया है। हम परमाणु क्लब के सदस्य नहीं है। कृपया ध्यान रखें।

[हिन्दी]

हाईड एक्ट लागू नहीं होगा? हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, उनके ऊपर लागू होगा और अगर लागू होगा तो वह तलाक देगा। तलाक का क्या मतलब होता है? जो दहेज दिया, वह विदड्रा करना पड़ेगा, सब चीज वापस करना पड़ेगा और जो जहां है, वैसा ही रहेगा- इस सब का क्या मतलब है?

[अनुवाद]

अल्फा, बीटा और गामा किरणों को परमाणु सामग्री पर डाल कर टकराने के बाद तथा तत्पश्चात विखंडन के फलस्वरूप अंतिम उत्पादन के रूप में उत्पादित विखंडनीय सामग्री को भी वापस कर दिया जाएगा जो परमाणु बम बनाने हेतु कच्चा माल है। कुछ समय पश्चात *[हिन्दी]* वह कहेगा कि आपने छुपाया हुआ है, क्यों छुपाया? उसके लिये अपने इंस्पैक्टर्स भेजेगा, आप कैसे रोकेंगे? *[अनुवाद]* समझौते की यह सबसे खतरनाक भाग है। ऐसा किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है *[हिन्दी]* कैसे गुमराह करने के लिये ये सारी बातें कही गई हैं? अगर यहां आये हैं तो हमारे होंगे। हमारा 1964 का न्युक्लीयर एक्ट है, जिसे चेंज करना पड़ेगा। *[अनुवाद]* हमें सहमत होना होगा। यहां सबको इस पर सहमत होना होगा। अन्यथा इसे लागू नहीं किया जा सकेगा, *[हिन्दी]* एनर्जी सिक्यूरिटी की बात की जा रही है। न्यूक्लीयर एनर्जी में फिशन निकलता है। हमें अटामिक एनर्जी चाहिये, इसका क्या मतलब है? *[अनुवाद]* आपके पास ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं जिनसे आप ऊर्जा प्राप्त करते हैं। *[हिन्दी]* इसमें जल्दबाजी की क्या जरूरत है? हमारी पार्टी ने 1994 में पालिसी डिसीजन लिया था कि हमारे देश के लिये न्यूक्लीयर एनर्जी नहीं चाहिये। हम उसके खिलाफ नहीं हैं लेकिन न्युक्लीयर एनर्जी के अलग पैर नहीं होते हैं। जो थर्मल एनर्जी वे से जाता है, न्यूक्लीयर एनर्जी वे से जाता है, *[अनुवाद]* आपको मात्र 7 से 9 प्रतिशत प्राप्त होगा। आप इसे 7 से 9 प्रतिशत के लिए क्या दाव पर लगाएंगे?

अब मैं प्रौद्योगिकी की बात करूंगा। *[हिन्दी]* आज दुनिया में कोई पागल नहीं है जो यह कहेगा कि हम अपनी टेक्नोलॉजी देंगे। हम न अपनी टेक्नोलॉजी देंगे और न ही लेंगे। यह उधर वैस्टर्न कंट्रीज में हो सकता है। *[अनुवाद]* क्या विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता

को सुरक्षा कहा जा सकता है? *[हिन्दी]* विदेशों पर निर्भर होकर आप सिक्यूरिटी की बात कहते हैं। यह शब्द हटा दीजिये। *[अनुवाद]* सुरक्षा तथा अन्य देशों पर निर्भरता परस्पर विरोधी शब्द हैं। दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। *[हिन्दी]* थोरियम टैक्नौलोजी के बारे में क्या है? *[अनुवाद]* परमाणु ऊर्जा विभाग को फटकार लगानी चाहिए।

[अनुवाद]

जो बजट उनको दिया जाता है उसका वे क्या कर रहे हैं? थोरियम प्रौद्योगिकी में हम कहां तक पहुंचे हैं? जहां तक मुझे ज्ञात है, थोरियम प्रौद्योगिकी में काफी विकास हुआ है।

[हिन्दी]

जो तीन सूत्री कार्यक्रम कहा जाता है, वे उससे बहुत दूर निकल चुके हैं। *[अनुवाद]* इस समझौते से थोरियम प्रौद्योगिकी के विकास में बाधा आएगी और मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। सर्वप्रथम, हमें यह समझना है कि इस समझौते के हमारी विदेश नीति और हमारी रक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव होंगे। रणनीतिक साझेदारी की बात हो रही है। रणनीतिक साझेदारी का अपना अर्थ है। रणनीति क्या है? इसका अर्थ है भिन्न-भिन्न दृष्टि कोण। *[हिन्दी]* डिफरैन्ट एंगल आफ विजन से डिफरैन्ट कही जाएगी। आपके दृष्टिकोण में स्ट्रैटेजी का मतलब एक है, अमेरिकन एंगल आफ विजन से दूसरा है, चाइनीज एंगल से तीसरा है, रशियन एंगल से चौथा है।

[अनुवाद]

इसलिए, हम समझ गए हैं कि हाइड अधिनियम भारत के लिए एक विशिष्ट अधिनियम है जो अमरीकी राष्ट्रपति को ऐसे देश के साथ समझौता करने की शक्ति प्रदान करता है जो 'न्यूक्लीयर क्लब' का सदस्य नहीं है। यह इस हाइड अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य है। यह शक्ति प्रदान करने वाला अधिनियम है। *[हिन्दी]* यह एनेबल करता है कि अमेरिकन प्रैजीडैन्ट जो कर नहीं सकते हैं, कानून नहीं होगा तो अमेरिकन प्रैजीडैन्ट इंडिया के साथ एग्रीमैंट नहीं कर सकता है। इंडिया क्या, किसी भी देश के साथ नहीं कर सकता। उसमें क्या है? उसमें कम से कम सौ बार लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि *[अनुवाद]* भारत परमाणु अप्रसार संधि '(एन.पी.टी.)' का अनुपालन करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री तरित बरण तोपदार : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। 'एन पीटी' अनुपालन का क्या अर्थ है?

[हिन्दी]

आपने एन.पी.टी. में सही नहीं किया है लेकिन कह रहे हैं कि एन.पी.टी. कंप्लायैन्ट एनवायर्नमैंट और अच्छा करेगा।

[अनुवाद]

महोदय, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति रही है। *[हिन्दी]* अगर किसी के पास एटम बम नहीं होगा। तो हमारा भी नहीं होगा। अगर किसी का होगा तो हमारा भी अधिकार होगा, भले ही हम चाहते हों या नहीं चाहते हों, लेकिन एटम बम बनाने का हमें अधिकार है। हम लोग बता सकते हैं कि अभी मत बनाओ या कभी न बनाओ लेकिन वह हमारा अधिकार है, वह हम नहीं छोड़ सकते हैं। टोटल डिसआर्मामैन्ट होगा। *[अनुवाद]* हम पूर्ण निःशस्त्रीकरण के पक्ष में हैं, आंशिक निशस्त्रकरण के पक्ष में नहीं और यही कारण है कि *[हिन्दी]* एन.पी.टी. कप्लायैन्ट एनवायर्नमैंट बनाने का वायदा अगर प्रधानमंत्री जी ने किया है तो बहुत गलत काम किया है। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि मैं अगले माननीय सदस्य को बुलाऊं, मैं सूचित करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे उसे सभा पटल पर रख सकते हैं। वह सभा की कार्यवाही का भाग होगा।

अब, श्री सुब्रत बोस बोलेंगे। श्री बोस, आप केवल पांच मिनट बोल सकते हैं।

***श्री नवीन जिन्दल** (कुरुक्षेत्र) : महोदय, मैं भारत-अमरीका असैनिक परमाणु सहयोग समझौते का समर्थन करता हूं और मैं बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

अच्छा होता यदि यह वाद-विवाद 13 अगस्त, 2007 को प्रधान मंत्री का भाषण समाप्त होने के तुरंत बात शुरू होता ताकि सरकार सभी दलों की बात सुनने के बाद अपनी स्थिति स्पष्ट कर देती और सभी शंकाओं को दूर कर देती। दुर्भाग्यवश, यह समूचा मुद्दा राजनितिक

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री नवीन जिन्दल]

विवादों में उलझकर रह गया। मुझे खुशी है कि आज इस सम्माननीय सभा को इस मुद्दे पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ जिससे इस समझौते के अनेक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

मैंने विपक्षी सदस्यों के भाषणों को अत्यधिक ध्यान से सुना है। मैंने उन आधारों को समझने का प्रयास किया है जिन पर भारत-अमरीका समझौते का विरोध किया जा रहा है। मुख्य आधार जो दिखाई देते हैं वे ये हैं कि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता है; इससे हमारी परमाणु स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी और इससे हमारी विदेश नीति अमरीका के निर्देशानुसार चलेगी।

महोदय, ये सब आधार गलत धारणाओं और पूर्व संकल्पनाओं पर आधारित हैं जो अतीत की घटनाओं के कारण मस्तिष्क में बनी हुई हैं। ये क्लिष्ट तर्क है, जो तथ्य की अनदेखी करते हैं कि विश्व तेजी से बदल रहा है और न केवल एशिया अपितु पूरे विश्व में नया शक्ति संतुलन उभर रहा है जिसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे लगता है कि कुछ दल राजनैतिक अवसरवाद और विरोध करने की अपनी प्रवृत्ति के कारण इस समझौते का विरोध कर रहे हैं। कुछ अन्य दल इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे अमरीका के इरादों के प्रति शंकित है। मुझे खुशी है कि चीन ने कह दिया है कि उसे इस समझौते से कोई आपत्ति नहीं है जैसा कि मीडिया में बताया गया था। मुझे इस बात की भी खुशी है कि वामदल, जो इस समझौते का विरोध कर रहे थे, वे अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आई.ए.ई.ए.) के साथ बातचीत पर सहमत हो गए हैं।

वर्तमान परिदृश्य में जहां सब कुछ जनता के सामने है, कोई सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता कर सकती है, यह सोचना बचकानापन ही है। जहां तक विदेश नीति का संबंध है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही, जिनकी नीति निरूपण में भूमिका थी, अनेक दबावों के बावजूद भारत तटस्थ रहा है। इस नीति से जरा भी विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह बात हमारी सरकार समय-समय पर स्पष्ट करती रही है। वस्तुतः, विभिन्न मुद्दों पर मतभेद होने के बावजूद विगत में सभी सरकारें इसी नीति पर कायम रही हैं। यह नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इसलिए, यह कहना कि हम अपनी विदेश नीति को अमरीका अथवा किसी अन्य देश के अधीन कर रहे हैं, मात्र कल्पना ही है। मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि हमारा गुट-निरपेक्ष रहने का संकल्प समय के साथ मजबूत हुआ है और हम सदैव गुट-निरपेक्ष ही रहेंगे। देश का हमारे प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री पर पूरा विश्वास है।

महोदय, यह समझौता जिस पर यह सभा चर्चा कर रही है, रातोंरात सामने नहीं आया है। लंबे समय तक प्रचार माध्यमों और जनता ने इसकी जांच की है। सर्वप्रथम, मैं कहना चाहता हूं कि यह समझौता असैनिक परमाणु सहयोग के लिए है, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह और अमरीका के राष्ट्रपति जार्ज बुश के 18 जुलाई, 2005 के संयुक्त वक्तव्य से इस समझौते ने आकार लेना आरंभ किया। शायद पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत को एक जिम्मेदार परमाणु प्रौद्योगिकी उन्नत देश माना गया जिससे अमरीका सैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग करना चाहता था। यह ऐसी बात है जिस पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कार्य की सराहना करनी चाहिए।

अगला महत्वपूर्ण कदम मार्च, 2006 में उठाया गया जब अमरीका राष्ट्रपति बुश भारत के दौरे पर आए थे। भारत की पृथक्कीकरण योजना पर एक समझौता हुआ। उन परमाणु प्रतिष्ठानों की पहचान की गई जिन्हें भारत स्वेच्छा से चरणबद्ध तरीके से सुरक्षापायों के अंतर्गत रखेगा। स्वयं हमारे प्रधान मंत्री ने- यह स्पष्ट कर दिया था भारत इस बात का निर्णय करेगा कि किन परमाणु रिएक्टरों को कितने चरणों में सुरक्षा दायरे में रखा जाएगा, सुरक्षा दायरे में रख इसे में इसके अलावा, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार, भविष्य में परमाणु प्रतिष्ठानों, चाहे वे असैनिक हों अथवा सैनिक, के निर्माण के लिये भारत स्वतंत्र होगा। अमरीका ने परमाणु ईंधन का रणनीतिक आरक्षित भंडार रखने और भारत के रिएक्टरों को सतत आपूर्ति की भारतीय दलील का समर्थन किया। प्रस्तावित आरक्षित ईंधन भंडार में कोई समस्या होने पर अमरीका अन्य मित्र देशों यथा फ्रांस, रूस, इंग्लैंड आदि के साथ मिलकर इसका प्रबंध करेगा। इन सभी कदमों को एक साथ मिलाने से, आने वाले वर्षों में भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी होने और इसके परमाणु प्रतिबंध को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।

बातचीत की लंबी प्रक्रिया के दौरान, हमारे प्रधानमंत्री संसद को स्थिति से अवगत कराते रहे हैं। उन्होंने 29 जुलाई, 2005, 27 फरवरी, 2006, 7 मार्च 2006, 17 अगस्त 2006 को राज्य सभा में और 13 अगस्त, 2007 को स्वतः वक्तव्य दिए। इसके अलावा, प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री समय-समय पर विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं को अवगत कराते रहे हैं। मैं यह सब इस बात पर बल देने के लिए कह रहा हूं कि हमारे नेताओं और सरकार ने अन्य नेताओं और

संसद को और उनके माध्यम से पूरे देश को प्रत्येक बात बताई है। यह पारदर्शिता का स्पष्ट उदाहरण है जिसकी प्रत्येक सराहना करेगा।

यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सभी चरणों में हमारे वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, विशेषज्ञों और प्रचार माध्यमों द्वारा व्यक्त किए विचारों और आपत्तियों को ध्यान में रखा है। सभी क्षेत्रों से प्राप्त इन विचारों के आधार पर हमारे वार्ताकारों ने अपने अमरीकी समकक्षों के साथ अत्यधिक लंबी और शायद सर्वाधिक कठिन वार्ता की है।

महोदय, मैं गर्वपूर्वक कहना चाहता हूं कि इस सुविचारित समझौते के साथ ही, भारत अन्ततः दबाव और नस्ल भेदभाव के एक लंबे युग से बाहर आ गया है। जब मैं एक युवा छात्र था तब पढ़ता था कि कुछ देश जिन्हें महाशक्तियां कहा जाता था, परमाणु हथियारों का भंडारण करते थे लेकिन अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अन्य देशों को ऐसा नहीं करने देते थे। वर्षों तक उन्होंने 1967 की परमाणु अप्रसार संधि जिसे 'एन.पी.टी.' कहा जाता था, पर हस्ताक्षर करने के लिए हम पर दबाव डाला। हम अपनी जगह डटे रहे। हमने अपने प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों यथा डा. होमी भाभा, डा. विक्रम साराभाई, डा. चिदम्बरम और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के जरिए परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा। अमरीका और अन्य देशों ने हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए अनेक प्रतिबंध लगाए ताकि जो परमाणु शस्त्र हमारे पास है वे हम उन्हें सौंप दें और इस दिशा में आगे प्रयास न करे। हमने हार नहीं मानी। दूसरी ओर, हमने अपने प्रयास तेज कर दिए। जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब 1974 में अनेक परीक्षण किए गए। 1998 में हमें एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई जब पोखरण में हमारे वैज्ञानिकों ने प्रथम परमाणु विस्फोट किया।

महोदय, अन्य परमाणु शक्तियों के विरोध के बावजूद, एक मजबूत परमाणु शक्ति संपन्न भारत की नींव रखने के लिए मैं अपने नेताओं और वैज्ञानिकों का सम्मान करता हूं।

इस पृष्ठभूमि में देखने पर, वर्तमान समझौता हमारे परमाणु प्रगति के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसे हम अपने नेताओं यथा श्रीमती इंदिरा गांधी की दूरदृष्टि और हमारे प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह के वार्ता-निपुणता, हमारे परमाणु वैज्ञानिकों के अथवा प्रयास, और अंतिम किन्तु किसी भी प्रकार से कम नहीं, हमारे वार्ताकारों की दृढ़ता को समर्पित करते हैं। कुल मिलाकर, इस समझौते ने भारत को एक व्यवहार्य असैनिक परमाणु कार्यक्रम और अपनी रक्षा हेतु शस्त्र रखने में सक्षम कर दिया है। यह समझौता यह भी सुनिश्चित करता है कि द्विपक्षीय परमाणु सहयोग एक दूसरे की सैन्य गतिविधियों में हस्तक्षेप न करे।

महोदय, कुछ समय पहले कुछ ऐसी खबरें भी जिनमें अमरीकी स्टेट डिपार्ट मेंट को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि यदि भारत परमाणु परीक्षण करता है तो यह समझौता समाप्त हो जाएगा। मुझे खुशी है कि माननीय विदेश मंत्री और सदन के नेता श्री प्रणब मुखर्जी ने यह पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है हमारे राष्ट्रीय हित में परमाणु परीक्षण करना पूर्णतः हमारा अपना निर्णय है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि "हमारे पास परीक्षण का अधिकार है। उनके पास प्रतिक्रिया का अधिकार है।" इससे इस संबंध में कोई संदेह नहीं रहेगा। इसके अलावा, हमारा अतीत इस बात की गारन्टी है कि ऐसे मामलों में हम किसी भी दबाव के सामने नहीं झुके हैं।

यह समझौता आज तक की सर्वाधिक कड़ी वार्ताओं के बाद सामने आया है। विचार-विमर्श के दौरान हमारी आकांक्षाओं पर ध्यान दिया गया यह स्पष्ट है कि यह समझौता हमारे रणनीतिक परमाणु कार्यक्रम अथवा हथियारों को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेगा। सामरिक परमाणु कार्यक्रम हमारे असैनिक कार्यक्रमों से पूरी तरह से हटकर है।

समझौते में यह भी निर्धारित किया गया है कि यदि अमरीका किसी चरण में भारत के परमाणु परीक्षण करने के निर्णय सहित किसी कारण से समझौते को तोड़ने के लिए बाध्य होता है तो अन्य देश भारत को परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति जारी रख सकते हैं। ईंधन को पुनःप्रसंस्कृत करने के अधिकार को भी स्वीकार किया गया है। दोनों देशों के बीच विवाद का यही प्रमुख कारण था परंतु दोनों पक्षों के वार्ताकारों की चतुराई और लचीलेपन ने इसका समाधान कर दिया।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि भारत को इस समझौते से विद्युत क्षेत्र में बहुत सहायता मिलेगी। मई, 2007 में विद्युत क्षेत्र संबंधी मुख्यमंत्री सम्मेलन में तथा माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान इस बातपर जोर दिया गया था कि हमारी विद्युत क्षमता में वृद्धि को उच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, परमाणु ऊर्जा के आवश्यक साध्यं देने के लिए अमरीका की तत्परता अत्यंत स्वागत योग्य है। इससे हम अपने असैनिक उपयोग हेतु विद्युत उत्पादन में वृद्धि कर सकेंगे जिसके द्वारा हम पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर अपनी निर्भरता कम कर सकेंगे और प्रदूषण के स्तर को हटा सकेंगे।

[श्री नवीन जिन्दल]

मैं सभा को याद दिलाना चाहूंगा कि अनेक परमाणु शक्तियों द्वारा भारत के साथ किए गए परमाणु संबंधी भेदभाव के कारण भारत में विद्युत क्षेत्र के विकास में बाधा आयी थी। परमाणु शक्तियां हमारे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार के रास्ते में आयी हैं।

अब स्थिति में नारकीय रूप से परिवर्तन आया है। इन्हीं परमाणु शक्तियों ने हमारी परमाणु क्षमता को माना है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्तिशाली राष्ट्र ही शक्तिशाली राष्ट्र का सम्मान करता है। फ्रांस, रूस, आस्ट्रेलिया, यू.के. और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एन.एस.जी) के अन्य देश भारत के साथ परमाणु संबंधी व्यापार करने के लिए उत्सुक हैं। अमरीका के साथ समझौते से ऐसे व्यापार के द्वार खुलेंगे और हमारे असैनिक विद्युत कार्यक्रम को बहुत बढ़ावा मिलेगा।

अब भारत को नवीनतम परमाणु विद्युत प्रौद्योगिकी पूर्णतयः प्राप्त हो जाएगी जो अपनी निरंतर बढ़ने वाली मांग को पूरा करने और 8 से 10% विकास दर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब तक भारत काफी हद तक जल विद्युत और ताप विद्युत निर्भर रहा है। इस प्रकार उत्पादित विद्युत हमारी घरेलू, कृषि, औद्योगिक और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं है। हमने अभी तक पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। विद्युत उत्पादन हेतु कोयले और तेल को जलाने से प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हुई है।

इस संदर्भ में, हमें विद्युत की निरंतर बढ़ने वाली मांग को पूरा करने हेतु बड़े पैमाने पर परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे दूरदर्शी व्यक्ति ने स्वयं आरंभ में अनुमान लगाया था कि भारत को आर्थिक प्रगति हेतु परमाणु प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहना होगा और इसका विकास करना होगा।

वर्तमान में, भारत की केवल 3% विद्युत संबंधी आवश्यकता को परमाणु स्रोतों से पूरा किया जाता है। हमारा लक्ष्य है कि हम 2020 तक 20,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। आज हम केवल 3700 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने की स्थिति में हैं। हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। भारत-अमरीका समझौता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी सहायता करेगा। हम जितना अधिक परमाणु ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ेंगे उतनी ही जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता में कमी आएगी, उतनी ही कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, उतना ही प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी और अंततः उतनी ही ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी।

इस संदर्भ में मैं सभा विशेषकर इस समझौते का विरोध कर रहे सदस्यों की सूचना के लिए दिनांक 4 अगस्त, 2007 के ''दट्रिब्यून'' की निम्नलिखित पंक्तियों को उद्धृत करना चाहूंगा।

महोदय मैं उद्धृत करता हूं:

''समझौते का अर्थ है कि भारतीय परमाणु व्यापार में तेजी से वृद्धि आएगी और विश्व के परमाणु उद्योग के बड़े देश 100 मिलियन डालर के बाजार हेतु भारत के सामने कतार लगाएंगे जिसके इस समझौते के कार्यान्वित होने के बाद खुलने की संभावना है। इससे आगामी वर्षों में भारतीय ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि होगी। इस संदर्भ में अचार परमाणु रिएक्टरों पर कार्य शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा जिनका रूस ने हाल ही में भारत का निर्माण करने का वचन दिया है, इसके साथ ही विश्व के सबसे अधिक विशाल भंडार वाला देश आस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में की गयी की घोषणा की आशय के अनुसार भारत को यूरेनियम बेचेगा।''

अंतिम विश्लेषण में, इस 123 समझौते पर हमारे वैज्ञानिकों द्वारा न्यायनिर्णय दिया जाना चाहिए जो इसके निहितार्थों और जटिलताओं को अन्य व्यक्तियों से बेहतर समझते हैं। डा. अब्दुल कलाम ने हाल की एक भेंटवार्ता में कहा है कि डा. मनमोहन सिंह ने इस समझौते में जो किया है वह ''अद्वितीय'' है। जब उनसे पूछा गया कि समझौता ऊर्जा के बारे में है या सामरिक हितों के बारे में है तो उन्होंने कहा, ''मेरा मानना है कि यह ऊर्जा के बारे में है। आखिरकार, हमारे वैज्ञानिकों के पास दूरदृष्टि है। प्रतिवर्ष, वे लगभग 1000 मेगावाट की वृद्धि करना चाहते हैं। अतः, वर्ष 2020 तक वे 20,000 मेगावाट की वृद्धि करना चाहते हैं। वे प्रतिवर्ष 1000 मेगावाट की वृद्धि करके भारत को 20,000 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त कराना चाहते हैं।''

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पूर्व वैज्ञानिकों ने अपने संयुक्त वक्तव्य में कहा, ''देश की निरंतर बढ़ती ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं और 33 वर्ष लंबे परमाणु संबंधी अलगाव को समाप्त करने के मद देने पर भारत की जनता को इस समझौते के महत्व को समझना होगा और इसके विपक्ष तथा सरकार का समर्थन कर रहे दलों द्वारा इसे विफल नहीं किया जाना चाहिए।''

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने सभा में अपने आप दिए गए वक्तव्य के पैरा 24 में जो कहा है मैं उसका पूरा समर्थन करते हुए उनकी आवाज से आवाज मिलाकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा:

मैं उद्धृत करता हूं :

"हमारे वार्ताकार राष्ट्र के लिए ऐसा समझौता कराने के लिए श्रेय के हकदार हैं जो हमारे देश की आर्थिक संभावनाओं को सक्षमतापूर्वक बदल सकता है। यह ऐसा समझौता है जो हमें ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय सततता को दोहरी चुनौती का मुकाबला करने और कई दशकों से हमारे विकास में प्रमुख बाधा रहे प्रौद्योगिकी वंचन व्यवस्था को हटाने में समर्थ बनाएगा। ऐसे में यह समझौता भारत को वह मान्यता दिलाएगा जिसका वह हकदार है। परमाणु और अंतरिक्ष विज्ञान तथा अन्य उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों की विशिष्ट उपलब्धियों के लिए धन्यवाद।"

इस वक्तव्य में संपूर्ण समझौता समाहित हो जाता है। मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में सभा और देश को माननीय प्रधान मंत्री और उनके दल पर गर्व होगा जिसके फलस्वरूप भारत आज विश्व की परमाणु शक्तियों के बीच अपना समुचित स्थान प्राप्त करने के लिए तैयार है।

इन शब्दों के साथ मैं भारत-अमरीका परमाणु समझौते का समर्थन करता हूं।

श्री सुब्रत बोस (बारासात) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत-अमरीका परमाणु समझौते पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। जब आप मुझे बता रहे थे कि उपलब्ध समय केवल पांच मिनट है तो मेरी क्षणिक प्रतिक्रिया थी कि मुझे वक्ताओं की सूची से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए क्योंकि इतने महत्वपूर्ण विषय पर यदि कोई अपने विचार थोड़े विस्तार से व्यक्त नहीं कर सकता तो यह शायद अनुचित होगा परंतु मैंने पुन: सोचा कि यह शायद अध्यक्षपीठ के प्रति अनादर माना जा सकता है अत: मैं आपके निर्णय का पालन करूंगा और बोलूंगा।

वाद-विवाद आरंभ करते समय श्री रूपचंद पाल थोड़े विस्तार से बोले कि हमें भारत-अमरीका परमाणु समझौते पर बहुत कड़ी आपत्तियां क्यों हैं। वह केवल अपने दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की ओर से नहीं बोल रहे थे बल्कि मेरे विचार से वह सभी वाम दलों और मेरे दल की ओर से बोल रहे थे, वामदलों का एक घटक होने के नाते आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक निश्चित रूप से उस सबका समर्थन करता है जो कहा गया है और श्री चन्द्रप्पन तथा श्री तरित बरण तोपदार द्वारा दिए गए तर्क का भी समर्थन करता है जो इस मुद्दे पर बहुत संक्षिप्त बोले थे।

मैं केवल दो मुद्दों के बारे में कहना चाहूंगा ताकि महोदय, मैं आपके द्वारा निर्धारित समय-सीमा में अपनी बात समाप्त कर सकूं। श्री सिंधिया कांग्रेस की ओर से बोलते समय हाइड एक्ट के बारे में उल्लेख कर रहे थे कि यह भारतीय अधिनियम नहीं है। यह अमरीकी कानून है। हां, सामान्यत: अन्य देशों के कानून और अधिनियम हमें प्रभावित नहीं करते हैं परंतु जैसा कि श्री तोपदार ने पहले ही कारण का उल्लेख किया है कि यह हाइड एक्ट अमरीका में भारत-अमरीका समझौते के कारण लाया और बनाया गया था और जहां दो देश भागीदार हैं और जिससे निश्चित रूप से हाइड एक्ट द्वारा अमरीका प्रभावित होगा। यदि ऐसा है तो यह समझौता खतरे में पड़ जाएगा और जैसा श्री रूपचंद पाल ने कहा है कि इसका यह अर्थ है कि ईंधन की निरंतर आपूर्ति की कोई गारंटी नहीं है और यह बात भी इसी के साथ समाप्त नहीं होती है कि अमरीका जो परमाणु रिएक्टर हमें भेजने जा रहा है वो रिएक्टर वापस लौटाने होंगे तथा उस समय अप्रयुक्त ईंधन भी वापस लौटाना होगा।

जब सरकारी प्रवक्ता कहते हैं कि हमारी संप्रभुत्ता प्रभावित नहीं होगी तो मुझे खेद है कि मैं इस वक्तव्य को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे विचार से हमारी कार्रवाई की स्वतंत्रता निश्चित रूप से प्रभावित हुई है और इस समझौते पर हमारी कड़ी आपत्तियों का एक कारण यह है।

तदुपरांत श्री निखिल कुमार कह रहे थे कि इस समझौते से ऊर्जा के उत्पादन में सहायता मिलेगी। मेरे विचार से इस विषय उन विशेषज्ञों के विचारों को नहीं पढ़ा है जिन्होंने कहा है कि हम वर्ष 2020 में जितनी परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर पाएंगे वह हमारी आवश्यकता का केवल सात प्रतिशत से अधिक या कम होगी। वह कह रहे थे कि इस परमाणु समझौते से हमारे गांवों का विद्युतीकरण होगा और प्रत्येक गांव रोशनी से जगमगाएगा। उन्हें लागत याद नहीं है। वर्तमान में भी ताप विद्युत अथवा जल विद्युत से यदि गांव का विद्युतीकरण किया जाता है तो गांव के सभी निवासी वित्तीय कठिनाई के कारण अपने घर में बिजली लाने में असमर्थ होते हैं। परमाणु ऊर्जा की लागत ताप विद्युत अथवा जब विद्युत से भी अधिक होना तय है।

[श्री सुब्रत बोस]

मैं एक मुद्दे के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, मैंने बेल की आवाज सुन ली है। यही सही है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते को संसद द्वारा स्वीकृत कराने के लिए कोई संवैधानिक स्थिति नहीं है। परंतु हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है और मेरे विचार से संसद को सम्मान और पवित्रता प्रदान किया जाना चाहिए जो कि यह संविधान प्रदान करता है।

मेरे विचार से कार्य पालिका की कार्रवाइयां संसद के प्रति जवाबदेह हैं। यद्यपि, हम इस मामले पर मतदान नहीं कर सकते, माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्णय सही है। वर्तमान स्थिति के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं केवल आशा करता हूं कि सरकार सभा के बहुमत की भावना का ध्यान रखने हेतु इस रवैये और दृष्टिकोण को अपनाएगी और मैं सोचता हूं कि वह जब तक संसद संशोधन के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को स्वीकृति नहीं देती है तब तक इस समझौते को कार्यान्वित करने से बचेगी।

*श्री फ्रांसिस फैन्थम (नाम निर्दिष्ट) : महोदय, भारत-अमरीका असैनिक परमाणु समझौता आधुनिक समय में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक है। यह एक ऐसा अद्वितीय और एकमात्र घटनाक्रम है जो एक माध्यम होगा और जिससे भागीदारी और संसाधनों के द्वारा गरीबी को दूर करने तथा इस चुनौती से निपटने के लिए देश अपनी आकांक्षाओं की ऊंची छलांग लगाने में समर्थ होगा।

महोदय, आज विश्व हिस्सों में बंटा हुआ नहीं है बल्कि पारस्परिकता और परस्पर निर्भरता से जुड़ा है चाहे वह परमाणु कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण अथवा छटते गैर-नवीकरणीय संसाधन हों, यह वैश्विक समुदाय पूर्णतय: इनसे जुड़ा है। जो कुछ किसी एक को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है वह अप्रत्यक्ष रूप से सभी को प्रभावित करता है। अत:, आज जब हम इस वाद-विवाद से जुड़े मुद्दों पर विचार करते हैं। तो विश्व हमें देखता है क्या हम राजनीति और निजी विचारों से ऊपर उठकर अपने अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं? क्या हम राष्ट्रीय हित और विकास के मामलों में एक साथ खड़े होते हैं हम एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए दूसरे का काम बिगाड़ते हैं जिससे पूरे राष्ट्र की विकास प्रक्रिया की कार्य कुशलता को घटती है।

विश्व जानता है और आम आदमी भी जानता है कि भारत अमरीकी परमाणु समझौता विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अत्यावश्यक ऊर्जा में वृद्धि करेगा और उन क्षेत्रों को खोलकर अधिक रोजगारों का सृजन भी करेगा जिनमें आवश्यक ऊर्जा के अभाव के कारण बाधित थे।

महोदय, इस समझौते को अस्वीकार करने के लिए कुछ भी कहा जाए परंतु पूरे देश को इसके लाभ के संबंध में इसकी वैधता की जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता है कि यह समझौता आम आदमी को क्या लाभ दिलाएगा और यह विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में राष्ट्र को तेजी से अग्रसर कराने हेतु अवसर के कौन से क्षेत्र खोलता है।

महोदय, इस समझौते की निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में जांच पड़ताल की जाए:

हाइड एक्ट और 123 समझौता:

हमारे पास हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सत्यनिष्ठ वचनबद्धता है कि 123 समझौते के अंतर्गत में एक क्षेत्र है जो हाइड एक्ट से प्रभावित नहीं होगा और कार्यान्वयन क्षेत्र के लिए आवश्यक है कि अमरीका के राष्ट्रपति हाउस आफ रिप्रेज़ेन्टेटिव्स को घटनाक्रमों से अवगत रखें और अपने राष्ट्र के हित में समुचित अनुमोदन प्राप्त करे। माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को आश्वासन दिया है कि यह एक नैत्य आवश्यकता है और यह किसी प्रकार से राष्ट्र के हित को प्रभावित नहीं करेगा हमें माननीय प्रधानमंत्री को पुन: आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि इस मामले पर हम उनके साथ हैं और प्रचालन संबंधी कठिनाइयां कार्यान्वयन की प्रगति में बाधा नहीं डालेंगी।

विभिन्न राजनीतिक हित के समर्थक दलों का अपनी चिंताओं का निवारण करना विधिसम्मत है तथा गठबंधन के नेता की जिम्मेदारी है कि वह पर्याप्त और तर्क-संगत उत्तर दे और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्त की गई चिंताओं के संबंध में पारदर्शिता दिखाए।

दूसरी चिंता 'ऊर्जा' से जुड़ी है। यह थोरियम भंडार के कारण थोरियम बनाम यूरेनियम और थोरियम को प्लूटोनियम और विखंडनीय यूरेनियम में बदलने में लगने वाले समय के कारण जब कभी संभव हो तो थोरियम उपयोग में राष्ट्र की प्रौद्योगिकी की पर्याप्तता के वाद-विवाद से जुड़ी है।

इसमें किसी संदेह अथवा वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कि ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के माध्यमों में से एक माध्यम परमाणु है। क्या यह अमरीका समझौते के द्वारा होगा या आत्म-निर्भरता से होगा? इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वायत्तता का मार्ग अधिक वांधनीय है, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जिस गति से हमें ऊर्जा की कमी के अंतर को पाटने की आवश्यकता है उसके लिए इस समय की पेशकश के सर्वोत्तम माध्यम का उपयोग करने हेतु यथार्थ के साथ व्यवहारिकता जरूरी है। अमरीका और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के पास अमरीका के साथ किए गए 123 समझौते के दायरे के भीतर ऊर्जा के घाटे को पूरा करने हेतु आंशिक रूप से समाधान करने का मंच है। इस समझौते का विरोध करने वाले सदस्यों ने कोई और समाधान नहीं सुझाया है। इसलिए, उनके विरोध में प्रचालन संबंधी तर्क का अभाव है।

राष्ट्र को आगे बढ़ने की आवश्यकता के कारण प्रधानमंत्री ने वर्तमान में केवल विकल्प तलाशा है और हमें उनके प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

तीसरा क्षेत्र अमरीका और एन.एस.जी. के साथ समझौते के परिणामस्वरूप विदेश नीति में स्पष्ट परिवर्तन के संबंध में कहता है। महोदय, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान में देश को विश्व समुदल से जोड़ने और परिणामी लाभ प्राप्त करने हेतु परमाणु ईंधन या प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए हमारा परमाणु क्षमता वाले राष्ट्रों के साथ कोई सहयोग नहीं है।

राष्ट्र हित में यह एकीकरण न केवल वांछनीय है बल्कि वर्ष 2020 में और उसके बाद देश के सामने संभावित ऊर्जा की कमी के कारण यह आवश्यक भी है। अगले दशक में भारत के विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने की आकांक्षाओं को पूरा करे तो दूर राष्ट्र को ऊर्जा की कमी की अभूतपूर्व स्थिति का सामना करना होगा।

भय के कारण गुट में सम्मिलित होने की बात उठाना अत्यंत बिल्कुल अनुचित है। राष्ट्र ने सदैव अपने हित में कार्य किया है और सदैव ऐसा करेगा। भारत ऐसा राष्ट्र है जिसकी सोच को युगों से न किसी ने प्रभावित किया है और यही अपने सुविधा के अनुरूप बनाया है। गणबंधन की धारणा भ्रम हो सकती है जो कभी वास्तविकता में नहीं बदलेगी। भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया है और वह ऐसा करता रखेगा।

कुछ सदस्यों का मानना है कि यह समझौता राष्ट्र की संबद्धता को समाजवादी धारणा से अमरीकी चिंताओं का निवारण करने वाली राजनीतिक संबद्धता की दिशा में बदलेगा। मेरे विचार से यह बात निराधार है क्योंकि 'समझौते' विदेश नीति के विवरण नहीं बल्कि स्वतंत्रत रूप से स्पष्ट कहे गए आशय और पद्धतियां होते हैं। हमारे सरोकार दलित और पराधीन, मूलभूत मानवीय स्वतंत्रता सं वंचित व्यक्ति और तानाशाही तथा आर्थिक शोषण जूझ रहे व्यक्तियों से जुड़े वैश्विक मुद्दों से है और हम राष्ट्र हित में इनका निवारण करना जारी रखेंगे।

सभा के कुछ सदस्यों ने इस समझौते का विरोध करने हेतु अत्यंत अनुकूल और स्पष्ट तर्क दिया है। वे प्रश्न जिसका उन्हें निवारण करने की आवश्यकता है: इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने से सबसे अधिक लाभ किसे होगा? हमारे आर्थिक और सैन्य प्रतिस्पर्धियों को सबसे अधिक लाभ होगा- क्योंकि जिससे हम जुड़ने में हिचक रहे हैं उसी को वे तत्काल लेने के इच्छुक हैं। हमारे सारे पड़ोसी देश जानते हैं कि भारत अमरीका के साथ असैनिक परमाणु समझौता करके देश को अभूतपूर्व शक्ति सम्पन्न करके अगले दो दशकों में प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा।

चौथा मुद्दा इस भय का है कि सामरिक परमाणु कार्यक्रम में इस समझौते के कारण बाधा आएगी।

यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि सामरिक आवश्यकताओं के राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास, असैनिक समझौते से किसी प्रकार से जुड़े हुए नहीं हैं। यदि हमें अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा है तो परमाणु क्षमता में इस समझौते से किसी प्रकार की बाधा नहीं आएंगी। इसमें कई तरीकों से वृद्धि होगी जिन की मैं इस समय कल्पना नहीं करना चाहता क्योंकि यह वाद-विवाद सिर्फ 'असैनिक' विषय पर है।

महोदय, पांचवा मुद्दा राजनीतिक संबद्धता का विचार है जिसका देश में विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की राष्ट्र की आवश्यकता के विरूद्ध माना गया है।

महोदय, यह चीन बनाम भारत राजनीतिक हित वार्ता नहीं है। चीन ने सिर्फ सीमाओं के कारण बल्कि सांस्कृतिक संबंध के कारण भी हमारा मित्र रहा है। राजनीतिक विचार धाराएं उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करती है जिन्हें विभिन्न मंच समर्थ बताते हैं। अत: अधिक वैचारिक प्रभाव लाने की आवश्यकता इस समझौते का विरोध कर रहे वर्ग को प्रेरित करती हैं। मुझे यकीन है कि वे मानेंगे कि 'राष्ट्र धर्म' सबसे कारण है जिसका यह सम्माननीय सभा निवारण करे तथा राजनीतिक से प्ररित कोई विचार हमारे राष्ट्र हित पर हावी नहीं होना चाहिए।

[श्री फ्रांसिस फैन्थम]

महोदय, मैं इस अत्यावश्यक अद्वितीय वाद-विवाद पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि यह राष्ट्र की नियति बदल देगा जिसकी शपथ प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 15 अगस्त, 1947 को देश में ली थी।

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समझौते के निहितार्थों के व्यापक दृष्टिकोण पर विचार करने की अत्यावश्कता है। यह संयुक्त राज्य अमरीका के साथ किए गए विस्तृत गठबंधन का केवल एक भाग है। इसमें राजनीतिक आर्थिक, सैनिक और परमाणु सहयोग सम्मिलित है। इससे संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा निवेश तथा सामरिक सैन्य सहयोग में बड़े पैमाने पर सहायता मिलेगी। रिएक्टरों की बिक्री के अतिरिक्त अमरीका अपने युद्धक विमानों और युद्ध सामग्रियों को खरीदने के लिए सैन्य संविदाओं हेतु भारत पर दबाव बढ़ाएगा।

इसके लिए बताया जा रहा प्रमुख कारण यह है कि इससे यदि हम अपने संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन की तुलना करे इस तथ्य की अनदेखी करते हुए भारत की अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेगा कि परमाणु शक्ति का अति सीमित अंशदान होगा। अतः भारत की विदेश नीति और सामरिक स्वायत्तता को परमाणु ऊर्जा के संभावित लाभों का बंधक बनाना बुद्धिमता पूर्ण नहीं है।

परमाणु सहयोग के दायरे से बाहर हाइड एक्ट में भारत की विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़े अन्य मामलों के संबंध में विदेश सम्मिलित हैं। मौजूदा उपबंधों के साथ इस समझौते को लेकर आगे बढ़ने से भारत संयुक्त राज्य अमरीका से बंध जाएगा। इससे हमारी स्वतंत्र विदेश नीति और सामरिक स्वायत्तता को गंभीर क्षति पहुंचेगी।

हाइड एक्ट के सभी संदेहों और निहितार्थों को स्पष्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, सरकार इस समय आई.ए.ई.ए. के सुरक्षापायों पर विचार करने हेतु कदम उठा रही है। परंतु यह सशर्त है। आई.ए.ई.ए. और भारत सरकार के बीच समझौता होना चाहिए। प्रारूप समझौता तय परमाणु समझौते के संबंध में संसद द्वारा विचार और अनुमोदन के लिए लाया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोथा** (बोब्बिली) : महोदय, 123 समझौता भारत और अमरीका के बीच परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्वक उपयोग के लिए है।

यद्यपि, सहयोग हेतु दस पहलू है, परन्तु जोर परमाणु व्यापार पर है।

इस समझौते के अंतर्गत अमरीका परमाणु रिएक्टर, ईंधन तथा अन्य संबंधित उपस्कर निर्यात करेगा, जिससे 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद लगाए गए प्रतिबंध के कारण हमारे देश जो अलग-थलग पड़ गया था अब वह स्थिति समाप्त हो जाएगी।

> "अनुच्छेद 5-आर-(6) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि "जुलाई 18, 2005 के संयुक्त वक्तव्य को लागू करने के अंश के रूप में अमरीका भारत के लिए विभिन्न देशों की फर्मों से विश्वसनीय, निर्बाध तथा निरंतर ईंधन आपूर्ति सहित अन्तर्राष्ट्रीय ईंधन बाजार में पूरी पहुंच हेतु अनुकूल स्थिति बनाने हेतु परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एन.एस.जी.) की शर्तों को तदनुसार अनुकूल बनाने हेतु अपने मित्रों तथा सहयोगियों के कार्य करने हेतु अपनी घरेलू विधियों में संशोधन के लिए अमरीकी कांग्रेस से अनुमति लेने के लिए बाध्य है।"

इस प्रकार इस समझौते से भारत न केवल अमरीका बल्कि एन.एस.जी. के अन्य देशों के साथ पुनः परमाणु व्यापार कर सकेगा। रूस, आस्ट्रेलिया जैसे एन.एस.जी. देशों ने समझौते के पक्ष में पहले ही अत्यधिक उत्साह दिखाया है।

हमें ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्ध सभी विकल्पों का उपयोग करना है, जिससे कि सकल घरेलू उत्पाद विकास दर को 9 प्रतिशत के आस पास बनाए रखा जा सके।

यह कोयला और हाइड्रोकार्बन ईंधनों पर हमारी निर्भरता को कम करेगा तथा हमारी अर्थव्यवस्था के 'डी-कार्बोनाइजिंग' की प्रधानमंत्री जी की योजना का हिस्सा होगा।

इस समझौते से हमें सन 2020 तक परमाणु विद्युत उत्पादन के 20,000 एम.डब्ल्यू. के लक्ष्य को दोगुना करके 40,000 एम.डब्ल्यू. करने में सहायता मिलेगी (वर्तमान में यह मात्र 4120 एम.डब्ल्यू. है)।

इस समझौते से हमारे चरण-तीन परमाणु विद्युत कार्यक्रम का किसी भी प्रकार अहित नहीं होगा। बल्कि इससे इसमें और इजाफा होगा।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विश्व में सामान्य तौर पर परमाणु संबंधी नई चेतना उभर कर आई है और जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने बताया, हमें इस मामले में पिछड़ना नहीं चाहिए।

इससे हमारे सामरिक हितों की अनदेखी नहीं होगी। हम अपने हथियारों संबंधी अनुसंधान कार्यक्रम जारी रख सकेंगे।

हम अपनी रिएक्टर्स सुविधाओं को असैनिक तथा सैनिक सुविधाओं के रूप में वर्गीकृत कर सकेंगे तथा इन्हें आई.ए.ई.ए. (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी) की परिधि से बाहर रख सकेंगे।

अनुच्छेद 2-(4) में यह उल्लिखित है कि पक्षकार पुष्टि करते हैं कि इस समझौते का प्रयोजन शांतिपूर्वक परमाणु सहयोग है तथा किसी भी पक्षकार की सुरक्षा परिधि से बाहर परमाणु क्रियाकलापों को प्रभावित करना नहीं है। समझौते को इस प्रकार से लागू किया जाएगा, गैर-परमाणु सामग्री, उपस्कर, संघटकों, सूचना या प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा उनके द्वारा इस समझौते से बाहर उनके स्वयं के प्रयोजनों हेतु उनके द्वारा स्थापितु खरीदी या विकासित की गई सैन्य परमाणु सुविधाओं संबंधी किसी भी कार्य में बाधा या अन्यथा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

हमें ईंधन को पुन: संसाधित (रिप्रोसिस) करने का अधिकार मिला है। यह हमारे चरण-तीन वाले परमाणु विद्युत कार्यक्रम हेतु अति महत्वपूर्ण है। इस संबंध में प्रोद्यौगिकी हस्तांतरण समझौता 18 माह के भीतर किया जाएगा।

समझौते को समाप्त करने संबंधी शर्तें भी बहुत उपयुक्त हैं।

एक वर्ष के नोटिस के पश्चात यह पता लगाने हेतु परामर्श किया जाएगा कि उल्लंघन किया गया है या नहीं और यदि ऐसा हुआ है, तो क्या सुरक्षा वातावरण के कारण ऐसा किया गया था।

यदि उल्लंघन आई.ए.ई.ए. सुरक्षा उपायों के संबंध है, तो उल्लंघन हुआ है या नहीं यह निर्णय आई.ए.ई.ए. शासी मंडल करेगा न कि अमरीका।

समझौते की समाप्ति जैसी बुरी स्थिति में भी आयातित रिएक्टरों की समस्त सेवा-काल अवधि हेतु अबाध रूप से ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बहु स्तरीय प्रावधान किए गए हैं।

अनुच्छेद 5-6 (ख-चार) के अनुसार : अमरीका इस प्रयोजन हेतु आरक्षित ईंधन रखने का वचन देता है तथा भारत को ईंधन आपूर्ति पुन: आरंभ करने हेतु रूस, ब्रिटेन तथा फ्रांस जैसे मित्र देशों को राजी करने हेतु भी भारत के साथ मिल कर कार्य करने का भी वचन देता है।

यद्यपि यू.एस. हाइड एक्ट के तहत उल्लंघन की स्थिति में आपातित अमरीकी रिएक्टर वापस करने होंगे, परन्तु इस उपबंध को लागू करना अति कठिन होगा क्योंकि अमरीका द्वारा भारत को बाजार दर पर हर्जाना देना होगा।

अनेक राजनीतिज्ञों तथा विश्लेषकों द्वारा यह समझौता, करने पर अमरीका सरकार की आलोचना किया जाना ही इस बात को दर्शाता है कि परिस्थिति के अनुसार हमारे वार्ताकारों ने बहुत अच्छा समझौता किया है।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। इस सभा की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु इस सभा में बहस करने के लिए इस मुद्दे को लाने के लिए सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

मैं मात्र एक मुद्दे पर जोर देना चाहूंगा। एन.डी.ए. शासन के दौरान जब हम ने परमाणु परीक्षण किया था, उस के बाद हमें एक शक्तिशाली देश के रूप में जाना जाता है। डा. मनमोहन सिंह जी द्वारा वित्त मंत्री के रूप में आरंभ किए गए आर्थिक सुधारों के कारण विश्व हमें भावी आर्थिक शक्ति के रूप में देखने लगा है। महोदय, किसी भी विकास कार्य हेतु हमें जोखिम उठाना ही पड़ता है।

सायं 7.00 बजे

परन्तु महोदय, जोखिम हमारी संप्रभुता की अनदेखी के आधार पर नहीं उठाया जाना चाहिए क्योंकि ऊर्जा, खाद्य और रक्षा उत्पादनों जैसे कुछेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में अभी बहुत समय लगेगा।

महोदय, अमरीका के साथ परमाणु समझौता ही भारत की भावी ऊर्जा सुरक्षा का हल नहीं है क्योंकि यह बहुत ही महंगा है तथा हमारे पास अनुकूल प्रौद्योगिकी नहीं है तथा हमारे पास ईंधन की भी कमी है। यह हमारी ऊर्जा आवश्यकता का 10 प्रतिशत भी पूरा नहीं करेगा। दूसरे देशों पर ईंधन पर निर्भर रहने में सदैव जोखिम रहता है।

[डा. अरूण कुमार शर्मा]

महोदय, दूसरा मुद्दा आम आदमी के मन में भारत के प्रति अमरीका की भूमिका को लेकर आशंका है क्योंकि अमरीका वह देश है, जो कोई भी समझौता नहीं करेगा।जो तुलनात्मक रूप से उसके लिए लाभदायक न हो। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि अमरीका को इस समझौते से तुलनात्मक रूप से किस प्रकार लाभ है। अन्यथा, यदि तुलनात्मक रूप से हमें लाभ है, तो देश को इस बारे में बताया जाना चाहिए। हम सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट उत्तर या स्पष्टीकरण चाहते हैं।

महोदय, मैं एक छोटे राज्य से हूं तथा मेरा दल असम गण परिषद भी छोटा है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस समझौते का लाभ देश के हर भाग को होगा या मात्र किसी विशेष वर्ग या क्षेत्र को।

हमने परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने में अत्याधिक शीघ्रता दिखाई है। परन्तु क्या हमने सौर ऊर्जा के उपयोग को आवश्यक प्राथमिकता दी है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर-सरकार पैनल की भविष्यवाणी के अनुसार भारत में यही ऊर्जा उपलब्ध होगी। डा. राजेन्द्र पचौरी, जिन्हें हाल ही में नोबल पुरस्कार दिया गया था, के नेतृत्व में लगभग 2500 वैज्ञानिकों द्वारा एक अनुसंधान किया गया था। इस आई.पी.सी.सी. की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यह है कि भारत में सन 2030 तक पन-विद्युत समाप्त हो जाएगी क्योंकि ब्रह्मपुत्र तथा गंगा जैसी बड़ी नदियां हिमालय हिमाशयों के पूर्णतः पिघल जाने के कारण सूख जाएंगी तथा जल संकट तथा समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण विश्व की आधी जनसंख्या की मौत हो जाएगी। महोदय, ऐसी स्थिति में परमाणु ऊर्जा हमें बचा नहीं पाएगी। क्या माननीय प्रधान मंत्री जी हमें यह बताएंगे कि 23 वर्ष बाद हमारा देश इस स्थिति का कैसे सामना करेगा?

हमारा वैकल्पिक विद्युत और ईंधन के रूप में और ऊर्जा के सिवाय और क्या कार्यक्रम है? मुझे आशा है कि अमरीका के साथ परमाणु समझौते जैसे कोई भी समझौता करने से पहले इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा।

महोदय, मैं अन्य सदस्यों के साथ मैं अपने को इस बात से सहबद्ध करता हूं कि हमें अपनी नीति बदलनी चाहिए तथा हमारी संप्रभुता से जुड़े संवेदनशील मुद्दों संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व सरकार को सभा की अनुमति लेनी चाहिए।

मेरा यह अनुरोध है कि 2030 संबंधी भविष्यवाणी तथा तटीय क्षेत्रों को होने वाले खतरे को देखते हुए हमें इन क्षेत्रों से अपने कतिपय सामरिक संस्थापनाओं को अन्यत्र ले जाना चाहिए।

अंत में, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि विश्व के तापमान में वृद्धि के मुद्दे पर हमें डा. राजेन्द्र पचौरी को संसद की संयुक्त बैठक में भाषण देने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यह हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा तथा देश को पता होना चाहिए कि विश्व में बढ़ते तापमान का क्या असर होगा।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा. सिबैस्टियन पॉल (एर्णाकुलम) : महोदय, यह एक रोचक बहस है, जिसका प्रयोजन अत्याधिक लोक महत्व के विषय पर सभा की राय जानना है। परन्तु, मुझे यह नोट करके खेद है कि सभा की राय चाहे कितनी ही स्पष्ट क्यों न हो सरकार इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। बहस के दौरान अनेक माननीय सदस्यों ने राय व्यक्त की थी कि हमें संविधान में संशोधन करने आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. पॉल एक सेकेन्ड रूकिए।

[हिन्दी]

अगर हाउस के माननीय सदस्य चाहें, इस समय डिबेट को खत्म बढ़ा दिया जाए।

[अनुवाद]

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। सभा का समय बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : कितना समय बढ़ाया है?

उपाध्यक्ष महोदय : थोड़ा समय और लगेगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : लगभग कितना समय लगेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : लगभग आधा घंटा।

[अनुवाद]

डा. सिबैस्टियन पॉल : महोदय, चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने कहा कि संविधान में संशोधन किए जाने की आवश्कता है। जी हां, हमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है, जिससे कि सरकार द्वारा की गई सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों के लिए संसद का अनुमोदन लिया जाए।

अमरीका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। परन्तु वहां भी अमरीकी कांग्रेस सर्वोच्च है। राष्ट्रपति के निर्णयों को अमरीकी कांग्रेस द्वारा पुष्टि की जाती है। हमारी संसदीय प्रणाली है। हमारी संसद सर्वोच्च है। इसलिए सरकार द्वारा की गई सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा समझौतों के लिए संसद की अनुमति एवं नियंत्रण हेतु संविधान संशोधन नितांत आवश्यक हो गया है।

महोदय, दूसरी तरफ के कई माननीय सदस्यों ने अमरीका के साथ परमाणु समझौता किए जाने की आवश्यकता और महत्व का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था। यदि यह इतना महत्वपूर्ण है तो इसे किया जा सकता है परन्तु अमरीका के साथ असैनिक परमाणु सहयोग संबंधी समझौता माननीय प्रधान मंत्री द्वारा संसद में 17 अगस्त को दिए गए आश्वासन पर आधारित होना चाहिए और इसमें हाइड अधिनियम के उन प्रावधानों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, जो कि भारत के हितों के प्रतिकूल हैं।

महोदय, वर्तमान परिस्थितियों में 123 समझौता उस बहरूपिये जैसा है जो अपने में हाइड अधिनियम के खतरनाक प्रावधानों को छुपाए हुए है। यह वाद-विवाद बहुत प्रभावशाली साबित होगा और इससे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। हाइड अधिनियम और 123 समझौते के हमारी स्वायत्तता और सम्प्रभुता पर पड़ने वाले गंभीर परिणामों को कई अन्य माननीय सदस्यों ने उजागर किया है। मैं यह आशा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई शंकाओं को दूर करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री असादुद्दीन ओवेसी।

[हिन्दी]

केवल तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करिए।

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : महोदय, जब आप चेयर पर हैं तो कम से कम पांच मिनट का समय दीजिए।

جناب اسد الدین اوویسی (حیدر اباد): جناب [illegible]
پانچ منٹ کا وقت دیجئے

[अनुवाद]

महोदय, मुझे आज भी अपने बचपन की वो बातें अच्छी तरह याद हैं जब मैंने स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को नई दिल्ली में आयोजित गुट-निरपेक्ष सम्मेलन का जोर-शोर से स्वागत होते देखा था। मुझे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का वह भाषण भी अच्छी तरह से याद है, जो उन्होंने 13 नवम्बर, 1989 को पंडित जवाहर लाल नेहरू शताब्दी समारोह के दौरान पंडित नेहरू को उद्घत करते हुए यह कहा था कि जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिखाया गया लोकतंत्र, धर्म-निरपेक्षता, समाजवाद और गुट-निरपेक्षता का मार्ग सदा हमारा मार्ग प्रशस्त करता रहेगा और यह हमारे राष्ट्रवाद का आधार-स्तम्भ बना रहेगा।

कान्डोलीजा राइस सेक्रेटरी आफ स्टेट ने जो कहा है वह आज गुट-निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में अप्रासंगिक हो चुका है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार के लिए पंडित नेहरू के कथन, जिसे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 13 नवम्बर, 1989 को उद्घत किया था के आलोक में गुट-निरपेक्षता की गई प्रासंगिकता है या नहीं है।

तीसरी बात, जो मैं इस प्रतिष्ठित सभा के ध्यान में लाना चाहता है, वह मुसलमानों के पक्ष से संबंधित है। दुर्भाग्यवश, यह अफवाह फैलाई गई है कि भारत अमरीकी परमाणु समझौते के कारण मुसलमान इसके विरूद्ध हो जाएँगे।

मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता कि यदि राष्ट्र के हित में कुछ भी किया जाता है, तो वह मुसलमानों के भी हित में होगा। अब, दुर्भाग्यवश, यह अफवाह उन्हीं दलों द्वारा फैलाई गई है जो इस मुद्दे के प्रबल विरोधी हैं। अब, यदि सरकार एक निर्णय ले रही है और यदि कोई भी सरकार कोई निर्णय लेती है यदि वह देश के लिए अच्छा है तो वह मुसलमानों के लिए भी अच्छा ही है। हम इसी देश के अभिन्न अंग हैं। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह इस देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं के बारे में एक श्वेत पत्र जारी करे चाहे वह परमाणु ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, ताप ऊर्जा हो, जल ऊर्जा हो या अपारम्परिक ऊर्जा हो। लद्दाख में पाए गए थोरियम के भारी भंडारों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा की कितनी आवश्यकता है।

16,000 मेगावाट ऊर्जा के लिए किए जाने वाले इस समझौते विशेष पर 150 बिलियन की धन राशि व्यय होने जा रही है। मैं

[श्री असादूद्दीन ओवेसी]

कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं। लेकिन सरकार के पास उस ओर बैठे कई विख्यात अर्थशास्त्री हैं। उन्हें यह समझने दीजिए कि यह अच्छा अर्थशास्त्र है या बुरा है।

तत्पश्चात अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उसके आलोक में संयुक्त राज्य अमरीका के बारे में विदेश नीति संबंधी आशंकाएं भी हैं। तालीबान को किसने आश्रय दिया था? बिन लादेन को किसने समर्थन दिया था? खमेर-रूज को किसने सहारा दिया था? किसने व्यापक विनाश के हथियारों का यह जखीरा खड़ा किया था जिसके परिणामस्वरूप ईराक में आधा मिलियन बच्चों की हत्याएं हुईं? ईराक में अमरीकी कब्जे के दौरान मारे गए तीन मिलियन लोगों की हत्या का जिम्मेदार कौन है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस सरकार को अमरीका द्वारा वियतनाम पर कब्जे के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया कठोर वक्तव्य याद क्यों नहीं है? क्या आप प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य को भूल चुके हैं?

यह एक अन्य मुद्दा है जिसे मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। क्या इस सरकार के लिए यह सही है कि वह अमरीका के पक्ष में प्रत्यक्ष रूप से खड़ी दिखाई दे? मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने आई.ए.ई.ए. में ईरान के विरूद्ध दो बार अमरीका का समर्थन किया है। ईरान एन.पी.टी. का सदस्य है। उसे असैनिक परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। यदि कल भारत भी ऐसा ही करे, तो हमें यह आशंका है कि अमरीका यह कह सकता है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ईरान के विरूद्ध भी यही नीति अपनाई गई है। मेरे ऐसा कहने का कारण यह है कि हम पश्चिम एशिया शांति वार्ता में क्यों भाग ले रहे हैं जबकि हमारे को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया है? इसे सरकार ने इस्माइल हानिया, जो कि फिलिस्तानी के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, को आमंत्रित क्यों नहीं किया? अतः मैं जो कुछ यहां कर रहा हूं उसे अधिक स्पष्ट और व्यापक रूप से देने के लिए यहां बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

एक अन्य और अंतिम बात यह है कि अमरीका का सभी देशों के साथ लगभग 800 बिलियन डालर का व्यापार घाटा है। हम इस रणनीतिक सांझेदारी के विरूद्ध हैं। हम इस अमूलचूल परिवर्तन के विरूद्ध हैं। इस अमरीका के साथ मिलता और सौहार्दपूर्ण संबंधों के पक्ष पर हैं। हम परमाणु ऊर्जा चाहते हैं, परंतु उन सब चीजों की कीमत पर नहीं जिनपर भारत को गर्व है।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हां, भारत को अपना स्थान पाना है। हम सभी देशों में अपना एक अलग स्थान बनाऐंगे। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमरीका के बिना भी भारत वह स्थान प्राप्त कर लेगा। 'इंशाअल्लाह' हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं इतना कहकर ही अपनी बात समाप्त करता हूं कि यदि इस हमारा रणनीतिक सांझेदारी में विश्वास है

[हिन्दी]

किसी शायर ने अमरीका की दोस्ती के बारे में बहुत अच्छा कहा- कि तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों हो।

[अनुवाद]

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि इस सरकार को ऐसा रवैया अपनाना चाहिए जैसा कि एक कवि ने कहा है:

[हिन्दी]

हयात् लेकर चलो, कायनात लेकर चलो
चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो।

حیات لے کر چلو، کائنات لے کر چلو
چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلو

[अनुवाद]

अंत में, मैं उन दलों को एक परामर्श देना चाहूंगा जिन्होंने इतना कठोर रूख अपनाया है। आपको ईराक के मुसलमानों से प्यार है। आपको फिलिस्तानी के मुसलमानों से प्यार है। लेकिन सच्चर समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कृपया, भगवान के लिए, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों से प्यार करें या उनके प्रति प्यार की भावना पैदा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री पी.सी. थामस, आप केवल चार या पांच मिनट बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

***श्री गणेश सिंह** (सतना) : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को विश्वास में लिए बगैर यह समझौता किया है। प्रधानमंत्री

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जी को चाहिए था कि समझौते के पूर्व संसद को तथा अपने सहयोगी दलों को विश्वास में लेना चाहिए था। 15 अगस्त, 2007 को प्रधान मंत्री जी लालकिले से देश को जब संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने अमेरिका के साथ हुए परमाणु समझौते का जिक्र नहीं करने का क्या कारण था। क्या उन्हें स्वयं लग रहा था कि देश का मजबूत समर्थन इस मुद्दे में यूपीए सरकार को नहीं मिलेगा। आखिरकार समझौते में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई यह मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी का कोई महत्वपूर्ण कारण था, स्वयं प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जा कर बिना सोचे समझे 123 सूत्रीय समझौता पत्र में हस्ताक्षर कर दिया।

परमाणु ऊर्जा की जरूरत के महत्व को समझा जा सकता है लेकिन देश में अभी मात्र परमाणु ऊर्जा का प्रतिशत मात्र 3 प्रतिशत है। इस समझौते के बाद 7 प्रतिशत परमाणु ऊर्जा का उत्पादन और बढ़ेगा, देश में बिजली का संकट गहराता जा रहा है। हमारे पास पानी की बिजली, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की अत्यंत संभावना है। हम विद्युत में आत्म निर्भर बन सकते हैं।

अमेरिका का इतिहास रहा है कि सुपर पावर बनने के लिए वह सब कुछ कर सकता है। खाड़ी देशों में तेल पर कब्जा करने के लिए अपने समझौते को स्वयं तोड़ा। आज अमेरिका उपभोग की सारी सामग्री बना रहा है, उसे हिन्दुस्तान से बढ़िया बाजार और कहीं नहीं मिल सकती, इसीलिए वह यूपीए सरकार को लॉलीपाप देकर अपने जाल में देश को फंसाना चाहता है। परमाणु ऊर्जा तो एक बहाना है।

दुनिया में हमारे देश की एक अलग पहचान है। पड़ोसी देशों का खतरा अपने ऊपर लगातार बना हुआ है। ऐसी स्थिति में अमेरिका जैसे देश से किसी भी मामले में समझौता करने से पूर्व देश की सम्प्रभुता पर अवश्य विचार करना चाहिए।हमारी सैन्य ताकत तथा हमारे जो परमाणु के अड्डे हैं जिनके गोपनीयता के बारे में हमें सदैव सतर्क रहने की आवश्यकता है। परमाणु परीक्षण करके पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक मजबूत उदाहरण दिया था। उससे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि हमारी ताकत का दुनिया के लोगों ने एहसास किया। परन्तु, आज इस समझौते से कई तरह के संदेह पैदा हो गये हैं। अतः सरकार को इस समझौते पर पुनः समीक्षा करनी चाहिए। अमेरिका की नजर हमारे थोरियम के भंडार पर भी है ताकि वह आणविक शक्ति का अकेला मालिक बन सके।

देश के आम आदमी का भले इस समझौते से कोई लेना देना न हो फिर भी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर यूपीए सरकार को कार्य करना चाहिए।

मेरी मांग है कि 123 मुद्दे जो समझौते के हैं उन सभी एक एक बिन्दुओं का पूरी तरह खुलासा सरकार को करना चाहिए ताकि जो भ्रम की स्थिति है वह खत्म हो सके।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं बहुत छोटा भाषण दूंगा।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 29 जुलाई 2005, 27 फरवरी, 2006 और 7 मार्च, 2006 तथा इसके बाद भी वर्तमान वाद-विवाद के दौरान आश्वासन दिया था। इन आश्वासनों में यह कहा गया था कि इस समझौते से हमारी असैनिक परमाणु प्रौद्योगिकी तक पूरी पहुंच होगी, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने के कारण लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे और इससे भारत का रणनीतिक परमाणु कार्यक्रम सीमित नहीं होगा। लेकिन जब विधानो, जिनका प्रारूप तैयार किया गया था और जिन्हें पारित किया जा चुका है तथा जिन्हें समितियों और अमरीका के विधायी निकायों के सम्मुख लाया गया है हमें यह पता चला कि इनमें कुछ अन्तर हैं। भारत को अपने असैनिक परमाणु संस्थानों को सैनिक संस्थानों से पृथक करना होगा, जिस अर्थ यह है कि यह पृथक्कीकरण पूर्ण रूप से भारत का अपना निर्णय होगा। लेकिन उन विधानों के प्रावधानों से इन आश्वासनों के बारे में गंभीर शंकाएं पैदा हो गई है।

उदाहरण के लिए, इनमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो इस समझ से पूर्णतया अलग हैं और जिनसे भारत की विदेश नीति अमरीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढल जाएगी तथा हमारी वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास क्षमताओं का आई.ए.ई.ए. तथा अन्य अमरीकी निरीक्षकों द्वारा सघन निरीक्षण किया जा सकेगा। इस संबंध में अमरीका का किसी भी रूप से अप्रसन्न होना भी गंभीर चिंता का विषय होगा।

यदि अमरीका भारत को अपनी आपूर्तियां रोक देता, तो क्या होगा? क्या हम अपनी ओर से कार्यवाही कर सकेंगे? लेकिन इन शर्तों को देखते हुए यह लगता है कि ऐसी किसी भी स्थिति में एन.एस.जी. के समक्ष जाना होगा और ऐसा नहीं है कि भारत अपनी इच्छानुसार किसी भी अन्य विक्रेता के पास जा सकता है। यह हमारे हितों की

[श्री पी.सी. थामस]

राह में एक गंभीर अड़चन है। यह भी चिंता का एक विषय है कि क्या भारत पर ईंधन के प्रसंस्करण, यूरेनियम के संवर्धन कठोर जल के उत्पादन संबंधी प्रतिबंध उपकरणों तथा प्रौद्योगिकियों के संबंध में भी लागू रहेंगे। इसमें एकमात्र छूट, परमाणु ईंधन रियेक्टरों तक ही अप्रसार संबंधी रूकावटें सीमित हैं। वास्तविक चिंता यह है कि इसमें एक ऐसा खण्ड है जो यूरेनियम के संवर्धन से संबंधित उपकरणों सामग्री या प्रौद्योगिकी के निर्यात, उपयोग किए गए परमाणु ईंधन का पुन: प्रसंस्करण और कठोर जल के उत्पादन का निषेध करता है। ये कुछ गंभीर चिंता के विषय हैं।

इस समय मैं भी एक बहुत साधारण बात पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार यह बता पाएगी कि सारे भारतीयों को घरेलू और अन्य उपयोगों के लिए बिजली विद्युत को किस लागत पर दिया जाएगा। यह ऐसा मामला है जिसका विशेष उल्लेख किया गया है और जिसपर वहन किए जाने वाले खर्च के साथ विचार किए जाने की आवश्यकता है।

मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इन मुद्दों को भी स्पष्ट किया जाए। मैं आशा करता हूं कि सरकार जोकि इन पहलुओं पर बहुत गंभीरता पूर्वक गौर करेगी यह सुनिश्चित करेगी कि भारत की सुरक्षा से जुड़े प्रमुख पहलुओं के साथ-साथ भारत की विदेश नीति का भी ध्यान रखा जाये।

***श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी) :** मैं अध्यक्षपीठ के प्रति अभार प्रकट करता हूं। कि उन्होंने मुझे भारत-अमरीका परमाणु समझौते का समर्थन करने का अवसर दिया।

परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच सहयोग समझौते को 123 समझौता कहा जाता है। यह समझौता 40 वर्षों के लिए है। यह समझौता दोनों देशों द्वारा किसी अशांतिपूर्ण कार्य से जुड़े बिना परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित है। यद्यपि यह समझौता असैनिक परमाणु सहयोग के लिए है तथापि हमारी सरकार ने सुरक्षा संबंधी सभी स्थितियों को ध्यान में रखा है। यह समझौता एक संतोषजनक समझौता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय असैनिक परमाणु सहयोग में सहायता मिलेगी इस समझौते में हमारी चिंताओं का पर्याप्त रूप से निवारण कर दिया गया है। यह समझौता भारत के लिए दो कारणों से अनुकूल है। एक तो यह भारत को वैश्विक परमाणु वाणिज्य में भागीदारी करने की अनुमति देता है और दूसरा यह कि भारत के सामरिक कार्यक्रमों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी को इस 123 समझौते को कराने हेतु बधाई देनी चाहिए जिससे भारत के परमाणु कार्यक्रम और ऊर्जा क्षेत्र को निश्चित रूप से लाभ होगा। गत दो वर्षों में हमारी सरकार के अधिकारियों ने अमरीकी सरकार के समकक्ष अधिकारियों के साथ अनेक बैठकें की और इस समझौते को अंतिम रूप दिया अब भाजपा और उनके साथी दल इस समझौते को ऐसे विरोध कर रहे हैं जैसे कि मानो अमरीका अछूत देश है। वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी और अमरीकी राष्ट्रपति श्री बुश ने एक संयुक्त वक्तव्य में ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में सहयोग करने की बात की थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति श्री बुश ने 18.06.2005 को संयुक्त वक्तव्य जारी किया था और कई व्यापक चर्चाओं के बाद समझौते पर प्रगति हुई थी।

वर्ष 2001 में वाजपेयी और बुश द्वारा दो पंक्ति वाले वक्तव्य को पूर्णत: तकनीकी, राजनीतिक और विधिक रूप में बाध्यकारी 123 समझौते के रूप में लिया जाना था। अंतिम समझौते में भारत के परमाणु हथियारों का परीक्षण करने के अधिकार, आजीवन ईंधन की आपूर्ति की गारंटी, स्पेंड ईंधन को पुन: प्रसंस्कृत करने के भारत के अधिकार की रक्षा की गई है।

भारत विद्युत उत्पादन हेतु परमाणु प्रौद्योगिकी के अनुपयोगों में एक अग्रणी देश रहा है। परमाणु विद्युत का उपयोग करने वाले विश्व के 30 देशों में भारत का स्थान सबसे नीचे 27 वें नंबर पर है। सकल घरेलू उत्पाद में भारत के आर्थिक विकास की दर 9% है परंतु यह विद्युत उत्पादन में पीछे है। इस ऐतिहासिक समझौते के माध्यम से भारत की विद्युत की समस्या और यूरेनियम की कमी का समाधान हो जाएगा हमारे देश में 10000 मेगावाट विद्युत की कमी है। इस समझौते और परमाणु ऊर्जा के माध्यम से हम वर्ष 2020 तक 20,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं।

पूरे देश में हमारे वैज्ञानिक इस समझौते का स्वागत कर रहे हैं। जापान, चीन और अन्य देशों ने अमरीका के साथ ऐसा ही 123 समझौता किया है। इस समझौते में बाधा-मुक्त खंड होने के कारण हमारी सैन्य परमाणु सुविधाओं में किसी प्रकार हस्तक्षेप अथवा बाधा की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। यह समझौता हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यावहारिक समाधान है। यह समझौता डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सं.प्र.ग. सरकार की उपलब्धि है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं इस समझौते का समर्थन और स्वागत कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम यहां इंडो-यूएस न्यूक्लियर डील पर बहुत गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* मैं वामपंथी दलों का हार्दिक आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि जब 13 अगस्त को डा. मनमोहन सिंह जी ने इंडो-यूएस न्यूक्लियर एग्रीमैंट के बारे में निवेदन किया तब से लगातार तीन-चार महीने तक हम बहुत टैंशन में थे कि पार्लियामैंट कब डिजॉल्व होगी और कब इलैक्शन होगा। लेकिन आज वामपंथी दलों ने इस पर चर्चा का मौका दिया है। हमारे सामने वाले यानी एनडीए चाहता था कि यूपीए और वामपंथी में काफी झगड़ा हो और चर्चा नियम 184 के अंतर्गत होनी चाहिए थी वोटिंग हो। ये लोग ऐसा देख रहे थे कि हमारी सरकार जाये। लेकिन मल्होत्रा जी, हम इतने कच्चे पालिटिशियन नहीं हैं। स्पीकर साहब ने यह चर्चा नियम 193 के अंतर्गत ली है, इसलिए हर पार्टी को अपनी बात रखने का यहां पूरा अधिकार है। यह जो 123 एग्रीमैंट है, वह अपने देश के विकास के लिए किया गया है। जब तक पावर बढ़ती नहीं है, आपको भी मालूम है क्योंकि आप छः साल तक पावर में थे। जब आप पावर में थे तब क्या होता है, यह आपको मालूम है। इसलिए अपने देश के कल्याण के लिए पावर की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है, इसलिए यह एग्रीमैंट बहुत जरूरी है।

आप जानते है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 9 नवम्बर, 2001 में प्रधानमंत्री बने तब वे भी अमेरिका गये थे। पहले आपके संबंध भी अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। अभी जब हम अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि यह संबंध तोड़ना चाहिए, लेकिन हम अमेरिका से संबंध नहीं तोड़ सकते हैं, एशिया और चाइना के साथ हम संबंध अच्छा करना चाहते हैं, जापान के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सभी लोगों के साथ हम अपने संबंधों को अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन एनडीए के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आठवले, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : इसलिए यह एग्रीमैंट बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए विपक्ष ने जो जेपीसी की मांग की थी वह ठीक नहीं थी क्योंकि उसमें ये लोग गड़बड़ी करने वाले थे। यह जो यूपीए और लेफ्ट की कमेटी बनी है, वह अच्छा काम कर रही है। यह एग्रीमैंट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी के विचार को भी सुनना चाहिए क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं रहेगा तो न आपकी सरकार रहेगी, न हम रहेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता श्री तथागत सत्पथी हैं। मैं आपको इस मुद्दे पर बोलने के लिए केवल दो मिनट का समय दे पाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : आडवाणी जी भी सदन में आ गए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि

डा. मनमोहन सिंह जी ने किया इण्डो-यूएस न्युक्लियर डील,
संसद को किया जा रहा था किल,
लेफ्टिस्ट्स को हो गया था ज्यादा फील,
एनडीए वाले हो गए थे जील।

इसलिए मेरा कहना है कि यह डील बहुत अच्छी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा श्री आठवले, कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आठवले, कृपया बैठ जाइए क्यों कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीधे-सीधे इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि भारत को बहुत अधिक

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री तथागत सत्पथी]

ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है और इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु दुर्भाग्यवश, यह देश परिपूर्णता में कभी विश्वास नहीं करता है और यह सरकार इसकी प्रतीक है।

यह ऐसी स्थिति है जिसमें तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया और सभी प्रमुख दल - यह पक्ष और वह पक्ष - अमरीका की उस इच्छा में साझेदार हैं जो वह करना चाहता है। इसलिए, हम देशवासियों के सामने आगामी 50 वर्षों में अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने में भी असमर्थ हैं। सरकार देशवासियों को यह बताने में असमर्थ है कि आगामी 50 वर्षों में ऊर्जा की हमारी आवश्यकता कितनी होगी। ऐसी स्थिति में, मैं किसी विशेषज्ञ के बारे को उद्धृत नहीं करना चाहता क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। अनेक माननीय सदस्य पहले बोल चुके है और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को उद्धृत किया गया है। परंतु मैं लोगों को व्यापक नरसंहार के हथियारों (डब्ल्यू.एम.डी.) के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। अमरीका बहुत बड़े इतिहास वाले इराक जैसे देश पर आक्रमण करके उसे तबाह कर सकता है, और इन तीन शब्दों डब्लू.एम.डी. के बहाने बिना पछतावे के संस्कृति को नष्ट कर सकता है। अमरीका का समर्थन करने वाले अनेक देश आज इस आक्रमण से पीछे हट गए हैं क्योंकि उन्हें महसूस हो गया है कि यह एक पागल देश है। हम अमरीका के प्यार की तलाश में दल संबंधी सभी सीमाए आदि लाघ चुके हैं और हम हर किसी को यह बताने के लिए अपने होश खो रहे हैं कि हम उनका समर्थन करते परंतु हम यह नहीं जानते कि हम किस बात का समर्थन करते हैं। हमें यह नहीं पता कि हमें कितनी विद्युत की आवश्यकता है और हमें भविष्य में कितनी विद्युत की आवश्यकता होगी।

हमें थोड़ी समझदारी से अपने आपसे यह पूछना चाहिए। जर्मनी जैसा देश जिसके पास 19 विद्युत संयंत्र थे, उसने उनमें से दो संयंत्रों को बंद क्यों कर दिया और उन्होंने आज उनकी संख्या घटाकर 17 क्यों कर दी? अपनी विद्युत के लगभग 87 प्रतिशत हिस्से को परमाणु ऊर्जा से उपयोग करने वाला फ्रांस अपने परमाणु विद्युत संयंत्रों की संख्या घटाने की योजना क्यों बना रहा है?

हम यह प्रश्न पूछने में असमर्थ हैं कि ऊर्जा विभाग में यूस सेक्रेटरी ने स्पष्ट रूप से कहा, यह उनकी वेबसाइट पर है, कि वर्ष 2020 तक सभी रेडियो एक्टिव ठोस और द्रव्य अपशिष्टों को अमरीकी भूमि से हटा दिया जाएगा। यह अपशिष्ट कहां जाएगा? पुनःप्रसंस्करणीय अपशिष्ट भारत जैसे देशों में आएंगे क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमें अमरीका बनना है।

हम साधारण निवेश नहीं कर रहे हैं। आज, भारत में ऊर्जा पारेषण के माध्यम से औसत राष्ट्रीय अपशिष्ट अथवा राष्ट्रीय हानि 35 प्रतिशत है। मेरे राज्य उड़ीसा में यह 52 प्रतिशत है। महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों में औसत अपशिष्ट 34 से 35 प्रतिशत है। यदि आप किसी राज्य बिजली बोर्ड के किसी इंजीनियर से पूछें तो वह आपको बताएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपशिष्ट अथवा हानि तीन से चार-प्रतिशत है, यदि हम हानि को लगभग दस प्रतिशत तक लेकर चलें तो हम इसमें 25 प्रतिशत तक कमी ला सकते हैं, हम 24 घंटे बिना रूकावट के बिजली प्रदान करके भारत में सड़क से जुड़े सभी गांवों का विद्युतीकरण कर पाएंगे। क्या हम इस पर विचार करने के इच्छुक हैं? क्या हम इसमें निवेश करने के इच्छुक हैं। आज पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश जैसे एकमात्र राज्य में 65,000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करने की क्षमता है। क्या हम इस राज्य में निवेश करने के इच्छुक हैं? नहीं, हम वहां निवेश करने के इच्छुक नहीं हैं।

जब पूरा विश्व रेडियो एक्टिव अपशिष्ट का निपटान करने के बारे में चिंतित है तो ऐसी स्थिति में हम यह नहीं जानते कि हम कहां पहुंचेंगे। पहले वे अपशिष्ट को महासागर में डाल दिया करते थे और जमीन में गहरे गड्ढे खोदा करते थे परंतु उन्होंने पाया कि रेडियोएक्टिव अपशिष्ट 700 वर्षों से अधिक समय तक चलता है। जब अमरीका अपनी गंदगी साफ करना चाहता है तो इस समय उसकी सारी गंदगी को ले रहे हैं।

आज हम सब पूर्व-विश्व बैंक कर्मचारियों के रूप में बदल रहे हैं। मीडिया, संसद और पूरी सरकार की आज एक ही सोच है। कोई भी तर्क के आधार पर, नीतिशास्त्र के आधार पर इस कदम का विरोध नहीं कर रहा है। यह शर्म की बात है, और आज हम देश के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए भारत की भावी पीढ़िया हमें कोसेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अंतिम वक्ता श्री रामकृपाल यादव हैं। आपको अपना भाषण दो या तीन मिनट में समाप्त करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम सदन में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका के

साथ हमारे देश की सरकार ने परमाणु डील देश हित में करने का निर्णय लिया है। मैं समझता हूं कि इस विषय पर कई शंकाएं उत्पन्न हुई हैं और यह देश में एक विवाद का विषय बन गया। इस समझौते का मूल रूप से उद्देश्य यह है कि हम अपने देश में बिजली की आपूर्ति कर सकें। देश का विकास तब तक नहीं हो सकता, जब तक पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं आती। इसलिए इस समझौते का यही उद्देश्य है। इस समझौते को करने से पहले सरकार द्वारा यह भी देखा गया कि हमारी विदेश नीति पर कोई कुठाराघात न हो। इसलिए हम देश को गिरवी नहीं रखने जा रहे हैं और न ही इसकी स्वतंत्रता पर बाह्य नियंत्रण जैसा कोई कार्य कर रहे हैं। देश में इस तरह की आशंकाएं पैदा की गई और यह विषय देश में चर्चा का विषय बन गया।

सरकार की मंशा है कि देश में बिजली की कमी को पूरा किया जाए। हजारों गांवों में बिजली की दिक्कत है और कई कल-कारखाने भी इस वजह से बंद हो रहे हैं। अगर देश में विकास चाहिए तो वह बिना बिजली के कभी नहीं हो सकता। आम लोगों की गरीबी दूर करने के लिए, उन्हें रोजी-रोटी मुहैया कराने के लिए और कृषि के लिए भी बिजली की आवश्यकता है। देश को आजादी को 60 बरस हो गए हैं, लेकिन अब भी हम देश में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। यह मूल रूप से इस एग्रीमेंट की सोच है। इसी के तहत यह समझौता किया गया है।

इस समझौते को लेकर हमारे वामपंथी साथियों ने कुछ आशंकाएं व्यक्त करने का काम किया है। प्रतिपक्ष ने भी कई आशंकाएं व्यक्त की हैं। प्रधान मंत्री जी ने पूर्व में सदन में और बाहर भी स्पष्ट रूप से कहा है कि हम किसी के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे, जिससे देश हित पर आंच आए। हमारे देश का इतिहास रहा है कि हमने कभी भी देशहितों की अनदेखी करके कोई एग्रीमेंट नहीं करने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस विश्वास के साथ इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, वे देश के हितों की रक्षा करेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि वे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जिससे देश पर कोई आंच आए।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। पता नहीं क्यों आपने मुझे सबसे कम समय बोलने के लिए दिया है। हाईटैक 123 समझौते के लिए कहा गया है, यह तो अमरीका का अपना कानून है और यह हमारे देश पर लादा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर यह बात साफ है कि अमरीका का कानून भारत पर लागू हो ही नहीं सकता है। यह निराधार आशंका है। मैं चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी भाषण दें, तो इन आशंकाओं को जरूर दूर करें।

हमारी पार्टी अमरीका के साम्राज्यवाद के पूरी तरह से खिलाफ है। हम एक बार नहीं अनेकों बार, आज की तिथि में ही नहीं भविष्य में भी अमरीका की दादागिरी और साम्राज्यवादी आतंक के विरूद्ध ही रहेंगे और हमने प्रदर्शन भी किए हैं तथा आज भी देश के हित की रक्षा के लिए अमरीका का साम्राज्यवाद यहां नहीं चलेगा, इस विश्वास में हैं। आपकी तरह दो रंगी नीति नहीं होनी चाहिए. ..*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह (पूर्णिया) : आप अपने बारे में बात कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : आप हमें बोलने दीजिए। आप चिंता क्यों कर रहे हैं। दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। जब आप सत्ता में थे, तो आप अमरीका के साथ घुटने टेक करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने जाते थे। आज जब सत्ता से बाहर हैं, तो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आप क्लीयर कट बोलिए, अगर अमरीका के खिलाफ हैं, तो हैं।...*(व्यवधान)* श्री आडवाणी जी ने संसद के अंदर कुछ स्टेटमैंट दी और बाहर कुछ और स्टेटमैंट दी। कभी परमाणु समझौते के पक्ष में स्टेटमैंट देते हैं और कभी परमाणु समझौते के खिलाफ स्टेटमैंट देते हैं। आप अपनी नीतियों पर स्पष्ट रहिए। देश के हितों की रक्षा के लिए यह परमाणु करार लाया गया है। वामपंथी साथियों की जो आशंकाएं हैं, उन्हें दूर किया जाएगा। आने वाले दिनों में देश के हितों की रक्षा यूपीए सरकार करेगी, प्रधानमंत्री जी करेंगे।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। गरीबों की रोजी रोटी के लिए यह परमाणु करार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी तो पूर्ण रूप से अमरीका के पक्ष में है, पूरे तौर पर अमरीका के पक्ष में खड़ी है।

श्री उदय सिंह : अमरीका के पक्ष में हम हैं और समझौता आप कर रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि यूपीए की मंशा साफ है और नीतियां भी स्पष्ट रही हैं कि देश की आजादी बाद और आज की तारीख तक देश के हितों के खिलाफ कोई काम नहीं किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मैं माननीय मंत्री से वाद-विवाद का उत्तर देने का अनुरोध करूंगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। श्री राम कृपाल यादव, कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बहस शुरू हुई थी, तब बहस को स्थगित किया गया और यह कहा गया कि प्रधानमंत्री जी विदेश में हैं इसलिए जब वे भारत लौट आएंगे, तब बहस की जाएगी तथा प्रधानमंत्री जी उत्तर देंगे। हम प्रणब जी का बहुत सम्मान करते हैं और उनका भाषण सुनने में हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसे प्रधानमंत्री जी ने किया है, संयुक्त वक्तव्य दिया है। अगर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे, तो यह संसद का अपमान है, सदन का अपमान है। हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी इस विषय पर अपना वक्तव्य दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हम बोलना नहीं चाहते... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैं सरकार की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। किसी भी समय, सरकार की ओर से ऐसी कोई वचनबद्धता नहीं की कि प्रधानमंत्री उत्तर देंगे...*(व्यवधान)* चूंकि उनके पास बहस के मुद्दे नहीं हैं...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभा और इस देश के हित में यह एक महत्त्वपूर्ण वाद-विवाद है- क्योंकि आप वर्ष 2005 से इस मामले से निपट रहे हैं। मेरे मन में माननीय प्रणब जी के लिए बहुत सम्मान है। उन्हें हाल ही में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपने इस पूरी बहस को सुना है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि आप इस बहस का उत्तर क्यों देंगे...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमारे प्रधानमंत्री जी चार बार बोल चुके हैं। इन वार्ताओं की संसद को कभी भी जानकारी नहीं दी गई। एक बार भी नहीं। इसीलिए मेरा यह कहना है कि हमने बी.ए.सी. में कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। सरकार ने केवल यह कहा है कि दोनों मंत्री विदेश यात्रा पर हैं। उन्हें वापस आने दीजिए और सही समय का चुनाव करने दीजिए।...*(व्यवधान)* हमने आज का समय केवल इसलिए चुना है क्योंकि कल विपक्ष के नेता उपस्थित नहीं थे... *(व्यवधान)*हम भी इसे करना चाहेंगे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, इनको जवाब सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए।...*(व्यवधान)* ये पलायन करना चाहते हैं।... *(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इस डिबेट का प्रधानमंत्री जी उत्तर दें।...*(व्यवधान)* हम सदन का अपमान सहन नहीं कर सकते। अतः हम इसके विरोध में वाकआउट करते हैं।...*(व्यवधान)*

सायं 7.32 बजे

(इस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने अपराह्न 2.00 बजे से लेकर अब तक इस चर्चा में भाग लिया है। इसमें 29 माननीय सदस्यों ने अपना योगदान दिया है। मुझे यह आशा थी कि मुख्य विपक्षी दल, विपक्ष के नेता शांतिपूर्वक अपने उठाए गए मुद्दों का उत्तर सुनेंगे। परन्तु हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, जहां सभी संसदीय मानदण्डों, शिष्टाचार और सहयोग को दर किनार कर दिया गया है। इसलिए, मैं भा.ज.पा. और रा.ज.ग. के

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सहयोग दलों के ऐसे व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित नहीं हूं परन्तु उनसे ऐसा करने की अपेक्षा भी नहीं की जाती है। मैं एक छोटा-सा व्यक्ति हूं। लेकिन इस देश के इतिहास में पहली बार देश के माननीय प्रधानमंत्री को 13 अगस्त, 2007 को उस समय नहीं बोलने दिया गया, जब वे बोलने का अवसर दिए जाने पर, संसदीय परंपराओं, शिष्टाचार और व्यवस्था का सम्मान करते हुए सभा के समक्ष 123 समझौते के स्वीकार्य पाठ को स्पष्ट कर रहे थे। मेरा कहना यह है कि मैं अपने उत्तर में माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को कवर करने का प्रयास करूंगा परन्तु इसकी शुरूआत तो करनी ही पड़ेगी। यह 123 समझौता और चर्चा व्यवहारिक रूप से उसी चर्चा का अगला भाग है, जो मानसून सत्र में हो जानी चाहिए थी। श्री रूपचंद पाल ने इस चर्चा की शुरूआत करते हुए ठीक ही कहा है कि मुख्य विपक्षी दल के व्यवधान पैदा करने के कारण यह चर्चा पूरी नहीं हो सकी है। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि हमें माननीय संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए बहुत से मुद्दों को स्पष्ट करने का अवसर मिला।

महोदय, प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ की जाने वाली इस महत्वपूर्ण व्यवस्था के संबंध में बहुत मुख्य रूप से अपने विचार व्यक्त किए हैं। सबसे पहले मैं एक मुद्दे को स्पष्ट करना चाहूंगा, जिसका प्रधानमंत्री जी भी कई अवसरों पर उल्लेख कर चुके हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के साथ यह 123 समझौता इसी प्रक्रिया का भाग है, इसके तीन चरण हैं- पहले चरण में संयुक्त राज्य अमरीका और भारत के बीच इस संबंध में एक स्वीकार्य पाठ तैयार किया गया, जिसे अंतिम रूप दिया जा चुका है; दूसरे चरण में आई.ए.ई.ए. के साथ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों का पर्यवेक्षण करने वाला सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, विशेषरूप से भारत के संदर्भ में सुरक्षोपायों से संबंधित समझौता करना। भारत 1950 के शुरूआती वर्षों में इस निकाय का एक संस्थापन सदस्य रहा है और भारत ने अपने तरीके से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रमुख विनियामक निकाय को सुदृढ़ बनाने हेतु बहुत सहयोग दिया है। हम आई.ए.ई.ए. के लिए अजनबी या नये नहीं हैं, कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों की भांति भारत आई.ए.ई.ए. के संस्थापकों में से एक रहा है।

इस आरंभिक चरण में संक्षिप्त रूप से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस समझौते से हमें कई अन्य देशों के साथ परमाणु व्यापार से संबंधित समझौता करने का पासपोर्ट मिल जाएगा। सच तो यह है कि 1974 के पहले विस्फोट और 1998 के दूसरे पोखरण परीक्षण के पश्चात भी हम पर प्रतिबंध लगे हुए हैं।

विपक्ष के नेता ने अपनी टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि उनकी सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका को सभी प्रतिबंध हटाने के लिए मना लिया था। पूरी विनम्रता के साथ मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुत सी भारतीय कम्पनियां को अभी भी परमाणु मामलों से संबंधित बहुत से अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। मैं 'बहिष्कृत' शब्द का उपयोग नहीं करूंगा। परन्तु कटु सत्य यही है कि प्रतिभावना होने के बावजूद भी हमारे विशेषज्ञों, हमारे इंजीनियरों और हमारे वैज्ञानिकों की बहुत से क्षेत्रों तक पहुंचा नहीं है।

सरकारी संगठनों की सूची में सम्मिलित, एक बहुत महत्वपूर्ण रक्षा संगठन की कुछ गतिविधियां संयुक्त राज्य अमरीका के घरेलू कानूनों के अनुसार उनके जांचाधीन हैं। हम इसे पसंद करें या न करें लेकिन यही सत्य है। इसलिए, इस रूकावट को दूर करने का एक प्रयास किया गया है और इस रूकावट को पार करते ही यह संभव हो पायेगा। लेकिन इस बाधा को पार करने के लिए एन.एस.जी. में शामिल संयुक्त राज्य अमरीका, रूस, फ्रांस, चीन और आई.ए.ई.ए. समूह में सम्मिलित लगभग 30 से अधिक देशों सहित 45 देशों के समर्थन की आवश्यकता है और इनके समर्थन की आवश्यकता परमाणु व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने और अन्य देशों के बराबर आने व आज जो बाधाएं मौजूद हैं, उन्हें दूर करने के लिए है।

विपक्ष के नेता के भाषण के अधिकांश भाग में केवल इस बात के लिए अपनी तारीफों के पुल बांधे गये है कि पोखरण में दूसरा परीक्षण करके उन्होंने एक महान कार्य किया है। इन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा—उनके भाषण में इसी बात पर जोर दिया गया था- कि भारत ने परीक्षण करने के अपने उस अधिकार की बलि चढ़ा दी है, जिसपर इन्हें बहुत गर्व है। अपनी टिप्पणियों में उन्होंने स्वयं यह कहा था कि उनका दल 19 मार्च, 1998 को सत्ता में आया और उन्होंने 11 मई, 1998 को 30 से भी कम दिनों के समय में, परीक्षण कर दिया। एक बच्चा भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि 30 से भी कम दिनों के समय में परमाणु परीक्षण किया जा सकता है। सब कुछ तैयार था।

यहां मैं पूरे आदर के साथ माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि पहले दिन से ही हमारी यही नीति रही है और यह नीति और किसी ने नहीं अपितु स्वयं राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने ही आरंभ की थी और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसका समर्थन किया था। हम पूर्ण परमाणु निरास्त्रीकरण के कट्टर समर्थक रहे हैं।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

हमने परमाणु प्रसार संधि पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए कि हम परमाणु हथियारों से सुसजित होना चाहते थे, बल्कि हमारा यह मानना है कि यह संधि एक धोखा है तथा भेदभाव पूर्ण है। यह विभिन्न देशों को परमाणु सम्पन्न और परमाणु वैपन देशों में बांटती है। हम इस भेदभाव पूर्ण और कपटता से युक्त संधि पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे परमाणु सम्पन्न और परमाणु विपन्न दो वर्गों का निर्माण होता है।

वह बार-बार यही कह रहे थे कि यदि नेहरू जी ने वह गलती न की होती, तो वे परमाणु क्लब में शामिल हो गए होते। पंडित जी ने कोई गलती नहीं की थी। उन्होंने गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाकर, कोरिया में शांति की पहल से लेकर 1956 में स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की निंदा करके, 1956 में स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की निंदा करके, 1956 में स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर मिस्र पर हमला करने के मुद्दे और बातचीत के माध्यम से मिस्र पर पूर्ण हमले को टालने जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कड़ा रूख अपनाकर, विश्व को तीसरे विश्व-युद्ध से बचाया था। विश्व को विनाश से बचाया था।

जब, वर्ष 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने परमाणु विस्फोट करवाए, तो उसका उद्देश्य परमाणु हथियारों से सुसज्जित होना नहीं था। इस संबंध में उन्होंने ये भाषण इस सभा में और दूसरी सभा में दिए थे। ये भाषण इस सभा में और दूसरी सभा के रिकार्ड में हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, 'मैं वह प्रौद्योगिकी हासिल करना चाहती हूं। मैं भारतीय वैज्ञानिकों तकनीकविदों और भारतीय इंजीनियरों की सक्षमता को परखना चाहती हूं। उसका उद्देश्य असैनिक परमाणु कार्यक्रमों का शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग करना था। वह युद्ध-पिपासा नहीं दी।

इसे युवा प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी जी द्वारा तीसरे परमाणु अप्रसार सम्मेलन में आगे बढ़ाया गया। उन्होंने पूरे विश्व को बताया: मैं तैयार हूं। मेरे इंजीनियर, मेरे वैज्ञानिक और मेरे प्रौद्योगिकीविद् तैयार हैं। हम शस्त्रीकरण कार्यक्रम से लेस मात्र की दूरी पर हैं। हम इसे कर सकते हैं। हम इसे अभी कर सकते हैं। लेकिन मैं विश्व-समुदाय को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मैं इस लक्षण-रेखा को पार नहीं करूंगा।

हम वर्ष 1974 से लेकर 1998 तक लगभग एक चौथाई शताब्दी तक, लगातार यह कहते आ रहे हैं कि हम अपने विकल्प खुले रखेंगे। हमने अपना विकल्प बंद नहीं किया है। श्री राजीव गांधी जी ने विश्व-समुदाय को यही संदेश दिया था; 'मैं वैश्विक भेदभाव रहित और प्रमाणिक निशःस्त्रीकरण चाहता हूं जिसमें इसके चौतरफा प्रसार को रोका जाएगा। और यदि विश्व समुदाय सहमत है तो मैं स्वयं इस दहलीज को पारकर परमाणु हथियारों से सुसज्जित की हिमायत नहीं करूंगा।

यह दर्शन है। संभवत: यह विपक्ष के नेता और उनके दल की कल्पना से परे है। इसीलिए, उन्हें इसमें त्रुटियां दिखाई दे रही हैं। उन्होंने जो कहा है, मैं उसका इसलिए प्रतिवाद नहीं करूंगा क्योंकि यह अनुचित है। उन्होंने अनावश्यक रूप से इस देश के लब्ध प्रतिष्ठित पुत्र, भारत के पूर्व राष्ट्रपति का नाम इसमें घसीटा है। लेकिन वस्तुत: श्री वेंकटरमन श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में रक्षा मंत्री थे, न कि जनता पार्टी के राज में और न ही उसके बाद। इसलिए, यह बात पूर्णतया अस्वीकार्य है। यही वास्तविक स्थिति भी है। विपक्ष के नेता को अच्छी तरह से तैयारी करके आना चाहिए। श्री आर. वेंकटरमन 15 जनवरी, 1982 से जुलाई 1984 में भारत के उप-राष्ट्रपति चुने जाने तक रक्षा मंत्री थे। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। इस सभा में और इस पूरे देश में कौन इस बात पर विश्वास करेगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने संयुक्त राज्य अमरीका के दबाव में परमाणु परीक्षण कार्यक्रम त्याग दिया था। उन्होंने इस कथन के साथ अपनी बात शुरू की जिसका मैं विरोध करता हूं और प्रधानमंत्री को भी इसका विरोध करना पड़ेगा—कि संयुक्त राज्य अमरीका की रूचि ऊर्जा कार्यक्रम में नहीं है। 123 समझौते का दूसरा वाक्य ही ऊर्जा कार्यक्रम से शुरू होता है।

उन्होंने पूछा कि हम संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष क्यों नहीं गए। मैंने इसी सभा में इस बात को स्पष्ट कर दिया था। मैंने स्पष्ट किया था कि तत्कालीन भारत के उन प्रबुद्धजनों ने संविधान का निर्माण किया था, जिन्होंने अपना जीवन इस महान देश की सेवा में समर्पित कर दिया था। संविधान सभा के वाद-विवाद में मैंने यह पाया कि इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी और संवैधानिक स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया गया था। बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। मैं भारतीय संघ और अन्य बनाम आजादी बचाओं आंदोलन और अन्य के मुकदमें में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करना चाहता हूं। मुकदमा सं. 2004/10 एस.सी.सी. के निर्णय के पैरा 18 में उच्चतम न्यायालय ने कहा:

"अनुच्छेद, 73 के तहत कोई भी संधि करने संबंधी शक्ति राज्य की संप्रभु शक्ति का एक अंतर्निहित भाग है। संविधान के उपबंध के अध्यधीन संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति का क्षेत्र उन मामलों तक है, जिनके बारे में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। हमारे संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, जो युद्ध या शांतिकाल में कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि करने के लिए विधान बनाने का प्रावधान करता हो।"

यही संवैधानिक स्थिति है। भारत के उच्चतम न्यायालय की यही अद्यतन व्याख्या है। लेकिन कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि स्वत: लागू नहीं की जाती यदि उसके लिए किसी कानून की मदद की जरूरत हो। फिर इस मामले में उपयुक्त विधायिका केन्द्रीय संसद ही है जो सातवीं अनुसूची के की सूची-1 की प्रविष्टि संख्या 10 और 14 के अंतर्गत कानून बनाएंगी। ऐसा इस सभा द्वारा ही किया जा सकता है। यह बहुत पुरानी बात नहीं है। 1994 में जब हमने विश्व व्यापार संगठन के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की थी तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार को स्वीकार किया था और उस प्रतिबद्धता को प्रभावी बनाने के लिए हमे 1973 के पेटेंट अधिनियम में संशोधन करना पड़ा था।

इसके तहत उत्पाद पेटेंट का प्रावधान किया जाना था, जो तीन वस्तुओं नामत: भेषज कृषि और खाद्य वस्तुओं के संबंध में उपलब्ध नहीं था। संसद में अधिनियम ने करके ऐसा किया गया। माननीय प्रधान मंत्री जी ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि वे संसद में नहीं आएंगे। आडवाणी जी ने जिस वक्तव्य का उल्लेख किया है उससे साफ तौर पर यह कहा गया है और यही कारण है कि जब 18 जुलाई, 2005 को संयुक्त वक्तव्य जारी किया तो उसके बाद हमने संसद में इस पर चर्चा की। पृथककीरण योजना के बाद हमने 6 अगस्त, 2006 को संसद में इस पर चर्चा की और हमने पुन: 2006 में इस पर संसद में चर्चा की तथा जब हाइड अधिनियम पारित किया गया और जैसे ही मौका मिला अगस्त में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मैं समझता हूं कि यह बात 1 अगस्त, 2004 की है और माननीय प्रधान मंत्री जी 13 अगस्त को संसद में आए। मेरे सहयोगी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कार्य मंत्रणा समिति को यह आश्वासन दिया कि प्रधान मंत्री जी के बयान के आधार पर देखें और हम अगले दिन इस पर चर्चा करेंगे। हमने ऐसा कब कहा है कि हम अपने जनता को लेकर नहीं चलना चाहते?

उस पक्ष से किसी ने सम्मुख दिया कि राजनीतिक सहमति होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को पहल करनी चाहिए। उन्होंने पहल की और यह कहने के लिए मुझे क्षमा की जाए कि मेरे समझ से उन्होंने जरूरत से ज्यादा पहले की जो आवश्यक नहीं थी, कई बार जैसे ही इस पर हस्ताक्षर किए गए प्रमुख प्रतिपक्षी दलों में नेताओं और राजग के नेताओं को आमंत्रित किया गया। उनकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया क्या थी? उनकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया यह थी कि उन्होंने वार्ताकारों को बधाई दी और वे बाहर आए तथा बाहर खड़े मीडिया के लोगों को ऐसा बताया। इसके बाद अचनाक उन्होंने पाया कि इस समझौते को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री आडवाणी जी ने भी कहा कि कोई परीक्षण नहीं होगा। क्या आप प्रोग्राम-3 नहीं चाहते? कोई प्रोग्राम-3 को चाहता है अथवा नहीं यह अलग बात है। लेकिन मैंने स्वयं पिछली दफा इस सम्माननीय सभा में अगस्त में यह कहा था कि यदि हमारी सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह परमाणु परीक्षण देश के लिए आवश्यक है, तो हम यह परीक्षण करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। एक प्रश्न यह पूछा गया था कि इस बात की क्या गारंटी है कि हम परीक्षण कर सकते हैं? क्या गारंटी है कि हम इसे करेंगे? यह कोई बड़ा लेख नहीं है और इसमें केवल 17 खंड है और यह कोई सैकड़ों पृष्ठों का नहीं है- और किसी ने यदि इसे पढ़ा होगा, तो पाया होगा कि अनुच्छेद 5(छह)(ख) में निरंतर ईंधन आपूर्ति आश्वस्त की गई है, जबकि अनुच्छेद 14.8 में यह कहा गया है कि इससे सैन्य कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा। मैं इस अनुच्छेद के प्रथम भाग को पढ़ता हूं:

रात्रि 8:00 बजे

"पक्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस समझौते का उद्देश्य शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग करने की है तथा किसी भी पक्ष की असुरक्षित परमाणु गतिविधियों को प्रभावित करना नहीं है।"

हमारा सामरिक कार्यक्रम असुरक्षित है। हमने यह उन्हें नहीं सौंपा है। उन्होंने दावा किया क्योंकि किसी ने साक्षात्कार दिया कि वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से जो वह नहीं प्राप्त कर सके, वह हमें डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार से मिल गया। उसने एक उदाहरण दिया कि हमने मौजूदा सुरक्षित रियक्टरों में से केवल दो रियक्टर दिए है। लेकिन भविष्य के सभी रियक्टरों को इस सुरक्षित व्यवस्था में शामिल किया जाना है और राजग सरकार ने सयुंक्त राज्य अमरीका के साथ जो करार किया है उसका निष्कर्ष यही है। हमने क्या किया, यह आपको इसके मूल पाठ में मिल जाएगा। हमने कहा कि इन छह रियक्टरों को हम सुरक्षित श्रेणी में रख रहे हैं। भविष्य में किस रियक्टर को सुरक्षित श्रेणी में रखना हैं, यह हम तय करेंगे न कि

[श्री प्रणब मुखर्जी]

आप। इस समझौते के मूल पाठ में हमने एक बात कही है कि इससे हमारा सैन्य कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा। मुझे यह पता नहीं है कि उनको भारत के प्रधान मंत्री, भारत के विदेश मंत्री और इस 123 समझौते में हमने जो वचन बद्धता की है। जब हमारे वाम मित्रों द्वारा इस संबंध में पूछे गए नौ प्रश्नों के संबंध में प्रधान मंत्री जी ने उन्हें जो आश्वासन दिए थे, उन पर उन्हें भरोसा है या नहीं। हमारा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना था कि इस 123 समझौते में इन सभी नौ बिन्दुओं का ध्यान रखा जाए।

महोदय, माननीय सदस्यों की पुनरावृत्ति के लिए मैं इन नौ बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये क्या हैं पूर्ण असैन्य परमाणु सहयोग; परस्पर आदान-प्रदान का सिद्धांत स्थायी मुक्ति- न अस्थायी, न वार्षिक प्रमाणन; भारत को एक ऐसे देश के रूप में मान्यता, जिसके पास उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी है; केवल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा नियमों को मानना, न कि किन्हीं द्विपक्षीय सुरक्षा नियमों को; हमारे सामरिक कार्यक्रम की सत्यनिष्ठ और विश्वनीयता का संरक्षण विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर किसी भी तरह के अल्पकालीन विराम को न मानना इस लिए, एक जिम्मेदार संप्रभु राष्ट्र के रूप में हमने कहा है कि हम समझौता करेंगे। हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। इसके अवश्य ही कोई भेदभाव नहीं होगा। इस जांच की जा सकेगी और यह अवश्य ही एक समान होगा। इस प्रकार की कोई भी शर्त हमें मंजूर नहीं है और इस प्रकार का कोई भी समझौता नहीं करेंगे और राष्ट्रीय हित में यदि आवश्यक हुआ, तो हम परमाणु परीक्षण के अपने विधिक अधिकार की सुरक्षा करेंगे। इसका मतलब है कि यदि आपको कभी भी लगता है कि परमाणु परीक्षण कार्य आवश्यक है तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन मैं श्री लालकृष्ण आडवाणी जी और उनके दल की उस अवधारणा को नहीं मानता कि भारत को वैश्विक, अविभेदकारी निरस्त्रीकरण करार नहीं करना चाहिए, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है और संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के इस सत्र में भी हमने एक संकल्प रखा है, जिसका लगभग 27 देशों ने समर्थन किया है और हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे।

यह प्रश्न उठाया गया था कि हम संप्रग और वाम पंथी दलों के बीच इस प्रकार का समझौता क्यों कर रहे हैं। यह कोई संसदीय समिति नहीं है। इस समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी द्वारा नहीं की जाती। इस समिति की नियुक्ति संप्रग के अध्यक्षा द्वारा की जाती है। इसमें केवल संसद सदस्य हो नहीं होते। इस समूह के तीन गैर-संसदीय सदस्य होते हैं। यह एक अनौपचारिक समूह है, जो हमारे समर्थकों और अपने बीच उत्पन्न मतभेदों को खत्म करने की दिशा में कार्य करता है। इसलिए संसद को इसमें क्या करना है? संसद में जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि उनका कहना यह है: "हम अपने दल का समर्थन करना चाहेंगे।" वस्तुतः, हमें कांग्रेस अध्यक्षा का समर्थन लेना होता है। इस विषय पर मैं निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी यह मंशा व्यक्त नहीं की है कि वे संप्रग को समर्थन करना चाहते हैं। उन्हें अपनी नीति बदलने दीजिए इसलिए, यह एक दम अस्वीकार्य स्थिति है।

जहां तक सुरक्षा का संबंध है तो हमने आपको आश्वासन दिया है कि इसका परिणाम क्या है। इसका परिणाम यह है कि हम केवल भारत की सुरक्षा व्यवस्था करने जा रहे हैं। वार्ता में समय लगेगा। यह एक तकनीकी वार्ता है। इस तकनीकी वार्ता में हम तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में कहना चाहते हैं जिन पर हमारे समूह में वाम पंथी दल ने बार-बार बहस की है। जब हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के ईंधन आपूर्ति के आश्वासन के साथ ही विशेष रूप से भारत के सुरक्षा उपायों अबाधित ईंधन आपूर्ति की स्थिति में उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सुस्पष्ट नीतिपरक भंडार का अधिकार सुनिश्चित करना चाहता हैं और यदि यह आपूर्ति बाधित होती है, यदि हम उस स्थिति से निपटने में असफल रहते है, तो हमारे पास ईंधन के लिए नीतिपरक सामरिक भंडार होना चाहिए और पृथक्करण योजना, जिसके बारे में इस संसद को पता है और जिसे संसद में रखा गया है तथा जिसे अमरीकी प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है, को स्वीकार करते हुए हमारे सामरिक कार्यक्रम को मान्यता मिलनी चाहिए।

मैं समझता हूं कि हाइड एक्ट के बारे में कोई प्रश्न है। यदि आप हर बात की व्याख्या हाइड एक्ट के आलोक में करना चाहेंगे, तो मैं इसके कुछ नहीं कर सकता। इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। जैसा कि श्री तरित बरण तोपदार ने ठीक ही कहा है कि हाइडएक्ट अमरीकी प्रशासन के हाथ में एक ऐसा कानून है, जिससे उसे तथा अमरीकी राष्ट्रपति को भारत, जी.एन. परमाणु अप्रसार संधि वाला देश है जो एक परमाणु हथियार वाला देश है, लेकिन जिसे परमाणु हथियार वाले देश को एक परमाणु हथियार से युक्त की मान्यता नहीं मिली है जिसके पास नीतिपरक कार्यक्रम है, के साथ किसी भी असैन्य परमाणु कार्यक्रम के लिए करार करने की शक्ति तथा छूट जाएगी। 1954 के अधिनियम के अनुसार अमरीका उस देश के साथ सहयोग

नहीं कर सकता। इसलिए, उस अधिनियम उसे इस शर्त छूट मिलनी चाहिए। हाइडएक्ट में उसे यह छूट दी गई हैं। हाइड एक्ट का प्रावधान करते हुए एक बात बताई गई है। हाइड एक्ट की व्याख्या कौन करेगा? मैंने स्वयं कहा है कि हाइड एक्ट में ऐसे बहुत से विवरणात्मक और असंगत मुद्दे हैं, जो हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है। यह हमारे लिए कैसे बाध्यकारी हो सकता है? जिस प्रकार भारत की संसद द्वारा पारित कोई कानून अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकते उसी प्रकार अमरीकी कांग्रेस द्वारा पारित कोई कानून वहां के सांसदों पर तो बाध्यकारी हो सकता है, लेकिन भारत के लिए यह बाध्यकारी नहीं हो सकता। भारत के लिए केवल 123 समझौता ही बाध्यकारी हो सकता है। मैं माननीय सदस्यों से अत्यंत सम्मान के साथ यह निवेदन करता हूं कि वे मुझे ऐसा कोई खंड दिखायें। जी हां, मुझे पता है कि कोई अपनी स्थान पर खड़ा हो जाएगा और यह कहेगा कि इससे राष्ट्रीय कानून का प्रश्न जुड़ा है। जी हां, सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का यही मानक सिद्धांत है। यह बात भी उतनी सही है कि खंड 14 में वियाना सम्मेलन का उल्लेख है तथा विवादों के मामले के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लेख है। अमरीका वार्ताकारों के साथ समझौता करने वालों को हमने यही आदेश दिए थे। हमने उनको स्पष्ट तौर पर यह बता दिया था। जब एक बार हस्तक्षेप करने का मौका मिला था, तो मैंने स्वयं कहा था। "देखिए, यह बात स्वीकार्य नहीं है।"

मैंने उन्हें बताया कि वे नौ मुद्दों जिनका प्रधान मंत्री जी ने संसद-पटल पर विशिष्ट रूप से जिक्र किया था और वचन दिया था, उनको मूल पाठ में रखा जाना चाहिए और हाइड एक्ट का कोई जिक्र नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त आदरपूर्वक दावा कर सकता हूं कि हमने ऐसा ही किया है? राष्ट्रपति बुश ने क्या कहा था? वे अमरीका के मुख्य कार्यपालक हैं? वे हाइड एक्ट की व्याख्या कैसे कर रहे हैं? श्री आडवाणी जी किसी अंडर सेक्रेटरी की व्याख्या के आधार पर कह रहे हैं- लेकिन मैं संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के वक्तव्य से उद्धरण दे रहा हूं, किसी अंडर सेक्रेटरी के वक्तव्य से नहीं। मैं अंडर सेक्रेटरी अथवा उनके अधिकारियों का उद्धरण नहीं दे रहा हूं। बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य कार्यपालक ने कहा है:

"आज मैंने एच.आर. 5682, एक एकट जिसमें 2006 के हेनरी जे.हाइड अमरीका-भारत शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग अधिनियम अंतर्विष्ट है, पर हस्ताक्षर करके उसे एक कानून अधिनियम का रूप दे दिया है। यह अधिनियम संयुक्त राज्य अमरीका और भारत के बीच संबंध मजबूत करेगा और इससे दोनों राष्ट्रों को फायदा होगा। धारा 103 में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में अमरीकी नीति स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम पर मेरी स्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि मैंने अमरीका की विदेश नीति के रूप में नीति के वक्तव्य को स्वीकार कर लिया है। संविधान के अनुसार राष्ट्र के विदेश मामलों को संचालित करने का अधिकार मुख्य प्राधिकारी को है और ऐसे परामर्शों की व्याख्या कार्यकारिणी शाखा द्वारा की जाएगी।"

यह संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति की टिप्पणी है और वाद-विवाद में भाग लेते हुए मेरे युवा मित्र श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे बखूबी स्पष्ट कर दिया था।

अतः, मेरा अत्यंत आदरपूर्वक निवेदन यह है कि हम अमरीकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अंतर्गत ये बाध्यताएं स्वीकार कर रहे हैं, न कि हाइड अधिनियम के अंतर्गत। हाइड अधिनियम एक समर्थकारी उपबंध है। इससे निपटना अमरीकी प्रशासन का कार्य है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि यह उनके द्वारा जुलाई, 2005 में दिए गए संयुक्त वक्तव्य और मार्च, 2006 की पृथक्करण योजना में दी गई वचनबद्धता को कार्यान्वित करने की राह में रोड़ा नहीं बनेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं अत्यंत आदरपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हमें 123 समझौते का अध्ययन करना चाहिए।

मैं विदेश नीति बहस के वृहत्तर आयामों पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं दो बातों पर जोर देना चाहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग बोर्ड में मतदान के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं समझता हूं कि हम इसे अनेक बार स्पष्ट कर चुके हैं। दो अवसरों पर हमने ऐसा किया है और हमने स्पष्ट किया कि हमने ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए हुआ कि उस समय हमें यह बताया गया था कि यदि हम यूरोपीय देशों के संशोधन को स्वीकार कर लें, तो मामला 'आई.ए.ई.ए.' के बोर्ड में ही रहेगा और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि यदि इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजा गया, तो वह प्रतिबंध जारी कर देंगी जैसाकि उन्होंने इराक पर दो प्रतिबंध जारी किए हैं। लेकिन पिछले मतदान, जो फरवरी, 2006 में हुआ था, में स्थिति और मतदान का जो पैटर्न हमें मिला वह यह था कि रूस और चीन जैसे गुट-निरपेक्ष देशों सहित अनेक देश और हम एक साथ थे। रूस और चीन यूरोप के 45 देशों के सम्मेलन में जब मुझसे इरान की बारे में भारत का रूख पूछा गया तो मैंने स्पष्ट कहा कि इरान एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है और एक गौरवशाली राष्ट्र है।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

मुझे नहीं लगता कि प्रतिबन्ध पर प्रतिबन्ध जारी करने से समस्या सुधरेगी। इरान को वार्ता प्रक्रिया में शामिल करना होगा और उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मंच आई.ए.ई.ए है। जो वहां नवीनतम मतदान हुआ है- मतदान नहीं, जिसमें इस पर पुनः निर्णय लिया गया- चीन, रूस, मलेशिया और अनेक अन्य देशों, गुट-निरपेक्ष देशों के साथ मिलकर हमने यह निर्णय लिया कि जी हां, राजनय (डिप्लोमसी) का एक अवसर दिया जाना चाहिए। यह एक जटिल मुद्दा है। इसमें समय लगेगा।

हम किसी देश से क्यों घबराएं? जी हां, हमारे रणनीतिक संबंध हैं। इसमें गलत क्या है? मैं अत्यंत आदरपूर्वक निवेदन है कि अकेले अमरीका ही नहीं, रूस, चीन, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ के साथ हमारे रणनीतिक संबंध हैं। हमारे दस देशों के साथ रणनीतिक संबंध हैं।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : इसमें सभी शामिल किए गए हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : जी नहीं, सभी शामिल नहीं किए गए हैं। यह संबंधों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि हम कैसे संबंध रखना चाहते हैं। चीन के साथ संबंधों में काफी सुधार हुआ है।

चीनी गणतंत्र दौरे के दौरान संप्रग अध्यक्षा का वहां के शीर्षस्थ शासन प्रमुख द्वारा गर्मजोशी से किया गया स्वागत किसी के लिए भी ईर्ष्या का विषय हो सकता है और वे उनसे चुनाव के बाद मिली थी। चीनी गणतंत्र का दौरा करने वाली वे प्रथम विदेशी थी। नौ माह की छोटी सी अवधि में, चीनी विदेश मंत्री के साथ मेरी चार बार बातचीत हो चुकी है और शीघ्र ही प्रधानमंत्री जी वहां का दौरा करने वाला हैं।

मुझे कोई संदेह नहीं है कि बीच-बीच में वे कह रहे हैं कि जी-8 और जी-5 देशों की बैठक के दौरान हीलीजेन्डम में राष्ट्रपति हुजिन्ताओं के साथ और सिंगापुर में प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के साथ हुई बातचीत दोनों देशों के बीच सर्वोत्तम संबंधों को उजागर करते हैं। चीनी प्रधान मंत्री और हमारे प्रधान मंत्री के बीच हुई बातचीत का पूरा खुलासा करना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनके सहयोग, यहां तक कि असैनिक परमाणु कार्यक्रम के बारे में भी अनेक लोग अनेक बातें कह रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम मौजूदा बाधाओं को पार कर लें, तो हम ऐसा कर पाएंगे।

ऐसे प्रश्न उठाए गए हैं कि प्रधानमंत्री ने रूस के साथ समझौता क्यों नहीं किया। हम इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। अवसर आने पर उन्होंने इसे स्पष्ट कर दिया था और कारण बहुत साधारण सा था। हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार ये सारे प्रबंध किए जाने हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जाना है; और कार्यान्वित करने के लिए भारत हेतु विशिष्ट समझौते के लिए हमें आई.ए.ई.ए. के पास जाना होगा। हमें 'एन.एस.जी.' के दिशा-निर्देशों को तैयार करने होंगे और हम इसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। लगभग चार रिएक्टरों और कुडानकुलम के लिए हमें रूस के साथ समझौता-ज्ञापन करना होगा और यह प्रक्रिया पूरी होते ही हम समझौता कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह एक प्रकार का पासपोर्ट है। एक बार मुझे सभी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट मिल जाए, तो मेरे पास यह चुनने का विकल्प होगा कि मैं किस देश का दौरा करूं? यह आवश्यक नहीं है कि मैं एक देश का दौरा करने के नाम से पासपोर्ट प्राप्त करूं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि मैं स्वयं को उसी देश तक सीमित रखूं।

यह सबके सामने होगा। निश्चित रूप से हम बातचीत चाहते हैं। अनेक उल्लंघन आदि बताए गए हैं। इस चर्चा को आरंभ करने वाले रूपचंद बाबू, ने कहा कि यह विश्व ऊर्जा आवश्यकता का केवल 15 प्रतिशत है। यह सही है। आज मेरे पास 1,28,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है; परमाणु ऊर्जा केवल 3,900 मेगावाट है। हम आज की बात नहीं कर रहे हैं; हमें भविष्य की बात करनी होगी।

आज हमारा तेल आयात 100 मिलियन टन है। हम यह तेल 100 डालर प्रति बैरल की दर से आयात कर रहे हैं और यदि हम यह सारा बोझ उपभोक्ता पर डाल दें, तो कोई भी आसानी से यह समझ सकता है कि ऊर्जा की लागत कितनी होगी। लेकिन क्योंकि राजसहायता के जरिए इस बोझ कम किया जा रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ऊर्जा पर आने वाली लागत में कमी हो रही है। हम कोकिंग कोयले का भी आयात कर रहे है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं पर निर्भर हैं। प्रधान मंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता है; हम थोरियम पर त्रिचरणीय प्रौद्योगिकी चाहते हैं। समझौते के पाठ में भी आप पाएंगे कि हमारा त्रिचरणीय असैनिक और नाभिकीय कार्यक्रम, जो भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम के जनक होमी भाभा का स्वप्न था, समाप्त नहीं किया

गया है। प्लूटोनियम के बारे में मुझे कुछ रिपोर्टें मिली हैं जिनमें विशेषज्ञों ने कहा है कि यदि हमारे पास केवल थोरियम है, तो केवल एफबीआईएस में प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 238 के ईंधन चक्र के बाद पीएचडब्ल्यूआरएस से निकले प्रयुक्त ईंधन से नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 10,000 मेगावाट से लगभग 500 हजार मेगावाट किया जा सकता है। निस्संदेह यह आज की बात नहीं है। यह भविष्य की बात है। लेकिन हमें भविष्य के बारे में सोचना होगा।

श्री राजीव गांधी जी ने अस्सी के दशक के मध्य में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति के बारे में सोचा था। हममें से अनेक लोगों ने इसमें विश्वास नहीं किया। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के मामले में आज भारत शीर्ष स्थान पर है। हममें से अनेक लोगों ने कंप्यूटरीकरण का विरोध किया है। आज हम कंप्यूटरीकरण कर रहे है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : हमने भी किया था।

श्री प्रणब मुखर्जी : आप तो अभी मदद कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपायक्ष महोदय, इसलिए मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं कुछ क्षेत्रों पर बोला हूं। हां, चर्चा होगी; हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, कि वाम दलों, संप्रेग के साथ हमारी एक व्यवस्था है। लालू जी, शरद जी, और बालू जी इसके सदस्य है; मैं भी हूं। हम आपस में चर्चा कर रहे हैं और हम इसे सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष के नेता ने हमें आश्वासन दिया है और यही बात उनके समर्थकों ने भी उठाई है कि यदि वे सत्ता में आए तो वे पुन: वार्ता करेंगे।

एक घटना का वर्णन करने के पश्चात मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। ऐसा इसी सदन में नहीं हुआ, बल्कि दूसरे सदन में भी हुआ है। उस समय मैं उस सभा का सदस्य था। आज यह कहा जा रहा है कि संप्रभुता को गिरवी रख दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे यह सौभाग्य हो अथवा दुर्भाग्य, मैं सत्तर के दशक से अनेक कांग्रेसी प्रधान मंत्रियों की सरकार में रहा हूं। कम-से-कम तीन बार मुझ पर भारत की संप्रभुता को गिरवी रखने का आरोप लगाया गया है। एक बार मैंने भारत की 'संप्रभुता' को तक गिरवी रखा जब मैंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से पांच बिलियन 'एसडीआरएस' उधार लेकर विस्तारित निधि सुविधा समझौता किया। जब हमने 1.2 बिलियन एसडीआरएस की आखिरी किस्त लौटाई तब मैंने अपने एक भाषण में कहा था: ''आपमें से अनेक स्वयंभू मसीहाओं ने कहा था कि मैं जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पैसा वापस करके लौटूंगा तो हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी लेकिन यह गलत साबित हुआ और हमारी स्थिति अभी भी बेहतर है।''

इसी प्रकार, पुन: हमने जब विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो उन्होंने कहा कि 'संप्रभुता' को गिरवी रख दिया गया है। इस हद तक बात हुई। मैं उसे समझ सकता हूं। वामदलों ने तब भी विरोध किया था और अब भी विरोध कर रहे हैं।

अब, जैसा कि मैंने कहा भारतीय पेटेन्ट अधिनियम, 1973 में आई.पी.आर. के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार संशोधन किया जाना है। भाजपा के एक महान सदस्य, जो बाद में राजग शासनकाल में मंत्री भी बने, के नेतृत्व में यह विधेयक राज्य सभा में दो बार अस्वीकृत हुआ।...*(व्यवधान)* मैं दूसरी सभा के सदस्य का नाम नहीं लूंगा। लेकिन यह हास्यपद हिस्सा है। कुछ समय बाद जब वे सत्ता में थे, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटान तंत्र में भारत दो बार हारा। उस समय यही पार्टी हमारे पास आयी थी—उस समय मैं विपक्ष में था और डा. साहिब विपक्ष के नेता थे—तब उन्होंने कहा: ''यदि आप समर्थन करेंगे तो हम भारतीय पेटेन्ट अधिनियम में संशोधन करेंगे। यह वर्ष 2000 की बात है। मैंने कांग्रेस अध्यक्षता से बात की उन्होंने कहा: यदि आप समझते है कि विधेयक अच्छा और राष्ट्रीय हित में है, केवल सत्ता बदल जाने से नीति बदले जाने की आवश्यकता नहीं है।'' इस प्रकार हमारे समर्थन से, विधेयक पारित हुआ और केवल यही परिवर्तन किया गया था। वर्ष 1994 में वाणिज्य मंत्री के रूप में श्री प्रणव मुखर्जी विधेयक के प्रभारी सदस्य थे और वर्ष 2000 में श्री मुरासोली मारान प्रभारी सदस्य थे, इन वर्षों के अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया गया, इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था, तदुपरांत उन्हें कांग्रेस पार्टी से विधेयक का समर्थन करने का आग्रह करना पड़ा अत: हमें ऐसा नहीं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इसी कारण से आपका भाषण सुने बिना वे सदन छोड़कर बाहर चले गए...*(व्यवधान)*

श्री प्रणव मुखर्जी : अत: हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। हमें इसके लाभ-हानि की परिगणना करनी चाहिए, इस पर चर्चा की जानी चाहिए, और चर्चा करके यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि इन मुद्दों को कैसे हल किया जा सकता है।

[श्री प्रणय मुखर्जी]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने सदस्यों को कई बार आश्वासन दिया है, मैं विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। जब भी इस प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया गया तो हमने संसद से अनुमति ली। संयुक्त वक्तव्य के पश्चात, हमने संसद में चर्चा की। पृथक्करण योजना के पश्चात हमने संसद में चर्चा की और पुन: 'हाइड एक्ट' के पश्चात् हमने संसद में चर्चा की। 'एग्रीड टेक्स्ट' की यथावत् स्थिति पर सहमति के पश्चात हम संसद में आए। हम पुन: संसद में चर्चा करेंगे।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री रूपचन्द पाल : महदोय, मैंने बहुत से महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाये थे परन्तु माननीय विदेश मंत्री ने अपने विस्तृत उत्तर में उन्हें शामिल नहीं किया है। पहला मुद्दा 123 करार और 'हाइड एक्ट' के बीच संबंध के बारे में है। अमरीका के महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यक्तियों ने इस संबंध के बारे में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की है। मैं इस विषय पर अधिक चर्चा नहीं करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि इन सभी बातों और अंतर्राष्ट्रीय परपराओं के संदर्भ में क्या 123 करार के स्थान पर 'हाइड एक्ट' को वरीयता दी जाएगी या 'हाइड एक्ट' के स्थान पर 123 करार को वरीयता दी जाएगी।

मैंने पूछा था कि क्या फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों को भी 'सुरक्षोपाय' के अंतर्गत रखा जाएगा...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी : मेरा जवाब 'नहीं' है।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : ठीक हैं, अब हमारे भारतीय वार्ताकार भारत की आवश्यकताओं, अर्थात् भारत के विशिष्ट सुरक्षोपायके बारे में चर्चा करने की प्रक्रिया में रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ऐसा कोई विचार है कि देश की क्या आवश्यकताएं होंगी क्योंकि यह एक निराशापूर्ण क्षेत्र है। पुन: संसाधन के मामले में कोई ठोस बात नहीं है केवल सैद्धान्तिक विचार व्यक्त किये गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इससे भारत को लाभ कैसे होगा?

हमें पता चला है और बताया गया है कि रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, उनके बीमार परमाणु उद्योग का पुनरुद्धार होगा, एशिया में एक नया वास्तुशिल्प बनेगा और ऐसी ही अन्य सभी बातों जैसे लाभ प्राप्त होंगे। परन्तु माननीय मंत्री महोदय के विस्तृत भाषण में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है हमें इसमें क्या-क्या लाभ प्राप्त होंगे।

माननीय विदेश मंत्री द्वारा विशिष्ट प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, परमाणु रिएक्टर, दोहरे उपयोग के संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। इसी प्रकार मिश्रित ऊर्जा के उपयोग के संबंध में अपने कोयला क्षेत्र, पन बिजली क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की उपेक्षा करके क्या परमाणु ऊर्जा से कभी हमें कोई बड़ी सहायता प्राप्त होगी, इसे स्पष्ट नहीं किया गया।

महोदय, मुझे वास्तव में निराशा हुई है कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में सभी मुद्दों को शामिल नहीं किया है।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य ने थोड़ा ध्यान दिया होता तो मैंने अपने भाषण में आई.ए.ई.ए. से देश की अपेक्षाओं के बारे में कहा था। मैंने तीन विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में बताया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि भारत आई.ए.ई.ए. के साथ सुरक्षोपाय व्यवस्था कर रहा है। जब भी हम बाहर से कोई रिएक्टर खरीदते हैं तभी आई.ए.ई.ए. अनुरूप सुरक्षोपाय करने पड़ते हैं। इसका एक मानक तरीका है। परन्तु विशिष्ट भारत ('इंडिया स्पेसिफिक') में क्या है? 'विशिष्ट भारत' के विषय में मैंने इन तीन क्षेत्रों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। इसमें ईंधन आपूर्ति का आश्वासन, रणनीतिक ईंधन भंडार का सृजन करने का अधिकार, पृथक्करण योजना को मान्यता और दूसरे शब्दों में सामरिक कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करना शामिल है। हमें इनकी अपेक्षा करनी चाहिए। इसके लिए बातचीत चल रही है। यह जटिल तकनीकी ब्यौरे हैं, जिन पर विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जा रहा है। मैं विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं आपकी तरह ही आम आदमी हूं। अत: इन मामलों में सामान्यतया उनसे दिशानिर्देश मिलते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे हितों की रक्षा की जाएगी।

जहां तक ऊर्जा (एनर्जी मिक्स) का संबंध है, मैंने यह कहते हुए अपनी बात शुरू की कि हम केवल आज की ही नहीं बल्कि भविष्य की भी बात कर रहे हैं। आज सभी लोग जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम इसे छिपा नहीं सकते। प्रौद्योगिकी लागत के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 'बाली सम्मेलन' में माननीय प्रधानमंत्री महोदय पुन: इसकी वकालत करेंगे कि विकासशील देश, अपना विकास नहीं रोक सकते इसलिए उन्हें पर्याप्त मुआवजा देकर वाजिब लागत पर स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी उपलब्ध करायी जाए। सारा विश्व, विशेषकर विकसित देश चीन और भारत के बाजार की ओर देख रहे है। मैं

समझता हूं कि ऐसे विकसित देशों ने गणना की है कि कुछ ट्रिलियन डालर के व्यापार का 50 प्रतिशत इन दो देशों के बीच होगा।

अत: ये ऐसे क्षेत्र है जिस पर ध्यान दिया जा रहा है और योजना आयोग इस पर कार्य कर रहा है।

श्री बसुदेब आचार्य : महोदय, सभा में अधिकांश सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त विचारा के मद्देनजर, मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि सरकार इस मामले में और आगे नहीं बढ़ेगी। इसे सभा की सम्मति समझा जाना चाहिये। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपने भाषण के प्रारम्भ में ही मैंने यह टिप्पणी की थी कि मानसून सत्र में यह चर्चा हो नहीं पायी थी इसीलिए अब यह चर्चा की जा रही है। यह इस प्रक्रिया की तरफ एक छोटा सा कदम है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, सभा की सम्मति लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। पहले इस प्रक्रिया को पूरा होने दें। मैं यह आश्वासन भी देना चाहता हूं कि प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के पश्चात इस विषय को संसद में उठाया जाएगा और इस पर चर्चा की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका धन्यवाद। अब सभा कल 29 नवम्बर 2007 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.34 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 29 नवम्बर, 2007/ 8 अग्रहायण 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री एम. अंजनकुमार यादव श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	181
2.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन श्री गुरूदास दासगुप्त	182
3.	श्री पी.सी. गद्दीगउडर श्री के. विरुपाक्षप्पा	183
4.	श्री सुकदेव पासवान श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	184
5.	श्री विजय बहुगुणा	185
6.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	186
7.	श्री टेक लाल महतो	187
8.	श्री के. सुब्बारायण	188
9.	चौ. मुनव्वर हसन	189
10.	डा. एम. जगन्नाथ	190
11.	श्री संतोष गंगवार श्री महावीर भगोरा	191
12.	श्री हेमलाल मुर्मू	192
13.	श्री एन. जर्नादन रेड्डी श्री असादूद्दीन ओवेसी	193
14.	डा. बाबू राव मिडियम	194
15.	श्री जी करूणाकर रेड्डी	195
16.	श्री संजय धोत्रे श्री बापू हरी चौरे	196
17.	श्री किन्जरपु येरननायडु	197
18.	श्री अबु अयीश मंडल	198
19.	डा. धीरेंद्र अग्रवाल श्री हरिकेवल प्रसाद	199
20.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी श्री सुग्रीव सिंह	200

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	1700
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	1643
3.	आदित्यनाथ, योगी	1663
4.	अडसुल, श्री आनंदराव विठोबा	1653, 1694, 1719, 1741, 1752
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1642, 1699, 1765

1	2	3
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	1627
7.	अजय कुमार, श्री एस.	1650
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	1755
9.	अर्गल, श्री अशोक	1636
10.	आठवले, श्री रामदास	1641, 1692, 1732, 1770
11.	बारड, श्री जसुभाई धानाभाई	1653, 1700, 1731
12.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	1659
13.	भगोरा, श्री महावीर	1704, 1734
14.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	1625, 1738
15.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	1651
16.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1637, 1686
17.	चौरे, श्री बापू हरी	1691, 1729, 1747
18.	चौधरी, श्री अधीर	1665
19.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	1686
20.	देवरा, श्री मिलिन्द	1634, 1673, 1724
21.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	1671, 1751, 1769
22.	धोत्रे, श्री संजय	1691, 1729, 1747
23.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	1621, 1680
24.	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	1645
25.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	1672, 1716
26.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	1688, 1725
27.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1676, 1720, 1742, 1751

1	2	3
28.	गंगवार, श्री संतोष	1696, 1727, 1746, 1762
29.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	1691, 1729, 1747
30.	हसन, चौ. मुनव्वर	1695
31.	हुसैन, श्री अनवर	1741
32.	जगन्नाथ, डा. एम.	1695
33.	जैन, श्री पुष्प	1652
34.	जिन्दल, श्री नवीन	1742
35.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1618, 1677, 1722, 1744, 1754
36.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1619, 1679, 1721, 1743, 1753
37.	कृष्ण, श्री विजय	1758
38.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1757
39.	महरिया, श्री सुभाष	1632, 1685, 1738
40.	महतो, श्री टेक लाल	1693
41.	माझी, श्री शंखलाल	1635
42.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	1762
43.	माने, श्रीमती निवेदिता	1648, 1676, 1720, 1742, 1751
44.	मनोज, डा. के.एस.	1660
45.	मसूद, श्री रशीद	1649, 1764
46.	मिडियम, डा. बाबू राव	1763
47.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1639, 1760
48.	मैन्या, डा. टोकचोम	1647
49.	मिश्रा, डा. राजेश	1700

1	2	3
50.	मोहन, श्री पी.	1668, 1714, 1768
51.	मो. ताहिर, श्री	1616, 1640, 1730
52.	मंडल, श्री अबु अयीश	1689, 1730, 1748
53.	मुन्शी राम, श्री	1701
54.	नायक, श्री अनन्त	1628, 1684, 1723
55.	निखिल कुमार, श्री	1665
56.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	1678, 1726, 1749, 1771
57.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1624, 1651
58.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1620, 1749, 1766
59.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1657, 1687
60.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1756, 1759
61.	पाठक, श्री ब्रजेश	1738
62.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	1674, 1717, 1740
63.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	1622, 1656, 1694
64.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1699, 1767
65.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	1633, 1712
66.	रामदास, प्रो. एम.	1655, 1702, 1731
67.	राव, श्री के.एस.	1626, 1682, 1719, 1724, 1745,
68.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1651, 1664, 1709
69.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1658, 1718
70.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	1637
71.	रावले, श्री मोहन	1630, 1755

1	2	3
72.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	1697, 1728
73.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1683, 1694
74.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु .	1711
75.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	1766
76.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1687, 1767
77.	रिजीजू, श्री कीरेन	1622, 1656, 1694, 1713
78.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1638, 1708, 1737
79.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	1646, 1662, 1710, 1739
80.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1666
81.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1670
82.	शर्मा, डा. अरविन्द	1675
83.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1653, 1654, 1694, 1700, 1701
84.	शिवन्ना, श्री एम.	1669
85.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1655, 1702, 1731
86.	सिद्वेश्वर, श्री जी.एम.	1623
87.	सिंह, श्री गणेश	1631, 1734
88.	सिंह, श्री मोहन	1656
89.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1661
90.	सिंह, श्री राकेश	1617, 1690
91.	सिंह, श्री सुग्रीव	1705, 1735, 1750, 1756
92.	सिंह, श्री उदय	1637, 1766
93.	सोनोवाल, श्री सर्बानन्द	1662, 1707, 1736

1	2	3
94.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	1629
95.	सुब्बारायण, श्री के.	1694
96.	सुमन, श्री रामजीलाल	1757
97.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1679
98.	थामस, श्री पी.सी.	1667, 1761
99.	टुम्मर, श्री वी.के.	1642, 1657
100.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	1624, 1651
101.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1656, 1703, 1733
102.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1644, 1656, 1704, 1706, 1757
103.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1653, 1654, 1694, 1700, 1701
104.	विरुपाक्षप्पा, श्री के.	1688
105.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	1681
106.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	1640, 1730
107.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1651, 1698

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला		187
उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास	:	
पर्यावरण और वन	:	188, 192, 193, 194, 196, 197
विदेश	:	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	181, 183, 186, 189, 195, 198, 200
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
पंचायती राज	:	199
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	182, 190
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	184, 185, 191
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	1666, 1671, 1680, 1705
कोयला		1627, 1639, 1643, 1645, 1700, 1702, 1718, 1723, 1733, 1736, 1760
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	1646, 1710, 1713, 1739
पर्यावरण और वन	:	1620, 1624, 1628, 1630, 1642, 1644, 1654, 1655, 1662, 1663, 1672, 1676, 1683, 1689, 1691, 1706, 1709, 1715, 1725, 1730, 1740, 1752, 1763, 1766, 1769, 1770

विदेश	:	1616, 1634, 1637, 1656, 1657, 1677, 1678, 1686, 1699, 1754, 1756, 1759, 1764, 1771
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	1617, 1618, 1619, 1621, 1623, 1625, 1629, 1633, 1638, 1641, 1649, 1650, 1652, 1660, 1661, 1664, 1668, 1673, 1674, 1675, 1684, 1685, 1687, 1693, 1694, 1695, 1697, 1707, 1708, 1711, 1712, 1714, 1717, 1719, 1720, 1722, 1724, 1727, 1729, 1731, 1732, 1741, 1747, 1749, 1751, 1758, 1761, 1765, 1768
प्रवासी भारतीय कार्य	:	1696
पंचायती राज	:	1692, 1698, 1701
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	1622, 1635, 1726, 1762, 1767
योजना	:	1647, 1690, 1703, 1728, 1737, 1750, 1755
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	1631, 1632, 1636, 1651, 1653, 1659, 1665, 1667, 1669, 1679, 1681, 1682, 1704, 1716, 1721, 1734, 1735, 1738, 1743, 1744, 1745, 1753, 1757
अंतरिक्ष	:	1626, 1748
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	1640, 1648, 1658, 1670, 1688, 1742, 1746.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/30/9/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।